राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

दूसरा प्रतिवेदन वर्ष

2006-07

अ0शा0 संख्या 4/6/07/**समन्वय**

दिनांक: 3 **सितम्बर, 2008**

आदरणीय राष्ट्रपति जी,

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना, संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करते हुए और संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत एक नया अनुच्देछ 338क जोड़कर, दिनांक 19 फरवरी, 2004 से की गई है। अनुच्छेद 338के अन्य बातों के साथ-साथ व्यवस्था करता है कि आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उपलब्ध सुरक्षणों के कार्यकरन पर राष्ट्रपति को वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझें, प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और ऐसे प्रतिवेदनों में सिफारिशें करें, जो उन सुरक्षणों और अन्य सुरक्षा के उपायों, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ अथवा किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए। श्री कुंवर सिंह के नेतृत्व में पहले आयोग ने अपना पहला प्रतिवेदन 2004-05 और 2005-06 की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति को दिनांक 8 अगस्त, 2006 को प्रस्तुत किया।

2. **मैं अब वर्ष 2006-07 के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का दूसरा प्रतिवेदन आपको प्रस्तुत कर रही हूँ।** पहले आयोग के अध्यक्ष ने अपने कार्यालय से दिनांक 14 फरवरी, 2007 को इस्तीफा दिया था और सदस्यों ने भी उनका कार्यकाल पूरा होने पर मार्च, 2007 के माह में अपने-अपने कार्यालय का पद त्याग किया था। वर्ष 2006-07 के लिए आयोग का दूसरा प्रतिवेदन दिनांक 1 अप्रैल, 2007 के बाद देय हो गया था और समय-समय पर पहले आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों और राज्य सरकारों सहित विभिन्न स्रोतों से एकत्रित की गई सामग्री के आधार पर तद्नुसार सुरक्षणों के कार्यकरन पर प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार करने की कार्रवाई शुरू की गई।

3. इस प्रतिवेदन में मुख्यत: आठ अध्याय हैं, जिसमें (i) आयोग की संगठनात्मक संरचना और कार्य संचालन, (ii) सेवा सुरक्षण, (iii) अनुसूचित जनजातियों के रूप में समुदायों का विनिर्देशन और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों का उत्तरवर्ती संशोधन, (iv) आदिम जनजातीय समूहों का विकास (v) अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक विकास (vi) स्वास्थ्य और पोषण (vii) भूमि हस्तांतरण (viii) मामलों का अध्ययन आदि शामिल है। प्रतिवेदन के प्रत्येक अध्याय में की गई सिफारिशों का सार 9वें अध्याय में दिया गया है।

4. समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग के सदस्यों ने राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर वरिष्ठ अधिकारियों और जनता के प्रतिनिधियों के साथ गहन विचार-विमर्श किए। आयोग ने राज्य सरकारों,

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और बैंकों सहित वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनेक सुनवाईयां भी आयोजित की और नियुक्तियों तथा अन्य सेवा के मामले में आरक्षण नीति के उल्लंघन और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के मामलों सहित विकास से संबंधित मामलों के संबंध में याचिकाकर्ताओं की बड़ी संख्या की शिकायतों का समाधान करने में सहायक रहा।

5. '**आयोग की संगठनात्मक संरचना और कार्य संचालन**' **नामक शीर्षक पर पहला अध्याय** अन्य बातों के साथ-साथ संसद में आयोग के प्रतिवेदनों को समय पर रखने के महत्व को विस्तार से वर्णन करता है। आयोग ने नोट किया है कि उसने अपना पहला प्रतिवेदन माननीय राष्ट्रपति जी को दिनांक 8 अगस्त, 2006 को प्रस्तुत किया था। यह प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के पटल पर अभी तक नहीं रखा गया है। यह मुख्यत: संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (6) के विद्यमान उपबंधों के कारण है, जो व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष ऐसे सभी प्रतिवेदनों को रखवाएंगे। चूंकि जनजातीय कार्य मंत्रालय, प्रतिवेदन में वर्णित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन तैयार करने में अपना समय लेता है, इसलिए संसद में प्रतिवेदन को रखवाने में देरी हुई है। तद्नुसार आयोग ने अपने पहले प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि राष्ट्रपति/राज्यपाल, आयोग द्वारा उन्हें प्रस्तुत किए गए सभी प्रतिवेदनों को संसद /राज्य विधान सभा के प्रत्येक सदन के समक्ष ऐसे प्रस्तुतीकरणों को तीन माह के भीतर रखवाएंगे और की गई कार्रवाई का ज्ञापन संसद/राज्य विधान सभा के प्रत्येक सदन के समक्ष ऐसे प्रस्तुतीकरणों के छ: माह के भीतर रखे जाने की व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद 338क की धारा (6), (7) में संशोधन किया जाए। आयोग इस प्रतिवेदन के भाग के रूप में इस सिफारिश को इस आशा के साथ दोहरा रहा है कि सरकार, अनुच्छेद 338क की ऊपर उल्लिखित धाराओं में संशोधन करने के लिए शीघ्र कार्रवाई आरंभ करेगी।

6. भारत के संविधान में समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं इनमें सरकार के सिविल पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी उपबंध शामिल हैं। अनुसूचित जनजातियों (अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी) के लिए आरक्षण देने का मुख्य उद्देश्य इन लोगों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से उत्थान करना है ताकि उन्हें राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उन्हें अधिकार दिए जा सके। सरकारी विभागों और उनके अधीन बैंकों बीमा कम्पनियों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों आदि सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित अनेक अनुदेश और दिशा निर्देश हैं। '**सेवा संबंधी सुरक्षणों नामक शीर्षक से दूसरा अध्याय** माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की चर्चा करता है, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध सेवा सुरक्षणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के पक्ष में समूह'क' के भीतर चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चर्चा करता है, जो ऑल इंडिया इन्कम टैक्स एससी/एसटी फेडरेशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदरस् के मामले में 1997 की डब्ल्यू0पी0 (सिविल) संख्या 244 उच्चतम न्यायालय में लंबित है। इस अध्याय में चयन द्वारा उनकी पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसुचित जनजाति के अधिकारियों के लिए अलग विचारार्थ क्षेत्र तैयार करने और इन निर्णयों के अनुपालन में संशोधित अनुदेश जारी करने में सरकार (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा की जा रही अनावश्यक देरी के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के बारे में एक संदर्भ का भी उल्लेख किया गया है। आयोग ने संशोधित अनुदेश जारी करने के लिए इस मामले को तीव्रता से सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ उठाया, परन्तु, इस संबंध में अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। आयोग ने तद्नुसार इस नाजुक

महत्व के मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करने की शिफारिश की है, क्योंकि यह चयन पदों पर उनकी पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाएगा।

7. आयोग वेदना के साथ नोट करता है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन और गैर अध्यापन पदों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं है। चूंकि ये विश्वविद्यालय भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके लिए यह सुनिश्चित करना परम आवश्यक है कि विभिन्न पदों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 7.5 प्रतिशत से कम न हो। आयोग ने तद्नुसार सिफारिश की है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन्हें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यापन और गैर अध्यापन दोनों संकायों में पदो के बैकलॉग/कमी की पहचान सुनिश्चित करने और उन्हें एक समयबद्ध तरीके से भरने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई आरंभ करना सुनिश्चित करने के लिए कड़े अनुदेश जारी किए गए हैं।

8. संविधान के अनुच्छेद 342 की धारा (1) व्यवस्था करती है कि राष्ट्रपति किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, और जहां वह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद, एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, जैसी भी स्थिति हो, अनुसूचित जनजाति के रूप में जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों को विनिर्दिष्ट करता है। ये सूचियां एक बार लागू हो गई हैं, उनमें शामिल करना अथवा उसमें से निकालना केवल संसद द्वारा अनुच्छेद 342 के धारा (2) के अनुसार किया जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल करना अथवा उसमें से निकालने के दावों पर निर्णय लेने के लिए रीतियां निर्धारित की गई हैं। '**अनुसूचित जनजाातियों के रूप में समुदायों का विनिर्देशन और अनुसूचित जनजातियों की परवर्ती संशोधन' नामक शीर्षक पर तीसरा अध्याय** अनुच्छेद 342 के धारा (1) के अधीन 1950 और उससे आगे जारी किए गए सभी मूल संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेशों पर चर्चा करता है। यह मूल संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेशों में अशोधन/संशोधन के तरीके द्वारा अनुच्छेद 342 की धारा (2) के अधीन जारी किए सभी संविधान आदेशों/अधिनियमों का भी उल्लेख करता है। उनकी एक स्थान पर आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इन सभी मूल आदेशों/संशोधित आदेशों/अधिनियमों की सभी प्रतियां इस अध्याय के अनुबंध में लगाई गई हैं और जिसके द्वारा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसूचित जनजाति के अप्रमाण पत्रों की सही जांच भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा आसानी से की जा सके। इस अध्याय में महत्वपूर्ण मुद्दे, जिनका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है (i) भारत के महापंजीयक द्वारा जनगणना आंकड़ों के समापन के बाद अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ अतिरिक्त समुदायों को शामिल करने के लिए सरकार के निर्णय के फलस्वरूप अनुसूचित जनजाति की संख्या में वृद्धि के कारण संसदीय और विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के लिए उपबंधों का विद्यमान न होना और (ii) विस्थापन और राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूव अन्य राज्यों में पुनर्वास के कारण अनुसूचित जनजाति के अभिभावकों को सेवाओं/पदों और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण का लाभ देना हैं। परिसीमन आयोग द्वारा दी गई सलाह के अनुसार पहले मुद्दे पर इस आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को ऐसे जनजातीय समुदायों के सदस्यों की गणना के लिए आवश्यक उपबन्ध बनाने चाहिए, जिन्हें भारत के महापंजीयक द्वारा जनगणना रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के बाद अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़े गए थे। इसी बीच कुछ प्रभावित अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति (ऐसे समुदायों को जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत उत्तर प्रदेश में अनुसूचित

जातियों की सूची में से अनुसूचित जनजातियों की सची में स्थानान्तरित किया गया है) सोने भाद्रा (उत्तर प्रदेश) जिले से विजय सिंह गोंड और चार अन्य के मामले में बनाम भारत संघ (मंत्रिमंडल सचिव के जरिए) भारत का निर्वाचन आयोग एवं अन्य 2006 की रिट याचिका (सिविल) 363 के जरिए माननीय उच्चतम न्यायालय में चले गए है। दूसरे मुद्दे पर, आयोग इस संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह देने (पैरा 3.9.7 में) देने हेतु सरकार को उपयुक्त सिफारिशें कर रहा है।

9. कुछ जनजातीय समुदाय ऐसे हैं जिनके पास पूर्व कृषि स्तर की प्राद्यौगिकी है और जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और सारक्षरता का निम्न स्तर रखते हैं। 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे 75 समूहों की पहचान की गई है और उनको आदिम जनजातीय समूहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन समूहों के अधिकांश, जिनकी संख्या कम है, ने सामाजिक और आर्थिक प्रगति के भिन्न-भिन्न स्तर प्राप्त कर लिए हैं और समान्यतः निम्न प्रशासनिक और आधारभूत संरचना के साथ दुरस्थ, दुर्गम आवासों में रहते है। अधिकांश आदिम जनजातीय समूह अभी भी शिकार और इकट्ठे होने के चरण में हैं और अपने रहने के स्थानों में घुमन्तु अथवा अर्धघुमन्तु है। इस आयोग में विभिन्न राज्यों में आदिम जनजातीय समूहों के विकास की समीक्षा करने का निर्णय लिया और आदिम जनजातीय समूहों के विकास की सामान्य स्थिति के बारे में संक्षिप्त लेख आयोग को भेजने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया है। आदिम जनजातीय समूहों के त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों और कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से वर्णन '**आदिम जनजातीय समूहों का विकास**' **नामक चौथा अध्याय**' आदिम जनजातीय समूहों के त्वरित विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। आदिम जनजातीय समूहों के विस्तारित और तीव्र गति से विकास के लिए आयोग ने राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले अनेक कदमों का सुझाव दिया है।

10. शिक्षा मानव संसाधन विकास में अति महत्वपूर्ण निवेश प्रदान करती है और इसलिए जब तक अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के इन असुविधाहीन वर्ग न्यूनतम शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, वे भारत के संविधान में दिए गए अनुसार सिविल राजनीति और सामाजिक स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अनेक कार्यक्रमों के बावजूद, अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का स्तर अन्य समुदायों की तुलना में बहुत निम्न बना रहना जारी है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में साक्षरों का प्रतिशत सामान्य वर्ग की 52.21 प्रतिश की तुलना में केवल 29.60 प्रतिशत था। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में साक्षर लोग सामान्य जनसंख्या की 65.38 प्रतिशत की तुलना में 47 प्रतिशत था। वर्ष 1991 से 2001 की अवधि के दौरान जनजातियों में महिला साक्षरता दर 18.19 प्रतिशत से बढ़कर 34.76 प्रतिशत हो गया है, जो सामान्य जनसंख्या की महिलाओं की साक्षरता दर की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत कम है। इस प्रकार यद्यपि अनुसूचित जनजाति साक्षरता दरों में कुछ वृद्धि हुई है। परन्तु यह अभी भी अन्य समुदायों की साक्षरता दरों से कम है। साक्षरता का यह निम्न स्तर जनजातीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से शिक्षा की निम्न क्वालिटि और स्कूलों/कालेजों आदि में आधारभूत संरचना की कमी के कारण है। यह सेवाओं में विशेषकर उच्चतर सोपानों में, आरक्षण की पद्धति के बावजूद जनजातीय लोगों के कम प्रतिनिधित्व के लिए कारणों का भी उल्लेख करता है। अतः आयोग ने यह जानने के लिए समीक्षा करने का निर्णय लिया कि क्या स्कीमों के लाभ जो अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक विकास बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे हैं, विभिन्न राज्यों में उन तक पहुंच रहे हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे उनको भेजी गई प्रश्नावली के उत्तरों के रूप में सूचना के साथ-साथ उनके द्वारा स्वयं अथवा उनको केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के

अधीन दी गई सहायता द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों कार्यक्रमों के बारे में सूचना भेजें। आयोग द्वारा अधिकतम प्रयासों के बावजूद सूचना केवल 11 राज्यों से प्राप्त हो सकी है और इसलिए '**अनुसूचित जनजातियों को शैक्षणिक विकास नामक 5वां अध्याय**' अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में इन राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में विस्तार से उल्लेख करता है। शेष 11 राज्यों के बारे में स्थिति आयोग की अगली रिपोर्ट में शामिल की जाएगी। अनुसूचित जनजातियों में, विशेषकर महिला साक्षरता और जनजातीय बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दे कर उनमें बीच में शिक्षा छोड़ने वालों की दर को कम करने, साक्षरता दर बढ़ाने के लिए किए जाने वाले अनेक उपायों का सुझाव दिया है।

11. जनजातीय लोगों के बीच कुपोषण व्यापक है, जो निरक्षरता पर्यावरणीय स्थितियों, कठिन क्षेत्रों और पारम्परिक विश्वास एवं रिवाजों के कारण है। कम पोषित जनजातीय लोग एक ऐसे पर्यावरण में रहते हैं, जो निचले दर्जे का होता है और उसके परिणामस्वरूप मलेरिया, फलारिया, तपेदिक, घेंघा जैसी बीमारियां अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में फैलती हैं। वर्ष 2004-05 और 2005-06 की अपनी पहली रिपोर्ट में आयोग में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों और केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों का संक्षेप में उल्लेख किया है जो समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जनजातियों की स्वास्थ्य स्थितियों और कुपोषण के स्तर को सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। इस रिपोर्ट के लिए आयोग ने यह जानने के लिए समीक्षा करने का निर्णय लिया है कि क्या अनुसूचित जनजातियों के स्वास्थ्य और पोषणिक विकास के सुधार के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों का लाभ उन तक पहुंच रहा है। आयोग ने तद्नुसार उनके द्वारा स्वयं अथवा केन्द्र द्वारा प्रयोजित स्कीमों/केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के अधीन उनको दी गई सहायता के अंतर्गत उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों कार्यक्रमों की जानकारी आयोग को देने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया है। आयोग द्वारा किए गए हर संभव प्रयासों के बावजूद केवल 11 राज्यों से सूचना प्राप्त हुई है और इसलिए केवल इन 11 राज्यों के बारे में जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार के लिए विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन की स्थिति '**स्वास्थ्य और पोषण**' **स्वास्थ्य और पोषण नामक छठे अध्याय** में सूचित की जा रही है। शेष राज्यों के बारे में स्थिति आयोग की अगली रिपोर्ट में शामिल की जाएगी। आयोग ने जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में आगे सुधार के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों और उपायों का सुझाव दिया है।

12. आयोग के लिए एक और चिन्ता क्षेत्र जनजातीय लोगों की भूमि को गैर जनजातीय लोगों में हस्तांतरण करने की समस्या रहा है। यह सदा स्वीकार किया गया है कि जनजातीय परिवारों के लिए भूमि केवल ठोस सम्पदा है क्योंकि उनमें से अधिकांश अपनी अजीविका के लिए कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर रहते हैं। आयोग में अपनी विभिन्न बैठकों में पाया है कि राज्यों में दशकों से भूमि विरोधी हस्तान्तरण कानूनों के प्रवर्तन के होते हुए इन कानूनों में कमियों, निम्न स्तरीय राजस्व पदाधिकारियों की मौन सहमति और जनजातीय लोगों की निर्दोषता और अज्ञानता के कारण अधिकांश राज्यों में जनजातीय भूमि का वैध और अवैध हस्तान्तरण हो रहा है। आयोग ने यह भी पाया है कि जनजातीय कृषकों की प्रतिशतता वर्ष 1961 में 68.18 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 1981 में 54.43 प्रतिशत रही गई है और वर्ष 2001 की जनगणना में और भी कम होकर 50.90 प्रतिशत रह गई है। दूसरी तरफ जनजातीय कृषि मजदूरों की प्रतिशतता 1961 में 19.71 से बढ़कर 1991 में 32.6 प्रतिशत हो गई है, जो 2001 में कम होकर 28.40 प्रतिशत हो गई है। आयोग ने महसूस किया कि एक तरफ कृषकों की संख्या में कमी और दूसरी तरफ भूमिहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि को देश में जनजातीय भूमि के हस्तांतरण की सीमा के सूचक के रूप में माना जा सकता है। आयोग ने आगे नोट किया कि ग्रामीण विकास विभाग

(1988) द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार भूमि हस्तान्तरण द्वारा लगभग 30 से 55 प्रतिशत जनजातीय लोग प्रभावित हुए थे और भूमि का 80 प्रतिशत गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरित किया गया था। भूमि हस्तांतरण मुद्दे के समाधान के लिए आयोग ने जनजातीय भूमि को गैर जनजातीय लोगों में हस्तांतरण को रोकने के लिए उनके द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में सूचना देने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया है। आयोग को केवल 10 राज्यों से एक प्रश्नावली के उत्तरों के रूप में अपेक्षित सूचना प्राप्त हो सकी है। इसको ध्यान में रखते हुए भूमि हस्तांतरण कानूनों के प्रवर्तन के स्थिति केवल इन राज्यों के बारे में '**भूमि हस्तांतरण**' **भूमि हस्तांतरण नामक सातवें अध्याय में** सूचित की गई है। शेष राज्यों के बारे में स्थिति आयोग की अगली रिपोर्ट में शामिल की जाएगी ।

13. आयोग अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों अथवा उनकी एसोसिएशनों आदि से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त करता है। ये अभ्यावेदन/याचिकाएं या तो (i) सेवाओं/पदों में आरक्षण अनुदेशों के उल्लंघन, (ii) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित समस्याओं जैसे शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश, भूमि हस्तांतरण मामले आदि और (iii) गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचारों के बारे में होती हैं। इन अभ्यावेदनों को आयोग द्वारा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों से संबंधित संगठनों को एक दी गई समय सीमा के भीतर पूर्ण तथ्य प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध करते हुए भेजा जाता है। संबंधित संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आयोग द्वारा जांच की जाती है और यदि आयोग यह पाता है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को दिए गए सुरक्षणों को उल्लंघन हुआ है तो वह सुधारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित संगठनों को सलाह देता है। संबंधित संगठनों को आयोग की सिफारिशों/टिप्पणियों पर दी गई समय सीमा के भीतर अनुवर्ती कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है और की गई कार्रवाई की स्थिति से आयोग को अवगत कराने के लिए कहा जाता है। यदि दी गई समय सीमा के भीतर उत्तर प्राप्त नहीं होता है या प्राप्त हुए उत्तर असंतोषजनक पाए जाते हैं, आयोग याचिकाकत्तओं की शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुनवाईयों का भी आयोजन करता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग के हस्तक्षेप द्वारा याचिकाकत्ताओं की संतुष्टि के अनुसार अनेक मामलों का समाधान किया गया है। इन में से कुछ मामलों का संक्षेप में उल्लेख '**मामला अध्ययन**' **नामक 8वें अध्याय** में किया गया है।

14. आयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दौरों के माध्यम से मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों का आयोजन करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ विचार-विमर्श करता है। आयोग, विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का जायजा लेने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें और केन्द्रीय मंत्रालय विभागों और वित्तीय संस्थाओं सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ पदों की भिन्न श्रेणियों में नियुक्ति आरक्षण अनुदेशों के कार्यान्वयन का पता लगाने तथा अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए विकास परियोजना की कार्यान्वयन स्थिति का पता लगाने के लिए भी समीक्षा बैठकें करता है। इन समीक्षा बैठकों का विवरण इस रिपोर्ट के पहले अध्याय में दिया गया है।

15. स्टाफ की अत्यधिक कमी से उत्पन्न हुई विभिन्न बाधाओं के होते हुए भी आयोग ने उनके सही परिदृश्य में अनुसूचित जनजातियों की मूल समस्याओं को हल करने में हरसंभव प्रयास करने का प्रयास किया और दुर्गम क्षेत्रों में रह रही अनुसूचित जनजातियों तक लाभ पहुंचाने के लिए विद्यमान स्कीमों के

कार्यान्वयन में सुधार के लिए सिफारिशें/सुझाव दिए। आयोग आशा करता है कि सरकार अनुसूचित जनजातियों के समग्र हित में आयोग की सिफारिशों पर गंभीरता से विचार करेंगी।

सादर,

भवदीय,

ह / –
(**उर्मिला सिंह**)

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल,
माननीय भारत की राष्ट्रपति
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली

विषयसूची

संख्या		अध्याय	पृष्ठ सं0
1	**आयोग की संगठनात्मक संरचना और कार्य संचालन**		1–13
	1.1	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सृजन	1
	1.2	आयोग की शक्तियाँ	3
	1.3	आयोग के सचिवालय की संगठनात्मक संरचना	4
	1.4	आयोग के मुख्यालय में स्टाफ की स्थिति	4
	1.5	आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय और उनका अधिकार क्षेत्र	5
	1.6	आयोग की बैठके	6
	1.7	आयोग द्वारा आयोजित की गई समीक्षा बैठकें	9
	1.8	आयोग की रिपोर्टे संसद में रखना	11
	1.9	नए प्रयास	12
	1.10	याचिकाओं/मामलों के निपटान की प्रगति	13
2	**सेवा संबंधी सुरक्षण**		14–38
	2.1	संवैधानिक उपबंध	14
	2.2	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित अनुच्छेद 16 (4) और 335 में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता	15
	2.3	समूह 'क' में चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण	17
	2.4	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विचारण के लिए पृथक क्षेत्र	18
	2.5	भर्ती के प्रत्येक तरीके में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों की गणना।	24
	2.6	गोवा राज्य के बारे में स्थानीय/क्षेत्रीय आधार पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता	26
	2.7.1	केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व	27
	2.7.2	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व	27
	2.7.3	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के भिन्न-भिन्न संवर्गों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व	28
	2.7.4	सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों में समूह 'क' 'ख' 'ग' और 'घ' पदों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व	32
	2.7.5	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन और गैर-अध्यापन पदों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व	34
3	**अनुसूचित जनजातियों के रूप में समुदायों का विनिर्देशन और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों का परवर्ती संशोधन**		39–53
	3.1	अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा	39
	3.2	एक अनुसूचित जनजाति के रूप में एक समुदाय के विनिर्देशन के लिए	39

मानदण्ड

3.3	अनुसूचित जनजातियों की सूची में समुदाय को शामिल करने अथवा निकालने की पद्धति	39
3.4	भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 की धारा (1) के अधीन जारी किए गए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश	40
3.5	भारत के संविधान के अनच्छेद 342 के खण्ड (1) के अधीन जारी किए गए मूल संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश में किए गए कुछ आशोधन/संशोधन	43
3.6	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 की अनुसूची के भाग -1 में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधन	45
3.7	जनजातीय जनसंख्या	46
3.8	एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में समुदायों को शामिल करने अथवा निकालने के कारण अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए संसदीय और विधान सभा चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन	47
3.9	विस्थापन और राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पुनर्वास के कारण अनुसूचित जनजाति के अभिभावकों के स्थानान्तरण पर सेवाओं में और उनके बच्चों को प्रवेश में आरक्षण का लाभ देना	49
3.10	संघ राज्य क्षेत्रों में सिविल पदों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मूल राज्य पर ध्यान न देने	52

4 आदिम जनजातीय समूहों का विकास 54–91

4.1	प्रस्तावना	54
4.2	आंध्र प्रदेश	55
4.3	बिहार	57
4.4	छत्तीसगढ़	60
4.5	गुजरात	62
4.6	झारखण्ड	63
4.7	कर्नाटक	66
4.8	केरल	69
4.9	मध्य प्रदेश	71
4.10	महाराष्ट्र	73
4.11	मणिपुर	74
4.12	उड़ीसा	74
4.13	राजस्थान	76
4.14	तमिलनाडु	77
4.15	त्रिपुरा	79
4.16	उत्तराखण्ड	80
4.17	पश्चिम बंगाल	82
4.18	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	83
4.19	सामान्य सिफारिशें	89

5	**अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक विकास**		92–108
	5.1	प्रस्तावना	92
	5.2	आंध्र प्रदेश	93
	5.3	छत्तीसगढ़	96
	5.4	हिमाचल प्रदेश	97
	5.5	कर्नाटक	99
	5.6	मध्य प्रदेश	101
	5.7	मणिपुर	102
	5.8	उड़ीसा	103
	5.9	राजस्थान	106
	5.10	सिक्किम	106
	5.11	उत्तर प्रदेश	107
	5.12	पश्चिम बंगाल	108
6	**स्वास्थ्य एवं पोषण**		109–122
	6.1	प्रस्तावना	109
	6.2	आंध्र प्रदेश	110
	6.3	छत्तीसगढ़	113
	6.4	हिमाचल प्रदेश	116
	6.5	कर्नाटक	117
	6.6	मणिपुर	118
	6.7	उड़ीसा	119
	6.8	राजस्थान	121
	6.9	सिक्किम	121
	6.10	पश्चिम बंगाल	122
7	**भूमि हस्तांतरण**		123–137
	7.1	प्रस्तावना	123
	7.2	आंध्र प्रदेश	123
	7.3	छत्तीसगढ़	125
	7.4	हिमाचल प्रदेश	126
	7.5	कर्नाटक	128
	7.6	महाराष्ट्र	129
	7.7	मणिपुर	131
	7.8	उड़ीसा	131
	7.9	सिक्किम	134
	7.10	उत्तर प्रदेश	135
	7.11	पश्चिम बंगाल	136

8 **मामला अध्ययन** 138–157

8.1	दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली	138
8.2	सेवा मामलों से संबंधित मामले	139
8.3	विकासात्मक विषयों से संबंधित मामले	152
8.4	अत्याचारों से संबंधित मामले	155

9 **सिफारिशों का सार** 158–171

अध्याय.1	आयोग की संगठनात्म संरचना और कार्य संचालन	158
अध्याय.2	सेवा संबंधी सुरक्षण	158
अध्याय.3	अनुसूचित जनजातियों के रूप में समुदायों का विनिर्देशन और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों का परवर्ती संशोधन	160
अध्याय.4	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	161
अध्याय.5	अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक विकास	164
अध्याय.6	स्वास्थ्य और पोषण	166
अध्याय.7	भूमि हस्तांतरण	171

अध्याय–1

आयोग की संगठनात्मक सरंचना और कार्य संचालन

1.1 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सृजन

1.1.1 संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के जरिए अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान में एक नया अनुच्छेद 338क जोड़ते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सृजन किया गया है। इस संशोधन द्वारा पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अगल-अलग आयोगों नामतः-(i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में दिनांक 19 **फरवरी**, 2004 से प्रतिस्थापित किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बना हैं।

1.1.2 आयोग के ऐतिहासिक विकास पर एक विस्तृत रिपोर्ट वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए आयोग की पहली रिपोर्ट के अध्याय - 1 में दी गई है। भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी जिसे आयुक्त कहा गया है, की नियुक्ति पहली बार 18 **नवम्बर**, 1950 को की गई। गृह मंत्रालय के दिनांक 21 **जुलाई**, 1978 के संकल्प संख्या 13013/9/77-एससीटी(1) के तहत एक बहु-सदस्यीय अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जनजाति आयोग का सृजन किया गया, जिसे कल्याण मंत्रालय की दिनांक 1 सितम्बर 1987 की अधिसूचना संख्या बीसी-13015/12/86-एससीडी-VI के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में पुनर्नामित किया गया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी/आयुक्त के कार्यों में किसी परस्पर व्यापन को रोकने के उद्देश्य से दिनांक 1 **सितम्बर**, 1987 की अधिसूचना में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों को भी परिभाषित किया गया और व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नीति संबंधी मुद्दों और विकास के स्तरों पर सलाह देने के लिए आयोग एक राष्ट्रीय स्तरीय सलाहकार निकाय होगा और वह केन्द्र सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

1.1.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए एक संवैधानिक जनादेश की व्यवस्था के लिए संविधान (65वां संशोधन) अधिनियम, 1990 के तहत संविधान के अनुच्छेद 338 में पहली बार संशोधन किया गया। अधिनियम, दिनांक 12 **मार्च**, 1992 से प्रभाव में आया और उसी तारीख से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयुक्त के कार्यालय को समाप्त किया गया। (i) गृह मंत्रालय के दिनांक 21 जुलाई, 1978 के संकल्प संख्या 13013/9/77-एससीटी(1), (ii) कल्याण मंत्रालय की दिनांक 1 सितम्बर, 1987 की अधिसूचना संख्या बीसी-13015/12/86-एससीडी-VI, (iii) संविधान (65वां संशोधन)अधिनियम, 1990 और (iv) संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 की प्रतियाँ आयोग की **पहली रिपोर्ट** के अध्याय 1 के अंत में क्रमशः **अनुबंध** I, II, III, **और** IV के रूप में दिए गए हैं।

1.1.4 **प्रथम** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन मार्च, 2004 में किया गया और श्री कुंवर सिंह, अध्यक्ष के रूप में (जिन्होंने कार्यालय का कार्य भार दिनांक 15-03-2004 को ग्रहण किया) श्री तापिर गाँव,

उपाध्यक्ष के रूप में (जिन्होंने दिनांक 03-03-2004 को कार्यालय का कार्य भार ग्रहण किया), श्री लामा लोबजंग, (जिन्होंने दिनांक 02-03-2004 को कार्यालय का कार्य भार ग्रहण किया), श्रीमती प्रेमबाई मंडावी (जिन्होंने दिनांक 04-03-2004 को कार्यालय का कार्य भार ग्रहण किया) और श्री बुदरू श्रीनिवासुलु (जिन्होंने दिनांक 11-03-2004 को कार्यालय का कार्य भार ग्रहण किया) सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था। श्री तापिर गाँव के इस्तीफे के परिणामस्वरूप श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी ने उपाध्यक्ष के कार्यालय का कार्य भार ग्रहण किया। श्री कुवंर सिंह, अध्यक्ष ने दिनांक 14-02-2007 (अपराह्न) से अपने कार्यालय से इस्तीफा दिया। पहले आयोग के सदस्यों ने अपना तीन वर्षो का कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से मार्च, 2007 के माह में अपने-अपने कार्यालयों का त्याग किया। श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी ने भी दिनांक 15-05-2007 से उपाध्यक्ष के कार्यालय से इस्तीफा दिया।

1.1.5 दूसरा आयोग श्रीमती उर्मिला सिंह, अध्यक्ष (जिन्होंने दिनांक 18-06-2007 को कार्यालय का कार्य भार ग्रहण किया), श्री मोरीस कुजुर, उपाध्यक्ष (जिन्होंने दिनांक 25-04-2008 को कार्यालय का कार्य भार ग्रहण किया), श्री श्रेरिंग सम्फेल, सदस्य (जिन्होंने दिनांक 14-06-2007 को कार्यालय का कार्य भार ग्रहण किया), और श्री वरीस सीय्म मारीयाव (जिन्होंने दिनांक 17-04-2008 को कार्यालय का कार्य भार ग्रहण किया), से मिलकर बना है। तीसरे सदस्य का कार्यालय वर्तमान में रिक्त है।

आयोग के कार्य और कर्त्तव्य

1.1.6 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य और कर्त्तव्य संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (5) में निर्धारित किए गए हैं। आयोग को जनजातीय कार्य मंत्रालय की दिनांक 23 अगस्त, 2005 की अधिसूचना के तहत उपायों के संबंध में कुछ अन्य कार्य सौंपे गए हैं, जिन पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है, इन में (i) वन क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जनजाति के लोगों को गौण वन उत्पाद के बारे में स्वामित्व के अधिकार देना, (ii) खनिज और जल संसाधनों पर जनजातीय समुदायों के अधिकार सुरक्षित करना, (iii) अधिक व्यवहार्य अजीविका की कार्य नीतियां तैयार करना, (iv) विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की क्षमता में सुधार करना और (v) जनजातीय भूमि के हस्तान्तरण को रोकना आदि शामिल हैं। इस अधिसूचना की एक प्रति आयोग के **पहली रिपोर्ट** के पहले अध्याय के अंत में **अनुबंध–V** के रूप में रखी गई।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य (सेवा की शर्त्तें और पदावधि) नियम 2004

1.1.7 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्त्तें और कार्यालय का अवधि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2004 को अधिसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य (सेवा की शर्त्तें और पदावधि) नियम द्वारा शासित हैं। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ व्यवस्था है कि

(i) अध्यक्ष की नियुक्ति अनुसूचित जनजातियों के ऐसे प्रतिष्ठित सामाजिक-राजनीतिक कार्यकत्ताओं में से की जाएगी जो अपने विशिष्ट व्यक्तित्व और नि:स्वार्थ सेवा के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के बीच विशवास पैदा करते हैं।

(ii) उपाध्यक्ष और अन्य सभी सदस्य जिनमें कम-से-कम दो अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे।

(iii) कम-से-कम एक अन्य सदस्य, महिलाओं में से नियुक्त किया जाएगा।

(iv) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसी तारीख से जिसको वह ऐसा पद ग्रहण करता/करती है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा/करेगी।

(v) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य दो पदावधियों से अधिक के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

(vi) जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, अध्यक्ष, भारत सरकार के मंत्रिमंडल सदस्य की पंक्ति का होगा तथा उपाध्यक्ष राज्य मंत्रि की पंक्ति का और सदस्य भारत सरकार के सचिव के पंक्ति के होंगे।

1.2 आयोग की शक्तियाँ

1.2.1 संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (4) व्यवस्था करती है कि आयोग को अपनी कार्यविधि स्वयं विनिर्मित करने की शक्ति होगी। तद्नुसार आयोग ने दिनांक 17 सितम्बर, 2004 को पहली बार अपनी कार्यविधि नियम अधिसूचित किए। ये नियम आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों और सचिव के उत्तरदायित्वों को निर्धारित करते है और आगे निर्धारित करते हैं कि अध्यक्ष, आयोग के सदस्यों के बीच विषयों और उत्तरदायित्वों का आबंटन करेंगे। ये नियम अन्य बातों के साथ-साथ (i) आयोग द्वारा अन्वेषण और जांच की पद्धति, (ii) आयोग की बैठकों की आवृति (iii) उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्त्तव्य, (iv) आयोग की परामर्शी भूमिका और (v) उसके कार्यों का अनुवीक्षण आदि के बारे में भी व्यवस्था करते हैं। कार्यविधि नियम की एक प्रति आयोग की हैंडबुक के भाग के रूप में दी गई है। यह आयोग की वेबसाइट (http//:ncst.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

1.2.2 अनुच्छेद 338क की धारा (8) व्यवस्था करती है कि खंड 5 के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण या खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत के बारे में जांच करते समय आयोग को दीवानी अदालत की वे सभी शक्तियां, जो वाद के विचारण में उसे हैं तथा विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में नामतः (क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना, (ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना, (ग) शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना, (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अद्यपेक्षा करना, (ड.) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना और (च) कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति, नियम द्वारा, अवधारित करें, आदि के बारे में सभी शक्तियां होंगी। अनुच्छेद 338क की धारा (9) व्यवस्था करती है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीति के विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।

1.2.3 माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1996 की सिविल अपील संख्या 13700 में दिनांक 31 अक्टूबर, 1996 के अपने निर्णय के तहत निर्णय दिया कि माननीय दिल्ली उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के एक सदस्य द्वारा दिनांक 4 मार्च, 1993 को जारी किए गए आदेश (एक पत्र के रूप में) जिसमें इण्डियन ऑवरसीज बैंक को 'विषय में आगे जांच और अंतिम निर्णय दिए जाने तक पदोन्नति प्रक्रिया को रोका जाए' व्यय का निदेश दिया गया था, के विरूद्ध इण्डियन ऑवरसीज बैंक ऑफिसरस् एसोसिएसन बनाम अन्य द्वारा 1993 की सिविल याचिका (पी) संख्या 1362 और 2193 में दायर की गई याचिका को स्वीकार करना औचित्यपूर्ण था । माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे निर्णय दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 (8) द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को दी गई एक दीवानी न्यायालय की सभी प्रक्रियात्मक शक्तियां संविधान 338 (5) (क) के अधीन किसी विषय का अन्वेषण करने अथवा अनुच्छेद (5) (ख) के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के प्रयोजनार्थ सीमित हैं। उच्चतम न्यायालय ने आगे निर्णय दिया कि स्थायी अथवा अस्थायी निषेधाज्ञा देने की

दीवानी अदालत की शक्तियां आयोग में अन्तर्निहित नहीं होती हैं और न ही ऐसी शक्ति संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (8) को पढ़ने से अनुमानित अथवा प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि आयोग को अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने की कोई शक्ति विशेष रूप से न देते हुए मामले की आगे जांच और अंतिम निर्णय लिए जाने तक पदोन्नति प्रक्रिया को रोकने संबंधी इण्डियन ऑवरसीज बैंक को दिनांक 4 मार्च, 1993 के पत्र के रूप में दिए गए आदेश जारी करने के प्राधिकार की कमी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे निर्णय दिया कि आयोग को भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करने और हाजिर कराने और शपथ पर उसका परीक्षण करने तथा दस्तावेजो के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की शक्तियां हैं। यह उल्लेख किया गया था कि ये सभी शक्तियां एक अन्वेषण अथवा जांच आसान बनाने के लिए अनिवार्य हैं। ऐसी शक्तियाँ आयोग को एक दीवानी न्यायालय से परिवर्तित नहीं करती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय की ये टिप्पणियाँ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने दिनांक 1 जनवरी, 1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36036/2/97-एस्ट (रिज0) (**अनुबंध–1.I**) के तहत भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के ध्यान में सूचना और मार्गदर्शन के लिए ला दी गई हैं।

1.3 आयोग के सचिवालय की संगठनात्मक संरचना

1.3.1 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय से कार्य करता है। जुलाई, 2006 तक आयोग के मुख्यालय में प्राप्त हुए अभ्यावेदनों/याचिकाओं पर कार्रवाई तीन विभिन्न कार्यात्मक स्कधों नामत: (i) आर्थिक एवं सामाजिक विकास स्कंध (ii) सेवा सुरक्षण स्कंध और (iii) अत्याचार स्कंध द्वारा की जा रही थी। यह पाया गया कि यह वितरण की बहुत यौक्तिक और संतुलित पद्धति नहीं है।

1.3.2 आयोग ने अपनी दिनांक 20 जुलाई, 2006 को हुई बैठक में आयोग के कार्य संचालन को सरल और कारगर बनाने का निर्णय लिया। उस समय विद्यमान तीन कार्यात्मक स्कंधों के स्थान पर दिनांक 26 जुलाई, 2006 के कार्यालय आदेश के तहत मंत्रालयो/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और संगठनों सहित मंत्रालयों/विभागों और उनको आवंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास, सेवाओं और अत्याचारों के बारे में सभी मामलों पर कार्रवाई करने के लिए 4 अनुसंधान एकक सृजित किए गए, जैसा कि उक्त कार्यालय आदेश के पैरा 2 के नीचे दिया गया है। प्रत्येक 2 अनुसंधान एककों का नेतृत्व इस समय एक निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। इन 4 अनुसंधान एककों के अलावा एक प्रशासन एवं स्थापना एकक और एक पृथक समन्वय एकक है। जबकि प्रशानिक/स्थापना एकक आयोग को प्रशासनिक सहायता देता है, समन्वय एकक आयोग की आंतरिक बैठकों के आयोजन के लिए व्यवस्था से संबंधित विभिन्न गतिविधियों, आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के राज्य सरकारों के दौरे से संबंधित पत्र जारी करने, संसदीय और न्यायलय संबंधी मामलों और 4 कार्यात्मक अनुसंधान एककों और प्रशासन एवं स्थापना एकक से न जुड़े हुए किसी अन्य मामले पर कार्रवाई करता है।

1.4 आयोग के मुख्यालय में स्टाफ की स्थिति

1.4.1 आयोग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के स्टाफ के मूल रूप से दो श्रेणियाँ हैं, नामत: (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्गों से संबंधित सचिवालय स्टाफ और (ख) (i) निदेशक (भारत सरकार के उप सचिव के वेतनमान में) (ii) उपनिदेशक, (iii) सहायक निदेशक, (iv) अनुसंधान अधिकारी, (v) वरिष्ठ अन्वेषक और (vi) अन्वेषक को शामिल करते हुए संयुक्त संवर्ग स्टाफ। ऊपर क्रम संख्या (i), (ii), और (iii) के पदों का स्टाफ, जो संयुक्त

संवर्ग के समूह 'क' पद हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी होने के कारण दिया जाता है और क्रम संख्या (iv), (v) और (vi) के पदों का स्टाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति द्वारा दिया जाता है, जो इन पदों के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्गों से संबंधित सचिवालय स्टाफ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिया जाता है। आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में सचिवालय स्टाफ भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा, जो इन पदों के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है, नियुक्त किया जाता है। समूह 'घ' और समूह 'ग' के कुछ पदों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा स्वयं भरा जाता है।

1.4.2 समूह 'क' समूह 'ख' समूह 'ग' और समूह 'घ' में पदों की विभिन्न श्रेणियों सहित आयोग की स्टाफ की कुल स्वीकृत संख्या 124 है, जिसमें से 56 मुख्यालय के लिए है और उसके भोपाल, भूवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची और शिलांग स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 68 है। मुख्यालय में स्वीकृत 56 पदो में से 43 भरे हुए हैं और 13 पद रिक्त हैं। उसी प्रकार क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए स्वीकृत 68 पदों में से 39 भरे हुए है और 29 पद रिक्त हैं। 124 की स्वीकृत संख्या में संयुक्त संवर्ग से भरे जाने वाले 35 पद (पूर्व पैरा में उल्लेख किया गया है) शामिल हैं, जिनमें से उपनिदेशक के दो पद , वरिष्ठ अन्वेषक के 6 पद और अन्वेषक के 8 पद (कुल 16 पद) रिक्त हैं।

1.4.3 आयोग, रिक्त पदों को भरने के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों अर्थात् सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के साथ निरंतर सम्पर्क में बना हुआ है। परन्तु, इन पदों को, विशेषकर संयुक्त संवर्ग से संबंधित पदों को भरने के लिए आयोग द्वारा समस्त प्रयास करने के बावजूद, इस दिशा में अधिक प्रगति नहीं हुई है और इसके परिणामस्वरूप आयोग के कार्य में निरंतर क्षति पहुंचती है। आयोग का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध –** 1.II पर रखा गया है।

1.5 आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय और उनका अधिकार क्षेत्र

1.5.1 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के भोपाल, भूवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची और शिलांग में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इन कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों के नाम और पदनाम सहित (दिनांक 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार) उनका स्थान और अधिकार क्षेत्र निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कार्यालय का स्थान और पता	प्रभारी अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अधिकार क्षेत्र
1.	कमरा सं0 309, निर्माण सदन, सीजीओ कामप्लेक्स, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011	श्री आर.के. दूबे, सहायक निदेशक, दूरभाष: 0755 2576530 0755 2578272(फैक्स)	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा और संघ राज्य प्रदेश में दादर एवं नगर हवेली और लक्षद्वीप
2.	एन-1/297, आईआरसी गांव, भुवनेश्वर-751015	श्री आर.के. मिश्रा, सहायक निदेशक दूरभाष: 0674 2551616 0674	आंध्र प्रदेश, उड़ीस, तमिलनाड़, पश्चिम बंगाल और संघ राज्य क्षेत्रों में अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

		2551818(फैक्स)	तथा पाण्डिचेरी
3.	कमरा सं0 101 और 102, प्रथम तल, ब्लाक-ए, केन्द्रीय सदन सेक्टर-10, विद्याधर नगर, जयपुर-302015	डॉ0 जी.एस. सोमावत, निदेशक, दूरभाष: 0141 2741173(फैक्स) 0141 2235488	चण्डीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल और दमन एवं द्वीव
4.	आर-28, सेक्टर-2, अवन्ति बिहार, पोस्ट ऑफिस रविग्राम, रायपुर-832006	श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक, (अतिरिक्त प्रभार) दूरभाष: 0771 2443335(फैक्स)	छत्तीसगढ़
5.	14, न्यू एजी कोपरेटीव कालोनी, कडरू, रांची-834002	श्री आर.के. मिश्रा, सहायक निदेशक, (अतिरिक्त प्रभार) दूरभाष: 0651 2340368(फैक्स) 0651 2341677	बिहार, झारखण्ड और उत्तर प्रदेश
6.	राबेका विला, टेम्पल रोड, लोवर लाचुमियर, शिलांग -793001	मिस पी. सिमलिह, सहायक निदेशक, दूरभाष: 0364 2221362(फैक्स) 0364 2504202	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा

1.5.2 क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंपे गए विभिन्न कत्तव्यों में (i) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ प्रभावी विचार -विमर्श और सम्पर्क बनाए रखना, (ii) अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में राज्यों और गैर सरकारी संगठनों आदि को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति के लिए संघ सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचना और दस्तावेज देना तथा राज्य सरकारों से इसी तरह की सूचना और दस्तावेज प्राप्त करना और उसे आयोग के मुख्यालय को उपलब्ध करवाना, (iii) अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों में उनके द्वारा स्वयं अथवा मुख्यालय द्वारा उनको सौंपे गए मामलों की मौके पर जांच करना और संबंधित प्रशासनिक/पुलिस प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करना तथा मुख्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, (iv) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों और उनकी कल्याण एसोसिएशनों आदि से विभिन्न विषयों से प्राप्त हुई शिकायतों/अभ्यावेदनों पर कार्रवाई करना तथा (v) अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के दौरों पर उनके साथ जाना।

1.6 आयोग की बैठकें (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान)

1.6.1 आयोग में उसके मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में रिक्त पदों को भरने के विशेष संदर्भ में और आयोग में बकाया याचिकाओं की समीक्षा करने के साथ-साथ आयोग द्वारा झेली जा रही प्रशासनिक समस्याओं पर चर्चा करने के लिए उसकी पहली बैठक दिनांक 5 मई, 2006 को हुई थी।

1.6.2 (i) अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक विकास और (ii) सिफारिशों का सार के संबंध में वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए आयोग की पहली रिपोर्ट के दो अध्यायों के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए दूसरी बैठक 14, 15 और 16 जून, 2006 को लगातार तीन दिवसों के लिए हुई थी। इस बैठक में हुए

विचार-विमर्श के आधार पर पहली रिपोर्ट का अंतिम प्रारूप आयोग के अनुमोदन के लिए दिनांक 26-06-2006 को प्रस्तुत किया गया और आयोग द्वारा इसका अनुमोदन दिनांक 30-06-2006 को किया गया।

1.6.3 मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त हुई याचिकाओं के निपटान की स्थिति की समीक्षा करने और आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रशासनिक समस्याओं पर चर्चा करने के लिए तीसरी बैठक दिनांक 29 जून, 2006 को हुई थी। आयोग ने महसूस किया कि आयोग में प्राप्त हुई याचिकाओं के तीव्रता से निपटान के लिए पद्धति को सरल और कारगर बनाए जाने की तत्काल आवश्यकता है। आयोग की अगली बैठक में इसका अनुवर्तन किया गया, जिसमें आयोग के विद्यमान तीन स्कंधों की पुन:संरचना करने के निर्णय लिया गया।

1.6.4 (i) जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त हुई राष्ट्रीय जनजातीय नीति के प्रारूप पर आयोग के विचारों को अंतिम रूप देने, (ii) आयोग के कार्य संचालन को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से आयोग के तीन कार्यात्मक स्कंधों की पुन:संरचना करने पर चर्चा करने और (iii) आयोग में रिक्त पदों को भरने के लिए चौथी बैठक दिनांक 20 जुलाई, 2006 को हुई थी। बैठक में की गई चर्चाओं और लिए गए निर्णयों के आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय को राष्ट्रीय जनजातीय नीति के प्रारूप पर आयोग के विचार दिनांक 31 जुलाई, 2006 को भेजे गए। उसी प्रकार आयोग के तीन कार्यात्मक स्कंधों को 4 एककों अर्थात अनुसंधान एकक-I, अनुसंधान एकक-II, अनुसंधान एकक-III और अनुसंधान एकक-IV के रूप में पुन:संरचित किया गया। प्रत्येक एकक से दिनांक 26 जुलाई, 2006 को जारी किए गए आदेश में उनको आबंटित मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में (i) सेवा सुरक्षणों, (ii) सामाजिक आर्थिक विकास और (iii) अत्याचारों के संबंध में याचिकाओं पर कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई। इसके उपरांत 4 अनुसंधान एककों के बीच स्टाफ के वितरण के बारे में दिनांक 27 जुलाई, 2006 को एक अन्य आदेश जारी किया गया।

1.6.5 (i) पर्यावरण और वन मंत्रालय से प्राप्त हुए वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 पर आयोग के विचारों को अंतिम रूप देने, (ii) एम नागराज एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में 2002 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 61, जिसमें माननीय न्यायालय ने (क) संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995, (ख) संविधान (81वां संशोधन) अधिनियम, 2000 (ग) संविधान (82वां संशोधन) अधिनियम, 2000 और (घ) संविधान (85वां संशोधन) अधिनियम, 2001, की वैधता को अनुमोदित किया था, में उच्चतम न्यायालय के 19 अक्टूबर, 2006 के निर्णय पर चर्चा करना, (iii) (क) शिक्षा, (ख) स्वास्थ्य एवं पोषण और (ग) भूमि हस्तान्तरण जो आयोग की दूसरी रिपोर्ट के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए 1 नवम्बर, 2006 को 21 राज्यों को भेजा गया था, के संबंध में तीन विस्तृत प्रश्नावलियों पर चर्चा करने और (iv) कुछ अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 10 नवम्बर, 2006 को पांचवी बैठक हुई थी। चर्चाओं के आधार पर आयोग के विचार पर्यावरण और वन मंत्रालय को दिनांक 27-11-2006 को भेजे गए। इसमें अन्य बातों के साथ - साथ यह उल्लेख किया गया था कि अधिनियम के प्रारूप की स्थिति पर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा आयोग से परामर्श नहीं किया गया था, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (9) द्वारा अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। उच्चतम न्यायलय के ऊपर उल्लिखित निर्णय के कारगर भाग से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों को अवगत करवाया गया था और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया था।

1.6.6 राष्ट्रीय विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजातीय आयोग के सदस्यों के साथ, उनके अनुरोध पर, इन जनजातियों के सामाजिक आर्थि विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए छठी बैठक 15 दिसम्बर, 2006 को हुई थी।

1.6.7.1 (i) जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त हुए लोक सेवा विधेयक, 2006 के प्रारूप पर आयोग के विचारों को अंतिम रूप देने, (ii) गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति की 14वीं रिपोर्ट के पैरा 1.22 में वर्णित सिफारिशों पर विचार करने और (iii) राष्ट्रीय एकता परिषद् की आगामी बैठक के लिए कार्यसूची की मदें निर्धारित करने के लिए 7वीं बैठक दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 को हुई थी। लोकसेवा विधेयक, 2006 के प्रारूप पर आयोग के विचार जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिनांक 02-01-2007 को भेजे गए। राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक के लिए सुझाई गई कार्यसूची की मदें उसी तारीख को गृह सचिव को भेजी गई। संसदीय समिति की 14वीं रिपोर्ट के पैरा 1.22 पर आयोग के विचार भी जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिनांक 02-01-2007 को सूचित किए गए। अपने विचार अग्रेषित करते समय आयोग ने पाया कि निम्नलिखित उपायों के जरिए आयोग को अधिकार देने की औचित्यपूर्ण आवश्यकता है:-

(i) अनुच्छेद 338क के खण्ड 5 (ख) में यह व्यवस्था करने के लिए, जहां संविधान अथवा किसी अन्य आदेश अथवा विधि में अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षणों के अनुपालन में एक लोक सेवक द्वारा स्पष्ट उल्लंघन जांच में प्रकट होता है, तो आयोग संबंधित संगठन को सही सुधारात्मक उपाय करने के लिए सलाह/सिफारिश कर सकता है और केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के संबंधित संगठन के लिए ऐसी सलाह/सिफारिशों को स्वीकार करना अनिवार्य किया जाए।

(ii) सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग को दी गई शक्तियों के आधार पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जाति के सदस्यों को उपलब्ध सुरक्षणों से संबंधित सरकारी अनुदेशों का कार्यान्वयन करने में अपने दायित्वों के निर्वहन में जानबूझ कर विलम्ब और लापरवाही के लिए एक लोक सेवक पर दंड लगाने की शक्ति भी दी जाए।

(iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को बहुत कम स्टाफ दिया गया है जिसके कारण उसके संवैधानिक दायित्वों को कारगर ढंग से पूरा करने में समर्थ नहीं है। अत: उसकी विद्यमान पद संख्या को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।

आयोग उपर्युक्त सुझावों/सिफारिशों को दोहराता है

1.6.7.2 (i) राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक के लिए कार्यसूची की मदें सुझाते हुए गृह मंत्रालय को भेजे गए आयोग के दिनांक 02-01-2007 के पत्र और (ii) आयोग को अधिकार देने के बारे में गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति की 14वीं रिपोर्ट के पैरा 1.22 की टिप्पणियों पर विचार देते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजे गए दिनांक 20-01-2007 की एक-एक प्रति क्रमश: **अनुबंध–1.III और अनुबंध–1.IV** के रूप में संलग्न है।

1.6.8 (i) आयोग के कार्य पद्धति नियमों का संशोधित प्रारूप तैयार करने के बारे में की गई कार्रवाई, (ii) रिक्त पदों को भरने की प्रगति और (iii) भारतीय सांख्यिकीय सेवा/अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा में संयुक्त संवर्ग पदों का इनकैडरमेंट की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 16-11-2006 को हुई बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए 8वीं बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2007 को हुई थी। आयोग में पहले हुई सुनवाइयों के कार्यवृत्तों पर संबंधित संगठनों द्वारा की गई कार्रवाई और आयोग की वेबसाइट तैयार करने पर भी चर्चा की । इस बैठक में हुए विचार-विमर्श के आधार पर आयोग के अधिकारियों से आयोग के कार्य पद्धति नियमों में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में अपने सुझाव भेजने के लिए अनुरोध किया गया। आयोग की वेबसाइट शुरूआत करने से संबंधित मामले पर एन0आई0सी0 के साथ तीव्रता से अनुवर्ती कार्रवाई की गई और आयोग की वेबसाइट (http;//www.ncst.nic.in) का विमोचन माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2007 को शास्त्री भवन में पी.आई.बी. के सम्मेलन होल में हुए एक समारोह में किया गया। आयोग में रिक्त पदों को भरने के बारे में माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिनांक 12 फरवरी, 2007 को हुई बैठक में मामले पर विस्तार से चर्चा की और रिक्त पदों को भरने के लिए उनको हर संभव प्रयास करने की सलाह दी।

1.7 आयोग द्वारा आयोजित की गई समीक्षा बैठकें

1.7.1 अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति की जायजा लेने के उद्देश्य से और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सेवा/पदों में आरक्षण से संबंधित अनुदेशों का कार्यान्वयन करने के लिए आयोग राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठके करता है। इसी प्रकार की समीक्षा बैठकें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ भी ये जानने के लिए की जाती हैं कि क्या इन संगठनों द्वारा सेवाओं/पदों में आरक्षण से संबंधित अनुदेशों का पालन किया जा रहा है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और राज्य सरकारों के साथ समीक्षा बैठकें सामान्यत: अध्यक्ष, जिसके साथ आयोग के उपाध्यक्ष अथवा सदस्य जाते हैं, की जाती हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने निम्न प्रकार से समीक्षा बैठके की:-

(i) दिनांक 10 जून, 2006 को देहरादून में उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक से पहले दिनांक 06-06-2006 को नैनीताल में ओएनजीसी और जिला प्रशासन, दिनांक 07-06-2006 को जिला प्रशासन, अल्मोड़ा दिनांक 08-06-2006 को जिला प्रशासन, पिथौड़ोगढ़ और दिनांक 09-09-2006 को जिला प्रशासन रूद्रप्रयाग के साथ समीक्षा बैठकें की गई।

(ii) विकास सदन नई दिल्ली में दिनांक 10 जुलाई, 2006 को दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ समीक्षा बैठक।

(iii) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और पंजाब तथा हरियाणा राज्य सरकारों के साथ ऐसे जनजातीय लोगों जो इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अन्य राज्यों से आकर बस गये हैं, के आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए स्कीमों/कायक्रमों को शुरू करने की आवश्यकता पर बल डालने के लिए दिनांक 15 सितम्बर, 2006 को हुई समीक्षा बैठक।

(iv) शिमला में दिनांक 23 सितम्बर, 2006 को हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक, जिससे पहले दिनांक 16-09-2006 को कुल्लू में जिला प्रशासन, दिनांक 18-09-2006 को लाहौल (किलोंग) में, दिनांक 21-09-2006 को स्फीति (किन्नौर) में और दिनांक 22-09-2006 को जिला प्रशासन शिमला के साथ विस्तृत समीक्षा बैठकें आयोजित की गई।

(v) भोपाल में दिनांक 2 दिसम्बर, 2006 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार के साथ बैठक ।

(vi) भारतीय खाद्य निगम, चेन्नई (दक्षिण क्षेत्र) के साथ दिनांक 4 जनवरी, 2007 को बैठक।

(vii) हिन्दुस्तान लेटिक्स लिमिटेड (तिरूवन्नतपुरम) और जिला प्रशासन वायनाड के साथ दिनांक 21 जनवरी, 2007 और जिला प्रशासन कोजीकोड के साथ दिनांक 22 जनवरी, 2007 समीक्षा बैठकों के बाद दिनांक 24 जनवरी, 2007 तिरूवन्नतपुरम में केरल राज्य सरकार के साथ बैठक की गई।

(viii) दिनांक 25 जनवरी 2007 को पणजी में गोवा राज्य सरकार के साथ बैठक।

(ix) दिनांक 27 फरवरी, 2007 को हैदराबाद में आंध्र प्रदेश अनुसूचित जनजाति सहकारी वित्त निगम लिमिटेड के साथ बैठक।

(x) दिनांक 28 फरवरी, 2007 को हैदराबाद में भारतीय खाद्य निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बैठकें।

1.7.2 राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आदि के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करने के लिए आयोग के दौरों के अतिरिक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में जिला/तालुका स्तर प्राधिकरणों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न स्थानों के व्यक्तिगत रूप से दौरे किए। ये बैठकें सामान्यता अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं का पता लगाने और जनजातीय कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यान्वयन में अन्तरों का भी पता लगाने के उद्देश्य से स्थानीय जनजातीय नेताओं/कार्यकत्ताओं और जनजातीय संधों के साथ बैठकें आयोजित करने के बाद की गईं।

1.7.3 ऊपर उल्लिखित संगठनों के साथ समीक्षा बैठकों के दौरान आयोग ने आरक्षण नीति/सेवाओं और पदों विशेषकर भारतीय खाद्य निगम, दक्षिण क्षेत्र चेन्नई और दिल्ली विकास प्राधिकरण में आरक्षण अनुदेशों का घोर उल्लंघन पाया। कमियों को दूर करने और सीधी भर्ती एवं पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों के बारे में आरक्षण रोस्टर दोबारा बनाने संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई करने, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों का पता लगाने और उन रिक्तियों को विशेष भर्ती अभियानों द्वारा भरने के लिए कार्रवाई शुरू करने हेतु इन संगठनों को विस्तृत अनुदेश जारी किए गए। संबंधित राज्य सरकारों को समीक्षा बैठकों के तुरन्त बाद आयोग द्वारा उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के बारे में चर्चाओं के दौरान आयोग की टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए अनुदेश दिए गए।

1.8 आयोग की रिपोर्टें संसद में रखना

1.8.1 अनुच्छेद 338क के खण्ड (5) (घ) तथा 5(ड.) में व्यवस्था है कि आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षणों के कार्यक्रम पर प्रतिवेदन वार्षिक रूप से अथवा ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और उन सुरक्षणों के कारगर कार्यान्वयन के लिए संघ अथवा किसी राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य आवश्यक उपायों के बारे में सिफारिशें करें।

1.8.2 संविधान का अनुच्छेद 338क का खण्ड (6) आगे व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई को किन्ही ऐसी सिफारिशों की अस्वीकृति के लिए, यदि कोई हों, कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे। उसी प्रकार इस अनुच्छेद का खण्ड (7) व्यवस्था करता है कि जहाँ कोई ऐसा प्रतिवेदन या उसका कोई भाग, किसी ऐसे विषय से संबंधित है, जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है, तो ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो उसे राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई को और किन्हीं ऐसी सिफारिशों की अस्वीकृति के लिए, यदि कोई हों, कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखवाएंगे। आयोग ने पाया है कि राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए उसके प्रतिवेदन और संसद/राज्य विधान मंडल के समक्ष उसे रखने में काफी समय का अन्तर है। यह आयोग के लिए चिन्ता का कारण रहा है, क्योंकि यह आयोग की सिफारिशों के महत्व को कम करता है, क्योंकि माननीय संसद के सदस्यों को ऐसी सिफारिशों की जानकारी राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के काफी वर्षों के बाद मिलती है।

1.8.3 पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने वर्ष 1996-97 और 1997-98 के अपने चौथे प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 338 के खण्ड (6) और खण्ड (7) में यह व्यवस्था करने के लिए संशोधन किया जाए कि राष्ट्रपति/राज्य के राज्यपाल आयोग द्वारा अथवा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उनको प्रस्तुत/भेजे गए सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन/राज्य के विधान मंडल के समक्ष ऐसे प्रस्तुतीकरण के 3 माह के भीतर रखवांगे और संघ/राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का एक ज्ञापन संसद के प्रत्येक सदन/विधान मंडल के समक्ष ऐसे प्रस्तुती करण के 6 माह के भीतर रखवाएंगे। चौथे प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखते समय संसद में प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने निम्न प्रकार से सूचित किया था:-

> " आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 3 माह के निदिष्ट समय के भीतर निर्णय और कार्रवाई की अपेक्षा करना व्यावहारिक नहीं है। यदि हम 3 माह की अवधि के भीतर निर्णय लेने के लिए मंत्रालयों और विभागों पर बल देते हैं तो मंत्रालय विभाग सिफारिशों को गंभीरता से नहीं ले पायेंगे। अत: संविधान के अनुच्छेद 338 में प्रस्तावित संशोधन आयोग का उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त करने में सहायक नहीं होंगे, इसलिए आयोग की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की जा सकती है।"

1.8.4 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ऊपर उल्लिखित टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि उन्होंने आयोग की सिफारिशों की सही परिपेक्ष्य में जांच नहीं की है, जिसमें आयोग के प्रतिवेदन में वर्णित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन को रखने से संसद में प्रतिवेदन को न जोड़ने की मांग की है।

1.8.5 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राष्ट्रपति जी को दिनांक 8 अगस्त, 2006 को प्रस्तुत की गई अपनी पहली रिपोर्ट में ऊपर उल्लिखित सिफारिश को दोहराया है। चूंकि आयोग के प्रथम प्रतिवेदन की कार्रवाई रिपोर्ट सहित संसद में अभी तक रखा नहीं गया है, इसलिए आयोग को इस संबंध में सरकार के अंतिम निर्णय की जानकारी नहीं है। **परन्तु, आयोग का यह मत है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आयोग के प्रतिवेदनों को संसद और राज्य विधान मण्डलों में, जैसे भी स्थिति हो समय की यथोचित अवधि के भीतर अर्थात् 3 माह की अवधि के भीतर रखा जाए और जनजातीय कार्य मंत्रालय/संबंधित राज्य सरकार द्वारा उसकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई का ज्ञापन संसद/राज्य विधान मंडल में प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के 6 माह के भीतर अलग-अलग रखा जाए।** आयोग आशा करता है कि सरकार उपर्युक्त के आधार पर अनुच्छेद 338 के ऊपर उल्लिखित खण्डों में संशोधित करने के लिए शीघ्रता से कार्रवाई आरम्भ करेगी।

1.9 नए प्रयास

1.9.1 आयोग, (i) सेवा सुरक्षणों के तथाकथित उल्लंघन, (ii) भूमि के हस्तांतरण से संबंधित मामले, व्यावसायिक और तकनीकी संस्थाओं विशेषकर चिकित्सा, अभियांत्रिक आदि में प्रवेश और (iii) अत्याचारों से संबंधित शिकायतों के बारे में देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में याचिकाएं प्राप्त करता है। इन याचिकाओं को संबंधित संगठन को भेजा जाता है और संगठन से प्राप्त हुए उत्तर को याचिकाकर्त्ता की सूचना के लिए भेजा जाता है। अधिकांश मामलों में याचिकाकर्त्ता आयोग को रिजोइंडर प्रस्तुत करते हैं, जिनकी संबंधित संगठन के साथ परामर्श करके जांच की जाती है। संबंधित संगठन से प्राप्त हुए उत्तर के स्वरूप पर निर्भर रहते हुए आयोग याचिका का शीघ्रता से निपटान करने के उद्देश्य से सुनवाईयां आयोजित करता है, जिनमें संबंधित संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों को उसके समक्ष प्रस्तुत होने के लिए बुलाया जाता है। उनके साथ विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत, आयोग संबंधित संगठन को उसकी सिफारिशों पर दी गई समय सीमा के भीतर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अनुरोध करते हुए सुनवाईयों की कार्यवाही जारी करता है। याचिकाओं की अधिकतम संख्या के निपटान के हित में आयोग ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग में एक संगठन से संबंधित बकाया पड़े सभी मामलों/याचिकाओं को एक सुनवाई के दौरान लेने का निर्णय लिया था। इस परिवर्तन से सुनवाईयों की संख्या में कमी और उसी समय मामलों/याचिकाओं के निपटान में वृद्धि पाई गई। इससे आरक्षण नीति के पूर्ण कार्यान्वयन के बारे में उन संगठनों में जागरूकता में भी वृद्धि पाई गई

1.9.2 देश के विभिन्न भागों में रह रहे गरीब जनजातीय लोगों को समर्थ बनाने के उद्देश्य से इस आयोग के अधिकारियों से सम्पर्क करने और अपनी शिकायतें भी भेजने के लिए एक फैक्स सुविधा सहित टॉलफ्री टेलीफोन नं0 1800117777 दिनांक 27 अप्रैल, 2006 से शुरू किया गया है। जिस पर इस आयोग के अधिकारियों से देश के किसी भी भाग से बीएसएनएल/एमटीएनएल लैंडलाइन टेलीफोनों से बिना किसी लागत के सम्पर्क किया जा सकता है।

याचिकाकर्त्ता/शिकायतकर्त्ता आयोग के पास पहले से भेजी गई याचिकाओं की स्थिति भी जान सकते हैं।

1.9.3 पैरा 1.3 में उल्लिखित किए गए अनुसार तीन कार्यात्मक एककों/स्कंधों नामत: (i) आर्थिक एवं सामाजिक विकास स्कंध (ii) सेवा सुरक्षण स्कंघ और (iii) अत्याचार स्कंध को पुन: संरचित किया गया और चार अनुसंधान एककों (आर0 यू0-I, आर0 यू0-II, आर0 यू0-III, और आर0 यू0-IV) के रूप में दिनांक 26 जुलाई, 2006 को बनाए गए।

1.9.4 जनजातीय याचिककर्त्ताओं को आयोग के कार्य संचालन के बारे में सूचना देने के उद्देश्य से जो आयोग में आते हैं, एक सूचना और सुविधा केन्द्र, छठे तल पर उसके कार्यालय के प्रवेश बिन्दु पर स्थापित किया गया है। केन्द्र औपचारिक रूप से दिनांक 25-09-2006 से खोला गया।

1.9.5 संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के जरिए संविधान में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सृजन के परिणाम स्वरूप जो फरवरी, 2004 से अस्तित्व में आया से यह महसूस किया गया कि जनजातीय लोगो को जानकारी देने के उद्देश्य से जनजातीय मामलों में रूचि रखने वाले अन्य व्यक्ति और अन्य निकायों, जिन्हें जनजातीय विकास को उन्नत करने का कार्य, उत्तरदायित्व और आयोग के कार्य संचालन सौंपा गया है, के पास अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। तद्नुसार आयोग की वेबसाइट htpp//:ncst.nic.in की शुरूआत शास्त्री भवन, नई दिल्ली में प्रेस आसूचना व्यूरो के सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक समारोह में दिनांक 12-02-2007 को की गई।

1.10 याचिकाओं/मामलों के निपटान की प्रगति

1.10. वर्ष 2006-07 के दौरान याचिकाओं/मामलों के निपटान की प्रगति निम्न प्रकार से थी:-

(i)	वर्ष 2005-06 की समाप्ति पर बकाया सक्रिय मामलों की संख्या	2065
(ii)	वर्ष के दौरान खोली गई फाइलों की संख्या	1216
(iii)	बंद की गई फाइलों की संख्या	0280
(iv)	वर्ष 2006-07 की समाप्ति पर सक्रिय मामलों की संख्या	3201

अध्याय–2

सेवा संबंधी सुरक्षण

2.1 संवैधानिक उपबंध

2.1.1 सरकार के सिविल पदों और सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों (अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी) आरक्षण देने का उद्देश्य न केवल सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है अपितु राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए उनको अधिकार देने के उद्देश्य से इन लोगों का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से उत्थान करना है। संविधान के संगत अनुच्छेद जो आरक्षण को नियंत्रित करते हैं, निम्न प्रकार से उल्लिखित है:-

(i) **अनुच्छेद** 16(4): यह अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि इस अनुच्छेद में दी गई कोई बात 'पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य को नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।'

(ii) **अनुच्छेद** 16(4क): यह अनुच्छेद वर्ष 1995 में यह व्यवस्था करने के लिए जोड़ा कि ' इस अनुच्छेद में दी गई कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के अधीन उन सेवाओं में किसी श्रेणी या श्रेणियों के पदों पर पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, जिनमें राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।' [**संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) अधिनियम** 1995]

(iii) **संशोधित अनुच्छेद** 16 (4क): संविधान 77वां संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 16 (4क) में वर्ष 2001 में 'किसी वर्ग में पदोन्नति के मामले में' शब्दों के स्थान पर 'किसी वर्ग के लिए पारिणामिक वरिष्ठता के साथ पदोन्नतियों के मामले में' **संविधान (पचासीवां संशोधन) अधिनियम**, 2001 के तहत संशोधित किया गया। इस संशोधन को दिनांक 17 जून, 1995 अर्थात् संविधान सतहत्तवां संशोधन अधिनियम, 1995 के तहत इस अनुच्छेद को जोड़ी गई तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया।

(iv) **अनुच्छेद** 16 (4ख): यह अनुच्छेद वर्ष 2004 में जोड़ा गया। यह व्यवस्था करता है कि '' इस अनुच्छेद की कोई बात किसी वर्ष के भरे न गए रिक्त पदों को, जो खंड (4) अथवा खंउ (4क) के अन्तर्गत आरक्षण के लिए किए गए किसी प्रावधान के अनुसार, उस वर्ष भरे जाने के लिए आरक्षित किए गए हों, किसी उत्तरवर्ती वर्ष अथवा वर्षों में भरे जाने के लिए रिक्तियों की एक अलग श्रेणी के रूप में विचार किए जाने से निवारित नहीं करेगी और ऐसी श्रेणी के रिक्त पदों को उस वर्ष के कुछ रिक्त पदों की संख्या के आरक्षण की 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित किए जाने के लिए, उस वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, जिस वर्ष वे भरी जा रही हों।'' [**सविधान (एकासीवां संशोधन) अधिनियम**, 2000]

(v) **अनुच्छेद** 335: यह अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि '' संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के

सदस्यों के दावों क। प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा।'' **संविधान (बयासीवां संशोधन) अधिनियम**, 2000 द्वारा इस अनुच्छेद में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा गया:-

'' परन्तु इस अनुच्छेद में कोई भी बात, संघ अथवा किसी राज्य के कामकाज के सिलसिले में सेवाओं में पदों के किसी वर्ग अथवा किन्हीं वर्गों में पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पच में अर्हक अंकों में ढील दिए जाने अथवा किसी अर्हक परीक्षा में मूल्यांकन के मानक अपेक्षाकृत कम रखे जाने की दृष्टि से कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।''

(vi) **अनुच्छेद** 320 (4): संविधान के अनुच्छेद 320 का खंड (3) अन्य बातों के साथ-साथ व्यवस्था करता है कि संघ लोक सेवा आयोग अथवा राज्य लोक सेवा आयोग, जैसी भी स्थिति हो सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित और सिविल सेवाओं और पदों में नियुक्तियों के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों तथा ऐसी नियुक्तियों, पदोन्नतियों अथवा स्थानान्तरण के लिए अभ्यार्थियों की उपयुक्तता पर एक सेवा से दूसरी में पदोन्नतियां और स्थानान्तरण करने के लिए सभी मामलों पर परामर्श करेगा । परन्तु इस अनुच्छेद का खंड (4) व्यवस्था करता है कि ''खंड (3) की किसी बात से यह अपेक्षा नहीं होगी कि लोक सेवा आयोग से उस रीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद 16(4क) में निर्दिष्ट कोई उपबंध किया जाना है या उस रीति के संबंध में, जिससे 335 के उपबंधों को प्रभावी किया जाना है, परामर्श किया जाए।''

2.2 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित उपर्युक्त संशोधनों की संवैधानिक वैधता

2.2.1 ऊपर उल्लिलिखित संशोधनों अर्थात् (i) संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995, (ii) संविधान (81वां संशोधन) अधिनियम, 2000, (iii) संविधान (82वां संशोधन) अधिनियम 2000 और (iv) (85वां संशोधन) अधिनियम, 2001 की संवैधानिक वैधता को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में 2002 की रिट याचिका (सिविल) सं0 61 में एम. नागराज और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य को चुनौती दी गई। याचिकाकर्त्ताओं ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए पारिणामिक वरीयता के साथ पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए अनुच्देद 16 (4क) दिनांक 17 जून, 1995 भतलक्षी प्रभाव से जोड़ने और संविधान (85वां संशोधन) अधिनियम 2001, को समाप्त करने के स्वरूप में एक रिट के लिए संविधान का अनुच्छेद 32 की याचना की थी जो असंवैधानिक होने के कारण मूल संरचना का उल्लंघन था।

(i) भारत संघ विरोधी संशोधनों ने (i) भारत संघ और अन्य बनाम वीरपाल सिंह चौहार एवं अन्य, अजीत सिंह जानुजा एवं अन्य बनाम, पंजाब राज्य एवं अन्य (अजीत सिंह I) iii अजीत सिंह एव अन्य II बनाम पंजाब स्टेट बैंक एवं अन्य, (iv) अजीत सिंह एवं अन्य III बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (v) इन्द्रासानी एवं अन्य बनाम, भारत संघ और (vi) एम.जी. बादप्पनवर एवं अन्य बनाम, कर्नाटक राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को परिवर्तित किया गया।

(ii) संसद ने अपने को स्वयं को उचित न्यायिक शक्तियां दी और संशोधन की शक्ति के प्रयोग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णयों परिवर्तित करते हुए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य किया, जो विरोधी संशोधन द्वारा किया गया था और इसलिए संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन था। संशोधन ने समानता के मूल अधिकार में भी परिवर्तन की मांग की जो संविधान की मूल संरचना का भाग है।

(iii) अनुच्छेद 16(1) के संदर्भ में सामान्यत: उल्लेख करती है 'इसलिए त्वरित पदोन्नति पारिणामिक वरीयता को शामिल नहीं करती है।' याचिकाकर्त्ताओं द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि त्वरित पदोन्नति के लिए पारिणामिक वरीयता जोड़ने से विरोधी संशोधन अनुच्छेद 16(1) के साथ पठित अनुच्छेद 14 में समानता का उल्लंघन करता है।

(iv) पारिणामिक वरीयता के साथ पदोन्नति के मामले में आरक्षण देते हुए कार्यकुशलता के लिए हानि था।

2.2.2 माननीय उच्चत न्यायाल ने ऊपर उल्लिखित मामले में अपना निर्णय दिनांक 19 अक्टूबर, 2006 को दिया। माननीय न्यायालय ने i संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995, ii संविधान (81वां संशोधन) अधिनियम, 2000, iii संविधान (82वां संशोधन) अधिनियम, 2000 और iv (85वां संशोधन) अधिनियम, 2001 की संवैधानिक वैधता का अनुमोदन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह पाया गया था कि विरोधी सांविधानिक संशोधनों द्वारा जो अनुच्छेद 16 (4क) और 16 (4ख), अनुच्छेद 16 (4) के प्रवाह से जोड़े गए हैं और वे अनुच्छेद 16 (4) की संरचना को नहीं बदलते हैं। वे नियंत्रण करने वाले तत्वों अथवा अप्रतिरोध्य कारणों नामत: पिछड़ापन और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता रखते हैं, जो अनुच्छेद 335 के अधीन राज्य प्रशासन की पूर्ण कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए राज्यों को आरक्षण करने का अधिकार देता है।

(i) विरोधी संशोधन केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक सीमित हैं और किन्हीं सांविधानिक अपेक्षाओं को समाप्त नहीं करता है। जैसा कि इन्द्रासानी मामले में और आर.के. सबरवाल मामले में प्रतिस्थापना की अंतरनिहित संकल्पना के साथ पद आधारित रोस्टर की संकल्पना में अभिनिर्धारित किया गया है।

(ii) हम 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को दोहराते हैं, क्रीमीलेयर की संकल्पना और अप्रतिरोध्य कारणों नामत: पिछड़ापन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक कार्यकुशलता सभी संवैधानिक अपेक्षाएं हैं, जिनके बिना अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की संरचना समाप्त हो जाएगी।

(iii) मुख्य मुद्दा 'आरक्षण का सीमा' से संबंधित है। इस संबंध में संबंधित राज्य को आरक्षण के लिए प्रावधान करने से पहले प्रत्येक मामले में अप्रतिरोध्य कारणों नामत: पिछड़ापन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्ता और समग्र प्रशासनिक कार्यकुशलता की विद्यमानता को दर्शाना होगा। ऊपर बताए गए अनुसार विरोधी प्रावधान एक अधिकार देने वाला प्रावधान है। राज्य पदोन्नतियों के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण करने हेतु बाध्य नहीं है। परन्तु यदि वे अपने विवेक का प्रयोग करना चाहते हैं और ऐसा प्रावधान करते हैं तो राज्य को वर्ग का पिछड़ापन दर्शाते हुए और अनुच्छेद 335 की अनुपालना के अतिरिक्त सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के लिए एक संख्यात्मक आंकड़ा एकत्र करना अपेक्षित है।

(iv) यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि राज्य के पास अप्रतिरोध्य कारण है जैसा कि ऊपर बताया गया है, राज्य को यह देखना होगा कि उसका आरक्षण प्रावधान अत्यधिक न हो जिससे 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन अर्थात् क्रीमीलेयर समाप्त करना अथवा आरक्षण को अनिश्चित समय के लिए जारी रखना संभव न हो सके।

2.2.3 इस आयोग की दिनांक 10 नवम्बर, 2006 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्णय के कारगर भाग से इस आयोग के दिनांक 26-12-2006 के पत्र सं0 12/16/2006-समन्वय प्रकोष्ठ के तहत अवगत करवा दिया गया

था और उनसे उसके अनुपालन में आवश्यक उपाय उठाने और विस्तृत स्थिति रिपोर्ट भेजने के लिए अनुरोध किया गया था।

2.2.4 पश्चिम बंगाल सरकार ने हमारे दिनांक 26-12-2006 के पत्र (ऊपर उल्लेख किया गया है) की प्राप्ति पर अपने दिनांक 22-01-2007 के पत्र के तहत आयोग को यह सूचित करते हुए लिखा कि उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय की आदेश की एक प्रति कुछ दिन पहले प्राप्त हो गई थी। यह बताया गया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रीमीलेयर की अवधारना (गुणात्मक को छोड़कर) शुरू की गई है और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (भारत सरकार) के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लागू किए गए अनुसार क्रीमीलेयर को परिभाषित किया गया है। राज्य सरकार ने इस आयोग से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर लागू क्रीमीलेयर को परिभाषित करते हुए आय सीमा अथवा कोई अन्य पैरामीटर सूचित करने के लिए अनुरोध किया है। आयोग ने तद्नुसार अपने दिनांक 20 फरवरी, 2007 को पत्र के तहत मामला कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ यह जानने के उठाया कि क्या उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर उल्लिखित निर्णय की टिप्पणियों के प्रकाश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में क्रीमीलेयर की परिभाषा के बारे में कोई अनुदेश जारी किए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने उत्तर में अपने दिनांक 29 मार्च, 2007 के पत्र सं0 36036/2/2007-स्था (आरक्षण) की एक प्रति भेजी जो सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों को सम्बोधित थी, जिसकी एक प्रति **अनुबंध 2.1** पर उपलब्ध है। इस पत्र के पैरा 3 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा यह बताया गया है कि उन्होंने सरकार के विधि अधिकारियों के साथ परामर्श करके यह जांच की है कि क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर उल्लिखित निर्णय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रीमिलेयर की अवधारना शुरू की गई है और उन्हें परामर्श दिया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच क्रीमीलेयर के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय में की गई टिप्पणियां केवल चर्चा मात्र थी और उसे इन्द्रासानी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। इसमें आगे यह भी कहा गया है कि अंतिम पैराग्राफ में क्रीमीलेयर के संदर्भ में और निर्णय के अन्य भाग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नहीं थे।

2.3 समूह 'क' में चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण

2.3.1 **अनुच्छेद** 16 (4) में संशोधन संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 के तहत किया गया और भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 16(4)क जोड़ते हुए संविधान (85वां संशोधन) अधिनियम, 2001 के तहत यह व्यवस्था करने के लिए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के अधीन सेवाओं में पदों के किसी वर्ग अथवा वर्गों के लिए पारिणामिक वरीयता सहित पदोन्नति के मामले में आरक्षण का कोई प्रावधान करने से राज्य को नहीं रोकेगी, जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है। यह इस संशोधन के अनुसरण में था कि कार्मिक विभाग ने अपने दिनांक 13-08-1997 के पत्र सं0 36012/18/95/स्था (आरक्षण) भाग-II के तहत दिनांक 19-08-1993 के कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करते हुए दिनांक 15-11-1997 के बाद (क्योंकि इन्दासानी बनाम भारत संघ के मामले में दिनांक 16-11-1992 के भारत के माननीय उच्चतम न्यायाल के निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया था कि उनके 16-11-1992 के निर्णय की तारीख से 5 वर्षों के बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा।) ऐसे समय तक इन दो वर्गों में प्रत्येक में प्रतिनिधित्व आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता तक पहुंच जाता है। केन्द्र सरकार के अधीन

सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पदोन्नति में आरक्षण जारी रखने के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए।

2.3.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों तथा उनकी एसोसिएशनों आदि द्वारा यह अभ्यावेदन दिया गया था कि इस अर्थात् अनुच्छेद 16(4)क का आश्य समूह 'क' पदों के भीतर चयन द्वारा पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना भी था जो आज की तारीख तक समूह क के निम्नतम स्तर तक सीमित है। चूंकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 13-08-1997 का ऊपर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन चयन पदों में समूह क के भीतर पदोन्नति में आरक्षण बढ़ाने के बारे में मौन है, आयोग ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ मामला यह अनुरोध करते हुए उस प्रभाव पर संशोधित अनुदेश जारी करने के लिए उठाया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि मामला जिसमें एक पक्ष ने एम. नागराज एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में 2002 की रिट याचिका (सिविल) सं0 61 में अनुच्छेद 16(4)क और अन्य संशोधनों की वैधता को चुनौती दी थी और दूसरे पक्ष ने ऑल इंडिया इन्कम टैक्स एससी/एसटी एम्पलोएज फेडरेशन बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 1997 की रिट याचिका (सिविल) सं0 244 में समूह क पदों के भीतर पदोन्नति में आरक्षण के लिए अनुरोध किया था, माननीय उच्चतम न्यायाला की संविधान पीठ के समक्ष लंबित हैं। पैरा 2.2 में बताए गए अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 335 में संविधान में किए गए संशोधनों की वैधता को मान्य ठहराते हुए पहले मामले में अपना निर्णय पहले से ही सुना चुका है।

2.3.3 आयोग ने 1997 की रिट याचिका (सिविल) सं0 244 (ऊपर उल्लेख किया गया है) की नवीनतम स्थिति से उसे अवगत करवाने हेतु राजस्व विभाग से अनुरोध किया है। परन्तु आयोग को अगस्त, 2007 में सूचित किया गया कि क्योंकि मामला लगभग 10 वर्ष पुराना है। इसलिए उस फाइल को उनके लिए खोजना संभव नहीं पाया गया। उसके उपरान्त आयोग ने इस संबंध में अपर रजिस्टरार उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया। अपर रजिस्टरार द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि ऑल इण्डिया इन्कम टैक्स एससी/एसटी फेडरेशन बनाम भारत संघ बनाम एवं अन्य के शीर्षक से 1997 की रिट याचिका (सिविल) सं0 244 लंबित है और माननीय न्यायालय के दिनांक 17-01-2002 के आदेश के अनुसार इसे 1997 की रिट याचिका (सिविल) सं0 88 में निर्णय सुनाने और वैच (जिसे दिनांक 13-11-2007 के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है) के 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाना है। आयोग के अनुरोध पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जो इस रिट याचिका में एक प्रत्यर्थी (प्रत्यथी सं0 2) ने इस रिट याचिका की एक प्रति और विभिन्न प्रत्यर्थियों की ओर से राजस्व विभाग द्वारा प्रति-शपथ पत्र की एक प्रति भेजी जा चुकी है।

2.3.4 **इस याचिका में उठाया गया मुद्दा अति महत्वपूर्ण है और इसलिए आयोग सिफारिश करना चाहता है कि राजस्व विभाग और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जो क्रमशः प्रत्यर्थी सं0 1 एवं 2 हैं, को माननीय उच्चतम न्यायालय से इस मामले में अपने वकीलों के माध्यम से अनुरोध करना चाहिए।**

2.4 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विचारण के लिए पृथक क्षेत्र

2.4.1.1 **चयन द्वारा पदोन्नति** अर्थात् योग्यता एवं वरीयता के मामले में एक निर्धारित विचारार्थ क्षेत्र है परन्तु गैर चयन द्वारा पदोन्नति अर्थात उपयुक्तता के आधार पर वरीयता के मामले में विचारार्थ क्षेत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं। चयन पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए निम्नलिखित अनुदेश लागू हैं:-

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारी जो सामान्य विचारार्थ क्षेत्र के भीतर हैं के नाम पर पदोन्नति के लिए अन्यों के साथ विचार किया जाएगा और अन्यों की भांति उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो अधिकारी उसी आधार पर चयनित होते हैं उन्हें सामान्य चयन सूची में शामिल किया जा सकता है। यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कुछ अभ्यार्थी सभी प्रकार से अपनी योग्यता के आधार पर चयनित किए जाते हैं और उन्हें चयन सूची रखा जाता है कि उनके नाम अनारक्षित रिक्तियों के भीतर आते हैं, ऐसे अभ्यार्थियों को अनारक्षित रिक्तियों के लिए समायोजित किया जाएगा।

(ii) यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से अभ्यार्थियों की संख्या अपनी योग्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों से अलग है जिन्हें अनारक्षित रिक्तियों के लिए समायोजित किया गया है उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से कम है, इस अन्तर को इन समुदायों के चयन करते हुए पूरा किया जा सकता है, जो योग्यता को ध्यान में रखते हुए विचारार्थ क्षेत्र में है परन्तु जो पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए हैं।

(iii) यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों की पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाई गई संख्या आरक्षित रिक्तियों से उनके लिए आरक्षित रिक्तियों से अभी भी कम है तो अन्तर को इन समुदायों के अभ्यार्थियों चयन द्वारा पूरा किया जाए, जो योग्यता को ध्यान में रखे बिना विस्तारित विचारार्थ क्षेत्र में आते हैं परन्तु जो पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गए हैं ।

2.4.1.2 **गैर चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में** सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी, जिसके पदोन्नतियां की जानी है ऐसी रिक्तियों की कुल संख्या के भीतर संगत वरीयता सूची में सम्मिलित हैं, पर उनकी सामान्य वरीयता के क्रम में विचार किया जाना अपेक्षित है और यदि उन्हें अनुपयुक्त नहीं पाया गया है उन्हें पदोन्नत किया जाना है। यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों की संख्या वास्तविक रिक्तियों के क्षेत्र के भीतर उपयुक्त पाई जाती है, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से कम है, अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों की खोज वरीयता सूची में नीचे जाकर करना उस सीमा तक अपेक्षित है बशर्ते वे नियुक्ति के लिए योग्य और उपयुक्त पाए गए हैं।

2.4.1.3 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 6 जनवरी, 2006 के कार्यालय ज्ञापन सं0 22011/2/2002-स्था (डी) के तहत **विचारार्थ क्षेत्र के आकार** से संबंधित विद्यमान उपबंधों में निम्न प्रकार से परिवर्तित किया गया है:-

(i) 10 तक (और 10 को शामिल करते हुए) रिक्तियों के लिए विचारार्थ क्षेत्र के सामान्य आकार से संबंधित विद्यमान उपबंध अर्थात् रिक्तियों की संख्या + 4 का 2 गुणा लागू किया जाना जारी रहेगा।

(ii) 10 से अनधिक रिक्तियों के लिए विचारार्थ क्षेत्र सामान्य आकार रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुणा होगा, अगले उच्चतर पूर्णांक तक पूरा जाए + 3, परन्तु यह 10 रिक्तियों के लिए विचारार्थ क्षेत्र के आकार से कम नहीं होगा।

(iii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए विचारार्थ विस्तारित क्षेत्र का विद्यमान आकार रिक्तियों की कुल संख्या का 5 गुणा लागू होना जारी रहेगा

2.4.1.4 चूंकि गैर चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में तदर्थ पदोन्नतियां करने के लिए निर्धारित विचारार्थ क्षेत्र नहीं हैं। दिनांक 30-04-1983 के कार्यालय ज्ञापन सं0 36011/14/83-स्था (एससीटी) के तहत जारी किए गए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों में यह व्यवस्था की गई थी कि संगत वरीयता सूची में सम्मिलित सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यार्थियों के नामों पर उनकी सामान्य वरीयता के क्रम में विचार किया जाना अपेक्षित है, बशर्ते कि वे पात्र हों और अनुपयुक्त न पाए गए हों। दिनांक 30-09-1983 के कार्यालय ज्ञापन सं0 सं0 36011/14/83-स्था (एससीटी) के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा इन अनुदेशों में इस सीमा तक परिवर्तन किया गया कि तदर्थ पदोन्नतियों के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए बढ़ाया गया विचारार्थ क्षेत्र एक विशेष अवसर पर भरी जा रही रिक्तियों की संख्या से 5 गुणा तक सीमित किया जाए। परन्तु भारत संघ एवं अन्य बनाम श्री बासुदेव अनिल एवं अन्य (सिविल अपील सं0 1194/1992 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 07-09-2000 के निर्णय में दिनांक 30-09-1983 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन को रद्द किया और तद्नुसार दिनांक 30-04-1983 (ऊपर उल्लेख किया गया है) के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन द्वारा पहले जारी किए गए अनुदेशों को, दिनांक 15 मार्च, 2002 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 36012/27/2000-स्था0(आरक्षण) के तहत, वापस किया गया।

2.4.2.1 यू.पी. राज्य विद्युत परिषद् एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ बनाम यू.पी. स्टेट इलैक्ट्री सीटी बोर्ड एवं अन्य के मामले में 1988 की सिविल अपील संख्या 4026 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में अभिनिर्धारित किया कि " हम तर्कों की सुनवाई पूरी कर चुके हैं। हम अपीलार्थी के लिए विद्वत वकील के प्रति विरोध के साथ प्रथम दृषट्या सहमत हैं कि जहां तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यार्थियों का संबंध है उनके लिए एक पृथक विचारार्थ क्षेत्र होना चाहिए। उसी विचारार्थ क्षेत्र में सामान्य वर्ग के साथ अनुसूचित जातियों को मिलाने से आरक्षण का प्रयोजन विफल हो जाएगा।" अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में एक विचारार्थ क्षेत्र का मुद्दा सी.डी. भाटिया एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में सिविल अपील सं0 14568-69/95 के तहत उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार के लिए भी आया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय में अपने दिनांक 20-10-1995 के आदेश में अभिनिर्धारित किया कि " कि हमारा मत है कि यूपी राज्य विद्युत परिषद् के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून भारत संघ सहित सभी प्राधिकरणों पर बाध्य है।"

2.4.2.2 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने दिनांक 24 जनवरी, 2006 के पत्र के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को माननीय उच्चतम न्यायालय की ऊपर उल्लिखित टिप्पणियों से अवगत करवाया और उनसे अनुरोध किया कि वे समूह ग से घ, समूह घ के भीतर और समूह ख से समूह क निम्नतम स्तर तक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप चयन द्वारा अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों के पदोन्नति के मामले में उनके लिए एक पृथक विचार क्षेत्र ड्रा करने के लिए संशोधित अनुदेश जारी करें। माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के चेम्बर में दिनांक 24 मई, 2006 को बुलाई गई बैठक में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों के साथ भी मामले पर विचार-विमर्श किया गया था, जिसमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का प्रतिनिधित्व श्री आर. रामानुजम, संयुक्त सचिव (ए.टी. एण्ड ए.), श्री पी. जैकब, संयुक्त सचिव (स्था0), श्रीमती सुमता कुमार, निदेशक (स्था) और श्री के.जी. वर्मा, उप सचिव (स्था0)-आरक्षण द्वारा किया गया। आयोग को सूचित किया गया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, विधि कार्य विभाग की सलाह लेने के लिए विषय पर एक विस्तृत टिप्पणी तैयार करने की प्रक्रिया में है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध किया गया कि वे सभी संगत निर्णयों का उल्लेख करते हुए एक स्वत: स्पष्ट और विस्तृत टिप्पणी विधि कार्य विभाग को भेजे ताकि सही परिपेक्ष्य में उनकी सलाह प्राप्त की जा सके। सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को इस आयोग के दिनांक 02-06-2006 के

पत्र के तहत विचार-विमर्शों के ब्यौरे से अवगत करवाया गया और यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया कि विधि कार्य विभाग की सलाह प्राप्त करने के लिए टिप्पणी में सभी संगत निर्णयों का उल्लेख ठीक प्रकार से किया जाए। विधि कार्य विभाग को भेजे गए दिनांक 19 जून, 2006 की टिप्पणी की एक प्रति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03-07-2006 के पत्र के तहत आयोग को उपलब्ध करवा दी गई है।

2.4.2.3 आयोग ने पाया कि विधि कार्य विभाग को भेजे गए कार्मिक एवं प्रशिक्षण के टिप्पणी में एक संदर्भ अन्य बातों के साथ-साथ रामसिंह मीणा, बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जोधपुर पीठ के निर्णय और गोपाल मीणा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 19 अक्तूबर, 2005 की ओ.ए. सं0 688/2005 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली के निर्णय के ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया है। जबकि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जोधपुर पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए एक पृथक विचारार्थ क्षेत्र ड्रा करने के संबंध माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए बढ़ान हुए विचारार्थ क्षेत्र की व्यवस्था की गई है, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने अपने उपर्युक्त निर्णय में टिप्पणी की है कि:-

"23. "यदि उपर्युक्त को ध्यान में रखा जाता है तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का कार्यालय ज्ञापन अनारक्षित और आरक्षित अभ्यार्थियों के लिए एक सामान्य विचारार्थ क्षेत्र निर्धारित करता है जबकि उच्चतम न्यायालय का निर्णय एक पृथक विचारार्थ क्षेत्र की व्यवस्था करने का निर्णय देता है। विवाद होने की दशा में उच्चतम न्यायालय का निर्णय कार्यकारी अनुदेशों को रद्द करता है और हमारा सुविचारित मत है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यार्थियों के लिए एक पृथक विचारार्थ क्षेत्र तैयार किया जाना अपेक्षित है।

26... यदि पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के मामले में विचार करने के लिए बढाए विचारार्थ क्षेत्र से परे वरीयता में नीचे जाकर एक बार तदर्थ पदोन्नति देने का निर्णय लिया जाता है और उसका पालन किया जाता है तो नियमित पदोन्नति के लिए उपर्युक्त सिद्धांत का पालन न करना और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 1989 और 1987 में जारी किए गए संगत प्रावधान में संशोधन नहीं किया जाता है तो चालू कार्यकारी अनुदेश, जो न्यायिक आदेशों द्वारा सम्मिलित कार्य क्षेत्र में घुसपैठ करता है, समर्थन नहीं किया जा सकता है जैसा कि यू.पी. राज्य विद्युत परिषद् के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।"

2.4.2.4 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारण, जोधपुर पीठ द्वारा निर्धारित निम्नलिखित विचारों पर विधि कार्य विभाग की सलाह मांगी थी:-

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारियों के लिए लागू बढ़ाया गया विचारार्थ क्षेत्र एक पृथक विचारार्थ क्षेत्र की व्यवस्था करता है, जिसका कारण है कि केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यार्थी जो बढ़ाए गए विचारार्थ क्षेत्र आते हैं, के नाम पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है और बढ़ाए गए विचारार्थ क्षेत्र में आ रहे सामान्य अभ्यार्थियों को विचार से बाहर रखा जाता है।

(ii) क्या एक पृथक क्षेत्र का अर्थ होगा, एक ऐसा क्षेत्र, जिसमें उनकी समग्र ग्रेडेशन/वरीयता सूची में उनके स्थिति पर ध्यान दिए बिना अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी शामिल हों।

2.4.2.5 विधि कार्य विभाग को भेजी गई कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ऊपर उल्लिखित टिप्पणी की जांच आयोग द्वारा अपनी दिनांक 24 मई, 2006 को हुई बैठक में की गई, जिसमें यह दावा किया गया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय सभी प्रकार की पदोन्नति अर्थात् तदर्थ और नियमित आदि पर लागू हैं और इसलिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को इस सामान्य मुद्दे पर विधि कार्य विभाग की सलाह लेनी चाहिए कि क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15 मार्च, 2002 के कार्यालय ज्ञापन के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश नियमित पदोन्नति के मामले में भी लागू होने चाहिए। आयोग ने अपने दिनांक 3 अगस्त, 2006 के पत्र के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को विधि कार्य विभाग को संशोधित टिप्पणी/संदर्भ भेजने की सलाह दी ताकि वे इसमें सम्मिलित मुद्दों की पूरी विवक्षाओं को समझ सके और सही परिप्रेक्ष्य में अपनी सलाह दे सके। इस पत्र की एक प्रति सचिव, विधि कार्य विभाग को भी पृष्ठांकित की गई थी, जिसके संदर्भ में दिनांक 4 अगस्त, 2006 की विधि कार्य विभाग की टिप्पणी आयोग को उपलब्ध करवाई गई थी। उनकी दिनांक 17-07-2006 की सलाह की एक प्रति जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को उनके दिनांक 19 जून, 2006 के संदर्भ में भेजी गई थी।

2.4.2.6 विधि कार्य विभाग ने अपनी दिनांक 17-07-2006 के टिप्पणी के तहत सूचित किया था कि आरक्षित रिक्तियों को भरने में बढ़ाये हुए विचारार्थ क्षेत्र को लागू करने का प्रश्न रामसिंह मीणा बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जोधपुर पीठ के विचारार्थ आया था। अधिकरण में मूल आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया था और सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को उसकी आदेश के पैरा 9 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए विचारार्थ क्षेत्र से संबंधित विद्यमान प्रावधान की समीक्षा करने के लिए बुलाया। इसके अतिरिक्त यह सूचित किया गया था कि श्री राम सिंह मीणा द्वारा दायर की गई समीक्षा याचिका भी अस्वीकार कर दी गई थी, जिसके बाद श्री मीणा ने एक सिविल रिट याचिका दायर की, जो राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित है यह भी सूचित किया गया था कि जोधपुर पीठ ने टिप्पणी की थी कि विद्यमान अनुदेश जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए बढ़ाए गए विचारार्थ क्षेत्र हेतु तैयार किए गए थे। यू.पी. राज्य विद्युत परिषद् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ बनाम यू.पी. स्टेट इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपात को पूरा करता है, जिसमें पृथक विचारार्थ क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। यह भी सूचित किया गया था कि श्री गोपाल मीणा के मामले में ओ.ए. 688/05 का निपटान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधानपीठ नई दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश के मामले में (ऊपर उल्लेख किया गया है) उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए निपटान किया गया और इसलिए विधि कार्य विभाग का मत है कि राम सिंह मीणा बनाम भारत संघ के मामले में ओ.ए. 66/02 में जोधपुर पीठ द्वारा पारित आदेश/निर्णय किसी असक्तता से पीड़ित नहीं था और तद्नुसार जोधपुर पीठ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

2.4.2.7 आयोग ने अपने दिनांक 04-09-2006 के पत्र के तहत यह सूचना प्राप्त करने के लिए सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को लिखा कि उसे विधि कार्य विभाग द्वारा दी गई सलाह के बारे में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। दिनांक 03-08-2006 (ऊपर उल्लेख किया गया है) के पत्र में इस आयोग के पृष्ठांकन के उत्तर में इस आयोग को दिनांक 17-07-2006 की विधि कार्य विभाग की सलाह की एक प्रति इस आयोग को उपलब्ध कराई गई थी। उसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उन्हें पहले से ही भेजा जा चुका है। आयोग ने पाया कि विधि कार्य विभाग की सलाह एक तरफ किसी सीमा तक अपने आप में परस्पर विरोधी है, विधि कार्य विभाग ने सी.डी. भाटिया बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम

न्यायालय की सुस्पष्ट टिप्पणी को भेजा था, जिसमें यू.पी. स्टेट विद्युत राज्य परिषद् का मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून भारत संघ सहित सभी प्राधिकरणों पर बाध्य है और आगे बताया गया था कि यूपी स्टेट राज्य विद्युत परिषद के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के आधार पर बाध्य है, दूसरी तरफ विधि कार्य विभाग ने सूचित किया था कि 'हमारा मत है कि राम सिंह मीणा बनाम भारत संघ के ओ.ए. 62/02 में केन्द्रीय प्रशासन अधिकरण जोधपुर पीठ द्वारा पारित आदेश निर्णय किसी असक्तता से पीड़ित नहीं है।' यह बताया गया था कि विधि कार्य विभाग द्वारा दी गई सलाह सही प्रतीत नहीं होती है और जोधपुर पीठ का निर्णय, उच्चत न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर कोई अभिभावी प्रभाव नहीं होना चाहिए, जिससे बासुदेव अनिल के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में तदर्थ पदोन्नतियों के मामले में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा पहले से ही कार्यान्वित किया जा चुका है।

2.4.2.8 ऊपर उल्लिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने दिनांक 08-09-2006 के पत्र (प्रति **अनुबंध 2.II** पर संलग्न है) के तहत यूपी राज्य विद्युत परिषद् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ बनाम यूपी स्टेट इलेक्ट्री सीटी बोर्ड एवं अन्य और तदर्थ पदोन्नतियों के बारे में जो पैरा 2.4.2.3 के नीचे उद्रित गोपाल मीणा बनाम भारत संघ के मामले में ओ. ए. सं0 688/2005 में दिनांक 19 अक्तूबर, 2005 के उसके निर्णय में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विचारार्थ क्षेत्र के आकार पर कोई सीमा नहीं रखता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 15 मार्च, 2002 के अनुदेशों के आधार पर चयन द्वारा नियमित पदोन्नतियों के मामले में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए पृथक विचारार्थ क्षेत्र के बारे में सी.डी. भाटिया बनाम संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन में संशोधित अनुदेश जारी करने के लिए सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध किया किया है। आयोग के दिनांक 08-09-2006 के पत्र की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु विधि कार्य विभाग को भी पृष्ठांकित की गई थी।

2.4.2.9 आयोग को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। इसी बीच ऊपर उल्लिखित मामले में (ओ.ए. सं. 988/2005) 19 आवेदकों ने पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूतिचत जनजातियों के लिए पृथक विचारार्थ क्षेत्र तैयार करने के मामले में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रधानपीठ, नई दिल्ली से उनके 2005 के ओ.ए.सं. 688 में उनके आदेशों के पालन में अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए एक और आवेदन दायर किया है। माननीय अधिकरण ने गोपाल मीणा एवं अन्य बनाम भारत संघ (सचिव, राजस्व विभाग के माध्यम से) *ओ.ए. सं. 216/2006 और एम.ए. सं. 1233/2006 में अपने दिनांक 10 जुलाई, 2007 के आदेश द्वारा ओ.ए. सं. 688/2005 (ऊपर उल्लेख किया गया है) में अपने निर्णय को दोहराया है। यह पाया गया है कि ' ओ.ए. सं. 688/2005 में दिनांक 19-10-2005 के इस अधिकरण के आदेश द्वारा जारी किए गए निदेश को पालन करने में प्रतिवादियों द्वारा कार्रवाई करने/कार्रवाई न करने में किसी औचित्य और उपयुक्तता को पाने में हम असमर्थ हैं। जब यह विशेष रूप से सूचित किया गया था कि ऊपर उल्लिखित मामलों में अर्थात यूपी राज्य विद्युत परिषद और सी.डी. भाटिया के मामलों माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक विचारार्थ क्षेत्र गठन करने के लिए कहा गया था और उक्त वर्ग को सामान्य वर्ग के साथ मिश्रित न करने ताकि आरक्षण का मुख्य प्रयोजन बनाए रखा और पूरा किया जा सके।'* इस निर्णय की एक प्रति सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को इस आयोग के दिनांक 08-08-2007 के अर्द्धशासकीय पत्र के तहत उनकी सूचना और उनके स्तर पर माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली की टिप्पणियों के प्रकाश में पृथक विचारार्थ

क्षेत्र तैयार करने के मामले में संशोधित अनुदेश जारी करने के बारे में भेज दी गई है। **आयोग का विचार है कि मामले में काफी विलम्ब हो गया है और मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण की दो पीठों (जोधपुर पीठ और प्रधान पीठ, नई दिल्ली) दो परस्पर विरोधी निर्णयों से उत्पन्न स्थिति को हल करने का रास्ता खोजना चाहिए और यूपी राज्य विद्युत परिषद एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ बनाम यूपी स्टेट इलेक्टीसीटी बोर्ड और सी.डी. भाटिया एवं अन्य बनाम एवं भारत संध एव ंअन्य के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के टिप्पणियों के अनुपालन में चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक विचारार्थ क्षेत्र की व्यवस्था करने के लिए दिनांक 15-03-2002 के कार्यालय ज्ञापन सं0 36012/27/2000-स्था0 (आरक्षण) में वर्णित अनुदेशों को संशोधित किया जाए।**

2.5 भर्ती के प्रत्येक तरीके में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों की गणना।

2.5.1 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 मई 1998 के कार्यालय ज्ञापन सं0 14017/2/97-स्थापना (आर0आर0) के पैरा 2 में निम्न प्रकार से व्यवस्था की गई है:-

> " आर0के0 सबरवाल के मामले में अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने विद्यमान एक रिक्ति" आधारित आरक्षण रोस्टर से 'पद' आधारित रोस्टर में परिवर्तन करने के पक्ष में निर्णय दिया है। विद्यमान नीति के अधीन भर्ती के लिए भिन्न-भिन्न कोटों का निर्धारण रिक्ति पर आधारित है। उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन के आदेश में जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 2 जुलाई 1997 के कार्यालय ज्ञापन सं0 36012/2/96-स्था0(आरक्षण) के तहत कार्यान्वित किया जा चुका है, यह आवश्यक होगा कि दिनांक 18 मार्च, 1988 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा निदेशों में अनुबंध-I के स्तंभ 11 के अधीन विद्यमान सेवा नियमों/भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए "विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली 'रिक्तियों' की प्रतिशतता " नामक शब्दों से " विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले 'पदों' की प्रतिशतता" नामक शब्दों द्वारा प्रतिष्ठापित करते हुए आवश्यक संशोधन करना होगा।

2.5.2 स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य बनाम डॉ आर.एन.भटनागर एवं अन्य के मामले में 1997 की सी डब्ल्यू पी सं0 5893 में दिनांक 11-12-1998 के माननीय उच्चतम न्यायालय के अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया था।

> " विभागीय पदोन्नति और सीधी भर्ती की प्रतिशतता का कोटा रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए रोस्टर बिन्दुओं के आधार पर निकाला जाना है जो दिए गए समय पर देय होता है ..... सीधी भर्ती द्वारा भर्ती करने के द्वारा सृजित रिक्ति भरने अथवा एक पदोन्नति द्वारा पदोन्नति करने के द्वारा सृजित रिक्ति को भरने का प्रश्न नहीं है।"

2.5.3 माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 16(4) के संबंध में और आरक्षण की स्कीम के अनुसार अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पदों का आरक्षण प्राप्त करने के लिए रोस्टर के प्रचालन में आर.के. सबरवाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य के मामले में दिनांक 10-02-1995 के उसके निर्णय में संविधान पीठ द्वारा दिया गया निर्णय नियुक्ति

के तरीके की स्कीम के लिए सेवा में नहीं लगाया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऑल इण्डिया फेररेशन ऑफ सेन्ट्रल ऑकसाइज बनाम एवं अन्य भारत संघ (1997 की रिट याचिका सिविल सं0 651 के साथ 1988 की रिट याचिका सिविल सं0 306 में सं0 4, 6-8) में अपने दिनांक 22-02-1995 के निर्णय में इस मामले का भी उल्लेख किया था और ऊपर उल्लिखित निर्णय दोहराया था।

2.5.4 माननीय उच्चतम न्यायालय की ऊपर उल्लिखित टिप्पणियों के अनुपालन में कार्मिक एवं विभाग ने अपने दिनांक 19 जनवरी, 2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14017/2/1997-स्था0 (आर0आर0)/भाग (अनुबधं 2.III) के तहत दिनांक 25 मई, 1998 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 में वर्णित अनुदेशों को रद्द किया और दिनांक 18-03-1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी-14017/12/87 के साथ संलग्न अनुबंध I के स्तंभ 11 को उसी रूप में जारी रखने के लिए पेरा 2.4.1 के नीचे दोहराया जो दिनांक 25-05-1998 का कार्यालय ज्ञापन जारी करने से पूर्व विद्यमान था। संदर्भाधीन अनुबंध-I का स्तंभ 11 'भर्ती के तरीके' से संबंधित है। इस कार्यालय ज्ञापन 19-01-2007 के इस कार्यालय ज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया था कि इस स्तंभ के अधीन मंत्रालयों/विभागों को भर्ती का तरीका 'सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/विलियन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता' इंगित करना अपेक्षित होगा।

2.5.5. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक उदाहरण के जरिए यह स्पष्ट किया गया था कि शब्द 'संवर्ग संख्या', जिसका उल्लेख उनके दिनांक 02-07-1997 के कार्यालय ज्ञापन सं0 36012/2/96-स्था0 (आरक्षण) में किया गया है का अभिप्राय संगत भर्ती नियमों के अनुसार एक विशेष भर्ती के तरीके द्वारा भरे जाने वाले पदों की अपेक्षित संख्या से है। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया गया था कि जब भर्ती रिक्ति के आधार पर की जाती थी तो यह संभव था कि किसी समय सीधी भर्ती का हिस्सा बढ़ जाए और पदोन्नति का हिस्सा कम हो जाए अथवा विलोमता। ऐसे मामलों में सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए संवर्ग संख्या वर्षानुवर्ष परिवर्तित हो जाएगी और उसके परिणामस्वरूप सीधी भर्ती कोटा और पदोन्नति कोटा में आरक्षित पदों की संख्या भी वर्षानुवर्ष परिवर्तित हो जाएंगी। इस स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक उदाहरण भी दिया गया था जिसके जरिए यह स्पष्ट किया गया था कि यदि एक श्रेणी की स्वीकृत संख्या 1000 है और उक्त श्रेणी के लिए भर्ती नियमों में व्यवस्था की गई है कि रिक्तियों का 50 प्रतिशत खुली प्रतियोगिता द्वारा अखित भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरी जाएंगी, इस मामले में सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए क्रमशः आरक्षण 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत होगा और पदोन्नति में आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत होगा। यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि सभी 1000 पद वर्ष 2000 में भरे गए थे तो 500 अर्थात पदों का 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरा गया था और शेष 500 अर्थात् पदों का 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा गया था। सीधी भर्ती कोटा में वर्ष 2000 में आरक्षित पदों की संख्या अनुसूचित जातियों के लिए 75 अनुसूचित जनजातियों 37 और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 135 और पदोन्नति कोटा में पदों की संख्या अनुसूचित जातियों के लिए 75 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 37 होगी। उक्त उदाहरण यह भी बतलाता है कि यदि वर्ष 2001 में किसी श्रेणी में कुल 200 रिक्तियां थी तो उन में से 50 पद सीधी भर्ती कोटा द्वारा और पदोन्नति कोटा से 150 अभ्यार्थियों द्वारा किए गए थे, सीधी भर्ती कोटा में पद धारियों की संख्या 450 और पदोन्नति कोटा में 350 हो गई थी। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया गया था कि चूंकि भर्ती नियमों में सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा क्रमशः 50 प्रतिशत और 50 प्रतिशत रिक्तियां भरे जाने की व्यवस्था है, वर्ष 2001 में 100 रिक्तियां (उस वर्ष में कुल 200 रिक्तियों में से सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा 100 रिक्तियों भरी जाएंगी। इस प्रकार उस वर्ष में सीधी भर्ती कोटा के लिए संवर्ग संख्या 550 हो जाएगी और पदोन्नति कोटा

के लिए यह 450 हो जाएगी तथा उस वर्ष में सीधी भर्ती कोटा में आरक्षित पदों की संख्या अनुसूचित जातियों के लिए 82 अनुसूचित जनजातियों के लिए 41, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 148 और पदोन्नति कोटा में आरक्षित पदों की संख्या अनुसूचित जातियों के लिए 67 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 33 होगी।

2.6 गोवा राज्य के बारे में स्थानीय/क्षेत्रीय आधार पर समूह ग और घ पदों में सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता

2.6.1 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 5 जुलाई, 2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36017/2004-स्थापना (आरक्षण) के तहत वर्ष 2001 की जनगणना में अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के समुदायों के जनसंख्या आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार की सेवाओं में सामान्यता स्थानीय अथवा एक क्षेत्र से अभ्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए समूह ग और घ पदों में सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की संशोधित प्रतिशतता संबंधी अनुदेश भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किए थे। आयोग के ध्यान में आया कि गोवा राज्य के बारे में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता 0.00 थी। आयोग ने पाया कि गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जो वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 0 प्रतिशत के रूप में दर्शायी गई थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत जो दिनांक 7 जनवरी, 2003 को अधिसूचित किया गया था, अनुसूचित जनजातियों के रूप में तीन समुदायों नामतः कुन्बी, गावड़ा और वैलित को शामिल करने के कारण यह बढ़कर लगभग 12 प्रतिशत हो गई थी। आयोग ने आरक्षण की प्रतिशतता को 0 प्रतिशत से 12 प्रतिशत बढ़ाने के लिए मामला कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ उठाया। आयोग ने वर्ष 2001 की जनगणना के बाद अनुसूचित जनजातियों की संख्या में 0 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्थानीय/क्षेत्रीय आधार पर केन्द्र सरकार की सेवा में समूह ग और घ पदों में भर्ती के लिए गोवा राज्य में आरक्षण की प्रतिशतता में संशोधन की सिफारिश भी की। इस मामले पर दिनांक 25 जनवरी, 2007 को राज्य सरकार के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोग की पणजी में हुई समीक्षा बैठक के दौरान विचार-विमर्श भी किया गया जिसमें आयोग को सूचित किया गया था कि राज्य सरकार इस संबंध में भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजने के लिए कार्रवाई कर रही है।

2.6.2 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 20 अप्रैल, 2007 के पत्र के तहत आयोग को सूचित किया कि गोवा राज्य की सरकार ने स्थानीय अथवा एक क्षेत्र से उम्मीदवारों को सामान्य रूप से आकर्षित करने के लिए समूह ग और घ पदों के बारे में केन्द्र सरकार की सेवा में सीधी भर्ती के मामले में गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता 12 प्रतिशत पर पुनः निर्धारित करने हेतु एक प्रस्ताव भेजा था। यह बताया गया था कि योजना और सांख्यिकीय विभाग, गोवा राज्य के प्रायवेक्षणाधीन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से उनके द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदायों का एक सर्वेक्षण करवाया गया था और पाया कि गोवा राज्य मे अनुसूचित जनजाति समुदायों की जनसंख्या 12.07 प्रतिशत है। आयोग को प्रस्ताव पर अपने विचार देने के लिए अनुरोध किया गया था और तद्नुसार आयोग ने अपने दिनांक 26-04-2007 के पत्र के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सूचित किया कि वह गोवा सरकार की प्रस्ताव उसके द्वारा समर्थित है।

2.7.1 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

2.7.1.1 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 01-01-2005 को केन्द्र सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों का वास्तवित प्रतिनिधित्व निम्नलिखित तालिका में दिया गया:-

समूह	कुल	अनुसूचित जनजातियो का प्रतिनिधित्व	प्रतितशता
(1)	(2)	(3)	(4)
क	80589	3448	4.3
ख	139958	6230	4.5
ग	2036103	131678	6.5
घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	767224	53032	6.9
सफाई कर्मचारी	81174	4012	4.9
कुल (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	3023874	194388	6.43
कुल (सफाई कर्मचारियों को जोड़कर)	3105048	198400	6.39

टिप्पणी:- उपर्युक्त आंकड़ों में दो मंत्रालयों के बारे में सूचना शामिल नहीं है।

2.7.1.2 आज की तारीख के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए चयन द्वारा पदोन्नति में समूह क पदों के भीतर आरक्षण नहीं है किन्तु समूह क के निम्नतम स्तर तक आरक्षण है। समूह क, ख और ग में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षण है। उपरोक्त तालिका से प्रकट होता है कि समूह ख, ग और घ पदों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 7.5 की निर्धारित प्रतिशतता से कम है। यह सुस्पष्ट है कि यह स्थिति संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन समूदायों की कमी से न भरे जाने के कारण उत्पन्न हुई है। आयोग इस तथ्य पर अपनी चिन्ता व्यक्त करता है **और सिफारिश करता है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को विभिन्न पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए मामला सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों विशेष कर जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण हैं, के साथ उठाना चाहिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कमी/बैकलॉग रिक्तियों को विशेष भर्ती अभियान चला कर और/अथवा तदर्थ पदोन्नतियों द्वारा भरने की सलाह दी जाए, यदि चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में बढ़ाए गए विचारार्थ क्षेत्र में पात्र अनुसूचित जनजाति अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं है।**

2.7.2 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

2.7.2.1 201 सार्वजनिक उद्यमों के बारे में भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम (सार्वजनिम उद्यम विभाग) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर दिनांक 01-01-2006 को पदों की विभिन्न श्रेणियों अर्थात् समूह क, ख, ग और घ में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित तालिका में दिए गए अनुसार है:-

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जनजातियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
क	164267	5874	3.57
ख	162167	10121	6.24
ग	677143	64125	9.46
घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	237096	29878	12.60
कुल	1240673	109998	8.86
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	13398	232	1.73
कुल योग	1254071	110230	8.78

टिप्पणी: समूह 'क' कार्यकारी स्तर, समूह 'ख' पर्यवेक्षीय स्तर, समूह 'ग' श्रमिक/लिपिकीय स्तर समूह 'घ' अर्धकुशल/अकुशल मजदूर।

2.7.2.2 आयोग नोट करता है कि दिनांक 01-01-2006 को समूह ख में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में दिनांक 01-01-2004 की स्थिति जो 5.73 थी की तुलना में सुधार हुआ है। परन्तु यह तथ्य रहता है कि उनका प्रतिनिधित्व 7.5 की निर्धारित प्रतिशतता से कम है और तद्नुसार **आयोग सिफारिश करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम विभाग को 7.5 प्रतिशत के निर्धारित स्तर तक उनका प्रतिनिधित्व लाने के लिए विशेष भर्ती अभियानों के जरिए समूह ख पदों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कमी/बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए संयुक्त प्रयास करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सलाह देनी चाहिए।**

2.7.3 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

2.7.3.1 दिनांक 31-12-2006 को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में नम्बर i अधिकारियों ii लिपिकों और अधीनस्थ स्टाफ के संवर्ग के बारे में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित तालिका में दिए गए अनुसार है:-

क्र.सं.	बैंकों का नाम	कार्यालय			कलर्क			सब-स्टाफ		
		कुल	एसटी	प्रति0	कुल	एसटी	प्रति0	कुल	एसटी	प्रति0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	इलाहाबाद बैंक	8157	510	6.25	7410	925	3.98	3126	224	7.17
2.	आन्ध्रा बैंक	7959	452	5.68	2793	45	1.61	2259	152	6.73
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	13393	806	6.01	16532	793	4.78	6772	636	9.4
4.	बैंक ऑफ इंडिया	14705	1093	7.43	17813	1022	5.74	6477	595	9.2
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	4335	720	16.61	6701	413	6.16	2931	256	8.8
6.	केनरा बैंक	16966	1115	6.57	19074	866	4.54	8147	378	4.7
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	11762	694	5.9	16760	963	5.75	8421	603	7.16
8.	कोरपोरेशन बैंक	4451	186	4.18	4845	247	5.1	1551	90	5.80
9.	देना बैंक	3522	275	7.81	4081	475	11.64	2414	339	14.04

10.	इंडियन बैंक	8163	444	5.44	9665	266	2.75	3128	143	4.57
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	7876	443	5.62	11879	301	2.53	3254	137	4.21
12.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	6703	304	4.54	5135	173	3.37	2635	133	5.04
13.	पंजाब नेशनल बैंक	18966	1014	5.35	27629	852	3.08	10389	590	5.68
14.	पंजाब और सिंध बैंक	4474	155	3.47	3370	57	1.7	1547	35	2.26
15.	सिन्डीकेट बैंक	9571	572	5.98	11236	607	5.4	3634	251	6.90
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	11178	685	6.13	8765	309	3.53	5282	427	8.08
17.	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	5351	345	6.45	7758	236	3.04	3837	136	3.54
18.	यूको बैंक	8141	483	5.93	11568	500	4.32	4167	197	4.73
19.	विजय बैंक	4297	220	5.12	4725	156	3.30	1814	123	6.78
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	57418	3034	5.29	85747	4744	5.53	41604	2499	6.00
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	4209	312	7.41	5026	332	6.60	2633	280	10.63
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	5063	286	5.65	5253	351	6.68	2674	187	7.00
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	2277	149	6.54	3134	567	18	1185	240	20.25
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	3105	222	7.15	4480	180	4	1557	90	5.78
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	4090	98	2.4	5068	28	.55	2257	58	2.56
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	2112	127	6.01	3287	374	11	1652	176	10.65
27.	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	3812	112	2.94	5123	161	3	2043	100	4.90
28.	आईआईबीआई	50	2	4	24	0	0	20	0	0
29	आईडीबीआई	4424	117	2.64	2018	75	4	1009	73	7.23
30.	नाबार्ड	3002	207	6.9	1088	91	9	980	114	11.63
31.	ईएक्सआईएम बैंक	206	20	9.71	0	0	0	08	0	0
32.	नेशनल हाउसिंग बैंक	73	4	5.5	0	0	0	0	0	0
33.	एस.आई.डी.बी. आई.	642	30	4.67	107	10	10	74	15	20.27
34.	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया	6712	451	6.72	7500	745	10	6190	618	10.00
	योग	267171	15229	5.70	325573	16234	4.98	145670	9895	6.8

स्रोत: आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग)

2.7.3.2 उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (2.4 प्रतिशत), पंजाब एण्ड सिंध बैंक (3.4 प्रतिशत) और आईआईबीआई बैंक (4 प्रतिशत) को छोड़कर सभी बैंकों में अधिकारियों के संवर्ग में अनुसूचित जनजातियों का कुल प्रतिनिधित्व 4.98 प्रतिशत पूर्ण रूप से संतोषजनक है। सभी बैंकों

में लिपिकों के संवर्ग में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 6.8 प्रतिशत है जो 7.5 प्रतिशत के निर्धारित स्तर से कम है। परन्तु कुछ बैंकों में नामतः स्टेट बैंक ऑफ इंदौर (18 प्रतिशत), देना बैंक (11.64 प्रतिशत), स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र (11 प्रतिशत) एसआईडीबीआई (10), आरबीआई (10 प्रतिशत) में निर्धारित स्तर से ऊपर है। कुछ बैंकों में लिपिकों के संवर्ग में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 7.5 की निर्धारित प्रतिशतता से बहुत कम है, जिसके बारे में प्रतिशतता 3 और 4 प्रतिशत के बीच है और कुछ बैंकों के बारे में ये प्रतिशतता 5 और 6 के बीच है। जहां तक अनुसूचित जनजातियों के लिए अधीनस्थ स्टाफ संवर्ग में प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता का संबंध है, कुछ बैंकों को छोड़कर जिसमें अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 2 से 5 प्रतिशत के बीच है। अधिकांश बैंकों में, यह 7.5 की निर्धारित प्रतिशतता के निकट है अथवा उससे अधिक है।

2.7.3.3 वर्ष 2001 और उसके बाद से संबंधित बैंक स्टाफ की सभी तीन श्रेणियों अर्थात् अधिकारी संवर्ग, लिपिक संवर्ग और अधीनस्थ स्टाफ संवर्ग के लिए भर्ती अभिकरण हैं और इसलिए आयोग, कुछ बैंकों में अधिकारी संवर्ग अथवा लिपिक संवर्ग अथवा अधीनस्थ स्टाफ संवर्ग अथवा सभी तीन संवर्गों के बारे में अनुसूचित जनजातियों के कम प्रतिनिधित्व को समझने में असमर्थ है। ऐसा लगता है कि चूक कर्ता बैंकों ने अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। **आयोग सिफारिश करता है कि आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) को विशेष भर्ती अभियान द्वारा अथवा जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ती दलों को भेजकर अथवा दोनों द्वारा अनुसूचित जनजाति रिक्तियों की कमी/बैकलॉग को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम (एक वर्ष से अधिक की अवधि का नहीं) तैयार करने के लिए चूक कर्त्ता बैंकों को सलाह देनी चाहिए।**

2.7.3.4 श्री हरि शंकर शाहा और श्री राज कुमार शाह (अनुसूचित जनजाति) जिन्होंने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चलाए गए विशेष भर्ती अभियान के अधीन अधीनस्थ स्टाफ के पद के लिए पत्र दिए थे, से प्राप्त अभ्यावेदनों के बारे में इस आयोग में दिनांक 11 अप्रैल, 2007 को हुई सुनवाई में यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोग को सूचित किया गया था कि उन्होंने बैंक में अधीनस्थ स्टाफ के बारे में पद आधारित रोस्टर के आधार पर बैकलॉग की पहचान कर ली है और विशेष भर्ती अभियान चलाया था जिसके बारे में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे और पात्र अनुसूचित अभियार्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और साक्षात्कार की प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी। इस निर्णायक स्थिति पर बैंक प्राधिकरण ने आवेदकों को निराश कर दिया और आघात पहुंचाते हुए विशेष भर्ती अभियान के अधीन की गई पूरी कार्रवाई को रद्द कर दिया। महाप्रबन्धक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आयोग को आगे सूचित किया गया कि यह कदम, बैंक द्वारा सीधी भर्ती और पदोन्नति कोटा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा चलाए गए विशेष भर्ती अभियानों के बारे में दिनांक 15-07-2005 को अपर सचिव (एफएस), वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) की अध्यक्षता में हुई बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) द्वारा दी गई सलाह पर, बैंक द्वारा उठाया गया था। महाप्रबन्धक द्वारा यह भी बताया गया था कि उक्त बैठक के कार्यवृत्त के पैरा 6(3) में उल्लिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष भर्ती अभियान को रद्द किया गया था। जिसमें कहा गया था कि " बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को पद आधारित आरक्षण रोस्टर के आधार पर निर्धारित किया जाना है । चूंकि पद आधारित आरक्षण दिनांक 02-07-1997 से आरम्भ किया गया था इसलिए इस अवधि से पहले कोई बैकलॉग आरक्षित रिक्ति नहीं हो सकती है"।

2.7.3.5 आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया था कि आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) द्वारा दी गई सलाह और विशेष भर्ती अभियान को वापस लेने की बैंक द्वारा की गई कार्रवाई कमी और आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग की पहचान करने के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के घोर उल्लंघन है, जिसमें अन्य बातों

के साथ-साथ पद की प्रत्येक श्रेणी और बैकलॉग की पहचान करने के बारे में दिनांक 02-07-1997 की स्थिति के अनुसार पद आधारित रोस्टर में पद धारण स्थिति की प्लोटिंग अपेक्षित थी। इस संबंध में उनका ध्यान संविधान (81वां संशोधन) अधिनियम, 2000 की ओर भी ड्रा किया गया था। जिसमें किसी उत्तरवर्ती वर्ष अथवा वर्षों में भरी जाने वाली रिक्तियों को एक पृथक वर्ग के रूप में पिछले वर्षों की न भरी गई बैकलॉग रिक्तियां मानने के लिए व्यवस्था करने हेतु और ऐसे रिक्तियों के पृथक वर्ग को उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या पर 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा से बाहर रखने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 16(4ख) सम्मिलित किया गया था। महाप्रबन्धक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का ध्यान सीधी भर्ती और पदोन्नति में बैकलॉक रिक्तियों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाने से संबंधित दिनांक 5 अगस्त, 2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36038/1/2004-एस्ट (रिज0) के तहत बाद में जारी किए गए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के बाद में जारी किए गए अनुदेशों के ओर भी दिलवाया गया था तथा यदि पहले के अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के साथ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की अदला-बदली के कारण अनुसूचित जातियों के बारे में अधिक और अनुसूचित जनजातियों के बारे में कम थी तो उस अधिक को आगामी बिन्दुओं के स्थान पर समायोजित किया जाए और अनुसूचित जनजातियों के बारे में बैकलॉग/कमी को विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से भरा जाए। आयोग के पत्र में यह भी बताया गया था कि जबकि यह सही है कि रिक्ति आधारित रोस्टर के आधार पर दिनांक 02-07-1997 से आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग की गणना नहीं की जानी थी, जो दिनांक 02-07-1997 को पद आधारित रोस्टर के आधार पर परिवर्तन के उपरान्त तत्काल ही समाप्त हो गई, यह भी सही है कि उस समय पदों की प्रत्येक श्रेणी के बारे में उस तारीख को कुल स्वीकृत संख्या और वास्तव में भरे गए पदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पीवीआर पर वास्तविक आरक्षण बिन्दुओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की वास्तविक पदधारिता की गणना करने के बाद बैकलॉग की गणना नये सिरे से की जानी थी।

2.7.3.6 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की गई ऊपर उल्लिखित कार्रवाई को इस आयोग के दिनांक 16-04-2007 के पत्र के तहत सचिव, (वित्तीय क्षेत्र) आर्थिक कार्य विभाग के ध्यान मे इस अनुरोध के साथ लाया गया कि वे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दिनांक 2 जुलाई, 1997 (रिक्ति आधारित रोस्टर के स्थान पर पद आधारित रोस्टर के रूप में परिवर्तन की तरीख) की स्थिति के अनुसार बैकलॉग की गणना दुबारा करने के लिए नए अनुदेश जारी करें और उसके बाद बैकलॉग रिक्तियों को विशेष भर्ती अभियान चला कर भरा जाए। इसके अतिरिक्त यह बताया गया था कि दिनांक 15-07-2005 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर कुछ अन्य बैंकों (यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अलावा) ने भी बैकलॉग रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया को बीच में रद्द कर दिया हो और इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि बैंको को स्थिति स्पष्ट की जाए। सचिव, आर्थि कार्य विभाग द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से एक स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है जिसके आधार पर बैंकिंग प्रभार में आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

2.7.3.7 आयोग तीव्र व्यथा के साथ नोट करता है कि दिनांक 02-07-1997 के कार्यालय ज्ञापन के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों की गलत व्याख्या ने बैंकों को गलत संदेश भेजा है जिसके कारण उनमें से उन के द्वारा बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए प्रारम्भ की गई भर्ती प्रक्रिया को भी रद्द करना पड़ा है और इसलिए **यह सिफारिश करता है कि आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) द्वारा सभी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कम्पनियों सहित वित्तीय संस्थाओं की एक बैठक दुबारा बुलाई जाए, उन से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऊ पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन में दिए गए अनुसार सही ढंग से अनुसूचित जनजातियों के लिए कमी/आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों की गणना दोबारा करने के लिए कहा जाए और अधिकतम एक वर्ष की अवधि के भीतर उन्हें भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए जाएं**

तथा उसके उपरान्त प्रत्येक बैंक और वित्तीय संस्था में बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों और उन्हें भरने के लिए उनके द्वारा की गई कार्रवाई बारे में आयोग को सूचित किया जाए।

2.7.4 सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों में दिनांक 01-01-2006 को समूह क, ख, ग, और घ पदों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

2.7.4.1 सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कम्पनियों में दिनांक 01-01-2006 को समूह क, ख, ग, और घ पदों में अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित तालिका में दिए गए अनुसार है:-

क्र.सं.	बीमा कम्पनी का नाम	समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	इन्श्योरेन्स रेग्युलेटरी एण्ड डेवलपमेंट ऑथोरिटी, हैदराबाद	समूह 'क'	33	1	3.03
		समूह 'ख'	11	0	0.00
		समूह 'ग'	14	0	0.00
		समूह 'घ'	2	0	0.00
		कुल	60	1	1.67
2.	लाइफ इन्श्योरेन्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई	समूह 'क	19975	1242	6.22
		समूह 'ख'	18847	1015	5.39
		समूह 'ग'	70106	5293	7.55
		समूह 'घ'	4256	349	8.20
		कुल	113184	7899	6.98
3.	जेनरल इन्श्योरेन्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई	समूह 'क'	104	6	5.77
		समूह 'ख'	0	0	0
		समूह 'ग'	158	14	8.86
		समूह 'घ'	60	7	11.67
		कुल	322	27	8.39
4.	नेशनल इन्श्योरेन्स	समूह 'क'	4260	186	4.37

	कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता				
		समूह 'ख'	2046	45	2.20
		समूह 'ग'	8182	577	7.05
		समूह 'घ'	2208	152	6.88
		कुल	16696	960	5.75
5.	द न्यू इंडिया इन्शारेन्स कोरपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई	समूह 'क'	5040	252	5.00
		समूह 'ख'	3055	93	5.00
		समूह 'ग'	10060	783	3.04
		समूह 'घ'	2632	204	7.78
		कुल	20787	1332	6.41
6.	ऑरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, न्यू दिल्ली	समूह 'क'	4254	200	4.70
		समूह 'ख'	2072	69	3.33
		समूह 'ग'	7461	546	7.32
		समूह 'घ'	2397	175	7.30
		कुल	16184	990	6.12
7.	यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चेन्नई	समूह 'क'	4225	189	4.47
		समूह 'ख'	2188	79	3.61
		समूह 'ग'	9140	643	7.04
		समूह 'घ'	2654	213	8.03
		कुल	18207	1124	6.17
8.	एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, न्यू दिल्ली	समूह 'क'	79	4	5.06
		समूह 'ख'	0	0	0.00
		समूह 'ग'	41	4	9.76
		समूह 'घ'	7	1	14.29

		कुल	127	9	7.09
	कुल योग	**क,ख,ग और घ**	185567	12342	6.65

बीमा कम्पनियों में अनुसूचित जनजातियों का कुल प्रतिनिधित्व

समूह 'क'	37970	2080	5.47
समूह 'ख'	28219	1301	4.61
समूह 'ग'	105162	7860	7.49
समूह 'घ'	14216	1101	7.74

2.7.4.2 उपर्युक्त तालिका का अवलोकन स्पष्ट करता है कि अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार से है:-

(i) इन्श्योरेन्स रेग्युलेटरी एण्ड डेवलेपमेन्ट ओथोरिटी, हैदराबाद में समूक 'क' में 7.5 की निर्धारित प्रतिशतता के स्थान पर 3.03 है और समूह 'ग' में एक की अपेक्षित संख्या (कुल संख्या 14 होने के कारण) के स्थान पर 0 है।

(ii) नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता में (श्रेणी ' ख') बहुत कम अर्थात् 2.2 प्रतिशत है।

(iii) द न्यू इंडिया इन्शोरेन्स कोरपोरेशन लिमिटेड, मुम्बइ में समूह 'ग' पदों 3.04 प्रतिशत और समूह 'ख' 5 प्रतिशत, जो 7.5 की निर्धारित प्रतिशतता से कम है।

(iv) ऑरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, न्यू दिल्ली और यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चेन्नइ समूह 'ख' पदों में 7.5 की निर्धारित प्रतिशतता की तुलना में क्रमश: 3.33 और 3.61 है।

2.7.4.3 समूह 'ख' पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षण के लिए प्रावधान है और इसलिए आयोग समूह 'ख' पदों में कम प्रतिनिधित्व (अर्थात् अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत से कम) के लिए कारण समझने में असमर्थ है। **आयोग सिफारिश करता है कि आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग), द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई, नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता, दी न्यू इंडिया एषोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई, ऑरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली और यूनाइटेड इंडिया इन्शयोरेन्स कम्पनी, चेन्नई को विशेष भर्ती अभियान चलाने और एक समयबद्ध सीमा के भीतर समूह 'ख' पदों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कमी/आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए सलाह दी जाए। उसी आधार पर आर्थिक कार्य विभाग को भी न्यू इंडिया एषोरेन्स कम्पनी लिमिटेड को समूह 'ग' पदों में 3.04 प्रतिशत से अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का स्तर बढ़ाने के लिए विशेष भर्ती अभियानों द्वारा 7.5 प्रतिशत के वांछित स्तर तक पहुंचाने के लिए संयुक्त प्रयास करने के लिए सलाह दी जाए।**

2.7.5 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन और गैर–अध्यापन पदों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

2.7.5.1 आयोग के साथ हुई एक बैठक में, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों डीम्ड विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य अनुदान सहायता प्राप्त संस्थाओं और केन्द्रों में सरकार की आरक्षण नीति के कड़ाई से कार्यान्वयन हेतु उनके द्वारा जारी किए गए दिशा- निर्देशों (2006) की एक प्रति

दी। ये दिशा निर्देश अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय माने जाने वाली ऐसी संस्थाएं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(1) के अधीन अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सार्वजनिक निधियों से सहायता प्राप्त कर रहे हैं। आरक्षण का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निदेश देते हैं।

2.7.5.2.1 दिनांक 26 जुलाई, 2007 के पत्र संख्या एफ.1-18/2006(एससीटी)/विविध के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, वर्ष 2006-07 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में **अध्यापन पदों** में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित तालिका में दिए गए अनुसार था:-

S. No.	विश्वविद्यालय का नाम	प्रोफेसर		रीडर		लेकचरार		
		स्थिति में,	अनु. जन.जा.	स्थिति में,	अनु. जन.जा.	स्थिति में,	अनु. जन.जा.	अनु.जन. जा. की कमी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	एएमयू	276 (173)	0	436 (363)	0	401 (857)	0	64
2.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	278 (389)	0	166 (298)	0	278 (389)	0	29
3.	असम विश्वविद्यालय (शीलचर)	19 (28)	0	41 (61)	0	103 (118)	7	2
4.	बीएचयू	109 (257)	0	327 (540)	1	770 (1035)	16	62
5.	बीबीए विश्वविद्यालय	17 (41)	2	9 (18)	0	5 (15)	0	1
6.	दिल्ली विश्वविद्यालय	276 (189)	0	255 (403)	1	115 (434)	5	28
7.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	84 (116)	5	108 (125)	1	66 (74)	0	6
8.	जेएनयू	89 (134)	0	187 (220)	0	190 (215)	10	6
9.	जामिया मिलिया इस्लामिया	80 (100)	0	136(170)	0	344 (417)	9	22
10.	मणिपुर विश्वविद्यालय	89 (129)	2	66 (125)	0	88 (145)	2	9
11.	एम.ए.एन उर्दू विश्वविद्यालय	30 (39)	2	14 (15)	0	7 (8)	0	1
12.	मिजोरम विश्वविद्यालय (आईजोल)	106 (161)	45	19 (43)	1	10 (27)	4	0
13.	नागालैंड विश्वविद्यालय (कोहिमा)	14 (28)	4	44 (54)	15	66 (95)	37	0
14.	एन.ई.एच. विश्वविद्यालय (शिलांग)	107 (131)	43	79 (105)	23	50 (78)	26	0

15.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	15 (30)	0	50 (66)	0	87 (117)	3	6
16.	तेजपुर विश्वविद्यालय	15 (23)	0	27 (32)	1	53 (63)	5	0
17.	विश्व भारती विश्वविद्यालय	37 (53)	0	91 (112)	2	427 (490)	8	29
	कुल	1641(2021)	103	2055(2750)	45	3060(4577)	97	30
	प्रतिशता	5.09		1.65		2.12		

विशेष टिप्पणी: (i) कोष्ठकों में आंकड़े पदों की स्वीकृत संख्या दर्शाते हैं

(ii) कुछ विश्वविद्यालयों के पूरे नाम:-
वी.वी.ए. विश्वविद्यालय-बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय (लखनऊ), जामिया विश्वविद्यालय-जामिया मिलिया इसलामिया, एम.ए.एन. उर्दू विश्वविद्यालय-मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय (हैदराबाद), एन.ई.एच. विश्वविद्यालय-पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय।

2.7.5.2.2 प्रोफेसर रीडर और लेकचरर के पदों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जनजातियों के बारे में चालू आरक्षण रूप रेखा तैयार करना आवश्यक है। लेकचरर का पद जो भारत सरकार में समूह 'क' पद के निम्नतम स्तर के समतुल्य है, सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत भरा जाता है और भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए इस श्रेणी में आरक्षण 7.5 प्रतिशत की दर से लागू है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और रीडर के पद पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा दोनों प्रकार से भरे जाते हैं। यद्यपि भारत सरकार के अनुदेश सभी पदों में 7.5 प्रतिशत की दर से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते हैं, जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, परन्तु सीधी भर्ती में रीडर और प्रोफेसन के पदों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा रही है। यह सुस्पष्ट है कि प्रोफेसर और रीडर की श्रेणी में भारत सरकार की आरक्षण नीति का केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा पूर्ण पालन नहीं किया जा रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि यह व्यवहार भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) में वर्णित उपबंधों के अनुसरण में जारी की गई आरक्षण नीति संबंधी अनुदेशों का उल्लंघन है और इस तथ्य का कारण है कि पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय और मिजोरम विश्वविद्यालय को छोड़कर अधिकांश सभी विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और रीडर के पदों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बहुत नगण्य है। **अतः आयोग सिफारिश करता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रोफेसर और रीडर के ऐसे पदों में अनुसूचित जनजातियों को 7.5 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता है, जो भर्ती नियमों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। सुनिश्चित करने के लिए सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को कड़े अनुदेश जारी करने चाहिए। इन विश्वविद्यालयों को रीडर और प्रोफेसर के ऐसे पदों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कमी/बैकलॉग रिक्तियों की गणना करने के लिए कहा जाए, जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं और इन रिक्तियों को भरने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाए।**

2.7.5.2.3 लेकचरर के पद के संबंध में जिसमें 7.5 प्रतिशत का आरक्षण है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सबसे अधिक कमी अर्थात् 64 उसके बाद बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (62), इलाहाबाद विश्वविद्यालय (29), विश्व भारती विश्वविद्यालय (29), दिल्ली विश्वविद्यालय (28) और जामिया मिलिया इसलामिया (22) है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 857 की स्वीकृत संख्या की तुलना में 401 लेकचरार स्थिति में हैं और अनुसूचित जनजाति समुदाय से एक लेकचरार भी नहीं है। **आयोग सिफारिश करता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा एक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर**

लेकचरर की श्रेणी/पद में अनुसूचित जनजातियों की कमी/आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को कड़े अनुदेश भी जारी करने चाहिए।

2.7.5.3 पैरा 2.7.5.2.1 में संदर्भित पत्र के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर वर्ष 2006-07 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने **गैर–अध्यापन पदों** अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित तालिका में दिए गए अनुसार था:-

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	समूह क		समूह ख		समूह ग		समूह घ	
		स्थिति में	अन. जन. जा.	स्थिति में	अनु. जन. जा.	स्थिति में	अनु. जन. जा.	स्थिति में	अनु. जन. जा.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	एएमयू	146 (183)	0	330 (375)	0	2588 (2729)	4	3302 (3017)	7
2.	*इलाहाबाद विश्वविद्यालय	6 (9)	0	3 (9)	0	539 (563)	0	628 (652)	0
3.	असम विश्वविद्यालय (शीलचर)	19 (21)	1	23 (30)	0	131 (148)	12	56 (64)	5
4.	बीएचपू	174 (238)	2	242 (292)	9	2049 (3217)	13	2677 (3643)	88
5.	बीबीए विश्वविद्यालय (लखनऊ)	9 (16)	1	0 (5)	0	37 (56)	0	25 (28)	0
6.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	66 (73)	4	99 (103)	2	446 (488)	21	536 (614)	39
7.	जेएनयू	55 (102)	1	115 (141)	4	518 (589)	15	533 (537)	19
8.	जामिया मिलिया इस्लामिया	56 (64)	0	45 (50)	0	493 (545)	2	442 (493)	2
9.	मणिपुर विश्वविद्यालय	31 (37)	1	25 (32)	2	159 (208)	20	112 (137)	21
10.	एच.ए.एन, उर्दू विश्वविद्यालय	18 (21)	0	15 (24)	0	52 (66)	1	26 (26)	1
11.	मिजोरम विश्वविद्यालय (आइजोल)	18 (23)	16	5 (13)	5	82 (104)	82	73 (76)	70
12.	नागालैंड विश्वविद्यालय (कोहिमा)	20 (28)	15	25 (31)	15	152 (156)	126	166 (167)	137
13.	एनईएच विश्वविद्यालय (शिलांग)	59 (65)	0	144 (167)	10	445 (484)	226	326 (350)	155
14.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	43 (45)	1	22 (26)	1	248 (273)	6	213 (220)	13
15.	तेजपुर विश्वविद्यालय	22 (31)	0	11 (14)	1	61 (79)	5	63 (69)	3
16.	*विश्व भारती	63 (87)	0	94 (109)	4	534 (641)	16	620 (878)	65

	विश्वविद्यालय								
	कुल	805(1043)	42	1198(1421)	53	8534(10322)	549	9798(10971)	625
	प्रतिशतता	4.03		3.73		5.32		6.33	

विशेष टिप्पणी: (i) कोष्ठकों में आंकड़े पदों की स्वीकृत संख्या दर्शाते हैं

(ii) कुछ विश्वविद्यालयों के पूरे नाम:-
वी.वी.ए. विश्वविद्यालय-बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय (लखनऊ), जामिया विश्वविद्यालय-जामिया मिलिया इसलामिया, एम.ए.एन. उर्दू विश्वविद्यालय-मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय (हैदराबाद), एन.ई.एच. विश्वविद्यालय-पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय।

* इन विश्वविद्यालयों के बारे में आंकड़े वर्ष 2005-06 (दिनांक 31-05-2006 को) के लिए हैं।

2.7.5.3 उपर्युक्त तालिका में आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि अध्यापन श्रेणी में लेकचरार के पदों की भांति गैर-अध्यापन वर्ग में समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' और समूह 'क' (जिसमें समूह 'क' पदों के निम्नतम स्तर तक आरक्षण है) में भी अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व असम, हैदराबाद, मणिपुर, मिजोरम, पूर्वोत्तर पहाड़ी और नागालैंड विश्वविद्यालयों को छोड़कर अधिकांश सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में संतोषप्रद नहीं है। आयोग के पास यह विश्वास करने के लिए कारण है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कमी/बैकलॉग को भरने के लिए चूक कर्त्ता केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा कोई निश्चित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। यह स्थिति शुरू से ही बनी हुई है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा इन संस्थाओं में सरकार की आरक्षण नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया गया है। यह मुद्दा अति महत्व का है क्योंकि यह आरक्षण के मामले में सरकार की नीति के घोर उल्लंघन से संबंधित है, **अत: आयोग वर्ष 2004–05, 2005–06 के लिए अपनी पहली रिपोर्ट में वर्णित अपनी सिफारिश को दोहराना चाहेगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी चूक कर्त्ता केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को समूह क,ख,ग, और घ के बारे में गैर–अध्यापन पदों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों का पता लगाने और एक विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उन्हें भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने के लिए कड़े अनुदेश जारी किए जाने चाहिए।**

अध्याय 3

अनुसूचित जनजातियों के रूप में समुदायों को विनिर्देशन और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों का परवर्ती संशोधन

3.1 अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा

3.1.1 भारत के संविधान का अनुच्छेद 366 (25) उन समुदायों के रूप में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख करता है, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है।

3.1.2 अनुच्छेद 342 के अनुसार केवल उन समुदायों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में माना जाएगा जिन्हें एक प्रारंभिक लोक अधिसूचना के जरिए राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित किया गया है अथवा संसद के अधिनियम द्वारा परवर्ती संशोधन करके राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की आरंभिक सूची में शामिल करने अथवा उससे निकाला गया है।

3.2 एक समुदाय को एक अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्देशन के लिए मानदण्ड

3.2.1 अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट है और एक राज्य में एक अनुसूचित जाति के रूप में घोषित एक समुदाय दूसरे राज्य में वैसा होना आवश्यक नहीं है। एक अनुसूचित जनजाति के रूप में अभिज्ञात किए जाने वाले एक समुदाय के लिए अनिवार्य विशेषताएं हैं (i) प्राचीन तरीके से जीवन यापन और दुर्गम तथा आसानी से आगम्य क्षेत्रों में आवास, (ii) विशिष्ठ संस्कृति, (iii) बाह्य समुदाय के साथ सम्पर्क करने में संकोच (iv) भौगोलिग अलगाव (v) सभी प्रकार से सामान्य पिछड़ापन।

3.2.2 उपर्युक्त मानदण्ड संविधान में परिभाषित नहीं है, परन्तु यह सुस्थापित हो गया है। यह मानदण्ड वर्ष 1931 की जनगणना में दी गई परिभाषाओं, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर आयोग), 1955, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के संशोधन हेतु सलाहकार समिति (लोकुर समिति), 1965 और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 पर संसद की संयुक्त समिति (चंदा समिति) के प्रतिवेदनों पर आधारित है।

3.3 अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने अथवा उसे निकालने की प्रक्रिया।

3.3.1 अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल करने अथवा उससे निकालने के लिए दावों पर निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित रीतियां जून, 1999 में निर्धारित की गई हैं:-

(i) केवल उन दावों जिन पर संबंधित राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पर विचारार्थ कार्यवाही की जाती है।

(ii) एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए जब-जब अभ्यावेदन मंत्रालय में प्राप्त होते हैं, मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन

अपेक्षानुसार सिफारिश के लिए उस अभ्यावेदन को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भेजता है।

(iii) यदि संबंधित राज्य सरकार प्रस्ताव की सिफारिश करती है तो उसे भारत के महापंजीयक को उनके विचारों/मत के लिए भेजा जाता है।

(iv) भारत का महापंजीयक यदि, राज्य सरकार की सिफारिश के साथ सहमत होता है तो वह प्रस्ताव के समर्थन की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजता है।

(v) उसके उपरान्त केन्द्र सरकार प्रस्ताव को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को उनकी सिफारिश के लिए भेजती है।

(vi) यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी प्रस्ताव की सिफारिश करता है तो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से सलाह करने के बाद मंत्रिमंडल के निर्णय प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जाती है। तत्पश्चात राष्ट्रपति के आदेश संविधान आदेश में संशोधन करने के लिए वह प्रस्ताव विधेयक के रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

(vii) शामिल करने के लिए, बाहर निकालने अथवा अन्य अशोधनों के लिए दावे, जिनका समर्थन न तो भारत के महापंजीयक तथा न ही संबंधित राज्य सरकारों ने किया है, राष्ट्रीय आयोग को नहीं भेजे जाएंगे। इन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के स्तर पर अस्वीकार किया जाएगा।

(viii) यदि राज्य सरकार और भारत के महापंजियक के विचारों के बीच असहमति है तो भारत के महापंजियक के विचार राज्य सरकार को समीक्षा करने अथवा अपनी सिफारिश पर और औचित्य देने के लिए भेजे जाते हैं। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर प्रस्ताव को दोबारा भारत के महापंजियक को विचारों के लिए भेजा जाता है। ऐसे मामलों में जहाँ भारत का महापंजियक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विचार के बिन्दु पर दूसरे संदर्भ पर सहमत नहीं होता है तो भारत सरकार उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर विचार कर सकती है।

(ix) उसी प्रकार उन मामलों में जहां राज्य सरकार और भारत का महापंजियक शामिल करने/निकालने का समर्थन करते हैं, परन्तु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा समर्थित नहीं हैं, भी अस्वीकार किए जाते हैं।

(x) राष्ट्रीय आयोग द्वारा स्वयं अनुशंसित मामलों को भारत के महापंजियक और राज्य सरकारों को भेजा जाएगा। उनकी प्रतिक्रिया पर निर्भर रहते हुए उनका निपटान ऊपर उल्लिखित रीतियों के अनुसार जैसा भी लागू हो, किया जाएगा।

3.3.2 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो सूची विनिर्देशन संबंधी आदेशों में से नाम हटाने, नई जातियों का नाम शामिल करने और अन्य सशोधनों संबंधी दावों पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित रीतियों सहित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 30-07-2002 के पत्र संख्या 12016/36/96-एससीडी (आरएल सैल) खण्ड-III की एक प्रति **अनुबंध 3.I** पर रखी गई है।

3.4 अनुच्छेद 342 के खण्ड (1) के अधीन जारी संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश

3.4.1 संविधान के अनुच्छेद 342 के खण्ड (1) के अनुसार, राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है, वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को, उस राज्य या संघ राज्य जो भी हो के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची विनिर्दिष्ट कर सकते हैं । एक बार सूचियां हटाने की कार्यवाही प्रवर्तित होने के पश्चात् इन में किसी समुदाय को सम्मिलित करना अथवा उस में से अनुच्छेद 342 के खण्ड (2) के अनुसार केवल संसद द्वारा ही किया जा

सकता है। अनुच्छेद 342 के खण्ड (1) के अधीन अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अब तक जारी किए गए 10 आदेश निम्न प्रकार से हैं:-

क्र.सं.	**आदेश का नाम**	**अधिसूचना अथवा आदेश जारी करने की तारीख**	**जारी करने की तिथि में विद्यमान राज्य/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्रों का नाम जिनके लिए आदेश लागू है।**
1.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950	6.9.1950	असम, बिहार, मुम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद,, मध्य भारत, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र और ट्रावनकोर -कोचीन
2.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951	20.9.1951	अजमेर, भोपाल, कुर्ग, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, और विंध्य प्रदेश
3.	संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959	31.3.1959	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह
4.	संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962	30.6.1962	दादरा एवं नगर हवेली
5.	संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967	24.6.1967	उत्तर प्रदेश
6.	संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968	12.1.1968	गोवा, दमन और दीव
7.	संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970	23.7.1970	नागालैंड
8.	संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978	22.6.1978	सिक्किम
9.	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1986	7.1.1989	जम्मू और कश्मीर
10.	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1991	20.8.1991	जम्मू और कश्मीर

3.4.2 संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 (**अनुबंध 3.II**) में तत्कालीन भाग क और भाग ख राज्यों के बारे में अनुसूचित जनजातियों की सूची सम्मिलित की गई थी। इस आदेश में कुछ जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों को पूरे राज्य में अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित किया गया था, कुछ जनजातियों को कुछ जिलों के अलावा पूरे राज्य में अनुसूचित जनजातियां सूचित किया गया था और कुछ जनजातियों तथा जनजातीय समुदायों को केवल एक राज्य के कुछ जिलों के भागों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित किया गया था।

3.4.3 संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951 (**अनुबंध** 3.III) में तत्कालीन 8 भाग ग राज्यों नामतः- (i) अजमेर, (ii) भोपाल (ii) कुर्ग (iv) हिमाचल प्रदेश (v) कच्छ (vi) मणिपुर (vii) त्रिपुरा और (viii) विन्ध्य प्रदेश से संबंधित अनुसूचित जनजातियों की सूची विनिदिष्ट थी।

3.4.4 संविधान (अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह) (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1959 (**अनुबंध** 3.IV) अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह की 6 जनजातियों अथवा जनजातीय समूहों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है। इन में (i) अण्डमानीस, चारीय, चारी, कोरा, ताबो, बो, येरे, केदे, बीया, बलावा, बोजीज्ञाव, जुवई, कोल, (ii) जारवास (iii) निकोबारीस (iv) ओनजैस (v) सेंन्टीनेलिस, (vi) शोमपेन्स सम्मिलित हैं।

3.4.5 संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962 (**अनुबंध** 3.IV) दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में 7 जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों नामतः -(i) धोदीय (ii) हलपति सहित दूबला (iii) कथौदी (iv) कोकना (v) कोलघा सहित कोलीधोर (vi) नायकदा अथवा नायका और (vii) वारली को अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित किया गया था।

3.4.6 संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1967 (**अनुबंध** 3.IV) उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में 5 जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों नामतः - (i) घोतीय (ii) बुकसा (iii) जौसरी (iv) राजी (v) थारू को अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट थी।

3.4.7 संविधान (गोवा, दमन एवं द्वीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968 (**अनुबंध** 3.V) उस समय गोवा, दमन एवं द्वीस संघ राज्य क्षेत्र कें संबंध में 5 जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों नामतः- (i) धोदीय (ii) हलपति सहित दूबला (iii) तलावीया सहित नायकदा (iv) नायका सहित सिद्धि और (v) वारली विनिर्दिष्ट थी। गोवा, दमन एवं द्वीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 के अनुसार गोवा एक राज्य बनने के परिणामस्वरूप, संविधान (गोवा, दमन एवं द्वीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968 को रद्द किया गया था और दमन एवं द्वीव संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित में अनुसूचित जनजातियों को संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 (**अनुबंध** 3. XII) का भाग बनाया गया था। वर्ष 1987 में गोवा एक पृथक राज्य बनने के बाद भी ये जनजातीय गोवा राज्य और दमन एवं द्वीव संघ राज्य क्षेत्र दोनों में रहती हैं।

3.4.8 संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970 (**अनुबंध** 3.V) में नागालैंड राज्य के संबंध में 5 जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों नामतः - (i) नामा (ii) कुकी (iii) कच्छारी (iv) मिकिर (v) गारो को अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था।

3.4.9 संविधान (सिक्किम) अनसुचित जनजातियां आदेश, 1978 (**अनुबंध** 3.V) में सिक्किम राज्य के संबंध में 2 जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों नामत – (i) चूमविपा दोपथापा, दुकपा, कगाते, शेरपा, तिबेतन, ट्रोमोपा, और योलमों सहित भूतिया और (ii) लेप्क अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित की गई थी।

3.4.10 संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 (**अनुबंध** 3.VI) में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के संबंध में 8 जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों नामतः **–** (i) बाल्टी (ii) वेदा (iii) बोत,

बोतो (iv) बरोकपा, दरोपा, दर्द, क्षीण (v) चंगपा (vi) दारा (vii) मोन (viii) पुरीगपा को अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था।

3.4.11 संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1991 (**नुबंध 3.VI**) में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के संबंध में 4 जनजातियां अथवा जनजातीय समुदायों नामत: -(i) गुज्जर (ii) बक्करवाल (iii) गाड़ी और (iv) सिप्पी अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिदिष्ट किया गया था।

3.5 मूल संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेशों में किए गए कुछ आशोधन/संशोधन

3.5.1 संविधान के अनुच्छेद 342 के खण्ड (2) के अनुसार अनुच्छेद 342 के खण्ड (1) के अधीन जारी किए गए मूल संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेशों के जरिए विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कोई संशोधन केवल संसद के अधिनियमों के जरिए प्रभावित किया जा सकता है। इन उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित आदेशों/अधिनियमों के जरिए वर्ष 1956, 1976 और 2002 में मूल आदेशों में 4 बार व्यापक संशोधन किए गए हैं:-

क्र.सं.	**आदेश का नाम**	**अधिसूचना अथवा आदेश की तारीख**	**तत्कालीन विद्यमान राज्य/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्रों का नाम जिनके लिए आदेश लागू है।**
1.	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातिया सूचियां (आशोधन) आदेश सूची 1956	29.10.1956	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, केरल,मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उस समय के भाग ग राज्य नामत: (i) हिमाचल प्रदेश, (ii) मणिपुर, (iii) त्रिपुरा और (iv) लक्षद्वीप, मिनीकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह
2.	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976	18.9.1976	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाड़, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, और संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह।
3.	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002	7.1.2003	आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाड़, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
4.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2003	19.9.2003	असम

3.5.2 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37वां) की धारा 41 और बिहार एवं पश्चिम बंगाल (संघ राज्य क्षेत्रों का अन्तरण) अधिनियम, 1956 (1956 का 41वां) की धारा 14 के अनुसरण में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूचिया (आशोधन) आदेश, 1956 (**अनुबंध 3.VII**) जारी किया गया था। वर्ष 1950 में (जब संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1950 अधिसूचित किया गया था) के प्रवर्तन के समय भाग क, भाग ख और भाग ग राज्य थे और तद्नुसार विभिन्न राज्यों के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां जारी की गई थी। तदुपरान्त वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ जिसमें भाग क और भाग ख राज्यों के बीच भेदभाव हटाते हुए भाग ग राज्यों को संघ राज्य

क्षेत्रों के रूप में नामकरण किया गया था। इसके अतिरिक्त एक राज्य से दूसरे राज्य में क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर अन्तरण लोगों के भाषायी विभाजन के आधार पर किया गया। संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951 को संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 का नाम दिया गया और भाग 1 से 7 तक को भाग 1 से 4 तक (भाग 1- हिमाचल प्रदेश, भाग 2 –मणिपुर भाग 3- त्रिपुरा और भाग 4- लकादीव, मिनीकोए और अमीनीद्वीवी द्वीपसमूह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और वाक्य ' पूरे राज्य में' को 'पूरे संघ राज्य क्षेत्र में' के साथ प्रतिस्थपित किया गया था। तदुपरान्त लकाद्वीप, मिनीकाय और अमीनीदीव द्वीपसमूहों को लक्षद्वीप का नाम दिया गया और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा को पूरे राज्यों का दर्जा दिया गया। गोवा, दमन एवं द्वीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 के अनुसार वर्ष 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य दिए जाने के बाद संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजातियां अधिनियम 1968 को रद्द किया गया था और दमन एवं दीव के संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 की अनुसूचित के भाग 2 के रूप में बदला गया था और इसलिए आज की तारीख के अनुसार संविधान अनुसूचित जनजातियां (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 केवल दो संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् (i) लक्षद्वीप तथा (ii) दमन एवं दीव जैसा **अनुबंध** 3.XII में दर्शाया गया से संबंधित है।

3.5.3.1 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ जातियों और जनजातियों को शामिल किया गया था/सूची से अपवर्जन किया गया था तथा अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (**अनुबंध** 3.VIII) अधिनियमित करते हुए तद्नुसार हुए बदलाव के कारण संसदीय और विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का आवश्यक पुनर्समायोजन करने का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम को बनाने का एक अन्य प्रयोजन जनजातियों और समुदायों के बारे में क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाना था, जिन्हें पहले से ही अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुछ लोजों द्वारा सरकार को यह अभ्यावेदन दिया गया था कि कुछ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में क्षेत्रीय प्रतिबंध स्थानिक और सामाजिक गतिशीलता में बाधा के रूप में कार्य कर रहे थे। अधिकांश मामलों में क्षेत्रीय प्रतिबंध तद्नुसार हटा दिए गए थे, यद्यपि कुछ मामलों में ऐसे प्रतिबंध रखे गए थे और आज तक जारी है।

3.5.3.2 अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 1976 में यह व्यवस्था भी की गई थी कि इस अधिनियम के लागू हाते ही प्रत्येक राज्य में संसदीय अथवा विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के पुनर्समायोजन के प्रयोजनार्थ जनगणना प्राधिकरण द्वारा पिछली जनगणना (अर्थात् 1971 की जनगणना) के आधार पर अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, जैसे भी स्थिति हो का पता लगाया जाएगा अथवा अनुमान निकाला जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग को ऐसे संशोधन करने का भी अधिकार दिया गया था, जो संविधान के अनुच्छेद 81, 170, 330 और 332 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों, जैसी भी स्थिति हो, को उस राज्य में आरक्षित स्थानों की संख्या के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने के प्रयोजनार्थ, इस अधिनियम तथा संसदीय और विधानसभा चुनाव क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 के और परिसीमन अधिनियम की धारा 8 के अधीन आवश्यक समझा गया हो।

3.5.4 अनुसूचत जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (**अनुबंध** 3.IX) को, (i) कुछ जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों अथवा उनके भागों अथवा जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों के भीतर समूहों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने, (ii) ऐसी जनजातियों अथवा समुदायों के समतुल्य नाम अथवा उनके पर्यायों को जोड़ने, (iii) क्षेत्रीय प्रतिबंध को

हटाने और प्रविष्टियों के विभाजन और मिलाने, (iv) अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कुछ जातियों के बारे में क्षेत्रीय प्रतिबंध को लगाने और (v) पैरा 3.5.1 के नीचे क्रम संख्या 3 के सामने स्तंभ 4 के अधीन दर्शाए गए राज्यों के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों से कुछ जातियों और जनजातियों का हटाने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम दिनांक 7 जनवरी, 2003 से लागू हुआ था। इन संशोधनों में से एक महत्वपूर्ण संशोधन उत्तर प्रदेश के विनिर्दिष्ट जिलों में रह रहे संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची से कुछ समुदायों को निकालने और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश के कुछ विनिर्दिष्ट जिलों के संदर्भ में उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने से संबंधित है। ये 10 समुदाय हैं- (i) गोंड, हुरिया, नायक, ओजा, पठारी, राज गोंड (मेहराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जोनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिरजापुर और सोनेभाद्रा के जिलों में), (ii) खरवार, खैरवार, (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी ओर सोनेभाद्रा के जिलों में) (iii) सहारिया (ललितपुर के जिले में) (iv) पराहिया (सोनेभाद्रा के जिले में) (v) वैगा (सोनेभाद्रा के जिले में), (vi) पंखा, पनिका (सोनेभाद्रा और मिर्जापुर के जिले में) (vii) अगारिया (सोनेभाद्रा के जिले में) (viii) पटारी (सोनेभाद्रा के जिले में) (xi) चेरो (सोनेभाद्रा और वाराणसी के जिले में) और (x) भुइया, बुनिया (सोनेभाद्रा के जिले में)।

3.5.5 उपर्युक्त संशोधनों के अलावा संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2003 (**अनुबंध** 3.X) के द्वारा असम राज्य के बारे में 2 संशोधन किए गए थे।

3.5.6 (i) (पैरा 3.5.1 के नीचे तालिका में दिया गए) संशोधन आदेश/अधिनियम, (ii) विभिन्न राज्य पुनर्गठन अधिनियम जैसे, (क) बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, (ख) नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 (ग) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, (घ) हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1970 (ड़) पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, (च) अरूणाचल प्रेदश अधिनियम, 1986, (छ) गोवा, दमन एवं द्वीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987, (ज) बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2002 (झ) मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000), (ञ) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 आदि तथा (iii) कुछ संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दिये जाने के कारण समय-समय पर यथासंशोधित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की एक प्रति (**अनुबंध** 3.XI) पर रखी गई है। इसी प्रकार (i) कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन और (ii) कुछ संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दिए जाने के कारण समय- समय पर यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 की एक प्रति (**अनुबंध** 3.XII) पर रखी गई है। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा यथासंशोधित संविधान अनुसूचित जनजातियां (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 की एक प्रति (**अनुबंध** 3.XIII) पर दी गई है। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा यथासंशोधित संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 की एक प्रति (**अनुबंध** 3.XIV) पर दी गई है।

3.6 संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 की अनुसूचि के भाग 1 में संशोधन (प्रस्तावित)

3.6.1 संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 की अनुसूचि के भाग 1 (लक्षद्वीप) में व्यवस्था है कि लकादीव, मिनीकोए और अमीनीद्वीवी द्वीपसमूहों के केवल इन निवासियों को जो स्वयं, और उनके दोनों अभिभावक भी उन द्वीप समूहों में पैदा हुए थे, लक्षद्वीप के पूरे संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा। जुलाई, 2007 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस आयोग को सूचित किया कि

लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि ये विद्यमान प्रावधान द्वीप समूह में रहने वालों उन लोजों के लिए कठिनाईयां पैदा कर रहे हैं, जो द्वीपसमूहों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुलब्धता के कारण मुख्य भूमि पर पैदा हुए हैं और तद्नुसार इस आदेश में संशोधन करने के लिए एक विधेयक दिनांक 4 मार्च, 2003 को राज्यसभा में पेश किया गया था और इसके उपरान्त 2003 के उक्त संशोधन विधेयक में समाहित चिकित्सा संबंधी मामलों के अलावा अन्य मामलों को भी शामिल करने के लिए गृह मंत्रालय के अनुरोध पर उक्त विधेयक पर विचार स्थगित करने का निर्णय दिनांक 09-04-2003 को किया गया। आयोग को आगे सूचित किया गया था कि गृह मंत्रालय द्वारा सुझाए गए सूत्र पर विचार किया गया था और माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने विधेयक में संशोधन के लिए निम्नलिखित सूत्रों को अनुमोदित किया था:-

"पूरे संघ राज्य क्षेत्र में:-
लकादीव, मिनीकोए और अमीनदीवी द्वीपसमूह के निवासी, जो स्वयं और उनके दोनों अभिभावक उन द्वीपसमूहों में पैदा हुए थे।"

बशर्ते कि लक्षद्वीप के बाहर भारत की मुख्य भूमि में पैदा हुए बच्चे, जिनके दोनों अभिभावक इन द्वीपसमूहों में पैदा हुए थे, यदि लक्षद्वीप में स्थाई रूप से बस गए है, उन्हें लक्षद्वीप में पैदा हुआ समझा जाएगा।"
स्पष्टीकरण:- शब्द "स्थाई रूप से बसना" का वही अर्थ होगा, जैसा लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 के खण्ड 3(1) (घ) के अधीन परिभाषित है।

3.6.2 उपर्युक्त प्रस्ताव पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आयोग से, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुरोध किया गया था। आयोग ने अपने दिनांक 20-07-2007 के पत्र के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय को सूचित किया गया था कि वह संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1991 के अनुसूची के भाग 1 में संशोधन (उपर्युक्त आधार पर) करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रस्ताव का समर्थन करता है।

3.7 जनजातीय जनसंख्या

3.7.1 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश की जनजातीय जनसंख्या 8.43 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत है। वर्ष 1991-2001 की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में 24.45 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्शायी गयी थी। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का आधे से अधिक हिस्सा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखण्ड और गुजरात में रहता है। जनजातीय जनसंख्या का मुख्य संकेन्द्रण मध्य भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में है। परन्तु, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पांडिचेरी और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता के रूप में जनजातीय जनसंख्या और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जनजातीय जनसंख्या का देश की कुल जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता के रूप में जानकारी **अनुबंध** 3.XV में दी गई है।

3.7.2 देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैली हुई 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन अधिसूचित हैं। अनुसूचित जनजातियों की अधिकतम संख्या (अर्थात् 62) उड़ीसा राज्य में है।

3.8 संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन ।

3.8.1 वर्ष 2005-06 के दौरान आयोग के ध्यान में लाया गया था कि वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर संसदीय और विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के लिए एक कार्यवाही परिसीमन आयोग ने शुरू की थी तथा असम राज्य के कुछ जनजातीय समुदाय राज्य विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कमी करने के परिसीमन आयोग के निर्णय के विरूद्ध आंदोलन कर रहे थे। आयोग ने याद दिलाया था कि विभिन्न राज्यों (असम राज्य सहित) के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कई जनजातीय समुदायों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत, जो दिनांक 7 जनवरी, 2003 को लागू हुआ था, शामिल किया गया था। आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मामला परिसीमन आयोग के साथ उठाया गया, जिसके द्वारा, जनजातीय समुदायों जिन्हें उपर्युक्त अधिनियम के तहत वर्ष 2002 में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया था और जिन्हें जनगणना प्रतिवेदन 2001 में गैर -जनजातीय समुदायों के रूप में दर्शाया गया था, की जनसंख्या को, संसदीय और विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के प्रयोजनार्थ विचार के लिए अनुरोध किया गया था। परिसीमन आयोग द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि उन्हें वर्ष 2001 की जनगणना को आंकड़ों के आधार पर, जिसे भारत के महापंजियक और जनगणना आयुक्त द्वारा प्रकाशित किया गया है, संसदीय और विधानसभा चुनाव क्षेत्रों को परिसीमन करना है। इसके अतिरिक्त यह सूचित किया गया था कि संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित समुदायों को आरक्षण का लाभ देने के लिए संसद द्वारा एक अधिकार देने वाला प्रावधान लाया जाना अपेक्षित होगा और परिसीमन आयोग, परिसीमन के प्रयोजनार्थ किन्ही अप्रकाशित आंकड़ों को स्वयं हिसाब में नहीं ले सकता है। परिसीमन आयोग की टिप्पणियों को जनजातीय कार्य मंत्रालय के ध्यान में लाया गया और उन्हें परिसीमन अधिनियम, 2002 में एक अधिकार देने वाला प्रावधान बनाने के लिए अनुरोध किया गया था। आयोग ने सिफारिश की थी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ऐसे जनजातीय समुदायों, जो वर्ष 2001 की जनगणना के बाद अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान किए गए थे और ऐसी जनजातियां जिन्हें, भारत के पंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा जनगणना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद, भविष्य में मान्यता दी जा सकती है, को चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के प्रयोजनार्थ हिसाब में लेने के लिए परिसीमन अधिनियम, 2002 में एक अधिकार देने वाला प्रावधान बनाने के लिए संसद में पेश करने के लिए एक उचित विधायक का प्रारूप आवश्यक कार्रवाई हेतु तैयार करें।

3.8.2 पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उठाया गया मुद्दा सोनभद्र जिले से श्री विजय सिंह गोंड और चार अन्य बनाम (i) भारत संघ (मंत्रिमंडल सचिव के माध्यम से) (ii) भारत का निर्वाचन आयोग (iii) उत्तर प्रदेश (लखनऊ) के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (iv) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मामले में, 2006 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 363 में माननीय उच्चत न्यायालय में ले जाया गया है। इस रिट याचिका में याचिका कर्त्ताओं ने माननीय उच्चतम न्यायालय से निम्नानुसार अंतरिम राहत देने के लिए प्रार्थना की थी:-

(i) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 का प्रभाव और प्रचलन रोकते हुए एक अंतरिम एकपक्षीय आदेश पारित करना अथवा

(ii) याचिका कर्त्ताओं और उनके समुदायों के अन्य सदस्यों को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों पर लड़ने के अनुमति देते हुए एक अंतरिम एकपक्षीय आदेश पारित करना। अथवा

(iii) ऐसा कोई अन्य और अथवा अतिरिक्त आदेश पारित करना, जो मामले के तथ्यों के आधार पर उचित और आवश्यक समझा जाए।

3.8.3 2006 की इस रिट याचिका (सिविल) सं0 363 में याचिका कर्त्ताओं ने सूचित किया है कि वे उत्तर प्रदेश राज्य के 10 समुदायों से हैं, जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 के अधीन अनुसूचित जातियों की सूची से हटा कर अनुसूचित जनजातियों की सूची में अंतरित किया गया है। उन्होंने सूचित किया है कि अनुसूचित जाति के सदस्यों के रूप में वे सभी मौलिक अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों और सांविधिक अधिकारों का प्रयोग करने और उपभोग करने के पात्र हैं। परन्तु संसद ने उपरोक्त अधिनियम द्वारा 10 अनुसूचित जातियों (जैसा पैरा 3.5.4 में उल्लिखित है) को अनुसूचित जातियों के वर्ग से हटाने और उन्हें अनुसूचित जनजाति के वर्ग में शामिल करने की कार्यवाही की थी। उन्होंने आगे सूचित किया है कि :-

(i) अधिनियम पारित होने से पहले उत्तर प्रदेश राज्य में 69 अनुसूचित जातियां और 5 अनुसूचित जनजातियां थी। उपर्युक्त अधिनियम पारित होने के बाद उस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या 69 से घटकर 52 हो जाएगी और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 5 से बढ़कर 22 हो जाएगी। अतः इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 17 जातियों और उप जातियों (10 जातियों और 7 उप जातियों) की कमी होगी और अनुसूचित जनजातियों की सूची में 17 जातियों की वृद्धि होगी।

(ii) उपरोक्त कार्रवाई ने अनुसूचित जनजातियों के याचिकाकर्त्ताओं और अनेक सदस्यों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाला है, जो अनुसूचित जातियों के रूप में सभी प्रकार के लाभों का उपभोग करते थे और अब वे उन लाभों से वंचित हो जाएंगे।

(iii) यद्यपि अनुसूचित जातियों की सूची से 17 जातियों और उप जातियों की कमी हुई है और अनुसूचित जनजातियों की सूची में परिणामी वृद्धि हुई है, परन्तु संसद और विधानसभाओं में स्थानों की संख्या में कमी अथवा बढ़ोतरी नहीं हुई है और वे पहले की तरह रहे हैं और इससे अनुसूचित जाति के उन व्यक्तियों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिन्हें अनुसूचित जनजातियों के रूप में प्रवर्तित किया जा रहा है।

(iv) यह शेष अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अतिरिक्त लाभ देगी जबकि ऐसी जातिया 69 से घटकर 52 हो जाएंगी, परन्तु संसद तथा विधानसभाओं में स्थानों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(v) यह लाभों को कम करेगी जिसके लिए अनुसूचित जनजाति के सदस्य पात्र होंगे, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों की संख्या 5 से बढ़कर 22 हो जाएगी।

(vi) विरोधी अधिनियम बनाते समय इससे उत्पन्न होने वाली संभावित कठिनाईयों और अनुसूचित जातियों को होने वाले अन्याय पर विचार करने में विधायिका असफल रही है। यदि संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के उपबंधों के अनुसार स्थानों के आबंटन में आवश्यक परिवर्तन किए बिना इस अधिनियम को लागू किया जाता है। ऐसी कार्रवाई संविधान के भाग 9 (अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक) में उन संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी करेगी।

(vii) उत्तर प्रदेश राज्य में (वर्ष 2000 में उसके दो भागों विभाजन से पहले) कुल 425 स्थानों में से 92 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थे और एक स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित था। उत्तर प्रदेश और उतराखण्ड राज्यों में उत्तर प्रदेश राज्य के विभाजन के बाद, उत्तर प्रदेश राज्य स्थानों की कुल संख्या घटकर 403 और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 89 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या शून्य हो गई थी।

(viii) याचिकाकर्त्ता और अन्य उसी प्रकार से प्रभावित व्यक्ति, जिन्होंने अधिनियम के बनने से पूर्व अनुसूचित जातियों के आरक्षित स्थानों पर संसद और विधानसभा के चुनाव लड़े थे। वे अब इन आरक्षित स्थानों से चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होंगे, क्योंकि वे व्यक्ति अब अनुसूचित जनजातियों के हैं और वे अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के प्रावधान का कोई लाभ प्राप्त करने के भी योग्य नहीं होंगे, क्यों कि उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2026 के बाद की जाने वाली जनगणना तक परिवर्तित जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल सकता है।

(ix) एक तरफ तो 10 जातियों और 7 उप जातियों के सदस्य लाभों को गवां चुके हैं, जो उनको अनुसूचित जाति के सदस्यों के रूप में पहले उपलब्ध थे और दूसरी तरफ अनुच्छेद 330 के स्पष्टीकरण के कारण अनुसूचित जनजातियों के रूप में कोई लाभ नहीं दिया गया है।

(x) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में उनके लिए आरक्षित स्थान रखने के लिए अनुच्छेद 330 और 332 के अधीन उनके संवैधानिक अधिकारों का विलोपन स्थायी अथवा एक अल्पावधि के लिए नहीं है, अपितु 26 वर्षों की अवधि के लिए है जिसका अर्थ है कि विरोधी अधिनियमन के कारण इन दलित वर्गों की एक पूरी पीढ़ी निर्वाचित निकायों में आरक्षण के अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रहेगी

3.8.4 दिनांक 13 मार्च, 2007 के अपने अंतरिम निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि अंतरिम राहत देने से कठिनाईयां पैदा हो सकती हैं। उदाहरणत: विशेषकर अनुसूचित जाति का एक सदस्य, जिसे विरोधी अधिनियम के अधीन अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप माना गया है, अधिनियम के अधीन अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में कुछ लाभों का दावा करने के लिए समर्थ हो सकता है वह उसी समय अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में भी लाभों का दावा कैसे कर सकता है? माननीय न्यायालय द्वारा यह भी बताया गया था कि क्या यह कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति का मूल रूप से एक व्यक्ति और विरोधी अधिनियम के अधीन अनुसूचित जनजाति के रूप में माने जाने वाला व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अधीन चुनाव के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जाति के रूप में माने जाने वाला जारी रहेगा, ऐसा एक व्यक्ति संविधान के अन्य प्रावधानों के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाएगा। माननीय न्यायालय ने निर्धारित किया है कि ऐसा एक द्विभाजन पर विचार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय ने निर्धारित किया कि याचिकाकर्त्ताओं द्वारा कानून के गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं अत: याचिका स्वीकार करने योग्य थी। चूंकि अंतरिम राहत देने से अधिक समस्याएं जटिलताएं और भ्रांतियां पैदा होंगी, इसलिए याचिका कर्त्ताओं द्वारा मांगी गई अंतरिम सहायता इस समय स्वीकार नहीं की जा सकती है।

3.8.5 मंत्रिमण्डल सचिवालय ने अपने दिनांक 9 जनवरी, 2007 के पत्र के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय को सलाह दी थी कि उक्त मामले में विधि एवं न्याय मंत्रालय को स्वयं एक पक्ष के रूप में मुकदमें में शामिल होना चाहिए और उच्चतम न्यायालय के समक्ष भारत संघ के हित का बचाव करना चाहिए।

3.9 राज्यों के पुनर्गठन के कारण विकासात्मक परियोजनाओं के लिए अनुसूचित जनजाति के परिवारों की भूमि और सम्पति के अधिग्रहण के कारण उनके विस्थापन के परिणामस्वरूप अथवा उनके पुनर्वास हेतु अन्य राज्यों में उनके स्थानान्तरण पर उन्हें जनजातीय हैसियत जारी रखने संबंधी।

3.9.1 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिनांक 20-12-2006 को हुई बैठक में यह पाया था कि वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति के

व्यक्ति भारत सरकार के अधीन सेवाओं और पदों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के पात्र है और केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन किसी राष्ट्र - स्तरीय महाविद्यालय और व्यावसायिक/तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण के लाभ के पात्र हैं भले ही वे किसी एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के हैं, तथा महाविद्यालय/संस्थाएं किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित हैं। आयोग ने यह भी नोट किया कि अनुसूचित जनजाति के उन बच्चों को उपर्युक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जिनके माता-पिता जो अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (अर्थात् उनके मूल राज्य के अलावा) में राज्य सरकार के अधीन समूह 'क' अथवा समूह 'ख' पदों पर (जो अखिल भारतीय आधार पर भरी जाती हैं) नियुक्ति और तैनाती के परिणामस्वरूप अथवा वे जो उस समय केन्द्र सरकार के कार्यालयों अथवा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत थे और वे अपने मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अलावा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विवशतापूर्ण स्थानान्तरित होकर बस गए थे। अनुसूचित जनजाति के उन बच्चों को उपर्युक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। आयोग ने नोट किया कि ऐसे स्थानान्तरित जनजातीय लोगों के बच्चे गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं, जिसमें राज्य द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक/व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश और राज्य सरकार के अधीन रोजगार में उनको आरक्षण के लाभों से वंचन करना सम्मिलित है। ऐसे स्थानान्तरित अनुसूचित जनजाति के माता-पिता के बच्चे इस तथ्य के कारण कि वे अन्य राज्य में स्थानान्तरित हो गए थे, के कारण अपने मूल राज्य में भी अपनी पसंद की संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के पात्र नहीं थे।

3.9.2 आयोग ने आगे पाया कि एक ऐसी ही स्थिति, उन अनुसूचित जनजाति के परिवारों के मामले में, विभिन्न राज्यों में चल रही थी, जिन्हें विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को चलाने के लिए उनकी भूमि का अधिग्रहण करने और सिंचाई, हाईडल और विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के कारण उनकी भूमि का अधिग्रहण किए जाने के कारण उनके मूल रहने के स्थान से उन्हें विस्थापित किया गया था। यह नोट किया गया था कि इन अधिकांश मामलों में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और पुन:स्थापना का कार्य उनके मूल राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों मे किया गया था।

3.9.3 आयोग ने पाया कि अनुसूचित जनजाति परिवारों का एक अन्य वर्ग था, जो राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप अचानक गैर-अनुसूचित जनजाति बन गया था। आयोग द्वारा यह स्मरण कराया गया था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) और बिहार एवं पश्चिम बंगाल (क्षेत्रों का स्थानान्तरण) अधिनियम, 1956 (1956 का 40) के कारण 1956 में बड़े पैमाने पर पुनर्गठन हुआ था। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अनुसूचित जनजातियों की सूची (जैसा पुनर्गठन के बाद विद्यमान था) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूचियां (अशोधन) आदेश, 1956 के तहत अधिसूचित की गई थी, जो अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख करता है कि " एक राज्य अथवा एक जिला अथवा उसका अन्य क्षेत्रीय प्रभाग के संबंध में इस आदेश में किसी संदर्भ का अर्थ दिनांक 1 नवम्बर, 1956 से राज्य, जिला और अन्य संगठित क्षेत्रीय प्रभाग के रूप में लगाया जाएगा।"

9.3.4 आयोग ने नोट किया कि एक व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ, उसे संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 अथवा संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1951 की मूल अधिसूचना की तारीख के अनुसार उसके सामान्य निवास स्थान के बारे में ब्यौरा देने के लिए कहा जाता है चूंकि 1956 में नये राज्य बन गए थे और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में नई सरकार ने ऐसे नए राज्यों की राजधानियों में कार्य करना शुरू कर दिया था, अत: 1950 अथवा 1951 सामान्य निवास स्थान की शर्त की कोई वैधता होने के लिए समाप्त किया जाना चाहिए और अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने और अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाए गए विशेष लाभ देने के प्रयोजनार्थ पुनर्गठन के बाद निवास स्थान केवल मानदण्ड होना चाहिए। आयोग ने ऐसे अनुसूचित जनजाति के लोगों की समस्यों की ओर विशेष

ध्यान दिया, जो पुनर्गठन से पूर्व राज्य में सरकारी सेवक थे और जिन्हें पुनर्गठन के बाद नए राज्यों में जाने के लिए विवश होना पड़ा था, क्योंकि उनकी सेवाएं नई राज्य सरकारों को स्थानान्तरित कर दी गई थी। उदाहरणत: मध्य प्रदेश, सी.पी. और बेरार की सरकार के कार्यालय जो 1956 में कार्य कर रहे थे, को नवगठित मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के बारे में दो पृथक सचिवालयों में विभाजित किया गया था। आयोग ने नोट किया कि उन अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से, जो पहले मिश्रित राज्य में थे और जिन्हें मध्य प्रदेश में स्थानान्तरित किया गया था, अभी भी 1950 के अनुसार उनके निवास स्थान के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है। यह पाया गया था कि ऐसी ही स्थिति उन अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के बारे में प्रचलित थी, जो ऐसे एक स्थान के थे जो, वर्तमान में मध्य प्रदेश का भाग है, परन्तु उन्हें महाराष्ट्र में डयूटी आवंटित की गई थी। आयोग ने पाया कि उन सभी सरकारी सेवकों के बच्चे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूचियां (अशोधन) आदेश, 1956 की अधिसूचना से पहले जारी किए गए अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों के आधार पर सेवा दे रहे थे, अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध सुरक्षणों और अन्य लाभों से, उनका कोई दोष न होने के बावजूद भी वंचित किया जा रहा है।

3.9.5 आयोग ने पाया कि वर्ष 1966 में पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्यों और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के सृजन से और नवम्बर, 2000 में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के पुनर्गठन के कारण दोबारा समान स्थितियां पैदा हो गई थीं। इन राज्यों तथा नव सृजित झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति के निवासी पैरा 3.8.3 और 3.8.4 में बतायी गयी स्थिति के कारण अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप उन्हें विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभों से वंचित किए जा रहे हैं, जो केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाए गए हैं।

3.9.6 आयोग ने नोट किया कि उपर्युक्त समस्या कार्यसमिति बनाम भारत संघ (1994) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण प्रबल हुई थी जिसमें माननीय न्यायालय ने वर्ष 1975 और 1977 के दौरान भारत सरकार (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी किए गए अनुदेशों की वैधता को बनाए रखा था, जिसके अनुसार एक व्यक्ति अपने मूल राज्य की अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का ही बना रहता है तथा उसे उस राज्य में जहां वह स्थानान्तरित हुआ है अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के रूप में नहीं समझा जाएगा। यह नोट किया गया कि इस निर्णय अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को (अनुसूचित जातियों को भी) उनके अन्य राज्य में स्थानान्तरण पर अनावश्यक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था। आयोग ने महसूस किया कि चूंकि यह स्थानान्तरण परिस्थितियों के कारण हुए थे जिन पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का कोई नियंत्रण नहीं था और न ही किसी वाणिज्यक अथवा अन्य विचारों द्वारा चलाई गई उनकी स्वयं की इच्छा शक्ति के कारण हुआ था, इसलिए उनको अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी न करके उन्हें अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता प्रदान न करना अनुचित होगा, जिसके द्वारा उनके मूल राज्य में अथवा उस राज्य में, जिसमें वे उस राज्य के पुनर्गठन के पहले रह रहे थे, उनको उपलब्ध लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आयोग ने सुदृढ़ता के साथ महसूस किया कि सरकार को इस ज्वलंत समस्या को हल करना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लगातार प्रताड़ना से बचाने के लिए तत्काल यथाशीघ्र कोई उपाय निकालना चाहिए। यह नोट किया गया कि आयोग ने यह मामला कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ अपने दिनांक 03-01-2007 के अर्ध-शासकीय पत्र सं0 6/7/2007-सी-सैल (**अनुबंध** 3.XVI) के तहत उठाया था और इस संबंध में उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

3.9.7 जनजातीय परिवारों का उनकी मूल राज्य से उनके विस्थापन के परिणामस्वरूप अथवा राज्यों के पुनर्गठन के कारण उनके अन्य राज्यों में स्थानान्तरण पर जनजातीय परिवारों के समस्याओं को पुनर्वास के कारण हल करने के लिए आयोग, सरकार के तत्काल विचारार्थ निम्नलिखित सिफारिशें करना चाहता है:-

(i) **राज्य सरकारों को सलाह देने की आवश्यकता है कि**

(क) **उन्हें यह व्यवस्था करने के लिए अनुदेश जारी करने चाहिए कि अपने राज्य से विस्थापन के बाद अन्य राज्य में पुनर्वास के कारण अस्वेच्छा से स्थानान्तरित अनुसूचित जनजाति के माता-पिता के परिवार और बच्चे राज्य वही हैसियत का उपभोग करना जारी रखेंगे जहां वे विस्थापन के बाद बस गए हैं, यदि समुदाय/समुदायों, जिसके वे हैं उस राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के रूप में पहले से अधिसूचित किए गए हैं और वे उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों को स्वीकार्य लाभ प्राप्त करते रहेंगे।**

(ख) **यदि समुदाय/समुदायों, जिससे पुनर्वासित जनजातीय लोगों का संबंध हैं, पुनर्वास के राज्य में अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है वे (अर्थात् राज्य सरकारें) उन समुदाय/समुदायों को पुनर्वास की तारीख से प्रभावी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्त अधिसूचना के जारी होने तक पुनर्वासित जनजातीय लोगों को उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों को स्वीकार्य लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है।**

(ii) **राज्य सरकारों को यह भी सलाह दिए जाने की आवश्यकता है कि वे यह व्यवस्था करने के लिए अनुदेश जारी करें कि नए राज्यों के सृजन, राज्यों के पुनर्गठन के बाद एक राज्य से अन्य राज्य में क्षेत्रों के स्थानान्तरण के संदर्भ में अविभाजित राज्यों के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजातियां राज्य पुनर्गठन की अधिसूचना की तारीख से नए राज्य में उनके निवास स्थान पर निर्भर रहते हुए उत्तरवर्ती राज्य में उसी हैसियत का उपभोग करना जारी रखेंगे।**

3.10 संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन सिविल पदों में आरक्षण प्राप्त करने के लिए उनकी उत्पति की राज्य पर ध्यान दिए बिना अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां

3.10.1 यह स्मरण दिलाया जा सकता है कि दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने डॉ बी0आर0 अम्बेदकार मेमोरियल फाउन्डेशन (रजिस्टर) एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में 2003 के सिविल संख्या 6546 में दिनांक 5 जुलाई, 2004 के अपने निर्णय में निर्धारित किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में किसी समुदाय को एक अनुसूचित जनजाति घोषित करने संबंधी राष्ट्रपति की अधिसूचना के आधार में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधीन स्थानीय निकायों अथवा सांविधिक प्राधिकरणों के अधीन कोई पद अनुसूचित जनजाति अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजे गए गृह मंत्रालय के दिनांक 21 अगस्त, 2003 के पत्र को भी इस आधार पर रद्द किया था कि उसके अधीन सेवाओं और पदों में अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण जारी रखने के लिए सलाह देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2003 को सभी विभागों के प्रमुखों को प्रत्र जारी किया गया था। जबकि एक एलपीआर (लेटरस पेटेंट रिवियू) गृह मंत्रालय द्वारा उसके दिनांक 5

जुलाई, 2004 के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में दायर की गई थी जो माननीय न्यायालय में उसके एक न्यायाधीश पीठ के निर्णय की समीक्षा के लिए लंबित थी, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1998 की सिविल अपील संख्या 6-8 में श्रीमती पुष्पा एवं अन्य बनाम सिवाचंद मुग्गा वेलु एवं अन्य के मामले में तीन न्यायाधीश द्वारा पारित 11 फरवरी, 2005 के निर्णय में निर्धारित किया है कि संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में केन्द्र सरकार की नीति को स्वीकार करते हुए जिसके अधीन सभी अनुसूचित जातियां अथवा अनुसूचित जनजातियां उनके राज्यों की ओर ध्यान दिए बिना पदों के लिए पात्र थीं, जो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के आरक्षित थी, ऐसी एक नीति के लिए विधिक कमजोरी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है और उसे विधि के किसी प्रावधान के विरूद्ध भी ठहराया जा सकता।

3.10.2 माननीय उच्चतम न्यायाल के ऊपर उल्लिखित निर्णय को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने अपने दिनांक 30 जून, 2005 के पत्र (**अनुबंध** 3.XVII) के तहत चेयरमैन डीएसएसएसबी और सभी विभाग प्रमुखों स्थानीय स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी उनके पैतृक स्थान पर ध्यान दिए बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधीन सिविल पदों आरक्षण के लिए पात्र होंगे। जो उनके लिए आरक्षित हैं। **जहां तक अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण देने का संबंध है आयोग द्वारा अपने पहले प्रतिवेदन में विषय पर विचार किया गया था और प्रतिवेदन में तद्नुसार उपयुक्त सिफारिशें की गई थी। चूंकि इस संबंध में आयोग को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिए आयोग अपनी उस सिफारिश को दोहराना चाहेगा कि गृह मंत्रालय को अन्य संघ राज्य क्षेत्रों विशेषकर चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायाल के निर्णय को लागू करने पर विचार करना चाहिए, जहां अनुसूचित जनजातियों की कोई अधिसूचित सूची नहीं है और इस आश्य का आवश्यक अनुदेश/निदेश जारी करने चाहिए।**

अध्याय 4

आदिम जनजातीय समूहों का विकास (आ.जन.स.)

4.1 प्रस्तावना

4.1.1 कुछ जनजातीय समुदाय हैं, जो प्रोद्यौगिकी का पूर्व कृषि स्तर रखते हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और साक्षरता का निम्न स्तर रखते हैं। 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 75 ऐसे समूहों की पहचान की गई है और उन्हें आदिम जनजातीय समूहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से अधिकांश समुदाय संख्या में छोटे हैं, सामाजिक और आर्थिक प्रगति के भिन्न-भिन्न स्तर प्राप्त किए हैं और सामान्यता निम्न प्रशासनिक और आधारभूत संरचना पृष्ठभूमि सहित दूरस्थ और आगम्य क्षेत्रों में रहते हैं। अधिकांश आदिम जनजातीय समूह अभी भी शिकार और एकत्रीकरण के स्थिति में हैं और उनकी रहने की आदतें घुमन्तु अथवा अर्ध घुमन्तु हैं। उनकी समस्याएं और आवश्यकताएं अन्य अनुसूचित जनजातियों से बिलकुल भिन्न हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार उनकी कुल जनसंख्या लगभग 24.12 लाख थी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिनमें आदिम जनजातीय समूह रहते हैं (i) आंध्रप्रदेश (ii) छत्तीसगढ़ (iii) गुजरात (iv) झारखण्ड (v) कर्नाटक (vi) केरल (vii) मध्य प्रदेश (viii) महाराष्ट्र (ix) मणिपुर (x) उड़ीसा (xi) राजस्थान (xii) तमिलनाडु (xiii) त्रिपुरा (xiv) उत्तराखंड (xv) पश्चिम बंगाल और (xvi) अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह।

4.1.2 चूंकि आदिम जनजातीय समूह अनुसूचित जनजातियों की अतिसंवेदनशील वर्गों से होते हैं इसलिए उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक केन्द्र द्वारा प्रायोजित और राज्य योजना स्कीमों से पर्याप्त निधियों का आवंटन करना आवश्यक है। परन्तु यह पाया गया था कि अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न स्कीमों के अधीन दी गई धन राशियां आदिम जनजातीय समूहों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच रही थी और इसलिए वर्ष 1998-99 में आदिम जनजातियों के अनन्य विकास के लिए एक पृथक 100 प्रतिशत केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम की शुरूआत की गई थी। इस स्कीम के अधीन गतिविधियों में आवास, भूमि वितरण, कृषि विकास, पशु विकास, आय सृजन कार्यक्रम, स्वास्थ्य सुविधाएं, आधारभूत संरचना विकास और बीमा आदि सम्मिलित हैं। योजना एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं/एकीकृत जनजातीय विकास अधिकरणों, जनजातीय अनुसंधान संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। राज्य सरकार गैर-सरकारी संगठनों के चयन सहित स्कीमों के उचित निष्पादन, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए उत्तरदायी है। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं/एकीकृत जनजातीय विकास अधिकरणों, जनजातीय अनुसंधान संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त हुए प्रस्तावों की जांच जनजातीय कार्य मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जाती है। उस समिति में एक उचित स्तर के अधिकारी के माध्यम से आयोग का भी प्रतिनिधित्व किया जाता है। यह समिति प्रतिवर्ष कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा इस स्कीम के अधीन ली गई परियोजनाओं/गतिविधियों के निष्पादन की समीक्षा भी करती है।

4.1.3 वर्ष 2004-05 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय में भारतीय जीवन बीमा निगम की 'जनश्री बीमा योजना' के अधीन पूरे देश में प्रत्येक आदिम जनजातीय समूह परिवार के उपार्जन करने वाले सदस्यों को शामिल करने और 10वीं पंचवर्षीय योजन के शेष 3 वर्षों के भीतर सभी आदिम जनजातीय समूह परिवारों को बीमा सहायता देने का निर्णय लिया था। वर्ष 2004-05 के दौरान आदिम जनजातीय समूह परिवार के 1 लाख उपार्जन सदस्यों को शामिल करते हुए 16 राज्यों को 5.00 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी

और वर्ष 2005-06 के दौरान आदिम जनजातीय समूह परिवारों के 2 लाख उपार्जन सदस्यों को शामिल करते हुए 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 10.00 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2006-07 के दौरान आदिम जनजातीय समूह परिवारों के एक हजार 95 लाख उपार्जन सदस्यों को शामिल करते हुए नौ राज्यों को 5.48 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी। उन लोगों को लाभ दिए गए थे, जिनके जीवन का बीमा किया हुआ है:- (i) आकस्मिक मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता की दशा में व्यक्ति के निकट परिचित को पचास हजार रूपए की राशि की अदायगी जिसका बीमा किया हुआ है। (ii) प्राकृतिक मृत्यु की दशा में निकट परिचित को 20 हजार रूपए राशि की अदायगी, (iii) आंशिक विकलांगता की दशा में 20 हजार रूपए की राशि की अदायगी (iv) और जीवन का बीमा किए हुए व्यक्ति के दो बच्चों को जो कक्षा नौ और उससे ऊपर की कक्षा में अध्ययन कर रहे हों के लिए प्रत्येक तिमाही में 300 रूपए का शैक्षणिक अनुदान। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बारे में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में अभिज्ञात अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई का (राज्य /संघ क्षेत्र राज्यवार) व्यौरा अनुवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है।

4.1.4 जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता भी जारी करता है। राज्यों में जनजातियों के अधिक तीव्र आर्थिक विकास लाने के लिए क्षेत्रों में अतिरिक्त राज्य योजना परिव्यय देना राज्य योजना प्रावधान के बारे में सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। यह अनुदान सहायता आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कार्यक्रमों और स्कीमों पर खर्च की जानी अपेक्षित है।

4.1.5 आयोग ने मुख्य सचिवों को सम्बोधित अपने दिनांक 29-05-2007 (**अनुबंध–IV.I**) के अ0शा0 पत्र के तहत राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे निम्नलिखित पहलुओं के विशेष संदर्भ के साथ आदिम जनजातीय समूहों के विकास की सामान्य स्थिति के बारे में संक्षिप्त व्योरा आयोग को भेजें:-

(i) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उनकी कुल जनसंख्या;
(ii) चिकित्सा सुविधाएं देते हुए और उनके स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार लाते हुए, आवास और सुरक्षित पेय जल आदि उपलब्ध करवाते हुए आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही स्कीमें/कार्यक्रम;
(iii) आदिम जनजातीय समूहों के क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण पद्धतियो के कार्यकरण;
(iv) उनकी आजीविका का स्रोत;
(v) आदिम जनजातीय समूहों द्वारा झेली जा रही विशिष्ट समस्याएं और उनको दूर करने के लिए सुझाव।

आयोग के ऊपर उल्लिखित पत्र के उत्तर में राज्य सरकारों द्वारा आयोग को उपलब्ध करवाई सूचना के आधार पर अनुवर्ती पैराग्राफों में राज्यवार सूचना दी गई है।

4.2 <u>आंध्रप्रदेश</u>

4.2.1 आंध्रप्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियाँ, जिन्हें आदिम जनजातीय समूहों के रूप में घोषित किया गया है, हैं: (i) **चेंचु** (ii) **बोदो गदावा**, (iii) **गुतोप गदावा**, (iv) **डोंगरिया खोंद**, (v) **कुट्टिया खोंद**, (vi) **कोलाम**, (vii) **कोन्डा रेड्डी**, (viii) **कोन्डासावरा**, (ix) **बोंडो पोरजा**, (x) **खोंड कोरजा**, (xi) **पारेंगी कोरजा और** (xii) **थोती।** वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उनकी कुल जनसंख्या 4,57,123 थी। वर्ष

1981, 1991 और 2001 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातीय समूहवार जनसंख्या निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए अनुसार है:-

आदिम जनजातीय समूहों के नाम	जनसंख्या		
	1981 जनगणना	1991 जनगणना	2001 जनगणना
(i) चेंचु	28434	40869	49232
(ii) बोडो गादाबा}	27732	33127	36078
(iii) गुटोब गादाबा}			
(iv) डोंगरिया खोंद}	39408	66629	85324
(v) कुट्टिया खोंद}			
(vi) कोलाम	21842	41254	45671
(vii) कोन्डा रेड्डी	54685	76391	83096
(viii) कोन्डासावरा	--	105465	122979
(ix) बोंडो पोरजा}	16479	24154	32669
(x) खोंड कोरजा}			
(xi) पारेंगी कोरजा}			
(xii) थोती	1388	3654	2074
महायोग	189968	391543	457123

4.2.2 आंध्रप्रदेश में इन आदिम जनजातीय समूहों की जनसंख्या के संकेन्द्रण के क्षेत्र और उनकी आजीविका के स्रोत निम्नलिखित तालिका में दिए गए अनुसार है:-

आदिम जनजातीय समूहों के नाम	संकेन्द्रण के क्षेत्र	आजीविका के स्रोत
1. चेंचु	नल्लामलई वन और प्रकाशम, कुरनूल, मेहबूबनगर, गुन्टूर, नलगोंडा और रंगारेड्डी जिलों के समवर्ती क्षेत्र	(i) (ii) गैर इमारती लकड़ी वन उत्पादन की बिक्री और संग्रहण (एनटीएफपी) (iii) व्यवस्थित कृषि
2. बोडो गाडाबा 3. गुटोब गाडाबा	विशाखापटनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों के जनजातीय क्षेत्र	(i) खेती, (ii) कृषि श्रम, और (iii) पोडु खेती
4. डोंगरिया खोंद 5. कुट्टिया खोंद	विशाखापटनम जिले के भीतरी वन रास्ते	(i) पोडु खेती, (ii) टोकरी बनाना और चटाई बुनना, (iii) शिकार और मछली पकड़ना, और (iv) एनटीएफपी संग्रहण
6. कोलम	आदिलाबाद जिले के भीतरी वन और पहाड़ी रास्ते	(i) बास उत्पाद जैसे टोकरियाँ, टट्टर, सूप पंखे आदि का बनाना, (ii) पोडु

		खेती और व्यवस्थित खेती, (iii) एनटीएफपी की बिक्री एवं संग्रहण और (iv) कृषि श्रम
7. कोंडा रेड्डी	पूर्वी गोदावरी, खम्माम और पश्चिम गोदावरी जिलों के गोदावरी घाटी-मार्गों में भीतरी वन	(i) पोडु खेती, (ii) व्यवस्थित खेती विशेष रूप से उनके लिए जो समतल क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे हैं, (iii) टोकरी बनाना, (iv) बागवानी, (v) वन श्रम, और (vi) एनटीएफपी संग्रहण और बिक्री
8. कोन्डासावरा	श्रीकाकुलम और विजयनगरों जिलों के एजेन्सी क्षेत्रों में पहाड़ी चोटियाँ या घाटियाँ	(i) पोडु और सीड़ीदार खेती, (ii) वन रूठस, टूवरस, फ्रूटस् आदि का संग्रहण, (iii) एनटीएफपी संग्रहण और बिक्री, (iv) बागवानी, (v) वन श्रम और (vi) शिकार और मछली पकड़ना
9. बोंडो पोरजा 10. खोंड पोरजा 11. पारेंगी पोरजा	विशाखापटनम जिले के जनजातीय क्षेत्र	(i) पोडु और व्यवस्थित खेती (ii) टोकरी बनाना, (iii) एनटीएफपी संग्रहण और बिक्री, और (iv) कृषि श्रम
12. थोटी	आदिलाबाद जिले के जनजातीय क्षेत्र	(i) गोंड संरक्षकों के पारम्परिक भाट, (ii) कृषि एवं कृषि श्रम, और (iii) महिलाओं द्वारा गुदाई संबंधी कार्य

4.2.3 आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) के आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमें और कार्यक्रम, जो लघु सिंचाई कार्य, एनटीएफपी पौधारोपण, सामुदायिक आधारित प्रशिक्षण, गर्भवती महिलाओं हेतु सहायता, टी.बी. मरीजों हेतु सहायता, भूमि विकास, बागवानी, सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना, वनस्पति खेती, रेशम उत्पादन, बालिकाओं हेतु प्रोत्साहन, डेरी यूनिटों, भेड़ यूनिटों, मुर्गी यूनिटों, जुताई हेतु बैलों की आपूर्ति, आवास और स्वास्थ्य कार्यक्रम, भूमिहीन आदिम जनजातीय समूहों के परिवारों हेतु सहायता, भूमिहीन आदिम जनजातीय समूहों हेतु कृषि भूमि का आवंटन, आदि से संबंधित है।

4.2.4 वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निधियों की राशि क्रमशः 130.80 लाख, 130.80 लाख और 264.00 लाख रूपए थी। इस स्कीम के अन्तर्गत आरम्भ किए गए कार्यकलाप चेंचु जनजाति हेतु कृषि भूमि की खरीद और आवंटन, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना, कृषि उपकरण, जुताई करने वाले बैल, और चेंचु जनजाति के लिए पहले से ही खरीदी गई कृषि भूमि में भूमि विकास, आदिम जनजातीय समूह आवासों में सड़क बनाना, भूमि जल विकास, सिंचाई सुविधाएं, सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना, बागवानी, बैकयार्ड पोलट्री एण्ड इलेक्ट्रीफिकेशन, आदि से संबंधित थे ।

4.3 बिहार

4.3.1 अनुसूचित जनजातियाँ जिन्हें बिहार राज्य में आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) के रूप में घोषित किया गया है, वे हैं (i) **असुर**, (ii) **बिरजिया** (iii) **बिरहोर** (iv) **हिल खारिया** (v)**कोरवा** (vi) **परहिया** (vii)

माल पहाड़िया (viii) **सौरिया पहाड़िया और** (ix) **सावर।** बिहार सरकार ने कहा है कि हिल खारिया जनजाति बिहार राज्य में नहीं पायी जाती है। बिहार राज्य सरकार का कथन वास्तविक रूप से सत्य प्रतीत नहीं होता है। इस जनजाति को बिहार के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ा गया था, जिसको 7.1.2003 में अधिसूचित किया गया था। हालांकि इस जनजाति को आरम्भ से ही बिहार राज्य के संबंध में आदिम जनजातीय समूह के रूप में दर्शाया जा रहा था। यह प्रतीत होता है कि हिल खारिया जनजाति को प्रथम बार 2002 में बिहार राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया था, उनकी जनसंख्या 2001 की जनगणना के दौरान नहीं गिनी गई थी और इसलिए, राज्य सरकार ने कहा कि हिल खारिया जनजाति बिहार राज्य में नहीं पाई जाती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी वर्ष 2006-07 की वार्षिक रिपोर्ट में और पूर्व की रिपोर्टों में भी 1961, 1971, 1981 और 1991 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार आदिम जनजातीय समूहों-वार जनसंख्या दर्शाते हुए एक सारणी दी है। झारखण्ड (अर्थात् वर्ष 2000 में इसके पुनर्गठन से पूर्व) को शामिल करते हुए बिहार राज्य के संबंध में, हिल खारिया आदिम जनजाति समूह की जनसंख्या को 1961, 1971, 1981 और 1991 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार क्रमशः 108983, 127002, 141771 और 151634 दर्शाया गया है। झारखण्ड सरकार ने इस आयोग को सूचित किया है कि जेटीडब्ल्यूआरआई की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार झारखण्ड में हिल खारिया जनजाति समूह की कुल जनसंख्या, रांची में केवल 1625 है। यह स्पष्ट है कि हिल खारिया आदिम जनजातीय समूह की जनसंख्या का एक बड़ा भाग बिहार राज्य में होना चाहिए था। **आयोग ने सिफारिश की है कि बिहार सरकार को बिहार के विभिन्न जिलों में हिल खारिया आदिम जनजातीय समूह की जनसंख्या को गिनने के लिए एक त्वरित सर्वेक्षण करना चाहिए ताकि राज्य सरकार और जनजातीय कार्य मंत्रालय को उस अगल-थलग जनसंख्या के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे कि उनके लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ उन आदिम जनजातीय समूह के सदस्यों को दिया जा सके।** अन्य आदिम जनजातीय समूहों की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 9361 है। आदिम जनजातीय समूह-वार जनसंख्या और जिले, जिनमें अधितकर आदिम जनजातीय समूह निवास करते हैं, निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं:-

क्रम.सं.	आदिम जनजातीय समूहों का नाम	जनसंख्या	उन जिलों का नाम जिनमें अधिकतर आदिम जनजातीय समूह रहते हैं
1.	असुर	181	सीतामड़ी, पटना और कटिहार,
2.	बिरहोर	404	नवादा, दरभंगा, गया, समस्तीपुर, बैंका, किशनगंज ओर रोहतास।
3.	बिरजिया	17	जहानाबाद, भबुआ और सीतामढ़ी।
4.	हिल खारिया	जनसंख्या की सूचना नहीं दी गई	
5.	कोरवा	703	मुंगेर, भबुआ, वैशाली और रोहतास
6.	पहाड़िया	2429	भागलपुर, कटिहार, गया, मध्यपुरा, किशनगंज, पुर्निया और सुपौल।
7.	माल पहाडिया	4631	जमुई, पुर्निया, भागलपुर, बैंका, किशनगंज, सुपौल, मधुबनी और मुंगेर।
8.	सावरिया पहाड़िया	585	कटिहार, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मुंगेर और पटना।

9.	सावर	411	सहरसा, सुपौल, रोहतास, मध्यपुरा, गोपालगंज, बैंका,कंगारिया, जहानाबाद और औरंगाबाद
	कुल	9361	

4.3.2 बिहार में अधिकतर आदिम जनजातीय समूह भूमिहीन मजदूर हैं और इसलिए उनके जीवन निर्वाह के मुख्य स्रोत उनके पारम्परिक व्यवसाय जैसे रस्सी बनाना, शारीरिक श्रम करना, छोटे वन उत्पाद इकट्ठे करना अर्थात् तेंदु की पत्तियां, साल के बीज, शतावर, हर्रा-बेहरा, महुआ आदि हैं। ऐसी बहुत कम आदिम जनजातीय समूह हैं जिनके पास एक से पांच काठा की भूमि है। उनमें से बहुतों में अभी भी वस्तु-विनिमय प्रथा चल रही है। पारम्परिक हाट (जनजातीय गाँव बाजार) उनकी अनन्यक्रिया और कार्यकलाप का मुख्य केन्द्र है।

4.3.3 इन आदिम जनजातीय समूहों में आवास का कोई नियमित स्थान नहीं है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं इसलिए उनके पक्के मकान नहीं हैं और वे मिट्टी की दीवारों पर छप्पर डाल कर रहते हैं। उनके छोटे गांवों में सीमित सुरक्षित पेयजल है और वे जल के लिए मुख्यत: समीप के तालाबों या वर्षा स्थलों पर निर्भर रहते हैं।

4.3.4 अधिकतर आदिम जनजातियां शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई हैं। उनकी साक्षरता दर एक प्रतिशत से अधिक नहीं है। उनके लिए कोई अलग स्कूल, आवासी स्कूल या विशेष स्कूल नहीं हैं। तथापि, आदिम जनजातीय समूहों को शामिल करते हुए बिहार में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए राज्य सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। राज्य सरकार अपने निजी स्रोतों में से 15 अनसूचित जनजाति आवासीय स्कूल चला रही है। इन स्कूलों में रहने की सुविधा के अलावा, विद्यार्थियों को नि:शुल्क भोजन, वर्दी, पढ़ने और लिखने की सामग्री, साबुन-तेल, जूते, बिस्तर, कम्बल आदि उपलब्ध करवाए जाते हैं। अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार 13 छात्रावास चला रही है। अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार कक्षा एक से चार तक के विद्यार्थियों के लिए 15/-रू0 प्रतिमाह, कक्षा पाँच से छ: तक के विद्यार्थियों के लिए 30/-रू0 प्रतिमाह तथा कक्षा सात से दस तक के विद्यार्थियों के लिए 55/-रू0 प्रतिमाह की दर से वजीफा देती है। उसी प्रकार राज्य सरकार निधि से अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रावर्ती भी प्रदान की जा रही है और निधियाँ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत उपलब्ध कराई जाती है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल के क्षेत्र में एक योजना जिसका नाम 'खेल वजीफा स्कीम' है, को भी राज्य सरकार चला रही है। **आयोग ने सिफारिश की है कि बिहार सरकार को आदिम जनजातीय समूह बाहुल्य क्षेत्रों में वैसे ही सुविधाएं वाले आवासीय स्कूलों सहित विशेष स्कूलों की स्थापना करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए जिन्हें सामान्यत: जनजातीय विद्यार्थियों के लिए बढ़ाया जा रहा है।**

4.3.5 आदिम जनजातीय समूहों की बस्तियों/आवासों के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों या सुरक्षित पेय जल की सुविधाओं की अनुपस्थिति में, वे अधिकतर सुनी-सुनाई पारम्परिक दवाई 'गुनी' पर निर्भर रहते हैं। वे अपने आवासों में उपलब्ध वनस्पतियों और दवाई संबंधी पौधों का उपयोग करते हैं। वे सामान्य बीमारियों और कुपोषण से पीड़ित होते हैं, जिससे उनकी आयु कम हो जाती है। **आयोग ने सिफारिश की है कि बिहार सरकार को उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के लिए आदिम जनजातीय समूहों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। राज्य सरकार को गंभीर प्रकृति की मौसमी बीमारियों से उनकी रक्षा करने की दृष्टि से आदिम जनजातीय समूहों की बस्तियों के समीप प्राथमिक**

स्वास्थ्य केन्द्र भी खोलने चाहिए। त्वरित निवास आदिम जनजातीय समूह जैसे ब्रिजेस, असुरस, स्वर्स और बिरहोर्स (जिनकी जनसंख्या 500 से कम है) को भी विलुप्त होने से बचाया जाना चाहिए। असुरस की कुल जनसंख्या मात्र 17 है।

4.3.6 ये आदिम जनजातीय समूह मुख्यत: दूरस्थ वन क्षेत्रों में रहते हैं जिनमें अधिकतर पहुंचा नहीं जा सकता और उनके निवास स्थान तक कोई सड़क मार्ग भी उपलब्ध नहीं है। बिजली की व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार को उनके आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम अवसंरचनात्मक मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु तत्काल ध्यान देना चाहिए। 11वीं योजना अवधि के दौरान राज्य सरकार ने आदिम जनजातीय समूहों के सम्पूर्ण विकास के लिए कुछ योजनाएं आरम्भ करने हेतु प्रस्ताव किया है। इनमें शामिल है:- (i) आधुनिक कृषि गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण दिलाना और उच्चीकृत बीच, उरर्वक एवं जुताई के बैलों का नि:शुल्क वितरण, (ii) किराना दुकानों की स्थापना, (iii) एसटीडी बूथों की स्थापना, (iv) अवसंरचना जैसे भेड़ और बाजारों से सम्पर्क करने के लिए सोलर -लाइटस सहित मुर्गी पालन, बकरी पालन, डेयरी फार्मों की स्थापना, (v) मधुक्खी पालन (vi) आयुर्वेदिक नर्सरी, और (vii) वन उत्पाद जैसे बांस से हथकरघा, खिलौनों एवं हस्तशिल्प में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण-व-उत्पादन केन्द्र ।

4.3.7 आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम की जनश्री बीमा योजना घटक के अन्तर्गत, वर्ष 2004-05 के दौरान आदिम जनजातीय समूह के परिवारों के 1000 व्यक्तियों का बीमा करने के लिए बिहार सरकार को 5 लाख रूपए की राशि दी गई थी। उसी प्रकार वर्ष 2005-06 के दौरान आदिम जनजातीय समूहों के परिवारों के 2000 व्यक्तियों का बीमा करने के लिए राज्य सरकार को 10 लाख रूपए की राशि दी गई थी।

4.4 छत्तीसगढ़

4.4.1 छत्तीसगढ़ राज्य में पाँच ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें आदिम जनजातीय समूहों के रूप में घोषित किया गया है। ये हैं:- (i) **अभूजमारिया**, (ii) **पहाड़ी कोरवा**, (iii) **बैगा**, (iv) **कामर**, **और** (v) **बिहोर।** मई-जून, 2002 में राज्य सरकार द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार, इन आदिम जनजातीय समूहों की जिलेवार जनसंख्या एवं साक्षरता निम्नवत है:-

क्र0सं0	आदिम जनजातीय समूहों का नाम	जिले का नाम	जनसंख्या	साक्षरता का प्रतिशत
1	अभूजमारिया	बस्तर, दांतेवाड़ा	19,401	19.25
2	पहाड़ी कोरवा	कवरधा, बिलासपुर	29,612 13-28	19.81
3	बैगा	जशपुर, अम्बिकापुर, कोरबा	10,725 20,630 2,025	30.96
4	कामर	जशपुर, रायगढ़	401 704	19.76
5	बिहोर	रायपुर, धमतारी	13,797 3,962	43.96

4.4.2 ये आदिम जनजातीय समूह पारम्परिक रूप से खेती की पूर्व-कृषीय पद्धति को अपनाते हैं और उनका जीवन अधिकतर जंगलों पर निर्भर रहता है। घुमक्कड़ प्रकृति के कारण ये समूह अपने भूमि स्वामित्व अधिकार से भी वंचित रहते हैं। जबकि, कुछ आदिम जनजातीय समूह जैसे कामर, बैगा और बिहोर के पास व्यवस्थित कृषि है, सभी आदिम जनजाति समूहों के एक महत्वपूर्ण समूह अभूजमारिया और पहाड़ी कोरबा अभी भी व्यवस्थित खेती को अपनाने में अरूचि रखते हैं और, इसलिए राज्य सरकार का अधिकतर ध्यान उन्हें सिंचाई सुविधाओं एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं वाली भूमि उपलब्ध कराकर एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत कराने में है। आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए निम्नलिखित विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं:-

(i) **भूमि वितरण:** अधिकतर आदिम जनजातीय परिवार ऐसे हैं जिनके पास अभी भी अपनी निजी भूमि नहीं है, वे स्वतंत्र घुमक्कड़ जीवन जीते हैं और विकास कार्यक्रमों के लाभ उन तक नहीं पहुंचते है और, इसलिए भूमिहीन आदिम जनजातीय समूहों के लिए कृषि भूमि उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार अन्य भू-स्वामियों से प्रचलित दरों पर कृषि भूमि खरीदती है और भमिहीन आदिम जनजातीय परिवारों में उसे बांटती है।

(ii) **भूमि को समतल और उपयोगी बनाना:** अधिकतर आदिम जनजातीय समूह पहाड़ी एवं अधिकतर दूरगम्य क्षेत्रों में रहते हैं जो भूमि जोत उनके पास है वह लहरदार या ढालवा एवं कृषि के लिए अनुपयुक्त है। इसलिए, सरकारी सहायता इस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए डैम या मैड बनाकर उसे समतल या उपयोगी बनाने पर केन्द्रित है।

(iii) **शैक्षणिक विकास स्कीम:** राज्य सरकार विशेष रूप से राज्यों में आदिम जनजातीय समूहों के लिए आश्रम स्कूल चलाती है। इन स्कूलों को चलाने में व्यय को राज्य निधियों से पूरा किया जाता है। इन आश्रमों के विद्यार्थियों को विशेष दरों पर छात्रावृतियाँ प्रदान की जाती है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल स्तरों पर इन विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्कूल ड्रेस एवं किताबें भी वितरित की जाती हैं ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी स्कूलों की ओर आकर्षित हो सकें और स्कूल न जाने की दर में भी सुधार हो सके।

(iv) **स्वच्छ पेय जल:**आदिम जनजातीय समूहों की सम्पूर्ण स्वास्थ्य स्थिति संतोषजनक नहीं है और वे अधिकतर स्वच्छ पेयजल की कमी के कारण महामारी जैसी स्वास्थ्य संबंधी खतरनाक बीमारियों से ग्रस्त हैं। इसलिए सरकार ने हैंडपम्प के माध्यम से चलित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। आदिम जनजातीय समूह गांवों की अधिकतम 'पारस' एवं 'टोलास' को युद्ध स्तर पर हैंडपम्प स्वीकृत किए गए हैं।

(v) **रहने के आवास:** राज्य सरकार ने बेघर आदिम जनजातीय समूह परिवारों के लिए पक्का घर बनाने के लिए वर्तमान में कुछ विशेष प्रयास किए हैं। विभिन्न अन्य राज्य प्रायोजित स्कीमों और एससीए के माध्यम से इनके लिए अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

(vi) **जीवन बीमा कवरेज:** केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान 800 परिवारों का बीमा करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को 40.00 लाख रूपए अवमुक्त किए गए थे। उसी प्रकार वर्ष 2005-06 के दौरान 18 हजार परिवारों का बीमा

करने के लिए राज्य सरकार को 90 लाख रूपए की राशि अवमुक्त की गई थी। वर्ष 2006-07 के दौरान कोई अनुदान नहीं दिया गया था।

4.4.3 यद्यपि आदिम जनजातीय समूह पारम्परिक रूप से जीवन निर्वाह के अपने मुख्य स्रोत के रूप में कृषि एवं सहायक गतिविधियाँ और लघु वन उत्पाद का संग्रहण को अपनाते हैं। इनमें से कुछ समूह स्थानीय रूप से उपलब्ध जड़ीबूटियों से दवाईयाँ तैयार करने के अपने पारम्परिक व्यवसाय और बम्बू क्राप्ट एवं अन्य क्राप्ट तथा आर्टिशनशिप में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। वे मत्स्यन, सुअर पालन, मुर्गी पालन को भी सहायक व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं।

4.4.4 पिछले तीन वर्षों के दौरान आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत 1150.26 लाख रूपए छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित किए गए हैं। इनमें से 932.37 लाख रूपए विविध कार्यक्रमों (i) अवसंरचना (ii) लघु सिंचाई (iii) कृषि (iv) बागवानी (v) पेयजल (vi) पशु पालन (vii) कुशल विकास और प्रशिक्षण (viii) स्वास्थ्य (ix) शिक्षा (x) मत्स्यन (xi) बिजली और (xii) स्व-सहायता समूह पर व्यय किए गए थे।

4.5 <u>गुजरात</u>

4.5.1 पांच अनुसूचित जनजातियाँ ऐसी हैं जिन्हें गुजरात राज्य में आदिम जनजातीय समूह के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया। ये हैं:- (i) **कोलघा**; (ii) **कोटवालिया**; (iii) **कथोड़ी**; (iv) **पढ़ाहर**; **और** (v) **सिड्डी।** वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उनकी कुल जनसंख्या 100639 थी। वर्ष 1981, 1991 और 2001 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातीय समूहवार जनसंख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है:-

क्र0 सं0	आदिम जनजातीय समूह का नाम	जनसंख्या		
		1981 जनगणना	1991 जनगणना	2001 जनगणना
1	कोलघा	62232	82679	40336
2	कोटवालिया	17759	19569	21730
3	कथोड़ी	2546	4773	10852
4	पढ़ाहर	10587	15896	21180
5	सिड्डी	5426	6336	6541
	कुल	98553	129253	100639

4.5.2 गुजरात राज्य के जिले जिसमें ये आदिम जनजातीय समूहों का पता लगाया गया है और उनके जीवन निर्वाह के मुख्य स्रोत नीचे सारणी में दिए गए हैं:-

क्र.सं0	आदिम जनजातीय समूहों के नाम	वे जिले जहाँ पर वे रह रहे हैं।	जीवन निर्वाह के साधन
1.	कोलघा	सूरत और वाल्सद	ईंट बनाने, कुंआ खोदने, और मत्स्यन आदि संबंधी श्रम कार्य

2.	कोटवालिया	सूरत, वाल्सद, डांग्स, भरूच, और नवसराय	वन उत्पादों का संग्रहण जैसे टिमरू पत्तियाँ, महुआ फूल, मत्स्यन, बांस की टोकरियॉ बनाना
3.	कथोड़ी	सूरत, डांग्स, सवरकंठा और नर्मदा	कृषि एवं वन विभाग, मत्स्यन में श्रम कार्य
4.	पढ़ाहर	अहमदाबाद और सुरेन्द्रनगर	मत्स्यन, खाद्य के रूप में प्रयुक्त विशेष जड़ों की खुदाई, श्रम कार्य और मौसमी श्रम भूमि कार्य
5.	सिड्डी	जूनागढ़, भावनगर, अमरेली और पोरबन्दर	कृषि, लघु वन उत्पादों का संग्रहण, और मत्स्यन

4.5.3 गुजरात सरकार आदिम जनजातीय समूहों के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाती है। इन योजनाओं का अर्थ कृषि बीज-किट्स, कृषि के लिए सिंचाई सुविधा, कृषि भूमि के लिए भूमि संरक्षण, मिल्व एनीमल्स, मछली पकड़ने के लिए नाव/जाल, घरों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण, स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण, स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति, मकानों का आवंटन आदि से संबंधित है। इन योजनाओं के निम्नलिखित घटक भी हैं:- (i) आश्रम स्कूल खोलने और छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने के माध्यम से आदिम जनजातीय समूहों का शैक्षणिक विकास, और (ii) आदिम जनजातीय समूह निवास क्षेत्रों में सामान्य बीमारियों की रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आदिम जनजातीय समूह के परिवारों को आवश्यक वस्तुएं जैसे चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल, नमक आदि उपलब्ध कराया जा रहा है।

4.5.4 जनश्री बीमा योजना (जो सीएसएस का एक घटक है) सहित आदिम जनजातीय समूहों के विकास के संबंध में केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार द्वारा प्राप्त निधियाँ नीचे सारणी में दी गई हैं:-

(रू0 लाख में)

क्र0सं0	वर्ष	आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए सीएसएस (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	जनश्री बीमा योजना	कटवालिया परियोजना (वन)	कुल
1.	2004-05	58.75	25.00	32.75	116.50
2.	2005-06	45.04	50.00	14.75	109.79
3.	2006-07	100.53	55.00	-	155.53
	योग	204.32	130.00	47.50	381.82

4.6 झारखण्ड

4.6.1 नौ ऐसे जनजातीय समुदाय हैं जिन्हें झारखण्ड राज्य में आदिम जनजातीय समूह के रूप में घोषित किया गया है, वे हैं:- (i) **असुर**,(ii) **बिहोर**, (iii) **बिरजिया**, (iv) **पहाड़ी खारिया**, (v)**कोरवा**, (vi) **मल पहाड़िया**, (vii) **परहिया**, (viii) **सौरिया पहाड़िया**, **और** (ix) **सावर।** वर्ष 2001 की जनगणना के

अनुसार उनकी कुल जनसंख्या 2,24,961 है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातीय समूहवार जनसंख्या और जिले जिनमें ये आदिम जनजातीय समूह रहते हैं, नीचे सारणी में दिए गए हैं:-

क्र0सं0	आदिम जनजातीय समूहों का नाम	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	उन जिलों का नाम जहाँ वे रहते हैं
1.	असुर	10347	गुमला, लातेहार और लोहरदगा
2.	बिहोर	7514	बोकारो, चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, घरवा, गिरीडीह, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, राँची, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम
3.	बिरजिया	5365	गुमला, लातेहार और लोहरदगा
4.	पहाड़ी खारिया	1625	पूर्वी सिंहभूम और गुमला
5.	कोरवा	27177	घरवा, गुमला, लातेहार, पलामू और सिमडेगा
6.	मल पहाड़िया	1,15,093	देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, जामतारा, पाकुर, पलामू, रांची और साहेबगंज
7.	परहिया	20786	चतरा, देवघर, घरवा, गुमला, लातेहार, लोरदगा और पलामू
8.	सौरिया पहाड़िया	31050	पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, पाकुर, रांची, सरायकेला और साहेबगंज
9.	सावर	6004	पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, पलामू और सरायकेला
	योग	2, 24, 961	

4.6.2 आदिम जनजातीय समूह की अधिकतर जनसंख्या वनों में या वनों के समीप रहती है और, इसलिए उनके जीवन निर्वाह का स्रोत वन और वन उत्पाद है। तथापि, अधिकतर आदिम जनजातीय समूह परिवारों कों उनका बहुमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराई गई है। अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों से आरम्भ की गई योजनाओं/कार्यक्रमों में वनस्पति की खेती, मशरूम, बीजों और खाद का वितरण, भूमि विकास, बकरी पालन, सुअर पालन, मत्स्यन, मधुमक्खी पालन, शहद संग्रहण, रस्सी बनाना, टोकरी बनाना, लोहार का कार्य करना, कृषि उपकरणों को बनाना एवं बैल एवं कृषि उपकरण उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं।

4.6.3 आदिम जनजातीय समूहों के बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवासीय स्कूलों (प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, उच्च स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूल) की स्थापना की गई है। पहाड़ियों के लिए ऐसे प्रत्येक चार स्कूल स्थापित किए गए हैं। वे हैं:- (i) गोड्डा जिले का सुन्दर पहाड़ी उप-प्रभाग, (ii) जिला साहेबगंज का बोरिओन उप-प्रभाग, (iii) जिला साहेबगंज का लिट्टीपारा उप-प्रभाग, और (iv) जिला रांची का गोपीकेन्द्र उप-प्रभाग। इन आवासीय स्कूलों में प्रवेश मुख्यत: पहाड़िया आदिम जनजातीय समूहों के लिए है। लेकिन कुछ सीट रिक्त होने की दशा में उन्हें अन्य आदिम जनजातीय समूहों के बच्चों के लिए आवंटित किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन्हें शिक्षित बनाकर पहाड़िया आदिम जनजातीय समूहों को मुख्य - धारा में लाना है। प्रत्येक आवासीय स्कूल में भोजन (कक्षा 1 से कक्षा 6 तक 700 रूपए प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी और कक्षा 7 से कक्षा 12 तक 900 रूपए), कपड़ा (प्रति वर्ष 500

रूपए प्रति विद्यार्थी), अध्ययन सामग्री (किताबें आदि) [कक्षा 1 से 6 तक प्रति वर्ष 400 रूपए प्रति विद्यार्थी, कक्षा 7 से कक्षा 10 तक 700 रूपए और कक्षा 11 से 12 तक 900 रूपए], तेल, साबुन (50 रूपए प्रति माह प्रति विद्यार्थी), दवाई (100 रूपए प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी), बच्चों के समाचार पत्र सहित पुस्तकालय, प्रत्येक मद के लिए निर्धारित लागत सीमा के अनुसार सुविधाएं दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, दुमका, साहेबगंज ओर गोड्डा जिलों में गैर सामाजिक संगठनों द्वारा अन्य प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और हाई स्कूल चलाए जा रहे हैं। आदिम जनजातीय समूह परिवारों से संबंध रखने वाले 89 स्नातक लड़कियों/लड़कों को सीधे जिला स्तर समूह 'ग' पदों में नियुक्त किया गया है।

4.6.4 उनको चिकित्सा सुविधाएं देने और उनके स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाने के लिए आदिम जनजातीय समूहों के आवासीय क्षेत्र में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोले गए हैं। आदिम जनजातीय समूह के घरों में डीडीटी छिड़कने के लिए भी व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक आदिम जनजातीय समूह गांव में हैंडपम्प के माध्यम से स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराया गया है या कराया जा रहा है।

4.6.5 बिरसा आवास योजना नाम की एक विशेष आवासीय योजना विशेष रूप से आदिम जनजातीय समूहों के लिए कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2001-2002 से 2006-07 की अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 16,891 मकानों का निर्माण किया गया और टीएसपी में एवं टीएसपी बाहरी क्षेत्रों दोनों में आदिम जनजातीय समूह परिवारों के लिए उपलब्ध कराए गए, और 6245 मकान इस योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन थे।

4.6.6 झारखण्ड सरकार ने आदिम जनजातीय समूह परिवारों हेतु जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में उनके आवास के स्थान के समीप प्रत्येक परिवार के लिए 0.12 डेसीमल भूमि आवंटित की गई है।
(ii) ऐसे ही आदिम जनजातीय समूहों के प्रत्येक परिवार जिनकी जनसंख्या बहुत कम है को 2 एकड़ कृषि भूमि उपलब्ध कराई गई है।
(iii) प्रत्येक आदिम जनजातीय समूहों परिवारों के लिए कृषि खेती करने के लिए एक जोड़ी बैल नि:शुल्क उपलब्ध कराए गए हैं।
(iv) उनकी आय में वृद्धि के लिए उनको गायों, बकरियों, सुअरों और मुर्गियों की आपूर्ति की जाती है।
(v) सिंचाई उद्देश्यों के लिए कुओं एवं पम्प सैटों की सुविधाएं देने के लिए भी व्यवस्था की गई है।

4.6.7 पिछले तीन वर्षों के दौरान आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त और उपयोग की गई सहायता अनुदान निम्नानुसार थी:-

(रूपए लाख में)

क्र0 सं0	वर्ष	प्राप्त और उपयोगित/अउपयोगित राशि	योजना/उद्देश्य
1.	2004-05	110.00	सामुदायिक केन्द्र एवं वृक्ष संरक्षण के लिए 40.00 लाख रूपए और जनश्री बीमा योजना घटक के अन्तर्गत 70.00 लाख रूपए

2.	2005-06	145.00	जनश्री बीमा योजना
3.	2006-07	319.33 (अनुपयोगित)	पीसीसी कल्वर्ट एवं उर्जा लैम्प्स

4.6.8 चूंकि आदिम जनजातीय समूह अन्दरूनी एवं दूरस्थ गांवों में रहते हैं, उन गांवों में कोई उचित मूल्य दुकाने नहीं हैं। तथापि, उन्हें समीप के गांवों में स्थित उचित मूल्य की दुकानों से आपूर्ति की जाती है।

4.7 कर्नाटक

4.7.1 दो अनुसूचित जनजातियाँ हैं जिन्हें कर्नाटक राज्य में आदिम जनजातीय समूह के रूप में घोषित किया गया है। ये हैं:- (i) **जेनू कुरबा**, **और** (ii) **कोरागा ।** वर्ष 1981, 1991 और 2001 जनगणना के अनुसार उनकी कुल जनसंख्या क्रमश: 49893, 45693 और 41097 है। ये आदिम जनजातीय समूहों कर्नाटक के चामराजनगर, दक्षिण कन्नाडा, मैसूर, उडूपी और कोड़ागू जिलों में पाए जाते हैं।

4.7.2 इन जनजातियों के जीवन निर्वाह का मुख्य स्रोत कृषि श्रमिको के रूप में लघु वन उत्पादों का संग्रहण, बेंत एवं बांस हस्तशिल्प कार्य, कृषि, पौधारोपण हैं। इनमें से अधिकतर आदिम जनजातीय समूह वनों के अन्दर रहते हैं।

4.7.3 इन दोनों जनजातियों में शिक्षा के उन्नयन के लिए कुछ योजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं:-

(i) **विद्यार्थियों हेतु विशेष प्रोत्साहन:** ये हैं - (क) कक्षा 1 से 4 तक 100 रूपए प्रति वर्ष (ख) कक्षा 5 से 7 तक 150 रूपए प्रति वर्ष (ग) कक्षा 8 से 10 तक 200 रूपए प्रति वर्ष (घ) कालेजों में अध्ययन करने वालों के लिए 250 रूपए प्रति वर्ष (ड.) 2500 रूपए का प्रोत्साहन उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 7वीं कक्षा पास कर ली है और 5000 रूपए उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने प्रथम प्रयास में एसएसएलसी पास कर ली है (च) 200 रूपए प्रति वर्ष की दर से माता-पिताओं के लिए विशेष प्रोत्साहन (छ) 150 रूपए एवं 65 रूपए प्रति वर्ष की दर से कक्षा 1 से 10 तक में अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए वर्दी एवं लेखन सामग्री की आपूर्ति।

(ii) **आश्रम स्कूल:** अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे आश्रम स्कूलों में कक्षा 1 से 7 तक में आदिम जनजातीय बच्चों का प्रवेश किया जा रहा है। आश्रम स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं जैसे नि:शुल्क आवास बोर्डिंग, शिक्षा, वर्दी, टैक्सटबुक और लेखन सामग्री आदि उपलब्ध कराई जा रही है। एक **केन्द्रीय मोडल आवासीय स्कूल** विशेष रूप से गोरगा बच्चों के लिए मंगलोर तालुक, दक्षिण कन्नाडा जिले में भी कार्य कर रहा है।

(iii) **प्री–मैट्रिक/पोस्ट – मैट्रिक छात्रावास:** अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्री-मैट्रिक छात्रावासों में कक्षा 5 से 10 तक में अध्ययन करने वाले आदिम जनजातीय समूहों के बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। प्री-मैट्रिक छात्रावासों में विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं जैसे नि:शुल्क आवास बोर्डिंग, शिक्षा, वर्दी, टैक्सटबुक और लेखन सामग्री आदि उपलब्ध कराई जा रही है। पोस्ट-मैट्रिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे आदिम जनजातीय समूहों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास

सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। नि:शुल्क आवास एवं बोर्डिंग भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

4.7.4 (i) कृषि, (ii) बागवानी, (iii) पशुपालन, (iv) वन, और (v) गांव एवं लघु उद्योगों के संबंध में आदिम जनजातीय समूहों के बीपीएल परिवारों को ऊपर उठाने के लिए संबधित राज्य सरकार के विभागों के माध्यम से विभिन्न **आर्थिक लाभ** उपलब्ध कराए जा रहे हैं। **कृषि** लाभों के अन्तर्गत बीजों की आपूर्ति, जुताई बैलों और बैल - गाड़ियों की आपूर्ति, सुजाला वाटरशेड प्रोजेक्ट, और स्वर्ण फार्म पौण्डस आदि शामिल हैं। **बागवानी** लाभों के अन्तर्गत (i) प्रति इकाई 2700 रूपए की लागत पर फ्रूट/कोकोनेट/अरकानेट बागों की स्थापना, (ii) द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए क्रमश: 650 रूपए और 350 रूपए की दर से इन बागों की रख-रखाव लागत, (iii) जैसमिन पौधारोपण की स्थापना (iv) दवाई संबंधी पौधों की खेती, (v) रबर एवं कोफी पौधारोपण की स्थापना और (vi) वाणिज्यक फसल जैसे अदरक और हल्दी की खेती आदि शामिल हैं। **पशुपालन** कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभों में (i) शंकर नसल बछड़ों की आपूर्ति, (ii) भैंसों की आपूर्ति और (iii) भेड़/सुअर इकाइयों की आपूर्ति, जिसके अन्तर्गत प्रति इकाई 75 प्रतिशत सहायता दी जाती है, शामिल है। **वन** कार्यक्रम में (i) बेंत और बांसों की आपूर्ति और (ii) मकान निर्माण सामग्री की आपूर्ति और उसी प्रकार **गांव और लघु उद्योग** घटक के अन्तर्गत लाभों में (i) रिहायसी-व-कार्य शेड का निर्माण और (ii) सामान्य कार्य शेडों का निर्माण शामिल है।

4.7.5 राज्य सरकार ने आदिम जनजातीय समूहों के परिवारों के प्रशिक्षण एवं स्व-रोजगार के लिए भी व्यवस्था की है। प्रशिक्षण घटक (i) बेंत और बांस शिल्प, (ii) बढ़ई, (iii) एलएमवी ड्राईविंग, (iv) दर्जी, (v) कम्प्यूटर, (vi) राजगिरी और (vii) सीमेन्ट से बनने वाली ईंटों का निर्माण से संबंधित है। टूल-किट्स नि:शुल्क दी जाती है और प्रति उम्मीदवार 500 रूपए प्रतिमाह वजीफा दिया जाता है।

4.7.6 आदिम जनजातीय परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, चलित स्वास्थ्य ईकाईयों और चलित स्वास्थ्य गाड़ियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। अम्बेदकर आवास योजना के अन्तर्गत 20 हजार रूपए की यूनिट लागत से बेघर आदिम जनजातीय समूह परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हैंडपम्प सहित बोरवेल एवं छोटी जल आपूर्ति स्कीमों के माध्यम से स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराया जा रहा है आदिम जनजातीय समूहों को सदस्यों के रूप में नामित करने के लिए लैंम्प्स (वृहत आकार बहु-उद्देश्य समितियाँ) की सहायता ली जा रही है ताकि (i) लघु वन उत्पाद का संग्रहण और विपणन, और (ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनाज का वितरण, से उनकी सहायता की जा सके।

4.7.7 वर्ष 2004-05 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई जनश्री बीमा योजना को राज्य सरकार कार्यान्वित कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार को जारी की गई राशि निम्नानुसार है:-

(रूपए लाख में)

वर्ष	पहचाने गए लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि
2004-05	2000	10.00
2005-06	4000	20.00
2006-07	2500	12.50

4.7.8 आदिम जनजातीय समूहों के लिए कर्नाटक अनुसूचित जनजाति विकास निगम निम्नलिखित कार्यक्रम लागू कर रहा है:-

(i) **सिंचाई (गंगाकल्याण)**

(क) अलग-अलग सिंचाई कुंए- यूनिट लागत रू0 1,00,000/- (सहायता रू0 86,000/-)

(ख) गंगाकल्याण – यूनिट लागत – 8 एकड़ भूमि का समूह – रू0 2.53 लाख
15 एकड़ भूमि का समूह – रू0 3.59 लाख

(ii) **स्व–रोजगार योजना**

(क) आटो-रिक्सा की आपूर्ति

(ख) डेयरी विकास गतिविधि

4.7.9 राज्य सरकार ने आदिम जनजातीय समूह के विकास हेतु कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संबंधित जिलों के उप-आयुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तर समितियाँ गठित की हैं, (i) संबंधित जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (ii) जिला प्रबंक, संबंधित जिलों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम, (iii) संबंधित जिलों के लोकसभा सदस्य/विधान सभा सदस्य/विधान परिषद् सदस्य, (iv) उप-आयुक्त द्वारा नामित आदिम जनजातीय समूह के कल्याण के लिए कार्यरत गैर -सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि, और (v) उपायुक्त द्वारा नामित दो आदिम जनजातीय समुदायों से एक प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं। कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए समिति तीन महीनों में एक बैठक करती है और विभिन्न विकास विभागों के लिए उपलब्ध कराई गई परिसम्पतियों के प्रभाव की निगरानी भी करती है।

4.7.10 राज्य सरकार ने वर्ष 2000 में जारी एक अध्यादेश के तहत आजलू प्रथा के लिए कोरागास की सेवाओं के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है।

4.7.11.1 माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं0 2003 का 76-ए. एस. नागेन्द्र और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य के बारे में आयोग के विचार मांगे थे कि क्या मालेरू समुदाय मलेरू के रूप में है जिसे (अर्थात् मलेरू) संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत जारी संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। आयोग ने यह जानने के लिए आधाभूत सूचना एकत्रित करने के लिए लगातार कार्रवाई की है कि क्या मालेरू और मलेरू दो अलग-अलग समुदायों या एक ही समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न स्थानों से प्राप्त सूचना यह व्यक्त करती है कि मालेरू और मलेरू दो भिन्न समुदाय थे जो सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताओं से भिन्न हैं और मालेरू अपने पारम्परिक व्यवसाय 'मंदिर सेवक' के रूप में गांवों और कस्बों में रहते हैं अनुसूचित जनजाति के रूप में एक समुदाय की घोषणा वाली विशेषताएं उनसे मेल नहीं खाती है, मलेरू [जिसे संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है] वनों और पहाड़ियों में रहते हैं जिनका व्यवसाय शिकार करना और वन उत्पादों को इकट्ठा करना है। सदस्य के नेतृत्व में आयोग के अधिकारियों के एक दल का निष्कर्ष यह व्यक्त करता है कि:-

(i) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार मलेरू की कुल जनसंख्या दो हजार से कम थी।

(ii) मलेरू मांसाहारी हैं और पहाड़ों से एकत्रित की गई सिकी हुई चींटियों से तैयार की गई चटनी भी खाते हैं।

(iii) मलेरू शिकारी हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। लीन सीजन (अकाल) के दौरान, उनके पास खाने को कुछ नहीं होता है और वे जड़ों और पत्तियों को खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

4.7.11.2 आयोग ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी **कि साक्षरता के निम्न स्तर, अत्यन्त आर्थिक पिछड़ापन, प्रौद्योगिकी का पूर्व कृषीय स्तर, स्थिर एवं घटती हुई जनसंख्या, और लोगों की आदिम विशेषताओं की दृष्टि से, मलेरू समुदाय (जिसे पहले ही अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है) अपने शिकारीपन, जंगल एवं पहाड़ियों में रहने और वन उत्पादों जैसे जड़ों और पत्तियों पर निर्भर रहने के कारण वे इससे संबंधित हैं। कर्नाटक की मलेरू समुदाय को आदिम जनजातीय समुदाय की सूची में शामिल किया जा सकता है। आयोग इस सिफारिश पर पुन: जोर देना चाहता है।**

4.8 केरल

4.8.1 केरल में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त 36 समुदायों में से 5 को आदिम जनजातीय समूहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो हैं- (i) **काटूनैकन**, (ii) **चोलनैकन**, (iii) **कादर**, (iv) **कोरगा**, **और** (v) **कुरूम्बा।** वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उनकी कुल जनसंख्या 20,186 है। वर्ष 1981, 1991 और 2001 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातीय समूहवार जनसंख्या और जिले जिनमें ये आदिम जनजातीय समूह रहते हैं, नीचे सारणी में दिए गए हैं:-

क्र.सं.	आदिम जनजातीय समूहों का नाम	जनसंख्या			वह जिले जिनमें वे रहते हैं
		1981 जनगणना	1991 जनगणना	2001 जनगणना	
1.	काटूनैकन	8803	12155	14715 (चोलनैकन सहित)	वयनाद, कोझीकोड़े, मालाप्पुरम और पलक्कड़
2.	चोलनैकन	234	-	-	कलापुरम
3.	कादर	1503	2021	2145	पलक्कड़ और त्रिसूर
4.	कोरगा	1098	1651	1152	कासरगोड़े
5.	कुरूम्बा	1243	1820	2174	पलक्कड़
	योग	12921	17647	20186	

4.8.2 केरल सरकार ने अलग से सूचित किया है कि आधार रेखा सवेक्षण, 2006 के अनुसार चोलनैकन की कुल जनसंख्या 363 थी। उसी प्रकार, अन्य जनजाति समूह नामत: कादर, कुरूम्बा, कोरगा और काटूनैकन की जनसंख्या इस सर्वेक्षण के अनुसार 1674, 2077, 1566 और 18572 (कुल 24252) थी।

4.8.3 उनके जीवन निर्वाह का मुख्य स्रोत कृषि, एमएफपी संग्रहण, वन कार्य और दैनिक मजदूरी कार्य आदि है।

4.8.4 राज्य सरकार राज्य में आदिम जनजातीय समूहों के **आर्थिक विकास** के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इसमें 'विशेष पैकेज कार्यक्रम' शामिल है जिसके अन्तर्गत आदिम जनजातीय समूहों के लाभ के लिए आवश्यकता आधारित एवं स्थान विशिष्ट पैकेज कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और शिक्षा, आर्थिक विकास और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अन्य कार्यक्रम जिसे 'खाद्य सहायता कार्यक्रम' कहा गया है, के अन्तर्गत राज्य सरकार वर्षा ऋतु के दौरान आदिम जनजातीय समूहों के लिए अनाज उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार एससीए से टीएसपी के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त निधि के अन्तर्गत कृषि अभियानों एवं अन्य आय सृजन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

4.8.5 **शैक्षणिक विकास** के बारे में दो स्कूल मुख्यत: वयनाद जिले में नूलपूझा में आश्रम स्कूल एवं मालापुरम जिले में मनजेरी विशेष रूप से चोलनैकन और काटूनैकन के आदिम जनजातीय समुहों के समुदायों के लिए हैं। अन्य आदिम जनजातीय समूहों के समुदायों के विद्यार्थियों का प्रवेश अन्य आश्रम स्कूलों में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में किया जाता है। राज्य में जिनकी संख्या कुल 18 है। आदिम जनजातीय समूहों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए, 37 भ्रमणशील शिक्षा केन्द्र उनकी बस्तियों में कार्य कर रहे हैं।

4.8.6 आदिम जनजातीय समूहों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 की जनसंख्या के लिए एक उपकेन्द्र है और लगभग 20,000 की जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। इसके अतिरिक्त दूरस्थ एवं दूरगम्य जनजातीय क्षेत्रों में 13 जनजातीय चलित चिकित्सा इकाईयाँ स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध करा रहीं है, इसके अतिरिक्त, आदिम जनजातीय समूह क्षेत्रों में 11 आयुर्वेदिक औषधालय, 1 एलोपैथिक अस्पताल और 2 ऑ.पी. क्लीनिक्स हैं। इलाज के लिए जनजातीय समूहों हेतु राज्य सरकार भी सहायता उपलब्ध करा रही है। आदिम जनजातीय समूहों के विकास के बारे में सीएसएस की जनश्री बीमा योजना घटक के अन्तर्गत राज्य में अब तक 4500 परिवारों का बीमा कराया गया है।

4.8.7 आदिम जनजातीय समूहों के लिए मकान उपलब्ध कराने हेतु एक अलग योजना है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान 10.00 करोड़ रूपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से आदिम जनजातीय समूह परिवारों के लिए 1,111 मकान बनाए गए थे। जनजातीय क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए टीएसपी निधि की सहायता से राज्य सरकारों के स्थानीय निकायों द्वारा योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2004 से 2006 के दौरान एक विशेष परियोजना अर्थात् एसीए के अन्तर्गत वयनाद के जनजातीय क्षेत्रों हेतु पेयजल आपूर्ति (अतिरिक्त कन्द्रीय सहायता) जिसकी लागत 12.50 करोड़ रूपए है, कार्यान्वित की जा रही थी। इस परियोजना के अन्तर्गत मुख्य केन्द्र वयनाद जिले में आदिम जनजातीय समूह था।

4.8.8 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आदिम जनजातीय समूह परिवारों हेतु आवश्यक वस्तुएं जैसे चावल, गेहूँ, चीनी, मिट्टी का तेल आदि उपलब्ध कराए जा रहे है। वर्षा ऋतु एवं आपदा क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जरूरतमंद जनजातीय परिवारों के लिए राज्य सरकार भी नि:शुल्क राशन उपलब्ध कराती है।

4.8.9 वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान अपने घटक जनश्री बीमा योजना सहित 'आदिम जनजातीय समूहों का विकास' के लिए सीएसएस के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान क्रमश: 15.00 लाख रूपए, 10.00 लाख रूपए और 5.00 लाख रूपए था।

4.8.10 राज्य सरकार ने एक नई योजना नामत: "वन क्षेत्रों में रह रही जनजातियों का विकास" बनाई है और राज्य की 11वीं योजना एवं वार्षिक योजना, 2007-08 में शामिल किया है। इस योजना के अन्तर्गत 10.00 करोड़ रूपए और 1.00 करोड़ रूपए का प्रावधान क्रमश: 11वीं योजना एवं वार्षिक योजना, 2007-08 के बजट में किया जा रहा है। योजना को वन विभाग के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

4.8.11 राज्य सरकार ने, विशेष रूप से भूमिहीन जनजातियों की पहचान करने के लिए और उनके पुनर्वास के लिए वर्ष 2001 में एक संगठन जिसका नाम 'जनजातीय पुनर्वास एवं विकास मिशन है', बनाया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, मुख्य जोर आदिम जनजातीय समूहों पर दिया गया है। इस मिशन ने अभी तक 4,652 जनजातीय परिवारों को 6780.94 एकड़ भूमि बांटी है।

4.9 मध्य प्रदेश

4.9.1 तीन अनुसूचित जनजातियाँ हैं जिन्हें मध्य प्रदेश में आदिम जनजातीय समूह के रूप में अधिसूचित किया गया था। ये हैं- (i) **बैगा**, (ii) **सहारिया**, **और** (iii) **भारिया।** बैगा मंडला, ढिंडोरी, शहडोल, उमरिया, अनुपपुर एवं बालाघाट जिलों के 1143 गावों में रहते हैं। सहारिया ग्वालियर, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना जिलों के 1159 गांवों में रहते हैं। भारिया छिन्दवाड़ा जिले के पातालकोट खण्ड के 12 गांवों में रहते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इन तीनों आदिम जनजातीय समूहों की कुल जनसंख्या 456807 है जिसमें से सहारिया की जनसंख्या अधिकतम अर्थात् 323370 है। बैगा और भारिया की जनसंख्या क्रमश: 131425 और 2012 है। अधिकतर आदिम जनजातीय समूहों के जीवन निर्वाह के मुख्य स्रोत कृषि, गौण वन उत्पाद का संग्रहण और कृषि एवं श्रम मजदूरी है।

4.9.2 राज्य सरकार एससीए से टीएसपी के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त निधियों की सहायता से रोजगार-व-आय सृजन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिकतर आदिम जनजातीय समूह परिवारों को कवर कर रही है। इस संबंध में मुख्य गतिविधियाँ हैं- (i) कृषि एवं बागवानी, (ii) लघु सिंचाई, (iii) पशु पालन, (iv) वन गांवों का विकास, और (v) लघु पैमाने के उद्योग एवं हस्तशिल्प। वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान एससीए से टीएसपी में से आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए आवंटित और खर्च की गई निधियों की राशि क्रमश: 1050.94 लाख रूपए, 1005.96 लाख रूपए और 900.00 लाख रूपए है।

4.9.3 आदिम जनजातीय समूहों में शिक्षा के उन्नयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कुछ विशेष कदम नीचे दिए गए हैं:-

(i) दो वर्षों के दौरान आदिम जनजातीय समूह क्षेत्रों में 150 आश्रम शाल्साएं खोले गए हैं।
(ii) आदिम जनजातीय समूहों के विद्यार्थियों को विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं जैसे (क) प्रथम क्लास से छात्रावृति, (ख) सभी लड़कों एवं लड़कियों को नि:शुल्क स्कूल वर्दी, (ग) नि:शुल्क टेस्टबुक, (घ) नि:शुल्क स्कूल बस्ते और (ड.) नि:शुल्क स्वेटर, जूते एवं जुराब।
(iii) भोपाल में एक 100-सीटों वाला मॉडल आवासीय स्कूल खोला जा रहा है।

(iv) राज्य सरकार ने आदिम जनजातीय समूहों के ऐसे उन सदस्यों को रोजगार देने के लिए विशेष उपबंध किया है जो शिक्षित हैं। यह योजना बिना लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के जो दूसरों के लिए अपेक्षित है परन्तु आदिम जनजातीय समूहों से संबंधित ऐसे लड़के एवं लड़कियों को सरकार के वर्ग III एवं IV पदों में रोजगार उपलब्ध कराती है जो पद के लिए न्यूनतम अपेक्षित योग्यता रखते हैं।

4.9.4 आदिम जनजातीय समूहों की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही चिकित्सा सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल है:-

(i) भारत सरकार ने यह अनुदेश जारी किए हैं कि सभी आदिम जनजातीय समूहों के परिवारों को बीपीएल परिवार माना जाना चाहिए। इस प्रकार स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं जैसे दीनदयाल अन्तोदय उपचार योजना, मध्य प्रदेश बीमारी सहायता निधि, जननी सुरक्षा योजना, और बीपीएल परिवारों के लिए उपलब्ध संस्थानीय डिलीवरी आदि के लिए नि:शुल्क परिवहन एवं उपचार में स्वत: ही आदिम जनजातीय समूहों के परिवार शामिल हो जाते हैं।

(ii) राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में 11 चलित स्वास्थ्य क्लीनिक चला रही है और योजना का विस्तार सभी 89 जनजातीय खण्डों तक किया जा रहा है।

(iii) आयोडीन-युक्त नमक 1/-रू0 प्रति किलों की दर से टीएसपी क्षेत्रों के सभी जनजातीय परिवारों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

(iv) डबल फोर्टीफाइड साल्ट (आयोडीन+आयरन) आंगनबाड़ी के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

(v) जैसे कि आदिम जनजातीय विशेष रूप से बैगा स्केल सेल एनीमिया से पीड़ित हो रहे हैं, राज्य सरकार की योजना इन प्रभावित क्षेत्रों में जैनेटिक परामर्शी केन्द्रों को खोलने की है।

4.9.5 आदिम जनजातीय समूहों के आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कुछ अन्य कदम निम्नवत है:-

(i) "मुख्यमंत्री आवास योजना" के अन्तर्गत जनजातियों के लिए 25000 मकानों के निर्माण का एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है जो उन मकानों के अतिरिक्त हैं, जिन्हें भारत सरकार की "इंदिरा आवास योजना" के अन्तर्गत बनाया जा रहा है।

(ii) लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग द्वारा दी जा रही निधियों के अलावा कुंओं और ट्यूबवेलों के निर्माण के लिए आदिम जनजातीय समूह क्षेत्रों में एससीए से टीएसपी के अन्तर्गत निधियों का भी उपयोग किया जा रहा है जो सभी छोटे गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है।

(iii) आदिम जनजातीय समूह क्षेत्रों में मैक्सीमम ग्रेम बैंक कार्य कर रहे हैं।

(iv) आदिम जनजातियों के सभी परिवारों को अन्तोदय अन्न योजना के अन्तर्गत राशन कार्ड जारी किए गए हैं और वे 2/- रू0 प्रति किलो की दर से प्रत्येक माह प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्य अनाज, गेहूँ और चावल 3/-रू0 प्रति किलों की दर से प्राप्त कर रहे हैं।

4.9.6 पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की सीएसएस के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई एवं खर्च की गई निधियाँ क्रमश: 293.21 लाख रूपए, 423.00 लाख रूपए और 516.00 लाख रूपए थी। यह राशि स्कीम के जनश्री बीमा योजना घटक के अन्तर्गत प्रयोग की जा रही निधियों में शामिल थी जो वर्ष 2004-05 के दौरान आदिम

जनजातीय समूह परिवारों के 20,000 व्यक्तियों का बीमा करने के लिए 1.00 करोड़ रूपए और वर्ष 2005-06 के दौरान आदिम जनजातीय समूह के परिवारों के 40,000 व्यक्तियों का बीमा करने के लिए 2.00 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2006-07 के दौरान आदिम जनजातीय समूह के परिवारों के 30, 000 व्यक्तियों का बीमा करने के लिए 1.5 करोड़ रूपए थी।

4.10 महाराष्ट्र

4.10.1 तीन अनुसूचित जनजातियों नामत: (i) **कटकरी/कथोडी**, (ii) **कोलम और** (iii) **मारिया गोंड** को महाराष्ट्र राज्य में आदिम जनजातीय समूह के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उनकी कुल जनसंख्या 433483 थी। वर्ष 1981, 1991 और 2001 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातीय समूहवार जनसंख्या नीचे सारणी में दी गई है:-

क्र0सं0	आदिम जनजातीय समूहों का नाम	1981की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	1991की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	2001की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	कटकरी/कथोडी	174602	202203	-
2.	कोलम	118073	147843	-
3.	मारिया गोंड	66750	-	-

4.10.2 ये आदिम जनजातीय समूह राज्य के चार प्रभागों में रहते हैं। ये नासिक प्रभाग, थाणे प्रभाग, अमरावती प्रभाग एवं नागपुर प्रभाग हैं। नासिक प्रभाग में नासिक, नन्दूरबार एवं अहमदनगर जिले हैं। ठाणे प्रभाग जिले में थाणे, रायगढ़, रतनागिरि, सिंदुदुर्ग, पूना, सतारा, संघली, शोलापुर एवं कोहलापुर हैं। अमरावती प्रभाग के जिले में यावतमल, नान्देड़, हिंगोली एवं प्रभानी हैं। नागपुर प्रभाग के जिले में नागपुर, वर्धा, चन्दरपुर एवं गढ़चिरौली हैं। इन जनजातीय समूहों के जीवन निर्वाह के मुख्य स्रोत खेती, मत्स्यपालन एवं शिकार कृषि श्रम और एमएफपी का संग्रहण करना हैं।

4.10.3 राज्य सरकार आदिम जनजातीय समूहों के बच्चों में शिक्षा के उन्नयन के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। योजना में स्कूल छोड़ कर जाने वाले बच्चों की दर रोकने की जांच करने की दृष्टि से लड़की के अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वस्ती शाला योजना है और वस्ती शाला योजना के अनुरूप आदिम जनजातीय समूहों छोटे भागों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। आदिम जनजातीय समूहों के आर्थिक विकास हेतु कार्यान्वित की जा रही स्कीम संबंध-(i) बागवानी और जड़ी-बूटी नर्सरी खेती, (ii) शहद संग्रहण के लिए प्रशिक्षण एवं सहायता, (iii) बांस शिल्प प्रशिक्षण, (iv) दूधारू जानवारों की आपूर्ति (दो भैस, दौ गाय एवं बकरी इकाइयों), (v) आदिम जनजातीय समूह के किसानों के लिए पीकेवी मोडल टयूबवेल्स (गोडचिरौली जिला) और (vi) लघु लिफ्ट सिंचाई है।

4.10.4 वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्राप्त की गई निधियाँ 358.00 लाख रूपए, 177.71 लाख रूपए और 440.60 लाख रूपए थीं जिसमें से विभिन्न स्कीमों पर क्रमश: 338.68 लाख रूपए, 161.33 लाख रूपए, और 42.00 लाख रूपए खर्च किए गए । लाभार्थियों की संख्या क्रमश: 63130 (2004-05), 24963 (2005-06) और 120 (2006-07) थी।

4.11 मणिपुर

4.11.1 **माराम नागा** ही मणिपुर की एक मात्र अनुसूचित जनजाति है जिसे आदिम जनजातीय समूह के रूप में घोषित किया गया है। 1991 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या 9592 थी। राज्य सरकार के आदिम जनजातीय विकास विभाग ने वर्ष 2002 में इस आदिम जनजातीय समूह का एक बेसलाइन सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण के अनुसार इस आदिम जनजातीय समूह की कुल जनसंख्या 24,108 थी जो 37 गांवों के 3136 परिवारों में फैली हुई थी।

4.11.2 इस समूहों के लोग अभी भी मात्र सिफ्टिंग खेती-बाड़ी पर निर्भर करते हैं। राज्य सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह बड़े पैमाने पर स्थाई रूप से खेती करें क्योंकि लघु सिंचाई सुविधाएं व्यावहारिक रूप से गांवों में उपलब्ध नहीं हैं। स्थानीय स्थल-आकृति स्थित कुओं और टयूबवेलों के खुदाई की इजाजत नहीं देती है। टैंक के आभाव में लगभग सभी व्यक्ति धारा-जल पर निर्भर करते हैं। एससीए से टीएसपी के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए निधियों से जनजातीय कल्याण विभाग माराम युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के साथ-साथ कुछ परिवारोन्मुखी आय सृजन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान निधियों का आवंटन 18 लाख रूपए प्रति वर्ष था। एक चलित चिकित्सा औषधालय लोगों की चिकित्सा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, एक आवासीय स्कूल भी चल रहा है। इस जनजाति के निवास क्षेत्रों में चार अन्त-गांव सड़क एवं एक ससपेन्सन ब्रिज के निर्माण के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 26 लाख रूपए की राशि जारी की थी। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आगे कोई और राशि जारी करने से मना कर दिया है। आयोग समझता है कि राज्य सरकार ने बेसलाइन सर्वेक्षण के निष्कर्ष के आधार पर 11.00 करोड़ रूपए की निधि की स्वीकृति के लिए वर्ष 2003-04 के दौरान निम्नलिखित को कवर करते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था- (i) सड़कों और पुलों, (ii) पेयजल, (iii) लघु सिंचाई, (iv) सफाई, (v) विपणन शैड (vi) आवास, और (vii) विद्युतीकरण। राज्य सरकार ने (i) शैक्षणिक विकास, (ii) स्वास्थ्य सुरक्षा, और (iii) आर्थिक विकास के लिए गैर सरकारी संगठन क्षेत्र के अन्तर्गत 73.50 लाख रूपए की निधियों के लिए उसी वर्ष एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है। **आयोग यह सिफारिश करता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें ताकि राज्य सरकार माराम नागाओं की समस्या को निपटा सके।**

4.12 उड़ीसा

4.12.1 उड़ीसा राज्य में 13 अनुसूचित जनजातियों को आदिम जनजातीय समूह के रूप में घोषित किया गया है। ये हैं-**बिहोर**, **बोण्डा**, **चुकतिया भुंजिया**, **डिडेयी**, **डोंगरिया कौंध**, **जुवांग**, **खारिया**, **कुटिया कौंध**, **लंजिया सौरा**, **लोधा**, **मनकिरदिया**, **पौदी भूयान और सौयरा।** जनजातिवार जनसंख्या (मार्च, 2007 की बेसलाइन सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित) और जिले जिनमें ये जनजातियाँ रहती हैं, नीचे सारणी में दी गयी हैं:-

क्र0सं0	आदिम जनजातीय समूहों का नाम	जिलों के नाम जहाँ वे रहते हैं।	जनसंख्या
1.	बिहोर	मयूरभंज	825 (1991 की जनगणना)
2.	बोण्डा	मलकान गिरी	6008
3.	चुकतिया भुंजिया	नौपाड़ा	2269
4.	डिडेयी	मलकानगिरी	6545

5.	डोंगरिया कौंध	रायागढ़	8603
6.	जुवांग	क्योंझर	8281
7.	खारिया	मयूरभंज	2082
8.	कुटिया कौंध	फूलबनी और कालाहांडी	8073
9.	लंजिया सौरा	रायागढ़ और गाजापाती	11215
10.	लोधा	मयूरभंज	2840
11.	मनकिरदिया	मयूरभंज	1491(1991 की जनगणना)
12.	पौदी भूयान	सुन्दरगढ़, अंगुल और देवगढ़	13202
13.	सौयरा	गाजापाटी और गंजम	9401
		योग	80035

4.12.2 इन जनजातियों के जीवन निर्वाह के मुख्य स्रोत सिफ्टिंग खेती, बागवानी/कृषि, मत्स्यन, एमएफपी संग्रहण, शाल के पत्तों के प्लेट एवं कप बनाना और मजदूरी करना है। डिडेयी, पौदी भूयान और सौयरा आदिम जनजातीय समूह से संबंधित लोग पेड्डी, दाल, वनस्पति, ऑयलसीड, मसालों आदि की व्यवस्थित खेती करते हैं। सिफ्टिंग खेती के अलावा, जुवांग, कुटिया कौंध, लंजिया सौरा और लोधा पेड्डी और गेहूँ की व्यवस्थित खेती भी करते हैं।

4.12.3 आदिम जनजातीय समूहों को राशन जैसे चावल, चीनी और मिट्टी का तेल आदि की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से की जाती है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से रियायती दरों पर राशन प्राप्त करते हैं। अन्नपूर्णा योजना भी कार्यान्वित की जा रही है जिसमें लाभार्थी 3/-रू0 प्रति किलों की दर से 30 किलो चावल प्रति माह प्राप्त करते हैं। उचित मूल्य दुकाने भी खोली गई हैं जहाँ से लाभार्थी उचित मूल्य पर किराना का सामान, स्टेशनरी और कपड़े आदि प्राप्त करते हैं। जनजातीय विकास सहकारी निगम उन्हें साहूकारों एवं दलालों के शोषण से बचाने के लिए सरकारी मूल्यों पर इन जनजातियों से कृषि एवं वन उत्पाद खरीदता है।

4.12.4 आदिम जनजातीय समूहों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत इन जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गई गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं- कृषि, बागवानी, लघु व्यवसाय, कला एवं शिल्पकला का विकास, कुटीर उद्योग, मत्स्यपालन, अहाता पौधारोपण, सब्जी की खेती, पशुपालन एवं रेशम उत्पादन आदि । वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (31-12-2006 तक) उड़ीसा सरकार को जारी की गई राशि क्रमश: 150.00 लाख रूपए, 55.00 लाख रूपए, 92.598 लाख रूपए और 75.5 लाख रूपए थी। यह राशि स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य अभिकरणों/गैर सरकारी संगठनों को जारी की गई राशि के अतिरिक्त थी। राज्य सरकार को जारी/स्वीकृत निधियों की उपरोक्त राशि में से आदिम जनजातीय समूहों के आर्थिक विकास के लिए लागू स्कीमों पर राज्य सरकार द्वारा केवल 51.91 लाख रूपए ही खर्च किए जा सके। इन तीन वर्षों के दौरान एससीए से टीएसपी तक के अनुसार उड़ीसा सरकार को जारी की गई कुल राशि में से आदिम जनजातीय समूहों के आर्थिक विकास के लिए 17 माइक्रो-प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए 1110.41 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से इन परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा खर्च वास्तविक व्यय 1282.77 लाख रूपए था।

4.12.5 केन्द्रीय क्षेत्र जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत, वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान जनजातीय परिवारों के क्रमशः 2500, 2500 और 8500 व्यक्तियों का बीमा कराने के लिए उड़ीसा सरकार को 12.50 लाख रूपए, 25.00 लाख रूपए और 42.50 लाख रूपए जारी किए गए थे।

4.13 राजस्थान

4.13.1 **सहारिया** एकमात्र अनुसूचित जनजाति है जिसे राजस्थान राज्य में आदिम जनजातीय समूह के रूप में पहचाना गया है। इस समुदाय के लोगों को सहारिया के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि वे जंगलों में रहते हैं। सहारिया नाम 'सहारा' शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है रेगिस्तान। सहारिया जिला बरन के किशनगंज, सहाबाद, अतल और मंरौल तहसीलों में पाए जाते हैं। लेकिन ये मुख्यतः केन्द्र किशनगंज और सहाबाद तहसीलों में है। इन सभी तहसीलों में कुल 283 गांव हैं जो सहारिया जनसंख्या के केन्द्र हैं। जनजातीय अनुसंधान संस्थान, उदयपुर द्वारा एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2002 में इस जनजाति समूह की कुल जनसंख्या 79372 है जिसमें से 39308 तथा 34687 क्रमशः किशनगंज और सहाबाद में रहते हैं। वर्ष 1981 और 1991 की जनगणना के अनुसार उनकी कुल जनसंख्या क्रमशः 40945 और 59810 थी।

4.13.2 सहारिया में जीवन निर्वाह के मुख्य स्रोत कृषि मजदूरी, दैनिक मजदूरी आय, कृषि कार्य, गौण वन उत्पादों का संग्रहण और सरकारी एवं गैर सरकारी निकायों में सेवा है।

4.13.3.1 राज्य सरकार सहारिया के आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों में वन जनशक्ति कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है जो सहारिया के लिए जीवन निर्वाह के वन आधारित स्थाई स्रोत उपलब्ध कराने के लिए आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 सहारिया परिवारों को गौण वन उत्पाद संग्रहण के उद्देश्य के लिए 100 हेक्टेयर भूमि (एक परिवार को 1 हेक्टेरय की दर से) आवंटित की गई है। वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान 4000 परिवारों को 4000 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। वर्ष 2006-07 के दौरान स्कीम के अन्तर्गत अन्य 4000 परिवारों को भी लाभ दिया गया था। इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रत्येक सहारिया परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को वर्ष में 200 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना था। सहारिया परिवारों को उन्नत कृषि एवं बागवानी कार्यक्रम, सिंचाई के लिए निःशुल्क सामूहिक डीजल पम्प सेटों का वितरण, सामूहिक कृषि टयूबवेल लगाने, के संबंध में उनको कार्यों के अवसर प्रदान कराते हुए केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के अन्तर्गत भी रोजगार दिया जा रहा है।

4.13.3.2 वर्तमान में किशनगंज और सहाबाद तहसीलों में 304 प्राथमिक स्कूल, 93 उच्च प्राइमरी स्कूल, 17 माध्यमिक स्कूल एवं 13 उच्च माध्यमिक स्कूल चल रहे हैं जहाँ अधिकतर रहते सहारिया हैं। इसके अतिरिक्त 19 आश्रम छात्रावास भी विद्यमान हैं जिनमें 750 सहारिया बच्चों को पढ़ाने की सुविधाएं हैं। लगभग 300 बालिका एवं 100 बाल विद्यार्थियों को हनौटिया और किशनगंज में 2 आवासीय स्कूलों से भी लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा, 3900 सहारिया बच्चों को 130 मा-बादी केन्द्रों के माध्यम से शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य सरकार ने सहारिया बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 2 और आवासीय स्कूल, 1 लड़को के लिए और 1 लड़कियों के लिए, 12 आश्रम छात्रावास (6 लड़कियों के लिए और 6 लड़कों के लिए) और 42 मा-बादी केन्द्र/भवन खोलने के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। **आयोग सिफारिश करता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अपना अनुमोदन राजस्थान सरकार को यथाशीघ्र भेज दे।**

4.13.3.3 किशनगंज और सहाबाद तहसीलों में सहारिया परिवारों के सदस्यों के लिए 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 68 उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सहारिया परिवारों के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पौष्टिक खाद्य सामग्री भी प्रदान की जा रही है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को मिड-डे-मील कार्यक्रम के अन्तर्गत मिड-डे-मील दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने 180 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से सहारिया परिवारों में क्षय रोग को फैलने से रोकने के लिए कार्य योजना आरम्भ की है। शिक्षा कार्यक्रम के लिए भोजन के अन्तर्गत परिवहन की लागत राज्य सरकार वहन कर रही है। घेंघा बीमारी से उनकी रक्षा के लिए सभी सहारिया परिवारों को 1 किलो आयोडीन युक्त नकम प्रति परिवार प्रति माह निःशुल्क बांटा जा रहा है। सहारिया क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष 1 चिकित्सा स्वास्थ्य कैम्प सहारिया की स्वास्थ्य समस्या की जाँच के लिए लगाया जाता है और जो भयानक बीमारियों से गंभीर रूप से प्रभावित हैं उन्हें आगे इलाज के लिए जिला अस्पतालों में भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय सेना भी सहारिया क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य संबंधी जांच के लिए कैम्प लगाती है। जिला कलेक्टर, बारन ने प्रत्येक वर्ष जुलाई से अक्तूबर के बीच सहारिया परिवारों में मौसमी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए एक विशेष चिकित्सा दल का गठन किया है।

4.13.3.4 वर्ष 2004-05 के दौरान 3802 पक्के मकानों का निर्माण किया गया और डीपीआईपी स्कीम के अन्तर्गत सहारिया जाति के लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत 498 से और मकानों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त निधियों से 200 मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार ने भी संरक्षण-व-विकास योजना के अन्तर्गत सहारियाओं के लिए 1000 मकानों के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है।

4.13.3.5 समुदाय पेयजल ट्यूबवेल के माध्यम से 35 सहारिया गांवों के लिए वर्तमान में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध हैं। 11 और गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 11 सार्वजनिक कुंओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

4.13.3.6 राज्य सरकार ने सहाबाद और किशनगंज तहसीलों के सभी सहारिया परिवारों को बीपीएल के अन्तर्गत घोषित कर दिया है और इन परिवारों को किशनगंज में 88 उचित मूल्य दुकानों एवं सहाबाद में 61 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से मिट्टी का तेल एवं खाद्यान बांटा जा रहा है। वर्तमान में अन्तोदय अन्न स्कीम के अन्तर्गत प्रति परिवार प्रति माह 2/-रू0 की दर से 35 किलोग्राम गेहूँ उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सहारिया परिवारों को भी वैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी जैसे कि एक बीपीएल परिवार को उपलब्ध हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूँ चावल और मिट्टी का तेल भी उन्हें बांटा जा रहा है।

4.14 <u>तमिलनाडु</u>

4.14.1 6 अनुसूचित जनजातियों को तमिलनाड़ में आदिम जनजातीय समूह के रूप में पहचाना गया है। ये हैं-(i) **इरूलर**, (ii) **कटुनायकन**, (iii) **कोटा**, (iv) **कुरूम्बा**, (v) **पनियान**, **और** (vi) **टोडा।** वर्ष 1981, 1991 और 2001 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या नीचे सारणी में दी गई है:-

क्र0सं0	आदिम जनजातीय समूहों का नाम	जनसंख्या (1981जनगणना)	जनसंख्या (1991 जनगणना)	जनसंख्या (2001 जनगणना)
1.	इरूलर	105757	138827	155606
2.	कटुनायकन	26383	42761	45227
3.	कोटा	604	752	3122
4.	कुरूम्बा	4354	4768	5498
5.	पनियान	6393	7124	9121
6.	टोडा	875	1100	1560
	योग	144366	195332	220134

4.14.2 जबकि 4 आदिम जनजातीय समूह नामतः कोटा, कुरूम्बा, पनियान और टोडा नीलगिरि जिले में रहते हैं। अन्य 2 आदिम जनजातीय समूहों से संबंधित व्यक्ति अर्थात् कटुनायकन और इरूला पूरे राज्य में फैले हुए हैं। आदिम जनजातीय समूहों के जीवन निर्वाह का मुख्य स्रोत नीचे सारणी में दिए गए हैं:-

क्र0सं0	आदिम जनजातीय समूहो का नाम	जीवन निर्वाह के मुख्य स्रोत
1.	इरूलर	कृषि श्रम, गौण वन उत्पाद का संग्रहण और चाय की खेती, सब्जियाँ और बाजरा
2.	कटुनायकन	वन उत्पाद का संग्रहण, सुअर पालन, सुअर के खाद की बिक्री, वन एवं जंगली वन्य जीव उद्यानों में रोजगार
3.	कोटा	कला कार्य, पौधारोपण एवं सब्जी खेती एवं रोजगार
4.	कुरूम्बा	गौण वन उत्पादों का संग्रहण, चाय और कोफी की खेती और कृषि एवं बागवानी में श्रम कार्य
5.	पनियान	कृषि/बागवानी श्रम कार्य ईंधन की लकड़ी बेचना और मसालों की खेती
6.	टोडा	भैस पालन, दूध एवं कढ़ाई के शोल बेचना और सब्जियों की खेती

4.14.3 जन बीमा योजना घटक सहित आदिम जनजातीय समूहों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निधियों का विवरण क्रमशः 176.50 लाख रूपए, 159.55 लाख रूपए और 80.00 लाख रूपए था जिसमें से वास्तविक व्यय की राशि क्रमशः 136.50 लाख रूपए, 199.55 लाख रूपए और 20.00 लाख रूपए थी। इन योजनओं के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियाँ और इस स्कीम के अन्तर्गत निधियों से आरंभ की गई गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं- पेयजल सुविधाएं, मकानों का निर्माण, दुधारू पशुओं एवं भेड़ यूनिटों की आपूर्ति, चाय बागान एवं काली मिर्च पौधारोपण, विद्युत प्रदान करना, सड़क निर्माण और जागरूकता कैम्प लगाना। जन बीमा योजना के अन्तर्गत अभी तक 28000 आदिम जनजातीय समूह परिवारों को कवर किया गया है।

4.14.4 राज्य सरकार आदिम जनजातीय समूह के परिवारों को उपभोक्ता वस्तुएं और अन्य मदें जैसे, मिट्टी का तेल, चावल, चीनी, दालों आदि की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से करती है जिन्हें सहकारी विभाग एवं लैम्प समितियों के माध्यम से चलाया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रणाली राज्य में आदिम जनजातीय समूहों के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

4.14.5 आयोग की जानकारी में यह लाया गया है कि कट्टूनायकन जिला प्राधिकारियों से अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। **आयोग यह सिफारिश करता है कि राज्य सरकार को समुदाय संबंधी प्रमाण पत्र के जारी न होने से संबंधित उनकी समस्याओं की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए जिला प्राधिकारियों को अनुदेश जारी करे कि कट्टूनायकन को बिना किसी बाधा के उनके दावों की सत्यता की जांच करने के बाद समुदाय संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाएं।**

4.15 त्रिपुरा

4.15.1 त्रिपुरा राज्य में मात्र एक अनुसूचित जनजाति है जिसे आदिम जनजातीय समूह के रूप में घोषित किया गया है। यह **रींग** है । 1961 की और उससे आगे की जनगणनों के अनुसार इस जनजाति की कुल जनसंख्या नीचे दी गई है:-

(i) 1961 जनगणना - 56579
(ii) 1971 जनगणना - 64722
(iii) 1981 जनगणना - 84004
(iv) 1991 जनगणना - 111606
(v) 2001 जनगणना - 165103

4.15.2 त्रिपुरा राज्य सरकार इस जनजाति से संबंधित व्यक्तियों के आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

(i) केला/पाइन-एप्पल आदि की खेती
(ii) जानवरों का पालन पोषण (सुअर एवं बकरी पालन)
(iii) मत्स्य पालन
(iv) रींग जनजाति से संबंधित लोगों के निवास क्षेत्रों में उनके बच्चों में पूर्व-प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र, सामाजिक शिक्षा केन्द्र और प्राथमिक स्कूल खोले गए हैं। विद्यार्थियों को नि:शुल्क किताबें उपलब्ध कराई गई हैं। उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्ययनरत आदिम जनजातीय समूहों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
(v) चिकित्सा इलाज एवं दवाईयों के नि:शुल्क वितरण उपलब्ध कराने के लिए चार जिलों में छः चलित चिकित्सा इकाईयाँ कार्य कर रही हैं। जनजाति समूहों के बच्चों के लिए विटामिन गोलियों का वितरण, प्रतिरक्षण कार्यक्रमों का आरम्भ इस समुदाय के लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिए नियमित स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन, सहित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है एवं गंभीर और अस्पताल में भर्ती मरीजों की वित्तीय सहायता के लिए भी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशिक्षित जनजातीय कल्याण स्वयं-

सेवकों एवं डब्ल्यूएचओ/आईसीएमआर द्वारा प्रशिक्षित दाइयों के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी प्रचार – प्रसार किया जा रहा है।

(vi) स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए, रींग समुदायों से संबंधित लोगों के क्षेत्रों में आरसीसी रिंग-वेलों का भी निर्माण कराया गया है।

(vii) रींग निवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी सुचारू रूप से कार्य कर रही है। इस समुदाय के व्यक्तियों को फिर भी अपने निवास स्थानों से दूर क्षेत्रों में स्थित राशन की दुकानों से वस्तुएँ प्राप्त करनी पड़ती हैं।

4.15.3 रींग लोगों के जीवन निर्वाह के मुख्य स्रोत सिपिंटग खेती, गौण वन उत्पादों का विक्रय एवं जानवरों (सुअरों और बकरियों) का पालन है।

4.15.4.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे आदिम जनजातीय समूहों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत पिछले तीन में दौरान प्राप्त निधियाँ नीचे दी गई हैं:-

क्र0सं0	वर्ष	राशि (रू0 लाख में)
1	2004-05	29.813
2	2005-06	111.150
3	2006-07	145.000

4.15.4.2 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल है- 1250/- रू0 प्रति परिवार की दर से पिछले अहाते में सब्जियाँ उगाना, स्वदेशी फल पौधारोपण, सस्ते शौचालयों का निर्माण, सड़कों का सुधार, 14,000/-रू0 की दर से आवास सहायता उपलब्ध कराना, वर्षा जल हारवेस्टिंग संरचना का निर्माण, अदरख की खेती, मच्छरदानी एवं पीने के पानी के फिल्टरों की आपूर्ति, सामुदायिक भवनों का निर्माण, टीवी सेटों की आपूर्ति, 10,000/- रू0 की दर से लघु व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता, दुधारू गायों की आपूर्ति, दर्जी का कार्य, पौधारोपण औजारों एवं बढ़ई के औजारों की आपूर्ति।

4.16 उत्तराखंड

4.16.1 **बुकसा और राजिस** दो अनुसूचित जनजाति समुदाय हैं जिन्हें उत्तराखंड राज्य में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उनकी कुल जनसंख्या 58675 है। वर्ष 1981, 1991 और 2001 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातीय समूहवार जनसंख्या निम्नवत थी:-

क्र0सं0	आदिम जनजातीय समूहों का नाम	जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार	जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार	जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार
1.	बुकसा	31807	34621	57995
2.	राजिस	1087	1728	680
	कुल	32894	36349	58675

4.16.2 अधिकतर बुकसा राज्य के उधमसिंह नगर एवं देहरादून जिलों में रहते हैं। अन्य जिले जहाँ बुकसा रहते हैं, नैनीताल, पौड़ी एवं हरिद्वार हैं। राजिस मुख्यत: पिथौरागढ़ जिले में रहते हैं। इसी समुदाय के लगभग 26 परिवार भी राज्य के चम्पावत जिले में रहते हैं जबकि बुकसा आदिम जनजाति के जीवन निर्वाह के मुख्य स्रोत कृषि, और कृषि मजदूर हैं। राजिस मुख्यत: कृषि मजदूर एवं बढ़ई गिरी के कार्य से जीवन निर्वाह करते हैं।

4.16.3 राज्य सरकार आदिम जनजातीय समूहों के बच्चों को प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्कूल और कालेज चला रही है। इन स्कूलों और कालेजों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृति प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, चार सरकारी आश्रम स्कूल बुकसा बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा के लिए चलाए जा रहे हैं। इनमें दो स्कूल लालगढ़ एवं हरिद्वार में है और दो स्कूल उधमसिंह नगर जिले में हैं। राज्य सरकार उसी प्रकार के एक सरकारी स्कूल राजिस बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा के लिए पिथौरागढ़ में चला रही है। राज्य सरकार द्वारा की गई इन व्यवस्थाओं के अलावा, स्वयंसेवी संगठन भी इन दो आदिम जनजातीय समूहों के बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए आवासीय एवं गैर आवासीय प्राथमिक स्कूल चला रहे है।

4.16.4 वर्ष 2006-07 के दौरान स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत आदिम जनजातीय समूहों को प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है। नाली, पुलिया, सीसी रोड, सामुदायिक केन्द्र, पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हस्तचलित नलों को लगाना एवं आंगनबाड़ी और प्राथमिक स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के लिए भवनों का निर्माण सहित आदिम जनजातीय समूहों के आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न कार्यकलाप शुरू किए हैं। चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार आदिम जनजातीय समूह वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्र एवं एएनएम केन्द्र प्रचालित करती है। बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए समय-समय पर प्रतिरक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

4.16.5 राज्य सरकार बेघर बीपीएल आदिम जनजातीय समूहों के परिवारों के लिए मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। वर्ष 2006-07 के दौरान, राज्य सरकार ने 912.175 लाख रूपए का अनुदान उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। जिसमें से राज्य सरकार को 47.026 लाख रूपए स्वीकृत किए गए थे। जिनसे बेघर आदिम जनजातीय परिवारों के लिए 171 मकानों का ही निर्माण किया गया और शेष 3146 बेघर परिवारों को 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कवर किए जाने का प्रस्ताव है।

4.16.6 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से आदिम जनजातीय समूह परिवारों को राशन सस्ती दरों पर दिया जा रहा है।

4.16.7 आयोग ने देखा कि राजिस आदिम जनजातीय समुदाय की जनसंख्या चौकाने वाली गति से घट रही है। उनकी जनसंख्या, जो 1991 की जनगणना के अनुसार 1728 थी वह 2001 की जनगणना में घटकर 680 रह गई। यह आयोग के लिए गंभीर चिंता का विषय है। **आयोग यह सिफारिश करता है कि राज्य सरकार को राजिस की घटती हुई जनसंख्या के कारणों का पता लगाने की दृष्टि से इस पहलू की जांच करनी चाहिए और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए इस प्रवृति को बदलने के लिए सार्थक कदम उठाने चाहिए।**

4.16.8 आयोग जानता है कि उस पिथौरागढ़ जिले में रहने वाले 136 परिवारों की शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए केवल एक सरकारी आश्रम स्कूल है। किन्तु चम्पावत जिले में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ 26 आदिम जनजातीय परिवार रह रहे हैं। **इसलिए आयोग का विचार है कि राज्य सरकार को चम्पावत जिले में भी आदिम जनजातीय समूहों के बच्चों के लिए एक ऐसा ही स्कूल खोलना चाहिए।**

4.17 पश्चिम बंगाल

4.17.1 तीन जनजातियाँ हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में घोषित किया गया है। ये हैं- (i) **लोधा**, (ii) **बिरहोर**, **और** (iii) **टोटो।** वर्ष 1981, 1991 और 2001 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या नीचे दी गई है:-

आदिम जनजातीय समूह का नाम	1981	1991	2001
लोधा	53718	68095	36624
बिरहोर	658	855	249
टोटो	675	-	1157
		योग	38030

4.17.2 जबकि **लोधा** पश्चिम मिदनापुर जिले में रहते हैं, **टोटो** और **बिरहोर** क्रमश: जलपाईगुड़ी और पुरूलिया जिले में रहते हैं। लोधा और टोटो व्यवस्थित जीवन जीते हैं। कृषि एवं श्रम से कमाई लोधाओं के जीवन निर्वाह के मुख्य स्रोत हैं। टोटो की आय का मुख्य स्रोत ढलाऊ पहाड़ियों पर सिफ्टिंग खेती है। वे शरद ऋतु के दौरान श्रम कार्य करने के लिए भूटान की ओर भी चले जाते हैं। बिरहोर घुमन्तु या अर्द्ध-घुमन्तु प्रकृति के हैं उनकी आय का मुख्य स्रोत सीआली रोप है।

4.17.3.1 आदिम जनजातीय समूहों के आर्थिक विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल की सरकार को जारी की गई निधियाँ नीचे सारणी में दी गई हैं:-

क्र0सं0	वर्ष	जारी की गई राशि
1	2004-05	53.17 लाख
2	2005-06	70.60 लाख
3	2006-07	89.00 लाख
	योग	212.77

4.17.3.2 उपरोक्त राशि में इन जनजातियों (लोधा-15153) (बिरहोर -77) और (टोटो-270) से संबंधित 15500 परिवारों के व्यक्तियों का बीमा करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के घटक जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत ऊपर उल्लिखित 3 वर्षों के दौरान राज्य सरकार को जारी किए गए 77.50 लाख रूपए शामिल हैं। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत जारी की गई निधियों की सहायता से आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए आरम्भ किए अन्य कार्यकलाप प्राथमिक स्कूलों एवं मकानों के निर्माण, प्रशिक्षण कैम्पों के आयोजन एवं सड़कों के निर्माण से संबंधित है।

4.18 अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह

4.18.1 अण्डमान और निकाबार द्वीप समूह का संघ राज्य क्षेत्र 306 द्वीपों से मिलकर बना है जिसका भौगोलिक क्षेत्र 8249 वर्ग किलोमीटर है और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में स्थित है। ये द्वीप समूह दो समूहों में विभक्त किए गए हैं, नामत: अण्डमान समूह एवं निकोबार समूह जिनके बीच 145 किलोमीटर (लगभग) चौड़ा भयानक जलमार्ग है। अण्डमान द्वीप समूहों से अण्डमान जिला बनता है जबकि निकोबार जिला निकोबार द्वीप समूहों से बनता है। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी जनजातीय क्षेत्र अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जनजाति संरक्षण) विनियम, 1956 के अन्तर्गत संरक्षित हैं। इस विनियम के अन्तर्गत, अण्डमानीज, ऑनजीज, जारवास, सैन्टीनेलस और शोमपैन्स एवं निकोबारीस को भी आदिवासी जनजातियों के रूप में घोषित किया गया है और एक विशेष क्षेत्र उनके लिए आरक्षित किया गया है और गैर - जनजातीय लोग संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी अनुमति/पास के बिना किसी जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं जा सकते हैं।

4.18.2 दो मानव जातियों नामत: मंगोलाइड एवं नेग्रीटो की 6 देशी जनजातियाँ इन द्वीप समूहों में रह रही हैं। उनमें से 5 जनजातियाँ, ग्रेट अंडमानीस, जारवास, ऑनजीज, सैन्टीनेलस और शोमपैन्स आदिम जनजातियाँ हैं और उनकी जनसंख्या बहुत कम है। इसके विपरीत निकोबारीस आदिम जनजाति नहीं है और वे बहुत प्रगतिशील है तथा जनसंख्या में अधिक हैं। शोमपैन्स एवं निकोबारीस मूल रूप से मंगोलाइड हैं जबकि ग्रेट अंडमानीज, जारवास, ऑनजीज और सैन्टीनेलस नेग्रीटो वंश से संबंधित हैं।

4.18.3 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ क्षेत्र की कुल जनसंख्या 3,56,152 है जिसमें से 29,469 जनजातियाँ हैं जो संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 8.27 प्रतिशत है। 29,469 की कुल जनजातीय जनसंख्या में निकोबारीस की जनसंख्या जो आदिम जनजाति नहीं हैं और जिसकी जनसंख्या सबसे बड़ा अर्थात् 28,653 है और शेष 816 की जनजाति जनसंख्या 5 आदिम जनजातीय समूह नामत:- (i) **अंडमानीस**,(ii) **ऑनजीज**, (iii) **जारवास**, (iv) **सैन्टीनेलस और** (v) **शोमपैन्स** की है। वर्ष 1981, 1991 और 2001 की जनगणना के अनुसार इन 5 आदिम जनजातीय समूह की जनसंख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आदिम जनजातीय समूहों का नाम	1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1	अंडमानीस	42	32	44
2.	ऑनजीज	97	101	96
3.	जारवास	31	89	240
4.	सैन्टीनेलस	-	24	39
5.	शोमपैन्स	223	131	398

नोट: जबकि अण्डमानीस और ऑनजीज की जनसंख्या के आंकड़े यथार्थ पर आधारित हैं, शेष 3 आदिम जनजातीय समूहों के आंकड़े अनुमानित है और इनकी यथार्थ गणना कठिन है क्योंकि ये घुमन्तु हैं जंगलों में रहते हैं और घरों से बाहर रहते हैं।

4.18.4 अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के आदिम जनजातीय समूह शेष भारत आदिम जनजातीय समूहों से बिल्कुल भिन्न है। अन्य जनसंख्या के सम्पर्क से दूर रहने के कारण वे पूर्व कृषीय, शिकारी समूह जनजातियों में रहते हैं और जो कुछ बच गए हैं अपने वातावरण के अनुसार वे स्वावलंबी हैं। अन्य जनसंख्या के सम्पर्क में आने पर जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ उन पर हानिकारक प्रभाव पड़ा था। अण्मान और निकोबार आदिम जनजातीय समूह की विभिन्न प्रकृति के कारण, उन तक पहुंचना, और उनके उद्धार के लिए कोई योजना और कार्यक्रम अन्य जनजातीय समूह के लिए योजना और कार्यक्रमों से विशेष रूप से भिन्न होती है। इस संवृति को वास्तविक रूप देने के लिए, जारवास के लिए एक बिल्कुल भिन्न नीति तैयार की गई है। शेष 4 आदिम जनजातीय समूह के लिए कोई अलग नीति नहीं हैं।

4.18.5 इन आदिम जनजातीय समूहों के जीवन निर्वाह के स्रोत शिकार करना, इकट्ठे रहना, मत्स्यन, जंगली ट्यूबरस, शहद आदि एकत्रित करना है। ग्रेट अंडमानीस, ऑनजीज और शोमपैन्स को नि:शुल्क राशन और कपड़े दिए जाते हैं। 17 ग्रेट अंडमानीस सरकारी सेवा में हैं। उन्हें कोई राशन मद नि:शुल्क नहीं दी जाती है।

<u>जारवास</u>

4.18.5.1 जारवास उन दो जनजातियों (जिन्हें आदिम जनजातीय समूह के रूप में पहचाना गया है) में से एक है जो अण्मान और निकोबार द्वीप समूह के जंगलों में रहती है। वह आज भी नंगे रहते हैं। नेग्रीटो समूह के जारवास को शत्रु जनजाति के रूप में दर्ज किया गया है। वे अंग्रेजो के शासनकाल से ही विद्रोही थे। जारवास के साथ मुख्य सम्पर्क अण्डमान ट्रंक रोड के निर्माण के दौरान हुआ था जो 320 किलोमीटर लंबा है और लगभग 60 किलोमीटर जारवासों के क्षेत्रों से गुजरता है। स्मरणीय है कि अंडमान ट्रंक रोड के निर्माण के दौरान बहुत से जारवास मारे गए थे क्योंकि उन्होंने सड़क निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न की थी और निर्माण करने वाले कामगारों पर हमले किए थे। अंडमान ट्रंक रोड के खुल जाने पर अधिकतर पर्यटकों ने जारवासों को देखने के लिए इस क्षेत्र का दौरा आरंभ किया और उनके साथ अपने फोटो खिचवाएं। वे उन्हें केले और बिस्कुट आदि भी दिया करते थे जो जारवासों के लिए नई वस्तु थी। कभी-कभी मदिरा और सिगरेट भी उन्हें प्रयोग में दी जाती थी। इसके परिणामस्वरूप जारवासों ने बढ़ी संख्या में अण्डमान ट्रंक रोड के स्थलों पर आना शुरू कर दिया था।

4.18.5.2 दक्षिण अण्डमान एवं मध्य अण्डमान द्वीप समूह के पश्चिमी समुद्री किनारे सहित जारवास आरक्षित वन के 645 वर्ग कि.मी. में रहते हैं। वे पश्चिम समुद्री किनारे स्पाइक द्वीप समूहों में भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में जारवास के निवास क्षेत्र की लंबाई लगभग 120-130 कि.मी. तक फैली हुई है। आधारभूत सुविधाएं जैसे सड़क की बेहद कमी के कारण प्रशासन के लिए जारवास को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। स्वास्थ्यकर्मी उनको तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुछ खास स्थानों पर सम्पर्क करते हैं। जारवासों में ऐसी कुछ स्वयंसेवकों को भी इस जनजाति की स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में प्रशानिक अधिकारियों को सूचना देने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। जारवास मरीजों को उनके ही व्यक्तियों की मदद से जहाँ जैसे भी अपेक्षित हो स्वास्थ्य केन्द्रों के विशेष वार्डों में स्थानान्तरित किया जाता है। जारवासों का गैर जनजातियों से न्यूनतम सम्पर्क सुनिश्चित करने के लिए, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने आरक्षित वनों में पुलिस चेक पोस्ट की एक श्रृंखला बनाई है जिसे 'जारवास प्रोटेक्सन पुलिस पोस्ट' के रूप में जाना जाता है। ग्रामीणों, जारवा आरक्षित क्षेत्रों में तैनात पीआरआई सदस्यों और कर्मचारियों को सरकार की नीतियों के बारे में बताने के लिए और विश्व की अत्यधिक संवेदनशील जनजाति अर्थात् जारवास के साथ कार्य नीति बनाने के लिए अण्डमान और निकोबार

प्रशासन ने ऑरिनटेशन कैम्पों की भी व्यवस्था की है। जारवासों का आरक्षित क्षेत्र 128 वर्ग कि.मी. है। उप जिलाधिकारी (जनजाति स्वास्थ्य) जारवास को अधिक से अधिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए दक्षिण और मध्य अण्डमान का नियमित दौरा करते हैं।

4.18.5.3 जारवास के संरक्षण एवं कल्याण की देखभाल के लिए सरकार को निदेश देने हेतु एक याचिका 1999 में माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता (अण्डमान पीठ) में दर्ज की गई थी। वर्ष 2001 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दो मुद्दों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने के लिए सरकार को निदेश दिया:

(क) उन कारणों को स्पष्ट करना जिनसे जारवास के व्यवहार में अचानक बदलाव हुआ; और
(ख) विलुप्त होने के खतरे से जारवास समुदाय को बचाने के लिए कार्यक्रम बनाने में सरकार को समर्थ करने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना।

4.18.5.4 माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के दिनांक 09-04-2001 के आदेश का अनुसरण करते हुए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया (द्वारा अधिसूचना संख्या यू-14040/24/99-एएनएल दिनांक 21-07-2001)। विशेषज्ञ समिति में अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर को संयोजक के रूप में शामिल किया गया और इस समिति में पूर्व सचिवों एवं मानव विज्ञान शास्त्रियों आदि जैसे श्री के.बी. सक्सेना, डॉ नमिता अली, डॉ आर.के. भट्टाचार्य, श्री सोम नायडू, डॉ इन्द्रा चक्रवर्ती और श्री आवर्दी ए.एस. को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय का यह विचार था कि इस विषय पर उत्तरवर्ती संगाष्ठियों से और अण्डमान निकोबार प्रशासन एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में जारवास के कल्याण और संरक्षण के लिए नीति बनाई गई है जिसे दिनांक 21-12-2004 को अण्डमान प्रशासन ने अधिसूचित किया था। माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता की (अण्मान पीठ) ने दिनांक 22-06-2005 को इस नीति को स्वीकार कर लिया था। नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं-

(i) बाहरी दुनिया के सम्पर्क और खुलेपन के हानिकारक प्रभावों से जारवासों का संरक्षण करना जबकि वे ऐसे खुलेपन के लिए शारीरिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से तैयार नहीं है।
(ii) जारवास समुदाय की संरचना, जीवन निर्वाह का ढंग एवं सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण करना।

4.18.5.5 ऊपर उल्लिखित नीति का अनुसरण में अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने निम्नलिखित कार्रवाई की है:-

(i) विशेष प्राकृतिक संसाधन आधार अर्थात् जारवास जनजातीय वन क्षेत्र को उनके भोजन आदि के लिए 847 वर्ग किमी. से 1028 वर्ग किमी. तक बढ़ा दिया है।
(ii) विशेष समुद्री संसाधन आधार जनजातीय क्षेत्र के रूप में पूर्व में चिन्हित 2 किमी. के स्थान पर पांच किमी. उच्च ज्वार चिन्हित तक जल सीमा की घोषणा करते हुए उसे बढ़ाया गया है।
(iii) अण्डमान ट्रंक रोड पट्टी को सड़क के किसी भी ओर 200 मी. तक के स्थान पर सड़क के बीच से केवल 30 मी. तक कम कर दिया गया है।
(iv) जारवास के लिए अलग/विशेष अस्पताल वार्ड उपलब्ध कराए गए हैं और ऐसे वार्डों को जनजातीय आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है जिसमें प्रवेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बिना गैर जनजातियों के लिए वर्जित है।

(v) जारवास मरीजों को अस्पताल में केवल तभी शिफ्ट किया जाता है जब उनकी जीवन बचाने के लिए और उनके स्वास्थ्य के हित को मद्देनजर रखते हुए आवश्यक हो जाता है।

ग्रेट अण्डमानीस

4.18.6.1 ग्रेट अण्डमानीस नेग्रीटो नस्ल से संबंधित हैं। ग्रेट अण्डमानीस नेग्रीटो की जनसंख्या में वर्षों से तेजी से गिरावट हो रही है, और 1960 में ही वे लुप्तप्राय हो गए थे और उनकी संख्या 19 तक सिमट गई है। उस समय अण्डमान जिले के स्ट्रेट द्वीप समूह में उनके बसाने के लिए निर्णय लिया गया था। ग्रेट अण्डमानीस की कुल जनसंख्या 54 तक बढ गई जो स्ट्रेट द्वीप समूह में 43 और पोर्टब्लेयर एवं अन्य में लगभग 11 अण्डमानीस थे। सभी अण्डमानी हिन्दी बोल सकते हैं। कुछ बच्चे पोर्टब्लेयर में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अंग्रेजी बोलने में समर्थ हैं। स्ट्रेट द्वीप समूह में एक प्राथमिक स्कूल है जिसमें शिक्षा का माध्यम हिन्दी है।

4.18.6.2 अडण्मान प्रशासन ग्रेट अण्डमानियों को नि:शुल्क राशन कपड़े, चलित जलापूर्ति, विद्युत, नि:शुल्क चिकित्सा सेवा स्कूल एवं अन्य सुविधाएं जैसे बातचीत के लिए पुलिस वायरलैस उपलब्ध कराता है। टीवी के लिए सीधे प्राप्ति सेट, सामुदायिक केन्द्र, पगडंडी, नाव आदि की बर्थिंग के लिए जेट्टी उन्हें स्थापित करने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। एक ग्रेट अण्डमानीस बहुद्देशीय सहकारी समिति स्ट्रेट द्वीप समूह में कार्यरत है। सभी अण्डमानीस इस समिति के सदस्य हैं। समिति अण्डमानियों को उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं और उनके कृषीय उत्पादों के विपणन में भी सहायता करती है।

ऑनजीज

4.18.7.1 ऑनजीज नेग्रीटो समूह से संबंधित हैं। सुनामी से पहले ऑनजीज दक्षिणी खाड़ी और डुगौंग क्रीक में बसे हुए थे लेकिन दोनों आबादी ज्वारभाटीय लहरों के विध्वंस से बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। सभी ऑनजीज को दो कैम्पों अर्थात् हट-बे एवं आर.के. पुर में लाकर रखा गया। विशेषज्ञों और मानव विज्ञान शास्त्रियों ने एक सर्वेक्षण किया और ऑनजीज को एक ही स्थान पर बसाने का निर्णय लिया और तद्नुसार अब सभी ऑनजीज को डुगौंग क्रीक में मरम्मत कार्य के पश्चात् पुनर्वासित किया गया है। ऑनजीज के विकास और कल्याण के लिए, एक सहकारी समिति नामत: ऑनजीज बहुउद्देशीय सहकारी समिति अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति द्वारा बनाई गई है जो 1976 में स्थापित एक स्वायत्तशासी निकाय है और जो अण्डमान निकोबार प्रशासन के उप राज्यपाल की अध्यक्षता में कार्यरत है। ऑनजीज बच्चों के लिए डुगौंग क्रीक में एक प्राथमिक विद्यालय भी स्थापित किया गया है। ऑनजीजों को बने बनाए घर भी उपलब्ध कराए गये हैं जिनका रख रखाव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन करता है।

4.18.7.2 अण्डमान प्रशासन ऑनजीजों को नि:शुल्क राशन, कपड़े, पेय जलापूर्ति, विद्युत, नि:शुल्क चिकित्सा सेवा स्कूल एवं अन्य सुविधाएं जैसे बातचीत के लिए पुलिस वायरलैस सुविधाएं उपलब्ध कराता है। टीवी के लिए सीधे प्रसारण प्राप्ति सेट, सामुदायिक केन्द्र, पगडंडी, नाव आदि की बर्थिंग के लिए जेट्टी उन्हें स्थापित करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

शोमपैन्स

4.18.8.1 शोमपैन्स एक घुमन्तु जनजाति है जो मंगोलाइड नस्ल से संबंधित है और वह निकोबार जिले के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के भीतरी भूभाग में रहती है। वे बागवानी, शिकार, मत्स्यन एवं संग्रहण का कार्य करते हैं। वे अभी भी अपना पारम्परिक जीवन जीते हैं और गैर शोमपैन्स जनसंख्या के साथ बातचीत करना पसन्द नहीं करते हैं। पूर्वी-पश्चिम रोड ग्रेट निकोबार और शोमपैन्स आरक्षित क्षेत्र को अलग-अलग करती है। वह सड़क जिसे पूर्व में त्याग दिया गया था सुनामी के बाद अब उसकी मरम्मत की जा रही है। शोमपैन्सों के लिए कल्याणकारी स्कीमों के कार्यान्वयन के बारे में, प्रशासन ने 1984 में एक शोमपैन्स हट कॉम्पलेक्स स्थापित किया जो पूर्वी-पश्चिमी सड़क पर 27 कि.मी. दूर स्थित है। शोमपैन्सों के लिए विकासात्मक कार्यों के लिए एक केन्द्रीय स्थल है। ए.ए.जे.वी.एस. का एक जनजातीय कल्याण अधिकारी कल्याणकारी गतिविधियों की देखरेख के लिए तैनात है। यद्यपि चिकित्सा उपकेन्द्र, पेयजल कुएं, कम्युनिटी हट और एक पावर हाउस जैसी सुविधाएं शोमपैन्स हट कॉम्पलेक्स में उपलब्ध है, तथापि शोमपैन्स हट कॉम्पलेक्स पहुंच से बाहर हो गया है। भारी भू-स्खलन से पर्वी-पश्चिम सड़क के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वर्ष 2002 से कार्य नहीं कर रहा है। अब शोमपैन्स की कल्याणकारी गतिविधियाँ कैम्पबैल-बे से चल रही हैं जहाँ एक शोमपैन्स गेस्ट हाउस जिसे शोमपैन्स सराय कहते हैं, उनके ठहरने के लिए निर्मित किया गया है।

4.18.8.2 शोमपैन्स की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए, एक विनिमय प्रणाली चालू की गई है। इस प्रणाली के अन्तर्गत, शोमपैन्स वन उत्पाद जैसे सुपारी, धूना, नींबू,रूद्राक्ष एवं बनावटी समान जैसे छाल के कपड़े, भाला आदि लाते हैं। वन उत्पाद आदि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के सहायक आयुक्त के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत बेचे जाते हैं और शोमपैन्सों को उंची रियायती दरों पर उन्हें कृषि उपकरण चावल और अन्य समान की आपूर्ति की जाती है। स्थानीय प्रशासन शोमपैन्सों को नि:शुल्क राशन, बिस्कुट, कपड़े और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं सुलभ कराता है।

सैन्टीनेलस

4.18.9.1 सैन्टीनेलस जो नेग्रीटो प्रजाति से संबंधित हैं अण्डमान जिले के उत्तरी सैन्टीनेल द्वीप समूह में रहते हैं। सैन्टीनेलस शिकारी एवं खानाबदोश हैं। वे घुमन्तु हैं और समय-समय पर अपना निवास बदलते रहते हैं। वे स्वाभलंबी जनजाति के हैं और उनके पास उत्तरी सैन्टीनल द्वीप समूह के पास समृद्ध समुद्री सीमा के अलावा जंगली जानवरों, फलों, जड़ों और अन्य वन उत्पादों के रूप में पर्याप्त वन स्रोत हैं। वे बाहरी लोगों के प्रति विद्रोही स्वाभाव के हैं और अकेले में रहना अधिक पसंद करते हैं।

4.18.9.2 वर्ष 2004-05 के दौरान आदिम जनजातीय समूह के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अन्तर्गत अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन को 2.00 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गए थे जो आगे आवास और अन्य अवसंरचनात्मक विकास जैसे पैदल मार्गों, चिकित्सा उपकेन्द्रों, स्कूल भवनों, सामुदायिक हॉलों आदि के निर्माण के उद्देश्य के लिए प्रशासन ने एएजेवीएस को जारी किए। इस वर्ष के दौरान जनश्री बीमा योजना स्कीम के घटक के अन्तर्गत प्रशासन को कोई निधि नहीं दी गई थी। वर्ष 2005-06 के दौरान प्रशासन को 0.40 लाख रूपए उपलब्ध कराए गए थे जो जनश्री बीमा योजना घटक के अन्तर्गत ऑनजीज एवं ग्रेट अण्डमानीस के परिवारों हेतु बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए एएजेवीएस को सहायता अनुदान के रूप जारी किए गए थे।

अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के आदिम जनजातीय समूह संबंधी एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना

4.18.10.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में मई, 2007 में एक विशेषज्ञ समिति की गठन की जिसमें भारत मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण के निदेशक, गृह मंत्रालय (संयुक्त सचिव स्तर), योजना आयोग (संयुक्त सचिव स्तर) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (संयुक्त सचिव स्तर) के प्रतिनिधि और निम्नलिखित कार्यों का अनुभव रखने वाले मानवशास्त्र के क्षेत्र के अन्य सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ शामिल किये गये :-

(i) जारवास पर उत्तरवर्ती रिपोर्टों एवं अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए जारवास नीति, 2004 के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करना,

(ii) (क) शोमपैन्स, (ख) ऑनजीज (ग) अण्डमानीस और (घ) सैन्टीनेलस को उनकी पहचान या संस्कृति खत्म होने के खतरे से या बिल्कुल विलुप्त होने से बचाने के लिए अलग नीतियाँ तैयार करना,

(iii) उसके बाद इन नीतियों के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करना,

4.18.10.2 विशेषज्ञ समूह की प्रथम बैठक जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 25 मई, 2007 को हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण प्रक्षेपण जो बैठक के दौरान किए गए निम्नवत हैं:-

(i) जारवास के मामले में, शेष चार आदिम जनजातीय समूहों नामतः - शोमपैन्स, अण्डमानीस, ऑनजीज और सैन्टीनेलस के लिए एक पृथक नीति की आवश्यकता थी। इन नीतियों को बनाने में समर्थ होने के लिए, लगभग तीन माह की अवधि का एक नियत अध्ययन उनके नियत कार्य के एक भाग के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों या एएसआई के माध्यम से आरम्भ कराये जाने आवश्यकता है।

(ii) जारवास जनजाति के लिए नीति मार्गदर्शी सिद्धांतों को उपयुक्त रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है या पर्याप्त रूप से प्रबोधित नहीं किया जा रहा है।

(iii) जबकि प्रत्येक आदिम जनजातीय समूह के लिए अलग नीतियाँ बनाई जा सकती हैं, कुछ कार्रवाईयाँ जो सम्पूर्ण रूप से द्वीप समूहों पर सभी आदिम जनजातीय समूहों को प्रभावित करेगी, को आरंभ किए जाने की आवश्यकता है यदि इन जनजातियों और द्वीप समूहों के पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान को बचाए रखना है।

(iv) दो आदिम जनजातीय समूह नामतः ग्रेट अंडमानीज और ऑनजीज जो सामान्य जनसंख्या के पूर्ण रूप से सम्पर्क में है, को जो शिक्षा दी जा रही है, की सावधानीपूर्वक जांच करने एवं उसकी त्वरित समीक्षा करने की आवश्यकता है। यद्यपि अण्डमानीस और ऑनजीज के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी मातृभाषा में सामग्री तैयार करने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं हुए हैं।

(v) अण्डमान ट्रंक रोड का कुछ हिस्सा जारवा आरक्षित क्षेत्र से होकर गुजरता है। उच्चतम न्यायालय ने प्रोफेसर शेखर सिंह की रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार किया है। जिनमें एक सिफारिश जारवा आरक्षित क्षेत्र से अण्डमान ट्रंक रोड बंद करने के बारे में थी। लेकिन वाहन चलने जारी रहे और वास्तव में हाल ही के वर्षों में उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। यदि जारवासों को अन्य व्यक्तियों की अवांछनीय मेलजोल से संरक्षण देना है तो यह महत्वपूर्ण है कि अण्डमान ट्रंक रोड पर यातायात के आकार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए जाएं और कुछ समय सीमा में जारवास आरक्षित क्षेत्रों में सभी प्रकार के यातायात को रोकने की योजना बनाई जाए। यदि संभव हो तो यात्रीय यातायात

को समुद्र के रास्ते से आने जाने वाले वाहन, जो जारवा आरक्षित क्षेत्र से हो कर गुजरते हैं, को अण्डमान ट्रंक रोड के कुछ हिस्से से गुजारा जाए।

(vi) इसी प्रकार, सड़क का कुछ हिस्सा, जो ग्रेट निकोबार के मध्य से हो कर गुजरता है, से शोमपैन्स की जीवन शैली में बहुत विध्वंस का कारण बनता है क्योंकि यह उनके आरक्षित क्षेत्र के मध्य से हो कर गुजरता है। इस सड़क का मरम्मत कार्य जो सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है, को रोकने की आवश्यकता है।

(vii) ऑनजीज की जीवन शैली जो अण्डमान द्वीप समूह में रहते हैं में अन्य लोगों के आने से बुरी तरह प्रभावित हुई है जो द्वीप समूह पर आकर बस गए है। इन लोगों की गतिविधियाँ नामत: शिकार-चोरी, पेड़ों की अवैध कटाई आदि से ऑनजीज में उनके शिकार करके जीवन-निर्वाह की प्रवृत्ति भी प्रभावित हुई है। ऑनजीज जिनकी संख्या लगभग 100 है को शिकार करने के लिए कम से कम 200 वर्ग किमी व्यवधान रहित वन क्षेत्र की आवश्यकता होती है। लिटिल अण्डमान द्वीप समूह में ऑनजीज को भूमि उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

4.19 सामान्य सिफारिश

4.19.1. आयोग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में उन आदिम जनजातीय समूहों जहाँ वे रहते है के विकास में तेजी के लिए निम्नलिखित सिफारिशें करना चाहते हैं:-

(i) प्राथमिक गांव आदिम जनजातीय समूहों के छोटे गाँव/गाँवों इससे दूर या अति दूर क्षेत्रों में स्थित हैं और इसलिए आदिम जनजातीय समूह बच्चे खासतौर से वर्षा के मौसम में स्कूल जाने में समस्याओं का सामना करते हैं। **आयोग सिफारिश करता है कि:-**

(क) उपस्थिति बढ़ाने और स्कूलों को छोड़कर जाने वाले बच्चों की दरों में गिरावट लाने के लिए, प्रत्येक आदिम जनजातीय समूह के गांव में एक प्राथमिक स्कूल खोला जाए।

(ख) जहाँ तक संभव हो स्थानीय पात्र युवा/महिला की समुचित रूप से (स्कूलों को चलाने के लिए) ऐसे स्कूलों में अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।

(ग) विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस, किट बैग आदि और 100 रू0 से 300 रू0 की दर से प्रति वर्ष आर्थिक सहायता के रूप में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यह आर्थिक सहायता की मात्रा बच्चों की कक्षाओं के अनुरूप हो। उनके माता-पिताओं को भी 200 रू0 से 400 रू0 तक की दर से प्रतिवर्ष स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए प्रोत्साहित करने/स्वयं आने के लिए दी जा सकती है।

(ii) आयोग ने यह देखा है कि अधिकतर राज्यों में आदिम जनजातीय समूहों को पेय जल की कमी, विशेष रूप से शुष्क मौसम में, सामना करते हैं क्योंकि इस अवधि के दौरान जल स्तर नीचे चला जाता है और परिणामस्वरूप आदिम जनजातीय समूह गांवों में निर्मित आरसीसी रिंग वेल शुष्क मौसम के दौरान इस स्थिति में नहीं रहते हैं कि उनमें पेय जल उपलब्ध हो सके। **इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि प्रत्येक आदिम जनजातीय समूह गांव के लिए एवं लघु गहरी टयूबवेल लगाई जाए ताकि वर्ष भर पेय जल उपलब्ध हो सके। उन क्षेत्रों में जहाँ बिजली की आपूर्ति नहीं है वहाँ हैंड पंप लगाए जाए। आयोग यह भी सिफारिश करता है कि आदिम जनजातीय समूह गांवों में टयूबवेल/हैंडपंप की सुविधा उपलब्ध होने तक वर्षा मौसम के दौरान पेय जल कुंओं में अमोनिया घोल डालने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कीटाणु-मुक्त स्वच्छ पेय जल उपलब्ध हो सके।**

(iii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामान्यत: आदिम जनजातीय समूह गांवों से बहुत दूर हैं और इसलिए वे आपातकाल के समय में चिकित्सा सुविधाए भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। **आयोग सिफारिश करता है कि आदिम जनजातीय समूहों को आपातकालिक एवं नियमित इलाज की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भीतरी क्षेत्रों के प्रत्येक खण्ड के लिए छोटे सर्जिकल उपकरणों वाली प्राथमिक इलाज सुविधाओं एवं दवाईयों से युक्त एक चिकित्सा चलित वेन की व्यवस्था की जानी चाहिए। आयोग यह भी सिफारिश करता है कि आदिम जनजातीय समूह वाले राज्य सरकारों को कुपोषण से बचाने के लिए दूध एवं गर्भवती माताओं के लिए पोषणीय चीजे जैसे रागी, गौण बाजरा, कन्द आदि उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवथा करनी चाहिए।**

(iv) आयोग ने अवलोकित किया है कि अधिकतर आदिम जनजातीय समूह दूरस्थ एवं दुरगम्य वन/पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं इसलिए वे इन दुकानों के माध्यम से रियायती दरों पर उपभोक्ता सामानों की विभिन्न मदों को खरीदने का लाभ लेने के लिए पीडीएस दुकानों तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं और जहाँ ऐसी दुकानें उपलब्ध हैं, वहाँ आदिम जनजातीय समूह परिवारों को उपभोक्ता मदों को खरीदने के लिए 8 से 10 किमी. तक की यात्रा करनी पड़ती है। **राज्य सरकारों को सुझाव दी जाती है कि वे ऐसे आदिम जनजातीय समूह जो दुरगम्य वन/पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और जहाँ पीडीएस दुकाने पहुंच के भीतर उपलब्ध नहीं है, को चलित वैनों के माध्यम से पीडीएस के अन्तगर्त उपलब्ध उपभोक्ता मदों के वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए। आयोग यह भी सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों को साप्ताहिक बाजार (हाट बाजार) के आयोजन की व्यवस्था करनी चाहिए जहाँ आदिम जनजातीय समूह आ सके और उनके द्वारा शिल्पित उत्पाद बेचे जा सके और अपने जरूरत की वस्तुएं खरीद सके।**

(v) **राज्य सरकारों को आदिम जनजातीय समूह परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार मकानों का निर्माण कर सके।**

(vi) **लगभग सभी आदिम जनजातीय परिवार बीपीएल परिवार हैं इसलिए, उन्हें आय सृजन गतिविधियों में लगाने की आवश्यकता है। उन्हें कृषि (उन्हें उन्नत बीज, कृषीय किट्स, जुताई के लिए बैल, बैलगाड़ी आदि की आपूर्ति करें), बागवानी और पशुपालन (उन्हें शंकर नस्ल गाय, भैंस, भेड़/सुअर आदि की आपूर्ति करके) आदि में व्यवस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उनमें स्वत: रोजगार पैदा करने के लिए बैंत एवं बांस शिल्प, बढ़ईगिरी, हल्के मोटर वाहन चलाना, दर्जी कार्य और जूट शिल्प में प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।**

(vii) मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग) अधिनियम, 1994 में संशोधन करते हुए, ने आदिम जनजातीय सममूहों के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधान किया है। संशोधित अधिनियम में यह प्रावधान है कि आदिम जनजातीय समूह के रूप में विनिर्दिष्ट कुछ अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना ग्रेड-I, II और III में संविदा अध्यापकों के पदों और समूह 'ग' और 'घ' पदों में नियुक्त किया जाएगा, बशर्ते वे इन पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखते हों। **आयोग सिफारिश करता है कि आदिम जनजातीय समूह वाले अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी विभिन्न ग्रेडों में अध्यापक वर्ग के संविदा पदों और समूह 'ग' एवं 'घ' पदों में आदिम जनजातीय समूह से संबंधित अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए भी ऐसी ही स्कीम बनाने पर विचार करना चाहिए।**

(viii) कर्नाटक सरकार ने विभिन्न विभागों के माध्यम से आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन भी जांच करने के लिए जिला स्तर समितियों का गठन की है। संबंधित जिले का उपायुक्त समिति का अध्यक्ष होता है और संबंधित आईटीडीपी के परियोजना समन्वयक समिति के सदस्य सचिव होते हैं। संबंधित जिला पंचायत के सीईओ, जिले के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम के जिला प्रबन्धक, जिले के लोक सभा सदस्य/विधान सभा सदस्य/विधान परिषद् सदस्य और उपायुक्त द्वारा नामित आदिम जनजातीय समूहों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले गैर –सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि समिति के सदस्य होते हैं। विकास कार्यक्रमों के प्रभाव की समीक्षा करने के लिए समिति की बैठक तीन माह में एक बार होती है। **आयोग महसूस करता है कि आदिम जनजातीय समूहों का विकास सुनिश्चित करने के लिए यह एक अच्छा प्रयास है और अन्य राज्यों को भी इसे अपनाने की आवश्यकता हों, और इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि आदिम जनजातीय समूह वाले अन्य राज्यों को भी कर्नाटक मॉडल के अनुरूप जिला स्तर प्रबोधन समितियाँ गठित करनी चाहिए।**

अध्याय 5

अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक विकास

5.1 प्रस्तावना

5.1.1 यह सार्वभौमिक सत्य है कि शिक्षा मानव संसाधन विकास में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है। हम बिना शिक्षा के समाज के किसी भी वर्ग की उन्नति को नहीं समझ सकते हैं। यह एक अत्यधिक प्रभावी माध्यम है जिसके द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से समाज के हासिए पर पड़े हुए वर्ग को गरीबी के दल-दल से स्वयं को उठाने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। समाज का शोषित वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत के संविधान में प्रतिस्थापित सिविल, राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकता जब तक कि वह शिक्षा का न्यूनतम स्तर प्राप्त नहीं करता हैं। हमारे देश की सामजिक संरचना ऐसी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हमेशा अपनी निरक्षरता, गरीबी, अन्धविश्वास एवं अज्ञानता के कारण शोषण एवं दासता की शिकार बनती हैं। संविधान के निर्माता सभी और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों में शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता के प्रति पूर्ण रूप से सजग थे जो भारत की कुल जनसंख्या की एक चौथाई है और तद्नुसार, उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों, विशेषत: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक विकास के उन्नयन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 46, 15(4), 29(2) और 350क में विशेष प्रावधानों/सुरक्षणों के रूप में इन समुदायों के विकास के लिए विशेष मापदण्ड सुझाए हैं।

5.1.2 संविधान के अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय एवं किसी भी प्रकार के शोषण से उन्हें संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 15(4) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों के किसी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने हेतु राज्य को शक्ति प्रदान करता है। यह प्रावधान संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था जिससे कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। यह प्रावधान तकनीकी, इंजीनियरिंग एवं मैडिकल कालिज और वैज्ञानिक एवं विशिष्ट पाठ्यक्रमों सहित शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित करने के लिए राज्य को समर्थ बनाता है। अनुच्छेद 29 (2) यह उपबन्ध करता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 350 क में राज्य सरकारों एवं स्थानीय प्राधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए शिक्षा के प्राथमिक चरण पर मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया करायेंगे।

5.1.3 अपनी प्रथम रिपोर्ट में, आयोग ने अनुसूचित जनजाति के चहुमुखी विकास के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों के बारे में उल्लेख किया है। इस रिपोर्ट में भी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित हैं:- (i) पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृति स्कीम (पीएमएम), (ii) बुक बैंक स्कीम, (iii) अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की मेरिट के उन्नयन के लिए स्कीम, (iv) अनुसूचित जनजाति बालिकाओं एवं बालकों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए स्कीम (v) टीएसपी क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना के लिए

स्कीम और (vi) विभिन्न राज्यों में स्थित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को अनुदान देने के लिए स्कीम, जो अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। यह रिपोर्ट केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के बारे में भी सूचना उपलब्ध कराती है जो निम्नवत है:- (i) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता अनुदान हेतु स्कीम, (ii) महिलाओं की साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता क्षेत्रों में शैक्षणिक परिसरों की स्थापना के लिए स्कीम (iii) जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए स्कीम और (iv) विदेश से उच्च शिक्षा के लिए नेशनल ओवरसीज स्कोलरशिप स्कीम जो अनुसूचित जनजाति में वृद्धिकृत शैक्षणिक उन्नति के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत राज्यों को 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस रिपोर्ट में आयोग ने जनजातीय बालिकाओं एवं बालकों में साक्षरता में सुधार लाने और उनका प्रवेश बढ़ाने और उनमें स्कूल छोड़ने वालों की दर घटाने संबंधी बहुत सी शिफारिशें की है। इस रिपोर्ट में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए भी बहुत सी सिफारिशें की गई है।

5.1.4 पूर्व पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने 10 नवम्बर, 2006 को आयोजित अपनी बैठक में आयोग के सचिवालय द्वारा की गई कार्रवाई का अनुमोदन किया और राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वह वे उन्हें भेजी गई प्रश्नावली (**संलग्नक** 5.1) के उत्तरों के रूप में सूचना भेजे, इसके साथ-साथ वे आयोग की अपनी अगली रिपोर्ट में विशेष कवरेज देते हुए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के अन्तर्गत उन्हें उपलब्ध करायी गई सहायता या उनके द्वारा स्वयं कार्यान्वित की जा रही स्कीमों/कार्यक्रमों के बारे में भी सूचना भेजे। वे राज्य सरकारें जिन्होंने अपेक्षित पूर्ण या आंशिक जानकारी भेजी है, निम्नलिखित है- (i) आन्ध्र प्रदेश (ii) छत्तीसगढ़, (iii) हिमाचल प्रदेश, (iv) कर्नाटक, (v) मध्य प्रदेश, (vi) मणिपुर, (vii) उड़ीसा, (viii) राजस्थान, (ix) सिक्किम, (x) उत्तर प्रदेश और (xi) पश्चिम बंगाल। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह अध्याय अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में इन राज्यों द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताता है।

5.2 आन्ध्र प्रदेश

साक्षरता दर:

5.2.1.1 आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर 37.03 प्रतिशत है। पुरूषों के मामले में यह 47.66 प्रतिशत तथा महिलाओं के मामले में यह 26.10 प्रतिशत है। यह आंकड़े राज्य की सामान्य पुरूष/महिला साक्षरता दर की तुलना में कम है जो 61.11 प्रतिशत है (पुरूषों के मामले में 70.85 प्रतिशत और महिलाओं के मामलें में 51.17 प्रतिशत)। तीन जिलों नामत: महबूब नगर, मेंडक और निजामबाद में अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर बहुत कम क्रमश: 13.3 प्रतिशत, 14.3 प्रतिशत और 16.5 प्रतिशत है। **आयोग सिफरिश करता है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को राज्य में जनजाति महिलाओं की साक्षरता दर 26.10 प्रतिशत के बराबर लाने के लिए इन तीनों जिलों में महिला साक्षरता दर को सुधारने के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए।**

5.2.1.2 आन्ध्र प्रदेश में 8 आदिम जनजातीय समूह है और कोलम और कोन्ध जनजातियों को छोड़कर राज्य की अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर के समान ही उनकी साक्षरता दर है, जिस मामले में यह क्रमश: 24.51 प्रतिशत और 17.81 प्रतिशत है। इन दो समुदायों में, महिला साक्षरता दर भी बहुत कम क्रमश: 15.94 प्रतिशत और 9.34 प्रतिशत है। **आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को सलाह दी जाती है कि वह कोलम और कोन्ध**

जनजातियों (जो आदिम जनजातीय समूह भी है) के बारे में महिला साक्षरता वृद्धि के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से विशेष प्रयास करें।

अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थान

5.2.2.1 राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग के अन्तर्गत 599 आश्रम स्कूल, 172 आवासीय स्कूल और 441 छात्रावास चल रहे हैं जिनमें से 411 आश्रम स्कूल, 53 आवासीय स्कूल और 331 छात्रावास केवल लड़कों के लिए है। छः आवासीय स्कूल और 52 आश्रम स्कूल सह-शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। केवल अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए उनके शैक्षणिक कल्याण के लिए 32 आवासीय स्कूल, 41 मिनी-गुरूकुलम, 36 आश्रम स्कूल, 110 छात्रावास और 40 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। अनुसूचित जनजाति लड़कियों में शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उनके लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों में 33 प्रतिशत सीटे आरक्षित कर रखी है।

5.2.2.2 आन्ध्र प्रदेश सरकार विशेष रूप से चेंचू (आदिम जनजातीय समूह) के लिए 34 आश्रम स्कूल चला रही है। इस समुदाय के लिए एक आवासीय पोलेटेकनीक भी है। राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों एवं आश्रम स्कूलों में प्रवेश के लिए आदिम जनजातीय समूहों के विद्यार्थियों को 100 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराती है।

5.2.2.3 एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण (आईटीडीए) और परियोजना प्रबोधन संसाधन केन्द्र (पीएमआरसी) के परियोजना अधिकारियों को शिक्षा के लाभ के बारे में जनजातियों में जागृति पैदा करने तथा अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने का काम सौंपा गया है। एसएसए (सर्व शिक्षा अभियान) के अन्तर्गत जागृति कार्यक्रम शिक्षा के लाभों के बारे में जनजातीय बच्चों के माता-पिताओं को प्रभावित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है ताकि वे अनुसूचित जनजाति के लिए उपलब्ध विभिन्न शैक्षणिक सुविधाओं को प्राप्त कर सके।

5.2.2.4 आंध्र प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में अधिकतर प्राथमिक स्कूल एकल-शिक्षक द्वारा चलाए जा रहे हैं। ऐसे स्कूलों की संख्या 4317 है। सरकार ऐसे स्कूलों में एक और शिक्षक की नियुक्ति की योजना बना रही है। तथापि, विद्यार्थियों की संख्या का ध्यान किए बिना प्रत्येक एकल-शिक्षक स्कूल के लिए एसएसए कार्यक्रम के अन्तर्गत एक विद्या वालेन्टीयर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के पद स्थानीय जनजातीय युवाओं से भरे जा रहे हैं।

5.2.2.5 आन्ध्र प्रदेश में शैक्षणिक परिसर स्कीम (मिनी गुरूकुलाम) एपीटीडब्ल्यूआरईआई सोसाइटी, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। राज्य के 17 जिलों में 41 गुरूकुलाम स्थापित किए गए हैं जिसमें 5684 लड़कियां पढ़ती है।

5.2.2.6 अनुसूचित जनजाति लड़कों एवं लड़कियों के लिए 8 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल राज्य के 8 जिलों में चल रहे हैं, जिसमें 4127 विद्यार्थी (1784 लड़की एवं 2343 लडकियां) अध्ययन कर रहे हैं।
5.2.2.7 राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भारत सरकार ने निम्न महिला साक्षरता खण्डों में स्कूल छोड़ कर चली जाने वाली अनुसूचित जनजाति लड़कियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए 40 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्वीकृति दी है जिन्होंने अक्टूबर 2006 से कार्य करना आरंभ कर दिया है।

5.2.2.8 परम्परागत दक्षता में अनुसूचित जनजाति लड़के एवं लड़कियों को प्रशिक्षण देने की दृष्टि से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता से स्थापित जनजातीय कल्याण विभाग के नियंत्रण के अन्तर्गत राज्य में 9 व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान, 1228 लड़की एवं लड़कियों को प्रशिक्षण दिया गया।

श्रेष्ठ उपलब्ध स्कूल स्कीम

5.2.3 इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति लड़के एवं लड़कियों की अंग्रेजी माध्यम आवासीय स्कूल, हैदराबाद, वारंगल, तिरूपति और विजयनगरम में प्रवेश देती है। प्रवेश बिन्दु 5वीं कक्षा है। इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को कक्षा VIII में तीन उत्कृष्ट स्कूलों नामत: पारवथीपुरम, भद्राचलम और श्रीसेलम में भी प्रवेश दिया जा रहा है। श्रेष्ठ उपलब्ध स्कूल स्कीम के अन्तर्गत छात्रवृति की राशि कक्षा VII तक प्रतिवर्ष 8000 रू0 प्रति विद्यार्थी और कक्षा VIII से IX तक प्रतिवर्ष 12000 रू0 प्रति विद्यार्थी है। ये छात्रावृत्तियाँ सीधे संस्थानों को दी जाती है न कि विद्यार्थियों को। अनुसूचित जनजाति बच्चे, जिनके माता-पिता की आय 18000 रू0 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है श्रेष्ठ उपलब्ध स्कूल स्कीम के अन्तर्गत प्रवेश लेने के पात्र होते हैं। निसंदेह यह एक अच्छी स्कीम है जिससे अनुसूचित जनजाति के बच्चों का शैक्षणिक विकास होगा। **आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकार आय सीमा 18000 रू0 से बढ़ाने पर विचार करे जिससे अनुसूचित जनजाति के और विद्यार्थी इस दायरे में आ सके और यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रकार से आय सीमा में वृद्धि गरीबी रेखा से ऊपर निर्धारित रहे।**

विशेष कोचिंग कार्यक्रम:

5.2.4 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य सरकार छुट्टियों में और स्कूल समय के बाद कक्षा VII, IX और X में पढ़ रहे विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग उपलब्ध कराती है। कक्षा VII में पढ़ रहे विद्यार्थियों को गणित, अंग्रेजी और विज्ञान में भी नि:शुल्क कोचिंग दी जा रही है। उसी प्रकार, कक्षा IX और X में पढ़ रहे विद्यार्थियों को भी चार विषयों अर्थात् गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और हिन्दी में नि:शुल्क कोचिंग दी जा रही है। इन विषयों के लिए छात्रावासों में नियुक्त टयूटर्स किए जाते हैं।

मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना

5.2.5 कक्षा I से III तक अनुसूचित क्षेत्रों 130 स्कूलों में जनजातीय विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा दी जा रही है। जनजातीय भाषाओं नामत: कोया, सावरा, गोंडी, कोलामी, लम्बादा, कोन्डा और कूवी में पाठ्य पुस्तकों तैयार की गयी है।

अध्यापक-शिष्य अनुपात, नामांकन एवं स्कूल छोड़ना

5.2.6 कक्षा I से VIII तक अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के नामांकन का अनुपात 52.99 प्रतिशत है। लड़कों के मामले में यह 62.40 तथा लड़कियों के मामले में यह 43.34 है। अनुसूचित क्षेत्रों में अध्यापक-शिष्य अनुपात 1:20 है। संपूर्ण राज्य में यह 1:40 है। अनुसूचित जनजाति में स्कूल छोड़कर जाने वालों की दर कक्षा I से VII तक बहुत ऊंची है जो 74.71 है। **राज्य सरकार को सलाह दी जाती है कि वह**

जनजातीय लड़कों एवं लड़कियों तथा उनके माता–पिताओं को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देकर कक्षा–I से VII तक में पढ़ाई छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों की दर को कम करने के लिए कदम उठाए।

प्रोत्साहन/छात्रवृत्तियाँ:

5.2.7.1 स्कूल में आकर्षित करने के लिए कक्षा VIII से X तक के विद्यार्थियों को नोट बुक, टैक्सट बुक, दो जोड़ी ड्रेस, बिस्तर सामग्री, बर्तन, बोक्स, स्लीपर्स, लेखन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। बालिका विद्यार्थियों को अतिरिक्त स्टेशनरी नेपकिन्स तथा कोसमेटिक्स उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

5.2.7.2 आन्ध्र प्रदेश सरकार उन अनुसूचित जनजाति परिवारों के बच्चों को ठहरने तथा खाने की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है जो अस्थाई रूप से अपने मूल स्थान से अन्य स्थानों पर प्रवासित हो रहे हैं।

5.3 छत्तीसगढ़

साक्षरता दर:

5.3.1 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में सामान्य साक्षरता दर 64.70 प्रति (पुरूष-77.40 प्रतिशत तथा महिला – 51.9 प्रतिशत) है। राज्य में अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर 52.10 प्रतिशत (पुरूष-65 प्रतिश तथा महिला 39.30 प्रतिशत) है। राज्य की अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर एवं सामान्य महिला साक्षरता दर के मुकाबले राज्य के जिलों नामत: सुरगुजा (21.32 प्रतिशत), कावरधा (17.60 प्रतिशत), महासमुन्द (20 प्रतिशत) बस्तर (24 प्रतिशत), दांतेवाड़ा (19 प्रतिशत) में महिला साक्षरता दर कम है। आदिम जनजातीय समूहों नामत: अभुजामदिया (2.28 प्रतिशत), बैगा (7.77 प्रतिशत) और बिरहोर (1.81 प्रतिशत) में साक्षरता दर बहुत कम है। **राज्य सरकार को सलाह दी जाती है कि वह ऊपर उल्लिखित आदिम जनजातीय समूहों में तथा ऊपर उल्लिखित जिलों में महिला साक्षरता दर बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करे।**

अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थान:

5.3.2.1 अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए 514 छात्रावास (कक्षा-I से V तक के लिए 268, कक्षा – VI से X तक के लिए 196, कक्षा XI और कालिज विद्यार्थियों के लिए 50) है जिनकी कुल क्षमता 29292 विद्याथियों की है। अनुसूचित जनजाति लड़कों के लिए 1207 छात्रावास (कक्षा I से V तक के लिए 448, कक्षा-VI से X तक के लिए 701, कक्षा – XI और कालिज विद्यार्थियों के लिए 58) है जिनकी कुल क्षमता 49523 विद्यार्थियों की है। लगभग 136 छात्रावास ऐसे हैं जिनमें बिजली नहीं है। उसी प्रकार, लगभग 464 छात्रावास ऐसे हैं जिनकी चार दीवारी नहीं है। **राज्य सरकार को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे छात्रावासों के संबंध में अवसंरचनात्मक सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए।**

5.3.2.2 राज्य के 8 जिलों में स्थित 8 एकलव्य माडल आवासीय स्कूल है जिनमें 558 अनुसूचित जनजाति के लड़के एवं लड़कियाँ अध्ययन कर रहे हैं।

5.3.2.3 छत्तीसगढ़ में, "शाला प्रवेश आयोजन" प्रत्येक वर्ष शिक्षा सत्र के आरंभ में किया जा रहा है जिसमें अध्यापक एवं पंचायत अधिकारी सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, घर-घर जाते हैं, स्थानीय लोगों एवं अनुसूचित जनजाति माता-पिताओं को प्रेरणा देते हैं कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजे। मुख्य मंत्री, शिक्षा

मंत्री और जनजातीय कल्याण मंत्री द्वारा माता-पिताओं से सीधे अपील भी की जा रही है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में 457 स्कूल एकल-अध्यापक द्वारा संचालित है। **आयोग राज्य सरकार को यह सलाह देना चाहता है कि वह अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक हित में सभी एकल-अध्यापक स्कूलों में एक और अध्यापक की नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाए। सुझाव है कि नियुक्तियाँ करते समय, स्थानीय जनजातीय युवाओं में से अध्यापक नियुक्त करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।**

5.3.2.4 राज्य के सात जनजातीय जिलों में 4263 प्राथमिक स्कूल हैं। इन स्कूलों में, अध्यापकों के 2295 पद रिक्त पड़े हुए हैं। **राज्य सरकार को सलाह दी जाती है कि वह राज्य के प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के इन रिक्त पदों को भरने के लिए एक समयबद्ध रूपरेखा तैयार करें।**

अध्यापक-शिष्य अनुपात, नामांकन एवं स्कूल छोड़ना:

5.3.3 कक्षा-I से V तक अनुसूचित जनजाति का कुल नामांकन अनुपात 97.03 और कक्षा VI से VIII तक 94.48 है। अध्यापक-शिष्य अनुपात बस्तर जिले में 1:35, दांतेवाड़ा एवं जशपुर में 1:26, कांकेर में 1:27, कोरबा में 1:41, कोरिया में 1:34 और सूरगुजा जिले में 1:34 है। इन जिलों में अनुसूचित क्षेत्र हैं। गैर -जनजाति जिलों में यह अनुपात 51 से 47 तक के बीच है।

प्रोत्साहन और विशेष कोचिंग:

5.3.4 खण्ड स्तर पर तथा खण्ड स्तर के नीचे के छात्रावासों में "विशेष कोचिंग केन्द्रो" के माध्यम से विद्याथियों को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों में विशेष कोचिंग उपलब्ध करायी गयी है। राज्य सरकार कक्षा-IX में पढ़ रही उन अनुसूचित जनजाति लड़कियों को साईकल उपलब्ध करा रही है ।

पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति:

5.3.5 इस योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकार कक्षा-III से V तक की लड़कियों को 250 रू0 प्रति माह की दर से, कक्षा-VI से कक्षा-VIII तक के अनुसूचित जनजाति के लड़कों एवं लड़कियों का क्रमश: 300रू0 तथा 400 रू0 प्रति माह की दर से और कक्षा-IX से X तक के अनुसूचित जनजाति के लड़कों एवं लड़कियों को क्रमश: 400 रू0 तथा 500रू0 प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराती है। कक्षा- I से X तक छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों (लड़कों) के लिए छात्रवृत्ति की दर 350 रू0 प्रति माह है। उसी प्रकार, कक्षा-I से X तक छात्रावासों में रहने वाली अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों (लड़कियों) के लिए छात्रवृत्ति की दर 360 रू0 प्रति माह है। यह छात्रवृत्ति एक वर्ष में 10 माह की मिलती है। बच्चों के माता-पिताओं की आय की कोई सीमा नहीं है।

5.4 हिमाचल प्रदेश

साक्षरता दर:

5.4.1 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की सामान्य साक्षरता दर 76.5 प्रतिशत (पुरूष- 85.3प्रतिशत तथा महिला 67.4 प्रतिशत) है। अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर 65.5 प्रतिशत (पुरूष- 77.7 प्रतिशत तथा महिला- 53.5 प्रतिशत) है।

अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थान:

5.4.2.1 चम्बा जिले के 5 खण्डों में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अन्तर्गत लड़कियों के लिए 8 आवासीय स्कूल है जिनमें 368 लड़कियाँ अध्ययन कर रही है। राज्य सरकार ने गुज्जर एवं गद्दी प्रवासित अनुसूचित जनजाति समुदायों के बच्चों की शिक्षा के लिए चम्बा जिले में साहू, मेहाला और कालसुई में छात्रावास भी खोले हैं।

5.4.2.2 राज्य के किसी भी जनजातीय क्षेत्र में एकल-अध्यापक स्कूल नहीं हैं। प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त अध्यापक उसी जिले के निवासी है जिसमें स्कूल स्थित है और प्राथमिक सहायक अध्यापक स्कीम के अन्तर्गत, उसी पंचायत के रहने वाले प्राथमिक अध्यापकों को अधिमान दिया जा रहा है जिसमें स्कूल स्थित है।

छात्रवृतियाँ/प्रोत्साहन:

5.4.3.1 स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रवृति, नि:शुल्क टैक्सट बुक, लेखन सामग्री तथा वर्दी (केवल लड़कियों को) प्रदान की जाती है। वर्ष 2006-07 के दौरान, राज्य सरकार ने जनजातीय विद्यार्थियों को लेखन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 40.50 लाख रू0 की राशि खर्च की। राज्य सरकार ने उस वर्ष जनजातीय लड़कियों को वर्दी उपलब्ध कराने के लिए 43.00 लाख रू0 खर्च किए। माता-पिताओं को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कोई नगद प्रोत्साहन राशि नहीं दी गयी।

5.4.3.2 स्कूलों में उपस्थिति में सुधार लाने के लिए, राज्य सरकार उन जनजातीय लड़कों को 4रू0 प्रति माह की दर से स्टाईफंड छात्रवृति उपलब्ध करा रही है जिनकी वार्षिक आय 11000 रू0 से कम है। प्रति माह 2 रू0 प्रति विद्यार्थी की दर से बालिका उपस्थिति छात्रवृति भी दी जा रही है। राज्य सरकार को इसे स्वयं काफी पहले पुनरीक्षित करना चाहिए था। इस छात्रवृति की न्यूनतम मात्रा के बारे में मामले को इस आयोग के माननीय सदस्य ने राज्य में अपने दौरे के बाद प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में उठाया और उनके प्रेक्षण इस राशि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु राज्य सरकार के ध्यान में लाए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बारे में राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। **आयोग की सिफारिश है कि राज्य सरकार को कम से कम 50 रू0 प्रति विद्यार्थी (लड़के और लड़कियाँ दोनो) तक बढ़ाने के लिए इन छात्रवृत्तियों की मात्रा में संशोधन के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। राज्य सरकार को यह भी सलाह दी जाती है कि वह और अधिक अनुसूचित जनजाति लड़कों एवं लड़कियों को उपस्थिति प्रोत्साहन देने को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम के अन्तर्गत 11000 रू0 की आय सीमा को बढ़ाए और यह सुनिश्चित करे कि सभी परिस्थितियों में संशोधित आय सीमा गरीबी रेखा से ऊपर नियत की जाए।**

5.4.3.3 राज्य सरकार कक्षा-VI से VIII तक पढ़ने वाले जनजातीय लड़के एवं लड़कियों को प्रतिवर्ष क्रमश: 250 रू0 और 500 रू0 की दर से आईआरडीपी छात्रवृत्ति का भुगतान करती है।

5.4.3.4 कक्षा-V परीक्षा में 40 रू0 प्रति माह की दर से मिडिल मेरिट स्कोलरशिप 4 टोपर जनजातीय लड़कों को और 4 टोपर जनजातीय लड़कियों को 80 रू0 प्रति माह की दर से 10 माह के लिए भुगतान किया जाता है।

मेधावी छात्रवृत्ति स्कीम:

5.4.4 राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लाभ के लिए मेधावी छात्रवृत्ति स्कीम आरम्भ की है, जिसके अन्तर्गत 100 जनजातीय लड़के और 100 जनजातीय लड़कियों को जो हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा में 72 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं 11000 रू0 वार्षिक दिए जाते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत उन 100 अनुसूचित जनजाति लड़के एवं 100 अनुसूचित जनजाति लड़कियों को भी 11000 रू0 वार्षिक दिए जा रहे है जो +2 पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की परीक्षा में 72 प्रतिशत या इससे ऊपर अंक प्राप्त करते हैं।

नामांकन और स्कूल छोड़ना:

5.4.5 कक्षा – VI से VIII तक में कुल नामांकन अनुपात 84.84 प्रतिशत है। जनजातीय जिलों में स्कूल छोड़ने वालों की दर शिक्षा के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर दोनों में निम्न है। यह कक्षा – I से V तक 5.27, कक्षा – VI से VIII तक 4.63 और कक्षा – IX से X तक 11.26 है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित ग्राम शिक्षा समितियाँ अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए माता – पिताओं को प्रेरित करती है।

5.5 कर्नाटक

साक्षरता दर:

5.5.1 कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर 48.3 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति महिला और पुरूषों में क्रमश: 36.6 प्रतिशत और 59.7 प्रतिशत है। राज्य में दो आदिम जनजातीय समूह नामत: जेनू कुरूबा और कोरागा है उनकी साक्षरता दर क्रमश: 33.02 प्रतिशत तथा 43.06 प्रतिशत है। जेनू कुरूबा में पुरूष और महिला साक्षरता दर बहुत निम्न है जो क्रमश: 15.10 प्रतिशत और 19.29 प्रतिशत है।

अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थान:

5.5.2.1 122 आश्रम स्कूल (कक्षा – I से V तक लड़के एवं लड़कियाँ दोनो के लिए) तथा 118 पूर्व-मैट्रिक छात्रावास राज्य में अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा चलाए जाते हैं। प्रत्येक स्कूल में 125 विद्यार्थी पढ़ते हैं जिसमें से 75 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के हैं। राज्य शिक्षा विभाग 62708 प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्कूल चला रहा है जिनमें अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी भी अध्ययन कर रहे हैं। राज्य में कोई एकल अध्यापक स्कूल नहीं है। केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत, 41 छात्रावास अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए निर्मित किए गए हैं जिनमें 1850 विद्यार्थी रह रहे हैं। उसी प्रकार, उस स्कीम के अन्तर्गत, 82 छात्रावास अनुसूचित जनजाति लड़कों के लिए निर्मित किए गए हैं, जिनमें 3910 विद्यार्थी रह रहे हैं। इन छात्रावासों में सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे बिजली, शौचालय, स्नानगृह आदि है।

5.5.2.2 अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए शैक्षणिक परिसर स्कीम राज्य के समाज कल्याण विभाग के एक संगठन, कर्नाटक आवासीय शैक्षणिक संस्थान समाज के माध्यम से राज्य के निम्न साक्षरता वाले क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। उन तीन जिलों नामत: रायचूर, गुलबर्गा और मैसूर के पांच स्थानों पर ये परिसर स्थापित किए गए हैं, जहाँ महिला साक्षरता दर बहुत कम है।

5.5.2.3 राज्य के चार जिलों में चार एकलव्य माडल आवासीय स्कूल कार्य कर रहे हैं, जिनमें 429 लड़के एवं 408 लड़कियाँ अध्ययन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 61 कस्तूरबागांधी बालिका विद्यालय भी स्थापित किए गए हैं जो 4399 लड़कियों की शैक्षणिक जरूरत को पूरा करते हैं, जिसमें 20 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति लड़कियाँ अध्ययन करती हैं।

5.5.2.4 बेरोजगार अनुसूचित जनजाति युवाओं के लाभ के लिए राज्य में पांच व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। पलंबिंग, ड्राईविंग, वेल्डिंग, आटोमोबाईल सेवा और कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सोफ्टवेयर आदि शाखाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें एक वर्ष में 1000 अनुसूचित जनजाति युवा प्रशिक्षण लेते हैं, प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की अवधि 12 माह है।

अध्यापक–शिष्य अनुपात, नामांकन एवं स्कूल छोड़ना:

5.5.3 राज्य में कोई परिभाषित जनजातीय क्षेत्र नहीं है। जनजातियाँ संपूर्ण राज्य में फैली हुई है। उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार राज्य में अध्यापक-शिष्य अनुपात 1:34 है। कक्षा I से X तक में स्कूल छोड़ने वालों का अनुपात बहुत अधिक 45.04 प्रतिशत है। **राज्य सरकार को सलाह दी जाती है कि जनजातीय लड़कियाँ एवं लड़कों और उनके माता–पिताओं को प्रोत्साहन उपलब्ध करा कर स्कूल छोड़ने वालों की दर में कमी लाने के प्रयास किए जाए।**

प्रोत्साहन/छात्रवृत्तियाँ

5.5.4.1 आदिम जनजातीय समूह में साक्षरता दर में सुधार के लिए, राज्य सरकार इन समूहों के बच्चों को विशेष नगद प्रोत्साहनों का भुगतान कर रही है। कक्षा-I से IV तक के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 100 रू0, कक्षा – V से VII तक 150 रू0, कक्षा – VIII से X तक तथा कालिज के विद्यार्थियों को 200 रू0 प्रतिवर्ष का भुगतान किया जा रहा है। यह नगद प्रोत्साहन विद्यार्थियों को भुगतान किए गए नियमित प्री/पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त है। इसके अतिरिक्त, आदिम जनजातीय समूहों के बच्चों के माता-पिताओं को भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उत्साहित करने के लिए 200 रू0 प्रतिवर्ष का नगद प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आयोग आदिम जनजातीय समूह के माता-पिताओं और विद्यार्थियों को नगद प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करता है और आशा करता है कि इससे जनजातियों में शिक्षा में उन्नयन करने के अपेक्षित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

5.5.4.2 राज्य सरकार उन अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार उपलब्ध कराती है, जो पब्लिक एग्जामिनेशन को प्रथम प्रयास में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करता है। यह दर एसएसएलसी परीक्षा के लिए 500रू, II पीयूसी परीक्षा के लिए 700 रू0, स्नातक परीक्षा के लिए 1000 रू0 स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए 1250 रू0 तथा मेडिकल/इंजीनियरिंग एवं अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 1500 रू0 है। आयोग आशा करता है कि इन नगद पुरस्कारों से विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में उत्साहवर्धन होगा और इससे प्रथम प्रयास में प्रथम श्रेणी लाने के लिए उनमें प्रतिस्पर्धात्मक भावना पैदा होगी।

5.5.4.3 राज्य में "बाल्मीकि" और "नायक" समुदायों से संबंधित चार अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियां को विदेशी छात्रवृत्ति प्रदान की गई है और वे लीवरपूल विश्वविद्यालय, यू.के., दक्षिण आस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया, सिडनी विश्वविद्यालय, सिडनी और रिड्डल विश्वविद्यालय, फ्लोरिडा यूएसए में क्रमश:

इंजीनियरिंग में एम.एस.सी., एप्लीकेशन आफ लेजर, मास्टर ऑफ एडवासंड मेनुफेक्चरिंग टेक्नोलोजी और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में एम.एस.सी. में अध्ययन कर रहे हैं।

5.5.4.4 वे विद्यार्थी जो अपनी पढ़ाई में कमजोर पाए जाते हैं, उनमें शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए स्कूल समय के बाद छात्रावास में उनको अतिरिक्त कोचिंग दी जाती है ताकि वार्षिक परीक्षा में वे सफल हो सके।

5.6 मध्य प्रदेश

साक्षरता दर:

5.6.1 मध्य प्रदेश में, अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर 41.20 प्रतिशत है। पुरूषों एवं महिलाओं में क्रमश: 53.50 प्रतिशत तथा 28.40 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति महिलाओं में साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से कम है, यदि हम राज्य महिला साक्षरता दर देखते हैं जो 50.28 प्रतिशत है। झाबुआ और सिढी जिलों में, महिला साक्षरता क्रमश: 19.40 प्रतिशत और 21.60 प्रतिशत है। सतना जिले में यह केवल 24.60 प्रतिशत है। **राज्य सरकार को सलाह दी जाती है कि झाबुआ, सिढी और सतना जिलों में महिला साक्षरता दर बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए और संपूर्ण महिला अनुसूचित जनजाति साक्षरता में सुधार किया जाना चाहिए जो राज्य महिला साक्षरता दर की तुलना में कम है।**

अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थान:

5.6.2.1 जनजातीय क्षेत्रों में 13298 एकल - अध्यापक प्राथमिक स्कूल, 893 अपर प्राथमिक स्कूल और 14191 आरंभिक स्कूल है। राज्य में 105 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है जिनमें 5368 अनुसूचित जनजाति लड़कियाँ अध्ययन कर रही हैं।

5.6.2.2 मध्य प्रदेश के 10 जिलों 11 एकलव्य माडल आवासीय स्कूल चल रहे हैं जिनमें 2563 जनजातीय विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। इन स्कूलों में यद्यपि 50 प्रतिशत सीटें लड़की विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है, अधिकतर स्कूलों में उनकी संख्या कम है। **राज्य सरकार को सलाह दी जाती है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि राज्य के 11 एकलव्य माडल आवासीय स्कूलों में लड़कियों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत का पूरा कोटा राज्य में महिला शिक्षा हित को ध्यान में रखते हुए केवल अनुसूचित जनजाति लड़कियों में से ही भरा जाए।**

5.6.2.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से गैर -सरकारी संगठनों द्वारा राज्य के नौ जिलों में निम्न साक्षरता पोकिटों से शैक्षणिक परिसर स्थापित किए गए हैं।

5.6.2.4 'जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण' केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के अन्तर्गत, राज्य सरकार ने धार जिले के 2 प्रशिक्षण केन्द्रों को शामिल करते हुए राज्य के 9 जिलों में 10 व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं जिसमें अनुसूचित जनजाति लड़के एवं लड़कियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे स्व:रोजगार या नौकरी से अपना जीवन-निर्वाह कर सके। वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान क्रमश: 189, 434, 718 और 665 जनजातीय लड़कियाँ एवं लड़कों को इन केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया गया जिनमें से 216 ने नौकरी प्राप्त की।

प्रोत्साहन/छात्रवृत्तियाँ:

5.6.3.1 'राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति स्कीम' के अन्तर्गत एक आदिम जनजातीय समूह से संबंधित अभ्यर्थी सहित 10 अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को मास्टर और पोस्ट डाक्टोरल स्तर पाठयक्रमों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ दी गई।

5.6.3.2 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति और वजीफा स्कीम के अन्तर्गत, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा-VI से VIII तक पढ़ने वाले प्रति लड़के को 350 रू0 और कक्षा – I से X तक पढ़ने वाली प्रति लड़की को 360रू0 उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आदिम जनजातीय समूह के लड़के जो कक्षा – I से V तक में पढ़ रहे हैं वे भी प्रति लड़का 350रू0 की दर से वजीफा लेने के पात्र हैं। वजीफे की यह राशि राज्य छात्रवृत्ति के अतिरिक्त है (दोनों छात्रावासी और गैर-छात्रावासी) जिसके अन्तर्गत छात्रावृत्ति की दर प्रति लड़का एवं प्रति लड़की 15 रू0 से 40 रू0 तक है।

नामांकन एवं स्कूल छोड़ना:

5.6.4 कक्षा – I से V तक और कक्षा – VI से VIII तक अनुसूचित जनजाति का कुल नामांकन अनुपात क्रमश: 102:15 और 80:61 है। आरंभिक स्कूलों में, कुल नामांकन अनुपात 96:28 है। जनजातीय उप योजना जिलों में अध्यापक-शिष्य अनुपात शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर 7:46 तथा माध्यमिक स्तर पर 5:36 है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की दर 21.02 प्रतिशत है। बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए माता-पिताओं को प्रेरित करने और स्कूल छोड़कर जाने वालों की दर कम करने, स्कूल स्तर पर कैम्प लगाए जा रहे हैं और माता-पिता अध्यापक संघ द्वारा एक नियमित अंतराल पर बैठक भी आयोजित की जा रही है। उत्कर्ष छात्रवृत्ति एवं नेहरू मेधावी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति स्कीम के अन्तर्गत सराहनीय विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए 12 जिलों में 24 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग दी जा रही है।

5.7 मणिपुर

साक्षरता दर:

5.7.1 मणिपुर में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 65.85 प्रतिशत है जो पुरूषों एवं महिलाओं में क्रमश: 73.16 प्रतिशत तथा 58.48 प्रतिशत है। यह आंकड़े राज्य की सामान्य साक्षरता दर के बराबर है। राज्य के सभी जिलों में, अनुसूचित जनजाति पुरूष/महिला साक्षरता दर बिल्कुल ठीक प्रकार से है। राज्य में महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत (53.05 प्रतिशत) से भी ऊपर है।

अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थान:

5.7.2.1 अनुसूचित जनजाति लड़कियों एवं लड़कों के लिए छात्रावास के निर्माण की स्कीम के अन्तर्गत, 24 छात्रावास उन अनुसूचित जनजाति लड़कों के लिए बनाए जा रहे हैं और 5 छात्रावास उन अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए बनाए गए है जो स्कूलों एवं कालिजों में पढ़ रहे हैं। इन सभी छात्रावासों में न बिजली है और न ही चार दीवारी। 5 आश्रम स्कूल है जिनमें 338 लड़के एवं 269 लड़कियाँ अध्ययनरत हैं। आश्रम स्कूलों में स्टाफ की कमी है। आश्रम स्कूलों में भी बिजली नहीं है। **आयोग सिफारिश करता है कि**

राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति लड़कियों के सभी पांचों छात्रावासों तथा उसके बाद अनुसूचित जनजाति लड़कों के छात्रावासों में अवसंरचना के सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। राज्य सरकार को सभी छात्रावासों तथा आश्रम स्कूलों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी सलाह दी जाती है। राज्य सरकार को आश्रम स्कूलों में पढ़ रहे और रह रहे अनुसूचित जनजाति बच्चों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनमें पड़े रिक्त पदों को भरने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

5.7.2.2 स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता की स्कीम के अन्तर्गत, 8 आवासीय स्कूल, 3 गैर - आवासीय स्कूल तथा अन्य 3 छात्रावास स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं। ऐसे सभी स्कूल/छात्रावास किराये के भवनों में स्थित है जिनमें छात्रों के लिए न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं हैं।

प्रोत्साहन/छात्रवृत्तियाँ:

5.7.3 राज्य के 24 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन करने के लिए राजीव गांधी नेशनल फैलोशिप छात्रवृत्ति प्रदान की है। भारत सरकार ने तीन एकलव्य माडल आवासीय स्कूलों की स्वीकृति दी है लेकिन फण्ड देर से दिए जाने के कारण अभी कोई भी चालू स्थिति में नहीं है।

5.8 उड़ीसा

साक्षरता दर:

5.8.1 उड़ीसा में, जनजातीय लोगों में साक्षरता वृद्धि दर सुस्त है। 2001 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर 37.37 प्रतिशत है जबकि सामान्य साक्षरता दर 63.08 है। पुरूषों एवं महिलाओं साक्षरता दर में क्रमश: 51.48 प्रतिशत तथा 23.37 प्रतिशत है। कोरापुट (8.4 प्रतिशत), नवरंगपुर (11.1 प्रतिशत), रायगढ़ (10.1 प्रतिशत), भद्रक (16.4 प्रतिशत), जजपुर (16.9 प्रतिशत), मलकानगिरी (7.5 प्रतिशत), नोपाडा (16.2 प्रतिशत), कालाहण्डी (17.2 प्रतिशत), गाजापट्टी (14.8 प्रतिशत) और बलसौर (17.7 प्रतिशत) जैसे जिलों में अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर बहुत कम है। वर्ष 2001 के दौरान 17 माईक्रो परियोजनाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार आदिम जनजाति समूहों में साक्षरता दर केवल 19.08 प्रतिशत है। यह पुरूषों तथा महिलाओं में क्रमश: 28.83 प्रतिशत तथा 9.74 प्रतिशत है जो राज्य की अनुसूचित जनजाति पुरूष एवं महिला साक्षरता दर की तुलना में बहुत कम है। **राज्य सरकार को सलाह दी जाती है कि वह जनजातीय एवं आदिम जनजातीय समूह के क्षेत्रों में जागृति कैम्पों के आयोजन द्वारा जनजातियों में महिला साक्षरता और आदिम जनजातीय समूहों की साक्षरता दर में महिला साक्षरता दर वृद्धि के लिए विशेष प्रयास करे और बच्चों एवं उनके माता-पिताओं को स्कूल में उनकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करे।**

अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थान:

5.8.2.1 राज्य में 246 आवासीय हाई स्कूल (बालक-155, बालिका-91), 112 आश्रम स्कूल, 143 आवासीय सेवाश्रम, 1031 सेवाश्रम, 1548 प्राथमिक स्कूल छात्रावास और 10 एकलव्य माडल आवासीय स्कूल है, जिनमें 50 प्रतिशत सीटे लड़की विद्यार्थियों के लिए चिन्हित है। वर्ष 2006-07 के दौरान केबीके जिलों में 8 हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्तर में उन्नत किया गया है और 36 कन्याश्रमों को हाईस्कूलों में उन्नत

किया गया है। केबीके जिलों में जनजातीय लड़कियों के लिए 400 छात्रावास भी हैं। तीन वर्ष की अवधि के भीतर 1.00 लाख बालिका विद्यार्थियों के लिए आवास उपलब्ध करने के लिए उड़ीसा सरकार ने 100 विद्यार्थियों की क्षमता वाले 1000 बालिका छात्रावासों की स्थापना का भी निर्णय लिया है।

5.8.2.2 महिला साक्षरता सुधारने के लिए राज्य के 13 जिलों में निम्न साक्षरता पाकिटों में शैक्षणिक परिसर स्थापित किए गए हैं। भारत सरकार (जनजातीय कार्य मंत्रालय) की वित्तीय सहायता से गैर -सरकारी संगठनों द्वारा इन परिसरों को चलाया जा रहा है।

5.8.2.3 उड़ीसा में, जनजातीय क्षेत्रों में 2181 एकल - अध्यापक स्कूल है। राज्य सरकार ने ऐसे स्कूलों में एक से अधिक संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है अर्थात् कम से कम 40 विद्यार्थियों वाले स्कूलों में एक अतिरिक्त अध्यापक । **राज्य सरकार को सलाह दी जाती है कि वह अन्य एकल – अध्यापक स्कूलों में भी एक अतिरिक्त अध्यापक की नियुक्ति के लिए तत्काल कदम उठाए। प्राथमिक अध्यापकों के रूप में स्थानीय जनजातीय युवाओं को नियुक्ति के लिए अधिमानता दी जानी चाहिए।**

5.8.2.4 राज्य के 20 जिलों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित करने के लिए ऐसे 49 शैक्षणिक रूप से पिछड़े खण्डों की पहचान की गई है जहाँ महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है और साक्षरता में लिंग अन्तराल राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

प्रवासित अनुसूचित जनजाति परिवारों के बच्चों के लिए अध्ययन सुविधाएं:

5.8.3.1 उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण ने प्रवासित उड़िया परिवारों के उन बच्चों के लिए गैर-आवासीय और आवासीय ब्रिज पाठ्यक्रम केन्द्र शुरू करके विशेष प्रोत्साहन दिया है जो प्राय: अस्थायी तौर पर जीवन-निर्वाह की खोज में राज्य के बाहर से अन्य स्थानों पर प्रवासित हो जाते हैं। ईंट के भट्ठों पर कार्यरत प्रवासित परिवारों के बच्चों के लिए वर्तमान में, 1640 बच्चों को कवर करते हुए 50 गैर - आवासीय ब्रिज पाठ्यक्रम केन्द्र और 1698 बच्चों की कवर करते हुए 21 आवासीय ब्रिज पाठ्यक्रम केन्द्र क्रमश: हैदराबाद और रायपुर (छत्तीसगढ़) में चल रहे हैं। 640 बच्चों को कवर करते हुए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले 11 गैर - आवासीय ब्रिज पाठ्यक्रम केन्द्र चल रहे हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 100 गैर - आवासीय ब्रिज पाठ्यक्रम केन्द्र और 50 आवासीय ब्रिज पाठ्यक्रम केन्द्र क्रमश: सूरत एवं कोलकाता में खोलने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है और राज्य सरकार ने गुजरात और पश्चिम बंगाल के राज्य परियोजना निर्देशकों से इस बारे में आवश्यक समर्थन देने का अनुरोध किया है। नि:सन्देह इन केन्द्रों के प्रचालन में आने पर बहुत हद तक प्रवासित श्रमिकों के अनुसूचित जनजाति बच्चों को लाभ मिलेगा।

5.8.3.2 ईजीएस/एआईई नवीकरण के अन्तर्गत प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य के बोलनगीर और नौपाड़ा जिलों में 5920 बच्चों के लिए मौसमी छात्रावास कार्य कर रहे हैं। इन छात्रावासों में भी उन अनुसूचित जनजाति प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को लाभ पहुंच रहा है जो कार्य की तलाश में अपने गांवों से एक वर्ष में लगभग 6-8 महीनों तक दूर रहते हैं। वे अपने बच्चों को इन मौसमी छात्रावासों में छोड़ देते हैं। कुल 5920 बच्चे इन मौसमी छात्रावासों के लाभार्थी है।

अध्यापक–शिष्य अनुपात, नामांकन एवं स्कूल छोड़ना:

5.8.4 टीएसपी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अध्यापक शिष्य अनुपात प्राथमिक स्कूलों में 1:37 तथा माध्यमिक स्कूलों में 1:16 है। प्राथमिक, मिडिल एवं माध्यमिक स्कूलों के कुल अध्यापाकों में अनुसूचित जनजाति अध्यापकों का प्रतिशत संतोषजनक नहीं है। यह प्राथमिक स्कूलों, मिडिल स्कूलों तथा माध्यमिक

स्कूलों में क्रमश: 9.29 प्रतिशत, 6.53 प्रतिशत तथा 3.10 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का नामांकन प्राथमिक, मिडिल तथा माध्यमिक स्कूलों में उत्साहवर्धक नहीं है। प्राथमिक स्कूलों में यह कुल नामांकन का 18.78 प्रतिशत है। मिडिल और माध्यमिक स्कूलों में यह क्रमश: 12.44 प्रतिशत और 11.78 प्रतिशत है। प्राथमिक स्तर (6-11 वर्ष) पर अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की स्कूल छोड़ने की दर 40.97 प्रतिशत है जबकि सामान्य विद्यार्थियों की स्कूल छोड़ने की दर 32.09 प्रतिशत है। अपर प्राथमिक स्तर (12-13 वर्ष) में, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का स्कूल छोड़ने की दर 65.91 प्रतिशत है जबकि सामान्य विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की दर 49.16 प्रतिशत है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जनजातीय लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर की जांच करने और उनकी उच्च शिक्षा जारी रहने को बढ़ावा देने के लिए यह प्रस्ताव किया गया कि आईटीडीए क्षेत्रों की उन अनुसूचित जनजाति लड़कियों में साईकिल वितरित करके 2006-07 से एक नई स्कीम कार्यान्वित की जाए जिन्होंने एचएससी परीक्षा पास कर ली है और अपना अध्ययन जारी रखे हुए हैं।

अपनी मातृभाषा में अनुसूचित जनजाति बच्चों को शिक्षा देना:

5.8.5 शिक्षा के प्राथमिक चरण पर स्कूल छोड़ने वालो की दर में कमी लाने के लिए और घर की भाषा एवं स्कूल की भाषा के बीच अन्तराल को कम करने के लिए, उड़ीसा सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई कर रहे जनजातीय विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। तद्नुसार, राज्य सरकार ने आठ जनजातीय भाषाओं नामत: सावोरा, कुई, कुवी, जुआंग, कोया, बोंदा, मुण्डा और सन्थाल में शिक्षण एवं पढ़ाई की सामग्री तैयार की है जो अब उपयोग के लिए उपलब्ध है। ओराम एवं किशान भाषाओं में पढ़ाई की सामग्री भी तैयार की जा रही है।

शिक्षा के लिए प्रोत्साहन:

5.8.6 उच्चतर अध्ययन हेतु अनुसूचित जनजाति लड़कियों को प्रेरित करने के लिए, उड़ीसा सरकार आईटीडीए क्षेत्रों में उन लड़की विद्यार्थियों को 1800 रू0 की कीमत की साईकिल उपलब्ध करा रही है जो +2 कक्षा में पढ़ रही है और वार्षिक हाई स्कूल स्र्टीफीकेट एग्जामिनेशन की 8 अनुसूचित जनजाति टोपर स्टूडेन्ट (4 लड़के एवं 4 लड़कियाँ) को नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति:

5.8.7 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के दायरे में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के स्कूलों के कक्षा-I से X तक के बच्चे और मास शिक्षा विभाग के स्कूलों के कक्षा – VI से X तक के बच्चे आते हैं। अनुसूचित जनजाति लड़कों एवं लड़कियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर क्रमश: 300 रू0 एवं 325 रू0 है जिसे 1 अप्रैल, 2007 से क्रमश: 400रू0 एवं 425 रू0 तक बढ़ा दिया गया है।

व्यवसायिक प्रशिक्षण:

5.8.8 उड़ीसा में 17 व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र 9 जनजातीय जिलों में 14 आईटीडीए के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं जो भारत सरकार की 100 प्रतिशत सहायता से चलाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि भारत सरकार से वित्तीय सहायता न प्राप्त होन के कारण कुछ आईटीडीए केन्द्रों ने अनुसूचित जनजाति लड़कों एवं लड़कियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देना रोक दिया है। **जनजातीय कार्य मंत्रालय को**

इस मामले को देखने की सलाह दी जाती है ताकि आईटीडीए/राज्य सरकार को आवश्यक राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

5.9 राजस्थान

साक्षरता दर:

5.9.1 राजस्थान में, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर 44.70 प्रतिशत है। यह पुरूषों एवं महिलाओं में क्रमश: 62.10 प्रतिशत एवं 26.02 प्रतिशत है। ये आंकडे राज्य की साक्षरता दर 60.40 प्रतिशत (पुरूष -75.70 प्रतिशत और महिला – 43.09 प्रतिशत) की तुलना में कम है।

प्रोत्साहन:

5.9.2 राजस्थान सरकार उन लड़की विद्यार्थियों को साईकल और स्कूटी दे रही है जो कक्षा – X से XII तक में पढ़ रही है ताकि लड़कियों का शिक्षा हेतु उत्साहवर्धन हो और स्कूल एवं कालिज पहुंचने में सहायता मिल सके।

अध्यापक-शिष्य अनुपात:

5.9.3 टीएसपी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक – शिष्य का अनुपात क्रमश: 1:41 एवं 1:31 है। बी.एड., बी.पी.एड. , एसटीसी जैसे व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।

विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग:

5.9.4 कक्षा – X और XI में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और वैकल्पिक विषय पढ़ने वाले जनजातीय विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग देने का भी प्रावधान है जो उनकी शिक्षा के स्तर को सुधारने में तथा वार्षिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर रहा है।

5.10 सिक्किम

साक्षरता दर:

5.10.1 सिक्किम में, अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर 67.14 है। अनुसूचित जनजाति पुरूषों और महिलाओं में क्रमश: 73.81 प्रतिशत तथा 60.16 प्रतिशत है।

अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थान:

5.10.2.1 राज्य में कोई भी एकल- अध्यापक स्कूल नहीं है। अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिकतर प्राथमिक स्कूलों में स्थानीय शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। प्राथमिक स्कूलों में 2049 अनुसूचित जनजाति शिक्षक (पुरूष : 1172 और महिला : 877) कार्य कर रहे हैं। मिडिल, हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में क्रमश: 499, 357 और 167 जनजातीय अध्यापक कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार ने उत्तरी सिक्किम और पश्चिमी सिक्किम में एक-एक एकलव्य माडल आवासीय स्कूलों की स्वीकृति दी है। उत्तरी सिक्किम का स्कूल की जिसकी स्वीकृति 1998-99 में दी गई थी, निर्माणाधीन है। पश्चिम सिक्किम के लिए दूसरे स्कूल स्वीकृति 2006 में दी गई थी जिसका निर्माण कार्य अभी शुरू होना है।

5.10.2.2 कक्षा – IX और XII में पढने वाले उन विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग दी जा रहा है जो पढ़ाई में कमजोर है। जनजातीय युवाओं को दर्जीगिरी, बुनाई एवं कटाई, मशरूम खेती तथा कम्प्यूटर में व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें वे अपना जीवन-निर्वाह के लिए कमाने में समर्थ हो सके।

प्रोत्साहन/छात्रवृत्तियाँ:

5.10.3.1 सिक्किम सरकार ने 2003 से लड़की विद्यार्थियों के लिए एक स्कीम 'प्रेरणा छात्रवृत्ति स्कीम' आरंभ की है, जिसके अन्तर्गत 51 लड़की विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति हेतु चुना जाता है।

5.10.3.2 स्कूल जाने के लिए विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए कक्षा – V तक की सभी विद्यार्थियों को वर्दी, बस्ता, किताब, कापियां आदि दी जाती है। जो कक्षा – VI से XII तक पढ़ रहे हैं उनको भी 50 प्रतिशत की आर्थिक सहायता किताबे खरीदने के लिए दी जाती है।

अध्यापक – शिष्य अनुपात, नामांकन एवं स्कूल छोड़ना:

5.10.4 आईटीडीपी. और एमएडीए क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अध्यापक – शिष्य अनुपात प्राथमिक चरण (कक्षा – I से V तक) पर 1:16, मिडिल चरण (कक्षा – VI से VIII तक) पर 1:23, माध्यमिक चरण (कक्षा – IX और X) तक 1:9 तथा उच्च माध्यमिक चरण (कक्षा – XI और XII) पर 1:13 है।

5.11 उत्तर प्रदेश

साक्षरता दर:

5.11.1 उत्तर प्रदेश में, अनुसूचित जनजाति पुरूष और महिला साक्षरता दर क्रमश: 40.64 प्रतिशत और 18.13 प्रतिशत है जो राज्य की पुरूष और महिला साक्षरता दर की तुलना में बहुत कम है, जो क्रमश: 68.8 प्रतिशत और 42.03 है।

अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थान:

5.11.2 राज्य में 9 आश्रम स्कूल (लड़कों के लिए 6 और लड़कियों के लिए 3) है जिनमें 1060 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 800 अनुसूचित जनजाति लड़के एवं लड़कियाँ अध्ययन कर रहे हैं। 9 आश्रम स्कूलों में से केवल 4 में बिजली है। राज्य सरकार शेष 5 स्कूलों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए कदम उठा रही है। राज्य में कोई शैक्षणिक परिसर नहीं है। केवल एक एकलव्य आवासीय माडल स्कूल है। 50 अनुसूचित जनजाति लड़कों के लिए केवल एक छात्रावास भी राज्य के कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन कार्य कर रहा है। इस छात्रावास में सभी आधारभूत सुविधाएं हैं।

प्रोत्साहन/छात्रवृत्तियाँ:

4.11.3 कक्षा – V तक 300 रू0 प्रतिवर्ष, कक्षा – VII से VIII तक 480 रू0 प्रतिवर्ष, कक्षा – IX और X तक 720 रू0 प्रतिवर्ष प्रत्येक विद्यार्थी को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जा रही है। कक्षा – IX और X के विद्यार्थी इस छात्रावृत्ति को केवल तभी लेने के हकदार है जब उनके माता-पिताओं की आय 2500 रू0 प्रतिमाह की सीमा में है। शिक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति लड़कियों को उत्साहित करने के लिए, सरकार उन्हें वर्दियाँ और साईकिले उपलब्ध करा रही है।

5.12 पश्चिम बंगाल

साक्षरता दर:

5.12.1.1 पश्चिम बंगाल में, अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर 43.40 प्रतिशत है। पुरूषों और महिलाओं में यह क्रमश: 57.38 प्रतिशत और 29.15 प्रतिशत है। यह आंकड़े राज्य के सामान्य पुरूष और महिला साक्षरता दर के मुकाबले कम है। उत्तर दीनजपुर, माल्दा बीरभूम और पुरूलिया जिलों में अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर बहुत ही कम है।

5.12.1.2 आदिम जनजातीय समूहों नामत: लोधा, टोटो और बिहोर में साक्षरता दर क्रमश: 32.74 प्रतिशत, 38.15 प्रतिश और 33.64 प्रतिशत है।

अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थान:

5.12.2 केन्द्रीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत 11 बालिका छात्रावास बनाए गए हैं जिनमें की 777 बालिकाएं कक्षा – XI और उससे आगे की कक्षाओं में अध्ययन कर रही है। उसी प्रकार, 16 छात्रावास अनुसूचित जनजाति लड़कों के लिए बनाए गए है जिसमें 1090 बालक कक्षा-XI और उससे आगे की कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं। सभी छात्रावासों में बिजली है। सभी बालिका छात्रावासों की चारदीवारी है। भारत सेवाश्रम संघ द्वारा राज्य में एक शैक्षणिक परिसर चलाया जा रहा है। यह संघ मुर्शीदाबाद जिला में स्थित है तथा एक अखिल भारत स्तर का गैर -सरकारी संगठन है। इसमें 400 अनुसूचित जनजाति बालिकाएं अध्ययन कर रही है। राज्य में चार पोलोटेकनीक पुरूलियां, बिशनपुर, बंकुलिया और झारग्राम प्रत्येक में हैं, जिनमें वर्ष 2006-07 के दौरान 349 अनुसूचित जनजाति युवाओं (लड़के 269, लड़कियाँ 80) ने प्रशिक्षण लिया। जिनमें बहुत से युवाओं का स्व-रोजगार है। 5 एकलव्य आवासीय-माडल स्कूल राज्य में चल रहे हैं और 12 खुलने के चरण में है। इन स्कूलों में 1544 जनजातीय विद्यार्थी (789 लड़के और 755 लड़कियाँ) अध्ययन कर रहे हैं और गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

नामांकन और विशेष कोचिंग:

5.12.3 कक्षा – I से V तक अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का कुल नामांकन अनुपात 93:23 है। कक्षा IX से XI तक पढ़ने वाले उन जनजातीय विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग दी जा रही है जो पढ़ने में कमजोर है। यह कोचिंग उनके शिक्षा के स्तर में सुधार लाने और वार्षिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में सहायता पहुंचा रहा है।

अध्याय–6

स्वास्थ्य एवं पोषण

6.1 प्रस्तावना

6.1.1 जनजातियों में कुपोषण सामान्यत: चारो तरफ फैला हुआ है जो वृहद् रूप से दयनीय निरक्षरता, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, जटिल भूभाग क्षेत्र, पारिवारिक विश्वास और प्रथाओं के कारण है। कुपोषित जनजातियां ऐसी पर्यावरणीय स्थिति में रहती हैं जो बहुत लम्बे समय से अवनति की प्राप्त हो रही है और जिसके परिणामस्वरूप अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया, फिलेरिया, क्षय रोग और घेंघा जैसी बीमारियाँ हो तथापि जनजाति लोग ने अपनी अलग-थलग स्थिति/अस्तित्व के कारण उन्होंने दवाओं की वैकल्पिक प्रणालियों का विकास कर लिया है। उन्हें उन विभिन्न जड़ी-बूटियों, पौधों कीटाणुओं एवं जानवरों के बारे में अथाह ज्ञान है जो चिकित्सा की दृष्टि से मूल्यवान है। इन दवाओं एवं व्यवहारों से ही जनजातीय समुदाय पीड़ियों से जीवन-निर्वाह कर रहा है। दवाईयाँ चिकित्सा की नई पद्धति को भी जनजातीय क्षेत्रों में अब अपनाया जा रहा है। जनजातियाँ अपनी संस्कृति को भी अपनाते हुए सामान्यत: चिकित्सा की अपनी प्रणाली को ही अधिक पसंद करती हैं और जब वे इसे प्रभावकारी नहीं पाते हैं तो वे चिकित्सा की एलोपैथी पद्धति को अपनाते हैं, जो डाक्टरों और अन्य चिकित्सा संबंध कार्मिकों के उपलब्ध न होने के कारण बाधित होती है। जनजातीय क्षेत्रों में तैनाती को सजा के रूप में माना जाता है जिसके परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप-केन्द्रों में डाक्टरों और चिकित्सा संबंधी अन्य कार्मियों के पद सामान्यत: जनजातीय क्षेत्र में रिक्त पड़े रहते हैं। इन क्षेत्रों में निजी चिकित्सक भी नहीं है क्योंकि भीतरी जनजातीय क्षेत्रों में इस व्यवसाय की अव्यवहार्यता के कारण यह लाभप्रद नहीं है।

6.1.2 वर्ष 2004-05 और 2005-06 की अपनी प्रथम रिपोर्ट में, आयोग ने उन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों एवं केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों का हवाला दिया जिन्हें विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कमजोर वर्गों की स्वास्थ्य स्थिति एवं पोषण स्तर को सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। 10 नवम्बर, 2006 को आयोजित आयोग ने अपनी बैठक में आयोग के सचिवालय द्वारा की गई कार्रवाई को अनुमोदित किया गया और राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि उन्हें भेजी गई प्रश्नावली (**संलग्न 6.1**) के उत्तरों के रूप में सूचना भेजी जाए। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि आयोग की अगली रिपोर्ट में विशेष कवरेज देने के उद्देश्य से दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों हेतु स्वास्थ्य सेवाएं एवं स्वास्थ्य देखभाल के लिए उनके द्वारा लागू की गई जारी स्कीमों/कार्यक्रमों का ब्यौरा भी भेजे। राज्य सरकारें जिन्होंने आयोग के पत्र का उत्तर दिया और पूर्णतया: या आंशिक रूप से आवश्यक जानकारी भेजी है- (i) आन्ध्र प्रदेश, (ii) छत्तीसगढ़, (iii) हिमाचल प्रदेश, (iv) कर्नाटक, (v) मणीपुर (vi) उड़ीसा, (vii) राजस्थान, (viii) सिक्किम, और (ix) पश्चिम बंगाल। आयोग को यह देखकर दुख हुआ कि कुछ राज्यों के आंकड़े, जहाँ पर जनजातीय जनसंख्या अत्यधिक है, नहीं आ रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए विभिन्न मापदण्डों का कार्यान्वयन केवल इन्हीं राज्यों के संबंध में हुआ है। इन राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना को देखने के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधिकतर राज्य सरकारों के पास जनजातीयों के संबंध में आईएमआर, एमएमआर आदि जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों के बारे में कोई आंकड़े नहीं है।

6.2 आन्ध्र प्रदेश

नवजात मृत्यु – दर

6.2.1 आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2005-06 में एनएफएचएस-III के अनुसार 53 और एसआरएस 2001 के अनुसार प्रति एक हजार के जीवित जन्म पर 66 की सामान्य नवजात शिशु मृत्यु दर के मुकाबले, वर्ष 1998-99 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों में नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार जीवित जन्म पर 100 से भी अधिक है। राज्य सरकार ने कहा है कि उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में मृत्यु दर को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) वर्ष 1985-86 में राज्य में नियमित प्रतिरक्षण स्कीम आरंभ की गई थी जिसका उद्देश्य छः जानलेवा बीमारियों अर्थात् क्षयरोग, पोलियो, कालीखांसी, पाटुसिस, टेटनेस और चेचक से नवजात शिशुओं की रक्षा करना था। प्रतिरक्षण सेवाओं में बीसीजी, पोलियो, डीपीटी, हेपेटाईटिस-बी, चेचक और विटामिन-ए शामिल है। नियमित प्रतिरक्षण के अलावा, 0-5 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को कवर करते हुए प्लस पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। तथापि, अंधविश्वास एवं अज्ञानता के कारण बहुत सी जनजातियां उप-केन्द्रों, पीएचसी,या सीएचसी में उपलब्ध सुविधाएं नहीं लेना चाहती है जिसके परिणामस्वरूप जनजातियों में आईएमआर की दर उच्च है। राज्य सरकार ने राज्य में बच्चा देखभाल सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने और नवजात मृत्युदर कम करने के लिए आपातकालीन नव-प्रसूति देखभाल सेवा उपलब्ध कराने के लिए 27 नव-प्रसूति सघन देखभाल यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(ii) वर्ष 2006-07 से राज्य सरकार ने इस उद्देश्य से एक स्कीम आरंभ की है कि बाहरी संक्रमण और आईपोथर्मिया से मृत्यु को रोका जाए। इस स्कीम के अन्तर्गत सरकारी संस्थानों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और बीपीएल परिवारों के कम वजन (2000 ग्राम से कम) वाले नए पैदा हुए बच्चों के लिए किट की आपूर्ति की जा रही है। नवजात बच्चा देखभाल किट में 2 बेबी मेट्रेसीस; 4 बेबी जेकिट; 3 बेबी कैप; 3 जोड़ी दस्ताने; 12 बेबी डायपर और 8 बेबी कम्बल शामिल है। यह किट सुरक्षित है और शिशु को गरम रखती है तथा हाईपोथर्मिया एवं बाहरी संक्रमण से मृत्यु से बचाती है। वर्ष 2006-07 के दौरान 52000 किट बांटी गयाी थी। यह स्कीम लक्षित समूह में नवजात शिशु मृत्युदर कम करने में लाभदायक हो सकती है। तथापि, जनजातीय क्षेत्रों में अधिकतर जन्म गैर-संस्थानीय जन्म है, इसलिए इस स्कीम के अन्तर्गत बांटी जाने वाली किट का दायरा गैर-संस्थानीय जन्म तक भी बढ़ाया जा सकता है। **इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार को जनजातीय क्षेत्रों में गैर–संस्थानीय जन्म वाले बच्चों के लिए भी इसी स्कीम के अन्तर्गत लाभों के विस्तार पर विचार करना चाहिए।**

मातृ स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं एवं मातृ मृत्यु दर

6.2.2 राज्य सरकार विभिन्न स्कीमों को लागू करके गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान कर रही है जैसे जनजातीय क्षेत्रों में समुदाय के निकट स्वास्थ्य उपाय-कुशल व्यक्ति उपलब्ध कराना। ऐसे उपाय-कुशल व्यक्तियों का नाम महिला स्वास्थ्य स्वयं-सेवक है। इसे 21,916 गांवों (67561 निवासियों) में सभी निवासियों को कवर करते हुए जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया गया है। स्वास्थ्य उपाय-कुशल व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत एवं स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से राज्य में सभी निवासियों में 55,400 महिला स्वास्थ्य स्वयं-सेवकों की पहचान की गई है। 31-03-2007 की स्थिति के अनुसार 51,900 स्वयं-सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया है। वे संपूर्ण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं तथा पात्र दम्पतियों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।

6.2.3 विस्तारित आपात प्रासविक एवं नवप्रसूति सुरक्षा सेवा स्कीम (सीईएमओएनसी) जो माताओं एवं बच्चों (सीजेरियन, नीवोनेटल केयर आदि) की जीवन रक्षक आपात सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2005-06 में आरंभ की गई थी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी चल रही है। ऐसे प्रत्येक केन्द्र पर 4 प्रसूति-विशेषज्ञ, 1 बालचिकित्सक, 1 एनस्थेटिस्ट, ब्लड बैंक या ब्लड स्टोरेज केन्द्र है और दवाईयों एवं उपयोज्य वस्तुओं के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की गई है। अभी तक जनजातीय क्षेत्रों में 27 सीईएमओएनसी केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

6.2.4 एसआरएस 2001-03 के अनुसार राज्य में प्रसूति मृत्यु दर (एमएमआर) प्रति एक हजार पर 195 है। जनजातियों में एमएमआर की सूचना उपलब्ध नहीं है, संभवत: यह अधिक है।

ब्लड बैंक एवं ब्लड स्टोरेज केन्द्र

6.2.5 आन्ध्र प्रदेश में, वर्ष 2005-06 के दौरान, ब्लड बैंक और ब्लड स्टोरेज केन्द्रों की एक स्कीम सीजेरियन सर्जरी मामलों में खून उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। सीईएमओएनसी केन्द्रों में 27 ब्लड बैंक और ब्लड स्टोरेज केन्द्र स्थापित किए जाने हैं। इण्डियन रेड क्रोस सोसायटी को ब्लड बैंक और ब्लड स्टोरेज केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य स्तर नोडल अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है। नए ब्लड बैंक और ब्लड स्टोरेज केन्द्र जनजातीय क्षेत्रों में शीघ्र ही काम करना आरंभ कर देंगे।

जनजातियों में प्रमुख बीमारियाँ

6.2.6 राज्य की जनजातियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करने वाली बीमारियां- मलेरिया, फाइलेरिया, टी.बी., स्कल-सेल-अनेमिया एवं कोढ़ है। राज्य सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में उनको इलाज उपलब्ध कराने तथा इन बीमारियों के प्रति जागरूक बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। यद्यपि राज्य में मलेरिया के मामलों में कमी आई है, कुछ जिलों जैसे, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पूर्वी गोदावरी और कुरनूल में ऐसे मामलों में सकारात्मक रूख पाया गया है। उसी प्रकार, राज्य में मलेरिया के मामले कम है लेकिन दो जिलों अर्थात् विजयनगरम और पश्चिम गोदावरी में इन मामलों में वृद्धि हुई है। राज्य के विभिन्न जिलों में बीमारियाँ अर्थात् मलेरिया एवं फाईलेरिया के संबंध में उनके ब्यौरे सहित उपचारित मरीजों की संख्या जो जनजातीय क्षेत्रों में सामान्य है नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	जिले का नाम	मलेरिया			फाईलेरिया		
		2006			2006		
		एकत्रित किए गए खून के नमूने	कुल सकारात्मक	आरटी डन	एकत्रित किए गए खून के नमूने	एमएफ मामले	बीमार मामले
1	सिरीकाकुलम	95878	672	762	8600	17	93
2	विजियानगरम	133394	1794	1794	30844	56	239
3	विशाखापत्तनम	327500	3703	3703	12758	18	82
4	पूर्वी गोदावरी	212344	7518	7518	62415	179	666
5	पश्चिमी गोदावरी	28037	169	169	9043	97	718
6	कुरनूल	31950	402	402	0	0	0
7	महबूबनगर	6295	43	43	7998	79	13
8	अदिलाबाद	56965	122	122	0	0	0

9	वारंगल	52331	139	139	0	0	0
10	खम्माम	269433	1531	1531	0	0	0
महा योग		1214127	16183	16183	131678	446	1811

6.2.7 राज्य की जनजातीय महिलाओं में खून की कमी एवं कुपोषण प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा कैम्प लगती है और व्यापक प्रचार करती है जिससे जनजातीय लोग इन कैम्पों में भाग ले सके। स्वास्थ्य कर्मियों जैसे एसएमएचए कार्मिक, आंगनबाड़ी स्वास्थ्य कार्मिक, महिला स्वास्थ्य स्वयं-सेवक और जन प्रतिनिधियों की नियमित समूह बैठकें इसलिए आयोजित की जाती है कि जनजातीय क्षेत्रों के लोगों में छूत की बीमारियों, जैनेटिक विकार, स्वच्छता एवं सफाई के प्रति जागरूकता तथा प्रचार – प्रसार हो सके। **आयोग सिफारिश करता है कि विशेषज्ञ डाक्टरों सहित राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे कैम्पों के आयोजन की आवश्यकता है। इन कैम्पों में नि:शुल्क दवाई वितरण तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनजातियों के लिए चिकित्सा जांच एवं परीक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।**

जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत चिकित्सा सुविधाएं

6.2.8 आन्ध्र प्रदेश राज्य में 43 मेडिकल मोबाइल वैनों के अलावा जनजातीय क्षेत्रों में 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 242 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 1525 उप-केन्द्र है। 13-03-2006 की स्थिति के अनुसार चिकित्सा अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या 475 है। वहाँ कुल 321 चिकित्सा अधिकारी ही तैनात है। शेष 154 पद रिक्त है। उसी प्रकार, स्टाफ नर्सों की कुल स्वीकृत पद संख्या 232 है। 105 पद रिक्त है। जनजातीय क्षेत्रों में फार्मेसिस्ट के 91 पद, लैब टेकनीसियन के 85 पद, बहु-उद्देशीय स्वास्थ्य सहायक (महिला) के 138 पद है। बहु-उद्देशीय स्वास्थ्य सहायक के 170 पद (पुरूष), एमपीएचए के 207 पद रिक्त है। जनजातीय संस्थानों के अस्पतालों में विशेषज्ञ डाक्टरों के बहुत से पद रिक्त पड़े हुए हैं। **आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकार को डाक्टरों और अन्य पारा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रभावकारी एवं समयबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों का लाभ दूरस्थ एवं एकाकी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों तक पहुंच रहा है।**

6.2.9 राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने को ललचाने के लिए डाक्टरों एवं पारा-मेडिकल स्टाफ के लिए विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है। पुरूष डाक्टर को इस उद्देश्य के लिए 2000 रू0 प्रतिमाह तथा महिला डाक्टर को 2500रू0 प्रतिमाह का विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 50 प्रतिशत पीजी सीट उन डॉक्टरों के लिए आरक्षित की गई है जिन्होंने दो वर्ष जनजातीय क्षेत्रों में और तीन वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य किया है। **यह सिफारिश की जाती है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्थित सीएचसी एवं पीएचसी में आवासीय स्थान उपलब्ध कराने की सुविधाओं पर भी राज्य सरकार को विचार करना चाहिए।**

कुपोषण

6.2.10 राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों, गर्भवती एवं दुग्ध पिलाने वाली माताओं में कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। जनजातीय बच्चों के लिए, ग्रीष्म अवकाश के बाद कल्याणकारी छात्रावासों के खुलने के शीघ्र बाद चिकित्सा अधिकारियों को यह निदेश दिए गए हैं कि वे शैक्षणिक सत्र सुनिश्चित करने के लिए छात्रावासों में स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए छात्रावासों के वार्डनों के साथ मण्डल स्तर पर बैठक आयोजित करें। छात्रावासों में चिकित्सा अधिकारी का दौरा एक माह में एक बार अनिवार्य है जबकि पारा-मेडिकल स्टाफ के लिए दो बार बच्चों की जांच करना अपेक्षित है। इन दौरों के दौरान दैनिक चिकित्सा जांच के अलावा वैयक्तिक सफाई, संरक्षित जलापूर्ति, मध्यवधि भोजन, भोजन की गुणवत्ता एवं मात्रा, बर्तनों की स्थिति, मच्छरदानी की उपलब्धता और आपात दवाईयों की उपलब्धता आदि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। **आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकार की बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं**

दुग्ध पिलाने वाली माताओं में कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए दुरस्थ क्षेत्रों में स्थित जनजातीय गांवों/छोटे गांवों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। निचले स्तर पर आधारभूत सर्वेक्षण करने की भी आवश्यकता है।

6.3 छत्तीसगढ़

नवजात शिशु मृत्यु दर

6.3.1 एसआरएस बुलेटिन अप्रैल, 2006 के अनुसार, छत्तीसगढ़ में नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार जीवित जन्म पर 60 है। राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में यह क्रमशः 52 और 61 है। जनजातियों में नवजात शिशु मृत्युदर के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। ये आंकड़े उपरोक्त दर से अधिक होने की संभावना है क्योंकि राज्य में जनजातीय क्षेत्र दूरस्थ है वहां अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं एवं संपर्क व्यवस्था ठीक नहीं है। यद्यपि राज्य सरकार ने नवजात शिशु मृत्युदर कम करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं जिसमें शामिल है- दैनिक प्रतिरक्षण सुदृढ़ करना, एआरआई का बेहतर प्रबंधन और बच्चों की बीमारी एवं अल्प-रक्तता का शीघ्र पता लगाना, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में दस्तों के कारण मृत्यु को कम करने के लिए ओआरएस का सार्वभौमिक उपयोग, माता का दूध पिलाने का अभियान चलाना, संस्थानों में प्रसव करने के लिए बढ़ावा देना आदि है। उपरोक्त विषय पर सरकारी कार्यक्रमों के बारे में राज्य की जनजातियों में अज्ञानता तथा सामान्य जानकारी की कमी है। **आयोग सिफारिश करता है कि छत्तीसगढ़ सरकार को सरकारी कार्यक्रमों और उन्हें उपलब्ध सुविधाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के लिए कदम उठाने चाहिए। राज्य सरकार को राज्य की जनजाति से संबंधित विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों संबंधी विश्वसनीय आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि तद्नुसार जनजातीय क्षेत्रों में उनके अनुरूप कार्यक्रम तैयार किए जा सके।**

प्रतिरक्षण

6.3.2 राज्य सरकार ने नैत्य प्रतिरक्षण को सुदृढ़ करने तथा प्रतिरक्षण का 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। डीपीटी, पोलियो, बीसीजी, चेचक एवं टेटनेस टोक्साइड (गर्भवती महिलाओं के लिए) प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य गतिविधियाँ हैं। राज्य सरकार, प्रतिरक्षण सप्ताह, शहरी प्रतिरक्षण कार्यक्रम और सघन प्लस पोलियो कार्यक्रम भी समय-समय पर चला रही है।

मातृ मृत्यु दर

6.3.3 राज्य सरकार जनजातीय जनसंख्या में सामान्य मातृ मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर संबंधी आंकड़े नहीं भेजती है लेकिन यह समझा गया है कि जनजातियों में यह उच्चतर है। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं महिला विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याएं विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं एवं किशोर लड़कियों के बारे में अधिक उत्तरदायी हो गयी है। इसमें शामिल है- मजबूत रेफरल प्रणाली के माध्यम में प्रसूति आकस्किताओं में आसान पहुंच, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना, टेटनेस टोक्साईड टीके द्वारा उनके प्रतिरक्षण सहित एएनसी के लिए दर्ज सभी गर्भवती महिलाओं के लिए 3 एएनसी जांच, आयरन एवं फोलिक एसिड गोलियों का वितरण, सुरक्षित प्रसव के लिए सुदृढ़ीकृत प्रचलनीय सुविधाएं, सभी स्तरों पर आपात प्रसूति देखभाल उपलब्ध कराना, सुरक्षित एमटीजी सेवाओं को बढ़ावा देना। राज्य सरकार ने आईएमआर एवं एमएमआर कम करने के लिए बीपीएल परिवारों के लिए संस्थानीय प्रसव को बढ़ावा देने के लिए 'जननी सुरक्षा योजना' आरंभ की है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 600 रू0 और 700 रू0 प्रति प्रसव की दर से बीपीएल परिवारों को संस्थानीय प्रसव के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में अधिकतर प्रसव समीपता में मातृ सेवाओं के उपलब्ध न होने के कारण गैर -संस्थानीय

प्रसव है, **आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकार को राज्य जनजातीय क्षेत्रों में 'जननी सुरक्षा योजना' के अन्तर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन के बारे में और संस्थानों में प्रसव का लोकप्रिय बनाने के लिए अधिक प्रयास करने चाहिए। राज्य की जनजातियों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पुत्रियों के विवाह करने के बारे में शिक्षित करना चाहिए क्योंकि कम उम्र में शादी करना माता और बच्चा दोनो के लिए घातक है जिसके परिणामस्वरूप आईएमआर और एसएमआर की दर उच्चतर है।**

परिवार नियोजन

6.3.4 परिवार नियोजन के मानदण्डों के बारे में जनसंख्या को शिक्षित करने के लिए स्थानीय भाषा में साहित्य वितरण और परिवार नियोजन कैम्प आयोजन से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छोटे परिवार नियमों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। वर्ष 2005-06 के दौरान, जनजातीय क्षेत्रों में 1374 परिवार नियोजन कैम्प आयोजित किए गए थे जिसमें 1729 जनजातीय पुरूषों एवं 17,068 जनजातीय महिलाओं ने भाग लिया। कुछ नसबन्दी आपरेशन भी किए गए थे। जनजातीय क्षेत्रों में परिवार नियोजन कैम्प के दौरान गर्भ निरोधक गोलियाँ और निरोध भी बांटे गए थे।

चिकित्सा कैम्पस

6.3.5 राज्य सरकार ने 2005-06 के दौरान 8 जिलों के 78 जनजातीय खण्डों में 3120 चिकित्सा कैम्पों से भी अधिक कैम्प आयोजित किए। 4 लाख से भी अधिक व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया। मलेरिया, फाइलेरिया, टीबी, एसटीडी, सिकल-सेल-अनेमिया, कालाजार, कोढ़ आदि से पीड़ित मरीज जो जनजातीय क्षेत्रों में आम है को इन कैम्पों में ठीक किया गया। यह भी कहा गया है कि ऐसे कैम्पों के आयोजन से पूर्व, सभी सरकारी तंत्र को गति प्रदान की गयी थी और ग्राम पंचायतों एवं स्वास्थ्य प्रणाली प्रतिनिधियों के माध्यम से सभी प्रकार का प्रचार किया गया था । ऐसे कैम्पों के आयोजन से पूर्व दवा की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई। उन मरीजों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल मोबाईल वैनों का भी प्रयोग किया जाता गया, जो दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे हैं।

6.3.6 राज्य सरकार ने चिकित्सा की पारंपरिक पुरानी पद्धति को छुड़ाने की दृष्टि से चिकित्सा इलाज की आधुनिक प्रणाली की महत्वता के बारे में जनजातियों में जागृति पैदा करने के कुछ प्रचार किए हैं। कुछ ऐसे प्रमुख आईईसी कार्यक्रम आरंभ किए हैं जिसमें स्थानीय भाषा में कालाजाठा शामिल है और पारंपरिक पुरानी चिकित्सा पद्धति को छुड़ाने के लिए वार्ता प्रक्रिया भी आरंभ की है। इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी विभिन्न आईईसी गतिविधियाँ शहरी संस्थानों एवं मोबाइल वैन के माध्यम से दूर की गई है। **आयाग ने राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है और आयोग यह महसूस करता है कि राज्य सरकार की इस बारे में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है क्योंकि जनजातीय एवं अन्य समुदायों में 'झाड़फूंक', 'जादू-टोना' की बहुत सी घटनाएं मीडिया के माध्यम से जानकारी में आ रही है। राज्य सरकार को पूरे समुदाय को शिक्षा देने के अलावा ऐसे प्रथाओं से निबटने के लिए प्रभावकारी उपाय भी करने चाहिए।**

चिकित्सा संबंधी आधारभूत सुविधाएं

6.3.7 राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार, जनजातीय क्षेत्रों में 81 सीएचसी, 308 पीएचसी और 25.32 एसएचसी स्थित है। 40 मेडिकल मोबाईल यूनिट है अधिक तर यूनिट जनजातीय जिलों में कार्य कर रहीं है। **आयोग का यह विचार है कि राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण, जनजातियों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करने के लिए चिकित्सा मोबाईल यूनिटस अधिक प्रभावकारी हो सकती है कि राज्य सरकार को आवश्यक सुविधाओं एवं कर्मियों से युक्त मेडिकल मोबाईल यूनिटस की स्थापना करने के लिए अधिक जोर देना चाहिए।**

6.3.8 राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में स्थित अस्पताल/औषधालय कर्मचारियों की कमी के संकट से गुजर रहे हैं। 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार, चिकित्सा विशेषज्ञों के स्वीकृत पदों में से केवल 31 पद भरे हुए हैं और 342 पद रिक्त पड़े हुए हैं। उसी प्रकार चिकित्सा अधिकारियों के स्वीकृत 976 पदों में से 251 पद रिक्त पड़े हुए हैं। ऐसी ही स्थिति पारा मेडिकल स्टाफ के बारे में भी है। कुल 241 स्वीकृत पदों में से स्टाफ नर्स के 43 पद, लैब टेक्नीसियन के 47 पद, एमपीडब्ल्यू (महिला) के 22 पद, एमपीडबल्यू(पुरूष) के 171 पद, फार्मेसिस्ट के 100 पद, रेडियोग्राफर के 19 पद, और ड्रेसर्स से 60 पद जनजातीय क्षेत्रों में स्थित सीएचसी में रिक्त पड़े हुए हैं।

6.3.9 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पारामेडिकल स्टाफ के बहुत से पद रिक्त पड़े हुए है। जिला अस्पताल/सीएचसी/पीएचसी में स्टाफ नर्स के 98 पद, नर्सिंग सिस्टर के 26 पद और मेटरोन के 12 पद रिक्त पड़े हुए थे। जनजातीय जिलों जैसे कोरिया, दांतेवाड़ा, जगदलपुर, सरगूजा, कनकेर, जशपुर और कोरबा में स्थित अधिकतर पीएचसी में फार्मेसिस्ट के 145 पद, लैब टेक्नीसियन के 521 पद और ड्रेसर्स से 53 पद रिक्त पड़े हुए थे।

6.3.10 एसएचसी में स्टाफ की स्थिति भी भिन्न नहीं है। महिला स्वास्थ्य कर्मियों की कुल स्वीकृत संख्या 2523 में से 424 पर रिक्त पड़े हुए थे जो अधिकतर जनजातीय जिलों में है। **आयोग सिफारिश करता है कि छत्तीसगढ़ सरकार को रिक्त मैडिकल, नर्सिंग और पारामेडिकल पदों को भरने के लिए एक तत्काल समयबद्ध तथा प्रभावी मापदण्ड अपनाने चाहिए ताकि जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार को अस्पताल परिसर में सुसज्जित आवास मुहैया कराने के अलावा जनजातीय और नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में तैनात डाक्टरों और पारामेडिकल स्टाफ को आकर्षक विशेष प्रोत्साहन देने की भी सलाह दी गयी है।**

कुपोषण

6.3.11 राज्य की जनजातियों के बच्चों में कुपोषण को एक प्रमुख समस्या के रूप में पहचाना गया है। राज्य सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों में पोषणीय खुराक सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के माध्यम से कुछ उपाय किए है। तथापि, अज्ञानता के कारण, बहुत से जनजातियों की इन सुविधाओं तक पहुंच नहीं है विशेष रूप से जो वनक्षेत्र एवं नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में है जहाँ सरकारी तंत्र लोगों को सामान देने में प्रभावकारी नहीं है। **आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकार को उनकी स्थानीय भाषा एवं बोली में जनजातियों को शिक्षित करना चाहिए ताकि वे पोषणीय भोजन की महत्वता के बारे में जागरूक हो सके।**

राष्ट्रीय वेक्टर जनित बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम

6.3.12 भिन्न पारिस्थितिकी एवं भौगोलिक स्थिति के कारण, मलेरिया जैसी बीमारी की समस्या एक विशेष पैटर्न दर्शाती है और राज्य उत्तरी और दक्षिणी भागों में जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में इसका भारी दबाव है। मलेरिया राज्य में एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। 2005 में, देश में कुल मलेरिया के मामलों में 10 प्रतिशत मामले छत्तीसगढ़ के थे और 18 प्रतिशत पी. फालसीपारम के थे। राज्य के मध्य क्षेत्र में 8 जिलों में (राज्य की जनसंख्या का 61 प्रतिशत) मलेरिया (9 प्रतिशत) और पी.फालसीपारम (5 प्रतिशत) की सूचना थी। राज्य के 5 उत्तरी जिलों और 3 दक्षिणी जिलों में मलेरिया के बाकी मामले थे।

6.3.13 राज्य सरकार ने सूचना दी है कि मलेरिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। इसमें शामिल है-कीटनाशी प्रतिरोधी मच्छरदानियों का उपयोग बढ़ाना, आईईसी गतिविधियां बढ़ाना, रेपिड डायग्नोस्टिक किट का प्रावधान, स्टाफ के विभिन्न वर्गों को प्रशिक्षण देकर क्षमता निर्माण करना आदि। **आयोग सिफारिश करता है कि सरकार को बुखार की घटनाओं के बारे में जनजातीय**

जिलों में निगरानी रखनी चाहिए क्योंकि राज्य के कुछ भागों में अभी भी मलेरिया का प्रकोप है। राज्य को फाइलेरिया को मिटाने में सभी प्रयास करने चाहिए। इस लक्ष्य को 1015 तक पूरा किया जाना है। 9 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में अधिक जोर देने की आवश्यकता है। अन्य जिलों में भी फाइलेरिया मृत्यु के लिए सर्वेक्षण से लड़ने के लिए भी राज्य स्वास्थ्य तंत्र को तैयार रहना चाहिए जो राज्य के सभी भागों में उभरती हुई समस्याएं हैं।

6.4 हिमाचल प्रदेश

नवजात शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर

6.4.1 हिमाचल प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार जीवित जन्म पर 49 होने की सूचना है। राज्य की जनजातियों में नवजात शिशु मृत्यु दर के आंकड़े उपलब्ध नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रचलित जटिल भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी परिस्थितियों के कारण ये आंकड़े अधिक है। उसी प्रकार मातृ मृत्यु संबंधी आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है लेकिन ऐसा समझा जाता है कि ये भी अधिक है। राज्य सरकार ने 'जननी सुरक्षा योजना' 24 घंटे प्रसव स्कीम, मामले की एचआरडी की योजना आदि जैसी योजनाएं चला रखी है जिसमें राज्य में संभवत: मृात मृत्यु दर घट जाए। यद्यपि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है कि महिला विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं खास तौर से जनजातीय क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं, किशोर बालिकाओं तथा छोटी बालिकाओं के प्रति स्वास्थ्य सेवाएं अधिक जवाबदेह हो, इस ओर अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। नजदीक में प्रसव सेवाएं उपलब्ध न होने के कारण जनजातीय क्षेत्रों में अधिकतर प्रसव गैर-संस्थानीय प्रसव होते है। **आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकार को राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में 'जननी सुरक्षा योजना' के अन्तर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों और संस्थानीय प्रसवों को लोकप्रिय बनाने के लिए अधिक प्रयास करने चाहिए। राज्य की जनजातियों को अपनी पुत्रियों की 18 वर्ष की आयु के बाद ही शादी करने के बारे में भी शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि शीघ्र शादी माता एवं बच्चा दोनों को नुकसान देती है जिसके परिणामस्वरूप नवजात शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) उच्च हो जाती है।**

6.4.2 राज्य सरकार ने स्थानीय दाईयों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने और प्राथमिक सहायता चिकित्सा के लिए मैडिकल किट मुहैया कराने और प्रसव मामलों के निदान के लिए दूरस्थ और दूरदराज गांवों में उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए अभी तक भी ठोस कदम नहीं उठाए है। **आयोग महसूस करता है कि स्थानीय दाईयों को ऐसा प्रशिक्षण देना तथा उन्हें ऐसी किट उपलब्ध करवाना जनजातीय क्षेत्रों में सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए बहुत उपयोगी है जिससे राज्य में आईएमआर और एमएमआर घटने में सहायता मिलेगी और तद्नुसार राज्य सरकार को सलाह दी जाती है कि वह इस बारे में आवश्यक कदम उठाए।**

मेडिकल कैम्पस

6.4.3 शिमला सेनीटेरियम और अस्पताल एवं अभ्युदया स्वयं सेवी संगठन ने 2005-06 में रिकोंग पियो और काजा में लाहोल स्पीति में नि:शुल्क मेडिकल कैम्प आयोजित किए थे। जहाँ 104 भर्ती तथा 9059 बाह्य मरीजों का इलाज किया गया था। उपरोक्त सभी भर्ती मामलों में सर्जरी की गई थी और दवाईयों का नि:शुल्क वितरण किया गया था। जनजातीय महिलाओं में त्वचा, एसटीडी, टीबी और घाव संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं अधिक पाई गई। **आयोग सिफारिश करता है कि राज्य के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में और अधिक ऐसे कैम्पों का आयोजन किया जाना चाहिए क्योंकि वर्ष में 5 से 6 महीने तक चलने वाले कठिन भूभाग तथा जटिल जलवायु संबंधी परिस्थितियों के कारण उसी जिले में इन मेडिकल कैम्पों तक सभी जनजातीय लोगों का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है।**

प्रतिरक्षण

6.4.4 राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों में टीकाकरण का कार्य भी आरंभ कर रही है। 0 से 5 वर्ष तक के जनजातीय बच्चों में पोलियो प्रतिरक्षण राज्य में आरंभ किया जा रहा है। वर्ष 2005-06 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में 200 पोलियो बूथ स्थापित किए गए जहां पर 12, 100 बच्चों को टीका लगाया गया। राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में प्रतिरक्षण लाहोल-स्पीति जिले में 68 प्रतिशत चम्बा जिले में 100 प्रतिशत तक भिन्न है। **आयोग महसूस करता है कि लाहोल–स्पीति जैसे जिले में अन्य जिलों की तुलना में प्रतिरक्षण के कम प्रतिशत का प्रतिरक्षण अभियानों के द्वारा कर दिया जाना चाहिए और इस कार्य में समुदाय की दिलचस्पी अधिक लाभदायक हो सकती है।**

चिकित्सा संबंधी आधारभूत अवसंरचना

6.4.5 जनजातीय जिलों/आईटीडीपी में 2 अस्पताल, 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 102 उप-केन्द्र चल रहे हैं। किन्नौर जिले में एक मोबाईल वेन भी कार्य कर रही है जिसे राज्य में चारो और फैले जनजातीय क्षेत्रों के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। **आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकार को राज्य के जनजातीय क्षेत्रों जैसे लाहोल–स्पीति, पेनगी और भारमोर में अधिक चिकित्सा मोबाईल वेन उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।**

6.4.6 जहाँ तक विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों, नर्सिंग स्टाफ तथा अन्य पारामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता का प्रश्न है, राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में उसकी कमी है। स्मरणीय है कि राज्य सरकार ने कुछ विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों तथा स्टाफ की नियुक्ति की है लेकिन पदधारी अनुसूचित क्षेत्रों में प्रचलित विपरीत भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी परिस्थितियों के कारण कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहते हैं। डाक्टरों, नर्सों को बढ़ा हुआ वेतन जैसे प्रोत्साहन और ग्रामीण स्वास्थ्य भत्ते नहीं दिए जाते हैं। रेफरल अस्पतालों में विशेषज्ञ डाक्टर एवं सर्जन भी उपलब्ध नहीं हैं। केलोंग आरएच में आर्थोपेडिक में विशेषज्ञ के 2 पद और गायनोलोजी के विशेषज्ञ का 1 पद रिक्त है। उसी प्रकार रिकोर्ग-पीओ/आरएच में इएनटी, आर्थॉपेडिक्स और गायनोलोजी के विशेषज्ञों के पद भी रिक्त है। **आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकार को विशेषज्ञ डॉक्टरों के पदों के भरने के लिए समयबद्ध तरीके से तत्काल कदम उठाने चाहिए। राज्य सरकार को सलाह दी जाती है कि वह बाहर से या राज्य के मैडिकल कालिजों के नए स्नातकोत्तरों में से विशेषज्ञ/सर्जनों की नियुक्ति के बारे में विचार करें। राज्य सरकार को जनजातीय क्षेत्रों में तैनात डाक्टरों एवं पारामेडिकल स्टाफ के लिए आवासीय स्थान की व्यवस्था करने के अतिरिक्त उन्हें प्रोन्नत पदोन्नति देकर जनजातीय क्षेत्रों में सेवा करने के लिए प्रोत्साहनों को बढ़ाने के बारे में भी विचार करना चाहिए।**

स्वास्थ्य संबंधी अध्ययन

6.4.7 जनजातीय क्षेत्रों में विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए राज्य सरकार ने एक अध्ययन आयोजित किया था जो वर्ष 2005 में किन्नोर जिले में गर्भवती महिलाओं पर केन्द्रित था। सभी खून की कमी वाली गर्भवती महिलाओं एवं लड़कियों को तीन महीनों मे नि:शुल्क आयरन और फोलिकएसिड की गोलियां दी गई थी।

6.5 कर्नाटक

नवजात शिशु मृत्यु पर

6.5.1 एसआरएस 2001 के अनुसार, कर्नाटक में नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार जीवित जन्म पर 58 अनुमानित की गई थी जो वर्ष 2005 में 50 तक घट गई है। राज्य में जनजातियों के लिए आईएमआर

के अलग से अनुमानित किया गया है। मातृ मृत्यु दर के अनुमान भी उपलब्ध नहीं है परन्तु ऐसा अनुमान है राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में यह उच्च है। राज्य सरकार जनजातीय महिलाओं को शामिल करते हुए संपूर्ण गर्भवती महिलाओं के लिए एन्टोनेटल एवं निवोनेटल केयर उपलब्ध करा रही है। उन्हें सुरक्षित प्रसव के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जनजातीय आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

परिवार नियोजन केम्पस एवं चिकित्सा केम्पस

6.5.2 राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में परिवार नियोजन केम्पों तथा चिकित्सा केम्पों के आयोजन रोक दिए गए हैं क्योंकि ये सेवाएं एफआरयू/सीएचसी/पीएचसी, निजी अस्पताओं एवं नर्सिंग होमों में उपलब्ध कराई जा रही है। उसी प्रकार, विभिन्न बीमारियों से ग्रसित सभी मरीजों का इलाज सामान्य रूप से स्वास्थ्य संस्थाओं में किया जा रहा है जहाँ मरीजों को दवाईयां निशुल्क दी जा रही है।

प्रतिरक्षण

6.5.3 नित्य प्रतिरक्षण सेवा जनजातियों सहित संपूर्ण बच्चों के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध है। वर्ष 1999-2000 से राष्ट्रीय प्लस पोलियो कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जा रहा है और बच्चों के टीकाकरण के लाभ के बारे में जनजातियों में सामान्य जागरूकता स्वास्थ्य मेलों, प्रेस एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से संपूर्ण आबादी में पैदा की जा रही है। संक्रामक बीमारियाँ स्वास्थ्य एवं सफाई के बारे में आम जागरूकता भी पैदा की जा रही है।

चिकित्सा संबंधी आधारभूत अवसंरचना

6.5.4 राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक चिकित्सा संबंधी उपकरण है और उन्हें दवाईयों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई गई है।

6.6 मणिपुर

नवजात शिशु मृत्यु दर

6.6.1 मणिपुर में, वर्ष 2004 में नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार जीवित जन्मों पर 13 थी। जनजातियों में आईएमआर के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और रिप्रोडक्टिव बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए परिवार कल्याण विभाग द्वारा कदम उठाए जा रहे है। जनजातियों में सामान्य मातृ मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं लेकिन यह समझा जाता है कि इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं एवं संचार की कमी के कारण जनजातीय आबादी में यह अधिक हो।

चिकित्सा संबंधी आधारभूत अवसंरचना

6.6.2 राज्य के जनजातीय क्षेत्रों पहाड़ीदार और वन-आच्छादित रास्ते है जहाँ परिवहन संचरण तथा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। कठिन वन क्षेत्र और नक्सली की समस्या के कारण डाक्टर नर्स एवं पारामेडिकल स्टाक जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने में हिचकिचाते है। जिसके परिणामस्वरूप विशेषज्ञों, डाक्टरों, पारामेडिकल स्टाफ के बहुत सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं। मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार, मणिपुर डाक्टर स्वास्थ्य सेवा के कुल 75 पद रिक्त पड़े हुए है जिसमें ग्रेड I के 9 पद ग्रेड II के 8 पद, ग्रेड III के 30 पद तथा ग्रेड IV के 28 पद है। विशेषज्ञों की कमी से राज्य की सीएचसी और पीएचसी की कार्यप्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

6.6.3 राज्य सरकार कठिन क्षेत्रों में तैनात डाक्टरों और स्टाफ को एनपीए/पहाड़ी भत्ता जैसा प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रोत्साहन भी व्यवसायियों को आकर्षित नहीं करते है जिसके

परिणामस्वरूप पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध नहीं हो पाती है। आयोग का विचार है कि राज्य सरकार को राज्य में या बाहर से उपलब्ध उम्मीदवारों में भी डाक्टरों और पारामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए और प्रोत्साहन को और अधिक आकर्षक बनाना चाहिए। स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार को विशेषज्ञों/डाक्टरों (नए मेडिकल स्नातकों एवं स्नातकोत्तरों में से) को संवीदा आधार पर नियुक्त करने पर भी विचार करना चाहिए। **आयोग यह भी सिफारिश करता है कि राज्य सरकार को जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य समस्याओं की देखभाल के लिए आवश्यक सुविधाओं से सुज्जित अधिक से अधिक मेडिकल मोबाइल वेन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।**

6.7 उड़ीसा

नवजात शिशु मृत्यु दर

6.7.1 उड़ीसा में नवजात शिशु मृत्यु दर वर्ष 2001 में प्रति एक हजार जीवित जन्म पर 90 थी जो वर्ष 2004 में घटकर 75 तक रह गयी। जनजातियों में नवजात शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु पर संबंधी आंकड़े अलग-अलग उपलब्ध नहीं है। अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा में नवजात शिशु मृत्यु दर अधिक उच्च है । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में सभी गर्भवती महिलाओं, किशोर लड़कियों एवं बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही है जिसमें एनएनसी पंजीकरण, 3 जांच, टीटी का प्रतिरक्षण आयरन एवं फालिक एसिड की आपूर्ति, मलेरिया के विरूद्ध चेमों प्रोफिलेक्सीज, अधिक जोखिम भरी गर्भतवी महिलाओं को एफ. आर.यू. भेजना, गर्भवती महिलाओं की प्रसूति के बाद सुरक्षा, " जननी सुरक्षा योजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं सहित सभी गर्भवती महिलाओं की संस्थानीय प्रसव को बढ़ावा देना और लाभार्थियों को नगद सहायता प्रदान करना शामिल है। राज्य में आईएमआर और एमएमआर घटाने के लिए ये प्रमुख कदम है। किशोर लड़कियों को 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु में टीटी प्रतिरक्षण भी दिया जा रहा है। राज्य के बच्चों को डीपीटी, पोलियो, बीसीजी और खसरा के लिए प्रतिरक्षण भी दिया जा रहा है और छः जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए उन्हें विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। **आयोग का विचार है कि राज्य सरकार को जनजातियों में आईएमआर और एमएमआर का पता लगाने के लिए अध्ययन करना चाहिए और राज्य की जनजातीय क्षेत्रों में नवजात शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने के अधिक प्रभावी मापदण्ड अपनाने चाहिए, इस दृष्टि से कि जनजातीय लोग अधिकतर उन दूरस्थ, अगम्य, वन एवं वन से घिरे हुए क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को व्यवहारिक परेशानी होती है।**

परिवार नियोजन कैम्प

6.7.2 राज्य सरकार ने वर्ष 2005-06 में राज्य में परिवार नियोजन के 242 कैम्पों से भी अधिक कैम्प आयोजित किए जिसमें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के 6348 महिलाओं एवं 1221 पुरूषों ने भाग लिया। वर्ष के दौरान कुल 558 पुरूष नसबन्दी एवं 24594 महिला नसबन्दी के आपरेशन किए गए। उसी अवधि के दौरान गर्भ निरोधक गोलियाँ (1,06,112) तथा निरोध (58099) भी बांटे गए।

चिकित्सा संबंधी आधारभूत अवसंरचना

6.7.3 राज्य में सीएचसी तथा पीएचसी अपेक्षित चिकित्सा उपकरणों से सुज्जित है और उनमें दवाईयाँ भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पीएचसी और सीएचसी में और अधिक सुधार के लिए उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) स्कीमों में शामिल किया गया है और आईपीएच मानक के अनुरूप उनमें अधिक चिकित्सा सुविधाएँ एवं कर्मचारी उपलब्ध कराए गए है। जहाँ तक उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में डाक्टरों एवं पारा-मेडिकल स्टाफ का संबंध है, विशेषज्ञों, डाक्टरों और पारा मेडिकल स्टाफ के कुछ पद रिक्त

है। उनको भरने के लिए प्राथमिकता आधार पर नियमित प्रयास किए जा रहे हैं। डाक्टरों के पद उड़ीसा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती के द्वारा भरे जा रहे है। इसके अतिरिक्त, जहाँ कहीं भी रिक्ती उपलब्ध है वहाँ उम्रदराज/सेवानिवृत डाक्टरों को संविदा आधार पर नियुक्त किया जा रहा है। डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को भी 58 से बढ़ा कर 60 वर्ष कर दिया गया है। पारा-मैडिकल स्टाफ को भी संविदात्मक नियुक्ति के माध्यम से राज्य में तैनात किया जा रहा है।

6.7.4 उड़ीसा सरकार उन डाक्टरों को 2000 रू0 प्रति माह का विशेष प्रोत्साहन देती है जो जनजातीय/पिछड़ा जिला मुख्यालयों में कार्य करते हैं और यह राशि 5000रू0 प्रति माह की दर से अधिक नहीं होती है। **आयोग राज्य सरकार को यह सलाह देना चाहेगा कि वह डाक्टरों को सेवा में रोकने के लिए तैनाती के स्थान पर उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में तैनात डाक्टरों एवं पारा–मैडिकल स्टाफ को और अधिक प्रोत्साहन दे।**

6.7.5 उड़ीसा में, 221 सीएचसी है जिनमें से 48 सीएचसी में दवाओं, सर्जरी, ओ एण्ड जी एवं पैडिट्रिक्स की विशेष सेवाएं है, 132 सीएचसी में केवल ओ एण्ड जी एवं पैडिट्रिक्स की विशेष सेवाएं है और 41 में केवल ओ एण्ड जी संबंधी विशेष सेवाएं हैं। ओरथोपेडिक और ईएनटी सर्जनों के पद राज्य में अभी तक सृजित नहीं किए गए हैं। यद्यपि ओ एण्ड जी विशेषज्ञों के पद सभी 221 सीएचसी में उपलब्ध है और पैडिट्रिसियन के पद 132 सीएचसी से भी अधिक में उपलब्ध है, मेडिसीन, सर्जरी, ओथोपेडिक और ईएनटी में विशेषज्ञों के पद राज्य के अधिकतर सीएचसी में स्वीकृत नहीं किए गए हैं। **आयोग राज्य सरकार को यह सलाह देना चाहेगा कि वह राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में स्थित सीएचसी में मैडिसिन, सर्जरी, ओथोपेडिक्स और ईएनटी में विशेषों के पदों को सृजित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कदम उठाए।**

उड़ीसा में राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम

6.7.6 वेक्टर बोर्न बीमारियाँ जैसे मलेरिया एवं फिलेरिया अत्यधिक जन स्वास्थ्य संबंधी चिन्ताएं प्रस्तुत करती है और वे राज्य में रूग्णता एवं मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण है। ये बीमारियां ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रचलित है, जो जनसंख्या के निम्न समाजार्थिक समूहों में अधिक प्रचलित है। इन बीमारियों का गति विज्ञान मुख्यत: परिस्थितिकी-मरक-विज्ञान, समाजार्थिक एवं जल प्रबंधन प्रणाली द्वारा निर्धारित किया जाता है। बच्चों, किशोरों जो आर्थिक रूप से उत्पादन संबंधी वर्गों के हैं और गर्भवती महिलाएं अति संवेदी समूह है, हालांकि सभी समूहों पर इसका प्रभाव पड़ता है। मलेरिया के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बहुत दूरगम्य, दूरस्थ, वनों में घिरे हुए या वन वाले क्षेत्र हैं, जहाँ अधिकतर जनजातियां रहती है। राज्य में 2001 से 2005 के दौरान औसतन 300 व्यक्तियों से भी अधिक की मृत्यु इस बीमारी के परिणामस्वरूप हुई। **आयोग महसूस करता है कि जनजातीय क्षेत्रों में तैनात चिकित्सा स्टाफ के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी कार्य प्रणाली के क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।**

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

6.7.7 यह कार्यक्रम राज्य में कुष्ठ उन्मूलन के लिए 1982 से चलाया जा रहा है। कुष्ठ रोग की राज्य प्रचलित दर वर्ष 1982-83 में प्रति 10,000 जनसंख्या पर 121.4 थी और राष्ट्रीय स्तर पर यह 55 थी। इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के कारण, यह वर्तमान में राज्य में 0.92 तक घट गया है और राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रति 10,000 की जनसंख्या पर 0.84 तक घट गया है। 21 जिलों में इस बीमारी का उन्मूलन किया है और 7 जिलों अर्थात् सुन्दरगढ़, देवगढ़ बोलनगीर, झारसुगुड़ा, सम्बलपुर, अंगुल और बौद्ध में प्रचलित दर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 2 है। दो जिलों नामत: सोनपुर और बरागढ़ में प्रचलित दर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 2 है। **आयोग महसूस करता है कि जिन जिलों में अत्यधिक अनुसूचित जनजाति है, इन जिलों में राज्य सरकार द्वारा कुष्ठ उन्मूलन प्रयासों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है।**

चलित स्वास्थ्य एकक

6.7.8 राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 90 चलित स्वास्थ्य एकक केबीके (कालाहाण्डी, बोलनगीर और कोरापुर) जिलों में कार्य कर रही है। सभी पाकिटों को कवर करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है और **इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकार को अधिक चलित स्वास्थ्य एकक उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने चाहिए।**

6.8 राजस्थान

6.8.1 एसआरएस 2004 के अनुसार राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित बच्चों पर 67 थी। एसआएस 1997 के अनुसार जनजातियों में यह 101 थी। **आयोग राज्य सरकार को यह सलाह देना चाहेगा कि वह जनजातीय नवजात शिशुओं में उच्च मृत्यु दर के कारणों का पता लगाने के लिए एक अध्ययन को और इसे कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य संबंधी कार्मिकों के अलावा जनजातीय समुदाय के लोगों को भी लगाना चाहिए।**

जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा संबंधी आधारभूत अवसंरचना

6.8.2 राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में 36 सीएचसी 162 पीएचसी और 1216 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं जबकि 2001 की जनगणना के आधार पर अपेक्षित संख्या क्रमश 42 सीएचसी, 225 पीएचसी और 1495 एसएचसी है। **आयोग तद्नुसार यह सिफारिश करता है कि राज्य सरकार को जनजातीय क्षेत्रों में अधिक स्वास्थ्य संस्थान खोलने चाहिए और उन दूरगम्य पाकिटों में चलित स्वास्थ्य एकक आरंभ करनी चाहिए जो चिकित्सा संस्थानों से अत्यधिक दूर है।**

6.8.3 राज्य में डाक्टरों के बहुत से पद रिक्त पड़े हुए हैं, डाक्टरों के 663 स्वीकृत पदों में से, राज्य में 194 पद रिक्त होने की सूचना है। उसी प्रकार पारा-मैडिकल स्टाफ के बहुत सारे पद भी रिक्त पड़े हुए हैं। **राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों के भरने के लिए एक समयबद्ध तरीके से तत्काल कदम उठाए।**

6.9 सिक्किम

6.9.1 सिक्किम में, एसआरएस 2005 के अनुसार नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार जीवित बच्चों पर 30 थी। जनजातियों में आईएमआर और एमएमआर के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

प्रतिरक्षण

6.9.2 सघन प्लस पोलियों प्रतिरक्षण के अन्तर्गत जनजातीय बच्चों सहित 0-5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्रतिरक्षित किया गया है। 2005-06 में दो अभियान चलाए गए थे और 2006-07 में ऐसे तीन अभियान चलाए गए थे। औसतन लगभग 68,000 बच्चों को प्रत्येक अभियान में कवर किया गया जबकि कुल लक्ष्य 70,000 था जो जनजातीय बच्चों सहित 0-5 वर्ष तक की आयु के कुल बच्चों का 97 प्रतिशत है।

चिकित्सा संबंधी आधारभूत अवसंरचना

6.9.3 जनजातीय क्षेत्रों (उत्तरी जिलों) में 1सीएचसी, 3 पीएचसी और 19 पीएचएससी है। इसके अतिरिक्त जनजातीय/आईटीडीपी क्षेत्रों में पूर्वी जिले में 13 उप केन्द्र, पश्चिम जिले में 12 और दक्षिण जिले में 5 कार्य कर रहे है। उसी प्रकार, जनजातीय क्षेत्रों के 2 पूर्वी जिले में 2 पीएचसी, दक्षिण जिले में 1 और पश्चिम जिले में 4 स्थित है। वर्तमान में किसी मोबाईल वेन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

6.9.4 जहां तक वर्तमान में स्वीकृत संख्या और डाक्टरों की संख्या का संबंध है, राज्य में 2 पद सीएचसी में और 1 पद पीएचसी में रिक्त है। राज्य की पीएचसी में नर्सिंग स्टाफ के 12 पद तथा पारा-मैडिकल स्टाफ के 36 पद रिक्त है। **आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकार को लोगों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डाक्टरों और अन्य पारा–मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को संविदा आधार पर या नियमित आधार पर नियुक्ति के माध्यम से भरने के लिए आवश्यक प्रयास करने चाहिए। जनजातीय लोगों तक सुलभ पहुंच मुहैया करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा अवसंरचना को उन्नत करने के अतिरिक्त विशेषज्ञ डाक्टरों की भी नियुक्ति की जानी चाहिए।**

कुपोषण

6.9.5 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती एवं दुग्ध पिलाने वाली माताओं को दूध छुड़ाने का पोषण-आहार उपलब्ध कराया गया जो प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिमाह 30 दिनों के लिए प्रतिदिन 100 ग्राम की दर से घर ले जाने के लिए वितरित किया गया। गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड गोलियां तथा विटामिन 'ए' की खुराक कुपोषण से लड़ने के लिए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही है।

6.9.6 सभी पहचाने गए जनजातीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो (10 पीएचसी) में 24 घंटे प्रसूति सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही है और आरसीएच कैम्प दूरस्थ एवं एकान्त गांवों में रहने वाली जनजातीय महिलाओं के लिए अत्यधिक चिकित्सा जांच की सुविधा दे रहे हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान 12 प्रशिक्षण कैम्प स्थानीय दाईयों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

6.10 पश्चिम बंगाल

6.10.1 पश्चिम बंगाल में, 2001 की जनगणना के अनुसार नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार जीवित बच्चों पर 51 थी जो एसआरएस 2005 के अनुसार घट कर 38 रह गयी। इसक विपरीत एनपीएचएस 1998-99 के अनुसार राज्य की जनजातियों में आईएमआर प्रति एक हजार जीवित बच्चों पर 85.1 थी। राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाए है जैसे नियमित प्रतिरक्षण को सुदृढ़ करना (दूरगम्य क्षेत्रों में विशेष आउटरीच कैम्प के माध्यम से), उचित प्राक्प्रसव जांच, कुशल जन्म सहायिका द्वारा प्रसव, संस्थानीय प्रसव को बढ़ावा देना, प्रथम छः महीने तक विशेष रूप से छाती से दूध पिलाना, उप-केन्द्र स्तर पर पोषण क्लीनिक की स्थापना और सिक न्यू बोर्न केयर यूनिट का प्रावधान (पुरूलिया और बीरभूम के जनजातीय जिलों में) है। इससे नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी आयी है। जहाँ तक राज्य में मातृ मृत्यु दर का संबंध है, यह प्रति लाख जीवित बच्चों पर 194 है जो बहुत संतोष जनक है।

चिकित्सा संबंधी आधारभूत अवसंरचना

6.10.2 राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में 29 सीएचसी, 205 पीएचसी, 738 उप केन्द्र तथा 12 मोबाईल वेन है। पुरूलिया, बांकुरा, पश्चिम मिदनापुर और जलपाईगुड़ी जिलों में डाक्टरों और नर्सों के बहुत से पद रिक्त पड़े हुए हैं। आरथोपेडिक और ईएनटी सर्जन भी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली के उस स्तर पर उपलब्ध नहीं है। **आयोग राज्य सरकार को यह सलाह देना चाहेगा कि वह डाक्टरों और पारा–मैडिकल स्टाफ के पदों को नियमित नियुक्ति या अल्पकालिक/संविदा आधार पर भरने के लिए तत्काल कदम उठाए।**

अध्याय–7

भूमि – हस्तान्तरण

7.1 प्रस्तावना

7.1.1 जनजातीय परिवारों के लिए भूमि ही एकमात्र वास्तविक सम्पति है क्योंकि उनमें से अधिकतर अपनी आजीविका के लिए कृषि और उससे संबंद्ध क्रियाकलापों पर निर्भर करते हैं। अपनी विभिन्न बैठकों में आयोग ने पाया है कि राज्यों में दशकों से भूमि-हस्तान्तरण विरोधी कानूनों के लागू होने के बावजूद भी इन कानूनों से बचने के रास्तों (छिद्रों), निचले स्तर के राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत एवं जनजाति लोगों के सीधेपन और अज्ञानता के चलते अधिकतर राज्यों में जनजातीय-भूमि का वैध और अवैध अन्तरण होता रहा है। आयोग ने यह भी पाया कि जनजातीय किसानों की पिछली चार जनगणनाओं से उजागर होता है कि जनजातीय किसानों का प्रतिशत 1961 में 68.18 प्रतिशत से 1981 में 54.43 प्रतिशत तक नीचे आ गया और यह 2001 की जनगणना में और भी नीचे 50.90 प्रतिशत पर आ गया। आयोग ने पाया कि इसका तात्पर्य है कि बड़ी संख्या में जनजातीय किसान, उनकी जमीन गैर - जनजातीय लोगों को अन्तरित होने के कारण भूमिहीन हो गए थे और खेतों में मजदूरों के रूप में काम करने को मजबूर हुए जो कि इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि जनजातीय कृषि मजदूरों की प्रतिशतता 1961 में 19.71 की तुलना में 1991 में 32.67 तक बढ़ी है। (यह प्रतिशतता 2001 में थोड़ी सी कम (28.40) हुई। आयोग ने महसूस किया है कि किसानों की घटती संख्या और भूमिहीन मजदूरों की बढ़ती संख्या को देश में हो रहे जनजातीय भूमि-हस्तान्तरण के बारे में विस्तार के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। आयोग ने आगे यह पाया कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षण (1988) के अनुसार लगभग 30 से 55 प्रतिशत तक जनजातीय परिवार भूमि हस्तान्तरण से प्रभावित हुए थे और भूमि का 80 प्रतिशत हस्तान्तरण गैर - जनजातीय लोगों को हुआ था।

7.1.2 भूमि – हस्तान्तरण के मामलों में गहराई तक जाने के लिए आयोग ने यह महसूस किया कि राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए हस्तान्तरण – विरोधी कानूनों को देखना, उनका अध्ययन करना और उनकी ताकत व कमजोरी का पता लगाना उपयुक्त होगा और उसके आधार पर जनजातीय भूमि में और अधिक अतिक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकारों को उचित परामर्श दिए जाएं। आयोग ने अपने अर्ध-शासकीय पत्र दिनांक 1 नवम्बर, 2006 के द्वारा राज्य सरकारों से अन्य बातों के साथ-साथ जनजातीय भूमि को गैर - जनजातीय लोगों को अन्तरित करने से रोकने के लिए उनके द्वारा बनाएं गए कानूनों के सम्बन्ध में एक प्रश्नावली (**अनुबंध–7.1**) के उत्तरों के रूप में सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया था। आयोग ने 10 नवम्बर, 2006 को आयोजित अपनी बैठक में आयोग के सचिवालय द्वारा की गई उक्त कार्रवाई का अनुमोदन किया। अनुस्मारक भेजने के बावजूद आवश्यक सूचना सभी राज्य सरकारों द्वारा नहीं दी गई। पूर्ण या आंशिक सूचना भेजने वाले राज्य है (i) आन्ध्र प्रदेश (ii) छत्तीसगढ़ (iii) हिमाचल प्रदेश (iv) कर्नाटक (v) महाराष्ट्र (vi) मणिपुर (vii) उड़ीसा (viii) सिक्किम (ix) उत्तर प्रदेश और (x) पश्चिम बंगाल। जबकि आयोग को यह जानकर खेद है कि विशाल जनजातीय बहुलता वाले कुछ राज्यों से आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, अत: केवल इन राज्यों में भूमि – हस्तान्तरण कानूनों के प्रचालन की स्थिति के संबंध में ही चर्चा की जा रही है।

7.2 आन्ध्र प्रदेश

7.2.1 जनजातीय – भूमि को गैर - जनजातीय लोगों को अन्तरित करने से रोकने एवं हस्तान्तरित भूमि को जनजातीय लोगों को वापस दिलाने के लिए आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने निम्नलिखित विनियम बनाएं हैं-

(i) आन्ध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अन्तरण विनियम, 1959 (एपीएसएएलटीआर (1/1959) जो कि विनियम 1/1970, 1/1971 और 1/1978 द्वारा संशोधित किया गया।

(ii) आन्ध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अन्तरण नियम, 1969

7.2.2 आन्ध्र प्रदेश द्वारा ऊपर उल्लिखित विनियम अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबन्ध करते हैं कि-

(i) एक जनजातीय से दूसरे जनजातीय को भूमि बिना किसी शर्त के अन्तरित की जा सकती है।

(ii) विनियम 1/1970, 1/1971 और 1/1978 द्वारा यथा संशोधित एपीएसएएलटी, विनियम 1959 की धारा 3 के अधीन किसी भी परिस्थिति में अनुसूचित क्षेत्र की भूमि एक जनजातीय से गैर - जनजातीय को अन्तरित नहीं की जा सकती है। मूल रूप में एपीएसएएलटीआर, 1959 में एक प्रावधान था जो यह सुविधा देता था कि सरकार से पूर्व स्वीकृति की शर्त पर या सरकार के अभिकर्ता या किसी विहित अधिकारी की लिखित सहमति के द्वारा जनजातीय से गैर - जनजातीय को भूमि का अन्तरण हो सकता था। यह प्रावधान, संशोधन विनियम, 1/1970 द्वारा हटा दिया गया।

(iii) अनुसूचित क्षेत्र में जनजातीय से गैर - जनजातीय व्यक्ति को कोई भी भूमि का अन्तरण शून्य एवं अवैध होगा जब तक कि यह अन्तरण ऐसे व्यक्ति के पक्ष में न हो जो कि अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी सोसायटी जो आन्ध्र प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1964 के अधीन पंजीकृत हो और वह केवल अनुसूचित जनजाति सदस्यों से बनी हो। तथापि गैर - जनजातीय पट्टेदारों के बीच बटाई और उत्तराधिकार द्वारा अन्तरण, एपीएसएएलटीआर, 1959 की धारा 3(9) के अधीन 'अन्तरण' की परिभाषा को आकर्षित नहीं करता और ऐसी जनजातीय भूमि अप्रत्यक्ष रूप से गैर - जनजातीय के कब्जे में हो सकती है।

7.2.3 विनियम 1/1970 की धारा 3 किसी भी जनजातीय व्यक्ति से गैर - जनजातीय लोगों को भूमि का अन्तरण करने पर प्रतिबन्ध लगाती है। विनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किए गए हस्तान्तरण के मामले में, विनिमय की धारा 3(2)(क) में जनजातीय लोगों को भूमि लौटाने का करती है। यदि भूमि लौटाना संभव नहीं हो तो धारा 3(2)(ख) ऐसी भूमि का निपटान ऐसे करती है जैसे कि यह राज्य सरकार की सम्पति हो या इसे किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्य या उनकी समिति को बेच दिया गया हो।

7.2.4 विनियम (संशोधित विनियम, 1/1978) की धारा 6क में दण्ड संबंधी प्रावधान है जिसमें दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो आन्ध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अन्तरण (संशोधन) विनियम 1978 के प्रवर्तन से या उसके पश्चात् (क) इस विनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करता है; या (ख) बेदखली की डिक्री पारित होने के बाद भी ऐसी सम्पति पर कब्जा बनाये रखता है; दोषसिद्ध होने पर एक वर्ष तक की अवधि के कठोर कारावास या दो हजार रूपयों तक जुर्माने अथवा दोनों की सजा भुगतेगा। विनियम के अधीन अपराध धारा 6 ख के अन्तर्गत संज्ञेय माने जाते हैं।

7.2.5 आयोग को सूचित किया गया है कि बचाव के रास्तों को बन्द करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इन कानूनों का पुर्नावलोकन किया जा रहा है। सरकार नियमित रूप से विनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर रही है। हाल ही में तेलंगाना और आन्ध्र क्षेत्रों में जनजातीय भूमि मामलों पर एक अध्ययन कराया गया है और रिपोर्ट का अनुशीलन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित भूमि समिति की सिफारिशें राज्य सरकार के सक्रिय विचार -विमर्श के अधीन हैं।

7.2.6 राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1998 के संशोधन अधिनियम सं. 7 और आन्ध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1994 के प्रावधान पंचायत (एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया) अधिनियम, 1996 (PESA) की धारा 4 (एम) (iii) के प्रावधान से संगत है जिसमें बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को शक्तियाँ सौंपते समय राज्य विधायिका सुनिश्चित करें कि पंचायत को उपयुक्त स्तर पर एवं ग्राम सभा को, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तान्तरण को रोकने तथा अनुसूचित जनजातियों की गैर कानूनी रूप से हस्तान्तरित भूमि को वापस दिलाने हेतु उचित कार्यवाही करने के लिए विशेष रूप से शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राज्य सरकार ने आगे यह भी सूचना दी है कि 1998 के अधिनियम संख्या 7 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए अभी नियम बनाने शेष हैं। **आयोग सिफारिश करता है कि आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार**, 1998 **के अधिनियम सं. 7 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के नियम बनाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करें।**

भूमि हस्तान्तरण नियमों का निपटान

7.2.7 जनजातियों के भूमि हस्तान्तरण मामलों की संख्या के संबंध में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह सूचना दी है कि:-

(i) 2001-2002 से 2005-2006 की अवधि के दौरान कुल 4502 मामलों का पता लगाया जिनमें 20, 847 एकड़ भूमि अन्तर्ग्रस्त थी।

(ii) एपीएसएएलटीआर (APSALTR), 1959 के प्रारम्भ से कुल 73489 मामलों का पता लगया गया एवं एसडीसी न्यायालय के समक्ष दाखिल कराया गया। एसडीसी न्यायालयों के आदेशों के विरूद्ध जनजातीय कल्याण अपील अतिरिक्त अभिकर्ता या सरकार के अभिकर्ता के सम्मुख की जा सकती है। सरकार के पास पुर्नावलोकन का प्रावधान है। वर्तमान में 182 मामले उच्च न्यायालय में, 106 सरकार स्तर पर और 521 अभिकर्ता/अतिरिक्त अभिकर्ता के स्तर पर लंबित हैं।

(iii) 6, 667 एकड़ क्षेत्र से संबंधित कुल 2427 मामले एसडीसीज (SDCs) द्वारा अमान्य किए गए थे और 25, 774 एकड़ क्षेत्र से संबंधित 5585 मामलें इन न्यायालयों द्वारा जनजातीय लोगों के पक्ष में निर्णित किए गए थे।

(iv) इन पाँच वर्षों (2001-2002 से 2005-2006) के दौरान 23549 एकड़ क्षेत्र से संबंधित वाले 5788 मामलों में जनजातीय लोगों को भूमि वापस दिलवाई गई।

7.2.8 राज्य सरकार ने सूचित किया है कि

(i) यद्यपि राज्य के कानून अन्तरण की अनुमति नहीं देते है, इसके बावजूद जनजाति-भूमि को गैर-जनजातीय लोगों को हस्तान्तरण के मूल कारण हैं (क) कर्ज (ख) वैवाहिक आवश्यकताएं (ग) बेनामी अन्तरण एवं (घ) नकली अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना।

(ii) भूमि के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के दष्टिकोण से, राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से जनजातीय भूमि, जो शासक द्वारा प्राप्त कर ली गई थी या जिसके अंतरित होने की संभावना थी, को गैर - जनजातीय को अवैध अन्तरण का कोई भी मामला नहीं हो रहा था। जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक जनजातीय भू-स्वामी क्षतिपूर्ति लाभों से वंचित रह गए हो। साथ ही भूमि अधिग्रहण अधिकारी को कठोर निर्देश जारी कर दिए गए है कि क्षतिपूर्ति देते समय मानक संदर्भ के लिए पुराना रिकॉर्ड देखे और स्वत्व की अनुवर्ती प्राप्ति के निवारण के लिए देखें।

7.3 छत्तीसगढ़

7.3.1 छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचित किया है कि जनजातीय भूमि के जनजातीय या गैर - जनजातीय को अन्तरण और हस्तान्तरित जनजातीय भूमि को जनजातीय को वापस दिलाने के मामलों का निपटान, मध्य

प्रदेश भू-भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धाराओं 165(6) व 170 (ख) के निबन्धनों के अनुसार किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि:-

(i) अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर की जनजातीय भूमि गैर - जनजातीय को जिलाधिकारी की अनुमति से हस्तांतरित की जा सकती है जो कि ऐसे हस्तांतरणों को स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

(ii) अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में, राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके जनजातीय भूमि को गैर -जनजातीय लोगों को अन्तरण पर रोक लगा सकती है। ऐसे अन्तरण कलक्टर की अनुमति से किए जा सकते हैं जो ऐसे अन्तरणों के कारणों को अभिलेखित करेगा।

(iii) जनजातीय भूमि को गैर - जनजातीय को अन्तरण करने की प्रक्रिया, मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 170(ख) में दी गयी है। इस धारा में गैर - जनजातीय को हस्तान्तरित जनजातीय भूमि, जनजातीय को वापस करने के प्रावधान भी है।

भूमि हस्तान्तरण संबंधी मामलों का निपटान

7.3.2 भूमि हस्तान्तरण के मामलों के विवरण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने निम्न प्रकार से सूचना दी है-

(i)	विभिन्न न्यायालयों में दर्ज मामलों की संख्या	47304
(ii)	विभिन्न न्यायालयों द्वारा अस्वीकृत मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं
(iii)	न्यायालयों द्वारा जनजातीय लोगों के पक्ष में निर्णित मामलों की संख्या	21348
(iv)	मामलों की संख्या जिनमें जनजातीय लोगों को वास्तविक कब्जा दिया गया	21269 मामले जिनका संबंध 17660.619 हेक्टेयर क्षेत्र संलग्न है।

7.3.3 राज्य सरकार ने यह भी सूचना दी है कि भूमि के अवैध अन्तरण को रोकने के लिए एमपीएलआरसी, 1959 की धारा 170(ख) के अधीन प्रावधान बनाए गए हैं। यह भी बताया गया है कि राज्य में भूमि का कोई अवैध अन्तरण नहीं हुआ है। तथापि, यह कथन तथ्यों (जैसा ऊपर दिया गया है) से सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि 21269 मामलों में न्यायालयों के आदेशों से जनजातीय लोगों को वास्तिविक कब्जा दिया गया है जिसका अर्थ है कि इन मामलों में जनजातीय भूमि अवैध तरीके से गैर -जनजातीय लोगों को अन्तरित की गई थी।

7.4 हिमाचल प्रदेश

7.4.1 हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियम) अधिनियम, 1968 जनजातीय भूमि के जनजातीय या गैर -जनजातीय को अन्तरण या हस्तान्तरित भूमि जनजातीय लोगों को वापस दिलाने को विनियमित करने के लिए बनाया गया है। अधिनियम की धारा 3(1) में यह प्रावधान था कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई भी व्यक्ति संबंधित जिले के उपायुक्त की पूर्व अनुमति के बिना किसी भूमि में अपने हित को, बिक्री, गिरवी, पट्टे, उपहार या अन्य प्रकार से, अनुसूचित जनजाति से भिन्न किसी व्यक्ति को अन्तरित नहीं करेगा। अब यह स्थिति 4 जनवरी, 2003 को अधिनियम में संशोधन के बाद बदल गई है। संशोधित अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार की बिना लिखित पूर्व अनुमति के निर्मित परिसर सहित किसी भूमि में अपने हित को बिक्री, गिरवी, पट्टे, उपहार या अन्य प्रकार से जनजाति से भिन्न किसी व्यक्ति को अन्तरित नहीं करेगा। राज्य सरकार ऐसी अनुमति देने से पूर्व उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श करेगी।

संशोधित अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार की लिखित में पूर्व अनुमति और उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत से पूर्व परामर्श, परियोजनाओं के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अवाप्ति के लिए आवश्यक होगा और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा बेदखल हुए व्यक्ति को पुनर्स्थापित करने या पुनर्वास से पहले अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना की वास्तविक आयोजना एवं कार्यान्वयन का समन्वय राज्य स्तर पर करना होगा। अधिनियम में आगे प्रावधान है कि अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति राज्य के उसी जिले/आईटीडीपी से संबंधित अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भूमि अन्तरित कर सकता है।

7.4.2 अधिनियम में प्रावधान है कि गैर - जनजातीय व्यक्ति को भूमि अन्तरित करने की अनुमति लेने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर वित्त-आयुक्त वह आवेदन उपायुक्त को भेजेगा और उपायुक्त जो उचित समझे ऐसी जाँच के बाद अपनी टिप्पणियों के साथ उस आवेदन को आयुक्त के पास भेजेगा जो ऐसे अन्तरण पर अपनी राय के अनुसार आवेदन को सरकार के पास निर्णय के लिए प्रेषित करेगा। राज्य सरकार सम्यक् विचार करने के बाद अनुमति स्वीकार या अस्वीकार करेगी। जहाँ अनुमति अस्वीकार की जाती है तो राज्य सरकार ऐसी अस्वीकृति के लिए कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करेगी और ऐसी अस्वीकृति को आवेदक के साथ-साथ उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत को संसूचित करेगी। धारा 4(1) के अधीन अनुमति को स्वीकृत या अस्वीकृत करने से पहले राज्य सरकार निम्न लिखित मामलों पर गौर करेगी -

(क) आवेदक की वित्तीय स्थिति;

(ख) आवेदक की आयु एवं शारीरिक स्थिति;

(ग) वह उद्देश्य जिसके लिए अन्तरण प्रस्तावित है और उपयुक्त स्तर पर संबंधित ग्राम सभा या पंचायत द्वारा सिफारिशें; और

(घ) मामले की परिस्थितियों में ऐसी अन्य संबंधित बातें जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझती हो।

7.4.3 भूमि का प्रत्येक अन्तरण जो उक्त कथित धारा [अर्थात् 3(1)] का उल्लंघन करते हुए किया गया है, अवैध होगा। कथित अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान है कि कोई भी अधिकार, स्वत्व या हित जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति द्वारा किसी भूमि में धारित हो किसी भी न्यायालय की डिक्री या आदेश के पालन में किसी अनुसूचित जनजाति से भिन्न किसी व्यक्ति के पक्ष में कुर्क या विक्रय नहीं किया जा सकेगा सिवाय वहाँ जहाँ राशि किसी डिक्री अथवा आदेश के अधीन राज्य सरकार या सहकारी भूमि गिरवी बैंक या सहकारी समिति को देय हो।

7.4.4 इस अधिनियम का और भी संशोधन किया गया है एवं हस्तान्तरित भूमि को वापस दिलाने की अवधि को बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया है। गिरवी रखने वाले का हित, हिमाचल प्रदेश रेस्ट्रीट्यूशन ऑफ मोर्टगेज्ड लेण्ड एक्ट, 1976 द्वारा संरक्षित करने के लिए कहा गया है जिसमें गिरवी-भूमि के कब्जे की वापसी के लिए आवेदन की तिथि से 20 वर्षों से अधिक समय से प्रभावी गिरवी की वापसी के लिए प्रावधान हैं।

7.4.5 हिमाचल प्रदेश (रेस्ट्रीक्शन्स टु कंटेस्ट अलायनेशन ओर एडोप्शन अण्डर कस्टम) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रथा के अधीन हस्तान्तरण को असम्यक् विवाद से संरक्षित किया गया है जिसमें अचल संपति के हस्तान्तरण या उत्तराधिकारी की नियुक्ति पर विवाद करने की वंशजों या सगोत्रों की शक्ति पर इस आधार पर प्रतिबन्ध लगाए हैं कि ऐसा हस्तान्तरण या नियुक्ति प्रथा के विरूद्ध थी। गैर पैतृक सम्पति पूरी तरह से विवाद से मुक्त है।

7.4.6 यदि कोई व्यक्ति धारा 3 या धारा 5 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है तो वह अधिनियम की धारा 9 के अधीन 5000/- रूपयों तक की शास्ति के लिए दायी होगा और लगातार उल्लंघन के मामले में अतिरिक्त शास्ति से दण्डित

किया जाएगा जो कि 500/-रूपए प्रतिदिन होगी जिसकी अवधि ऐसे उल्लंघन की प्रथम दोषसिद्धि से प्रारंभ कर गिनी जाएगी ।

7.4.7 ऐसा बताया गया है कि राज्य सरकार के ध्यान में कोई भी मामला नहीं आया है जिसमें जनजातीय भूमि को गैर-जनजातीय को अन्तरित किया गया हो अत: अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों की समीक्षा की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। साथ ही राज्य के अधिनियम, पीईएसए (PESA) अधिनियम, 1996 की धारा 4 (एम) (iii) के प्रावधानों के साथ संगत है।

7.5 कर्नाटक

7.5.1 कर्नाटक की राज्य सरकार ने, जनजातीय भूमि को जनजातीय व्यक्तियों या गैर - जनजातीय को अन्तरण और हस्तान्तरित भूमि को जनजातीय लोगों को वापस दिलाने के संबंध में आयोग द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली में उल्लिखित विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में, पूरी सूचना प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, उन्होंने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने द कर्नाटक शेडयूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स (प्रोहीबीशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन लेण्डस) एक्ट 1978 तथा उसके अधीन नियमावली, 1979 को निर्मित किया है। इस अधिनियम की धारा 4, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को स्वीकृत भमि को अन्तरित करने से प्रतिबंधित करती है। यह धारा बताती है कि किसी कानून में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के लागू होने के पहले या बाद में भूमि के अन्तरण का करार, अनुबन्ध या लिखत शून्य एवं अवैध होगा और ऐसे अन्तरण से कोई अधिकार, स्वत्व या हित, ऐसी भूमि में हस्तान्तरित नहीं होगा या कभी हस्तान्तरित हुआ नहीं माना जाएगा। अधिनियम केवल राज्य सरकार द्वारा आबंटित/स्वीकृत भूमि के अन्तरण पर लागू होता है, अन्य प्रकार की भूमि पर नहीं। **आयोग की राय है कि अधिनियम का विस्तार अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के स्वामित्व वाली सभी प्रकार की भूमि पर व्याप्त होना चाहिए।** अधिनियम, इसे प्रशासित करने वाले नियमों के अनुसार हस्तान्तरित भूमि की, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को वापसी का प्रावधान भी करता है।

7.5.2 उक्त उल्लिखित अधिनियम के अधीन सहायक आयुक्त को भूमि अन्तरण या हस्तान्तरित भूमि को वापस करने से संबंधित मामलों का निर्णय करने के अधिकार सौंपे गए हैं। अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों में प्रावधान है कि स्वीकृत भूमि को वापसी के लिए धारा 5 की उपधारा 1 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर सहायक आयुक्त, अन्य बातों के साथ-साथ स्वीकृत भूमि के कब्जाधरी व्यक्ति या व्यक्तियों से आपत्तियाँ दर्ज करने व दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ दावा करने की अपेक्षा करेगा। धारा 5 के तहत की गई जाँच के पश्चात् सहायक आयुक्त सभी उठाई गई आपत्तियों पर विचार करेगा और अपने निर्णय के कारणों को बताते हुए आदेश जारी करेगा और उसके बाद कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम, 1964 की धारा 39 में विशेषीकृत तरीके से कब्जाधारी व्यक्तियों को बेदखल करके ऐसी भूमि का कब्जा लेगा और ऐसी भूमि को मूल आवंटी या उसके विधिक उत्तराधिकारी को वापस करने हेतु आगे की कार्यवाही करेगा। अधिनियम की धारा 5 आगे प्रावधान करती है कि जहाँ पर भूमि को ऐसे आवंटी या उसके विधिक उत्तराधिकारी को वापस करना तार्किक रूप से व्यवहार्य न हो, ऐसी भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त होते हुए सरकार में निहित मानी जाएगी। सरकार ऐसी भूमि को, भूमि आबंटन से संबंधित नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति को आबंटित करेगी। अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि धारा 5-क के अधीन उपायुक्त के आदेशों की शर्त के अधीन, पारित कोई भी आदेश अन्तिम होगा और किसी भी न्यायालय में उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा और सहायक आयुक्त द्वारा किसी भी अपनाई गई या अपनाई जाने वालाी प्रक्रिया पर कोई भी निषेधाज्ञा स्वीकृत नहीं की जाएगी। धारा 5 (3) यह भी प्रावधान करती है कि जहाँ पर कोई अनुदित भूमि, मूल आवंटी या उसके विधिक उत्तराधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे में हो, जब तक विरूद्ध सिद्ध न हो, यह माना

जाएगा कि ऐसे व्यक्ति ने भूमि को अन्तरण के माध्यम से प्राप्त किया है जो कि अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के प्रावधानों के अधीन शून्य व अवैध है।

भूमि हस्तान्तरण मामलों का निपटान

7.5.3 कर्नाटक राज्य में भूमि हस्तान्तरण मामलों की संख्या के संबंध में कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि पछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य में 39070 एकड़ क्षेत्र के भूमि हस्तान्तरण के 10204 मामलों का पता लगाया गया। इन मामलों का आगे का विवरण इस प्रकार है-

(i)	राज्य में विभिन्न न्यायालयों में दर्ज भूमि हस्तान्तरण के कुछ मामले	9793 (36633 एकड़ क्षेत्र की व्याप्ति)
(ii)	न्यायालयों द्वारा अस्वीकृत मामलों की संख्या	5565 (22148 एकड़ क्षेत्र की व्याप्ति)
(iii)	जनजाति-लोगों के पक्ष में निर्णित मामलों की संख्या	4228 (14786 एकड़ क्षेत्र की व्याप्ति)
(iv)	मामलों की संख्या जिनमें भूमि जनजातीय लोगों को वापस दिलायी गई	4211 (14725 एकड़ क्षेत्र की व्याप्ति)
(v)	न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या	411 (2437 एकड़ क्षेत्र की व्याप्ति)

7.6 महाराष्ट्र

7.6.1 महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र में जनजातीय-भूमि के अन्तरण पर महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 द्वारा निश्चित प्रतिबन्ध आरोपित किए गए हैं जिसमें कलक्टर या डिप्टी कलक्टर की पूर्व-अनुमति के बिना जनजातीय – भूमि के अन्तरण से निषेध के प्रावधान हैं। तथापि, ऐसी अनुमति या रूटीन के रूप में जनजातीय – भूमि के अन्तरण के लिए दी गई थी। यह भी बताया गया है कि जनजातीय लोग, कर्ज और गरीबी के कारण भी अपनी भूमि बेचने को प्रेरित होते थे। तद्नुसार समस्या के अध्ययन के लिए राज्य सरकार द्वारा 1971 में एक समिति का गठन किया गया और उस समिति की सिफारिशों पर, निम्नलिखित अधिनियम लागू किए गए -

(i) महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता एवं काश्तकारी कानून (संशोधन) अधिनियम, 1974, और
(ii) महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाति भूमि प्रत्यावर्तन अधिनियम, 1975

7.6.2 महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता एवं काश्तकारी कानून (संशोधन) अधिनियम, 1974, को भू-राजस्व संहिता या उस समय प्रवर्तन में किसी कानून का उल्लंघन करते हुए दिनांक 6 जुलाई, 1974 से पूर्व गैर - जनजातीय लोगों को हस्तान्तरित की गई जनजातीय लोगों की भूमि उन्हें वापस दिलाने के लिए प्रावधान करता है। जनजातीय-भूमि के गैर जनजातीय लोगों को हस्तान्तरण पर कठोर प्रतिबन्ध लगाने हेतु संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा एक नई धारा 36 क संहिता में डाली गई। इस प्रावधान के अनुसार कोई भी जनजातीय व्यक्ति 06-07-1974 से अपनी भूमि, बिक्री, उपहार, विनिमय, गिरवी, पट्टे या अन्य प्रकार से (i) पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए गिरवी या पट्टे के मामले में कलक्टर तथा (ii) अन्य मामलों में सरकार के पूर्व अनुमोदन से कलक्टर की स्वीकृति के बिना अपनी भूमि गैर जनजातीय लोगों को अन्तरित नहीं कर सकता है।

7.6.3 राज्य सरकार ने बताया है कि अधिकतर मामलों में अनुमति सरकार द्वारा अस्वीकृत की जाती है और सरकार द्वारा अपवाद के मामलों में स्वीकृति देने से पहले निम्नलिखित प्रक्रिया का कठोरता से पालन किया जाता है-

(i) गैर जनजातीय व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित प्रतिफल के समान प्रतिफल पर अन्य जनजातीय व्यक्ति द्वारा भूमि खरीदने को पहली प्राथमिकता दी जाती है।

(ii) भूमि से जनजातीय व्यक्ति को अधिकतम लाभ पहुंचाने के निमित्त भूमि का मूल्यांकन सभी संभव तरीकों अर्थात् तैयार गणक, उप-पंजीयक, नगर योजना व पंच द्वारा किया जाता है और इन सभी तरीकों द्वारा आंकलित उच्चतम मूल्य पर विक्रय की अनुमति दी जाती है।

(iii) गैर जनजातीय व्यक्ति के लिए भूमि का भुगतान चेक द्वारा किया जाना बाध्यकारी है जो कि तहसीलदार की उपस्थिति में जनजातीय व्यक्ति के खाते में राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाता है।

(iv) यदि जनजातीय भूमि किसी संगठन, कम्पनी, उद्योग आदि द्वारा खरीदी जाती है तो उनसे जनजातीय व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारी को स्थायी नौकरी उपलब्ध कराने का वचनपत्र लिया जाता है।

7.6.4 जनजातीय भमि को गैर जनजातीय व्यक्ति या यहाँ तक कि जनजातीय व्यक्ति को अन्तरण पर शास्ती के प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार ने बताया है कि उक्त कथित संहिता 1966 (1974 में संशोधित) के प्रावधानों का उल्लंघन करके कोई जनजातीय – भूमि गैर जनजातीय व्यक्ति को अन्तरित की जाती है तो ऐसी भूमि सरकार को जब्त हो जाएगी और नाम मात्र मूल्य पर उसके मूल जनजातीय भू-स्वामी को स्वीकृत हो जाएगी। काश्तकार कानूनों के प्रावधान गैर - जनजातीय को पट्टे पर दी गई जनजातीय की भूमि पर भी लागू होते हैं और पट्टे गिरवी अवधि की समाप्ति पर पट्टे की भूमि को कलक्टर द्वारा जनजातीय व्यक्ति को कब्जा दिलाना होता है। कानून आगे प्रावधान करता है कि सरकारी बकाया की वसूली के लिए जनजातीय भूमि की नीलामी नहीं की जानी चाहिए लेकिन यह कि उसे प्रबन्धन के अधीन ले लिया जाना चाहिए और एक जनजातीय को पट्टे पर दे देनी चाहिए।

7.6.5 महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाति भूमि प्रत्यावर्तन अधिनियम 1975, में जनजातीय व्यक्ति को उसकी भूमि जो वैध प्रभावी अन्तरणों (विनिमय सहित) के परिणामस्वरूप 1 अप्रैल 1957 से 6 जुलाई 1974 की अवधि के दौरान गैर - जनजातीय व्यक्तियों के हाथों में चली गई थी, के प्रत्यावर्तन का प्रावधान है। काश्तकारी अधिनियम (काश्तकारी कानूनों के अधीन शास्ती के भुगतान पर नियमित हुई भूमि की प्राप्ति सहित) के प्रावधानों के अधीन उक्त अवधि के दौरान गैर - जनजातीय व्यक्ति द्वारा खरीदी गई या खरीदी हुई मानी गई भूमियों पर भी यह अधिनियम लागू होता हैं।

भूमि हस्तान्तरण संबंधी मामलों का निपटान

7.6.6 राज्य सरकार ने सूचित किया है पिछले पाँच वर्षों के दौरान जनजातीय भूमि अन्तरण का कोई मामला नहीं हुआ।

जनजातीय भूमि का अन्तरण

7.6.7 राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जनजातीय भूमि को गैर - जनजातीय व्यक्तियों को अन्तरण की अनुमति 74 मामलों में दी गई थी जिसमें 211.33 हेक्टेयर भूमि अन्तर्ग्रस्त थी और उनमें से 22 मामले भूमि के विनिमय के थे और एक मामला पट्टे के माध्यम से अन्तरण का था।

7.7 मणिपुर

7.7.1 मणिपुर सरकार ने जनजातीय भूमि को गैर जनजातीय व्यक्तियों को अन्तरण से रोकने के लिए मणिपुर भू –राजस्व एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1960 लागू किया है। इस अधिनियम के अधीन अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा भूमि का अन्तरण किया जा सकता है:-

(i) यदि अन्तरण अन्य अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हो;

(ii) यदि अन्तरण किसी अन्य व्यक्ति को हो तो (अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो), यह उपायुक्त की पूर्व लिखित अनुमति से किया जा सकता है; या

(iii) यदि अन्तरण एक सहकारी समिति को गिरवी द्वारा हो न कि किसी अन्य तरीके से।

7.7.2 अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, जनजातीय भूमि का अन्तरण, एक जनजातीय व्यक्ति से दूसरे जनजातीय व्यक्ति को खरीदने के अधिकार, उपहार और उत्तराधिकार आदि से किया जा सकता है। जनजातीय भूमि का गैर - जनजातीय व्यक्ति को भी अन्तरण अधिनियम की धारा 158 के प्रावधानों के अधीन किया जा सकता है। जनजातीय से गैर - जनजातीय को भूमि बेचने के संबंध में विक्रय अनुमति देने के लिए उपायुक्त सक्षम प्राधिकारी होता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि जनजातीय भूमि का गैर - जनजातीय को अधिनियम की धारा 158 के उल्लंघन के साथ हस्तान्तरण को सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा अपील/ समीक्षा/ पुनरीक्षण से गुजरना होगा। दूसरे शब्दों में यदि जनजातीय भूमि का गैर जनजातीय को सामान्य रूप में अधिनियम की किसी भी धारा या धारा 158 के प्रावधानों के उल्लंघन करके हस्तान्तरण होता है तो ऐसा अन्तरण सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा अपील/संशोधन/पुनरीक्षण के तरीके से सुधारा जाएगा। राज्य सरकार ने बताया है कि उक्त अधिनियम में जनजातीय भूमि के हस्तान्तरण को रोकने के लिए पर्याप्त प्रावधान है और इसीलिए अधिनियम के प्रावधानों के पुनरीक्षण की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

7.8 उड़ीसा

7.8.1 उड़ीसा सरकार ने जनजातीय-भूमि का गैर - जनजातीय व्यक्तियों को अन्तरण से रोकने के लिए एवं हस्तान्तरित भूमि का जनजातीय व्यक्तियों को वापस दिलाने के लिए निम्नलिखित विनियम/अधिनियम बनाएँ हैं-

(i) उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अचल सम्पति अन्तरण (अनुसूचित जनजातियों द्वारा) विनियम, 1956

(ii) उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अचल सम्पति अन्तरण (अनुसूचित जनजातियों द्वारा) विनियम संशोधन, 2002

(iii) उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 (धारा 22, 23 और 23-क)

7.8.2 जनजातीय – भूमि का अन्य जनजातीय व्यक्ति को, बिक्री, गिरवी, पट्टे, उपहार या अन्य तरीके से उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अचल सम्पति अन्तरण (अनुसूचित जनजातियों द्वारा) विनियम-2 और उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 की धारा 22, 23 और 23-क की शर्त्तों के अनुसार अन्तरण किया जा सकता है। विनियम-2 की धारा 3(1) अनुसूचित क्षेत्र में जनजातीय – भूमि का गैर - जनजातीय को अन्तरण नहीं करने का प्रावधान करती है। तथापि गैर - अनुसूचित क्षेत्रों में उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 की धारा 22 के अधीन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व-अनुमति से जनजातीय भूमि, गैर - जनजातीय को अन्तरित की जा सकती है।

7.8.3 विनियम – 2 (उक्त संदर्भित) अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूचित जनजाति सदस्यों से संबंधित अचल सम्पतियों को अनुसूचित जनजाति से भिन्न व्यक्तियों के पक्ष में अन्तरण को प्रतिषेध करता है। इसमें प्रावधान है कि कोई भी अन्तरण शून्य एवं अवैध होगा यदि यह सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किया गया हो। ऐसी स्थिति में जब कोई अन्तरण विनियम के इस प्रावधान का उल्लंघन करके किया गया

हो, सक्षम प्राधिकारी या तो स्वत: या उस उद्देश्य हेतु दायर याचिका पर ऐसे अन्तरण को अवैध घोषित करेगा और भूमि को उसके कानूनी मालिक या उसके उत्तराधिकारियों को वापस दिलायेगा। विनियम अनुसूचित जनजातियों से संबंधित भूमि पर जबरन कब्जाधारी व्यक्तियों को कब्जे से हटाने का भी प्रावधान करता है। अवैध अन्तरण एवं अनधिकृत कब्जे के संबंध में दाण्डिक कार्यवाही का प्रावधान का भी विनिमय में है।

7.8.4 विनियम में सभी प्रावधानों के होने के बावजूद भी अनुसूचित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में गैर - जनजातीय व्यक्तियों को जनजातीय भूमि का हस्तान्तरण हुआ है। इस समस्या की समाप्ति के लिए राज्य सरकार ने 1956 के विनियम – 2 में आवश्यक संशोधन (2000 के संशोधन विनियम द्वारा) किए हैं जो 04-09-2002 से प्रभावी हुआ, जिसमें निम्नलिखित कठोर प्रावधान है-

(i) धारा 3(1) के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय भूमि को गैर जनजातीय व्यक्तियों को अन्तरण पर पूर्ण प्रतिबन्ध।

(ii) धारा 3(2) के अधीन ग्राम पंचायत अवैध अन्तरण के बारे में सूचित कर सकती है।

(iii) धारा 3(1) के अधीन, यदि सम्पति का अन्तरण जनजातीय को भी हो परन्तु प्रतिफल गैर - जनजातीय व्यक्ति द्वारा दिया गया हो, तो गैर - जनजातीय को अन्तरित मानी जाएगी।

(iv) धारा 3(1) के अधीन एक अनुसूचित जनजातीय व्यक्ति जिसके पास 5 एकड़ से कम असिंचित भूमि अथवा 2 एकड़ से कम सिंचित भूमि है तो वह इसे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भी अन्तरित नहीं कर सकता।

(v) यदि पुन: प्राप्त भूमि गैर - जनजातीय व्यक्ति को नियमित की जाती है तो धारा 3(2) के अधीन ग्राम सभा और ग्राम सदन से अनुमोदन आवश्यक होता है।

(vi) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निष्कासन आदेश और प्रत्यावर्तन आदेश धारा 3 -क के अधीन की रिपोर्ट ग्राम पंचायत को भेजना आवश्यक है।

(vii) बेनामी कपटपूर्ण मामलों का पता लगाने के लिए 04-10-1956 के बाद के सभी जनजातीय भूमि अन्तरणों की वैधता परखने के लिए विस्तृत जाँच प्रावधान धारा 3- ख के अधीन बनाए गए हैं।

(viii) विनिमय की धारा 7(1) के अन्तर्गत, अपराधी को 2 वर्ष तक कठोर कारावास की सजा एवं पांच हजार तक जुर्माने की सजा तथा धारा 7(2) के अन्तर्गत उत्तरवर्ती अपराधी को 3 वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार तक जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

(ix) धारा 7 क(1) में प्रावधान अनुसार सारांश प्रक्रिया के माध्यम से सभी अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों के साथ कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा सुने जाएंगे।

(x) सभी अपराध धारा 7 क(3) के अधीन संज्ञेय हैं।

7.8.5 उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम की धारा 22 व 23 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि के अवैध हस्तान्तरण को विनियमित करती हैं। ये प्रावधान सम्पूर्ण राज्य में अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों पर लागू होते हैं। जहाँ तक अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, ये प्रावधान केवल गैर - अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होते हैं। कानून के अधीन, अनुसूचित जनजाति (गैर - अनुसूचित क्षेत्रों में) या अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा धारित का उस जनजाति या जाति से भिन्न व्यक्ति को अन्तरण अवैध होगा जब तक कि यह राजस्व अधिकारी की लिखित में पूर्व अनुमति से नहीं किया गया हो। कानून के उल्लंघन के साथ किए गए किसी अन्तरण पर 200 रूपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ जुर्माने का प्रावधान है। कानून में मूल स्वामी को भूमि वापस दिलाने का भी प्रावधान है यदि यह अवैध रूप से अन्तरित की गई हो अथवा बलपूर्वक कब्जा की गई हो।

7.8.6 संक्षेप में स्थिति यह है कि 1956 के विनियम – 2 की धारा 31 की शर्तों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय भूमि, जनजाति के व्यक्ति को ही अन्तरित की जा सकती है और किसी भी मामले में गैर जनजातीय को नहीं। दूसरी ओर, गैर - अनुसूचित क्षेत्रों में उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम की धारा 22 के अधीन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से जनजातीय भूमि का गैर - जनजातीय व्यक्ति को अन्तरण किया जा सकता है। 1956 के विनियम – 2 की धारा 2 (क ख) के अधीन उप-जिलाधीश और ओएसडी (एलआर) को अनुसूचित क्षेत्रों में सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। गैर - अनुसूचित क्षेत्रों में उप - जिलाधीश, उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 की धारा 22 के अधीन सक्षम प्राधिकारी होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय भूमि को दूसरे जनजातीय व्यक्ति को अन्तरण की प्रक्रिया 1956 के विनियम – 2 की धारा 3(2) के अधीन दी गई है। इसी प्रकार जनजातीय भूमि को अन्य जनजातीय व्यक्ति या गैर - जनजातीय व्यक्तियों को अन्तरण की प्रक्रिया, उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 की धारा 22 के अधीन दी गई है। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अवैध अन्तरण पर 1956 के विनियम – 2 की धारा 7(1) की शर्तों के अनुसार कठोर कारावास की सजा हो सकती है जो कि 2 वर्ष तक की हो सकती है या 5000/- रूपयों तक जुर्माना या दोनों हो सकता है। गैर - अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय भूमि के गैर - जनजातीय व्यक्ति को अवैध अन्तरण शून्य घोषित किया जा सकता है और उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 की धारा 23 के अन्तर्गत कब्जे के प्रत्येक वर्ष के लिए 200 रूपये प्रति एकड़ जुर्माना किया जा सकता है और भूमि को मूल स्वामी को वापस दिलायी जाती है।

7.8.7 1956 के विनियम-2 की धाराएँ 3-क, 3-ख, और 3(2) तथा उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 की धारा 23-क, गैर - जनजातीय व्यक्ति से जनजातीय व्यक्ति को उनकी भूमि वापस दिलाने का प्रावधान करती हैं यदि यह हस्तान्तरण, इन अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करके किया गया है।

भूमि हस्तान्तरण संबंधी मामलों का निपटान

7.8.8 उड़ीसा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अलग-अलग न्यायालयों में दायर भूमि हस्तान्तरण के कुल मामले 20172 हैं। इन मामलों के निपटान की स्थिति इस प्रकार है-

(i)	न्यायालयों द्वारा निपटाये मामलों की संख्या	18644
(ii)	न्यायालयों द्वारा अस्वीकृत मामलों की संख्या	3993
(iii)	जनजातीय व्यक्तियों के पक्ष में निर्णित मामलों की संख्या	14651 (13581.61 एकड़ भूमि अन्तर्ग्रस्त)
(iv)	उक्त क्रम सं. (iii) में दी संख्या में से ऐसे मामलों की संख्या जिनमें जनजातीय व्यक्ति को भूमि वापस दिलायी गई	13313 (12821.84 एकड़ भूमि अन्तर्ग्रस्त)
(v)	न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या	1528

जनजातीय भूमि का अन्तरण

7.8.9 राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वर्तमान कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जनजातीय भूमि का गैर - जनजातीय व्यक्ति को हस्तान्तरण के मूल कारण गरीबी व अशिक्षा है। साथ ही बताया है कि जनजातीय भूमि को सक्षम प्राधिकारी की बजाय निम्न स्तर के कर्मचारियों द्वारा स्वीकृति प्राप्त करके अनुमोदन से अन्तरण का कोई भी मामला राज्य सरकार की जानकारी में नहीं आया है। यह भी बताया गया है कि 2000 के संशोधित विनियम -2 जो कि 04-09-2002 को प्रभावी हुआ, के प्रवर्तन के पश्चात् पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातीय भमि के गैर - जनजातीय व्यक्तियों को अन्तरण का एक भी मामला सामने नहीं आया है।

7.8.10 राज्य सरकार ने कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से कपटपूर्ण मामलों और जनजातीय भूमि के कपटपूर्ण अन्तरण का पता लगाने के लिए ब्लॉक-स्तर पर राजस्व निरीक्षक, कल्याण विस्तार अधिकारी और अपर जिला कल्याण अधिकारी को शामिल करके एक टीम बनाई है। उन्हें ऐसे मामलों का पता लगाने का मासिक लक्ष्य दिया जाता है। जनजातीय लोगों के कल्याण के उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सब-डिविजन पर और जिला स्तर पर कार्य बल समितियाँ गठित की गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त समिति का भी गठन किया गया है।

7.9 सिक्किम

7.9.1 सिक्किम सरकार ने सूचित किया है कि अनुच्छेद 371(च) का उपवाक्य (ट) यह प्रावधान करता है कि 26 मई, 1975 (जिस दिन सिक्किम भारत का 22वाँ राज्य बना) से ठीक पहले के सभी कानून जारी रहेंगे, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के आदेश के आदेश द्वारा उन्हें संशोधित या रद्द नहीं कर दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा निर्मित जनजातीय भमि को गैर - जनजातीय व्यक्तियों को अन्तरण से रोकने वाला या हस्तान्तरित भूमि को जनजातीय लोगों को वापस दिलाने वाला आधारभूत कानून, सिक्किम कृषि भूमि हदबन्दी एवं सुधार अधिनियम, 1977 है जो 2 जून, 1978 से प्रभाव में आया। इसे 1978 के अधिनियम सं. 21 द्वारा संशोधित किया गया जो कि 28 अक्टूबर, 1978 से प्रभावी है। इस अधिनियम का अध्याय 7 "अनुसूचित जनजाति द्वारा भूमि हस्तान्तरण पर रोक" पर है।

7.9.2 अधिनियम की धारा 28 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति द्वारा उसकी भूमि या उसके हिस्से को किसी अन्य को रखने हेतु दी गई अनुमति अमान्य है। धारा 29(1) प्रावधान करती है कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि या उसके हिस्से को, अनुसूचित जनजाति के किसी दूसरे सदस्य, सरकार, सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम, अनुसूचित या राष्ट्रीयकृत बैंक या पंजीकृत निगम को अन्तरित कर सकता है।

7.9.3 अधिनियम की धारा 29(2) प्रावधान करती है कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति, राजस्व अधिकारी की लिखित अनुमति से अनुसूचित जनजाति से भिन्न व्यक्ति को अपनी भूमि का अन्तरण कर सकता है।

7.9.4 अधिनियम की धारा 31 प्रावधान करती है कि जब अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति द्वारा भूमि का अन्तरण विधिक प्रावधानों के उल्लंघन द्वारा, यहाँ तक कि धारा 29 की उपधारा (2) की शर्तों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से भी, किया जाना पाया जाता है तो राजस्व अधिकारी अपने आप या उस ओर से किए गए आवेदन पर अन्तरित भूमि को अन्तरक या उसके उत्तराधिकारियों को वापस दिलाने का आदेश करेगा। यदि उपधारा (1) के अधीन निष्कासन या उपधारा (2) के अधीन प्रत्यावर्तन का आदेश का ऐसे आदेश के जारी होने के तीस दिनों के अन्दर, अनुपालन नहीं किया जाता है तो राजस्व अधिकारी या तो अच्छे व पर्याप्त कारणों से अवधि को बढ़ा सकेगा या ऐसे निष्कासन को प्रभावी बनाने और जनजातीय स्वामी को भूमि वापस दिलाने के लिए यथा आवश्यक बल का प्रयोग करने हेतु जिला कलेक्टर से माँग करेगा। साथ ही किसी भी न्यायालय द्वारा अनुसूचित जनजाति से संबंधित भूमि के विक्रय के लिए, सरकारी बकाया की वसूली या अन्य लोक माँगों की स्थिति को छोड़कर, आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। यदि धारा 31 के अधीन राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आदेश से कोई व्यक्ति क्षुब्ध होता है तो वह ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि में, धारा 13 के अधीन गठित, अभिकरण में अपील कर सकता है।

7.9.5 सिक्किम कृषि भूमि हदबन्दी एवं सुधार अधिनियम, 1977 की धारा 19(1), 19(2) और 19(3) के अधीन एक जनजातीय व्यक्ति अपनी भूमि को गैर - जनजातीय को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार अन्तरित कर सकता है

(क) उस व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य के रखरखाव, शिक्षा, विवाह या इलाज के खर्चों की पूर्ति के लिए, या

(ख) सरकार या अन्य स्थानीय प्राधिकारियों को देय किसी राशि का भुगतान करने के लिए, या

(ग) पूर्णतया धार्मिक या अन्य धमार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित संस्थानों को उपहार देने के उद्देश्य के लिए

(घ) किसी उद्योग की स्थापना या चलाने के लिए

(ड.) ऐसे अन्य उद्देश्य के लिए जिन्हें विहित किए जाएं

7.9.6 धारा 19 यह भी प्रावधान करती है कि कोई भी प्राधिकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके अन्तरण का कोई दस्तावेज पंजीकृत नहीं करेगा या किसी भी प्रकार से सिविल, आपराधिक या राजस्व का क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला कोई भी न्यायालय उसे वैध मान्यता नहीं देगा। भूमि से संबंधित सभी शक्तियाँ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अधिकारी में निहित की गई लेकिन ऐसे प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है क्योंकि सिक्किम सरकार अनुच्छेद 371(च) द्वारा संरक्षित पुराने कानूनों का ही अनुसरण कर रही है।

7.9.7 राज्य सरकार ने जनजातीय भूमि को गैर - जनजातीय को अन्तरण के लिए कोई प्रक्रिया नहीं बनाई है। वह 1917 के राजस्व आदेश सं. 1 का अनुसरण कर रही है जो भुटिया/लेप्चाओं से संबंधित भूमि को गैर – भुटिया/लेप्चाओं को हस्तान्तरित करने से प्रतिबंधित करती है। अधिनियम/ अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करके जनजातीय भूमि को गैर - जनजातीय को किए गए अथवा जनजातीय को भी हस्तान्तरण के लिए कोई दाण्डिक प्रावधान नहीं है।

7.9.8 ऐसा देखा गया है कि सिक्किम कृषि भूमि हदबंदी एवं सुधार अधिनियम, 1977 के प्रावधान पेसा(PESA) अधिनियम, 1996 की धारा 4 (एम) (iii) के प्रावधानों से संगत नहीं है। सिक्किम राज्य सरकार ने उपरोक्त अधिनियम में 1978 के बाद कोई संशोधन नहीं किया है।

7.9.9 सिक्किम सरकार भूमि मामलों में पुराने कानूनों का अनुसरण कर रही है और 1917 के राजस्व आदेश सं. 1 के अनुसार भुटिया और लेप्चाओं को उनसे संबंधित किसी भी भूमि को गैर – भुटिया या गैर – लेप्चाओं को, दरबार या दरबार द्वारा सशक्त किए अधिकारियों की अभिव्यक्त स्वीकृति के अलावा, बिक्री गिरवी या उप – किरायेदारी पर देने की अनुमति नहीं है। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि भूमि हस्तान्तरण का कोई मामला नहीं हुआ है।

7.10 उत्तर प्रदेश

7.10.1 उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश भूमि कानून (संशोधन) अधिनियम, 1982 बनाया है जो कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 को संशोधित करने के लिए पारित किया गया था। अधिनियम की धारा 157(ख) की शर्तों के अनुसार इस राज्य में अनुसूचित जनजाति द्वारा बिक्री, उपहार, पट्टे या अन्य प्रकार से गैर - अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अपनी भूमि को अन्तरित करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

7.10.2 धारा 157(ख) (ख) की उपधारा (3) यह प्रावधान करती है कि एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अधिनियम की धारा 131(ख) के अधीन धारित रखते हुए अपनी भूमि को धरा 157 (ख) (ख)(4) की शर्तों के अनुसार सहायक कलेक्टर की पूर्व अनुमति से अन्य अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अन्तरित कर सकता है। धारा 157 (ख)(ख) की उपधारा 3 में यह भी प्रावधान है कि अनुसूचित जनजाति के खरीददार की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में, एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, धारा 157 (ख)(ख) की उपधारा (4) की शर्तों के अनुसार सहायक कलेक्टर की पूर्व अनुमति से, अपनी भूमि को अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अन्तरित कर सकता है।

7.10.3 धाराएं 166 और 167 प्रावधान करती हैं कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके किया गया भूमि का अन्तरण शून्य और अवैध होगा और ऐसी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। इसका तात्पर्य है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से बिक्री, गिरवी, पट्टे या अन्य प्रकार से अपनी भूमि अन्तरित की, वह उसे अन्तरित नहीं होगी लेकिन अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति उसकी भूमि पर अनधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया अतिक्रमण अधिनियम की धारा 211 के अधीन रद्द करवा सकता है।

7.10.4 राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश भूमि कानून (संशोधन) अधिनियम, 1982 के प्रावधान पेसा (PESA) अधिनियम, 1996 की धारा 4 (एम)(iii) से संगत है।

7.11 पश्चिम बंगाल

7.11.1 पश्चिम बंगाल सरकार ने जनजातीय – भूमि के हस्तान्तरण को रोकने एवं हस्तान्तरित जनजातीय भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955 लागू किया है। अधिनियम के अध्याय II-क के अधीन धारा 14क से 14झ का संबंध जनजातीय भूमि के अन्तरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं का निपटारे से है।

7.11.2 उक्त अधिनियम की धारा 14 ग में अनुसूचित जनजातियों द्वारा भूमि के अन्तरण के विभिन्न तरीकों के लिए प्रावधान है। यह बताती है कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक रैयत अपनी भूमि का प्लॉट या उसका हिस्सा निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक प्रकार से अन्तरित कर सकता हैं-

(i) सात वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति के साथ पूर्णतः गिरवी रखकर
(ii) सरकार या लोक अथवा धमार्थ सहकारी समिति के लिए बिक्री या उपहार द्वारा
(iii) सरकार या पंजीकृत सहकारी समिति को साधारण गिरवी द्वारा
(iv) भूमि के विकास के लिए या कृषि-उत्पादन में सुधार के लिए अनुसूचित बैंक, सहकारी भूमि गिरवी बैंक या केन्द्र या राज्य सरकार अथवा दोनों के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम के पक्ष में स्वत्व विलेख जमा करके गिरवी या सामान्य गिरवी द्वारा
(v) अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति के पक्ष में उपहार या वसीयत द्वारा
(vi) अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसी व्यक्ति के पक्ष में बिक्री या विनिमय द्वारा

7.11.3 अधिनियम की धारा 14 ग यह भी प्रावधान करती है कि एक जनजातीय रैयत, राजस्व अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति से अपनी भूमि के प्लॉट या उसके किसी हिस्से को अनुसूचित जनजाति से

भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय द्वारा अन्तरित कर सकता है। यह भी प्रावधान है कि राजस्व अधिकारी द्वारा ऐसी अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह संतुष्ट नहीं हो जाता है कि अनुसूचित जनजाति का कोई भी खरीददार भूमि के उस प्लॉट या उसके किसी हिस्से के लिए उचित बाजार मूल्य देने का इच्छुक नहीं है तथा यह कि प्रस्तावित बिक्री निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों को पूरा करने के इरादे से है -

(i) भूमि के प्लॉट के किसी अन्य भाग के विकास के लिए
(ii) निवेश के लिए
(iii) विहित किए गए अन्य उद्देश्यों के लिए

7.11.4 अधिनियम की धारा 14 घ प्रावधान करती है कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित रैयत द्वारा किसी भूमि या ऐसी भूमि में उसके हित का कोई भी अन्तरण वैध नहीं होगा जब तक वह पंजीकृत लिखत द्वारा नहीं किया गया हो। धारा 14ड. में राजस्व अधिकारी को अधिकार दिये गए है कि वह द्वारा धारा 14 ग की उपधारा (1) की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए तथा इस उप धारा के अधीन दिए गए परन्तुक का अवलोकन करते हुए अनुसूचित जनजाति के रैयत द्वारा किए गए अन्तरणों को रद्द कर सके एवं अन्तरित भूमि के प्लॉट या उसके हिस्से को अन्तरक या उसके उत्तराधिकार में उत्तरजीवियों को वापस दिला सके।

7.11.5 अधिनियम की धारा 14 ज प्रावधान करती है कि आदेश की तिथि से तीस दिनों के भीतर की गई अपील क्षेत्राधिकार वाले मुंसिफ के समक्ष होगी और उसका आदेश अन्तिम होगा। तथापि इस धारा का परन्तुक प्रावधान करता है कि अपील पर मुंसिफ के आदेश के संशोधन या परिवर्तन के लिए आवेदन जिला न्यायाधीश के सामने आदेश के साठ दिनों के अन्दर दिया जा सकता है।

7.11.6 अधिनियम की धारा 14 झ प्रावधान करती है कि कपट के आधार अथवा क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार को छोड़कर किसी भी अन्य परिस्थिति में राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द करने या असहमति का कोई भी मामला सिविल न्यायालय में सुना नहीं जाएगा।

7.11.7 राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में पिछले पाँच वर्षों के दौरान भूमि हस्तान्तरण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है।

अध्याय–8

मामलों का अध्ययन

8.1 दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली

8.1.1 आयोग को अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तिगत सदस्यों या उनके संगठनों आदि से बड़ी संख्या में प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं। ये प्रतिवेदन/पीटीशन या तो (i) सेवाओं/पदों में आरक्षण के निर्देशों के उल्लंघन या (ii) अनुसूचित जनजातियों के विकास की सामाजिक -आर्थिक समस्याओं जैसे शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश, भूमि हस्तान्तरण मामलों आदि से संबंधित समस्याओं से संबंधित और (iii) गैर - अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार से संबंधित होते हैं। ये प्रतिवेदन आयोग द्वारा दिए गए समय तक पूरे तथ्य प्रस्तुत करने के निवेदन के साथ केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के संबंधित संगठनों को भेजे जाते हैं। संबंधित संगठन द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का आयोग द्वारा परीक्षण किया जाता है और यदि आयोग को लगता है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को या तो संविधान द्वारा या किसी कानून अथवा सरकार के आदेश द्वारा दिए गए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन हुआ है तो आयोग संबंधित संगठन को सुधार के उपाय करने की सलाह देता है। संबंधित संगठनों को आयोग की सिफारिशों/टिप्पणियों पर दिए गए समय के अन्दर अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति के बारे में आयोग को सूचित करने के लिए कहा जाता है।

8.1.2 विभिन्न विकास योजनओं की कार्यान्वयन स्थिति एवं जाँच की प्रगति और पुलिस अधिकारियों व न्यायालयों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार के मामलों के निपटान को मॉनीटर एवं पुनरीक्षित करने के लिए राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों का भ्रमण करके मुख्य सचिवों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकें कर आयोग, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ चर्चा करता है। ये बैठकें सामान्यतया, जनजातीय बस्तियों, छात्रावासों, आश्रम-स्कूलों आदि के निरीक्षण और विकास परियोजनओं पर प्रभाव पर उनके साथ परिचर्चा के बाद होती हैं। आयोग ने पाया है कि अनुसूचित जनजातियों की वास्तविक समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों की रूचि एवं संलग्नता को बढ़ाने में ये भ्रमण एवं बैठकें बहुत ही सहायक रही हैं और उसके अनुसार उन्हें सुधारात्मक उपाय करने और उपयुक्त एवं संगत नीतियाँ अपनाने के लिए उचित शुरूआत करने को कहा जाता है। राज्य-स्तरीय समीक्षा बैठकें सामान्यतया सदस्य/सदस्यों के साथ अध्यक्ष द्वारा ली जाती हैं।

8.1.3 आयोग जिला स्तर के अधिकारियों के साथ, विकास योजनाओं के प्रभाव एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचारों के मामलों की छानबीन के लिए समीक्षा बैठकें करता है और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वालों सहित सभी जनजातीय लोगों को लाभ के प्रवाह को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण के साथ परियोजनाओं के बेहतर एवं अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुधारात्मक कार्यवाही का सुझाव देता है और अत्याचार के मामलों एवं भूमि-हस्तान्तरण आदि से संबंधित मामलें या तो जिला प्रशासन के पास या न्यायालयों में लम्बित है, की जाँच व निपटान शीघ्र करने की भी सलाह देता है। आयोग, जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करने से पहले मूल वास्तविकताओं एवं विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं की कार्यान्वयन प्रास्थिति को सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय नेताओं या जनजातीय संगठनों के सदस्यों के साथ परिचर्चा करता है।

8.1.4 आयोग, विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती में आरक्षण निर्देशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय संस्थानों सहित केन्द्र सरकार एवं विभिन्न केन्द्रीय लोक उपक्रमों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे संगठनों/कार्यालयों के साथ भी समीक्षा बैठकें करता है। आयोग, अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक - आर्थिक प्रगति के लिए विकास परियोजनाओं की क्रियान्वयन परिस्थिति का मूल्यांकन भी करता है। आयोग की ये समीक्षा बैठके सामान्यतया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों से बाद आयोजित की जाती हैं। ये संघ उन संगठनों में कार्य कर रहे होते हैं जो इन संगठनों में कार्यरत अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों को समझने वाले होते हैं।

8.1.5 आयोग ने (i) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों (ii) केन्द्रीय लोक उपक्रमों और (iii) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से समीक्षा बैठकों का आयोजन करने के उद्देश्य से सूचना प्राप्त करने हेतु प्रश्नावलियों के तीन सेट विकसित किए है। आयोग सामान्यतया संबंधित प्रश्नावली में विस्तृत सूचना प्राप्त होने के बाद ही समीक्षा करता है। जिला स्तर पर समीक्षा बैठके आयोजित करने के लिए अलग प्रश्नावली होती है। ये बैठकें, सामान्यतया आयोग के सदस्य/सदस्यों द्वारा, जब भी वह/वे जिला/तालुका स्तर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों के आयोजन का प्रस्ताव करते हैं, ली जाती हैं।

8.2 सेवा मामलों से संबंधित मामले

8.2.1 जैसा कि ऊपर बताया गया है आयोग को अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और केन्द्र सरकार के अधीन संगठनों में विभिन्न सिविल पदों और सेवाओं की सीधी भर्ती या पदोन्नति में आरक्षण निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं। आयोग के मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों/आवेदनों में से 50 प्रतिशत से अधिक तो सेवा मामलों से संबंधित होते हैं। इन आवेदनों को आयोग में जाँचा जाता है और संबंधित संगठनों से पैरावार टिप्पणियाँ माँगी जाती है। आयोग, आवेदन में दिए गए बिन्दुओं एवं संबंधित संगठनों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर आवेदन कर्ता की शिकायतों पर अन्तिम मत बनाता है और उसी के अनुसार उन्हें सुधारात्मक कार्यवाही करने की सलाह देता है। संबंधित संगठन द्वारा भेजे गए उत्तर की एक प्रतिलिपि आवेदनकर्ता को उसकी सूचना के लिए भेजी जाती है और आवेदनकर्ता द्वारा अतिरिक्त सामग्री के साथ प्रत्युत्तर भेजने की स्थिति में उसको संबंधित संगठन के साथ परामर्श करते हुए फिर से परखा जाता है। यदि बार-बार अनुस्मारक भेजने के बाद भी संबंधित संगठन से आवेदन/प्रत्युत्तर में उठाये गए बिन्दुओं पर आयोग को उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग, संगठन के प्रमुख और /या उस संगठन के किसी वरिष्ठ अधिकारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष/सदस्य/सचिव के साथ चर्चा करने के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित होने को आमंत्रित करता है। परिचर्चा के बाद लिए गए निर्णय रिकार्ड में लिए जाते हैं और खास अवधि के अन्दर आयोग की सलाह/अनुशंसा पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संबंधित संगठन को भेजे जाते हैं।

8.2.2 जगह की कमी उन सभी मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं देती जो आयोग में सफलतापूर्वक निपटाये गए। तथापि, आयोग, आगे दिए गए अनुच्छेदों में, कुछ महत्वपूर्ण मामलों का संक्षेप में उल्लेख करना पसन्द करेगा।

8.2.3 दिल्ली पुलिस में अनुसूचित जनजाति से संबंधित श्री मोहर सिंह और 32 अन्य हेड कांस्टेबलों ने यह कहते हुए आयोग में अभ्यावेदन किया कि सहायक सब-इन्सपेक्टर (कार्यकारी) में अनुसूचित जनजाति के आरक्षित रिक्तियों का बहुत बड़ा बैकलॉग है। आयोग ने पुलिस आयुक्त के सामने

मामले को उठाया और उन्हें आवेदनकर्ताओं की शिकायतों के बारे में विस्तृत टिप्पणियाँ भेजने का अनुरोध किया। आयोग को अगस्त, 2006 में सूचित किया गया कि फीडर लाईन अर्थात् हेड कांस्टेबल (कार्यकारी) में उपयुक्त/योग्य अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार विचारार्थ उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में 109 पद रिक्त पड़े हैं। यह कहा गया कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित योग्य उम्मीदवार पदोन्नति के लिए न तो सामान्य जोन में और न ही विस्तारित जोन में विचारार्थ उपलब्ध थे। दिल्ली पुलिस के आयुक्त से निवेदन किया गया कि तदर्थ पदोन्नति के संबंध में डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 15 मार्च, 2002 में दिए गए निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के योग्य हेड कांस्टेबलों को तदर्थ आधार पर एएसआई (कार्यकारी) पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाए। ज्ञापन में प्रावधान है कि वास्तविक रिक्तियों की रेंज में योग्य पाये गए एससी/एसटी उम्मीदवारों की संख्या, यदि रिक्तियाँ नियमित आधार पर भरी जाती तब उनके हिस्से में आई पहचानी गई रिक्तियों से कम है, तो आवश्यक विस्तार तक अतिरिक्त एससी/एसटी उम्मीदवार इस शर्त पर कि वे ऐसी तदर्थ नियुक्ति के लिए योग्य व ठीक हैं, वरिष्ठता सूची में नीचे जाते हुए ढूंढे जाने चाहिए। दिल्ली पुलिस ने उनके 12 अप्रैल, 2007 के पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि उन्होंने छः महीनों की अवधि या उस समय तक जबकि नियमित पेनल बनाया जाए और पदोन्नति के लिए अधिकारी उपलब्ध हो जाएँ, 226 हेड कांस्टेबल (कार्यकारी) को तदर्थ आधार पर सहायक सब-इन्सपेक्टर (कार्यकारी) के पद पर पदोन्नत कर दिए जिनमें 109 अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित थे। आयोग के हस्तक्षेप ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 109 योग्य हेड कांस्टेबलों को तदर्थ आधार पर एएसआई (कार्यकारी) के रूप में पदोन्नति पाने में सहायता की।

8.2.4 सुश्री कल्पना कनाके, वरिष्ठ अधीक्षक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली में होस्टेस ने सहायक विमानपत्तन प्रबंधक के पद पर पदोन्नति के लिए आयोग में नवम्बर, 2005 में अभ्यावेदन दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें 8 वर्ष 6 माह की सेवा पूरी करने के बाद मार्च 1998 में एफसीएस (फ्लेक्सीबल कॉम्पलीमेंटिंग स्कीम) दिया गया। उन्होंने बताया कि इस स्कीम में उन्हें सभी वित्तीय लाभ दिए गए किन्तु न तो पद स्थायी था और न ही उन्हें कोई प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान की गई। उन्होंने यह भी बताया कि एफसीएस में 8 वर्ष की सेवा पूरी करने के बावजूद सहायक विमानपतन प्रबंधक के पद पर अगली पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा हेतु उन पर विचार नहीं किया जा रहा था। आयोग ने दिसम्बर, 2005 में अध्यक्ष भारतीय विमानपतन प्राधिकरण के समक्ष मामला उठाया और उनके साथ लम्बे पत्राचार के पश्चात् आयोग को 14 मार्च, 2007 को सूचित किया गया कि सुश्री कनाके को संशोधित वेतन श्रृंखला रू0 8000-16,340 में 01-04-1996 से भूतलक्षी प्रभाव से वरिष्ठ अधीक्षक होस्टेस पद पर पदोन्नति कर दिया गया है। आयोग को यह भी सूचित किया गया कि सुश्री कनाके को फ्लेक्सीबल कॉम्पलीमेंटिंग स्कीम के अधीन 01-04-2002 से रू0 10,750-16,750 की उच्च वेतन श्रृंखला भी स्वीकृत की गई।

8.2.5 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संगठन, नई दिल्ली के महासचिव ने श्री सुमार्की लालू, वरिष्ठ अधीक्षक (कार्यालय), इन्दिरा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली का स्थानान्तरण, उमरोई हवाईअड्डा या बारदोलोई हवाई अड्डा गुवाहाटी में करने के लिए अभ्यावेदन दिनांक 19-04-2006 इस आधार पर भेजा कि श्री सुमार्की लालू की माँ क्रॉनिक अस्थमा से पीड़ित थीं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। आयोग ने जून, 2006 में इस मामले को अध्यक्ष, भारतीय विमानपतन प्राधिकरण के समक्ष उठाया। भारतीय विमानपतन प्राधिकरण ने 25 अगस्त, 2006 को आयोग को सूचित किया कि श्री सुमार्की लालू को 17 अगस्त, 2006 को जारी आदेश द्वारा इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गुवाहाटी हवाई अड्डे को स्थानान्तरित कर दिया गया।

8.2.6 नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (एनआईसीएल), चेन्नई के सहायक प्रशासनिक अधिकारी (एएओ), (रोजगार सं. 45956) श्री वी दोरोई स्वामी ने सितम्बर, 2005 में प्रशासनिक अधिकारी/सहायक प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन भेजा। आयोग ने नवम्बर, 2005 में मामले को एनआईसीएल, कोलकाता(मुख्यालय) के सीएमडी के समक्ष उठाया। एनआईसीएल के प्राधिकारियों ने आयोग को 12-12-2005 को सूचित किया कि आवेदक, पदोन्नति के लिए योग्य नहीं था और यह कि उनका चेन्नई स्थानान्तरण, ट्रांसफर एण्ड मोबीलिटी पॉलीसी के तहत संभव नहीं है और यह भी कि नरम रवैया अपनाते हुए उन्हें पाण्डिचेरी में स्थानान्तरित किया गया जो चेन्नई से 150 किलोमीटर दूर था। इस स्थिति से आवेदक को अवगत कराने पर उन्होंने मार्च, 2006 में आयोग को प्रत्युत्तर दिया, जिसे फिर से एन आई सी एल, कोलकाता के प्राधिकारियों के समक्ष उठाया गया। एन आई सी एल प्राधिकारी अपने पूर्व कथन पर डटे रहे कि आवेदक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं था। चेन्नई में उनके स्थानान्तरण के संबंध में कहा गया कि अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को तुलनात्मक रूप से नजदीकी स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिए और उसके अनुसार श्री स्वामी को पाण्डिचेरी में तैनात किया गया। मामले पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा उनके कक्ष में 14-07-2006 को सी.एम.डी., एन.आई.सी.एल. के साथ विचार –विमर्श किया गया। सी.एम.डी. ने आयोग को आश्वस्त किया कि पदोन्नति के मामले से संबंधित आवेदक की शिकायत पर नये सिरे से गौर किया जाएगा। आयोग को मई, 2007 में आवेदक द्वारा सूचित किया गया कि उन्हें सहायक प्रबन्धक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया।

8.2.7 श्री बी.एस.मीणा ने अप्रैल, 2006 में उनकी सेवा में बहाली के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया। यह पाया गया है कि श्री मीणा, नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड में हिन्डौन सिटी, जिला-करौली (राजस्थान) में विकास अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे और यह कि अगस्त, 1996 से अप्रैल, 2004 की अवधि के दौरान उन पर कई अपराधों के लिए चार्जशीट लगाई गई और जाँच अधिकारी को पहली छः चार्जशीटों के संदर्भ में प्राप्त जानकारियों के आधार पर वेतनवृद्धि रोकने, विशेषीकृत स्तरों पर मूल वेतन में कटौती आदि शास्तियाँ उन पर डाली गई। सातवीं चार्जशीट उनको 05-04-2004 को जारी की गई जिसके संदर्भ में जाँच अधिकारी ने चार्ज शीट को सिद्ध मानने का निष्कर्ष निकाला और दिनांक 23-11-2005 के आदेश द्वारा श्री मीणा पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दण्ड आरोपित किया गया। एन.आई.सी.एल. द्वारा उपलब्ध करायी गई टिप्पणियों के आधार पर श्री मीणा के मामले पर पहली बार दिनांक 14-07-2006 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन के कक्ष में सुनवाई में कम्पनी के सी.एम.डी और अन्य अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। आयोग ने पाया कि कवर नोट में दिखाई गई आरोपित भूल इतनी गंभीर नहीं थी कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड दिया जाए। एन.आई.सी.एल. के सी.एम.डी. ने श्री मीणा के विरूद्ध सतर्कता मामलों की समीक्षा करने की सहमति दी। जब आयोग ने पाया कि उनके विरूद्ध सतर्कता मामलों की कम्पनी द्वारा समीक्षा करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई तो, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के चेयरमैन के कक्ष में 28-09-2006 को दूसरी सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें सी.एम.डी. दिनांक 23-11-2005 के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हुए और श्री मीणा की सेवा में बहाली पर इस शर्त के साथ सहमति जताई कि उन्हें कम्पनी में विकास अधिकारी के कर्तव्यों से हटाकर प्रशासन से संबंधित कार्य सौंपा जाएगा। एन.आई.सी.एल के प्राधिकारियों ने दिनांक 08-12-2006 के उनके पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि श्री बी.एस.मीणा को कम्पनी ने विकास अधिकारी, ग्रेड-I(प्रशासन) के पद पर सेवा में बहाल कर दिया और उनको उस पद पर उनके कार्यग्रहण की तारीख से प्रारम्भिक मूल वेतन लेने की अनुमति दी गई।

8.2.8 अनुसूचित जनजाति कल्याण संगठन, एफ.सी.आई. दक्षिण क्षेत्र के क्षेत्रीय सचिव श्री बी. चेक्रे नायक से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसके साथ श्री वी.आर.मलगमणि का आवेदन था जो डी.जी.एम.

पद पर उनकी पदोन्नति पर हैदराबाद में एफ.सी.आई के क्षेत्रीय कार्यालय में तैनाती के संबंध में था। यह पाया गया कि डी.जी.एम. के पद पर पदोन्नति पर श्री मलगमणि को कांडला बन्दरगाह कार्यालय में तैनात किया गया था। आयोग ने यह मामला, जनवरी, 2007 में एफ.सी.आई., नई दिल्ली के सी.एम.डी. के सामने उठाया। एफ.सी.आई. के प्राधिकारी आवेदक के तैनाती स्थान को बदलने के लिए सहमत नहीं थे। आयोग ने पाया कि मलगमणि की शिकायत उचित थी क्योंकि उनकी सेवा निवृत्ति में केवल दो वर्ष शेष थे और उनकी पदोन्नति पर दूरस्थ स्थान पर तैनाती सरकार के सामान्य नियमों के खिलाफ थी कि किसी अधिकारी की सेवानिवृत्ति से तीन वर्ष पहले उसको दूरस्थ स्थान पर स्थानान्तरण जहां तक संभव हो नहीं किया जाएगा।अत: आयोग ने मामले पर एफ.सी.आई., नई दिल्ली के सी.एम.डी. के साथ विचार -विमर्श का निर्णय किया और तद्नुसार एफ.सी.आई. के सी.एम.डी. और अन्य वरिष्ठ अधिकारी दिनांक 10-04-2007 को चर्चा के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। परिचर्चा के दौरान आयोग को पता चला कि श्री मलगमणि की 1994 में सीधी भर्ती से उप प्रबन्धक (जी.एन.एल./प्रशासन) के रूप में नियुक्ति की गई थी और उन्होंने प्राधिकारियों की संतुष्टि के साथ कर्त्तव्यों का निर्वहन सात स्थानों अर्थात् मिदनापुर (पश्चिम बंगाल), सम्बलपुर (उड़ीसा), बैंगलोर, हैदराबाद, कोलम/अलेप्पी, हुबली (कर्नाटक) और वारंगल पर किया। आयोग ने पाया कि इन तैनातियों से साफ था कि श्री मलगमणि ने आयोग या एफ.सी.आई. प्राधिकारियों को निवेदन किए बिना अपने गृहनगर से दूर कार्य किया। आयोग ने यह भी देखा कि भारत सरकार के सामान्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार सेवा के अन्तिम तीन वर्षों के लिए कर्मचारी को उसके गृहनगर या उसके नजदीक तैनात किया जाना चाहिए ताकि उसे सेवानिवृत्ति के बाद समायोजित होने में कठिनाई नहीं हो। यह भी देखा गया कि दिनांक 08-12-2006 के आदेश से डी.जी.एम. पद पर पदोन्नत पाँच अधिकारियों में से तीन अधिकारी उनसे कम उम्र के थे और तब भी उन्हें उसी स्थान पर रखा गया जबकि श्री मलगमणि, जिन्होंने पिछले 12 वर्षों की सेवा में 6 स्थानों पर कार्य किया और परिणामस्वरूप वारंगल में केवल 7 महिने ही सेवा की, उन्हें सेवा अवधि के अन्तिम चरण में दूरस्थ स्थन पर स्थानान्तरित किया गया। एफ.सी.आई. के सी.एम.डी., श्री मलगमणि को डीजीएम (क्षेत्र) की सेवानिवृत्ति से रिक्ति पद पर हैदराबाद में तैनाती पर विचार करने के लिए सहमत हुए। एफसीआई के प्राधिकारियों ने दिनांक 24-04-2007 के पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि श्री मलगमणि के डीजीएम(सामन्य) के रूप में पदोन्नति पर तैनाती को संशोधित किया था और कार्यालय आदेश, दिनांक 23-04-2007 के द्वारा अब उन्हें हैदराबाद में तैनात किया गया।

8.2.9.1 एफसीआई, अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संगठन, काजीपेट, जिला-वारंगल आन्ध्र प्रदेश के क्षेत्रीय सचिव (दक्षिण) श्री बी.चक्रे नायक ने एफसीआई (दक्षिण क्षेत्र) में आरक्षण निर्देशों का अनुपालन न होने तथा एफसीआई में अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की कुछ अन्य शिकायतों के संबंध में इस आयोग में अभिवेदन दिया। ये शिकायतें विशेष रूप से योग्य अनुसूचित जनजाति अधिकारियों की पदोन्नति से इन्कार, अनुसूचित जनजाति के पदों का अनुसूचित जाति से विनिमय तब भी जबकि उक्त विनिमय पर 06-11-2003 से प्रतिबंध लगा दिया था, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के बड़े बैकलॉग को नहीं भरने और रिक्ति आधारित रोस्टरों को पद आधारित रोस्टरों में बदलने से संबंधित डीओपीटी के दिनांक 02-07-1997 के कार्यालय ज्ञापन के निर्देशों के अनुरूप विभिन्न पदों के लिए आरक्षण रोस्टर नहीं रखने के कारण अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों की गलत गणना होने से संबंधित थीं। आयोग ने मामले को एफसीआई के क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई के साथ उठाया। क्योंकि कुछ समय तक क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुआ, आयोग ने एफसीआई चेन्नई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा का निर्णय लिया और तद्नुसार आयोग में 4 जनवरी 2007 को सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें कार्यकारी निदेशक (दक्षिण क्षेत्र) और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

8.2.9.2 चर्चा के दौरान एफसीआई अधिकारियों ने इंगित किया कि बिना भरी रिक्तियों पर अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को पदोन्नत करना संभव नहीं था क्योंकि वे सामान्य या विस्तारित विचार जोन में नहीं आते। आयोग ने सुझाव दिया कि जब आवश्यक अवधि की सेवा के अनुसूचित जनजाति के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते, एफसीआई, दिनांक 15 मार्च, 2002 के डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन की शर्तों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को तदर्थ आधार पर पदोन्नति से भरने पर विचार करें। एफसीआई, आयोग के सुझावों के अनुसार कार्य करने को सहमत हुआ। एफसीआई के अधिकारियों द्वारा आयोग के समक्ष रखे कुछ रोस्टरों का निरीक्षण करने पर आयोग को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इन रोस्टरों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों की गणना कई कमियों के कारण गलत हुई। आयोग ने कहा कि ऐसा निष्कर्ष निकालने का पूरा कारण है कि अन्य पदों के रोस्टरों के संबंध में भी डीओपीटी के दिनांक 02-07-1997 के निर्देशों का उल्लंघन हुआ। आयोग ने पाया कि एफसीआई (दक्षिण क्षेत्र) के लिए तत्काल आवश्यक था कि सरकारी निर्देशों के अनुसार सभी रोस्टर फिर से बनाएं जाएं और उसके अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग के हिस्से की फिर से गणना की जाए। जैसा कि बैठक में निर्णय लिया गया, जयपुर में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक, डा0 जी.एस. सोमावत ने एफसीआई, दक्षिण क्षेत्र में 22, 23 और 24 जनवरी, 2007 को सामन्य आधार पर चयनित पदों के लिए निरीक्षण किया। एफसीआई को निरीक्षण की एक प्रति 22-02-2007 को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने के लिए भेजी गई।

8.2.9.3 आयोग ने देखा कि एफसीआई (दक्षिण क्षेत्र) में विभिन्न श्रेणियों के पदों में आरक्षित कई रिक्तियों की अदला-बदली (विनिमय) की गई और डीओपीटी के दिनांक 6 नवम्बर, 2003 के कार्यालय ज्ञापन सं0 36012/17/ 2002-स्थापना (आरक्षण) में जारी निर्देशों के अनुसार पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगाने के बावजूद अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरी गई। आयोग ने देखा कि अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के साथ अनुसूचित जनजाति अंकों की अदला-बदली का परिणाम अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की अधिकता होना था और परिणामस्वरूप अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के विहित कोटे में कमी हुई। एफसीआई(दक्षिण क्षेत्र) के अधिकारियों से उक्त संदर्भित डीओपीटी के निर्देशों के पैरा 6 के अनुसार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को समायोजित करके अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों पर पुनः काम करने का निवेदन किया गया।

8.2.9.4 संगठन द्वारा आयोग के ध्यान में लाया गया कि एफसीआई, दक्षिण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की शिकायतों, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को पदोन्नति से वंचित करने और अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों को अनुसूचित जाति की रिक्तियों से काफी संख्या में अदला-बदली के संबंध में गठित के.एल.राव समिति ने विस्तृत रिपोर्ट वर्ष 1992 में प्रस्तुत की। इसमें एफसीआई द्वारा आरक्षण निर्देशों के व्यापक उल्लंघन को उसे इंगित किया गया था और स्थिति को सही करने के लिए कई सिफारिशें की गई थी और यह कि इन सिफारिशों को लागू करने के लिए एफसीआई प्रबन्धन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसका परिणाम हुआ कि अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना जारी रहा। एफसीआई ने मामले पर नये सिरे से विचार करने और आयोग को एक महीने के अन्दर के.एल.राव समिति की विभिन्न सिफारिशों पर उनके द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सूचित करने पर सहमति व्यक्त की।

8.2.9.5 एफसीआई, दक्षिण क्षेत्र, चेन्नई ने अगस्त, 2007 में आयोग को सूचित किया कि आरक्षण रोस्टरों को दुबारा बनाने का कार्य पूरा हो गया था और यह कि रोस्टरों को अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के संबंधित क्षेत्रीय सम्पर्क अधिकारियों द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित किया गया था। रोस्टरों को

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी संगठन और कल्याण संगठनों के समूहों द्वारा भी सत्यापित किया गया। यह भी कहा गया कि रोस्टरों को सुधारने के परिणामस्वरूप अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जाति की भी) के लिए आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग की आयोग की रिपोर्ट (डॉ0 जी.एस. सोमावत द्वारा) में सुझाये अनुसार उचित गणना कर दी गई थी। तथापि आयोग को एफसीआई, दक्षिण क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण संगठन से शिकायते आना जारी थी कि रोस्टरों को सही तरीके से और आयोग की रिपोर्ट में दिए सुझावों के अनुसार नहीं सुधारा गया। इन शिकायतों के परिपेक्ष्य में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय के डा0 जी.एस. सोमावत, निदेशक से सुधारित रोस्टरों का निरीक्षण करने का अनुरोध किया कि वह देखें कि गया सुधार सही तरीके से किया गया और यह भी कि क्या नये रोस्टरों के आधार पर बैकलॉग रिक्तियों की सही तरीके से गणना की गई।

8.2.10 श्रीमती एस. ईस्वरम्मा ने इस आयोग को दिसम्बर, 2006 में अभिवेदन दिया कि उनके पति स्वर्गीय श्री एस. रामबाबू, एफएम II इस्टर्न नेवल कमाण्ड (ईएनसी), विशाखापट्टम की काम करते हुए दिनांक 6 जुलाई, 2002 को दुर्घटना हो गई और अपने पीछे पत्नी श्रीमती एस. ईश्वरम्मा और 8 वर्ष से कम उम्र के दो बच्चों को छोड़कर 20 जुलाई, 2002 को उनका देहान्त हो गया। उनकी पत्नी ने सांत्वना आधार पर समूह 'घ' के पद पर नियुक्ति के लिए ईएनसी को निवेदन करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया। उनका कथन था कि उनको न्यूमनतम मृत्यु लाभ मिलेंगे क्योंकि उनके पति को सरकारी सेवा में केवल 6 वर्ष हुए थे और इसीलिए उनको आवधिक लाभों की अल्प राशि में परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मुश्किल होती थी। जब उनके आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो वे दिसम्बर, 2006 में आयोग में पहुंची और आयोग ने तुरन्त ही मामले को इस्टर्न नेवल कमाण्ड, विशाखापत्तनम के मुख्यालय के साथ उठाया। ईएनसी ने दिनांक 23 फरवरी, 2007 के पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि श्रीमती एस. ईश्वरम्मा की अकुशल श्रमिक के रूप में नियुक्ति के लिए अनन्तिम रूप से सिफारिश की गई और यह कि सरकार के निर्देशों के अनुसार पुनर्नियुक्ति की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई और साथ ही यह भी कि उनका सिविल सत्यापन पूरा होने तथा चिकित्सकीय रूप से ठीक पाये जाने पर उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा।

8.2.11 आयोग में ऑरियेन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, दिमापुर, नागालैंड में विकास अधिकारी, ग्रेड-I, श्रीमती सिम्हनिल फेहरिम का दिनांक 06-02-2007 का अभिवेदन प्राप्त हुआ। इसमें आयोग से इसी कम्पनी में कार्यरत उनके पति को दीमापुर में ही बहाल रखने के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए निवेदन किया गया था। यह उल्लेख था कि उनके पति को जो कि इस कम्पनी में कार्यरत थे, लगभग दो वर्ष पहले उनके द्वारा दोनों को ओआईसीएल की तेजपुर शाखा में स्थानान्तरित करने के निवेदन को ध्यान में रखते हुए दीमापुर शाखा से जोरहट(असम) शाखा में सामान्य स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरित कर दिया गया था। बाद में उनके पति ने स्थानान्तरण आदेश को रद्द करने के लिए आग्रह किया, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। कम्पनी के सीएमडी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोग में दिनांक 04-04-2007 को सुनवाई में मामले पर अन्य मामलों के साथ विचार - विमर्श किया गया। आयोग ने पाया कि दो वर्ष पहले श्रीमती सिम्हनिल फेहरिम और उनके पति ने उनके तेजपुर स्थानान्तरण के लिए निवेदन किया था ताकि वे दोंनों एक स्थान पर तैनात रह सके। तथापि सुनवाई के दौरान पता चला कि श्रीमती सिम्हनिल फेहरिम ने कम्पनी के लिए बड़ा कारोबार अर्जित किया था और दीमापुर से उनके स्थानान्तरण से न केवल दीमापुर में कम्पनी के कारोबार पर विपरित प्रभाव पड़ता बल्कि श्रीमती सिम्हनिल फेहरिम के कार्य निष्पादन पर भी प्रभाव पडता क्योंकि उन्हें तेजपुर में कारोबार को शून्य स्तर से शुरू करना होता। इससे भी आगे यह कि दीमापुर में स्टाफ की कमी थी। अत: इस बात पर सहमति बनी कि कम्पनी के हित में श्रीमती सिम्हनिल फेहरिम और उनके पति, दोनों को, दिमापुर में ही तैनात रखा जाए।

ओआईसीएल के सीएमडी ने उचित कार्यवाही करने और श्रीमती सिम्हनिल फेहरिम के पति के स्थानान्तरण आदेश को रद्द करने के संबंध में शीघ्र आदेश जारी करने के लिए निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया। ओआईसीएल के अधिकारियों ने दिनांक 03-05-2007 के उनके पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि श्रीमती सिम्हनिल फेहरिम द्वारा स्पष्ट की गई कठिनाईयों और आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाया गया और उनके पति को दिमापुर में एक वर्ष तक और रूकने का विस्तार स्वीकृत किया गया।

8.2.12 उत्तर रेलवे, नई दिल्ली में टेलीकॉम मैकेनिक, ग्रेड-III श्री भूप सिंह मीणा ने अप्रैल, 2006 में आयोग में अभिवेदन दिया, जिसमें उन पर एक श्री भागी राम को आवंटित भविष्य निधि खाते से 9,900/- रूपए की राशि का कपटपूर्ण तरीके से आहरण करने के आरोप से संबंधित मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही के निपटान में विलम्ब करके प्रताड़ित करने का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उन पर जनवरी, 1998 में बड़ी शास्ती कार्यवाही के लिए चार्जशीट लगाई गई। आयोग ने अप्रैल, 2006 में उत्तर रेलवे, नई दिल्ली के साथ मामले को उठाया। क्योंकि रेलवे अधिकारियों की ओर से बार - बार अनुस्मारक भेजे जाने पर भी कोई उत्तर नहीं आया तो आयोग ने मामले पर उत्तर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार – विमर्श करने का निर्णय लिया और उसके अनुसार चेयरमैन के कक्ष में दिनांक 27-06-2006 को सुनवाई आयोजित की गई। रेलवे अधिकारियों को आयोग ने लम्बित जाँच को शीघ्र पूरा करने और एक माह के भीतर आयोग को इससे अवगत कराने की सलाह दी। आयोग ने पाया कि अनुशासन अधिकारी ने अपने दिनांक 04-08-2006 के आदेश द्वारा श्री मीणा को आरोपों के सम्बन्ध में दोषी पाया और उन पर तुरन्त प्रभाव से सेवा से पृथक करने का दण्ड आरोपित किया। अतएव आयोग ने रेलवे अधिकारियों से मूल वेतन आदेश और दिनांक 04-08-2006 के आदेश में उल्लिखित फोरेंसिक रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करने को कहा। आयोग ने दिनांक 23-08-2006 के अपने पत्र द्वारा रेलवे प्राधिकारियों से कुछ और कागजात भी माँगे जो आयोग को अगस्त के अन्त में भेजे गए। आयोग ने रेलवे प्राधिकारियों द्वारा भेजे गए कागजातों की जाँच की और पाया कि रेलवे प्राधिकारियों द्वारा श्री मीणा को सेवा से हटाने के लिए की गई कार्यवाही में कई विसंगतियाँ थी। आयोग ने तद्नुसार उत्तर रेलवे से श्री मीणा को सेवा से पृथक करने के दण्ड की बजाय हल्का दण्ड आरोपित करते हुए सेवा में बहाल करने के लिए निवेदन किया और अन्य दोषी कर्मचारियों जैसे रोकड़िया और मुख्य लिपिक पर भी कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया और इस बारे में आयोग को 30 दिनों के भीतर सूचित करने को कहा। उत्तर रेलवे द्वारा समय पर उत्तर न देने के कारण आयोग ने श्री मीणा के मामले को रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ विचार – विमर्श करने का निर्णय लिया। तद्नुसार श्री मीणा के मामले और अन्य रेलवे से संबंधित मामलों पर विचार -विमर्श करने के लिए चेयरमेन के कक्ष में दिनांक 08-11-2006 को सुनवाई का प्रबन्ध किया गया। आयोग को सूचित किया गया कि सेवा से पृथक करने के दण्ड को घटाकर टीसीएम, ग्रेड-III से संचयी प्रभाव से पाँच वर्ष की अवधि के लिए हेल्पर खलासी ग्रेड के निम्न समय श्रृंख्ला में बदल दिया गया था। रेलवे प्राधिकारियों से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने और उन्हें उसी ग्रेड अर्थात् टीसीएम ग्रेड-III में नियुक्त करने का निवेदन किया गया। रेलवे प्राधिकारियों ने आयोग को दिसम्बर, 2006 में सूचित किया कि श्री मीणा द्वारा की गई अपील के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने संचयी प्रभाव से पाँच वर्षों की अवधि के लिए शास्ती को निम्न स्तर पर टीसीएम, ग्रेड-III में न्यूनतम श्रृंख्ला अर्थात् 3050/- रूपए पर उसी समय श्रृंख्ला में संशोधित कर दिया था।

8.2.13 पश्चिम मध्य रेलवे, इटारसी(मध्य प्रदेश) में कार्यालय अधीक्षक, ग्रेड-I श्री उमाशंकर टिकारिया ने उनके इटारसी से भोपाल स्थानान्तरण और आरक्षण निर्देशों के उल्लंघन करते हुए, मुख्य कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए, इन्कार के संबंध में आयोग में अभिवेदन दिया। आयोग ने

मई, 2006 में रेलवे प्राधिकारियों से मामले के तथ्यों को मंगाया। इस मामले पर भी आयोग में रेलवे प्राधिकारियों के साथ दिनांक 08-11-2006 को आयोजित बैठक में विचार – विमर्श किया गया जिसमें आयोग को सूचित किया गया कि श्री टिकारिया को 31-08-2005 से भूतलक्षी प्रभाव से मुख्य कार्यालय अधीक्षक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है और उन्होंने उसी तारीख से भोपाल में उस पद कार्यभार संभाल लिया है।

8.2.14.1 इण्डियन रिन्यूएबल एनर्जी डवलपमेन्ट एजेन्सी लिमिटेड (आई.आर.ई.डी.ए.), नई दिल्ली में वरिष्ठ प्रबंधक श्री ठाकुर प्रसाद ने जनवरी, 2006 में एक अभिवेदन प्रस्तुत किया। यह उनकी वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों (एसीआर) में सूचनाओं में अनियमितताओं के संबंध में था जिसका परिणाम उनके सहायक महाप्रबन्धक (ए.जी.एम.) के रूप में पदोन्नति देने में इन्कार के रूप में हुआ। आयोग ने मामले को फरवरी, 2006 में इरेडा के प्राधिकारियों के समक्ष उठाया। इरेडा के महाप्रबंधक ने उनके दिनांक 10-03-2006 के पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि आवेदक के आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं थे। इरेडा से इस उत्तर के बारे में सूचित करने पर श्री प्रसाद ने नवम्बर, 2006 में ये आरोप लगाते हुए कि एक अनुसूचित जनजाति का अधिकारी होने के कारण उनके साथ भेदभाव एवं प्रताड़ना की जाती है, प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। आयोग ने इस मामले की इरेडा के एमडी व अन्य अधिकारियों के साथ परिचर्चा करने का निर्णय लिया और तद्नुसार वाइस-चेयरमैन के कक्ष में 08-03-2007 में सुनवाई रखी गई। आयोग ने पाया कि श्री प्रसाद के खिलाफ दिनांक 24-02-1999 के मेमो के द्वारा शुरू की गई अनुशानात्मक कार्यवाहियों के लम्बित होने के कारण, 30-06-1999, 23-12-1999, 01-07-2000 और 20-12-2000 को आयोजित डीपीसी के परिणाम एक सीलबद्ध लिफाफे में रखे गये थे। आयोग को सूचित किया गया कि सीलबंद लिफाफे में रखी गई डीपीसी की सिफारिशों के परिणामस्वरूप श्री प्रसाद को 01-01-2002 से वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। आयोग ने पाया कि एमएनआरई के सचिव और इरेडा के चेयरमेन और इरेडा सतर्कता प्रकोष्ठ जाँच रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 29-01-2003 के मेमो द्वारा श्री ठाकुर प्रसाद के खिलाफ आगे की अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ शुरू की गई थी जो कि अब पूरी हो गई थी और 24-05-2004 से तीन वर्षों (पुनरीक्षण प्राधिकारी अर्थात् इरेडा के निदेशक मण्डल द्वारा घटाकर 2 वर्ष किया गया) के लिए पदोन्नति को रोक देने का दण्ड उन पर लगाया गया। यह देखा गया कि श्री प्रसाद ने अगली उच्चतर ग्रेड अर्थात् एजीएम के पद पर पदोन्नत होने के लिए योग्य होने हेतु आवश्यक न्यूनतम 4 वर्षों की सेवा पूरी कर ली थी और यह कि उनके 2 वर्ष तक एजीएम पद पर पदोन्नति को रोके रखने की तिथि भी मई, 2006 में खत्म होने को आई थी। आयोग को सूचित किया गया कि श्री प्रसाद की एजीएम के रूप पदोन्नति की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए डीपीसी शीघ्र ही होने की सम्भावना थी। आयोग ने इच्छा जताई कि डीपीसी की बैठक बिना किसी विलम्ब के होनी चाहिए ताकि श्री प्रसाद की पदोन्नति में विलम्ब न हो।

8.2.14.2 आयोग को इसके बाद सूचित किया गया कि श्री प्रसाद और इरेडा के एक अधिकारी के बीच गाली-गलौज के बाद दिनांक 29-12-2006 के मेमो द्वारा फिर से निलंबित किया गया क्योंकि उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। आयोग ने एक तरफ श्री प्रसाद को अपनी शिकायतें वापस लेने और प्रबन्धन के प्रति खेद व्यक्त करने की भी सलाह दी। दूसरी तरफ इरेडा प्राधिकारियों को निलम्बन आदेश को वापस लेने पर विचार करने की सलाह दी और श्री प्रसाद के खिलाफ अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को भी वापस लेने की सलाह दी। आयोग को एमडी द्वारा आश्वस्त किया गया कि वे निलम्बन आदेश को समाप्त करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करेंगे और साथ ही आवेदक को एजीएम के रूप में पदोन्नत करने की कार्यवाही भी शीघ्र निपटाएंगे बशर्ते श्री प्रसाद अपनी शिकायत वापस लें और एक खेद पत्र दें। इरेडा ने दिनांक 19-03-2007 के द्वारा आयोग को सूचित किया कि अनुशासनात्मक

प्राधिकारी ने दिनांक 14-03-2007 से निलम्बन आदेश वापस ले लिया था और उनका नाम एजीएम पद के लिए उपयुक्तता की जाँच के लिए डीपीसी को भेजे जाने के लिए योग्य कर्मचारियों की सूची में शामिल किया गया। इरेडा के एमडी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संयुक्त सचिव को दिनांक 28-06-2007 को सूचित किया कि श्री प्रसाद को एजीएम के रूप पदोन्नत कर दिया गया है।

8.2.15 जनजाति बाल छात्रावास, सपाही, जिला सिधी, मध्य प्रदेश के अधीक्षक श्री पूरणदास कोल से अपने निलम्बन को वापस लेने के लिए आयोग के हस्तक्षेप की मांग करते हुए फरवरी, 2006 में अभिवेदन प्राप्त हुआ था। उन्होंने बताया कि उन्हें कार्यालय से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाते हुए दिनांक 15-03-2005 को निलम्बन के अधीन रखा गया था। जबकि वे अनुपस्थिति की अवधि में चिकित्सा-अवकाश पर थे जो कि डाक्टर के प्रमाण-पत्र से अच्छी तरह से समर्थित था और यह कि एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने के बाद भी उन्हें चार्जशीट नहीं दी गई थी। आयोग ने मार्च, 2006 में सिधी के जिला कलक्टर को मामले को देखने और आयोग को रिपोर्ट भेजने का निवेदन किया। कलक्टर के कार्यालय ने दिनांक 19-07-2006 के पत्र द्वारा सूचित किया कि निलम्बन वापस ले लिया गया था और श्री कोल को अपनी ड्यूटी पर आने की अनुमति दे दी गई।

8.2.16 लोक सभा सदस्या श्रीमती सुशीला केरकेटा ने अपने पत्र दिनांक 28-08-2006 द्वारा केन्द्रीय मनोरोग संस्थान, रांची में मनोरोग के प्रोफेसर डॉ0 सी.आर.जे.खेस को दिनांक 17 अगस्त, 2006 के आदेश द्वारा वर्धमान महावीर मेडीकल कॉलेज (वीएमएमसी), नई दिल्ली को स्थानान्तरित करके प्रताड़ित करने के संबंध में इस आयोग को लिखा। डॉ0 खेस ने भी उसी तारीख को आयोग को अलग से आवेदन भेजा। आवेदक ने अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया कि वे नवम्बर, 2006 में प्रोफेसर के रूप में पाँच साल पूरे करते जो कि निदेशक के पद के लिए आवश्यक मानदण्ड था और क्योंकि वे एकमात्र जनजातीय उम्मीदवार थे और निदेशक पद के लिए सम्भावित उम्मीदवार थे, संस्थान ने उन्हें वहाँ से हटाने की योजना बनाई थी और उन्हें निदेशक के पद पर पदोन्नति से इसके द्वारा रोका जा रहा था। आयोग ने सितम्बर, 2006 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव से आरोपों पर गौर करने एवं मामले के पूरे तथ्य भेजने का अनुरोध किया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 29-09-2006 के पत्र से आयोग को सूचित किया कि डॉ0 खेस और अन्य स्टाफ सदस्यों (अध्यापन एवं गैर -अध्यापन दोनों) को सफदरजंग अस्पताल में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (वीएमएमसी) को स्थानान्तरित किया गया था। मेडीकल काऊंसिल ऑफ इण्डिया (एमसीआई) द्वारा इस नये स्थापित मेडीकल कॉलेज द्वारा दी जाने वाली एमबीबीएस की उपाधियों की मान्यता का निरीक्षण किए जाने के संबंध में ऐसा किया गया था। आगे कहा गया था कि डॉ0 खेस का स्थानान्तरण किसी गलत आशय से नहीं किया गया था बल्कि उनका वह स्थानान्तरण पूरी तरह से लोक हित में किया गया था। आयोग को यह भी सूचित किया गया कि एमसीआई के निरीक्षण के तुरन्त बाद डॉ0 खेस सहित पूरे फेकल्टी स्टाफ को पुनः केन्द्रीय मनोरोग संस्थान रांची को स्थानान्तरित कर दिया गया था।

8.2.17 गाँव-जमाईभोदर, पो.ओ.-बसन्तपुर, तहसिल बदरफनगर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ के श्री कल्याण सिंह पोर्टे से आयोग में नवम्बर, 2006 में एक अभिवेदन प्राप्त हुआ। यह गुरूजी के पद पर नियुक्ति से इन्कार एवं पद पर की गई सेवाओं का भुगतान नहीं करने के संबंध में था। यह आरोप लगाया गया था कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम रूप्पुर, बोधरपारा के शिक्षा गारंटी स्कूल (ईजीएस) में उन्हें गुरूजी के पद पर नियुक्त किया गया था और वहाँ पर उन्होंने लगभग तीन महीनों तक कार्य किया एवं उसके बाद उनकी सेवाएँ बिना किसी कारण के समाप्त कर दी गई और उनके द्वारा दी गई सेवाओं का वेतन देने से भी इन्कार कर दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत के सरपंच ने नियमों का उल्लंघन

करते हुए उनके स्थान पर एक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की महिला को नियुक्त कर दिया। आयोग ने मामले को सरगुजा के जिला कलक्टर के साथ उठाया व आरोपों की जाँच करने एवं तथ्यों की एक रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया। जिला कलेक्टर द्वारा दिसम्बर, 2006 में भेजी गई रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं होने के कारण मामले पर जिला कलेक्टर के साथ विचार – विमर्श करने का निर्णय लिया गया और तद्नुसार जिला कलेक्टर को दिनांक 02-02-2007 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आग्रह किया। उस तारीख को जिला कलेक्टर के स्थान पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। आयोग को आश्वस्त किया गया कि श्री पोर्टे द्वारा की गई सेवा अवधि के लिए वेतन/मानदेय एक सप्ताह के अन्दर दे दिया जाएगा। आयोग को यह भी आश्वासन दिया गया कि श्री पोर्टे को शिक्षा गारंटी स्कूल में नियमित नियुक्ति देने पर भी विचार किया जाएगा और आयोग को एक महीने के अन्दर सूचित किया जाएगा। जिला कलेक्टर, सरगुजा ने दिनांक 15-02-2007 के पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि श्री पोर्टे को उनके द्वारा दिनांक 02-10-1998 से 18-11-1999 तक की गई सेवा के लिए 6799/-रूपयों (500/-रूपए प्रतिमाह की दर से) का भुगतान कर दिया गया था। सरगुजा के जिला कलेक्टर ने अपने अगले पत्र दिनांक 13-04-2007 द्वारा सूचित किया कि दिनांक 23-03-2007 के आदेश द्वारा श्री पोर्टे को शिक्षा गारंटी स्कूल बोधरपारा (रूप्पुर) में अस्थायी आधार पर शिक्षा कर्मी के पद पर नियुक्ति दे दी गई थी।

8.2.18 आइजोल (मिजोरम) से श्री बेंजामीन हावला से दिनांक 28-10-2006 का अभिवेदन आयोग को प्राप्त हुआ जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में एएसआई (आशुलिपिक) एवं हेड कांस्टेबल (मंत्रालयिक) के पदों पर भर्ती के संबंध में था। यह बताया गया था कि इस संबंध में प्रमुख समाचार पत्रों और रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। यह बताया गया कि भर्ती परीक्षा सम्पूर्ण भारत स्तर पर आयोजित की जानी चाहिए थी और यह कि एएसआई (आशुलिपिक) के 94 पदों में से बैकलॉग रिक्तियों सहित 15 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थे और इसी प्रकार हेड कांस्टेबल (मंत्रालयिक) के 126 पदों में 100 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थे। यह आरोप लगाया गया था कि पूर्वोत्तर राज्यों में जिनमें असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणीपुर, अरूणाचल प्रदेश और त्रिपुरा शामिल है, एक भी परीक्षा केन्द्र नहीं रखा गया था और इससे इस क्षेत्र से आवेदन करने वाले एसटी उम्मीदवारों के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला था।आयोग से मामले को सीआरपीएफ के साथ उठाने का निवेदन किया गया था और देश के उस भाग में रहने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय के समान्य हित में कुछ भर्ती केन्द्र रखने की उचित आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए दबाव डालने का अनुरोध किया गया था। आयोग ने इस मामले को दिसम्बर, 2006 में सीआरपीएफ के महानिदेशक के साथ उठाया और आवेदन में उठाये गए बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए पूरे तथ्य प्रस्तुत करने के लिए निवेदन किया। दिनांक 9 जनवरी, 2007 के पत्र द्वारा सीआरपीएफ ने आयोग को सूचित किया कि आवेदन में उल्लिखित विज्ञापन के आधार पर की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था और डीएवीपी को नवम्बर, 2006 में ताजा विज्ञापन भेजा गया था और 104 एएसआई (आशुलिपिक) एवं 694 हेडकांस्टेबलों (मंत्रालयिक) पदों की भर्ती के लिए दिनांक 06-01-2007 के रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया था। आयोग को यह भी सूचित किया गया कि समूह केन्द्र, सीआरपीएफ, खटखटी (असम) को उक्त भर्ती के केन्द्र के रूप में शामिल कर दिया गया है।

8.2.19 इण्डियन ब्यूरो ऑफ माईन्स, रांची के सहायक इंजिनियर श्री बी.पी. केरकेटा ने जनवरी, 2004 से तीन वर्षों के लिए उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं करके प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए आयोग को जनवरी, 2007 में एक अभिवेदन दिया। आयोग ने इस मामले को मार्च, 2007 में इण्डियन ब्यूरो ऑफ माईन्स के साथ उठाया। इण्डियन ब्यूरो ऑफ माईन्स ने 09-04-2007 को आयोग को सूचित

किया कि दिनांक 6 मार्च, 2007 के कार्यालय आदेश द्वारा 2004, 2005, 2006 में उनकी बाकी वार्षिक वेतन वृद्धियां जारी कर दी गई थी।

8.2.20 भारत डायनामिक्स एसटी एम्पलॉयज वेल्फेयर एशोसिएशन, हैदराबाद के अध्यक्ष से अगस्त, 2006 में एक अभिवेदन प्राप्त हुआ। यह आरोप था कि साक्षात्कार होने के आठ महीनों से भी ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 7 बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए एसआरडी के हेल्पर पद के परिणाम घोषित नहीं किए जा रहे थे। आयोग ने मामले को दिनांक 29-08-2006 को भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद के अध्यक्ष एवं प्रबन्धन निदेशक के समक्ष उठाया। आयोग को अक्तूबर, 2006 में सूचित किया गया कि एसआरडी प्रश्नाधीन वर्ष 2005 के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 7 बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में थी और चयन प्रक्रिया दिसम्बर, 2005 तक पूरी कर दी गई थी। इस स्थिति में कम्पनी के सीवीओ ने कम्पनी के निदेशक मण्डल के सामने अस्थायी एवं संविदा श्रमिकों की भर्त्ती/नियमित करने के संबंध कुछ प्रश्न उठाये जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हेल्पर (समूह 'घ') के पदों में रिक्तियों के होने पर प्रश्न खड़ा किया था। यह भी बताया गया कि उनकी राय में एसआरडी के माध्यम से अनुसूचित जनजाति रिक्तियों को भरने का सीवीओ द्वारा उठाये गए प्रश्नों से कोई संबंध नहीं था और इसके अनुसार रिक्तियों को भरने के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची को जारी करने के प्रबन्धन के दृष्टिकोण के समर्थन के लिए उनको सम्पर्क किया गया। आयोग ने दिसम्बर, 2006 में भारत डायनॉमिक लिमिटेड से चयनित अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निवेदन किया। भारत डायनॉमिक लिमिटेड ने दिनांक 22-02-2006 के पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि 7 उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव अक्तूबर, 2006 में जारी किए गए और उनमें से 6 ने प्रस्ताव को स्वीकार किया और तद्नुसार इन उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और यह कि एक उम्मीदवार द्वारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने पर अन्य उम्मीदवार को प्रस्ताव भेजा गया जो प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठतम था और उसने अपनी स्वीकृति भेज दी थी।

8.2.21 रेडियों कश्मीर, लेह में उद्घोषक श्री तेवाग नर्बवू ने एश्योर्ड केरियर प्रोगेशन (एसीपी) स्कीम के तहत फायनेंशियल अपग्रेडेशन की स्वीकृति नहीं देने के संबंध में सितम्बर, 2006 में आयोग को अभिवेदन दिया। यह आरोप लगाया गया था कि यद्यपि 03-10-2001 को उन्होंने सेवा में 24 वर्ष पूर कर लिए थे और स्कीम के तहत दूसरी फायनेंशियल अपग्रेडेशन उनके लिए शेष थी। उन्हें पिछले पाँच वर्षों से फायनेंशियल अपग्रेडेशन से इन्कार किया जा रहा था। आयोग ने सितम्बर, 2006 में आकशवाणी, नई दिल्ली के महानिदेशक के साथ मामले को उठाया। आकाशवाणी, नई दिल्ली द्वारा मार्च, 2007 में आयोग को सूचित किया गया कि श्री नर्बवू को दिनांक 06-12-2006 के आदेश द्वारा 04-10-2001 से दूसरी फायनेंशियल अपग्रेडेशन की स्वीकृत दी गई थी।

8.2.22 एचएमटी, बेंगलौर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर श्री वी.के. सुगथन (सेवा निवृत मेजर) से कोच्ची रिफायनरीज लिमिटेड (के.आर.एल.), कोच्ची, केरल में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सिक्योरिटी ऑफिसर के पद के लिए रिक्ति हेतु उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं करने के संबंध में दिनांक 29-09-2005 की शिकायत प्राप्त हुई। यह बताया गया था कि के.आर.एल. ने वर्ष 2001 में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सिक्योरिटी आफिसर के पद की एक रिक्ति अधिसूचित की थी। वर्ष 2003 में रिक्ति को पुन: अधिसूचित किया गया था क्योंकि पद अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार से नहीं भरा गया था। आवेदक ने आरोप लगाया कि केआरएल ने वर्ष 2003 में अधिसूचित विज्ञापन को रद्द कर दिया और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति को खत्म कर दिया गया। मई, 2005 में केएलआर ने पुरर्स्थापन निदेशालय(सेना) से 2 रिक्तियों जिसमें 1 ओबीसी व 1 सामान्य के लिए थी, को भरने हेतु

सम्पर्क किया और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति को छुपाया गया। आयोग ने मार्च 2006 में कोच्ची रिफायनरी लिमिटेड, अम्बालमुगल (केरल) के डीजीएम के साथ मामले को उठाया। आयोग को केआरएल द्वारा सूचित किया कि श्री सुगथन ने आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को इसी मामले में ऐसी ही शिकायत की थी और उस कार्यालय द्वारा सलाह के आधार पर उन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सिक्योरिटी आफिसर पद के लिए पुनः विज्ञापन दिया और यह कि शिकायतकर्त्ता श्री सुगथन ने उस पद के लिए आवेदन किया और आगे यह कि श्री सुगथन का सिक्योरिटी ऑफिसर पद पर चयन हो गया है और उन्होंने 24-03-2006 को कार्यभार संभाल लिया है।

8.2.23 रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली में डेस्क अधिकारी श्री कामेश्वर सिंह त्रिया और श्री डेविड दाइमरी ने फरवरी 2006 में आयोग को अभिवेदन देकर उपलब्ध रिक्तियों पर उप निदेशकों/अवर सचिव के रूप में उनकी पदोंन्नति के लिए हस्तक्षेप की मांग की। आयोग ने मामले को मार्च, 2006 में रेलवे बोर्ड के साथ उठाया। मामले पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के तत्कालीन चेयरमेन ने उत्तर रेलवे, बढौदा हाऊस, नई दिल्ली के महाप्रबन्धक के साथ अपने कक्ष में 12-06-2006 को आयोजित सुनवाई के दौरान चर्चा की। रेलवे बोर्ड ने 12 मई, 2006 के पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि आवेदकों की पदोन्नति का मामला केट की प्रधान बेंच, नई दिल्ली में श्री बी.आर. मेहरोत्रा और अन्य बनाम भारत संघ के ओए सं0 2051/95 में दाखिल कोर्ट केस के कारण लम्बित था। यह बताया गया कि इस लम्बित कोर्ट केस से लम्बे समय के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची को तैयार नहीं किया जा सका था। आयोग को यह भी सूचित किया गया कि मामलों को माननीय न्यायालय द्वारा अन्ततः जून, 2000 में निर्णित कर दिया गया और अधिकरण के आदेश जून, 2001 तक लागू किए जा सके और न्यायालय के निर्णय को लागू करने के बाद मई, 2002 में अनुभाग अधिकाारियों के नियमित वरिष्ठता पैनल तैयार करने का काम किया गया और 31-08-2005 को अधिसूचित वर्ष 1997-98 के लिए अनुभाग अधिकारियों के नियमित वरिष्ठता पेनल में दोनों आवेदकों यथा श्री त्रिया और दाइमरी के नाम शामिल थे। इस पेनल के आधार पर उन दोनों को दिनांक 21-04-2006 के रेलवे बोर्ड के आदेश द्वारा तदर्थ आधार पर उप निदेशक/ अवर सचिव के रूप में पदोन्नत कर दिया गया।

8.2.24 वर्ष 2005-06 के दौरान आयोग के हस्तक्षेप के कारण श्री राजेन्दर प्रसाद की सहायक निदेशक, सीपीडब्ल्यूडी (बागवानी) के रूप में दिनांक 27-06-1997 से भूतलक्षी प्रभाव से तदर्थ पदोन्नति नियमित हुई थी। श्री राजेन्दर प्रसाद ने उनकी पदोन्नति के भूतलक्षी प्रभाव से नियमित होने के बाद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक पद, उप निदेशक (बागवानी) पर पदोन्नति के लिए फिर से आयोग को अभिवेदन प्रस्तुत किया। मामले को शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के साथ उठाया गया। शहरी विकास मंत्रालय (कार्य प्रभाग) ने श्री प्रसाद को पदोन्नत करने की बजाय आयोग को डीरिजर्वेशन का प्रस्ताव भेजा। ऐसा कहा गया कि उप निदेशक (बागवानी) के पद पर पदोन्नति के लिए योग्यता सहायक निदेशक (बागवानी) के पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा थी और यह कि योग्यता की गणना जिस वर्ष पदोन्नतियाँ की जाती हो उस भर्ती वर्ष के पूर्व 1 जनवरी से की जाती है। आयोग, उप निदेशक के एक अनुसूचित जनजाति पद के डीरिजर्वेशन के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ और शहरी विकास मंत्रालय को माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए पृथक विचारण जोन बनाने के निर्णय के अनुपालन में रिक्ति को भरने के लिए डीपीसी ने जो समय दिया तब तक अनुसूचित जनजाति बिन्दु के विरूद्ध श्री रोजन्दर प्रसाद को पदोन्नत करने की सलाह दी। शहरी विकास मंत्रालय ने दिनांक 24-08-2006 के पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि श्री राजेन्दर प्रसाद का नाम योग्यता सूची में बहुत नीचे था और रिक्ति वर्ष 2006-07 के नियमित पदोन्नति के लिए विचारण के विस्तारित जोन में भी नहीं आता था और तद्नुसार उनको पहली रिक्ति जो कि वर्ष 2006-07 में उपलब्ध

थी, उसके विरूद्ध तदर्थ आधार पर उप निदेशक पद पर पदोन्नत करने पर विचार किया जा रहा था क्योंकि तदर्थ आधार पर पदोन्नत करने के लिए कोई भी विचारण जोन लागू नहीं होता। आयोग ने दिनांक 08-09-2006 के अपने पत्र से मंत्रालय के वर्ष 2005-06 में सीपीडब्ल्यूडी में उप निदेशक (बागवानी) के एक अनुसूचित जनजाति कोटा के डीरिजर्वेशन पर इस शर्त पर सहमति दी कि उप निदेशक के आगे ले जाये गये अनुसूचित जनजाति रिजर्व बिन्दु को वरिष्ठतम अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार अर्थात् श्री राजेन्दर प्रसाद को वर्ष 2006-07 में होने वाली पहली रिक्ति पर तदर्थ आधार पर उप निदेशक के रूप में पदोन्नत करके भरा गया।

8.2.25 दमनजोडी, जिला-कोरापुट, उड़ीसा के नाल्को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष ने स्मेल्टर एण्ड पॉवर काम्पलेक्स, नाल्को, कार्पोरेट ऑफिस के उप प्रबंधक (एचआरडी) श्री चार्ल्स लाकरा का प्रतिवेदन भेजा जो श्री लाकरा के उप प्रबन्धक पद पर सभी पदोन्नति लाभों के साथ जनवरी, 2000 से भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति के सम्बन्ध में था। मामले को नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर, उड़ीसा के साथ जनवरी, 2006 में उठाया गया। आयोग को सूचित किया गया कि आवेदक के निवेदन पर उन्होंने विचार किया और श्री लाकरा को राष्ट्रीय वरिष्ठता के साथ 01-07-2002 की बजाय 01-01-2000 से भूतलक्षी प्रभाव से उप प्रबन्धक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था। श्री लाकरा ने फिर से आयोग को उप प्रबन्धक के पद पर 01-01-2000 से वित्तीय लाभों की स्वीकृति के लिए अभिवेदन दिया। आयोग ने फिर से मामले को मार्च 2006 में नाल्को के साथ उठाया। नाल्को ने दिनांक 19-05-2006 के पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि प्रबन्धन द्वारा वित्तीय लाभों को 01-01-2000 से 30-06-2002 तक बढ़ाने का निर्णय ले लिया था।

8.2.26 मध्य प्रदेश वनवासी सेवा मण्डल, मंडला में पिछले 38 वर्षों से कार्यरत एक कर्मचारी ने आयोग को अक्तूबर, 2006 में सूचित किया कि एम.पी.सरकार द्वारा अनुदान को रोक देने के कारण संस्थान द्वारा उसे वेतन नहीं दिया गया जिसके परिणास्वरूप उसे व उसके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। मामले को आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के जनजाति विकास आयुक्त, भोपाल के साथ उठाया गया जिन्होंने सूचित किया कि उक्त संस्थान को अनुदान की पहली किश्त जारी कर दी गई थी और बची हुई राशि का भुगतान भी जिला कलेक्टर, मंडला के जरिये भुगतान भी गई अग्रिम राशि के समायोजन के बाद कर दिया गया था।

8.2.27 आर्डिनेंस फैक्टरी, देहु रोड, पुणे (महाराष्ट्र) के लेखा कार्यालय में वरिष्ठ अंकेक्षक के रूप में कार्यरत एक अनुसूचित जनजाति कर्मचारी ने मार्च, 2005 में उनके पुणे से अम्बरनाथ में स्थानान्तरण और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार के संबंध में आयोग को अभिवेदन दिया। उन्होंने यह भी सूचित किया कि उनके स्थानान्तरण के निवेदन को कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। मामले को वित्त और लेखा (आर्डिनेंस), कोलकाता के मुख्य नियंत्रक के साथ उठाया गया और निवेदन किया गया कि मामले पर सहानुभूति से विचार किया जाए क्योंकि अभिवेदन के साथ भेजे गए संलग्नक यह प्रकट करते थे कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कुछ अन्य समान स्थिति वाले सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों को उनके निवेदन पर स्थानान्तरित किया गया था। लगातार अनुवर्तन के परिणामस्वरूप आवेदक को, लोकहित में अम्बरनाथ स्थानान्तरित कर दिया गया जैसी कि इच्छा की गई थी।

8.2.28 बिलगाँव, जिला-डिण्डोरी, मध्य प्रदेश के एक मिडिल स्कूल में कार्यरत एक अनुसूचित जनजाति के सहायक अध्यापक ने अक्तूबर, 2006 में आयोग को अभिवेदन दिया कि उसे प्राधिकारियों द्वारा कंचनपुर मिडिल स्कूल में स्थानान्तरित किया गया लेकिन कार्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई।

उन्होंने इस स्थिति के बारे में खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में लिखित सूचना दी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। आवेदक ने उसे कंचनपुर मिडिल स्कूल में स्थानान्तरित करने एवं प्राधिकारियों द्वारा पूर्व महीनों का वेतन जारी करने के बारे में भी निवेदन किया। मामले को जिला कलेक्टर डिण्डोरी के साथ उठाया गया जिन्होंने सूचित किया कि मामले को मध्य प्रदेश के भोपाल के जनजाति विकास आयुक्त को भेजा गया था। मामले को आगे मध्य प्रदेश के भोपाल के जनजाति विकास आयुक्त के साथ उठाया गया जिसके परिणामस्वरूप मामलों का सफलतापूर्वक निपटान कर दिया गया।

8.2.29 जोहिला क्षेत्र, उमरिया, मध्य प्रदेश के भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ के सचिव ने जनवरी, 2007 में आयोग को लिखा कि एसईसीएल के एक अनुसूचित जनजाति कर्मचारी के बकाया वेतन का व्यक्तिगत एवं संघ के बार - बार निवेदन के बावजूद भी भुगतान नहीं किया जा रहा था। यह बताया गया कि आवेदक को घुटने की शल्य क्रिया करवानी थी। अत: धन की तुरन्त आवश्यकता थी। मामले को एसईसीएल के संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया गया जिसके परिणामस्वरूप आवेदक को यथा वांछित बकाया का भुगतान 09-01-2007 को चेक द्वारा कर दिया गया।

8.3 विकासात्मक विषयों से संबंधित मामले

8.3.1.1 आयोग को सितम्बर, 2006 में जनजातीय कार्य मंत्रालय से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसके साथ हिन्दुस्तान टाईम्स, नई दिल्ली के दिनांक 07-09-2006 के संस्करण में प्रकाशित 'हाऊ द मेलमेन किल्ड एन आई आई टी ड्रीम' शीर्षक से समाचार की एक प्रति प्रेषित की थी। यह समाचार उड़ीसा के मयुरभंज जिले के श्री बलराम टुडु नामक एक अनुसूचित जनजाति के लड़के को प्रवेश से इनकार के संबंध में था जिसने आईआईटी, खड़कपुर (पश्चिम बंगाल) में बी.टेक पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में आईआईटी प्रवेश परीक्षा में 83वां स्थान प्राप्त किया था। यह भी रिपोर्ट थी कि यह उसका अन्तिम अवसर था और वह भविष्य में आईआईटी प्रवेश परीक्षा में दुबारा शामिल नहीं हो सकता था और यह भी कि ऐसा डाक विभाग द्वारा परामर्श पत्र नहीं दिये जाने के कारण हुआ कि वह समय पर परामर्श के लिए नहीं पहुंच पाया। आयोग से अनुसूचित जनजाति लड़के को आईआईटी, खड़गपुर में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए मामले को संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ उठाने के लिए अनुरोध किया गया क्योंकि लड़के को उसकी ओर से बिना किसी भूल के प्रवेश से इनकार किया गया था।

8.3.1.2 आयोग ने तुरन्त ही अपने अ0शा0 पत्र दिनांक 11-09-2006 द्वारा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन मंत्रालय) के सचिव के साथ मामले को उठाया। आयोग ने पाया कि केवल इस कारण कि डाक अधिकारी उसे परामर्श पत्र समय पर देने में असफल रहे एक प्रतिभावान लड़के को प्रवेश से इनकार, न्याय की प्रतिष्ठा के विरूद्ध होगा और यह कि इसी कारण से उस गरीब जनजातीय लड़के को परामर्श में उपस्थित होने के लिए एक अवसर देने हेतु कुछ विशेष विचार करना होगा। अतएव यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक होनहार केरियर अंकुरण में ही कुचल न जाए उसे बी.टेक में प्रवेश दिया जाए। आयोग ने माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के सचिव को आईआईटी, खड़गपुर के निदेशक को जनजातीय लड़के को बी.टेक कोर्स में प्रवेश के लिए परामर्श में उपस्थित होने के लिए उचित निर्देश देने को भी अनुरोध किया। इस अ0शा0 पत्र की एक प्रति आईआईटी, खड़गपुर के निदेशक को भी भेजी गई जिसमें उनसे पूरे मामले पर सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखने का अनुरोध किया, यह कठोर तथ्य ध्यान में रखते हुए कि डाक प्राधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण ही टुडु को परामर्श पत्र कभी मिला ही नहीं था। यह भी कि अपनी ओर से बिना किसी गलती के एक जनजातीय छात्र को सजा देना न केवल अन्याय और अनुचित होगा बल्कि अमानवीय भी होगा। उनसे आयोग को पूरे तथ्य अर्थात उम्मीदवार टुडु के डाक का पता, परामर्श में बुलाने वाले पत्र की प्रेषण तिथि और क्या डाक प्राधिकारियों द्वारा पत्र बिना वितरित किए वापस किया गया था और यदि

किया गया तो उनकी उस पर लिखी हुई टिप्पणियाँ आदि भेजने का भी अनुरोध किया गया। इस पत्र की एक प्रति उड़ीसा सर्कल, भुवनेश्वर के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को भी भेजी गई और उनसे श्री टुडु के परामर्श पत्र का वितरण नहीं होने के पूरे मामले की जाँच करके पूरे तथ्य आयोग की कार्रवाई के लिए भेजने का अनुरोध किया गया।

8.3.1.3 आईआईटी, खड़गपुर के निदेशक ने दिनांक 18-09-2006 के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संयुक्त सचिव को सम्बोधित पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि आयोग द्वारा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा सचिव (उक्त संदर्भित) को सम्बोधित पत्र के सन्दर्भ के साथ उन्होंने (आईआईटी, खड़गपुर के निदेशक ने) मामले पर दिनांक 16-09-2006 को सचिव से विस्तृत चर्चा की और डाक प्राधिकारियों की लापरवाही से परामर्श-पत्र की डिलीवरी श्री टुडु को नहीं हो पाने को ध्यान में रखते हुए मामले पर सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने आगे बताया कि माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखा और आईआईटी, खड़गपुर के निदेशक से जनजातीय लड़के के आईआईटी के तैयारी पाठ्यक्रम में प्रवेश पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी बताया कि सभी 42 स्थान पहले ही भरे जा चुके थे अत: संस्थान ने विशेष मामले के रूप में श्री टुड ु को देने के लिए संस्थान में एक अतिरिक्त स्थान का सृजन किया और तद्नुसार श्री टुडु ने वर्ष 2006-2007 के तैयारी पाठ्यक्रम में 18-09-2006 को संस्थान में प्रवेश ले लिया।

8.3.2.1 आन्ध्र प्रदेश अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ, वारंगल (आन्ध्र प्रदेश) के अध्यक्ष ने सितम्बर, 2006 में एक अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार श्री ए. राहुल कुमार नाईक को इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें अनुसूचित जनजाति हिस्से की रिक्ति पर दिनांक 02-09-2006 के स्पॉट प्रवेश सं0 टी-176 द्वारा बी.टेक में प्रवेश दिया जा चुका था और उन्होंने प्रवेश शुल्क की राशि (23,650 रूपयों) का भुगतान भी कर दिया था, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान (एक डीम्ड युनिवर्सिटी), वारंगल (आंध्र प्रदेश) में बी.टेक पाठ्यक्रम में पंजीयन/प्रवेश से इनकार के संबंध में इस आयोग को अभिवेदन दिया। आयोग ने तुरन्त ही दिनांक 07/08-09-2006 के अपने पत्र द्वारा मामले को एनआईटी, वारंगल के निदेशक के साथ उठाया और उनसे मामले के पूरे तथ्य भेजने को कहा और श्री नाईक को तुरन्त प्रभाव से कक्षाओं में बैठने की अनुमति देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन में उप शिक्षा सलाहकार के पास संघ के अभिवेदन की एक प्रति भेजी । उनको श्री नाईक को बी.टेक पाठ्यक्रम में कक्षाओं में बैठने की अनुमति देने के लिए आवश्यक निर्देश देने की सलाह दी गई और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार को प्रवेश देने एवं निर्धारित शुल्क की अदायगी के बाद भी उसे कक्षा में बैठने की अनुमति न देकर प्रताड़ित करने के आरोपों के बारे में भी जाँच करने की सलाह दी गई और श्री नाईक के अभिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में आयोग को सूचित करने के लिए कहा गया।

8.3.2.2 एनआईटी, वारंगल ने दिनांक 30-09-2006 के पत्र द्वारा इस आयोग को सूचित किया कि एआईईईई रेंक के अनुसार सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए 18-09-2006 को स्पॉट प्रवेश आयोजित करने का निर्णय लिया गया था और श्री नायक के मामले पर भी उसी तारीख को विचार किया जाएगा। आयोग को दिनांक 04-10-2006 के एनआईटी के पत्र द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 18-09-2006को आयोजित स्पॉट प्रवेश के आधार पर वर्ष 2006-2007 के लिए बी.टेक कार्यक्रम में श्री ए. राहुल कुमार नाईक को प्रवेश दे दिया गया है।

8.3.3 गाँव-ममन, पोस्ट-बाकेली, जिला-उमरिया (मध्य प्रदेश) की सुश्री ज्ञानवती सिंह उर्फ जामवती सिंह से दिनांक 30-07-2006 की शिकायत प्राप्त हुई जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अधीन

जिला-उमरिया (मध्य प्रदेश) में अनुपपुर स्थान पर एसकेओ-एलडीओ डीलरशीप के लिए लेटर ऑफ इन्टेंट्स (एलओआई) जारी करने में विलम्ब करने के संबंध में था। उन्होंने आरोप लगाया कि एलओआई जारी करने में आईओसीएल के वरिष्ठ अधिकारी अनावश्यक रूप से विलम्ब कर रहे थे। उनका मामला अगस्त, 2006 में आयोग द्वारा आईओसीएल, नई दिल्ली के सीएमडी के साथ उठाया गया। आयोग को आईओसीएल द्वारा अक्तूबर, 2006 में सूचित किया गया कि एसकेओ-एडीओ डीलरशीप के लिए अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अधीन अनुपपुर के लिए आईओसीएल द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया था एवं डीलर के चयन के लिए दिनांक 24-08-2004 को रायपुर में साक्षात्कार रखा गया था। पेनल में पहला उम्मीदवार श्री रविन्दर सिंह था। तथापि श्री रविन्दर सिंह के संबंध में एफआईआर के समय कुछ विसंगतियाँ देखी गई और तद्नुसार पेनल के पहले उम्मीदवार श्री रविन्दर सिंह के चयन को रद्द करने का निर्णय लिया गया और उम्मीदवार सं0 से 2 अर्थात् सुश्री ज्ञानवती सिंह उर्फ जमवती सिंह का एफआईआर कारित करने का निर्णय लिया गया। यह भी बताया गया कि अनुपूरक स्थान के चयन के विरूद्ध आईओसीएल के सतर्कता विभाग में एक शिकायत प्राप्त हुई थी और इसी कारण से सुश्री ज्ञानवती को एलओआई जारी करने को रोक लिया गया और सतर्कता विभाग से क्लीयरेंस प्राप्त होने पर अन्ततः 29-09-2006 को एलओआई जारी कर दिया गया।

8.3.4 नन्दूरबर जिला (महाराष्ट्र) में नवापुर तालुका के हल्दानी गाँव के एक अनुसूचित जनजाति किसान ने आयोग को एक अभिवेदन भेजा और सूचित किया कि राज्य सरकार ने लोकहित में उसकी भूमि ले ली है, परन्तु अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। आयोग ने मामले को जिला कलेक्टर नन्दूरबर के साथ उठाया, जिन्होंने दिनांक 20-12-2006 के पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि आवेदक को 08-12-2006 को 97,038/- रूपयों के बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान कर दिया है जैसा कि नियमों के अधीन स्वीकार्य था।

8.3.5 दैनिक भास्कर, भोपाल में दिनांक 21-02-2007 को प्रकाशित समाचार ने खुलासा किया कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक पति को मध्य प्रदेश के बरवानी जिले के जिला अस्पताल में प्रसव कराने के लिए बाध्य किया गया। मामले को जिला कलेक्टर के साथ उठाया गया जिन्होंने आयोग को सूचित किया कि समाचार पत्र में छपा समाचार तथ्यों पर आधारित नहीं था। उन्होंने सूचित किया जिला अस्पताल में महिला को प्रसव पूर्व पीड़ा, उच्च रक्तचाप और गम्भीर दौरों के साथ भर्ती किया गया था। इस स्थिति में उसको प्रसव कक्ष में नहीं ले जाया जा सकता था क्योंकि ऊंची टेबल से गिरने की सम्भावना थी। उक्त परिस्थितियों में कोई अन्य विकल्प नहीं था और प्रसव बिस्तर पर हुआ। क्योंकि रोगी के साथ कोई स्त्री नहीं थी, अतः उसका पति उस स्थान पर उपस्थित था। प्रसव स्टाफ नर्स और दाई द्वारा कराया गया। महिला को 'दीन दयाल उपचार योजना' के अधीन मुफ्त दवाइयाँ दी गई एवं 'जनानी सुरक्षा योजना' के अधीन 1400/- रूपयों का चेक दिया गया।

8.3.6 गोंडवाना पुनरूत्थान संघ, मध्य प्रदेश के राज्य अध्यक्ष ने आयोग को एक अभिवेदन भेजा और सूचित किया कि सिलवानी, रायसेन जिले की अनुसूचित जनजाति महिला की जमीन को गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्ति ने बलपूर्वक हड़प ली और जिला प्राधिकारी अपराधी के विरूद्ध पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहे थे। मामले को रायसेन के जिला कलेक्टर और एस.पी. के समक्ष उठाया गया। परिणामस्वरूप अवैध अतिक्रमण पुलिस की उपस्थिति में हटाया गया और जमीन का कब्जा अनुसूचित जनजाति महिला को दिया गया। एसपी ने सूचित किया कि भा.द.सं. की धारा 447, 506, 34 एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(4) के अधीन एक वाद दाखिल किया गया। उन्होंने यह भी सूचित किया कि दो आरोपियों को 22-02-07 को गिरफ्तार कर लिया गया और चालान न्यायालय को भेज दिया गया। पीड़िता को 25000/-रूपये की राशि स्वीकृत की गई और आरोपी,

जो कि सरकारी सेवक (अध्यापक) था, को निलम्बित कर दिया गया। साथ ही उसकी अवैध गतिविधियों में संलग्नता को देखते हुए उसे जिले से निष्कासित करने का मामला विचाराधीन था। यह भी बताया गया कि पुलिस पीड़िता को सुरक्षा प्रदान करने में सतर्क थी।

8.3.7 भोपाल (मध्य प्रदेश) के प्रेस के एक वर्ग (दैनिक भास्कर) द्वारा दिनांक 12-10-2006 को रिपोर्ट किया कि बेतुल जिले की एक अनुसूचित जनजाति विधवा, अत्याधिक गरीबी के चलते हमीदिया अस्पताल, भोपाल में रखे अपने पति के पार्थिव शरीर को लेने में असमर्थ थी और यह कि उसने बिना अन्तिम संस्कार किए पार्थिव शरीर को अस्पताल में ही छोड़ने का निर्णय लिया। आयोग ने मामले पर तुरन्त कार्रवाई की और जिला कलेक्टर, बेतुल (मध्य प्रदेश) को तुरन्त कार्रवाई करने को कहा। जिला कलेक्टर ने आयोग को सूचित किया कि महिला का पति बिजली के तार के सम्पर्क में आ गया था और इसके कारण वह गम्भीर रूप से जल गया था और झटके लगे थे। उसे ईलाज के लिए भोपाल ले जाया गया जहाँ उसकी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। वह अपने पीछे अन्धी माँ, पिता, पत्नी और तीन अवयस्क बच्चे छोड़ गया था। जिला कलेक्टर ने यह भी सूचित किया कि तहसीलदार से 1000/- रूपयों की तत्काल राहत पाकर मृतक के पार्थिव शरीर को उसके परिजन उसके मूल निवास स्थान पर ले गए। उन्होंने यह भी सूचित किया कि परिवार की दीन आर्थिक दशा को देखते हुए जनजातीय कल्याण के सहायक आयुक्त ने 2000/- रूपये प्रदान किए। सीईओ, जनपद पंचायत, चिचौली ने भी राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के तहत 10,000/- रूपयों की राशि दी। जिला कलेक्टर से उक्त जवाब पाकर आयोग ने उनसे मृतक की पत्नी को रोजगार उपलब्ध कराने को कहा और उसके बच्चों को सरकार द्वारा संचालित आश्रम स्कूलों में दाखिला दिलाने को कहा। जिला प्राधिकारियों ने आयोग के परामर्श पर कार्यवाही की और उसके बेटे को लड़को के आश्रम स्कूल, चिरापटला में प्रवेश दिलाया। महिला, बेटियों को अपने साथ रखना चाहती थी और उनको आश्रम स्कूलों में दाखिला दिलाने के प्राधिकारियों के निवेदन को नहीं माना और उन्हें गाँव की स्कूलों में दाखिला दिलवाया। जिला प्राधिकारियों ने उसको विधवा पेंशन भी स्वीकृत की।

8.4 अत्याचारों से संबंधित मामले

8.4.1 बरवाणी जिला (मध्य प्रदेश) की एक अवयस्क अनुसूचित जनजाति की लड़की ने अक्तूबर, 2006 में आयोग को सूचित किया कि एक गैर -अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्ति, एक अनुसूचित जनजाति व्यक्ति और एक अज्ञात व्यक्ति ने 16-10-2006 को उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले को बरवाणी के जिला कलेक्टर के समक्ष उठाया गया जिन्होंने सूचित किया कि भा.द.सं. की धारा 363, 366, 376 (ii), 506 और 34 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम की धारा 3(2) (v) व 3(1) (xii) के अधीन एक मामला दर्ज किया गया और सभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया था। आयोग ने मामले को जिला कलेक्टर, बरवाणी के समक्ष पीड़िता को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए उठाया गया। यह सूचित किया गया कि नियमों के तहत यथास्वीकार्य राशि 25,000/-रूपये उसको स्वीकृत किए गए।

8.4.2 दिनांक 26-05-2005 को समाचार पत्र दैनिक भास्कर, भोपाल में प्रकाशित एक रिपोर्ट को आयोग के ध्यान में लाया गया कि पन्ना जिला में ग्रामीण बाजार से एक अवयस्क जनजातीय लड़की का अपहरण किया गया और गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरोपियों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करके वैश्यावृति के लिए बेच दिया गया। मामले को पन्ना जिले के पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखा गया जिन्होंने जनवरी, 2007 में आयोग को सूचित किया कि भा.द.सं. की धारा 363, 363क, 372, 373, 376, 34 तथा अनुसूचि जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) (ii) के अधीन मामला दर्ज किया गया। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और न्यायालय में चालान भेज दिया गया था।

पीड़िता को सहायता पहुँचाने के लिए मामले को फिर से जिला प्राधिकारियों को भेजा गया। आयोग को यह सूचित किया गया कि 50, 000/- रूपयों की राशि स्वीकृत की गई थी और 25,000 रूपयों का भुगतान पीड़िता को कर दिया गया था जैसा कि नियमों के तहत स्वीकार्य था।

8.4.3 बरवाणी जिला (मध्य प्रदेश) की एक जनजातीय महिला ने जनवरी, 2007 में आयोग को अभिवेदन दिया कि एक धनवान गैर - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 'सेठ' ने कथित रूप से जहर लेने के लिए उसके पति को बाध्य किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसने यह भी सूचित किया कि पुलिस अधिकारियों ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। मामले की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए इसे अपर महानिदेशक (एजेके) पीएचक्यू भोपाल और संबंधित पुलिस अधीक्षक के समक्ष उठाया गया। पुलिस अधीक्षक ने आयोग को सूचित किया कि आवेदक की सूचना पर पुलिस को एक लाश मिली। जाँच करने पर यह पाया गया कि मृतक, आरोपी व्यक्ति के खेतों में पिछले दस वर्षों से मजदूर के रूप में कार्य कर रहा था जिसके बदले में उसे रूपये व अनाज दिया जाता था। उस व्यक्ति द्वारा यह भुगतान पिछले एक वर्ष से रोक दिया गया था और उसे मजदूर के रूप में अन्य स्थानों पर काम करने की अनुमति नहीं दी गई। उस व्यक्ति द्वारा प्रताड़ित करने के कारण मृतक ने जहर खा लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और भा.द.सं. की धारा 306, 34 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम 1989 की धारा 3(2) (v) के अधीन न्यायालय को चालान प्रस्तुत कर दिया गया। साथ ही आयोग ने जिला प्राधिकारियों से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निवेदन किया। इसके परिणामस्वरूप मृतक की पत्नी के नाम 1,50, 000रूपयों की रूपयों की राशि स्वीकृत की गई।

8.4.4 मध्य प्रदेश के सेहोर जिले में एक गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्ति द्वारा एक अवयस्क अनुसूचित जनजाति लड़की को उसके चेहरे पर तेजाब फेंककर जला देने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। आयोग ने मामले को पुलिस अधीक्षक, सेहोर के समक्ष उठाया, जिन्होंने दिनांक 22-01-2007 के पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि भा.द.सं. की धारा 326 व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के अधीन मामला दर्ज दिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया। साथ ही आयोग ने पीड़िता को आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के बारे में पूछताछ की। यह सूचित किया गया कि नियमों में यथा स्वीकार्य 1, 50,000/- रूपयों की राशि पीड़िता को स्वीकृत की गई थी।

8.4.5 जनवरी, 2007 में आयोग को रिपोर्ट किया गया कि सेहोर जिले के महोदिया गाँव की एक अनुसूचित जनजाति महिला के साथ उसके पति के नियोजक ने पति की अनुपस्थिति में दुष्कर्म किया। आयोग ने मामले में हस्तक्षेप किया और संबंधित पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी। आयोग को सूचित किया गया कि आरोपी के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 342, 376, 506 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (xii) के अधीन एक मामला दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और चालान, न्यायालय को भेजा गया। क्योंकि पीड़िता देवास जिले की रहने वाली थी, अत: जिले से आर्थिक सहायता दिलाने के लिए मामला देवास भेज दिया गया।

8.4.6 आयोग को अक्टूबर, 2006 में रिपोर्ट किया गया कि गांव अवाल्दा, जिला-बरवाणी की अवयस्क अनुसूचित जनजाति लड़की के साथ, जब वह अपने पिता के खेतों की ओर जा रही थी, गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लड़के ने छेड़खानी की। आयोग ने बरवाणी के पुलिस अधीक्षक को मामले की जाँच करने और की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भेजने का निवेदन किया। बरवाणी के पुलिस अधीक्षक ने आयोग को सूचित किया कि आरोपी भी अवयस्क लड़का था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मामले को किशोर न्यायालय को भेजा गया। आयोग ने पीड़िता को आर्थिक सहायता दिलवाने के बारे

में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए जिला कलेक्टर से निवेदन किया। यह सूचित किया गया कि नियमों में यथा सवीकार्य राशि 25,000/-रूपये पीड़िता को स्वीकृत किए गए।

8.4.7 दिसम्बर, 2006 में आयोग के ध्यान में लाया गया कि बिलाखेड़ा, जिला बरवाणी की एक अनुसूचित जनजाति महिला के साथ गैर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति व्यक्ति द्वारा छेड़खानी की गई जब उसका पति काम के लिए बाहर गया हुआ था। आयोग ने मामले में हस्तक्षेप किया और बरवाणी के पुलिस अधीक्षक से तत्काल आवश्यक कदम उठाने का निवेदन किया। संबंधित पुलिस अधीक्षक ने आयोग को सूचित किया कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया, न्यायालय को चालान भेज दिया गया और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) नियम, 1995 के तहत् 25, 000/- रूपयों की राशि स्वीकृत की गई।

8.4.8 आयोग के ध्यान में लाया गया कि बरवाणी जिले के सेंधवा की अभिनव कॉलोनी में अवयस्क अनुसूचित जनजाति लड़की के साथ एक अवयस्क गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लड़के ने छेड़खानी की थी। आयोग ने त्वरित कार्यवाही की और बरवाणी के पुलिस अधीक्षक से आरोपी को गिरफ्तार करने और पीड़िता को सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया। बरवाणी के पुलिस अधीक्षक ने आयोग को सूचित किया कि भा.द.सं. की धारा 345, 506 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(xi) के अधीन मामला दर्ज कर दिया गया था और आरोपी अवयस्क लड़के को 13-03-2007 को गिरफ्तार करके किशोर न्यायालय में पेश कर दिया गया। क्योंकि पीड़िता को आर्थिक सहायता के बारे में कोई उल्लेख नहीं था अत: आयोग ने दिनांक 24-05-2007 के अपने पत्र द्वारा इसकी सूचना माँगी। अन्ततः पीड़िता को 25,000/- रूपयों की राशि स्वीकृत की गई।

8.4.9 साक्षी मानवाधिकार निगरानी, आन्ध्र प्रदेश के अनुश्रवण एवं विधिक समन्वयक श्री डी.भूपाल से दिनांक 27-10-2006 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें महबूबनगर जिले में तालाकोंडापल्ली मण्डल की एक अनुसूचित जनजाति महिला के साथ कथित सामहिक दुष्कर्म के बारे में लिखा गया था और पीड़ित को तुरन्त सहायता एवं क्षतिपूर्ति के भुगतान के बारे में निवेदन किया गया था। मामले को महबूबनगर के जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के समक्ष दिनांक 22-11-2006 को उठाया गया। महबूबनगर के जिला कलेक्टर ने सूचित किया कि महबूबनगर के आरडीओ की जाँच रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जनजाति महिला के साथ तीन गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों ने दिनांक 12-07-2006 को सामूहिक दुष्कर्म किया जिनके नाम (i) बशम्नी यादेय्या पुत्र जनगैया (ii) गुण्डमोनी सुधाकर पुत्र अन्जैया (iii) पेरूमल्ला रमेश पुत्र वन्दनामैया थे जो सभी तालाकोंडापल्ली के निवासी थे। तालाकोंडापल्ली पुलिस स्टेशन में भा.द.संहिता की धारा 376 एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) xi (2) v के अधीन दिनांक 16-07-2007 का आपराधिक केस सं0 20/2006 दर्ज किया गया। आयोग को साथ ही सूचित किया गया कि पीड़िता को अनुग्रह राशि के 50 प्रतिशत के रूप में 25,000/- रूपयों की राशि का भुगतान कर दिया गया। महबूबनगर के आर.डी.ओ. से पुनर्वास के साधनों के रूप में गृह-स्थान, पक्का घर और सरकारी भूमि उपलब्ध करवाने का निवेदन किया गया। आयोग को आगे सूचित किया गया कि पीड़िता को रोजगार या 1000/- रूपये प्रतिमाह की पेंशन उपलब्ध करवाने का मामला भी विचाराधीन था।

अध्याय–9

सिफारिशों का सार

विभिन्न पहलुओं पर आयोग की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के उद्देश्य से संबंधित अध्यायों में उन पर विशेष बल दिया गया है। इन सिफारिशों का सारांश निम्नानुसार दिया गया है:-

अध्याय–1 : आयोग की संघटनात्मक संरचना और कार्य संचालन

1 जहाँ लोक सेवक द्वारा संविधान में या किसी अन्य आदेश या कानून के अधीन अनुसूचित जनजाति को उपलब्ध सुरक्षा उपायों के अनुपालन का स्पष्ट उल्लंघन जाँच में प्रकट होता है तो आयोग सुधारात्मक उपचार उपाय करने के लिए संबंधित संगठन को सलाह/परामर्श दे सकता है और यह कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के संबंधित संगठन के लिए ऐसी सलाह/परामर्श स्वीकार करना अनिवार्य होना चाहिए, यह उपबन्ध करवाने के लिए अनुच्छेद 338 क के उपखण्ड 5 (ख) को उचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। [**पैरा** 1.6.6.1, 1.6.6.2 **व** 1.6.7.1 (1)]

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग को दी गई शक्तियों के अनुरूप अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उपलब्ध सुरक्षा उपायों से संबंधित सरकार के निर्देशों के कार्यान्वयन में लोक सेवक द्वारा जानबुझकर अपने कर्त्तव्य निभाने में विलम्ब या लापरवाही करने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को लोक सेवक पर जुर्माना लगाने की शक्ति दी जानी चाहिए [**पैरा** 1.6.6.1, 1.6.6.2 **व** 1.6.7 (ii)]

3. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को बहुत ही कम स्टाफ उपलब्ध करवाया गया है और इसी कारण यह इसको दिए गए संवैधानिक दायित्वों को प्रभावी तरीके से निष्पादित करने में असमर्थ है। अत: इसके वर्तमान स्टाफ को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। [**पैरा** 1.6.6.1**व** 1.6.7.1 (iii)]

4. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338क के उपखण्ड 6 व उपखण्ड 7 में संशोधित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति/राज्य का राज्यपाल, आयोग द्वारा उसको प्रस्तुत रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर, संसद/राज्य विधायिका के दोनों सदनों के समझ रखेगा और संघ या राज्य से संबंधित परामर्शों पर की गई कार्रवाई या करने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई का ज्ञापन ऐसी रिपोर्ट के राष्ट्रपति/राज्यपाल को प्रस्तुत करने के छ: माह के भीतर संसद/राज्य विधायिका के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा। [**पैरा** 1.8.1, **से** 1.8.5]

अध्याय–2: सेवा संबंधी सुरक्षण

1. अखिल भारतीय आयकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ विरूद्ध भारत संघ व अन्य मामले की याचिका (सिविल) सं. 1997 की 244 में प्रत्यर्थी सं.1 व 2 क्रमश: राजस्व विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सलाह दी जा सकती है कि वे अपने वकीलों के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष लम्बित इस मामले की माननीय सर्वोच्च न्यायालय से शीघ्र सुनवाई हेतु अनुरोध करें क्योंकि यह रिट याचिका अनुसूचित जाति और

अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के पक्ष में समूह 'ख' में से चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है। [**पैरा** 2.3.1 **से** 2.3.4]

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (केट) की पीठों (अर्थात् जोधपुर पीठ और प्रधान पीठ, नई दिल्ली) के दो विरोधी निर्णयों से उत्पन्न स्थिति का हल निकालने का कोई तरीका ढूँढना चाहिए और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, और सी.डी. भाटिया एवं अन्य विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायाल की टिप्पणियों के अनुपालन में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक विचार जोन उपलब्ध करवाने हेतु दिनांक 15-03-2002 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/27/2000-स्थापना(आरक्षण) में दिए गए निर्देशों में शीघ्र संशोधन करना चाहिए। [**पैरा** 2.4.2.2 **से** 2.4.2.8]

3. सभी केन्द्रीय मंत्रालयों व विभागों, विशेषतया जो कि विभिन्न पदों/सेवाओं पर नियुक्ति के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग है, के द्वारा सलाह दी जानी चाहिए कि वे विशेष भर्ती अभियान (एसआरडी) चलाकर और/ या चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में विस्तारित विचार जोन से बाहर अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उन्हें तदर्थ पदोन्नतियों द्वारा उन्हें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित शॉर्टफाल/बैकलॉग रिक्तियों को भरा जाए।[**पैरा** 2.7.1.2]

4. लोक उद्यम विभाग को केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपक्रमों को सामूहिक प्रयासों से समूह 'ख' पदों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित शॉर्टफाल/बैकलॉग रिक्तियों को विशेष भर्ती अभियान द्वारा भरने की सलाह देनी चाहिए ताकि उनके प्रतिनिधित्व को 7.5 प्रतिशत के विहित स्तर तक लाया जा सके। [**पैरा** 2.7.2.2]

5.(i) आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) द्वारा सभी चूककर्ता बैंकों को विशेष भर्ती अभियान चलाकर या जनजातीय क्षेत्रों में भर्ती दल नियुक्त करके या दोनों तरीकों से अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के शॉर्टफाल/बैकलॉग को भरने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम (1 वर्ष की अवधि से अनधिक) बनाने की सलाह देनी चाहिए। [**पैरा** 2.7.3.2 **व** 2.7.3.3]

(ii) आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) द्वारा बीमा कम्पनियों सहित सभी लोक उपक्रम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की फिर से बैठक लेनी चाहिए और उन्हें डीओपीटी के उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन में दिए अनुसार सही तरीके से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित शॉर्टफाल/बैकलॉग रिक्तियों की फिर से गणना करने एवं अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अन्दर उन्हें भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने के लिए कहना चाहिए।[**पैरा** 2.7.3.7]

6. आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई, राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता, न्यू इण्डिया बीमा कम्पनी लिमिटेड, मुंबई ऑरियण्टल बीमा कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली और युनाइटेड इण्डिया बीमा कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई को समय-बद्ध तरीके से समूह 'घ' पदों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित शॉर्टफाल/बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए

विशेष भर्ती अभियान चलाने की सलाह देनी चाहिए। इसी प्रकार आर्थिक कार्य विभाग न्यू इण्डिया बीमा कम्पनी लिमिटेड को विशेष भर्ती अभियान चलाकर समूह 'ग' में प्रतिनिधित्व स्तर 3.04प्रतिशत से अपेक्षित स्तर 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रयास करने की सलाह देनी चाहिए। [**पैरा** 2.7.4.3]

7.(i) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभागों) और विश्व विद्यालय अनुदान आयोग सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी करें कि एसे प्रोफेसर और रीडर के पदों में जो कि भर्ती नियमों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, अनुसूचित जनजातियों को 7.5 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध हो। इन विश्वविद्यालयों को साथ ही ऐसे प्रोफेसर और रीडर के पदों के लिए जो कि सीधी भर्ती से भरे जाते हैं, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित शॉर्टफाल/बैकलॉग रिक्तियों की गणना करने के लिए कहा जाए और इन रिक्तियों को भरने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने को कहा जाए। [**पैरा** 2.7.5.2.2]

(ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) द्वारा सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित व्याख्याता के ग्रेड / पद में शॉर्टफाल/बैकलॉग रिक्तियों को विशेषीकृत अवधि में भरने के लिए सख्त निर्देश जारी करने चाहिए। [**पैरा** 2.7.5.2.3]

8. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग)/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी चूककर्ता केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' पदों के संबंध में गैर-अध्यापन पदों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों की पहचान और उन्हें विशेषीकृत समय सीमा के अन्दर भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने के लिए सख्त निर्देश जारी करने चाहिए। [**पैरा** 2.7.5.3.2]

अध्याय–3: अनुसूचित जनजातियों के रूप में समुदायों का विनिर्देशन और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों का परवर्ती संशोधन

(i) राज्य सरकारों को यह सलाह देने की आवश्यकता है कि:-

(क) यह प्रावधान करने के लिए वे निर्देश जारी करें कि उसके/उनके मूल राज्य से विस्थापित होकर दूसरे राज्य में पुनर्वास के कारण अनिच्छा से प्रवास कर गए अनुसूचित जनजाति माता-पिता के परिवार और बच्चें, ऐसी स्थिति में जब कि जिस समुदाय से वे संबंध रखते हैं वह उस राज्य में पहले से ही अनुसूचित जाति/जातियों के रूप में अधिसूचित है, उस राज्य में, जहाँ वे विस्थापन के पश्चात् पुनः अवस्थित हुए हैं, वही प्रास्थिति रखना जारी रखेंगे और उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों को लागू लाभों का उपभोग करेंगे। [**पैरा** 3.9.7 (i)(**क**)]

(ख) ऐसी स्थिति में जबकि वह समुदाय जिससे कि पुनर्वासित जनजातीय लोग संबंध रखते हैं, पुनर्वास वाले राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप अधिसूचित नहीं है, उन्हें (अर्थात् राज्य सरकारों को) पुनर्वास के दिन से तुरन्त उस/उन समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करने के लिए कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त अधिसूचना के मामले के लम्बित रहने तक उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों को अनुमेय सभी लाभों को पुनर्वासित जनजातियों को प्राप्त करने दिया जाए। [**पैरा** 3.9.7(i) (**ख**)]

(ii) राज्य सरकारों को यह सलाह देने की भी जरूरत है कि वे यह प्रावधान करने के लिए निर्देश जारी करें कि राज्यों के पुनर्गठन के कारण नये राज्य के गठन या एक राज्य से दूसरे राज्य के क्षेत्रों को अन्तरण के सन्दर्भ में, अविभाजित राज्य के लिए अधिसूचित, अनुसूचित जनजातियाँ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधिसूचित होने की तिथि को नये राज्य में उनके निवास स्थान पर निर्भर करते हुए उत्तराधिकारी राज्य में समान प्रास्थिति को रखना जारी रखेंगी।

2. श्रीमती पुष्पा और अन्य विरूद्ध शिवचनमुगावेलू और अन्य के सिविल अपील सं0 1988 की 6-7 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायाल के दिनांक 11-02-2005 के निर्णय के दृष्टिकोण में, जिसमें कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि केन्द्र सरकार की नीति जिसके अधीन सभी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, उनके राज्यों पर गौर किए बिना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों के लिए पात्र होंगे, को अपनाते हुए केन्द्र शासित प्रदेश, पांडिचेरी ने ऐसी नीति अपना कर कोई विधिक अशक्तता नहीं की और उसे विधि के किसी प्रावधान के प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों, विशेष रूप से केन्द्र शासित प्रदेश, चण्डीगढ़ में लागू करने पर विचार किया जा सकता है जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए कोई अधिसूचित सूची नहीं है और उस प्रभाव के लिए आवश्यक निर्देश/नीति निर्देश जारी किए जा सकते हैं। [**पैरा** 3.10.1 **व** 3.10.2]

अध्याय–4: आदिम जनजातीय समूहों (पी.टी.जी) का विकास

1.(i) बिहार सरकार को बिहार के अलग-अलग जिलों में हिल खारिया आदिम जनजातीय समूह की जनसंख्या की गणना के लिए तीव्र सर्वेक्षण कराना चाहिए ताकि राज्य सरकार और जनजाति कार्य मंत्रालय को इस आदिम जनजातीय समूह के सदस्यों को उनके लिए विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के लाभों को सुलभ कराये जाने में सहायता देने के लिए उनकी बिखरी जनसंख्या के बारे में सही सूचना प्राप्त हो सके। [**पैरा** 4.3.1]

(ii) बिहार सरकार द्वारा सामान्य रूप से जनजातीय विद्यार्थियों के लिए विस्तारित की जा रही सुविधाओं के समान सुविधायुक्त आवासीय स्कूलों सहित विशेष स्कूलों की स्थापना आदिम जनजातीय समूहों द्वारा खास तौर पर निवास किए जाने वाले क्षेत्रों में करने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए। [**पैरा** 4.3.4]

(iii) बिहार सरकार को आदिम जनजातीय समूहों को उनकी स्वास्थ्य स्थितियों को सुधारने के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु तुरन्त कदम उठाने चाहिए। राज्य सरकार को आदिम जनजातीय समूहों के अधिवासों में और चारो ओर इस दृष्टि से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी खोलने चाहिए ताकि उन्हें गम्भीर प्रकार की मौसमी बीमारियों से बचाया जा सके और कुछ तीव्र गति से लुप्त होती आदिम जनजातीय समूहों जैसे बिरजिया, असुर, सवर और बिरहोर (जिनकी जनसंख्या 500 से कम है) को लुप्त होने से बचाया जा सके। असुरों की कुल जनसंख्या केवल 17 बताई जाती है। [**पैरा** 4.3.5]

2. आयोग प्रथम रिपोर्ट में दिए गए परामर्श को दोहराता है कि मालेरू समुदाय (पहले ही अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त) के लोगों को, उनके शिकारी होने के गुण और जंगलों और

पहाड़ियों पर रहने और मूलकन्दों और पत्तियों पर निर्वाह करने के कारण कर्नाटक से मालेरू समुदाय को भी आदिम जनजाति समूहों (पी.टी.जी.) में शामिल किया जाए। [**पैरा** 4.7.11.2]

3. जनजातीय कार्य मंत्रालय, सड़कों, पुलों का निर्माण करने के लिए और पेयजल, लघु सिंचाई, मकान विद्युतीकरण आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए और मारम नागा आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) की समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकार को सक्षम बनाने हेतु उनकी अनुमति शीघ्र देने के लिए मणिपुर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को देखे। [**पैरा** 4.11.2]

4. राजस्थान सरकार ने बताया है कि सहरिया बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए उन्होंने भारत सरकार को 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत् दो और आवासीय विद्यालय - एक लड़को व एक लड़कियों के लिए, 12 आश्रम छात्रावास (6 लड़कियों के लिए और 6 लड़कों के लिए) और 42 माँ-बाड़ी केन्द्र/भवन खोलने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार करे और राजस्थान सरकार को अपना अनुमोदन शीघ्र सूचित करे। [**पैरा** 4.14.3.2 **व** 4.13.3.2]

5. आयोग के ध्यान में यह लाया गया है कि तमिलनाडु राज्य में कट्टूनायकन आदिम जनजातीय समूह जिला प्राधिकारियों से जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार को जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं करने की समस्या को देखने की सलाह दी जाती है और सलाह दी जाती है कि वे जिला प्राधिकारियों को कट्टूनायकन जनजातीय लोगों को उनके दावे की सच्चाई को सत्यापित करने के बाद बिना किसी परेशानी के जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश जारी करे। [**पैरा** 4.15.5 **व** 4.14.5]

6 (i) राजिस की जनसंख्या चिन्ताजनक गति से कम हो रही है। 1991 की जनगणना के अनुसार उनकी संख्या 1728 की तुलना में 2001 की जनगणना में घटकर 680 रह गई है। उत्तराखण्ड राज्य सरकार को राजिस की घटती जनसंख्या के पीछे कारणों का पता लगाने के दृष्टिकोण से मामले को देखने और उन्हें लुप्त होने से बचाने के लिए मजबूत कदम उठाने की सलाह दी जाती है। [**पैरा** 4.16.7]

(ii) आयोग ने यह भी पाया है कि पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड) में उस जिले में निवास कर रही 136 परिवारों की शैक्षिक आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए आश्रम प्रकार का सरकारी विद्यालय है जबकि चम्पावत जिले में, जहाँ 26 आदिम जनजातीय समूह परिवार निवास कर रहे हैं, कोई विद्यालय नहीं है। उत्तराखण्ड सरकार को चम्पावत जिले के आदिम जनजातीय समूह के बच्चों के लिए भी ऐसा विद्यालय खोलने की सलाह दी जाती है। [**पैरा** 4.16.8]

7 जहाँ आदिम जनजातीय समूह हैं ऐसे सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंध में आदिम जनजातीय समूहों के विकास स्तर को बढ़ाने के लिए आयोग के सामान्य सुझाव:-

(i) प्राथमिक विद्यालय, आदिम जनजातीय समूह के मोहल्लों/गांवों से दूर या बहुत दूर अवस्थित हैं, अत: आदिम जनजातीय समूह के बच्चों को स्कूल जाने में, विशेषकर बरसात के मौसम में, कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। आयोग सुझाव देता है [**पैरा** 4.19.1 (i)] **कि**

(क) उपस्थिति को बढ़ाने के लिए और स्कूलों में आदिम जनजातीय समूह के विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए भी प्रत्येक आदिम जनजातीय समूह के गाँव/मोहल्ले में प्रत्येक गाँव के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोलना चाहिए।

(ख) जहाँ तक संभव हो, स्कूलों के उचित कार्यसंचालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी स्कूलों में स्थानीय योग्य युवक/महिला को अध्यापक नियुक्त किया जाना चाहिए

(ग) स्कूल आने/उनके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करने हेतु स्कूल ड्रेस, किड बैग आदि और जिन कक्षाओं में वे पढ़ रहे हैं उसके आधार पर विद्यार्थियों को 100/- रूपयों से 300/- रूपये प्रति वर्ष की दर से और साथ ही माता-पिता को 200/- रूपयों से 400/-रूपये प्रतिवर्ष की दर से आर्थिक सहायता के रूप में प्रोत्साहन देना चाहिए।

(ii) आदिम जनजातीय समूह को वर्ष पर्यन्त सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) के गाँव/मोहल्ले के लिए एक छोटा गहरा ट्यूब वेल (नलकूप) लगाना चाहिए। जहाँ पर बिजल की आपूर्ति नहीं है वहाँ हेण्ड-पम्प लगाने चाहिए। आयोग यह भी सुझाव देता है कि जब तक आदिम जनजातीय समूह के गाँवों/मोहल्लों में नलकूप/हेण्ड पम्प उपलब्ध नहीं करवा दिए जाते, कीटाणुरहित सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए वर्षा ऋतु के दौरान कुंओं में अमोनिया का घोल डालने की व्यवस्था की जाए। [**पैरा** 4.19.1 (ii)]

(iii) दूरस्थ क्षेत्रों में प्रत्येक खण्ड के लिए आदिम जनजातीय समूह को आपातकालीन एवं नियमित उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्राथमिक उपचार सुविधाओं और छोटे शल्य उपस्करों के साथ दवाईयों से सज्जित एक चिकित्सा मोबाइल वेन की व्यवस्था की जानी चाहिए। आदिम जनजातीय समूहों वाली राज्य सरकारों को दूध पिलाने वाली और गर्भवती माताओं को कुपोषण से लड़ने के लिए पोषण से भरपुर चीजों जैसे रागी, छोटी मक्का, कन्द आदि उपलब्ध करवाने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। [**पैरा** 4.19.1 (iii)]

(iv) राज्य सरकारों को पीडीएस के अधीन उपलब्ध मदों को उन आदिम जनजातीय समूहों के संबंध में जो अगम्य जंगलों/पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ उचित दूरी के अन्दर पीडीएस बाजार उपलब्ध नहीं है, मोबाइल गाड़ियों के द्वारा वितरण करवाने की व्यवस्था करने की सलाह दी जानी चाहिए। आयोग आगे सुझाव देता है कि राज्य सरकार साप्ताहिक बाजार (हाट बाजार) लगाने की व्यवस्था करे जहाँ आदिम जनजातीय समूह आ सकें, उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद बेच सकें और उनकी आवश्यकताओं की चीजे खरीद सकें। [**पैरा** 4.19.1 (iv)]

(v) राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे आदिम जनजातीय समूह परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायें ताकि वे अपने घरों का निर्माण कर सकें। [**पैरा** 4.19.1 (v)]

(vi) लगभग सभी आदिम जनजातीय समूह परिवार, बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे के) परिवार है अत: उन्हें आय पैदा करने वाली गतिविधियों में संलग्न करने की सख्त आवश्यकता है। व्यवस्थित कृषि (उन्हें उन्नत बीज, कृषि औजार, हल, बैल, बैलगाड़ी आदि की आपूर्ति करके), बागवानी और पशुपालन (उन्हें शंकर गायें, भैंसे, भेड़/सुअर बाड़ा इकाई आदि उपलब्ध कराकर) आदि अपनाने के लिए प्रेरित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्हें बेंत और बाँस कारीगरी, बढ़ईगिरी, हल्के मोटर

वाहनों का चालन, सिलाई और नारियल दस्तकारी आदि में भी उनके बीच स्वरोजगार पैदा करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। [**पैरा** 4.19.1. (vi)]

(vii) राज्य सरकारों (मध्य प्रदेश सरकार को छोड़कर) को सलाह दी जानी चाहिए कि वे समूह 'ग' व 'घ' पदों और विभिन्न ग्रेडों में अध्यापन श्रेणी के अनुबन्ध पदों पर आदिम जनजातीय समूहों से संबंधित उम्मीदवारों की भर्ती के लिए उन्हें भर्ती प्रक्रिया से गुजारे बिना योजनाएं बनायें। यह इस शर्त पर कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार योजना के अनुरूप पदों के लिए विहित न्यूनतम योग्यता रखते हों। [**पैरा** 4.19.1. (vii)]

(viii) कर्नाटक सरकार ने विभिन्न विभागों के जरिये आदिम जनजातीय समूह के विकास के लिए कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को देखने हेतु जिला स्तर पर समितियों का गठन किया है। उपायुक्त, संबंधित जिले की समिति का अध्यक्ष होता है। समिति तीन महीनों में एक बार विकास कार्यक्रमों के असर की समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाती है। आयोग महसूस करता है कि आदिम जनजातीय समूह के विकास को सुनिश्चित करने के लिए यह एक बहुत अच्छा कदम है और अन्य राज्यों द्वारा इसे दोहराना चाहिए और अतएव आदिम जनजातीय समूह वाले अन्य सभी राज्यों को भी कर्नाटक मॉडल की लीक पर जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समितियों के गठन की सलाह दी जा सकती है। [**पैरा** 4.19.1. (viii)]

अध्याय–5: अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक विकास

1. **आन्ध्र प्रदेश**

आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को विशेष प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि:

(i) महबुबनगर, मेडक और निजामाबाद जिलों में महिला साक्षरता दर को सुधारे ताकि उसे राज्य की महिला साक्षरता दर (अनुसूचित जनजाति) 26.10 के स्तर पर लाया जा सके। [**पैरा** 5.2.1.1]

(ii) विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देकर कोलम और कोंध जनजातियों (जो आदिम जनजातीय समूह भी हैं) की महिला साक्षरता दर को बढ़ाए। [**पैरा** 5.2.1.2]

(iii) और अधिक जनजातीय बच्चों को कवर करने के लिए अनुसूचित जनजाति बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लक्ष्य हेतु श्रेष्ठ उपलब्ध विद्यालय योजना (बीएएसएस) के अधीन जनजातीय बच्चों के माता-पिता के संबंध में उनकी आय को 18,000/- रूपये प्रति वर्ष की उच्चतम सीमा तक बढ़ाए और सुनिश्चित करें कि संशोधित उच्चतम आय सभी परिस्थितियों में गरीबी रेखा के ऊपर निर्धारित हो। [**पैरा** 5.2.3.1]

(iv) जनजातीय लड़कियों, लड़कों और उनके माता-पिता को अलग-अलग प्रकार के प्रोत्साहन देकर कक्षा-I से VII तक में स्कूल छोड़ने की दर 74.7 को कम करें। [**पैरा** 5.2.6.1]

2 **छत्तीसगढ़**

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को सलाह दी जाती है कि :

(i) सरगुजा, कवर्धा, महासमुन्द, बस्तर और दांतेवाड़ा जैसे जिलों में महिला साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए और अबुघामाडिया, बैगा और बिरहोर नामक आदिम जनजातीय समूह में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करे। [**पैरा** 5.3.1]

(ii) छात्रावास जो कि बिना बिजली और चार-दीवारी के हैं, के संबंध में आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए तुरन्त कदम उठाये। [**पैरा** 5.3.2.1]

(iii) अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक हित में सभी एक अध्यापक वाले विद्यालयों में एक और अध्यापक की नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाये। यह सुझाव दिया जाता है कि नियुक्ति करते समय स्थानीय जनजातीय युवक/युवतियों में से अध्यापक नियुक्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए। [**पैरा** 5.3.2.3]

(iv) आयोग ने पाया है कि राज्य के सात जनजातीय जिलों में अध्यापकों के 2295 पद रिक्त पड़े है। राज्य सरकार को राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के 2295 रिक्त पदों को भरने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाने की सलाह दी जाती है। [**पैरा** 5.3.2.4]

3. **हिमाचल प्रदेश**

(i) स्कूलों में उपस्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार प्रतिमाह 4/-रूपये प्रति जनजातीय विद्यार्थी की दर से निर्धनता छात्रवृति उपलब्ध कराती है। छात्राओं के लिए ऐसी छात्रवृति की राशि प्रतिमाह 2/- रूपये प्रति छात्रा की दर से है। आयोग परामर्श देता है कि राज्य सरकार को इन छात्रवृतियों को बढ़ाकर कम से कम 50/- रूपये प्रति जनजातीय विद्यार्थी (लड़कों और लड़कियों दोनों) करने हेतु क्वाण्टम मं संशोधन करने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए। राज्य सरकार को साथ ही सलाह दी जाती है कि और अधिक अनुसूचित जनजाति लड़कों और लड़कियों को उपस्थिति प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस योजना के अधीन उच्चतम आय 11000/- रूपये तक बढ़ाये और यह भी सुनिश्चित करे कि संशोधित उच्चतम आय सभी परिस्थितियों में गरीबी रेखा के ऊपर निर्धारित हो। [**पैरा** 5.4.3.2]

4. **कर्नाटक**

(i) राज्य सरकार को जनजातीय लड़कियों और लड़कों तथा उनके माता-पिता को प्रोत्साहन देकर पढ़ाई छोड़ने की दर को घटाने के लिए सभी प्रयास करने की सलाह दी जाती है। [**पैरा** 5.5.3]

5. **मध्य प्रदेश**

मध्य प्रदेश राज्य सरकार को सलाह दी जाती है कि:

(i) झाबुआ, सिन्धी और सतना जिलों में महिला साक्षरता बढ़ाने और राज्य की महिला साक्षरता दर की तुलना में कम सम्पूर्ण अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता को सुधारने के लिए भी विशेष प्रयास करे। [**पैरा** 5.6.1]

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये कि राज्य में 11 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग की गई 50 प्रतिशत सीटों का पूरा कोटा, राज्य में महिला शिक्षा के समग्र हित में केवल अनुसूचित जनजातियों में से भरा जाए। [**पैरा** 5.6.2.2]

6. **मणिपुर**

(i) राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए सभी पाँच छात्रावास और तदन्तर अनुसूचित जनजाति लड़कों के लिए छात्रावासों में बुनियादी ढाँचे के सुधार के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए। राज्य सरकार को सभी छात्रावासों और आश्रम स्कूलों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की सलाह भी दी जाती है। राज्य सरकार को आश्रम स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम भी बनाना चाहिए ताकि उनमें रह रहे और पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। [**पैरा** 5.7.2.1]

7. **उड़ीसा**

(i) उड़ीसा सरकार को जनजातीय और आदिम जनजातीय समूह के क्षेत्रों में जागरूकता शिविर लगाकर और स्कूलों में उपस्थित होने हेतु प्रेरित करने के लिए बच्चों और उनके माता-पिता को प्रोत्साहन देकर जनजातीय लोगों में महिला साक्षरता दर और आदिम जनजातीय समूहों की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने की सलाह दी जाती है। [**पैरा** 5.8.1]

(ii) उड़ीसा में जनजातीय क्षेत्रों में 2181 एक अध्यापक वाली स्कूलें हैं। राज्य सरकार ने, जहाँ कम से कम 40 विद्यार्थी हैं ऐसी स्कूलों में एक अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार को अन्य एक अध्यापक वाली स्कूलों में भी एक अतिरिक्त अध्यापक की नियुक्ति के लिए शीघ्र कदम उठाने की सलाह दी जाती है। प्राथमिक अध्यापकों के रूप में स्थानीय जनजातीय युवक/युवतियों को नियुक्त करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। [**पैरा** 5.8.2.3]

(iii) राज्य सरकार ने बताया है कि भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होने के कारण कुछ आईटीडीएज (समेकित जनजातीय विकास एजेंसियों) ने अनुसूचित जनजाति लड़कों और लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना रोक दिया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को मामले को देखने की सलाह दी जाती है और वह यह सुनिश्चित करें कि आईटीडीएज/राज्य सरकार को शीघ्र ही आवश्यक निधियां जारी हों। [**पैरा** 5.8.8.1]

अध्याय–6: स्वास्थ्य और पोषण

1. **आन्ध्र प्रदेश**

(i) राज्य सरकार को हाइपोथर्मिया से नवजात शिशुओं की मौतों और गैर-संस्थानिक जन्म लेने वालों के बाहरी संक्रमण को भी रोकने के उद्देश्य से उनके द्वारा वर्ष 2006-07 से चलाई गई योजना के लाभों के विस्तार पर विचार करना चाहिए। यह योजना इसके वर्तमान स्वरूप में केवल सरकारी संस्थानों में जन्म लेने वाले शिशुओं को ही शामिल करती है। [**पैरा** 6.2.1 (ii)]

(ii) राज्य सरकार द्वारा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में और अधिक शिविर आयोजित किए जाएं जिनमें रक्त अल्पता (एनीमिया) और कुपोषण के दुष्प्रभावों के बारे में जनजातीय महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हों। इन शिविरों में गरीबी रेखा के नीचे के जनजातीय लोगों के लिए नि:शुल्क दवाईयाँ, चिकित्सकीय परीक्षण और जाँच उपलब्ध करवाने के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। [**पैरा** 6.2.7]

(iii) राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभ दूरस्थ एवं अलग-थलग क्षेत्रों में निवास कर रहे जनजातीय लोगों को मिलें, चिकित्सकों और अन्य पेरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रभावी एवं समयबद्ध उपाय करने चाहिए। [**पैरा** 6.2.8]

(iv) राज्य सरकार को जनजातीय क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में आवासीय मकानों की सुविधा उपलब्ध करवाने की सलाह दी जाती है। [**पैरा** 6.2.9]

(v) राज्य सरकार को दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित जनजातीय गाँवों और मोहल्लों में बच्चों और गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं में कुपोषण से लड़ने के लिए ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। मूल स्तर पर आधारित सामुदायिक सर्वेक्षण कराने की भी आवश्यकता है। [**पैरा** 6.2.10]

2 **छत्तीसगढ़**

(i) राज्य सरकार को जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रमों और उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के लिए कदम उठाने चाहिए। राज्य सरकार को राज्य के जनजातीय लोगों से संबंधित विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों पर विश्वसनीय आंकड़े एकत्र करने का प्रयास भी करना चाहिए ताकि वे तद्नुसार जनजातीय क्षेत्रों में उनके कार्यक्रम चलाने में सक्षम हो सकें। [**पैरा** 6.3.1]

(ii) राज्य सरकार को अपने प्रतिरक्षण कार्यक्रम को दूरस्थ एवं अलग-थलग जनजातीय क्षेत्रों में विस्तार देने और उपलब्ध बुनियादी स्टाफ को गतिशील करके वितरण प्रणाली को सशक्त करने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए। । [**पैरा** 6.3.2]

(iii) क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में अधिकतर प्रसव, आस-पास में मातृत्व सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण, गैर - संस्थानिक प्रसव होते हैं, राज्य सरकार को संस्थानिक प्रसवों को लोकप्रिय बनाने के लिए और राज्य की जनजातीय पट्टी में जननी सुरक्षा योजना के अधीन उपलब्ध प्रोत्साहनों को लोकप्रिय बनाने के बारे में और अधिक प्रयास करने चाहिए। राज्य के जनजातीय लोगों को उनकी बेटियों की शादी 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद करने के लिए भी शिक्षित करना चाहिए क्योंकि समयपूर्व शादी का भी प्राय: नतीजा माता और शिशु के स्वास्थ्य-संकट के रूप में सामने आता है जिसका परिणाम शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) की उच्चतर दर होता है।[**पैरा** 6.3.3]

(iv) राज्य सरकार ने युगों पुरानी पारम्परिक दवा-प्रणाली से जनजातीय लोगों को दूर करने की दृष्टि से उपचार की आधुनिक प्रणाली के महत्व के बारे में उनमें जागरूकता पैदा करने के कई प्रयास किए हैं। आयोग, राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा करता है और यह महसूस करता है कि इस दिशा में राज्य सरकार के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है क्योंकि मिडिया में अब भी जनजातीय और अन्य समुदायों में 'झाड़-फूँक', 'जादू-टोना' आदि की कई घटनाएं प्रकाश में आती है। राज्य सरकार को समुदाय को पूर्ण रूप से शिक्षित करने के अलावा ऐसी प्रथाओं के विरूद्ध प्रभावी उपाय भी करने चाहिए। । [**पैरा** 6.3.6]

(v) राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जनजातीय लोगों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए चल चिकित्सा ईकाईयाँ (वेन) ज्यादा प्रभावी रह सकती है, अतः राज्य सरकार को आवश्यक सुविधाओं और मानवशक्ति से सुसज्जित चल चिकित्सा ईकाइयों की स्थापना करने पर ज्यादा बल देना चाहिए।
[**पैरा** 6.3.7]

(vi) राज्य सरकार को जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में रिक्त, चिकित्सकीय, नर्सिंग और पेरामेडिकल पदों को भरने के लिए तुरन्त समयबद्ध और प्रभावी उपाय करने चाहिए। राज्य सरकार को जनजातीय और नक्सली क्षेत्रों में तैनात चिकित्सकों और पेरामेडिकल स्टाफ को अस्पताल परिसर में सज्जित आवास देने के अलावा आकर्षक विशेष प्रोत्साहन देने की भी सलाह दी जाती है। । [**पैरा** 6.3.10]

(vii) आयोग के ध्यान में आया है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पोषक आहार को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के लाभ कई जनजातीय बच्चों, विशेषतया जंगलों में रहने वाले और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वालों तक नहीं पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार को जनजातीय लोगों को उनकी स्थानीय भाषा और बोली में शिक्षित करना चाहिए ताकि वे पोषक भोजन के महत्व के बारे में जागरूक हो सके। । [**पैरा** 6.3.11]

(viii) राज्य सरकार को जनजातीय जिलों में बुखार की घटनाओं की रिपोर्टों के बारे में निगरानी रखनी चाहिए क्योंकि राज्य के कई खण्ड अब भी मलेरिया संभावित है। फायलेरिया के उन्मूलन के सभी प्रयास करने चाहिए जो कि 2015 तक प्राप्त करना है। 9 फायलेरिया महामारी वाले जिलों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। अन्य जिलों में भी फायलेरिया रूग्णता के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। राज्य स्वास्थ्य मशीनरी को डेंगू और चिकनगुनिया से भी लड़ने के लिए तैयार रहना होगा जो कि राज्य के सभी भागों में उभरती हुई समस्या है। [**पैरा** 6.3.13]

3. **हिमाचल प्रदेश**

(i) क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में अधिकतर प्रसव, आस-पास में मातृत्व सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण, गैर - संस्थानिक प्रसव होते हैं, राज्य सरकार को संस्थानिक प्रसवों को लोकप्रिय बनाने के लिए और राज्य की जनजातीय पट्टी में जननी सुरक्षा योजना के अधीन उपलब्ध प्रोत्साहनों को लोकप्रिय बनाने के बारे में और अधिक प्रयास करने चाहिए। राज्य के जनजातीय लोगों को उनकी बेटियों की शादी 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद करने के लिए भी शिक्षित करना चाहिए क्योंकि समयपूर्व शादी का भी प्रायः नतीजा माता और शिशु के स्वास्थ्य-संकट के रूप में सामने आता है

जिसका परिणाम शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) की उच्चतर दर होता है। [**पैरा** 6.4.1]

(ii) राज्य सरकार को स्थानीय दाइयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए और उन्हें जनजातीय क्षेत्रों में सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक साजो-सामान उपलब्ध कराने चाहिए जो कि राज्य में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने में सहायता कर सकता है। [**पैरा** 6.4.2]

(iii) राज्य सरकार को राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में अधिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना चाहिए। सभी जनजातीय लोगों का चिकित्सा शिविर में पहुंचना बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि एक वर्ष में से लगभग 5 से 6 महिनों अस्त-व्यस्त और सख्त मौसम की परिस्थितियों के कारण शिविर उसी जिले में आयोजित किए जा रहे हैं। [**पैरा** 6.4.3]

(iv) राज्य सरकार को राज्य के लाहौल, स्पिति, पंगी और भारमौर जैसे जनजातीय क्षेत्रों में और अधिक चिकित्सा चल ईकाइयाँ (वेन) उपलब्ध करवाने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए। [**पैरा** 6.4.5]

(v) राज्य सरकार को समयबद्ध तरीके से विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए। राज्य सरकार को बाहर से विशेषज्ञों/सर्जनों की नियुक्ति के साथ-साथ हाल ही में राज्य की मेडिकल कॉलेजों से अधिस्नातक (पीजी) करने वाले विशेषज्ञों/सर्जनों की नियुक्ति पर भी विचार करना चाहिए। राज्य सरकार को जनजातीय क्षेत्रों में नियुक्त चिकित्सकों और पेरा मेडिकल स्टाफ के लिए आवासीय मकानों की व्यवस्था करने के अलावा जल्दी-जल्दी पदोन्नतियाँ देकर जनजातीय क्षेत्रों में सेवा करने के लिए प्रोत्साहन देने के बारे में भी विचार करना चाहिए। [**पैरा** 6.4.6]

4. मणिपुर

(i) राज्य सरकार को चिकित्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को राज्य और बाहर से उपलब्ध उम्मीदवारों से भरने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए और प्रोत्साहनों को और अधिक आकर्षक बनाना चाहिए। स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार को संविदा आधार पर (हाल ही के मेडिकल स्नातकों और अधि-स्नातकों में से) विशेषज्ञों/ चिकित्सकों की नियुक्ति पर भी विचार करना चाहिए। आयोग यह भी सुझाव देता है कि राज्य सरकार को जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए जरूरी सुविधाओं से सुसज्जित अधिक से अधिक चल चिकित्सा ईकाइयों (वेनों) की व्यवस्था करनी चाहिए। [**पैरा** 6.6.3]

5. उड़ीसा

(i) यदि राज्य का यह दृष्टिकोण है कि जनजातीय लोग अधिक संख्या में दूरस्थ, अगम्य, जंगलों और जंगलों से घिरे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को प्रचालन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, राज्य सरकार को जनजातीय लोगों के बीच शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर का पता लगाने के लिए अध्ययन करने चाहिए और जनजातीय लोगों के बीच शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को घटाने के लिए अधिक प्रभावी उपाय करने चाहिए। [**पैरा** 6.7.1]

(ii) राज्य सरकार को राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में तैनात चिकित्सकों और पेरामेडिकल स्टाफ को और अधिक वित्तीय प्रोत्साहन देने चाहिए और उन्हें काम में बनाये रखने के लिए नियुक्ति के स्थान पर आवासीय मकान भी उपलब्ध कराये। [**पैरा** 6.7.4]

(iii) राज्य सरकार को राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) में मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और ईएनटी में विशेषज्ञों के पदों के सृजन के लिए खण्डों में कदम उठाने चाहिए। [**पैरा** 6.7.5]

(iv) आयोग महसूस करता है कि जनजातीय क्षेत्रों में तैनात चिकित्सा स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके स्वास्थ्य अधिकारियों की क्षमता निर्मित करने की आवश्यकता है। [**पैरा** 6.7.6]

(v) आयोग ने पाया है कि 7 जिलो अर्थात् सुन्दरगढ़, देवगढ़, बोलगीर, झरसुगुढ़ा, सम्बलपुर, आंगुल और बौध में यद्यपि कुष्ठ रोग की राज्य की जनसंख्या फैलाव दर वर्तमान में राष्ट्रीय दर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 0.84 की तुलना में 0.92 तक कम हुई है, तथापि फैलाव दर प्रति 10,000 पर 2 से नीचे है और सोनपुर व बारागढ़ नामक दो जिलों में फैलाव दर प्रति 10, 000 जनसंख्या पर 2 से ऊपर है। आयोग का मानना है कि इन जिलों में से अधिकतर में बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है अत: राज्य सरकार के लिए इन जिलों में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। [**पैरा** 6.7.7]

(vi) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वर्तमान में केबीके जिलों में 90 चल स्वास्थ्य ईकाइयाँ कार्य कर रही हैं। सभी पोकेटों को कवर करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है, अत: राज्य सरकार को और अधिक चल स्वास्थ्य ईकाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। [**पैरा** 6.7.8]

6. **राजस्थान**

राजस्थान की राज्य सरकार को सलाह दी जाती है कि

(i) जनजातीय शिशुओं में उच्च मृत्यु दर के कारणों का पता लगाने के लिए अध्ययन कराये और इसे कम करने हेतु प्रभावी उपाय करे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य अधिकारियों के अलावा जनजातीय समुदाय से लोगों को भी शामिल करना चाहिए। [**पैरा** 6.8.1]

(ii) जनजातीय क्षेत्रों में और अधिक स्वास्थ्य संस्थान खोले और दुर्गम क्षेत्रों में चल स्वास्थ्य ईकाइयां शुरू करे, जो कि चिकित्सा संस्थानों से बहुत दूर स्थित है। [**पैरा** 6.8.2]

(iii) विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में रिक्त पदों को भरने के लिए समय-बद्ध तरीके से तुरन्त कदम उठाये। [**पैरा** 6.8.3]

8. **सिक्किम**

सिक्किम सरकार को जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टरों और अन्य पेरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को या तो नियमित नियुक्ति द्वारा या अनुबन्ध पर नियुक्ति द्वारा

भरने के लिए आवश्यक प्रयास करने चाहिए। जनजातीय लोगों की आसान पहुंच के लिए जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को सुधारने के अलावा विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति भी की जानी चाहिए। [**पैरा** 6.9.4]

9. **पश्चिम बंगाल**

राज्य सरकार को जनजातीय क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और द्वितीयक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों और पेरामेडिकल स्टाफ के पदों को या तो नियमित नियुक्ति से या अंशकालिक/अनुबन्ध आधार पर नियुक्त करके भरने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए। [**पैरा** 6.10.2]

अध्याय–7: भूमि हस्तान्तरण

1. आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार को 1998 के संशोधन अधिनियम सं. 7 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। [**पैरा** 7.2.6]

2. कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (खास भूमि-अन्तरण प्रतिषेध) अधिनियम, 1978 एवं उस के अधीन बनाए नियम, 1979 अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्य को स्वीकृत भूमियों के अन्तरण को प्रतिबंधित करते हैं। अधिनियम केवल राज्य सरकार द्वारा आवंटित/स्वीकृत भूमि के अन्तरण पर लागू होता है और अन्य भूमियों पर नहीं। आयोग का मत है कि अधिनियम का क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के साथ ही अनुसूचित जातियों द्वारा धारित/स्वामित्व वाली सभी प्रकार की भूमियों को कवर करने तक विस्तारित होना चाहिए।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
Department Of Personnel & Training, New Delhi

OFFICE MEMORANDUM

No. 36036/2/97-Estt.(Res) Dated: 01,January 1998

Sub: Reservation policy for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes-Implementation of

The undersigned is directed to say that, in terms of this Department's O.M. No. 36011/15/79-Estt(SCT) dated January 6, 1981, if other Ministries/ Departments intend to depart from the policies laid down by the Department of Personnel, it is mandatory for them to consult the Department of Personnel, in terms of sub rule 4 of Rule 4 of the Transaction of Business Rules, otherwise the policies laid down by the Department of Personnel are binding on them.

2. The instructions contained in this Department's Office Memorandum dated July 2, July 22, August 13, and August 29, 1997 continue to be in operation and there is no proposal to withhold or to keep in abeyance their implementation.

3. In the All India Indian Overseas Bank Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees Welfare Association and others Vs. Union of India and others (Civil Appeal No. 13700 of 1996) the Supreme Court has held that the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has no power of granting injunctions, whether temporary or permanent. The Court also held that the powers of the Commission in terms of Article 338(8) of the Constitution are all the procedural powers of a civil court for the purpose of investigating and inquiring into the matters and that too for that limited purpose only.

4. In view of the judgment of the Supreme Court referred to in para-3, the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has no power to direct withholding of the operation of any orders issued by the Government.

5. Ministry of Agriculture etc. may, therefore, keep in mind the directions contained in this Department's O.M. dated 06.01.1981 and the judgment of the Supreme Court referred to above while dealing with the directions given by the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Ministry/ Departments etc. must, however, in all fairness consider the recommendations of the Commissions in the light of policies laid down by the Department of Personnel and Training.

Sd/-
(J. Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India

To,

1. All Ministries/ Departments of the Government of India.
2. Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi
3. Department of Economic Affairs (Insurance Division), New Delhi
4. Department of Public Enterprises, New Delhi
5. Railway Board
6. Union Public Service Commission/ Supreme Court of India/ Election Commission/ Lok Sabha Secretariat/ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Office/ P.M.O./ Planning Commission.
7. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodhi Load, New Delhi.
8. All Officers/ Sections of the Department of Personnel and Training/ Deptt. of Administrative Reforms & Public Grievances/ Department of Pensioners Welfare.

अनुबंध **1.II**

(As on 30.04.2008)

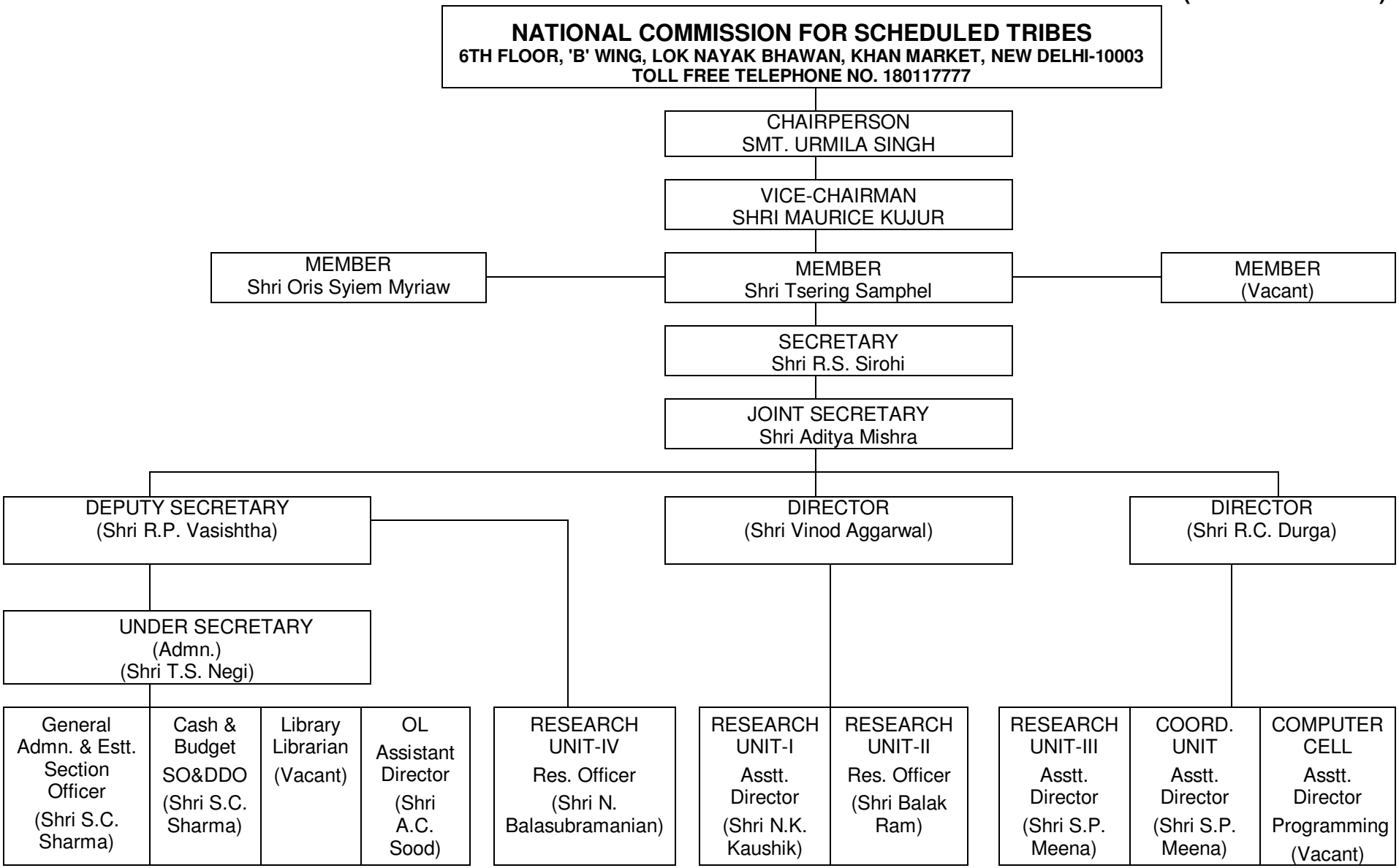

अनुबंध **1.III**

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi-110003
Dated: 2.1.2007

D.O. No.6/8/2006-C.Cell

K.N. Singh
Joint Secretary
Ph:24603669

Dear Shri Duggal,

Kindly refer to your d.o. letter No.I-19012/1/2006-NI-II dated 11 December, 2006 requesting this Commission for agenda items and the related material for the next meeting of the National Integration Council. The matter was considered in the full meeting of the Commission held on 20.12.2006. The Commission observed that inspite of several anti-alienation legislations prevailing in the States, cases of large scale alienation of land owned by or allotted to Scheduled Tribes had been taking place illegally in tribal areas particularly Scheduled Areas. The Commission noted that this problem together with the problem of lack of development of Scheduled Tribes in the tribal areas coupled with their displacement in case of acquisition of their land for development purposes and failure of the State Govts. to resettle and rehabilitate them to their satisfaction had largely contributed to the spread of naxalism in tribal areas. The Commission, therefore, observed that the following agenda may be suggested to the Ministry of Home Affairs for the forthcoming meeting of the National Integration Council:-

(i) Measures to be taken for prevention of alienation of tribal land to non-tribals and the restoration of such alienated land to the tribals.
(ii) Measures to be taken to check Naxal problems in tribal areas.
(iii) (a) Non-acquisition of the agricultural and fertile land for setting up industrial, irrigation and other major projects.
(b) In case acquisition of tribal land is unavoidable, course of action prescribed for acquisition of land including consultation with the Gram Sabha (with reference to PESA Act, 1996).
(iv) A comprehensive legislation may be enacted to ensure proper and adequate resettlement and rehabilitation of the tribals likely to be displaced by the major projects having regard to the R&R Policy of Ministry of Rural Development.
(v) Ensuring ownership rights of the tribals over collection of minor forest produce and providing reasonable price support for the MFP.
(vi) Fast and effective implementation of the provisions contained in Scheduled Tribes (Recognition of Forest Rights) Bill which has since been passed by both Houses of Parliament and is awaiting the assent of the Hon'ble President.

2. The related material with respect to the above-mentioned agenda items will be sent later on.

With kind regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(K.N. Singh)

Shri V.K. Duggal
Home Secretary,
North Block,
New Delhi

अनुबंध **1.IV**

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi-110003

D.O. No.4/4/2006-C.Cell

2.1.2007

K.N. Singh
Joint Secretary
Ph:24603669
Dear Ms. Santosh,

Please refer to your letter No.16015/03/2006-TDR dated 29.11.2006 regarding the comments of this Commission on "Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Fourth Report (14th Lok Sabha) - Atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes and pattern of social crimes towards them". The matter was considered by the Commission in its full meeting held on 20.12.2006. The Commission agreed that there was a justified need to empower the National Commission for Scheduled Tribes by making the implementation of its recommendations in relation to violation of the safeguards provided for the Scheduled Tribes through the following measures:-

(i) Clause 5 (b) of Article 338A should be suitably amended to provide that where the enquiry discloses any violation of safeguards of the STs or negligence in the prevention of violation of these safeguards by a public servant, the Commission may recommend to the concerned Government or authority for taking corrective remedial measures and that it should be mandatory for the concerned organization of the Central Govt. or the State Govt. to accept such recommendations.

(ii) On a complaint or suo-moto, the Commission may enquire into non-implementation of the provisions under Section 3 and 4 of the Act to ensure that the police authorities or a public servant perform their duties for proper implementation and investigation within a stipulated period and that the recommendation of the Commission in this regard should be binding on these authorities i.e. the police and civil servants for proper implementation for fair trial by special court. The Commission should also be empowered to award penalty for negligence by these authorities on the lines of the RTI Act, 2005.

(iii) The Commission observed that it had submitted its first Report to the President of India in August, 2006 and that it had not yet been laid on the Table of both the Houses of Parliament. The Commission further observed that the Reports of the erstwhile National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes were also laid before the Parliament many years after their submission to the President. This leads to dilution of the recommendations made by the Commission. The Commission observed that there was an urgent need to evolve a mechanism for laying the Reports of the Commission in Parliament within a reasonable period of time and accordingly felt the need for early acceptance of its recommendations contained in first Report of the National Commission for Scheduled Tribes for amending Clause (6) and Clause (7) of Article 338 (now Article 338A in the context of National Commission for Scheduled Tribes) as given below:-

"Clause (6):- The President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament within three months of such submission and a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the Union and the reasons for the non- acceptance, if any, of any of such recommendations shall be placed before each House of the Parliament within six months of such submission.

Clause (7):- Where any such report, or any part thereof, relates to any matter with which any State Government is concerned, a copy of such report shall be forwarded to the Governor of the State who shall cause it to be laid before the Legislature of the State within three months and a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the State and the reasons for the non- acceptance, if any, of any of such recommendations shall be laid before the Legislature within six months of such submission".

(iv) On the lines of the powers given to the Central Information Commission in the context of the implementation of the various provisions of the Right to Information Act, 2005, the National Commission for Scheduled Tribes should also be given power to impose fine on a public servant for willful delay or negligence in the discharge of his duties in implementing the instructions of the Government relating to safeguards available to the members of Scheduled Tribes.

(iv) The National Commission for Scheduled Tribes has been provided with skeleton staff only due to which it is not able to perform the constitutional obligations assigned to it in an effective manner. There is, therefore, an urgent need for augmentation of its existing strength.

With regards,

Yours sincerely,

sd/-….
(K.N. Singh)

Ms. Santosh
Deputy Secretary,
MER Division,
Ministry of Tribal Affairs,
August Kranti Bhavan,
Bhikaji Cama Palace,
New Delhi

अनुबंध **-2.I**

MOST IMMEDIATE

No.36036/2/2007-Estt.(Res.)
Govt. of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

New Delhi, Dated the 29th March, 2007

To

The Chief Secretaries of all the States/Union Territories.

Subject:- Supreme Court judgement in the matter of M. Nagaraj and others V/s Union of India and Others – regarding.

Sir,

I am directed to say that the Supreme Court had in some judgements interpreted the Constitution and the law in a manner that seemed to affect the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. For example, the Supreme Court in the case of Indra Sawhney V/s. Union of India had held that reservation in promotion for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes was not permissible under the provisions of the Constitution. In the same case, the Hon'ble Court held that the number of vacancies to be filled by reservation in a year including the backlog vacancies would not exceed 50 per cent of the total vacancies. In the S. Vinod Kumar V/s. Union of India, the Supreme Court held the that lower qualifying marks/lesser level of evaluation were not permissible for Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates in the matter of promotion. in the matter of Virpal Singh Chauhan, Ajit Singh and some other cases, the Supreme Court had held that if an SC/ST candidate was promoted earlier, by virtue of the rule of reservation roster, than his senior general candidate and the senior general candidate was promoted subsequently on to the said higher grade, the general candidate would regain his seniority over such previously promoted SC/ST candidate.

2. The Parliament, in order to address these issues had passed four amendments namely, the 77th Amendment, the 81st Amendment, the 82nd Amendment and 85th Amendment to the Constitution. These amendments were challenged in the Supreme Court mainly on the ground that these altered the basic structure of the Constitution. The Hon'ble Supreme Court in the matter of M. Nagaraj & Others V/s. Union of India & Others [Writ Petition (Civil) No.61/2002] has upheld all these four amendments. The Hon'ble Court concluded the judgement with the following observations:

> "The impugned constitutional amendments by which Article 16(4A) and 16(4B) have been inserted flow from Article 16(4). They do not alter the structure of Article 16(4). They retain the controlling factors or the compelling reasons, namely, backwardness and inadequacy of representation which enables the States to provide for reservation keeping in mind the overall

efficiency of the State Administration under Article 335. These impugned amendments are confined only to SCs and STs. They do not obliterate any of the constitutional requirements, namely, ceiling-limit of 50% (quantitative limitation), the concept of creamy layer (qualitative exclusion), the sub-classification between OBC on one hand and SCs and STs on the other hand as held in **Indira Sawhney**, the concept of post-based Roster with in-built concept of replacement as held in **R.K. Sabharwal**.

"We reiterate that the ceiling limit of 50%, the concept of creamy layer and the compelling reasons, namely, backwardness, inadequacy of representation and overall administrative efficiency, are all constitutional requirements without which the structure of equality of opportunity in Article 16 would collapse.

"However, in this case, as stated, the main issue concerns the "extent of reservation". In this regard the concerned State will have to show in each case the existence of the compelling reasons, namely, backwardness, inadequacy of representation and overall administrative efficiency before making provision for reservation. As stated above, the impugned provision is an enabling provision. The State is not bound to making provision for SC/ST in matter of promotions. However if they wish to exercise their discretion and make such provision, the State has to collect quantifiable data showing backwardness of the class and inadequacy of representation of that class in public employment in addition to compliance of Article 335. It is made clear that even if the State has compelling reasons, as stated above, the State will have to see that its reservation provision does not lead to excessiveness so as to breach the ceiling limit of 50% or obliterate the creamy layer or extend the reservation indefinitely.

"Subject to above, we uphold the constitutional validity of the Constitution (Seventy-Seventh Amendment) Act, 1995, the Constitution (Eighty First Amendment) Act, 2000, the Constitution (Eighty Second Amendment) Act, 200. and the Constitution (Eighty Fifth Amendment) Act, 2001".

3. This Department has, in consultation with the law officers of the Government, examined whether the above referred judgement introduces the concept of creamy layer for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This Department has been advised that the observations made in Nagaraj's case regarding creamy layer amongst the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are mere obiter dicta, per incurium and do not flow from, and cannot be reconciled with the nine judge bench judgement of the Supreme Court in the matter of Indra Sawhney. The reference to creamy layer in the concluding paragraph and other portions of the judgement does not relate to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

4. You are requested to bring the contents of this letter to all concerned in the State.

Yours faithfully,
Sd/-

(K.G. Verma)
Director
Tele. No.23092158

Copy to:-

1. All Ministries/ Departments of Government of India.
2. Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi.
3. Department of Economic Affairs (Insurance Division), New Delhi.
4. Department of Public Enterprises, New Delhi.
5. Railway Board.
6. Union Public Service Commission/Supreme Court of India/Election Commission/ Lok Sabha Secretariat/ Rajya Sabha Secretariat/ President Secretariat/Prime Minister's Office/Planning Commission/National Commission for Backward Classes.
7. National Commission for Scheduled Castes.
8. National Commission for Scheduled Tribes w.r.t. their letter No.12/16/2006-C.Cell dated 26-12-2006.
9. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
10. Office of the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

D.O.No.Policy-1/2006/ST/SSW

K.K. Gupta
Secretary

8.9.2006

Dear Shri Joshi,

Kindly refer to this Commission's d.o. letter of even number dated 2.6.2006 addressed to your predecessor regarding drawal of separate zone of consideration for SC/ST candidates in promotion by selection in Group B,C and D and to the lowest rung of Group A in compliance with judgments of the Hon'ble Supreme Court in case of (i) U.P. Rajya Vidyut Parishad SC/ST Karamchari Kalyan Sangh vs. U.P. State Electricity Board and Ors.(CA No.4026/1988) and (ii) C.D. Bhatia and Ors. vs. Union of India and Ors. (CA No.14568-69/95). In itsjudgment in the former case dated 23 November, 1994, the Hon'ble Supreme Court held that "we have concluded the hearing of arguments. We are prima facie in agreement with the contention of the learned counsel for the appellant that there has to be a separate zone of consideration so far as SC/ST candidates are concerned. Clubbing the Scheduled Caste with the general category in the same zone of consideration would defeat the very purpose of reservation." In the latter case, the Hon'ble Supreme Court vide their judgment dated 30.10.1994/3.4.1995 clarified that "the law laid down by them in U.P. Rajya Vidyut Parishad's case was binding on all the authorities including Union of India".

2. The Commission had accordingly, requested the Department of Personnel & Training to issue the revised instructions in line with the principles set down by the Hon'ble Supreme Court. As discussed in the meeting called on 24.5.2006 in the Chamber of Chairman, NCST [which was attended by JS (AT&A), JS (Estt.), Director (Estt.) and D.S., (Estt-Res)], DoPT a reference was made by the DoPT to the Department of Legal Affairs (Ministry of Law & Justice) on 19 June, 2006. A copy of the reference was sent to this Commission vide DoPT's letter No.42013/1/2006-Estt. (D) dated 3.7.2006. On perusal of the said reference, the Commission found that it was not precisely in accordance with the points which had emerged during the discussions on 24 May, 2006 during which it had been contended that the judgments of the Hon'ble Supreme Court were applicable in all types of promotion i.e. on adhoc basis as well as on regular basis and, therefore, the DoPT should have sought the advice of the Department of Legal Affairs on the issue whether in the light of Hon'ble Supreme Court's judgments, the instructions issued by DoPT vide their O.M. dated 15 March, 2002 regarding drawal of zone of consideration for SCs/STs in the matter of adhoc promotions by going down in the seniority list even beyond five times the number of vacancies for the purpose of adhoc promotion should also be made applicable in the case of regular promotion by selection. These shortcomings were brought to the notice of DoPT vide this Commission's letter of even number dated 3.8.2006 with the request to send a revised note/reference to Department of Legal Affairs. A copy of this letter was also endorsed to the Department of Legal Affairs with reference to the note dated 19 June, 2006 sent to them by DoPT. While this Commission has not heard anything so far from DoPT regarding the advice given by

the Department of Legal Affairs, the latter (i.e. the Department of Legal Affairs) in response to this Commission's endorsement of its letter dated 3.8.2006 (referred to above) made available to this Commission a copy of their advice dated 17.7.2006 already sent by them to DoPT vide their note dated 4.8.2006.

3. Judgment passed by CAT Jodhpur bench in O.A. No.66/02 Ram Singh Meena vs. Union of India has no relevance because appeal is pending before Hon'ble High Court of Rajasthan. Moreover, as per Article 141 Constitution of India, Supreme Court order is binding on all Courts in India as confirmed in the legal opinion also including High Court Rajasthan.

4. The Commission finds that **on the one hand,** the Department of Legal Affairs has referred to the categorical observation of the Supreme Court in the case of C.D. Bhatia vs. Union of India that 'the law laid down by this Court in U.P. State Rajya Vidyut Parishad's case is binding on all the authorities including the Union of India' and have further stated that the law declared by the Hon'ble Supreme Court in the U.P. State Rajya Vidyut Parishad's case is binding by virtue of Article 141 of the Constitution of India, **on the other hand,** it (i.e. the Department of Legal Affairs) has stated that "we are of the view that this order/judgment passed by the CAT, Jodhpur bench in O.A. No.62/02- Ram Singh Meena vs. Union of India does not suffer from any infirmity". **The Commission feels that the advice given by the Department of Legal Affairs does not seem to be in order. The Commission also feels that the judgment of the Jodhpur bench should not have any overriding effect on the law laid down by the Supreme Court which has already been implemented by DoPT itself in the matter of adhoc promotions in compliance with the Apex Court's judgment in Basudev Anil's case.**

5. **In view of the above, the Department of Personnel & Training is requested to issue necessary instructions in compliance with the Hon'ble Supreme Court's judgments in U.P. Rajya Vidyut Parishad SCs/STs Karamchari Kalyan Sangh vs. U.P. State Electricity Board and Ors., and in the case of C.D. Bhatia vs. Union of India regarding drawal of separate zone of consideration for SC/ST employees in the matter of regular promotions by selection also on line with the instructions dated 15 March, 2002 by DoPT which do not put any limit on the size of the zone of consideration.** Attention of DoPT, in this connection, is also invited to the following observations of CAT Principal bench, New Delhi in O.A. No.688/2005 in the case of Gopal Meena vs. Union of India:

> "23. "If one has regard to the above. DoPT O.M. prescribes a common zone of consideration for unreserved and reserved candidates whereas the decision of the Apex Court ruled preparation of separate zone of consideration. In case of conflict the decision of Apex Court overrides the executive instructions and in our considered view separate zone of consideration has to be prepared for consideration of SC/ST candidates."
>
> "26. ……."Once in adhoc promotion running down the seniority beyond the extended zone of consideration to consider the cases of eligible SC/ST candidates has been decided to be followed, non-compliance of the aforesaid principle for regular promotion and not amending the relevant provision issued in 1989 and 1987 by the DoPT the current executive instructions which infiltrate the arena covered by judicial orders cannot be countenanced, as held by the Apex Court in U.P. Rajya Vidut

Parishad's case. A judicial verdict is to be respected and overrides any executive instruction."

6. We shall be grateful if necessary action in this regard is taken at the earliest and Commission apprised of the action taken position within a month.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-
(K.K.Gupta)

Shri L.K. Joshi
Secretary,
Department of Personnel & Training,
North Block, New Delhi.

Copy to:-

Department of Legal Affairs (Attention Ms. Poonam Suri, Assistant Government Counsel) for information and necessary action in continuation of this Commission's endorsement to the letter of even number dated 3.8.2006 (which was sent to Secretary, DoPT) and with reference to their note Dy No.10930/06/Adve-A dated 4.8.2006 sent to the National Commission for Scheduled Tribes.

Sd/-
(K.N. Singh)
Joint Secretary

No. AB.14017/2/1997-Estt.(RR)/Pt.
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
(Department of Personnel and Training)

New Delhi, dated 19th January, 2007

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Fifth Central Pay Commission's recommendations- Revision of Pay Scales- amendment of Service Rules/ Recruitment Rules

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. AB-14017/2/97 Estt. (RR) dated the 25th May, 1998 on the subject noted above and to say that paragraph 2 of the said OM provided as follows:

> "The Supreme Court in its judgment in R.K. Sabharwal's case has ruled in favour of a change-over from the existing "vacancy" based reservation roster to post roster. Under the existing policy the determination of different quotes for recruitment is vacancy based. In order to comply with the aforesaid Supreme Court judgment, which has been implemented vide the DoPT OM No. 36012/2/96-Estt.(Res.) dated the 2nd July, 1997, it will be necessary to amend the existing Service Rules/ Recruitment Rules under column 11 of Annexure-1 in the DoP&T guidelines dated the 18th March, 1988 to replace the words "percentage of the "vacancies" to be filled by various methods" by "percentage of the 'posts' to be filled by various methods".

2. The Supreme Court in its judgment in CWP No. 5893 of 1997 decided on 18.12.1998-State of Punjab & Others Vs. Dr. R.N. Bhatnagar & another held as follows:

> "The quota of percentage of departmental promotees and direct recruits has to be worked out on the basis of the roster points taking into consideration vacancies that fall due at a given point of time…there is no question of filling up the vacancy created by the retirement of a direct by a direct recruit or the vacancy created by a promotee by a promotee".

3. The Court also held that the decision rendered by the Constitution Bench in R.K. Sabharwal's case Vs. State of Punjab & Others [(1995(1) SER-791(SC)] in connection with Article 16(A) and the operation of roster for achieving the reservation of posts for Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Backward Classes as per the scheme of reservation, can not be pressed in service for the scheme of method of appointment.

4. The Supreme Court referred the above-mentioned case in its judgment dated 22.2.1999 in All India Federation of Central Excise vs. The Union of India & Others [(IA Nos. 4, 6-8 in Writ Petition (C) No. 306 of 1988 with Writ Petition (C) No. 651 of 1997], and reiterated the above mentioned decision.

5. It has, therefore, been decided to rescind the instructions contained in Para 2 of this Department's OM dated 25.5.98 reproduced in paragraph 1 of this OM . The column 11 of the Annexure 1, appended to this Department's OM No. AB-14017/12/87-Estt.(RR) dated 18.3.1988 would continue in its form that existed before the issuance of OM dated 25.5.1998. For the sake of clarity, the column 11 of Annexure 1 would be as follows:-

Method of recruitment;

Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption & percentage of the vacancies to be filled by various methods.

6. In case column 11 of the Annexure 1 in regard to Recruitment Rules for posts has been amended by the ministries/ departments in accordance with the instructions contained in the O.M. of 25.5.1998, the same may be amended/ notified again, as indicated in paragraph No. 5, in consultation with the Legislative Department. This may be done without making reference to the Department of Personnel & Training/ Union Public Service Commission.

7. The attached Annexure illustrates how the post-based roster for reservation and vacancy-based roster for appointment under various methods are to be operated.

8. The reservation position for SCs/ STs/ OBCs would continue to be governed by the DOPT OM No. 36012/2/96-Estt.(Res.) dated 2nd July 1997.

9. This would take effect from the date of issue and the past cases would not be amended.

Sd/-….
(Smita Kumar)
Director

To

All Ministries/ Departments of the Government of India.

Copy to:

(i) The Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi-110011 with reference to their communication No….
(ii) The Comptroller & Auditor General of India, 10-Bahadur shah Zafar Marg, New Delhi-110002

The term 'cadre strength' referred to in this Department's O.M. No. 36012/2/96-Estt (Res.) dated 2.7.1997 in relation to calculation of reservation/ maintenance of reservation registers/ rosters means the number of posts required to be filled by a particular mode of recruitment in terms of the applicable Recruitment Rules. In a grade comprising 200 posts, where the Recruitments Rules prescribe a ratio of 40:40:20 for direct recruitment, promotions and deputation respectively, the cadre strength for direct recruitment and promotion shall be 80 each. Since there is no reservation for posts to be filled by deputation, 40 posts will not be subject to reservation. The O.M. of 2.7.97 also provides that if there is any increase or decrease in the cadre strength, size of the reservation roster will change and the number of reserved posts will also increase or decrease accordingly.

When recruitment is made vacancy-based, it is possible that at any given point of time, the share or direct recruitment may increase and the share of promotion may correspondingly decrease, or vice versa. In such cases, cadre strength for direct recruitment and cadre strength for promotion would change from year to year. Consequently, the number of reserved posts in direct recruitment quota and promotion quota will also change from year to year.

The following illustration clarifies the position.

Illustration.

Suppose sanctioned strength of a grade is 1000 and the Recruitment Rules for the grade provide that 50% of the vacancies shall be filled by direct recruitment on an All India basis by open competition and 50% by promotion. Reservation for SCs, STs and OBCs in direct recruitment in this case will be 15% , 7.5% and 27% respectively and in promotion reservation will be 15%for SC and 7.5% for ST

Suppose all the 1000 posts were filled in the year 2000 of which 500 i.e. 50% of the posts were filled by direct recruitment and 500 i.e. 50% of the posts were filled by promotion. The number of posts in direct recruitment quota and promotion quota in that grade in the year 2000 would will be as given below:

Direct Recruitment:	SCs-75,	STs-37	OBCs-135
Promotion	SCs-75,	STs-37	

Suppose in the year 2001, a total of 200 vacancies arose in the grade, of which 50 posts were vacated by candidates from the direct recruitment quota and 150 by candidates from the promotion quota. As a result of this, the number of incumbents in the direct recruitment quota became 450 and in the promotion quota 350. Since Recruitment Rules provide for filling of 50% of the vacancies by direct recruitment and 50% promotion, 100 vacancies in the year 2001 will be filled by direct recruitment and 100 by promotion. Thus in that year, the cadre strength for direct recruitment quota would become 550 and for promotion quota it would become 450. the number of reserved posts in the direct recruitment quota and promotion quota in that year will be as follows:

Direct Recruitment:	SCs-82,	STs-41	OBCs-148
Promotion	SCs-67	STs-33	

अनुबंध **3.I**

No. 12016/36/96-SCD (R.L.Cell)-Vol.III
Government of India
Ministry of Social Justice and Empowerment

Shastri Bhawan, New Delhil
Dated : 30-7-2002

To,

The Secretary,
National Commission for Scheduled Castes
and Scheduled Tribes,
Lok Nayak Bhawan, Vth Floor,
Khan Market,
New Delhi

Subject:- Modalities for deciding claims for inclusion in, exclusion from and other modifications in the orders specifying Scheduled Castes and Scheduled Tribes list.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 03-04-2000 on the above mentioned subject and to say that existing modalities in respect of clause (f) for deciding claims for inclusion in, exclusion from and other modifications in the orders specifying Scheduled Castes and Scheduled Tribes list have been revised on 25-06-2002. A copy of the revised modalities is enclosed.

Yours faithfully,

(V.R. Malhotra
Director
Tel. 3387073

Revised Modalities for deciding claims for inclusion in, exclusion from and other modifications in the Orders specifying Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists

(Revised on 25-6-2002)

Modalities for deciding claims for inclusion in, exclusion from and other modifications in the Orders specifying Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been notified. Such proposals are required to be processed as indicated below :-

(a) Cases favoured by both the State Governments and the Registrar General of India (RGI) in their most recent reports would be referred to the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for their opinion. They would be forwarded to the Commission individually or in batches, as may be practicable, alongwith with the comments of the State Governments and the RGI as well as any relevant material/ information furnished by them or by representations.

(b) Some issues concern not one but several States i.e. the status of SC/ST migrants. These would also be referred to the National Commission if the RGI and majority of concerned States have supported modification.

(c) It may be suggested to the Commission that, while examining the above cases, they should associate, through panels or other means, expert individuals, organizations and institutions in the fields of anthropology, ethnography and other social sciences, in addition to the State Governments, RGI and the Anthropological Survey of India, on a regional basis. They may also consider holding public hearings in areas relevant to the claims under examination. These guidelines cannot be binding on the Commission, but may be suggested in the interest of fuller examination of the cases. The Commission would also be requested to give priority to cases in which the Courts have given directives regarding decision within a stipulated time period. (In such cases, extension of time would be sought from the courts where necessary, citing these modalities for the determination of claims). Such cases would be separately processed and sent for earlier decision.

(d) Amending legislation would be proposed to the Cabinet in all cases in which the National Commission, RGI as well as the State Governments have favoured modification. Those cases with which the State Governments and the RGI are in agreement, but which the Commission have not supported, would be rejected at the level of Minister for Social Justice and Empowerment.

(e) Claims for inclusion, exclusion or other modifications that neither the RGI nor the concerned State Governments have supported would not be referred to the National Commission. These would be rejected at the level of the Minister for Social Justice and Empowerment.

(f) "In the case of claims recommended by the concerned State Governments/ Union Territory Administrations, but not agreed to by the Registrar General of India, the concerned State Government/Union Territory Administration would be asked to review and further justify their recommendations in the light of RGI. On receipt of the further clarification from the State Government/Union Territory Administration, the proposal would be referred to the RGI for comments. In such cases, where the RGI does not

agree to the point of view of the State Government/Union Territory Administration on a second reference, the Government of India consider rejection to the said proposal".

(g) Claims in respect of which the comments of either the RGI or the State Governments or of both are awaited would remain under consideration until their views are received. Thereafter, they would be dealt with in accordance with the modalities at (a) to (f) above.

(h) Claims recommended suo-moto by the National Commission would be referred to RGI and the State Governments. Depending on their responses, they would be disposed of in accordance with the modalities at (d) to (f) as may be applicable.

****

THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER, 1950

In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governors and Rajpramukhs of States concerned, is pleased to make the following Order, namely:-

1. This order may be called the Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950

2. The tribal or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities, specified in Parts I to XIV of the Schedule to this Order shall, in relation to the States to which those Parts respectively relate be deemed to be Scheduled Tribes so far as regards members thereof resident in the localities specified in relation to them respectively in those Parts of that Schedule.

3. Any reference in the Schedule to this Order to a district or other territorial division of a State shall be construed as a reference to that district or other territorial division as existing on the 26th January, 1950.

THE SCHEDULE
Part I Assam

1. In the Autonomous Districts:-

1. Dimasa (Kachari)
2. Garo
3. Hajong
4. Khasi and Jaintia
5. Any Keki tribes
6. Lakher
7. Any Loshai (Mize tribes)
8. Mikir
9. Any Naga tibes
10 Syntang.

2. In the Tribal Areas other than the Autonomous Districts:-

1. Ahor
2. Aka
3. Apatani
4. Dafia
5. Galon
6. Khmpti
7. Mishmi
8. Any Naga tribes
9. Sinhgpho
10. Momba
11. Sherdukpen

3. In the State of Assam excluding the Tribal Areas.

1 Boro- Borokachari
2. Deori
3. Hojai
4. Kachari
5. Lalung
6. Mech
7. Miri
8. Rabha

PART II-BIHAR

1. Throughout State :-

1. Asure
2. Baiga
3. Bathodi
4. Bedia
5. Binjhia
6. Birhor
7. Birjia
8. Chero
9. Chik Baraik
10. Goud

11. Gorait
12. Ho
13. Karmali
14. Kharia
15. Kharwar
16. Khond
17. Kisan
18. Kora
19. Korwa
20. Lohara
21. Mahli
22. Mal Paharia
23. Munda
24. Oraon
25. Parhaiya
26. Santal
27. Sanria Paharia
28. Savar

2. In the district of Ranchi, Singhbhum, Hazaribagh, Santal, Parganns and Manbhum :-
Bhumij

PART III- BOMBAY

Throughout the State :-

1. Barda
2. Bavacha
3. Bhil, including Bhagalia, Bhil Garasia, Dholii Bhil, Dungri Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rewal Bhil and Tadvi Bhil
4. Chodhara
5. Dhanka
6. Dhodia
7. Dubla
8. Gamit or Gamta
9. Gond
10. Kathodi or Katkari
11. Konkor
12. Koli Dhor
13. Koli Mahadev
14. Mavchi
15. Nalkada or Nayak
16. Pardhi, including Advichincher and Phanse Pardhi
17. Patelia
18. Pomla
19. Powara
20. Rathawa
21. Thakur
22. Valvai
23. Varli
24. Vasava

PART IV-MADHYA PRADESH

In (1) Melghat taluq of Amravati district,
(2) Baihar tahsil of Balaghat district,
(3) Bhanujpratapur, Bijarpur, Dantewara, Jagdalpur, Kankar, Kandagaon-Konta, and Narayanpur tahsil of Bastar district.
(4) Batul and Bhainsdehi tahsils of Betul district.
(5) Katghora tahsil of Bilaspur district
(6) Suroncha and Gharchiroli tahsils of Chand district
(7) Amarwara, Chhindwara, and Lakhnadon tahsils of Chhindwara district.
(8) Balod (Sanjari) tahsil of Durg district
(9) Mandla, Niwas and Ramgarh (Dindori) tahsil of Mandla district
(10) Harsud tahsil of Nimar district
(11) Dharamjagarh,. Gharkod, Jashpurnagar and Kharsia tahsils of Raigarh district.
(12) Ambikapur, Baikunthpur, Bharatpur, Janakpur, Mahendragarh, Pal, Samari and Sitapur tahsils of Sarguja district:-

1. Andh
2. Baiga
3. Bhaina
4. Bharia-Bhumia or Bhuinhar-Bhumia
5. Bhattra
6. Bhil
7. Bhunjia
8. Binjhwar
9. Birhul or Birhor
10. Dhanwar
11. Garaba or Gadha
12. Gond including—Madia (Maria),Mudia (Muria)
13. Halba or Halbi
14. Kamar

15. Kawar or Kanwar,
16. Kharia
17. Kondh or Khond or Kandh
18. Kol
19. Kolam
20. Korku
21. Korwa
22. Kamjhwar
23. Munda
24. Nagesia or Nagasia
25. Nihal
26. Oraon
27. Pardhan
28. Pardhi
29. Parja
30. Saonta or Saunta
31. Sawar or Sawara

PART V-- MADRAS

Throughout the State:-

1. Aranadan
2. Bagata
3. Bhottadas-Bodo Bhottada, Muria Bhottada and Sano Bhottada
4. Bhumias- Bhuri Bhumia and Podo Bhumia
5. Chenchu
6. Gadabas-Boda Gadaba, Cerllam Gadaba, Franji Gadaba, Jodia Gadaba, Olaro Gadaba, Pangi Gadaba and Pranga Gadaba.
7. Gondi – Modya Gond and Rajo Gond.
8. Goudus – Bato, Bhirithva Dudhokouria, Hato, Jatako and Joria
9. Kosalya Goudus – Bosothoriya Goudus, Chiul Goudus, Dangayath Goudus, Doddu Kamaria, Dudu Kmaria , Dudu Kamaro, Ladiya Goudus and Pullosoria Goudus
10. Magatha Goudus – Bemia Goudu, Boodh Magatha, Dangayath Gaudu, Ladva Goudu, Panna Magatha and Sona Magatha
11. Holva
12. Jadapus
13. Jatapus
14. Kamniara
15. Kattunayakan
16. Khattis – Kharti, Kommarao and Lohara
17. Kodu
18. Kommar
19. Konda Dhoras
20. Konda Kapus
21. Kondareddis
22. Kondhs – Dessaya Kondhas, Dongria Kondhs, Kuttiya Kondhs, Tikiria Kondhs and Sidho Paiko
23. Kota
24. Kotia – Bartika, Benda Oriya, Dhulia or Dulia, Holva Paiko Putiya, Sauroda and Sidho Paiko
25. Koya or Goud, with its subjects – Raja or Rasha Koyas, Lingadhari Koyas (ordinary) and Kottu Koyas.
26. Kudiya
27. Kurumans
28. Mariya Dhora
29. Maune
30. Mukha Dhora – Sooka Dhora
31. Maria
32. Paigarapu
33. Palasi
34. Poojayari
35. Porjas – Budo Bonda, Daruva, Didua, Joda, Mundili, Pengu, Pydi and Saliva.
36. Seddi Dhoras
37. Savaras – Kapu Savaras, Khutto Savaras and Maliva Savaras
38. Sholaga
39. Toda
40. Inhabitants of Laccadivs, Minvos and Amindivi Island who, and both of whose parents were bora in these Islands.

Part VI- ORISSA

Throughout the State:-

1. Baguta
2. Baiga
3. Banjara or Banjari
4. Bathudi
5. Bhiya or Bhiyan
6. Binjhal
7. Binjhia or Binjhoa
8. Birhor
9. Bondo Poraja
10. Chenchu

11. Dal
12. Gadaba
13. Ghara
14. Gond
15. Gorait or Korait
16. Ho
17. Jatapu
18. Juang
19. Kawar
20. Kharia or Kharian
21. Kharwar
22. Khond (Kond) or Kandha Nanguli Kandha and Sitha Kandha
23. Kisan
24. Kolah-Kol-Loharas
25. Kolha
26. Koli
27. Kondadora
28. Kora
29. Korua
30. Koya
31. Kulis
32. Mahali
33. Mankidi
34. Mankirdia
35. Mirdhas
36. Munda (Munda-Lohara and Munda-Mahalis
37. Mundari
38. Oraon
39. Paroja
40. Santal
41. Saora or Savar or Saura or Sahara
42. Tharua

PART VII- PUNJAB

In Spiti and Lahaul to Kangra district :-

Tibetan

PART VIII – WEST BENGAL

Throughout the State:-

1. Bhutia
2. Lepcha
3. Mech
4. Mru
5. Munda
6. Oraon
7. Santal

PART IX – HYDERABAD

Throughout the State :-

1. Andh
2. Bhil
3. Chenchu or Chenchwar
4. Gond (including Naikpod and Rajgond)
5. Hill Reddis
6. Kolam(including Mannervallu)
7. Koya (including Bhine Koya and Rajkoya)
8. Pardhan
9. Thoti

PART X – MADHYABHARAT

1. Throughout the State:-

1. Gond.
2. Korku
3. Sahoria

2. In the Revenue District of Jhabua; in the tahsils of Sendhwa, Barwani, Raipur, Khargone, Bhikangoan and Meheshwar of the Revenue District of Khargone; in the tahsil of Sailana of the Revenue District of Ratlam; in the tahsils of Sardarpur, Kuksi, Dhar and Manawar of the Revenue District of Dhar:-

   Bhils and Bhilalas (inclusive of sub-tribes)

PART XI – MYSORE

Throughout the State:-

1. Hasalaru
2. Iruliga
3. Jena Kuruba
4. Kadu-Kuruba
5. Maleru
6. Soligaru

PART XII – RAJASTHAN

Throughout the Scheduled Areas of the State:-

Bhil

PART XIII – SAURASHTRA

Throughout the State:-

1. Adodia
2. Darfer
3. Gharasia
4. Mlyana
5. Sindhi
6. Wedva,Waghri

PART XIV – TRAVANCORE- COCHI

Throughout the State.

1. Hill Pulaya
2. Kadar
3. Kanikaran
4. Kochu Velan
5. Mala Arayan
6. Malai Pandaram
7. Malai Vedan
8. Malayan
9. Malayarayar
10. Mannan
11. Muduvan
12. Palliyan
13. palliyar
14. Ulladan (Hill Dwellers)
15. Uraly
16. Vishavan

Published with the Ministry of Law's Notification No. S.R.O. 510 dated 6th September, 1950, Gazette of India Extraordinary, 1950 Part II, Section 3, Page 597

REGISTERED No. EP-503

The Gazette of India

EXRTRAORDINARY
PART II-SECTION-3
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. I43A] NEW DELHI , THURSDAY, SEPTEMBER 20, 1951

MINISTRY OF LAW

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 20th September, 1951

S.R.O.1427A. – The following Order made by the President is published for general information.

C.O.33

THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) (PARTS C STATES) ORDER, 1951

In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 342 of the Constitution of India, as amended by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, the President is pleased to make the following Order, namely:-

1. This Order may be called the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order, 1951.

2. The tribes or tribal communities or parts of or groups within, tribes or tribal communities, specified in Parts-I to VIII of the Schedule to this order shall in relation to the States to which those Parts respectively relate, be deemed to be Scheduled Tribes so far as regards members thereof resident in the localities specified in relation to them respectively in those Parts of that Schedule.

3. Any reference in the Schedule to this Order to a district or other territorial division of a State shall be construed as a reference to that district or other territorial division as existing on the 26th January, 1950.

THE SCHEDULE

Part I. – AJMER

Throughout the State:-

Bhil

Part II. – BHOPAL

Throughout the State:-

1. Bhil
2. Gond
3. Keer
4. Karku
5. Mogia
6. Pardhi
7. Saharia, Sosia or Sor.

Part III.- COORG

Throughout the State:-

1. Korama.
2. Kudiya.
3. Kuruba.
4. Maratha.
5. Meda.
6. Yerava.

Part IV. – HIMACHAL PRADESH

In Lahul in Chamba district and in Spiti in Mahasu district:-

Tibetan

Part V.- KUTCH

Throughout the State:-

1. Bhills.
2. Dhodia.
3. Koli.
4. Paradhi.
5. Vaghri.

Part VI. MANIPUR

Throughout the State:-

1. Any Kuki Tribe
2. Any Lushai Tribe
3. Any Naga Tribe

Part VII. – TRIPURA

Throughout the State:-

1. Lushai
2. Mag
3. Kuki
4. Chakma
5. Garoo
6. Chaimal
7. Halam
8. Khasia.
9. Bhutia
10. Munda including Kaur
11. Orang
12. Lepcha
13. Santal
14. Bhil
15. Tripura
16. Jamatia
17. Noatia
18. Riang

Part. VIII.- VINDHYA PRADESH

Throughout the State:-

1. Agariya.
2. Baiga
3. Bhumiya.
4. Gond.
5. Kamar
6. Khairwar
7. Majhi.
8. Mawasi
9. Panika
10. Pao.
11. Bhil
12. Bedia
13. Biar (Biyar)
14. Sonr.

RAJENDRA PRASAD
PRESIDENT

K.V.K. SUNDARAM,
SECRETARY

THE CONSTITUTION (ANDAMAN AND NICOBAR ISLAND) SCHEDULED TRIBES ORDER 1959
C.O. 58

In exercise of the powers conferred by the clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President is pleased to make the following Order namely:-

1. This Order may be called the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959

2. The tribes or tribal communities, or parts of ,or groups within, tribes or tribal communities, specified in the Schedule to this Order shall, for the purpose of the Constitution, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands so far as regards members thereof (resident in the Union territory)

[THE SCHEDULE]

1. Andamanese, Chariar, Chari, Kora, Tabo, Bo, Yere, Kede, Bea, Balawa, Bojigiyab, Juwai, Kol
2. Jarawas
3. Nicobarese
4. Onges
5. Sentinelese
6. Shom Pens

Published with the Ministry of Law Notification No. G.S.R. 405, dated the 31st March, 1959, Gazette of India, Extraordinary, 1959, Part II, Section 3 (i), page 151

THE CONSTITUTION (DADRA AND NAGAR HAVELI) SCHEDULED TRIBES ORDER 1962
C.O.65

In exercise of the powers conferred by the clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President is pleased to make the following Order namely:-

1. This Order may be called the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962
2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within tribes or tribal communities, specified in the Schedule to this Order shall, for the purpose of the Constitution, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli so far as regards members thereof resident in the Union territory.

THE SCHEDULE

1. Dhodia
2. Dubla including Halpati
3. Kathodi
4. Kokna
5. Koli Dhor including Kolgha
6. Naikda or Navaka
7. Varli

Published with the Ministry of Law Notification No. G.S.R. 891, dated the 30th June, 1962, Gazette of India, Extraordinary, 1959, Part II, Section 3, page 389

THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) (UTTAR PRADESH) ORDER 1967
C.O.78

In exercise of the powers conferred by the clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governor of the State of Uttar Pradesh, is pleased to make the following Order namely:-

1. This Order may be called the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967

2. The tribes or tribal communities, or parts of ,or groups within, tribes or tribal communities specified in the Schedule to this Order, shall, for the purpose of the Constitution of India, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Uttar Pradesh so far as regards members thereof resident in that State.

THE SCHEDULE

1. Bhotia
2. Buksa
3. Jaunsari
4. Raji
5. Tharu

Published with the Ministry of Law Notification No. G.S.R. 960, dated the 24th June, 1967, Gazette of India, Extraordinary, 1967, Part II, Section 3(i), page 311

THE CONSTITUTION (GOA, DAMAN AND DIU) SCHEDULED TRIBES ORDER 1968
C.O.82

In exercise of the powers conferred by the clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, is pleased to make the following Order namely:-

1. This Order may be called the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968

2. The tribes or tribal communities specified in column (1) pf the schedule to this Order and the synonyms thereof, if any, specified in column (2) against each such tribe or tribal community, shall, for the purpose of the Constitution be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the Union Territory of Goa, Daman and Diu so far as regards members thereof resident in the Union territory.

THE SCHEDULE

	Tribe/ Tribal community	**Synonym**
1.	Dhodia	Halpati
2.	Dubla	Talavia
3.	Naikda	Nayaka
4.	Siddi	
5.	Varli	

Published with the Ministry of Law Notification No. G.S.R. 97, dated the 12th January, 1968, Gazette of India, Extraordinary, 1968, Part II, Section 3(i), page 8

THE CONSTITUTION (NAGALAND) SCHEDULED TRIBES ORDER 1970
C.O.88

In exercise of the powers conferred by the clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governor of the State of Nagaland, is pleased to make the following Order namely:-

1. This Order may be called the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970

2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in the Scheduled to this Order, shall, for the purpose of the Constitution be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Nagaland so far as regards members thereof resident in that State.

THE SCHEDULE

1. Naga
2. Kuki
3. Kachari
4. Mikir
5. Garo

Published with the Ministry of Law Notification No. G.S.R. 1099, dated the 23rd July, 1970, Gazette of India, Extraordinary, 1970, Part II, Section 3(i), page 641.

THE CONSTITUTION (SIKKIM) SCHEDULED TRIBES ORDER 1978
C.O.111

In exercise of the powers conferred by the clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governor of the State of Sikkim, is pleased to make the following Order namely:-

1. This Order may be called the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in the Schedule to this Order, shall, for the purpose of the Constitution be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Sikkim so far as regards members thereof resident in that State.

THE SCHEDULE

1. Bhutia (including Chumbipa Dopthap, Dukpa, Kagatey, Sherpa, Tibetan, Tromop, Yolmo)
2. Lepcha

N. SANJIVA REDDY,President
22nd June, 1978
S. HARIHARA …
Secy. to the Govt. of India.

Published with the Ministry of Law Notification No. G.S.R. 1099, dated the 23rd July, 1970, Gazette of India, Extraordinary, 1970, Part II, Section 3(i), page 641.

THE CONSTITUTION (JAMMU AND KASHMIR) SCHEDULED TRIBES ORDER 1989[1]
C.O. 142

In exercise of the powers conferred by the clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governor of the State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order namely:-

1. This Order may be called the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989

2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in the Schedule to this Order, shall, for the purpose of the Constitution be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Jammu and Kashmir so far as regards members thereof resident in that State.

THE SCHEDULE

1. Balti
2. Beda
3. Bot, Boto
4. Brokpa, Drokpa, Dard, Shin
5. Changpa
6. Garra
7. Mon
8. Purigpa

1. Vide G.S.R. 882 (E), dated 7th October, 1989, published in the Gazette of India, Extra. Pt. II, Sec. 3 (i), dated 7th October, 1989

THE CONSTITUTION (JAMMU AND KASHMIR) SCHEDULED TRIBES ORDER 1991[2]

In exercise of the powers conferred by the clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governor of the State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order namely:-

1. This Order may be called the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1991

2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in the Schedule to this Order, shall, for the purpose of the Constitution be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Jammu and Kashmir so far as regards members thereof resident in that State.

THE SCHEDULE

1. Gujjar
2. Bakarwal
3. Gaddi
4. Sippi

2. Added by the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 1991 (36 of 1991), sec. 2 (w.e.f. 20.8.1991)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 29th October 1956

S.R.O. 2477A—The following Order made by the President is published for general information:--

THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES LISTS MODIFICATION ORDER, 1956

In pursuance of section 41 of the States Reorganization Act, 1956 37 of 1956), and section 14 of the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act., 1956 (40 of 1956), the President hereby makes the following Order namely:--

1. This Order may be called the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956

2. (1) The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, is hereby modified in the manner and to the extent specified in Schedule I.
   (2) The Constitution (Scheduled Castes) (Part C States) Order, 1951, is hereby modified in the manner and to the extent specified in Scheduled II.
3. (1) The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, is hereby modified in the manner and to the extent specified in Scheduled III.
   (2) The Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order, 1951, is hereby modified in the manner and to the extent specified in Scheduled IV.

[Note:- Schedule I and Schedule II to this Order relate to the list of Scheduled Castes and, therefore, the list of Scheduled Castes specified in these Schedules is not being given here.]

SCHEDULE III
[see paragraph 3(1)
Modifications to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

1. In paragraph 2, for "Parts I to XIV", Substitute "Parts I to XII".

2. For paragraph 3, substitute:-
   "3. Any reference in this Order to a State or to a district or other territorial division thereof shall be, construed as a reference to the State, district or other territorial division constituted as from the 1st day of November, 1956."

3. For the Schedule substitute:-
   THE SCHEDULE

PART I- ANDHRA PRADESH

1. Throughout the State:-

   1. Chenchu or Chenchwar
   2. Koya or Goud with its sub-sects—Rajah or Rasha Koyas, Lingadhari Koyas (ordinary). Kottu Koyas, Bhine Koya and Rajkoya

2. Throughout the State except Hyderabad, Mahbubnagar, Adilabad, Nizamabad, Medak, Karimnagar, Warangal, Khammam and Nalgonda districts:-

   1. Bagata
   2. Gadabas

3. Jatapus
4. Kammara
5. Kattunayakan
6. Konda Dhoras
7. Konda Kapus
8. Kondareddis
9. Kondhs (Kodi and Kodhu), Desaya Kondhs, Dongria Kondhs, Kuttiya Kondhs, Tikiria Kondhs and Yenity Kondhs
10. Kotia-Bentho Oriya, Bartika, Dhulia or Dulia, Holva, Paiko, Putiya, Sanrona and Sidhopaiko
11. Kulia
12. Malis
13. Manna Dhora
14. Mukha Dhora or Nooka Dhora
15. Porja (Parangiperja)
16. Reddi Dhoras
17. Rona, Rena
18. Savaras-Kapu Savaras, Maliya Savaras or Khutto Savaras
19. Sugalis (Lambadis)
20. Yenadis
21. Yerukulas

3. In the districts of Hyderabad, Mahbubnagar, Adilabad, Nizamabad, Medak, Karimnagar, Warangal, Khammam and Nalgonda:-

1. Andh
2. Bhil
3. Gond (including Naikpod and Rajgond)
4. Hill Reddis
5. Kolam (including Mannervarlu)
6. Pardhan
7. Thoti

4. In the Agency tracts:-

1. Goudu (Goud)
2. Nayaks
3. Valmiki

PART II- ASSAM

1. In the Autonomous Districts:-

1. Chakma
2. Dimasa (Kachari)
3. Garo
4. Hajong
5. Hmar
6. Khasi and Jaintia (including Khasi, Synteng or Pnar, War, Bhoi or Lyngngam)
7. Any Kulki Tribes, including :-
   - (i) Biate or Biete
   - (ii) Changsan
   - (iii) Chongloi
   - (iv) Doungel
   - (v) Gamalhou
   - (vi) Gangte
   - (vii) Guite
   - (viii) Hanneng
   - (ix) Haokip or Haupit
   - (x) Haolai
   - (xi) Hengna
   - (xii) Hongsungh
   - (xiii) Hrangkhwal or Rangkhol
   - (xiv) Jongbe
   - (xv) Khawchung
   - (xvi) Khawathlang or Khothalong
   - (xvii) Khelma
   - (xviii) Kholhou
   - (xix) Kipgen
   - (xx) Kuki
   - (xxi) Lengthang
   - (xxii) Lhangum
   - (xxiii) Lhoujem
   - (xxiv) Lhouvun
   - (xxv) Lupheng
   - (xxvi) Mangjel
   - (xxvii) Misao
   - (xxviii) Riang
   - (xxix) Sairhem
   - (xxx) Selnam
   - (xxxi) Singson
   - (xxxii) Sitlhou
   - (xxxiii) Sukte
   - (xxxiv) Thado

(xxxv) Thangngen
(xxxvi) Uibuh
(xxxvii) Vaiphei

2. In the Tribal Areas other than the Autonomous Districts :-
All Tribes of North-East Frontier Agency including—

1. Abor
2. Aka
3. Apatani
4. Dafla
5. Galong
6. Khampti
7. Khowa
8. Mishmi
9. Momba
10. Any Naga tribes
11. Sherdukpen
12. Sinnpho

3. In the State of Assam excluding the Tribal Areas :-

1. Barmans in Cachar
2. Baro-Borokachari
3. Deori
4. Hojai
5. Kachari including Sonwal
6. Lalung
7. Mech
8. Miri
9. Rabha

PART III-BIHAR

1. Throughout the State:-

1. Asur
2. Baiga
3. Banjara
4. Bathaudi
5. Bedia
6. Binjhia
7. Birhor
8. Birjia
9. Chero
10. Chik Baraik
11. Gond
12. Gorait
13. Ho
14. Karmali
15. Kharia
16. Kharwar
17. Khond
18. Kisan
19. Kora
20. Korwa
21. Lohara or Lohra
22. Mahli
23. Mal Paharia
24. Munda
25. Oraon
26. Parhaiya
27. Santal
28. Sauria Paharia
29. Savar

2. In the districts of Ranchi, Singbhum, Hazaribagh, Santal Parganas and Manbhum :-

Bhumij

PART IV—BOMBAY

1. Throughout the State except the districts of Buldana, Akola, Amravati, Yeotmal, Wardha, Nagpur, Bhandara, Chanda, Aurangabad, Parbhani, Nanded, Bhir, Osmanabad, Halar, Madhya Saurashtra, Zalawad, Gohilwad, Sorath and Kutch :-

1. Barda
2. Bavacha or Bamcha
3. Bhil, including Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava and Vasave
4. Chodhara
5. Dhanka, including Tadavi, Tetaria and Valvi

6. Dhodia
7. Dubla, including Talavia or Halpati
8. Gamit or Gamta or Gavit, including Mavchi, Padvi, Vasava, Vasave and Valvi
9. Gond or Rajgond
10. Kathodi or Katkari, including Dhor Kathodi or Dhor Katkari and Son Kathodi or Son Katkari
11. Kokna, Kokni, Kukna
12. Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha or Kolgha
13. Naikda or Nayaka, including Cholivala Nayaka Kapadia Nayaka, Mota Nayaka and Nana Nayaka
14. Pardhi, including Advichincher and Phanse Pardhi
15. Patelia
16. Pomla
17. Rathawa
18. Varli
19. Vitolia, Kotwalia or Barodia

2. In Dangs district :- Kunbi
3. In Surat district:- Caudhri
4. In the Thana district :- Koli Malhar
5. (a) In Ahmednagar district :- Akola, Rahuri and Sangamner talukas.
(b) In Kolaba district:- Karjat, Khalapur, Alibagh Mahad and Sudhagad talukas
(c) In Nasik district:- Nasik, Niphad, Sinnar, Chandor, Baglan, Igatpuri, Dindori and Kalvan talukas and Surgana and Peint Mahals.
(d) In Poona district :- Ambegaon, Junnar, Khed, Mawal and Mulshi talukas and Velhe Mahal.
(e) In Thana district :- Thana, Murbad, Bhivandi, Bassein, Wada, Shahanpur, Dahanu Palghar, Umbergaon, Jawhar and Mokhada talukas.

Koli Mahadev or Dongar Koli

6. (a) In Ahmednagar district :- talukas.
(b) In Kolaba district :- Karjat, Khalapur, Pen, Panvel Akola, Rahuri and Sangamner and Sudhagad talukas and Matheran.
(c) In Nasik district :- Igatpuri, Nasik and Sinner talukas.
(d) In Poona district :- Ambegaon, Junnar, Khed and Mawal talukas.
(e) In Thana district :- Thana, Kalyan, Murbad, Bhivandi, Bassein, Wada, Shahapur, Palghar, Jawhar and Mokhada talukas.

Thakur or Thakar including Ka Thakur, Ka Thakar, Ma Thakur and Ma Thakar

7. In (1) Melghat tahsil of the Amravati district.

(2) Gadchiroli and Sironcha tahsils of the Chanda district.

(3) Kelapur, Wani and Yeotamal tahsils of theYeotmal district :-

1. Andh
2. baiga
3. Bhaina
4. Bharia-Bhumia or Bhunihar-Bhumia including Pando
5. Bhattra
6. Bhil
7. Bhunjia
8. Binjhwar
9. Birhul or Birhor
10. Dhanwar
11. Gadaba or Gadba
12. Gond, including :-
    Arakh or Arrakh
    Agaria
    Asur
    Badi Maria or Bada Maria
    Bhatola
    Bhimma
    Bhuta, Koilabhuta or Koilabhuti
    Bhar
    Bisonhorn Maria
    Chota Maria
    Dandami Maria
    Dhuru or Dhurwa
    Dhoba
    Dhulia
    Dorla
    Gaiki
    Gatta or Gatti
    Gaita
    Gond Gowari
    Hill Maria
    Kandra
    Kalanga
    Khatola
    Koitar
    Koya
    Khirwar or Khirwara
    Kucha Maria
    Kuchaki Maria
    Madia (Maria)
    Mana
    Mannewer
    Moghya or Mogia or Monghya
    Mudia (Muria)
    Nagarchi
    Nagawanshi
    Ojha
    Raj
    Sonjhari Jhareka
    Thatia or Thotya
    Wade Maria or Vade Maria
13. Halba or Halbi
14. Kamar
15. kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia Tanwar or Chattri
16. Khairwar
17. Kharia
18. Kondh or Khond or Kandh
19. Kol
20. Kolam
21. Korku,, including Bopchi, Mouasi, Nihal or Nahul and Bondhi or Bondeya
22. Korwa, including Kodaku
23. Majhwar
24. Munda
25. Nagesia or Nagasia
26. Nihal
27. Oraon, including Dhanka and Dhangad
28. Pardhan, Pathari and Saroti
29. Pardhi including Bahelia or Bahellia, Chita Pardhi, Langoli Pardhi, Phans Pardhi, Shikari, Takankar and Takia.
30. Parja
31. Saonta or Saunta
32. Sawar or Sawara

8. In the districts of Aurangabad, Parbhani, Nanded, Bhir and Osmanabad :-

1. Andh
2. Bhil
3. Gond (includingNaikpod and Rajgond)
4. Kolam (including Mannervarlu
5. Koya (including Bhine Koya and Rajkoya)
6. Pardhan
7. Thoti

9. In the districts of Halar, Madhya Saurashtra, Zalawad, Gohiwad and Sorath :-

Siddi

10. In Nesses area in the forests of Alech, Gir and Barada :-

1. Bharwad
2. Charan
3. Rabari

11. In Zalawad district:-
Padhar

12. In Kutch district:-
1. Bhil
2. Dhodia
3. Koli
4. Paradhi
5. Vaghri

PART V—KERALA

1. Throughout the State:-

1. Kadar
2. Irrular or Irulan
3. Muthuwan, Mudugar or Muduvan

2. Throughout the State except Malabar district:-
1. Eravallan
2. Hill Pulaya
3. Kanikaran or Kanikkar
4. Kochu Velan
5. Malakkuravan
6. Malai Arayan
7. Malai Pandaram
8. Malai Vedan
9. Malayan
10. Malayarayar
11. Mannan
12. Palleyan
13. Palliyar
14. Ulladan (Hill Dwellers)
15. Uraly
16. Vishavan

3. In Malabar district:-

1. Adiyan
2. Arandan
3. Kammara
4. Kattunayakan
5. Konda Kapus
6. Kondareddis
7. Koraga
8. Kota
9. Kudiya or Melakudi
10. Kurichchan
11. Kurumans
12. Malla Malasar
13. Malasar
14. Malayekandi
15. Palliyan
16. Paniyan
17. Pulayan

4. In Malabar district (excluding Kasaragod taluk) :-
Kurumbas

5. In Kasargod taluk of Malabar district :-
Marati

PART V—MADHYA PRADESH

1. In the districts of Bhind, Gird, Morena, Shivpuri, Goona, Rajgarh, Shajapur, Ujjain, Ratlam, Mandsaur, Bhilsa (excluding Sironj sub-division), Indore, Dewas, Dhar, Jhabua and Nimar (M.B.) :-
1. Gond
2. Korku

3. Sheharia

2. In the revenue districts of Dhar and Jhabua; in the tahsils of Sendhwa, Barwani, Rajpur, Khargone, Bhikangaon and Maheshwar of the revenue district of Nimar; in the tahsil of Sailana of the revenue district of Ratlam :-

Bhils and Bhilalas including Barela, Patelia and other sub-tribes.

3. In (1) Bastar, Chhindwara, Mandla, Rajgarh and Surguja districts, (2) Baihar tahsil of the Balaghat district, (3) Betul and Bhainsdehi tahsils of the Betul district, (4) Bilaspur and katghora tahsils of the Bilaspur district, (5) Durg and Sanjari tahsils of the Durg district, (6) Murwara, Patan and Sihora tahsils of the Jabalpur district, (7) Hoshangabad, Narsimhapur and Sohagpur tahsils of the Hosangabad district, (8) Harsud tahsil of the Nimar district, (9) Bindra Nawagarh, Dhamtari and Mahasamund tahsils of the Raipur district :-

1. Andh
2. Baiga
3. Bhaina
4. Bharia-Bhumia or Bhuinhar-Bhumia including Pando
5. Bhattra
6. Bhil
7. Bhunjia
8. Binjhwar
9. Birhul or Birhor
10. Dhanwar
11. Garaba or Gadha
12. Gond including--
    Arakh or Arrakh
    Agaria
    Asur
    Badi Maria or Bada Maria
    Bhatola
    Bhimma
    Bhuta, Koilabhuta or Koilabhuti
    Bhar
    Bisonhorn Maria
    Chota Maria
    Dandami Maria
    Dhoba
    Dhulia
    Dorla
    Kaiki
    Gatta or Gatti
    Kaita
    Gond Gowari
    Hill Maria
    Kandra
    Kalanga
    Khatola
    Koitar
    Koya
    Khirwar or Khirwara
    Kucha Maria
    Kuchaki Maria
    Madia (Maria)
    Mana
    Mannewer
    Moghya or Mogia or Monghya
    Mudia (Muria)
    Nagarchi
    Nagwanshi
    Ojha
    Raj
    Sonjhari Jhareka
    Thatia or Thotya
    Wade Maria or Vade Maria
13. Halba or Halbi
14. Kamar
15. Kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia, Tanwar or Chattri
16. Khairwar
17. Kharia
18. Kondh or Khond or Kandh
19. Kol
20. Kolam
21. Korku, including Bopchi, Mouasi, Nihal or Nahul and Bondhi or Bondeya
22. Korwa, including Kodaku
23. Majhwar
24. Munda
25. Nagesia or Nagasia
26. Nihal
27. Oraon, including Dhanka and Dhangad
28. Pardhan, Pathari and Saroti
29. Pardhi, including Bahelia or Bahellia, Chita Pardhi, Langoli Pardhi, Phans Pardhi, Shikari, Takankar and Takia
30. Parja
31. Saonta or Saunta
32. Sawar or Sawara

4. In the district of Datia, Tikamgarh, Chhatrarpur, Panna, Satna, Rewa, Sidhi and Shahdol:

1. Agaria
2. Baiga
3. Bhil
4. Biar or Biyar
5. Bhumiya including Bharia and Paliha
6. Gond, including Pathari
7. Khairwar including Kondar
8. Kol (Dahait)
9. Majhi
10. Mawasi
11. Nat, Navdigar, Sapera and Kubutar
12. Panika
13. Pao
14. Sahariya
15. Saur
16. Sonr

5. In the districts of Raisen and Sehore :-

1. Bhil
2. Bhilala
3. Gond or Daroi
4. Karku
5. Keer
6. Kol
7. Mogia
8. Pardhi
9. Saharia, Sosia or Sor

6. In Sironj sub-division of Bhilsa district:-

1. Bhil
2. Bhil Mina
3. Damor, Damaria
4. Garasia (excluding Rajput Garasia)
5. Mina
6. Seharia, Sahariaya

PART VII—MADRAS

1. Throughout the State:-
1. Kadar
2. Irular

2. Throughout the State except Kanya Kumari district and Shencottah taluk of Tirunelveli district:-

1. Adiyan
2. Aranadan
3. Kammara
4. Kattunayakan
5. Konda Kapus
6. Kondareddis
7. Koraga
8. Kota
9. Kudiya or Melakudi
10. Kurichchan
11. Kurumans
12. Maha Malasar
13. Malasar
14. Malayekandi
15. Mudugar or Muduvan
16. Palliyan
17. Paniyan
18. Pulayan
19. Sholaga
20. Toda

3. In North Arcot, Salem and Tiruchirapalli districts:-
Malayali

4. In Coimbatore district and Tirunelveli district (except Shencottah taluk):-
Kaniyan or Kanyan

5. In Nilgiris district:-
Kurmbas

6. In Kanya Kumari district and Shencottah taluk of Tirunelveli district:-

1. Eravallan
2. Hill Pulaya
3. Kanikaran or Kanikkar
4. Kochu Velan
5. Melakkuravan
6. Malai Arayan
7. Malai Pandaram
8. Malai Vedan
9. Malayan
10. Malayarayar
11. Mannan
12. Muthuran
13. Palleyan
14. Palliyar
15. Uladan (Hill dwellers)
16. Uraly
17. Vishavan

PART VIII—MYSORE

1. Throughout the State except Coorg, Balgaum, Bijapur, Dharwar, Kanara, South Kanara, Gulbarga, Raichur and Bidar districts and Kollegal taluk of Mysore district :-

1. Gowdalu
2. Hakkipikki
3. Hasalaru
4. Iruliga
5. Jena Kuruba
6. Kadu-Kuruba
7. Malaikudi
8. Maleru
9. Soligaru

2. In the districts of Balgaum, Bijapur, Dharwar and Kanara :-

1. Barda
2. Bavacha or Bamcha
3. Bhil, including Bhil Grasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava and Vasave
4. Chodhara
5. Dhanka including Tadvi, Tetaria and Valvi
6. Dhodia
7. Dubla, including Halavia or Halpati
8. Gamit or Gamta or Gavit including Mavchi, Padvi, Vasava Vasave and Valvi
9. Gond or Rajgond
10. Kathodi or Katkari including Dhor Kathodi or Dhor Katkari and Son Kathodi and Son Katkari
11. Kokna, Kokni Kukna
12. Koli Dhor, Tokre Kodi, Kolcha or Kolgha
13. Naikda or Nayaka, including Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka and Nana Nayaka
14. Pardhi, including Advichincher and Phanse Pardhi
15. Patelia
16. Pomla
17. Rathawa
18. Varli
19. Vitolia, Kotwalia or Barodia

3. In the disctircts of Gulbarga, Bidar and Raichur :-

1. Bhil
2. Chenchu or Chenchwar
3. Gond (including Naikpod and Rajgond)
4. Koya (including Bhine Koya and Rajkoya)
5. Thoti

4. In South Kanara district and Kollegal taluk of Mysore district:-

1. Adiyan
2. Aranadan
3. Irular
4. Kadar

6. Kattunayakan
5. Kammara
7. Konda Kapus
8. Kondareddis
9. Koraga
10. Kota
11. Kudiya or Melakudi
12 .Kurrichchan
13 Kurumans
14. Mahamalasar
15. Malasar
16. Malayekandi
17. Mudugar or Muduvan
18. Palliyan
19. Paniyan
20. Pulayan
21. Sholaga
22. Toda

5. In Kollegal taluk of Mysore district:-

Kaniyan or Kanyan

6. In South Kanara district:-

Marati

7. In Coorg district:-

1. Korama
2. Kudia
3. Kuruba
4. Maratha
5. Meda
6. Yerava

PART IX—ORISSA

Throughout the State:-

1. Bagata
2. Baiga
3. Banjara or Banjari
4. Bathudi
5. Bhottada or Dhotada
6. Bhuiya or Bhuyan
7. Bhumia
8. Bhumij
9. Bhunjia
10. Binjhal
11. Binjhia or Binjhoa
12. Birhor
13. Bondo Poraja
14. Chenchu
15. Dal
16. Desua Bhumij
17. Dharua
18. Didayi
19. Gadaba
20. Gandia
21. Ghara
22. Gond, Gondo
23. Ho
24. Kandha Gauda
25. Holva
26. Jatapu
27. Juang
28. Kawar
29. Kharia or Kharian
30. Kharwar
31. Khond, Kond, or Kandha including Nanguli Kandha and Sitha Kandha
32. Kisan
33. Kol
34. Kolah-Kol-Loharas
35. Kolha
36. Koli, including Malhar
37. Kondadora
38. Kora
39. Korua
40. Kotia
41. Koya
42. Kulis
43. Lodha
44. Madia
45. Mahali
46. Mankidi
47. Mankirdia
48. Matya
49. Mirdhas
50. Munda, Munda-Lohara or Munda-Mahalis
51. Mundari

52. Omanatya
53. Oraon
54. Parenga
55. Paroja
56. Pentia
57. Rajuar
58. Santal
59. Saora, Savar, Saura or Sahara
60. Shabar or Lodha
61. Sounti
62. Tharua

PART X –PUNJAB

In spiti and Lahaul in Kangra district:-

1. Gaddi
2. Swangla
3. Bhot or Bodh

PART XI—RAJASTHAN

1. Throughout the State except Ajmer district, Abu Road taluka of Sirohi district and Sunel Tappa of Jhalawar district:-

1. Bhil
2. Bhil Mina
3. Damor, Damaria
4. Garasia (excluding Rajput Garasia)
5. Mina
6. Sehria, Sahariya

2. In Ajmer district:-

1. Bhil
2. Bhil Mina

3. In Abu Road taluka of Sirohi district:-

1. Barda
2. Bavacha or Bamcha
3. Bhil, including Bhil Garasia Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava and Vasave
4. Chodhara
5. Dhanka, including Tadvi, Tetaria and Valvi
6. Dhodia
7. Dubla, including Talavia or Halpati
8. Gamit or Gamta or Gavit, including Mavchi, Padvi, Vasa, Vasave and Valvi
9. Gond or Rajgond
10. Kathodi or Katkari including Dhor Kathodi or Dhor Katkari and Son Kathodi and Son Katkari
11. Kokna, Kokni Kukna
12. Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha or Kolgha
13. Naikda or Nayaka, including Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka and Nana Nayaka
14. Pardhi, including Advichincher and Phanse Pardhi
15. Patelia
16. Pomla
17. Rathawa
18. Varli
19. Vitolia, Kotwalia or Barodia

4. In Sunel Tappa of Jhalawar district:-

1. Gond
2. Korku
3. Seharia

PART XII—WEST BENGAL

1. Throughout the State:-

1. Ho
2. Kora
3. Lodha, Kheria or Kharia
4. Mal Paharia
5. Munda
6. Oraon
7. Santal

2. Throughout the State except the territories transferred from the Purnea district of Bihar:-

Bhumij

3. Throughout the State except in the Purulia district and the territories transferred from the Purnea district of Bihar :-

1. Bhutia including Sherpa, Toto, Dukpa, Kagatay, Tibetan and Yolmo
2. Chakma
3. Garo
4. Hajang
5. Lepcha
6. Magh
7. Mahali
8. Mech
9. Mru
10. Nagesia
11. Rabha

4. In the Purulia district and the territories transferred from the Purnea district of Bihar:-

1. Asur
2. Baiga
3. Banjara
4. Bathudi
5. Bedia
6. Binjhia
7. Birhor
8. Birjia
9. Chero
10. Chik Baraik
11. Gond
12. Gorait
13. Karmali
14. Kharwar
15. Khond
16. Kisan
17. Korwa
18. Lohara or Lohra
19. Mahli
20. Parhaiya
21. Sauria Paharia
22. Savar

SCHEDULE IV
[see paragraph 3 (2)]
Modifications to the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order, 1951.

1. In paragraph 1, for "part C States" substitute "Union Territories".

2. In paragraph 2, for "Parts I to VIII" and "States", substitute "Parts I to IV" and "Union Territories" respectively.

3. For paragraph 3, substitute:-
"3. Any reference in this Order to a Union Territory shall be construed as a reference to the territory constituted as a Union Territory as from the 1st day of November 1956."

4. For the Schedule, substitute:-

THE SCHEDULE
PART I—HIMACHAL PRADESH

Throughout the Union Territory:-

1. Gaddi
2. Gujjar
3. Jad, Lamba, Khampa and Bhot or Bodh

4. Kanaura or Kinnara
5. Lahaula
6. Pangawala

PART II—MANIPUR

Throughout the Union Territory:-

1. Aimol
2. Anal
3. Angami
4. Chiru
5. Chothe
6. Gangte
7. Hmar
8. Kabui
9. Kacha Naga
10. Koirao
11. Koireng
12. Kom
13. Lamgang
14. Any Mizo (Lushai) tribes
15. Maram
16. Maring
17. Mao
18. Monsang
19. Moyon'
20. Paite
21. Purum
22. Ralte
23. Sema
24. Simte
25. Sahte
26. Tangkhul
27. Thadou
28. Vaiphui
29. Zou

PART III—TRIPURA

Throughout the Union Territory:-

1. Lushai
2. Mag
3. Kuki, including the following sub-tribes :-
   (i) Balte
   (ii) Belalhut
   (iii) Chhalya
   (iv) Fun
   (v) Hajango
   (vi) Jangtei
   (vii) Khareng
   (viii) Khephong
   (ix) Kuntei
   (x) Laifang
   (xi) Lentei
   (xii) Mizel
   (xiii) Namte
   (xiv) Paitu, Paite
   (xv) Rangchan
   (xvi) Rangkhole
   (xvii) Thangluya
4. Chakma
5. Garoo
6. Chaimal
7. Halam
8. Khasia
9. Bhutia
10. Munda including Kaur
11. Orang
12. Lepcha
13. Santal
14. Bhil
15. Tripura or Tripuri, Teppera
16. Jamatia
17. Noatia
18. Riang
19. Uchai

PART IV—THE LACCADIVE, MINICOY AND AMINDIVI ISLANDS

Throughout the Union Territory:-

Inhabitants of the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands who, and both of whose parents, were born in those islands.]

RAJENDRA PRASAD
[No. 19/20/56-Pub.II.]
A. V. PAI, Secretary.

रजिस्ट्री सं0 डी-(डी)-72 REGISTERED NO. D-(D)-72

भारत राजपत्र

का

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II – खण्ड 1

PART II– SECTION 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं0 151] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 20,1976/भाद्र 29, 1898

No. I5I] NEW DELHI , MONDAY, SEPTEMBER 20, 1976/ BHADRA 29, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिसमें कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 20 the September, 1976/ Bhadra 29, 1898 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 18th September, 1976, and is hereby published for general information :-

THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) ACT, 1976

No. 108 of 1976

[18th September, 1976]

An Act to provide for the inclusion in, and the exclusion from the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of certain castes and tribes, for the re-adjustment of representation of parliamentary and assembly constituencies in so far as such readjustment is necessitated by such inclusion or exclusion and for matters connected therewith.

BE it enacted by Parliament in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement

1. (1)This Act may be called the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act,1976.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a)"census authority " means the Registrar General and ex-officio Census Commissioner for India;

(b)"Commission" means the Election Commission appointed by the President under article 324 of the Constitution;

76 of 1972 (c)"Delimitation Act" means the Delimitation Act, 1972;

(d) "last census" means the census held in India in 1971;

(e) "Scheduled Castes Order" means the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, made by the President under article 341 of the Constitution;

(f) "Scheduled Tribes Order" means the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 and the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, made by the President under article 342 of the Constitution;

(g) "State" means a State included in the Scheduled Cates Order and the Scheduled Tribes Orders, and includes the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands;

Amend-ment of Scheduled Castes Order

3. The Scheduled Castes Order is hereby amended in the manner and to the extent specified in the First Schedule.

Amend-ment of Scheduled Tribes Order

4. The Scheduled Tribes Orders are hereby amended in the manner and to the extent specified in the Second Schedule

Determi-nation of population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

5. (1) As soon as may be after the commencement of this Act, the population as at the last census of the Scheduled Castes or, as the case may be, of the Scheduled Tribes, in each State shall be ascertained or estimated by the census authority.

(2) Where by reason of the amendments made by section 3 or section 4—

(a) any locality in a State specified in relation to any caste or tribe in any of the parts of the Schedule to the Orders referred to in the said sections is varied so as to specify a larger area in relation to such caste or tribe, the census authority shall take into account the population figures of the caste or tribes as ascertained in the last census and in any previous census wherein the population figures of the caste or tribe in respect of the increased area had been ascertained and determined the population of that caste or tribe as on the 1st day of April, 1971 by increasing or decreasing such figures by the proportion in which the general population of the State or , as the case may be, the division, district, taluk tahsil, police station, development block or other territorial division in relation to which such caste or tribe has been specified by the said amendments has increased or decreased between the previous census aforesaid and the last census;

(b) any caste or tribe which is deemed to be both a Scheduled Caste and Scheduled Tribe in relation to a State or part thereof is varied so as to specify such caste or tribe only as a Scheduled Caste or Scheduled Tribe in relation to that State or part, the census authority shall take into account the population figures of such Scheduled Caste and Scheduled Tribe as ascertained in the last census:

Provided that it shall not be necessary for the census authority to determine the population of any Scheduled Castes or Tribes on the 1st day of April, 1971, if the population of that caste or tribe was not ascertained at the last census and in any of the previous censuses and is, in the opinion of that authority, numerically small.

Explanation – Where the population figurers of any caste or tribe in respect of any increased area referred to in clause (a) had been ascertained in more than one previous census, the census authority shall take into account, for the purpose of that clause, the population figures of such caste or tribe as ascertained in the previous census which is nearest in point of time to the last census.

(3) The population figures ascertained or determined under sub-section (2) shall be notified by the census authority in the Gazette of India.

(4) The population figures so notified shall be taken to be the relevant population figures as ascertained at the last census and shall supersede any figures previously published and the figures so notified shall be final and shall not be called in question in any court.

Re-adjustment of constituencies by the Election Commission

6. (1) After the population figures have been notified for any State under section 5, it shall be the duty of the Commission to make such amendments as may necessary in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, (without altering the extent of any constituency as given in such Order) having regards to the provisions of articles 81, 170, 330 and 332 of the Constitution, of section 8 of the Delimitation Act, and of this Act, for the purpose of giving proper representation to the Scheduled Castes or, as the case may be to the Scheduled Tribes of that State on the basis of the number of reserved seats as specified in that Order as hereunder amended by the Commission, and the First Schedule and Second Schedule to the Representation of the People Act, 1950 shall be deemed to have been amended accordingly.

43 of 1950

(2)In making amendments under sub-section (1), the Commission shall, as far as may be necessary, have regard to the provisions of clause (c) and (d) of sub-section (1) of section 9 of the Delimitation Act.

(3)The Commission shall—

(a) publish its proposals for the amendments in the Gazette of India and the Official Gazette of the State concerned and also in such other manner as it thinks fit;
(b) specify a date on or after which such proposals will be further considered by it;
(c) consider all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified; and
(d) thereafter make the necessary amendments in the order

Procedure and powers of the Commission

7. (1)In the discharge of its functions under this Act, the Commission shall determine its own procedure and shall have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure. 1908, while trying a suit in respect of the following matters, namely:- 5 of 1908

(a)summoning and enforcing the attendance of witnesses;

(b)requiring the production of any document; and

(c)requisitioning any public record from any court or office.

(2)The Commission shall have the power to require any person to furnish any information on such points or matters as, in the opinion of the Commission, may be useful for, or relevant to, any matter under the consideration of the Commission.

(3)The Commission shall be deemed to be a civil court for the purpose of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973

Explanation—For the purpose of enforcing the attendance of witnesses, the local limits of the jurisdiction of the Commission shall be the limits of the territory of India.

Publication of amendments and their dates of

8. (1)The Commission shall cause the amendments made by it in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 to be published in the Gazette of India and in the Official Gazette of the States

operation concerned.

(2)Upon publication in the Gazette of India, every such amendment shall have the force of law and shall not be called in question in any court.

(3)As soon as may be after such publication in the Gazette of India, every such amendment shall be laid before the House of People and the Legislative Assemblies of the States concerned.

(4)Subject to the provisions of sub-section (5), the readjustment of representation of any territorial constituencies in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State necessitated by any amendments made by the Commission in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 and provided for in that Order as so amended shall apply in relation to every election to the House or, as the case may be, to the Assembly, held after the publication in the Gazette of India under sub-section (1) of such amendments and shall so apply in supersession of the provisions relating to representation contained in the Representation of the People Act, 1950. 43 of 1950

(5)Nothing contained in the foregoing sub-section shall affect the representation in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State, existing on the date of publication in the Gazette of India under sub-section (1) of the amendments made by the Commission under this Act.

Certain other powers of Election Commission

9. (1)The Commission may, from time to time, by notification in the Gazette of India and in the official Gazette of the State concerned—

(a) correct any printing mistake in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituences Order, 1976 as amended under this Act, or any error occurring therein from any inadvertent slip or omission; and

(b) where the boundaries or the name of any districts or any territorial division mentioned in the said order are or is altered, make such amendments as appear to it to be necessary or expedient for bringing the Order up-to-date.

(2) Every notification under this section shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the House of the People and the Legislative Assembly of the State concerned

Validation of acts done previous to the commencement of the Act

10. All things done, and all steps taken, before the commencement of this Act by the census authority for the determination of population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, or by the Commission for the purpose of re-adjustment of constituencies shall, in so far as they are in conformity with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under these provisions as if such provisions were in force at the time such things were done or such steps were taken.

[Note:- Schedule I to this Order relates to the list of Scheduled Castes and, therefore, the list of Scheduled Castes specified in this Schedule is not being given.]

II. THE SECOND SCHEDULE

(See Section 4)

CHAPTER I

In the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 ,--

(a) for paragraph 3, substitute—

"3 Any reference in this Order to a State or to a district or other territorial division thereof shall be construed as a reference to the State, district or other territorial division as constituted on the 1st day of May, 1976";

(b) for the Schedule, substitute.

"THE SCHEDULE"

PART I- Andhra Pradesh

1. Andh
2. Bagata
3. Bhil
4. Chenchu, Chenchwar
5. Gadabas,
6. Gond, Naikpod, Rajgond,
7. Goudu (in the Agency tracts)
8. Hill Reddis
9. Jatapus
10. Kammara
11. Kattunayakan
12. Kolam, Mannervarlu
13. Konda Dhoras,
14. Konda Kapus
15. Kondareddis
16. Kondhs, Kodi, Kodhu, Desaya Kodhs, Dongria Kondhs, Kuttiya Kondhs, Tikiria Kondhs, Yenity Kondhs,
17. Kotia, Bentho Oriya, Bartika, Dhulia, Dulia, Holva, Paiko, Putiya Sanrona, Sidhopaiko
18. Koya, Goud, Rajah, Rasha Koya, Lingadhari Koya (ordinary), Kottu Koya, Bhine Koya, Rajkoya
19. Kulia
20. Malis (excluding adilabad, Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Mahbubnagar, Medak, Nalgonda, Nizamabad and Warnagal districts)
21. Manna Dhora
22. Mukha Dhora, Nooka Dhora
23. Nayaks (in the Agency tracts)
24. Pardhan
25. Porja, Parangiperja
26. Reddi Dhoras
27. Rona, Rena
28. Savaras, Kapu Savaras, Maliya Savaras, Khutto Savaras
29. Sugalis, Lambadis,
30. Thoti (in Adilabad, Hyderabad, Karimnagar, Khammam Mahbubnagar, Medak, Nalgonda, Nizamabad and Warangal districts)
31. Valmiki (in the Agency tracts)
32. Yenadis
33. Yerukulas,

Part II.- Assam

I. In the autonomous districts:-

1. Chakma
2. Dimasa, Kachari
3. Garo
4. Hajong
5. Hmar
6. Khasi, Jaintia, Synteng, Pnar, War, Bhoi, Lyngngam
7. Any Kuki tribes,including

(i) Biate, Biete
(ii) Changsan
(iii) Chongloi
(iv) Doungel
(v) Gamalhou
(vi) Gangte
(vii) Guite
(viii) Hanneng
(ix) Haokip, Haupit
(x) Haolai
(xi) Hengna
(xii) Hongsungh
(xiii) Hrangkhwal, Rangkhol
(xiv) Jongbe
(xv) Khawchung
(xvi) Khawathlang, Khothalong
(xvii) Khelma
(xviii) Kholhou
(xix) Kipgen
(xx) Kuki
(xxi) Lengthang
(xxii) Lhangum
(xxiii) Lhoujem
(xxiv) Lhouvun
(xxv) Lupheng
(xxvi) Mangjel
(xxvii) Misao
(xxviii) Riang
(xxix) Sairhem
(xxx) Selnam
(xxxi) Singson
(xxxii) Sitlhou
(xxxiii) Sukte
(xxxiv) Thado
(xxxv) Thangngeu
(xxxvi) Uibuh
(xxxvii) Vaiphei

8. Lakher
9. Man (Tai speaking)
10. Any Mizo (Lushai) tribes
11. Mikir
12. Any Naga tribes
13. Pawi
14. Syntheng

II. In the State of Assam excluding the autonomous districts:-

1. Barmans in Cachar
2. Boro, Borokachari
3. Deori
4. Hojai
5. Kachari, Sonwal
6. Lalung
7. Mech
8. Miri
9. Rabha

Part III- Bihar

1. Asur,
2. Baiga
3. Banjara
4. Bathudi
5. Bedia
6. Bhumij (in North Chotanagapur and South Chotanagpur divisions and Santal Parganas districts)
7. Binjhia
8. Birhor
9. Birjia
10. Chero
11. Chik Baraik
12. Gond
13. Gorait
14. Ho
15. Karmali
16. Kharia
17. Kharwar
18. Khond
19. Kisan
20. Kora
21. Korwa
22. Lohara, Lohra
23. Mahli
24. Mal Paharia
25. Munda
26. Oraon
27. Parhaiya
28. Santal
29. Sauria Paharia
30. Savar

Part IV.- Gujarat

1. Barda
2. Bavacha, Bamcha
3. Bharwad (in the Nesses of the forests of Alech, Barada and Gir)
4. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhgalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave
5. Charan (in the Nesses of the forests of Alech, Barada and Gir)
6. Chaudhri (in Surat and Valsad districts)
7. Chodhara
8. Dhanka, Tadvi, Tetaria Valvi
9. Dhodia
10. Dubla, Talavia, Halpati
11. Gamit, Gamta, Gavit Mavchi, Padvi
12. Gond, Rajgond
13. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Katkari, Son Kathodi Son Katkari
14. Kokna, Kokni, Kukna
15. Koli (in Kutch districts)
16. Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha
17. Kunbi (in the Dangs district)
18. Naikda, Nayaka, Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka
19. Padhar
20. Paradhi (in Kutch districts)
21. Pardhi, Advichincher, Phanse Pardhi (excluding Amreli, Bhavanagar, Jamnagar, Junagadh Kutch, Rajkot and Surendranagar districts)
22. Patelia
23. Pomla
24. Rabari (in the Nesses of the forests of Alech, Barada and Gir)
25. Rathawa
26. Siddi (in Amreli, Bhavnagar, Jamnagar, Junargadh, Rajkot and Surendranagar districts)
27. Vaghri (in Kutch district)
28. Varli
29. Vitolia, Kotwalia, Barodia

Part V.-Himachal Pradesh

1. Bhot , Bodh
2. Gaddi[excluding the territories specified in sub-section (1) of section 5 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), other than the Lahaul and Spiti district]
3. Gujjar [excluding the territories specified in sub-section (1) of section 5 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966)]
4. Jad, Lamba, Khampa
5. Kanaura, Kinnara
6. Lahaula
7. Pangwala
8. Swangla

Part VI.- Karnataka

1. Adiyan
2. Barda
3. Bavacha, Bamcha
4. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave
5. Chenchu, Chenchwar
6. Chodhara
7. Dubla, Talavia, Halpati
8. Gamit, Gamta, Gavit, Mavchi, Padvi, Valvi
9. Goud, Naikpod, Rajgond
10. Gowdalu
11. Hakkipikki
12. Hasalaru
13. Irular
14. Iruliga
15. Jenu Kuruba
16. Kadu Kuruba
17. Kammara (in South Kanara district and Kollegal taluk of Mysore district)
18. Kaniyan, Kanyan (in Kollegal taluk of Mysore district)
19. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Katkari, Son Kathodi, Son Katkari
20. Kattunayakan
21. Kakan, Kokni, Kukna
22. Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha
23. Konda Kapus
24. Koraga,
25. Kota
26. Koya, Bhine Koya, Rajkoya
27. Kudiya, Melakudi
28. Kuruba (in Coorg district)
29. Kurumans
30. Maha Malasar
31. Malaikudi
32. Malasar
33. Malayekandi
34. Maleru
35. Maratha (in Coorg district)
36. Marati (in south Kanara district)
37. Meda,
38. Naikda, Nayaka, Chollivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka
39. Palliyan
40. Paniyan
41. Pardhi, Advichincher, Phanse Pardhi,
42. Patelia
43. Rathawa
44. Sholanga
45. Soligaru
46. Toda
47. Varli
48. Violia, Kowalia, Barodia
49. Yerava

Part VII.- Kerala

1. Adiyan
2. Arandan,
3. Eravallan
4. Hill Pulaya
5. Irular, Irulan
6. Kadar
7. Kammara [in the areas comprising the Malabar district as specified by sub-section (2) of section 5 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1966)]
8. Kanikaran, Kanikkar
9. Kattunayakan
10. Kochuvelan
11. Konda Kapus
12. Kondareddis
13. Koraga
14. Kota
15. Kudiya, Melakudi
16. Kurichchan
17. Kurumans
18. Kurumbas
19. Maha Malasar
20. Malai Arayan
21. Malai Pandaram
22. Malai Vedan
23. Malakkuravan
24. Malasar
25. Malayan**,** [excluding the areas comprising the Malahar district as specified by sub-section (2) of section 5 of the States

Reorganisation Act, 1956 (37 of 1966)]
26. Malayarayar
27. Mannan
28. Marati (in Hosdrug and Kasaragod taluks of Cannanore district)
29. Muthuvan, Mudugar, Muduvan
30. Palleyan,
31. Pahiyan
32. Palliyar
33. Paniyan
34. Ulladan
35. Uraly

Part VIII.- Madhya Pradesh

1. Agariya
2. Andh
3. Baiga
4. Bhaina
5. Bharia Bhumia, Bhuinhar Bhumia, Bhumiya, Bharia, Paliha, Pando
6. Bhattra
7. Bhil, Bhilala, Barela, Patelia
8. Bhil Mina
9. Bhunjia
10. Biar, Biyar
11. Binjhwar
12. Birhul, Birhor
13. Damor, Damaria
14. Dhanwar
15. Gadaba, Gadba
16. Gond; Arakh, Arrakh, Agaria, Asur, Badi Maria, Bada Maria, Bhatola, Bhimma, Bhuta. Koliabhuta, Koliabhuti, Bhar, Bisonhorn, Maria, Chota Maria, Dandami Maria, Dhuru, Dhurwa, Dhoba, Dhulia, Dorla, Gaiki, Gatta, Gatti, Gaita, Gond Gowari, Hill Maria, Kandra, Kalanga, Khatola, Kotar, Koya, Khirwar, Khirwara, Kucha Maria, Kuchaki Maria, Madia, Maria, Mana, Mannewar, Moghya, Mongia, Monghya, Mudia, Muria, Nagarchi, Nagwanshi, Ojha, Raj Gond, Sonjhari Jhareka, Thatia, Thotya, Wade Maria, Vade Maria, Daroi
17. Halba, Halbi
18. Kamar
19. Karku
20. Kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia, Tanwar, Chhatri
21. Keer (in Bhopal, Rasen and Sehore districts)
22. Khairwar, Kondar
23. Kharia
24. Kondh, Khond, Kandh
25. Kol
26. Kolam
27. Korku, Bopchi, Mouasi, Nihal, Nahul Bondhi, Bondeya
28. Korwa, Kodaku
29. Majhi
30. Majhwar
31. Mawasi
32. Mina (in Sironj sub-division of Vidisha district)
33. Munda
34. Nagesia, Nagasia
35. Oraon, Dhanka, Dhangad
36. Panika [in Chhatarpur, Datia, Panna, Rewa, Satna, Shahdol, Sidhi and Tikamgarh districts)
37. Pao
38. Pardhan, Pathari, Saroti
39. Pardhi (in Bhopal, Raisen and Sehore districts)
40. Pardhi, Bahelia, Bahellia, Chita Pardhi Langoli Pardhi, Phans Pardhi, Shikari, Takankar, Takia [In (1) Bastar, Chhindwara, Mandla, Raigarh, Seoni and Surguja districts (2) Baihar Tahsil of Balaghat District, (3) Betul and Bhainsdehi tahsils of Betul district, (4) Bilaspur and Katghora tahsils of Bilaspur district (5) Durg and Balod tahsils of Durg district (6) Chowki, Manpur and Mohala Revenue Inspectors' Circles of Rajnandgaon district (7) Murwara, Patan and Sihora tasils of Jabalpur district (8) Hoshangabad and Sohagpur tahsils of Hoshangabad district and Narsimhapur district (9) Harsud tahsil of Khandwa district (10) Bindra Nawagarh, Dhamtari and Mahasamund tahsils of Raipur district]
41. Parja
42. Sahariya, Saharia, Seharia, Sehria, Sosia, Sor
43. Saonta, Saunta
44. Saur
45. Sawar, Sawara
46. Sonr.

Part IX.-Maharashtra

1. Andh
2. Baiga
3. Barda
4. Bavacha, Bamcha
5. Bhaina
6. Bharia Bhumia, Bhuinhar, Bhumia, Pando
7. Bhattra
8. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala Pawra, Vasava, Vasave
9. Bhunjia
10. Binjhwar
11. Birhul, Birhor
12. Chodhara (excluding Akola, Amravati, Bhandara, Buldana, Chandrapur, Nagpur, Wardha, Yavatmal, Aurangabad, Bhir Nanded, Osmanabad and Parbhani districts)
13. Dhanka, Tadvi, Tetaria, Valvi
14. Dhanwar
15. Dhodia
16. Dubla Talavia, Halpati
17. Gamit, Gamta, Gavit, Mavchi, Padvi
18. Gond, Rajgond, Arakh, Arrakh, Agaria, Asur, Bedi Maria, Bada Maria, Bhatola, Bhimma, Bhuta, Koilabhuta, Koilabhuti, Bhar, Bisonhorn Maria, Chota Maria, Dandami Maria, Dhuru, Dhurwa Dhoba, Dhulia, Dorla, Kaiki, Gatta, Gatti, Gaita, Gond Gowari, Hill Maria, Kandara, Kalanga, Khatola, Koitar, Koya, Khirwar, Khirwara, Kucha Maria, Kuchaki Maria, Madia, Maria, Mana, Mannewar, Moghya, Magia, Monghya, Mudia, Muria, Nagarchi, Naikpod, Nagwanshi, Ojha, Raj, Sonjhari Jhareka, Thatia, Thotya, Wade Maria, Vade Maria.
19. Halba, Halbi
20. Kamar

21. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Kathkari, Son Kathodi, Son Katkari
22. Kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia, Tanwar, Chattri.
23. Khairwar
24. Kharia
25. Kokna, Kokni, Kukna
26. Kol
27. Kolam, Mannervarlu
28. Koli, Dhor; Tokre Koli, Kolcha, Kolgha
29. Koli Mahadev, Dongar Koli
30. Koli Malhar
31. Kondh, Khond, Kandh
32. Korku, Bopchi, Mouasi, Nihal, Nahul, Bondhi, Bondeya
33. Koya, Bhine Koya, Rajkoya
34. Nagesia, Nagasia
35. Naikda, Nayaka, Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka
36. Oraon, Dhangad
37. Pardhan, Pathari, Saroti
38. Pardhi, Advichincher, Phans Pardhi, Phanse Pardhi, Langoli Pardhi, Bahelia, Bahellia, Chita Pardhi, Shikari, Takankar, Takia
39. Parja
40. Patelia
41. Pomla
42. Rathawa
43. Sawar, Sawara
44. Thakur, Thakar, Ka Thakur, Ka Thakar, Ma Thakur, Ma Thakar
45. Thoti (in Aurangabad, Bhir, Nanded, Osmanabad and Parbhani districts and Rajura tahsil of Chandrapur district)
46. Varli
47. Vitolia, Kotwalia, Barodia

Part X.- Manipur

1. Aimol
2. Anal
3. Angami
4. Chiru
5. Chothe
6. Gangte
7. Hmar
8. Kabui
9. Kacha Naga
10. Koirao
11. Koireng
12. Kom
13. Lamgang
14. Mao
15. Maram
16. Maring
17. Any Mizo (Lushai) tribes
18. Monsang
19. Moyon
20. Paite
21. Purum
22. Ralte
23. Sema
24. Simte
25. Suhte
26. Tangkhul
27. Thadou
28. Vaiphui
29. Zou

Part XI.- Meghalaya

1. Chakma
2. Dimasa, Kachari
3. Garo
4. Hajong
5. Hmar
6. Khasi, Jaintia, Synteng, Pnar, War, Bhoi, Lyngngam
7. Any Kuki tribes, including:-

(i) Biate, Biete
(ii) Changsan
(iii) Chongloi
(iv) Doungel
(v) Gamalhou
(vi) Gangte
(vii) Guite
(viii) Hanneng
(ix) Haokip, Haupit
(x) Haolai
(xi) Hengna
(xii) Hongsungh
(xiii) Hranghkwal, Rangkhol
(xiv) Jongbe
(xv) Khawchung
(xvi) Khawathilang, Khothalong
(xvii) Khelma
(xviii) Kholhou
(xix) Kipgen
(xx) Kuki
(xxi) Lengthang
(xxii) Lhangum
(xxiii) Lhoujem
(xxiv) Lhouvun
(xxv) Lupheng
(xxvi) Mangjel
(xxvii) Misao
(xxviii) Riang
(xxix) Sairhem
(xxx) Selnam
(xxxi) Singson
(xxxii) Sitlhou
(xxxiii) Sukte
(xxxiv) Thado
(xxxv) Thangngeu
(xxxvi) Uibuh
(xxxvii) Vaiphei

8. Lakher
9. Man (Tai Speaking)
10. Any Mizo (Lushai) tribes
11. Mikir
12. Any Naga tribes
13. Pawi
14. Synteng

Part XII.- Orissa

1. Bagata
2. Baiga
3. Banjara
4. Bathudi
5. Bhottada, Dhotada
6. Bhuiya, Bhuyan
7. Bhumia
8. Bhumij
9. Bhunjia
10. Binjhal
11. Binjhia, Binjhoa
12. Birhor
13. Bondo Poraja
14. Chenchu
15. Dal
16. Desua Bhumji
17. Dharua
18. Didayi
19. Gadaba
20. Gandia
21. Ghara
22. Gond, Gondo
23. Ho
24. Holva
25. Jatapu
26. Juang
27. Kandha Gauda
28. Kawar
29. Kharia, Kharian
30. Kharwar
31. Khond, Kond, Kandha, Nanguli Kandha, Sitha Kandha
32. Kisan
33. Kol
34. Kolah Laharas, Kol Loharas
35. Kolha
36. Koli, Malhar
37. Kondadora
38. Kora
39. Korua
40. Kotia
41. Koya
42. Kulis
43. Lodha
44. Madia
45. Mahali
46. Mankidi
47. Mankirdia

48. Matya
49. Mirdhas
50. Munda, Munda Lohara, Munda Mahalis
51. Mundari
52. Omanatya
53. Oraon
54. Parenga
55. Paroja
56. Pentia
57. Rajuar
58. Santal
59. Saora, Savar, Saura, Sahara
60. Shabar, Lodha
61. Sounti
62. Tharua

Part XIII.- Rajasthan

1. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave
2. Bhil Mina
3. Damor, Damaria
4. Dhanka, Tadvi, Tetaria, Valvi
5. Garasia (excluding Rajput Garasia)
6. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Katkari, Son Kathodi, Son Katkari
7. Kokna, Kokni, Kukna
8. Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha
9. Mina
10. Naikda, Nayaka, Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka
11. Patelia
12. Seharia, Sehria, Sahariya

Part XIV. Tamil Nadu

1. Adiyan
2. Aranadan
3. Eravallan
4. Irular
5. Kadar
6. Kammara (excluding Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
7. Kanikaran, Kanikkar (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
8. Kaniyan, Kanyan
9. Kattunayakan
10. Kochu Velan
11. Konda Kapus
12. Kondareddis
13. Koraga
14. Kota (excluding Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
15. Kudiya, Melakudi
16. Kurichchan
17. Kurumbas (in the Nilgiris district)
18. Kurumans
19. Maha Malasar
20. Malai Arayan
21. Malai Pandaram
22. Malai Vedan
23. Malakkuravan
24. Malasar
25. Malayali (in Dharmapuri North Arcot Pudukottai, Salem, South Arcot and Tiruchirapali districts)
26. Malaydkandi
27. Mannan
28. Mudugar, Muduvan
29. Muthuvan
30. Palleyan
31. Palliyan
32. Palliyar
33. Paniyan
34. Sholaga
35. Toda (excluding Kanyakumari district and Shenkottah Taluk of Tiruneveli district)
36. Uraly

Part XV. Tripura

1. Bhil
2. Bhutia
3. Chaimal
4. Chakma
5. Garoo
6. Halam
7. Jamatia
8. Khasia
9. Kuki, including the following sub-tribes:-

(i) Balte
(ii) Belalhut
(iii) Chhalya
(iv) Fun
(v) Hajango
(vi) Jan gtei
(vii) Khareng
(viii) Khephong
(ix) Kuntei
(x) Laifang
(xi) Lentei
(xii) Mizel
(xiii) Namte
(xiv) Paitu, Paite
(xv) Rangchan
(xvi) Rangkhole
(xvii) Thangluya

10. Lepcha
11. Lushai
12. Mag
13. Munda, Kaur
14. Noatia,
15. Orang
16. Riang
17. Santal
18. Tripura, Tripuri, Tippera
19. Uchai.

Part XVI. West Bengal

1. Asur
2. Baiga
3. Badia, Bediya
4. Bhumij
5. Bhutia, Sherpa, Toto, Dukpa, Kagatay, Tibetan, Yolmo
6. Birhor
7. Birjia
8. Chakma
9. Chero
10. Chik Baraik
11. Garo
12. Gond
13. Gorait
14. Hajang
15. Ho
16. Karmali
17. Kharwar
18. Khond
19. Kisan
20. Kora
21. Korwa
22. Lepcha
23. Lodha, Kheria, Kharia
24. Lohara, Lohra
25. Magh
26. Mahali
27. Mahli
28. Mal Paharya
29. Mech
30. Mru
31. Munda
32. Nagesia
33. Oraon
34. Parhaiya
35. Rabha
36. Santal
37. Sauria Paharia
38. Savar

CHAPTER – II

In the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959.-

(a) in paragraph 2, for the workes "resident in the localities specified in relation to them in that Schedule", the words "resident in that Union terriotory" shall be substituted;

(b) for the Schedule,, substitute-

"THE SCHEDULE"

1. Andamanese, Chariar, Chari, Kora, Tabo, Bo, Yere, Kede, Bea, Balawa, Bojigiyab, Juwai, Koi
2. Jarawas
3. Nicobarese
4. Onges
5. Sentineless
6. Shom Pens".

S.K. MAITRA,
Jt. Secy. to the Govt. of India.

रजिस्ट्री सं0 डी-एल. 33004/2003 REGISTERED No. DL-33004/2003

भारत राजपत्र

का

THE GAZETTE OF INDIA

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II – खण्ड 1

PART II– SECTION 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं0 10] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 8, 2003/ पौष 18, 1924

No. 10] NEW DELHI , WEDENASDAY , JANUARY 8, 2003/ PAUSA 18, 1924

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिसमें कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 8th January, 2003/Pausa 8, 1924 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 7th January, 2003 and is hereby published for general information:-

THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) ACT, 2002

No. 10 0r 2003

(7th January, 2003)

An Act to provide for the inclusion in the lists of Scheduled Tribes, of certain tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities, equivalent names or synonyms of such tribes or communities, removal of area restrictions and bifurcation and clubbing of entries, imposition of area restriction in respect of certain castes in the lists of Scheduled Castes, and the exclusion of certain castes and tribes from the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in relation to the States of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Orissa, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal:

Be it enacted by parliament in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002.

Short title Definition

2. In this Act, unless the context otherwise requires, --

(a) "Scheduled Castes Order" means the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, made by the President under Article 341 of the Constitution:

(b) "Scheduled Tribes Order" means the Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950, the Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978, made by the President under Article 342 of the Constitution.

Amendment of Scheduled Castes Order

3. The Scheduled Castes Order is hereby amended in the manner and to the extent specified in the Fist Schedule.

Amendment of Scheduled Tribes Orders

4. The Scheduled Tribes Orders are hereby amended in the manner and to the extent specified in the Second Schedule.

[Note:- The First Schedule to this Act relates to the Scheduled Castes and, therefore, the contents of that Schedule are not being printed here.]

THE SECOND SCHEDULE
(See Section 4)

(1) In the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, --

(a) in PART I. – Andhra Pradesh,-

(i) in entry 1, after "Andh", insert ",Sadhu Andh".
(ii) in entry 4, omit "Chenchwar";
(iii) in entry 5, at the end, insert ", Bodo Gadaba, Gutob Gadaba, Kallayi Gadaba, Parangi Gadaba, Kathera Gadaba, Kapu Gadaba";
(iv) in entry 6, at the end, insert ",Koitur";
(v) in entry 12, for "Mannervarlu", substitute "Kolawar";
(vi) in entry 13, at the end, insert "Kubi";
(vii) in entry 16, at the end, insert ",Kuvinga";
(viii) in extry 17, omit "Dhulia, Paiko, Putiya".
(ix) in entry 18, for "Goud", subtitute "Doli Koya, Gutta Koya, Kammara Koya, Musara Koya, Oddi Koya, Pattidi Koya";
(x) in entry 29, at the end, insert ",Banjara";
(xi) in entry 31, for "Agency tracts" substitute "Scheduled Areas of Visakhapatnam, Srikakulam, Vijayanagaram, East Godavari and West Godavari districts";
(xii) in entry 32, at the end insert ", Chella Yenadi, Kappal Yenadi, Manchi Yenadi, Reddi Yenadi";
(xiii) in entry 33, at the end, insert ", Koracha, Dabba Yerukula, Kunchapuri Yerukula, Uppu Yerukula";
(xiv) after entry 33, insert-

"34, Nakkala, Kurvikaran
35. Dhulia, Paiko, Putiya (in the districts of Vishakhapatnam and Vijayanagaram).",

(b) in PART II – Assam, -

(i) under the item "In the autonomous districts:- ", for entry II, substitute "II. Karbi", and after entry 14, insert "15. Lalung",
(ii) under the iterm "In the State of Assam excluding the autonomous districts:- ", after entry 9, insert-

"10. Dimasa
11. Hajong
12. Singhpho

13. Khampti
14. Garo.",

(c) in PART III. – Bihar, -

(i) in entry 1, at the end, insert ",Agaria",
(ii) in entry 16, at the end, insert ",Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Hill Kharia",
(iii) in entry 19, at the end, insert ", Nagesia",
(iv) in entry 20, at the end, insert ", Mudi-kora",
(v) in entry 24, at the end, insert "Kumarbhag Paharia",
(vi) in entry 25, at the end, insert, ",Patar",
(vii) in entry 26, at the end, insert ", Dhangar (Oraon)",
(viii) after entry 30, insert –

"31. Kawar
32. Kol
33. Tharu.".

(d) in PART IV – Gujarat : -

(i) in entry 9, at the end, insert ", Dhodi",
(ii) omit entries 15 and 20;
(iii) in entry 26, after "Siddi" and before the brackers, insert ",Siddi Badshan",
(iv) omit entry 27

(e) in PART V – Himachal Pradesh-

(i) in entry 2, omit "[excluding the territories specified in Sub-section (1) of section 5 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (31 of 1966), other than the Lahul and Spitit districts.]"
(ii) In entry 3, omit "[excluding the territories specified in sub-section (l) of section 5 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (31 of 1966)]".
(iii) After entry 8, insert –

"9. Beta, Beda
10. Domba, Gara, Zoba",

(f) in PART VI – Karnataka-

(i) in entry 37, at the end, insert "Medari, Gauriga, Burud';
(ii) in entry 41, at the end, insert ",Haranshikari";
(iii) after entry 49, insert "50. Siddi (in Uttar Kannada district)";

(g) in PART VII – Kerala –

(i) in entry 2, at the end, insert ", Aranadan";
(ii) in entry 4, at the end insert ", Mala Pulayan, Kurumba Pulayan, Karavazhi Pulayan, Pamba Pulayan",
(iii) in entry 6, at the end, insert ", Wayanad Kadar";
(iv) Omit entry 7;
(v) For entry 10, substitute: 10. Kochuvelan";
(vi) Omit entries 11,12 and 14
(vii) in entry 16, at the end, insert ",Kuruchiyan";
(viii) in entry 17, at the end, inset ", Mullu Kuruman, Mulla Kuruman, Mala Mukuramn";
(ix) in entry 18, at the end, insert ", Kurumba, Kurumbar, Kurumban;
(x) in entry 20, at the end, insert ", Mala Arayan";
(xi) in entry 22, at the end, insert ", Malavedan";
(xii) for entry 25, substitute "25, Malayan, Nattu Malayan, Konga Malayan (excluding the areas comprising the Kasargode, Cannanore, Wayanad and Kozhikode districts)";

(xiii) in entry 27, at the end, insert "(to be spelt in Malayalam script in – parenthesis)";
(xiv) omit entry 28;
(xv) for entries 30,31,and 32, substitute "30, Palleyan, Palliyan, Palliyar, Paliyan";
(xvi) in entry 34, at the end, insert ", Ullatan";
(xvii) after entry 35, insert –

"36. Mala Vettuvan (in Kasargode and Kannur districts)
37. Ten Kurumban, Jenu Kurumban
38. Thachanadan, Thachanadan Moopan
39. Cholanaickan
40. Mavilan
41. Karimpalan
42. Vetta Kuruman
43. Mala Panickar";

(h) in PART VIII – Madhya Pradesh, omit "entries 21,32 and 39";

(i) in PART IX – Maharashtra –

(i) omit entry 12;
(ii) in entry 18, for "Gond Rajgond" substitute Gond, Rajgond",
(iii) omit entry 45",

(j) in PART X – Manipur –

(i) for entry 28, substitute "28. Vaiphel",
(ii) after entry 29, insert –

"30. Ponmal Naga
31. Tarao
32. Kharam
33. Any Kuki tribes",

(k) in PART XII – Orissa, –

(i) in entry 1, at the end, insert, "Bhakta";
(ii) in entry 4, at the end, insert, "Bathuri",
(iii) in entry 5, at the end, insert , "Bhotra, Bhatra, Bhattara, Bhotora, Bhatara",
(iv) in entry 8, at the end, insert , "Teli Bhumij, Haladipokhria Bhumij, Haladi Pokharia Bhumija, Desi Bhumij, Desia Bhumij, "Tamaria Bhumij";
(v) in entry 10, at the end, insert, " Binjhwar",
(vi) in entry 13, at the end, insert ," Bonda Paroja, Banda paroja",
(vii) in entry 17, at the end, insert, " Bhuruba, Dhurva",
(viii) in entry 18, at the end, insert, "Didal Parojha, Didai",
(ix) in entry 19, at the end, insert, " Bodo Gadaba, Gutob Gadaba, Kapu Gadaba, Ollara Gadaba, Parenga Gadaba, Sano Gadaba"
(x) in entry 22, at the end, insert, "Rajgond, Maria Gond, Dhur Gond",
(xi) in entry 28, at the end, insert, "Kanwar",
(xii) in entry 29, at the end, insert, "Berga Kharia, Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Erenga Kharia, Munda Kharia, Oraon Kharia, Khadia, Pahar Kharia",
(xiii) in entry 31, at the end insert "Kondh, Kui, Buda Kondh, Bura Kandha, Desia Kandha, Dungaria Kondh, Kutia Kandha, Kandha Gauda, Muli Kondh, Malua Kondh, Pengo Kandha, Raja Kondh, Raj Khond",
(xiv) in entry 32, at the end, insert ", Nagesar, Nagesia",
(xv) in entry 38, at the end, insert ", Khaira, Khayara",
(xvi) in entry 41, at the end, insert ",Gumba Koya, Kottur Koya, Kamar Koya, Musara Koya",
(xvii) in entry 43, at the end, insert ", Nodh, Nodha, Lodh",
(xviii) in entry 47, at the end, insert ", Mankria, Mankidi",

(xix) in entry 48, at the end, insert ",Matia",
(xx) in entry 49, at the end, insert ", Kuda, Koda",
(xxi) in entry 50, at the end, insert ", Nagabanshi Munda, Oriya Munda",
(xxii) in entry 52, at the end, insert ", Omanatyo, Amanatya",
(xxiii) in entry 53, at the end, insert ", Dhangar, Uran",
(xxiv) in entry 55, at the end, insert " Parja, Bodo Paroja, Barong Jhodin Paroja, Chhelia Paroja, Jhodia Paroja, Konda Paroja, Paraja Ponga Paroja, Sodin Paroja, Sano Paroja, Solia Paroja",
(xxv) in entry 59, at the end, insert "Arsi Saora, Based Saora, Bhima Saora, Bhimma Saora, Chumura Saora, Jara Savar, Jadu Saora, Jati Saora, Juari Saora, Kampu Saora, Kampa Soura, Kapo Saora, Kindal Saora, Kumbi Kancher Saora, Kalapithia Saora, Kirat Saora, Lanjia Saora, Lamba Lanjia Saora, Luora Saora, Luar Saora, Laria Savar, Malia Saora, Malla Saora, Uriya Saora, Raika Saora, Sudda Saora, Sarda Saora, Tankala Saora, Patro Saora, Vesu Saora",
(xxvi) in entry 62, at the end, insert ", Tharua Bindhani",

(l) in PART XIV- Tamil Nadu, in entry 7, for "taluk," substitute "and Ambasamudram Taluks",

(m) In PART XV – Tripura, -
in entry 6, at the end, in insert "Bengshel, Dub, Kaipeng, Kalai, Karbong,
(i) Lengul, Mussum, Rupini, Sukuchep, Thangchep"
(ii) in entry 14, at the end, insert ", Murashing";

(n) In PART XVI – West Bengal, after entry 38, insert, -

"39. Limbu (Subba)
40. Tamang";

(o) In PART XVII – Mizoram, after entry 14, insert "13.Paite";

(p) In PART XVIII – Arunachal Pradesh –

(i) in entry 8, at the end, insert ", Idu, Taroan";
(ii) after entry 12, insert –

"13. Hrusso
14. Tagin
15. Khamba
16. Adi";

(q) In PART XIX – Goa, after entry 5, insert -

"6. Kunbi
7. Gawda
8. Velip";

(r) In PART XXII – Jharkhand, -

(i) in entry 1, at the end, insert ", Agaria",
(ii) in entry 15, at the end, insert ", Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Hill Kharia",
(iii) in entry 18, at the end, insert ", Nagesia",
(iv) in entry 19, at the end, insert ", Mudi-Kora",
(v) in entry 23, at the end, insert ", Kumarbhag Paharia",
(vi) in entry 24, at the end, insert ", Patar",
(vii) in entry 25, at the end, insert ", Dhangar (Oraon)",
(viii) in entry 30, insert –

"31. Kawar
32. Kol.",

(2) In the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, after entry 5, insert

"6. Gond, Dhuria, Nayak, Ojha, Pathari, Raj Gond (in the destricts of Mehrajganj, Sidharth Nagar, Basti Gorakhpur, Deoria, Mau, Azamgarh, Jonpur, Balia, Gazipur, Varanasi, Mirzapur and Sonbhadra);

7. Kharwar, Khairwar (in the districts of Deoria, Balia, Ghazipur, Varanasi and Sonbhadra)
8. Saharya (in the district of Lalitpur)
9. Parahiya (in the district of Sonbhadra)
10. Baiga (in the district of Sonbhadra)
11. Pankha, Panika (in the districts of Sonbhadra and Mirzapur)
12. Agariya (in the district of Sonbhadra)
13. Patari (in the district of Sonbhadra)
14. Chero (in the district of Sonbhadra and Varanasi)
15. Bhuiya, Bhuinya (in the district of Sonbhadra)".

(3) In the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978, after entry 2, insert –

"3. Limboo
4. Tamang"

K.N. CHATURVEDI
Additional Secy. to the Govt. of India.

THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) ACT, 2003
ACT, NO. 47 OF 2003, DATED 19.9.2003

An Act further to amended the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the State of

Assam

Be it enacted by Parliament in the Fifty-fourth year of the Republic of India as follows:-

1. Short Title:- This Act may be called the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2003

2. Amendment of the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.- In the Scheduled to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, in Part II.-Assam,-

(i) For the sub-part heading "I. In the autonomous districts".
the following shall be substituted namely:-
"I. In the autonomous districts of Karbi, Anglong and North Cachar Hills";

(ii) for the sub-part heading "II. In the State of Assam
excluding the autonomous districts" the following shall be substituted, namely:-
II. In the State of Assam including the Bodoland Territorial Areas Districts and excluding the autonomous districts of Karbi Anglong and North Cachar Hills".

THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER, 1950

(As amended from time to time)

In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governors and Rajpramukhs of States concerned, is pleased to make the following Order, namely:-

1. This order may be called the Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950[1]

2. The tribal or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities, specified in [2][Parts I to {XXII}[3]] of the Schedule to this Order shall, in relation to the States to which those Parts respectively relate be deemed to be Scheduled Tribes so far as regards members thereof resident in the localities specified in relation to them respectively in those Parts of that Schedule.

3. Any reference in this Order to a State or to a district or other territorial division thereof shall be construed as a reference to the State, district or other territorial division as constituted on the 7th January, 2003 on which date the President of India gave assent to The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002 (No. 10 of 2003)

THE SCHEDULE

Part I-Andhra Pradesh

1. Andh, **Sadhu Andh**
2. Bagata
3. Bhil
4. Chenchu
5. Gadabas, **Bodo Gadaba, Gutob Gadaba, Kallayi Gadaba, Parangi Gadaba, Kathera Gadaba, Kapu Gadaba**
6. Gond, Naikpod, Rajgond, **Koitur**
7. Goudu (in the Agency tracts)
8. Hill Reddis
9. Jatapus
10. Kammara
11. Kattunayakan
12. Kolam, **Kolawar**
13. Konda Dhoras, Kubi
14. Konda Kapus
15. Kondareddis
16. Kondhs, Kodi, Kodhu, Desaya Kodhs, Dongria Kondhs, Kuttiya Kondhs, Tikiria Kondhs, Yenity Kondhs, **Kuvinga**
17. Kotia, Bentho Oriya, Bartika, Dulia, Holva, Sanrona, Sidhopaiko
18. Koya, **Doli Koya, Gutta Musara Koya, Oddi Koya, Pattidi Koya,** Rajah, Rasha Koya, Lingadhari Koya (ordinary), Kottu Koya, Bhine Koya, Rajkoya
19. Kulia
20. Malis (excluding adilabad, Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Mahbubnagar, Medak, Nalgonda, Nizamabad and Warnagal districts)
21. Manna Dhora
22. Mukha Dhora, Nooka Dhora
23. Nayaks (in the Agency tracts)
24. Pardhan
25. Porja, Parangiperja
26. Reddi Dhoras
27. Rona, Rena
28. Savaras, Kapu Savaras, Maliya Savaras, Khutto Savaras
29. Sugalis, Lambadis, **Banjara**
30. Thoti (in Adilabad, Hyderabad, Karimnagar, Khammam Mahbubnagar, Medak, Nalgonda, Nizamabad and Warangal districts)
31. Valmiki (**in the Scheduled Areas of Vishakhapatnam, Srikakulam, Vijayanagram East Godavari and West Godavari districts**)
32. Yenadis, **Chella Yenadi, Kappala Yenadi , Manchi Yenadi, Reddi Yenadi**
33. Yerukulas, **Koracha, Dabba Yerukula, Kunchapuri Yerykula, Uppu Yerukula**
34. **Nakkala, Kurvikaran**
35. **Dhulia, Paika, Putiya (in the districts of Vishakhapatnam and Vijayanagaram)**

Part II- Assam

[I. In the autonomous Districts of Karbi Anglong and North Cachar Hills][4]

1. Chakma
2. Dimasa, Kachari
3. Garo
4. Hajong
5. Hmar
6. Khasi, Jaintia, Synteng, Pnar, War, Bhoi, Lyngngam
7. Any Kuki tribes,including

(i) Biate, Biete
(ii) Changsan
(iii) Chongloi
(iv) Doungel
(v) Gamalhou
(vi) Gangte
(vii) Guite
(viii) Hanneng
(ix) Haokip, Haupit
(x) Haolai
(xi) Hengna
(xii) Hongsung
(xiii) Hrangkhwal, Rangkhol
(xiv) Jongbe
(xv) Khawchung
(xvi) Khawathlang, Khothalong
(xvii) Khelma
(xviii) Kholhou
(xix) Kipgen
(xx) Kuki
(xxi) Legthang

(xxii) Lhangum
(xxiii) Lhoujem
(xxiv) Lhouvun
(xxv) Lupheng
(xxvi) Mangjel
(xxvii) Misao
(xxviii) Riang
(xxix) Sairhem
(xxx) Selnam
(xxxi) Singson
(xxxii) Sitlhou
(xxxiii) Sukte
(xxxiv) Thado
(xxxv) Thangngeu
(xxxvi) Uibuh
(xxxvii) Vaiphei
8. Lakher
9. Man (Tai speaking)
10. Any Mizo (Lushai) tribes
11. Karbi
12. Any Naga tribes
13. Pawi
14. Syntheng
15. Lalung

****II. In the State of Assam including the Bodo land territorial Areas District and excluding the autonomous districts of Karbi Anglong and North Cachar Hills:**

1. Barmans in Cachar
2. Boro, Borokachari
3. Deori
4. Hojai
5. Kachari, Sonwal
6. Lalung
7. Mech
8. Miri
9. Rabha
10. Dimasa
11. Hajong
12. Singhpho
13. Khampti
14. Garo

Part III- Bihar

1. Asur, **Agarla**
2. Baiga
3. Banjara
4. Bathudi
5. Bedia
6. Omitted
7. Binjhia
8. Birhor
9. Birjia
10. Chero
11. Chik Baraik
12. Gond
13. Gorait
14. Ho
15. Karmali
16. Kharia, **Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Hill Kharia**
17. Kharwar
18. Khond
19. Kisan, **Nagesia**
20. Kora, **Mudi-Kora**
21. Korwa
22. Lohara, Lohra
23. Mahili
24. Mal Paharia, **Kumarbhag Paharia**
25. Munda, **Patar**
26. Oraon, **Dhangar (Oraon)**
27. Parhaiya
28. Santal
29. Sauria Paharia
30. Savar
31. Kawar
32. Kol
33. Tharu

Part IV-Gujarat

1. Barda
2. Bavacha, Bamcha
3. Bharwad (in the Nesses of the forests of Alech, Barada and Gir)
4. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhgalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave
5. Charan (in the Nesses of the forests of Alech , Barada and Gir)
6. Chaudhri (in Surat and Valsad districts)
7. Chodhara
8. Dhanka, Tadvi, Tetaria, Valvi
9. Dhodia, ***Dhodi***
10. Dubla Talavia, Hapati
11. Gamit, Gamta, Gavit Mavchi, Padvi
12. Gond, Rajgond
13. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor, Katkari, Son Kathodi Son Katkari
14. Kokna, Kokni, Kukna
15. Omitted
16. Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha
17. Kunbi (in the Dangs district)
18. Naikda, Nayaka, Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka
19. Padhar
20. Omitted
21. Pardhi, Advichincher, Phanse Pardhi (excluding Amreli, Bhavanagar, Jamnagar, Junagadh Kutch, Rajkot and Surendranagar districts)
22. Patelia
23. Pomla
24. Rabari (in the Nesses of the forests of Alech, Barada and Gir)
25. Rathawa
26. Siddi, Siddi-Badshan (in Amreli, Bhavnagar, Jamnagar, Junargadh, Rajkot and Surendranagar districts)
27. Omitted
28. Varli
29. Vitolia, Kotwalia, Barodia
30. Bhil, Bhilala Barela, Patelia
31. Tadvi Bhil, Bawra, Vasave,
32. Padvi.

Part V- Himachal Pradesh

1. Bhot , Bodh
2. Gaddi
3. Gujjar
4. Jad, Lamba, Khampa
5. Kanaura, Kinnara
6. Lahaula
7. Pangwala
8. Swangla
9. Beta, Beda
10. Domba, Gara, Zoba

Part VI-Karnataka

1. Adiyan
2. Barda
3. Bavacha, Bamcha
4. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave
5. Chenchu, Chenchwar
6. Chodhara
7. Dubla, Talavia, Halpati
8. Gamit, Gamta, Gavit, Mavchi, Padvi, Valvi
9. Goud, Naikpod, Rajgond
10. Gowdalu
11. Hakkipikki
12. Hasalaru
13. Irular
14. Iruliga
15. Jenu Kuruba
16. Kadu Kuruba
17. Kammara (in South Kanara district and Kollegal taluk of Mysore district)

18. Kanivan, Kanyan (in Kollegal taluk of Mysore district)
19. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Katkari, Son Kathodi, Son Katkari
20. Kattunayakan
21. Kakan, Kokni, Kukna
22. Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha
23. Konda Kapus
24. Koraga,
25. Kota
26. Koya, Bhine Koya, Rajkoya
27. Kudiya Melakudi
28. Kuruba (in Coorg district)
29. Kurumans
30. Maha Malasar
31. Malaikudi
32. Malasar
33. Malayekandi
34. Maleru
35. Maratha (in Coorg district)
36. Marati (in south Kanara district)
37. Meda, **Medari, Gauriaga, Burud**
38. Naikda, Nayaka, Chollivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka, Naik, Nayak, Beda, Bedar and Valmiki.
39. Palliyan
40. Paniyan
41. Pardhi, Advichincher, Phanse Pardhi, **Haranshikari**
42. Patelia
43. Rathawa
44. Sholanga
45. Soligaru
46. Toda
47. Varli
48. Violia, Kowalia, Barodia
49. Yerava
50. Siddi (in Uttar Kannada district)

Part VII- Kerala

1. Adiyan
2. Arandan, **Aranadan**
3. Eravallan
4. Hill Pulaya, **Mala Pulayan, Kurumba Pulayan, Pamba Pulayan**
5. Irular, Irulan
6. Kadar, **Wayanad Kadar**
7. **Omitted**
8. Kanikaran, Kanikkar
9. Kattunayakan
10. Kochuvelan
11. Omitted
12. Omitted
13. Koraga
14. **Omitted**
15. Kudiya, Melakudi
16. Kurichchan, **Kurichiyan**
17. Kurumans, **Mullu Kuruman, Mulla Kuruman, Mala Kurumbar, Kurumban**
18. Kurumbas, **Kurumbar, Kurumban**
19. Maha Malasar
20. Malai Arayan**, Mala Arayan**
21. Malai Pandaram
22. Malai Vedan**, Malavedan**
23. Malakkuravan
24. Malasar
25. Malayan**, Nattu Malayan, Konga Malayan (excluding the areas comprising the Kasargode, Connanore, Wayanad and Kozhikode districts)**
26. Malayarayar
27. Mannan
28. **Omitted**
29. Muthuvan, Mudugar, Muduvan
30. Palleyan, **Palliyan, Plliyar, Paliyan**
31. **Omitted**
32. **Omitted**
33. Paniyan
34. Ulladan**, Ullatan**
35. Uraly
36. **Mala Vettuyan (in Kasargode and Kannur districts)**
37. **Ten Kurumban, Jenu Kurumban**
38. **Thachanadan, Thachanadan Moopan**
39. **Cholanaickan**
40. **Mavilan**
41. **Karimpalan**
42. **Vetta Kuruman**
43. **Mala Panickar**

Part VIII- Madhya Pradesh

1. Agariya
2. Andh
3. Baiga
4. Bhaina
5. Bharia Bhumia, Bhuinhar Bhumia, Bhumiya, Bharia, Paliha, Pando
6. Bhattra
7. Bhil, Bhilala, Barela, Patelia
8. Bhil Mina
9. Bhunjia
10. Biar, Biyar
11. Binjhwar
12. Birhul, Birhor
13. Damor, Damaria
14. Dhanwar
15. Gadaba, Gadba
16. Gond; Arakh, Arrakh, Agaria, Asur, Badi Maria, Bada Maria, Bhatola, Bhimma, Bhuta. Koliabhuta, Koliabhuti, Bhar, Bisonhorn, Maria, Chota Maria, Dandami Maria, Dhuru, Dhurwa, Dhoba, Dhulia, Dorla, Gaiki, Gatta, Gatti, Gaita, Gond Gowari, Hill Maria, Kandra, Kalanga, Khatola, Kotar, Koya, Khirwar, Khirwara, Kucha Maria, Kuchaki Maria, Madia, Maria, Mana, Mannewar, Moghya, Mongia, Monghya, Mudia, Muria, Nagarchi, Nagwanshi, Ojha, Raj Gond, Sonjhari Jhareka, Thatia, Thotya, Wade Maria, Vade Maria, Daroi
17. Halba, Halbi
18. Kamar
19. Karku
20. Kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia, Tanwar, Chhatri
21. **Omitted**
22. Khairwar, Kondar
23. Kharia
24. Kondh, Khond, Kandh
25. Kol
26. Kolam
27. Korku, Bopchi, Mouasi, Nihal, Nahul Bondhi, Bondeya
28. Korwa, Kodaku
29. Majhi
30. Majhwar
31. Mawasi
32. **Omitted**
33. Munda
34. Nagesia, Nagasia
35. Oraon, Dhanka, Dhangad
36. Panika [in (i) Chhatarpur, Panna, Rewa, Satna, Shahdol, Umaria, Sidhi and Tikamgarh districts and (ii) Sevda and Datia tahsils of Datia district]
37. Pao
38. Pardhan, Pathari, Saroti
39. **Omitted**
40. Pardhi, Bahelia, Bahellia, Chita Pardhi Langoli Pardhi, Phans Pardhi,

Shikari, Takankar, Takia [In (i) Chhindwara, Mandla, Dindori and Seoni districts (ii) Baihar Tahsil of Balaghat District, (iii) Betul, Bhainsdehi and Shahpur tahsils of Betul district, (iv) Patan tahsil and Sihora and Majholi blocks of Jabalpur district (v) Katni (Murwara) and Vijaya Reghogarh tahsils and Bahoriband and Dhemerkheda blocks of Katni district (vi) Hoshangabad Babai, Sohagpur, Pipariya and Bankhedi tahsils and Kesla block of Hoshangabad district (vii) Narsinghpur district, and (viii) Harsud tahsil of Khandwa district]

41. Parja
42. Sahariya, Saharia, Seharia, Sehria, Sosia, Sor
43. Saonta, Saunta
44. Saur
45. Sawar, Sawara
46. Sonr.

Part IX-Maharashtra

1. Andh
2. Baiga
3. Barda
4. Bavacha, Bamcha
5. Bhaina
6. Bharia Bhumia, Bhuinhar, Bhumia, Pando
7. Bhattra
8. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala Pawra, Vasava, Vasave
9. Bhunjia
10. Binjhwar
11. Birhul, Birhor
12. **Omitted**
13. Dhanka, Tadvi, Tetaria, Valvi
14. Dhanwar
15. Dhodia
16. Dubla Talavia, Halpati
17. Gamit, Gamta, Gavit, Mavchi, Padvi
18. **Gond, Rajgond,** Arakh, Arrakh, Agaria, Asur, Bedi Maria, Bada Maria, Bhatola, Bhimma, Bhuta, Koilabhuta, Koilabhuti, Bhar, Bisonhom Maria, Chota Maria, Dandami Maria, Dhuru, Dhurwa Dhoba, Dhulia, Dorla, Kaiki, Gatta, Gatti, Gaita, Gond Gowari, Hill Maria, Kandara, Kalanga, Khatola, Koitar, Koya, Khirwar, Khirwara, Kucha Maria, Kuchaki Maria, Madia, Maria, Mana, Mannewar, Moghya, Magia, Monghya, Mudia, Muria, Nagarchi, Naikpod, Nagwanshi, Ojha, Raj, Sonjhari Jhareka, Thatia, Thotya, Wade Maria, Vade Maria.
19. Halba, Halbi
20. Kamar
21. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Kathkari, Son Kathodi, Son Katkari
22. Kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia, Tanwar, Chattri.
23. Khairwar
24. Kharia
25. Kokna, Kokni, Kukna
26. Kol
27. Kolam, Mannervarlu
28. Koli Dhor; Tokre Koli, Kolcha, Kolgha
29. Koli Mahadev, Dongar Koli
30. Koli Malhar
31. Kondh, Khond, Kandh
32. Korku, Bopchi, Mouasi, Nihal, Nahul, Bondhi, Bondeya
33. Koya, Bhine Koya, Rajkoya
34. Nagesia, Nagasia
35. Naikda, Nayaka, Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka
36. Oraon, Dhangad
37. Pardhan, Pathari, Saroti
38. Pardhi, Advichincher, Phans Pardhi, Phanse Pardhi, Langoli Pardhi, Bahelia, Bahellia, Chita Pardhi, Shikari, Takankar, Takia
39. Parja
40. Patelia
41. Pomla
42. Rathawa
43. Sawar, Sawara
44. Thakur, Thakar, Ka Thakur, Ka Thakar, Ma Thakur, Ma Thakar
45. **Omitted**
46. Varli
47. Vitolia, Kotwalia, Barodia

Part X- Manipur

1. Aimol
2. Anal
3. Angami
4. Chiru
5. Chothe
6. Gangte
7. Hmar
8. Kabui
9. Kacha Naga
10. Koirao
11. Koireng
12. Kom
13. Lamgang
14. Mao
15. Maram
16. Maring
17. Any Mizo (Lushai) tribes
18. Monsang
19. Moyon
20. Paite
21. Purum
22. Ralte
23. Sema
24. Simte
25. Suhte
26. Tangkhul
27. Thadou
28. **Viphei**
29. Zou
30. **Poumai Naga**
31. **Tarao**
32. **Kharam**
33. **Any Kuki tribes.**

Part XI-Meghalaya

1. Chakma
2. Dimasa, Kachari
3. Garo
4. Hajong
5. Hmar
6. Khasi, Jaintia, Synteng, Pnar, War, Bhoi, Lyngngam
7. Any Kuki tribes, including:-

(i) Biate, Biete
(ii) Changsan
(iii) Chongloi
(iv) Doungel
(v) Gamalhou
(vi) Gangte
(vii) Guite
(viii) Hanneng
(ix) Haokip, Haupit
(x) Haolai
(xi) Hengna
(xii) Hongsungh
(xiii) Hranghkwal, Rangkhol
(xiv) Jongbe
(xv) Khawchung
(xvi) Khawathilang, Khothalong
(xvii) Khelma
(xviii) Kholhou

(xix) Kipgen
(xx) Kuki
(xxi) Lengthang
(xxii) Lhangum
(xxiii) Lhoujem
(xxiv) Lhouvun
(xxv) Lupheng
(xxvi) Mangjel
(xxvii) Misao
(xxviii) Riang
(xxix) Sairhem
(xxx) Selnam
(xxxi) Singson
(xxxii) Sitlhou
(xxxiii) Sukte
(xxxiv) Thado
(xxxv) Thangngeu
(xxxvi) Uibuh
(xxxvii) Vaiphei

8. Lakher
9. Man (Tai Speaking)
10. Any Mizo (Lushai) tribes
11. Mikir
12. Any Naga tribes
13. Pawi
14. Synteng
15. Boro Kacharis
16. Koch
17. Raba, Rava

Part XII- Orissa

1. Bagata, Bhakta
2. Baiga
3. Banjara, Banjari
4. Bathudi, Bathuri
5. Bhottada, Dhotada, **Bhotra, Bhatra, Bhattara, Bhotora, Bhatara**
6. Bhuiya, Bhuyan
7. Bhumia
8. Bhumij, **Teli Bhumij, Haladipokhria Bhumij, Haladi Pokharia Bhumija, Desi Bhumij, Desia Bhumij, Tamaria Bhumij**
9. Bhunjia
10. Binjhal, **Binjhwar**
11. Binjhia, Binjhoa
12. Birhor
13. Bondo Poraja, **Bonda Paroja, Banda paroja**
14. Chenchu
15. Dal
16. Desua Bhumji
17. Dharua, **Dhuruba, Dhurva**
18. Didayi, Didai Paroja, **Didai**
19. Gadaba, **Bodo Gadaba, Gutob Gadaba, Kapu Gadaba, Ollara Gadaba, Parenga Gadaba, Sano Gadaba.**
20. Gandia
21. Ghara
22. Gond, Gondo, **Rajgond, Maria Gond, Dhur Gond**
23. Ho
24. Holva
25. Jatapu
26. Juang
27. Kandha Gauda
28. Kawar **Kanwar**
29. Kharia, Kharian,**Berga Kharia, Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Erenga Kharia, Munda Kharia, Oraon Kharia, Khadia, Pahari Kharia**
30. Kharwar
31. Khond, Kond, Kandha, Nanguli Kandha, Sitha Kandha**, Kondh, Kui, Buda Kondh, Bura Kandha, Desia Kandha, Dungaria Kondh, Kutia Kandha, Kandha Gauda, Muli Kondh, Malua Kondh, Pengo Kandha, Raja Kondh, Raj Khond**
32. Kisan, **Nagesar, Nagesia**
33. Kol
34. Kolah Laharas, Kol Loharas
35. Kolha
36. Koli, Malhar
37. Kondadora
38. Kora, **Khaira, Khayara**
39. Korua
40. Kotia
41. Koya, **Gumba Koya, Koitur Koya, Kamar Koya, Musara Koya**
42. Kulis
43. Lodha, **Nodh, Nodha, Lodh**
44. Madia
45. Mahali
46. Mankidi
47. Mankirdia, **Mankria, Mankidi**
48. Matya **Matia**
49. Mirdhas, **Kuda, Koda**
50. Munda, Munda Lohara,Munda Mahalis, **Nagabanshi Munda, Oriya Munda**
51. Mundari
52. Omanatya, **Omanatyo, Amanatya**
53. Oraon, **Dhangar, Uran**
54. Parenga
55. Paroja, **Parja, Bodo Paroja, Barong Jhodia Paroja, Chhelia Paroja, Jhodia Paroja, Konda Paroja, Paraja, Ponga paroja, Sodia Paroja, Sano Paroja, Solia Paroja**
56. Pentia
57. Rajuar
58. Santal
59. Saora, Savar, , Saura, Sahara, **Arsi Saora, Based Saora, Bhima Saora, Bhimma Saora, Chumura Saora, Jara Savar, Jadu Saora, Jati Saora, Juari Saora, Kampu Saora, Kampa Soura, Kapo Saora, Kindal Saora, Kumbi Kancer Saora, Kalapithia Saora, Kirat Saora, Lanjia Saora, Lamba Lanjia Saora, Luara Saora, Luar Saora, Laria Savar, Malia Saora, Malla Saora, Uriya Saora, Raika Saora, Sudda Saora, Sarda Saora, Tankala Saora, Patro Saora, Vesu Saora**
60. Shabar, Lodha
61. Sounti
62. Tharua, **Tharua Bindhani**

Part XIII-Rajasthan

1. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave
2. Bhil Mina
3. Damor, Damaria
4. Dhanka, Tadvi, Tetaria, Valvi
5. Garasia (excluding Rajput Garasia)
6. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Katkari, Son Kathodi, Son Katkari
7. Kokna, Kokni, Kukna
8. Koli dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha
9. Mina
10. Naikda, Nayaka, Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka
11. Patelia
12. Seharia, Sehria, Sahariya

Part XIV-Tamil Nadu

1. Adiyan
2. Aranadan
3. Eravallan
4. Irular
5. Kadar

6. Kammara (excluding Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
7. Kanikaran, Kanikkar (in Kanyakumari district and Shenkottah and **Ambasamudram Taluks** of Tirunelveli district)
8. Kaniyan, Kanyan
9. Kattunayakan
10. Kochu Velan
11. Konda Kapus
12. Kondareddis
13. Koraga
14. Kota (excluding Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
15. Kudiya, Melakudi
16. Kurichchan
17. Kurumbas (in the Nilgiris district)
18. Kurumans
19. Maha Malasar
20. Malai Arayan
21. Malai Pandaram
22. Malai Vedan
23. Malakkuravan
24. Malasar
25. Malayali (in Dharmapuri North Arcot Pudukottai, Salem, South Arcot and Tiruchirapali districts)
26. Malaydkandi
27. Mannan
28. Mudugar, Muduvan
29. Muthuvan
30. Palleyan
32. Palliyan
33. Palliyar
34. Paniyan
35. Sholaga
36. Toda (excluding Kanyakumari district and Shenkottah Taluk of Tiruneveli district)
37. Uraly

Part XV- Tripura

1. Bhil
2. Bhutia
3. Chaimal
4. Chakma
5. Garoo
6. Halam, **Bengshel, Dub, Kaipeng, Kalai, Karbong, Lengui, Mussum, Rupini, Sukuchep, Thangchep**
7. Jamatia
8. Khasia
9. Kuki, including the following sub-tribes:-

(i) Baite
(ii) Belalhut
(iii) Chhalya
(iv) Fun
(v) Hajango
(vi) Jan gtei
(vii) Khareng
(viii) Khephong
(ix) Kuntei
(x) Laifang
(xi) Lentei
(xii) Mizel
(xiii) Namte
(xiv) Paitu, Paite
(xv) Rangchan
(xvi) Rangkhole
(xvii) Thangluya

10. Lepcha
11. Lushai
12. Mag
13. Munda, Kaur
14. Noatia, **Murashing**
15. Orang
16. Riang
17. Santal
18. Tripura, Tripuri, Tippera
19. Uchai.

Part XVI-West Bengal

1. Asur
2. Baiga
3. Badia, Bediya
4. Bhumij
5. Bhutia, Sherpa, Toto, Dukpa, Kagatay, Tibetan, Yolmo
6. Birhor
7. Birjia
8. Chakma
9. Chero
10. Chik Baraik
11. Garo
12. Gond
13. Gorait
14. Hajang
15. Ho
16. Karmali
17. Kharwar
18. Khond
19. Kisan
20. Kora
21. Korwa
22. Lepcha
23. Lodha, Kheria, Kharia
24. Lohara, Lohra.
25. Magh
26. Mahali
27. Mahli
28. Mal Paharya
29. Mech
30. Mru
31. Munda
32. Nagesia
33. Oraon
34. Parhaiya
35. Rabha
36. Santal
37. Sauria Paharia
38. Savar

Part XVII- Mizoram[5]

1. Chakma
2. Dimasa (Kachari)
3. Garo
4. Hajong
5. Hmar
6. Khasi and Jaintia, (Including Khasi, Synteng or Pnar, War, Bhoi or Lyngngam)
7. Any Kuki tribes, including:-

(i) Baite or Beite
(ii) Changsan
(iii) Chongloi
(iv) Doungel
(v) Gamalhou
(vi) Gangte
(vii) Guite
(viii) Hanneng
(ix) Haokip or Haupit
(x) Haolai
(xi) Hengna
(xii) Hongsungh
(xiii) Hranagkhwal or Rangkhol
(xiv) Jongbe
(xv) Khawchung
(xvi) Khawathlang or Khothalong
(xvii) Khelma
(xviii) Kholhou
(xix) Kipgen
(xx) Kuki
(xxi) Lengthang
(xxii) Lhangum
(xxiii) Lhoujem
(xxiv) Lhouvun
(xxv) Lupheng
(xxvi) Mangjel
(xxvii) Missao
(xxviii) Riang
(xxix) Siarhem
(xxx) Selnam
(xxxi) Singson
(xxxii) Sitlhou
(xxxiii) Sukte
(xxxiv) Thado
(xxxv) Thangngeu
(xxxvi) Uibuh
(xxxvii) Vaiphei

8. Lakher
9. Man (Tai-speaking)
10. Any Mizo (Lushai)
11. Mikir
12. Any Naga Tribes
13. Pawi
14. Synteng.
15. Paite

Part XVIII- Arunachal Pradesh[6]

All tribes in the State including:-

1. Abor
2. Aka
3. Apatani
4. Dafla
5. Galong
6. Khampti
7. Khowa
8. Mishmi, **Idu, Taroan**
9. Momba
10. Any Naga tribes
11. Sherdukpen
12. Singpho
13. **Hrusso**
14. **Tagin**
15. **Khamba**
16. **Adi**

Part XIX- Goa[7]

1. Dhodia
2. Dubla (Halpati)
3. Naikda (Talavia)
4. Siddi (Nayaka)
5. Varli
6. **Kunbi**
7. **Gawda**
8. **Velip**

Part XX- Chhattisgarh[8]

1. Agariya
2. Andh
3. Baiga
4. Bhaina
5. Bharia Bhumia, Bhuinhar Bhumia, Bhumiya, Bharia, Paliha, Pando
6. Bhattra
7. Bhil, Bhilala, Barela, Patelia
8. Bhil Mina
9. Bhunjia
10. Biar, Biyar
11. Binjhwar
12. Birhul, Birhor
13. Damor, Damaria
14. Dhanwar
15. Gadaba, Gadba
16. Gond, Arakh, Arrakh, Agaria, Asur, Badi Maria, Bada Maria, Bhatola, Bhimma, Bhuta, Koliabhuta, Kliabhuti, Bhar, Bisonhorn Maria, Chota Maria, Dandami Maria, Dhuru, Dhurwa, Dhoba, Dhulia, Dorla, Gaiki, Gatta, Gatti, Gaita, Gond Gowari, Hill Maria, Kandra, Kalanga, Khatola, Koitar, Koya, Khirwar, Khirwara, Kucha Maria, Kuchaki Maria, Madia, Maria, Mana, Mannewar, Moghya, Mogia, Monghya, Mudia, Muria, Nagarchi, Nagwanshi, Ojha, Raj Gond, Sonjhari Jhareka, Thatia, Thotya, Wade Maria, Vade Maria, Daroi
17. Halba, Halbi
18. Kamar
19. Karku
20. Kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia, Tanwar, Chhatri
21. Khairwar, Kondar
22. Kharia
23. Kondh, Khond, Kandh
24. Kol
25. Kolam
26. Korku, Bopchi, Mouasi, Nihal, Nahul Bondhi, Bondeya
27. Korwa, Kodaku
28. Majhi
29. Majhwar
30. Mawasi
31. Munda
32. Nagesia, Nagasia,
33. Oraon, Dhanka, Dhangad
34. Pao
35. Pardhan, Pathari, Saroti
36. Pardhi, Bahelia, Bahellia, Chita Pardhi, Langoli Pardhi, Phans Pardhi, Shikari, Takankar, Takia [(i) Bastar, Dantewara, Kanker, Raigarh, Jashpurnagar, Surguja and (ii) Katghora, Pali, Kartala nad Korba tahsils of Korba district, (iii) Bilaspur, Pendara, Kota and Takhatpur tahsils of Bilaspur district, (iv) Durg, Patan Gunderdehi, Dhamdha, Balod, Gurur and Dondilohara tahsils of Durg district, (v) Chowki, Manpur and Mohala Revenue Inspector Circles of Rajnandgaon district, (vi) Mahasanmund Saraipali and Basna tahsils of Mahasamund districts, (vii) Bindra-Navagarh Rajim and Deobhog tahsils of Raipur district, and (viii) Dhamtari, Kurud and Sihava tahsils of Dhamtari district]
37. Parja
38. Sahariya, Saharia, Seharia, Sehria, Sosia, Sor
39. Saonta, Saunta
40. Saur
41. Sawar, Sawara
42. Sonr.

Part XXI- Uttaranchal[9]

1. Bhotia
2. Buksa
3. Jaunsari
4. Raji
5. Tharu

Part XXII- Jharkhand[10]

1. Asur, **Agaria**
2. Baiga
3. Banjara
4. Bathudi
5. Bedia
6. Binjhia
7. Birhor
8. Birjia
9. Chero
10. Chik Baraik
11. Gond
12. Gorait
13. Ho
14. Karmali
15. Kharia, **Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Hill Kharia**
16. Kharwar
17. Khond
18. Kisan, **Nagesia**
19. Kora **Mudi-Kora**
20. Korwa
21. Lohra
22. Mahli
23. Mal Paharia, **Kumarbhag Paharia**
24. Munda, **Patar**
25. Oraon, **Dhangar (Oraon)**
26. Parhaiaya
27. Santal
28. Sauria Paharia
29. Savar
30. Bhumij
31. **Kawar**
32. **Kol**

NB Entries in bold letters inserted by The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002 (No. 10 of 2003)

1. Published with the Ministry of Law's Notification No. S.R.O. 510 dated 6th September, 1950, Gazette of India Extraordinary, 1950 Part II, Section 3, Page 597

2 Substituted by The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 (published as S.R.O. 2477 A dated 29.10.1956)

3. Substituted vide Sixth Schedule w.r.t. Section 24 of The Bihar Reorganization Act, 2000

4. Inserted by The Cosntitution Scheduled Tribes Oreder (Amendment) Act, 2003 (No. 47 of 2003) Notified on 19.09.2003 (w.r.t. Part II- Assam)

5. Inserted by Third Schedule w.r.t. Section 14 of Act No. 34 of 1986 (w.e.f. 20.02.1987) (w.r.t. Part XVII -Mizoram)

6. Inserted by Third Schedule w.r.t Section 17 of Act No. 69 of 1986 (w.r.t. Part XVIII- Arunachal Pradesh)

7. Inserted by Second Schedule w.r.t. Section 19 of Act No. 18 of 1987 (w.e.f. 30.05.1987) (w.r.t Part XIX- Goa)

8. Inserted by The Fourth Schedule w.r.t. Section 20 of The Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (w.r.t Part XX- Chhattisgarh)

9. Inserted by The Sixth Schedule w.r.t. Section 25 of The Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (w.r.t. Part XXI- Uttaranchal)

10. Inserted by The Sixth Schedule w.r.t. Section 24 of The Bihar Reorganisation Act, 2000 (w.r.t. Part XXII- Jharkhand)

[1]THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) [2][(Union Territories)] ORDER, 1951

(As amended from time to time)

In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 342 of the Constitution of India, as amended by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, the President is pleased to make the following Order, namely:-

1. This Order may be called the Constitution (Scheduled Tribes) [2][(Union Territories)] Order, 1951.

2. The tribes or tribal communities or parts of or groups within, tribes or tribal communities, specified in [Parts-I to II][3] of the Schedule to this order shall in relation to the [Union Territories][2] to which those Parts respectively relate, be deemed to be Scheduled Tribes so far as regards members thereof resident in the localities specified in relation to them respectively in those Parts of that Schedule.

[3][3. Any reference in this Order to Union Territory in Part I of the Schedule shall be construed as a reference to that territory constituted as a Union territory as from the 1st day of November 1956 [4]{and any reference to a Union territory in Part II of the Schedule shall be construed as a refrence to the territory constituted as as Union territory as from the day appointed under clause (b) of section 2 of the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987}].

[THE SCHEDULE][5]

(Omitted)[6]
(Omitted)[7]

[Part I – Lakshadweep][8]

Throughout the State:-

Throughout the Union territory:-

Inhabitants of the Laccadive, Minicoy, and Aminidivi Islands who, and both of whose parents, were born in those islands.

[Part II- Daman & Diu][4]

Throught the Union territory :-

1. Dhodia
2. Dubla (Halpati)
3. Naikda (Talavia)
4. Siddi (Nayaka)
5. Varli.]

1. Published with the Ministry of Law Notifin. No. S.R.O. 1427B, dated the 20th September, 1951, Gazette of India, Extraordinary, 1951, Part II, Section 3, page 1198G
2. Subs. by The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956
3. Subs. by Second Schedule w.r.t. Section 19 Act, No. 18 of 1987, (w.e.f. 30.05.1987)
4. Inserted by ibdi. (w.e.f. 30.05.1987)
5. Original Schedule containing Parts I to VIII (Ajmer, Bhopal, Coorg, Himachal Pradesh, Kutch, Manipur, Tripura and Vindhya Pradesh) notified on 20 September 1951) vide S. No. 1 above) was substituted by the Schedule containing Parts I to IV (Himachal Pradesh, Manipur, Tripura and The Laccadive, Minicoy and Amundivi Islands) vide the Order at S.No. 2 above
6. Entry relating to Himachal Pradesh (Part I) omitted by Fourth Schedule w.r.t. Section 20 of Act No. 53 of 1970 (w.e.f. 21.01.1971)
7. Parts II and III relating to Manipur and Tripura respectively omitted by Fifth Schedule w.r.t. Section 26 (2) of Act No. 81 of 1971 (w.e.f. 21.01.1972)
8 Substituted by the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Alteration of Name) Adaptation of Laws Order, 1974, for Part I- The Laccadive, Minicoy and Amindivi Island (w.e.f. 1.11.1973)

[1][THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) (UTTAR PRADESH) ORDER 1967]
(As amended from time to time)

In exercise of the powers conferred by the clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governor of the State of Uttar Pradesh, is pleased to make the following Order namely:-

1. This Order may be called the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967
2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities specified in the Schedule to this Order, shall, for the purpose of the Constitution of India, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Uttar Pradesh so far as regards members thereof resident in that State.

THE SCHEDULE

1.Bhotia
2.Buksa
3.Jaunsari
4.Raji
5.Tharu
6. **Gond, Dhuria, Nayak, Ojha, Pathari, Raj Gond (in the districts of Mehrajganj, Sidharth nagar, Basti, Gorakhpur, Deoria, Mau, Azamgarh, Jonpur, Balia, Gazipur, Varanasi, Mirzapur and Sonbhadra)**
7. **Kharwar, Khairwar (in the districts of Deoria, Balia, Ghazipur, Varanasi, and Sonbhadra)**
8. **Sahayra (in the district of Lalitpur)**
9. **Parahiya (in the district of Sonbhadra)**
10. **Baiga (in the district of Sonbhadra)**
11. **Pankha, Panika (in the districts of Sonbhadra and Mirzapur)**
12. **Agariya (in the district of Sonbhadra)**
13. **Patari (in the district of Sonbhadra)**
14. **Chero (in the districts of Sonbhadra and varanasi)**
15. **Bhuiya, Bhuinya (in the district of Sonbhadra)**

---

1. Published with the Ministry of Law Notification No. G.S.R. 960, dated the 24th June, 1967, Gazette of India, Extraordinary, 1967, Part II, Section 3(i), page 311
2. Entries against S.No. 6 to 15 inserted by The Constitution Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendmant) Act, 2002 notified on 07 January, 2003

THE CONSTITUTION (SIKKIM) SCHEDULED TRIBES ORDER 1978
(As amended from time to time)

In exercise of the powers conferred by the clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governor of the State of Sikkim, is pleased to make the following Order namely:-

1. This Order may be called the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in the Schedule to this Order, shall, for the purpose of the Constitution be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Sikkim so far as regards members thereof resident in that State.

THE SCHEDULE

1. Bhutia (including Chumbipa Dopthap, Dukpa, Kagatey, Sherpa, Tibetan, Tromop, Yolmo)
2. Lepcha
3 **Limboo**
4 **Tamang**

N. SANJIVA REDDY
President
22nd June, 1978
S. HARIHARA …
Secy. to the Govt. of India.

---

1. Published with the Ministry of Law Notification No. G.S.R. 1099, dated the 23rd July, 1970, Gazette of India, Extraordinary, 1970, Part II, Section 3(i), page 641.
2. The communities written in bold letters were specified as Scheduled Tribes vide the Constitution Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendmant) Act, 2002

Total Population and Population of Scheduled Tribes in each State and UT as per Census of India 2001

S.No.	Name of the State/UT	Total Population	Scheduled Tribes (ST) Population	%age of ST Population in the State/ UT to Total Population in the State/ UT	% of ST Population in the State/ UT to Total ST Population in the Country	**Rank** on the basis of ST Population as given in col.6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	India@	1,028,610,328	84,326,240	8.2	100.00	
1	Andhra Pradesh	76,210,007	5,024,104	6.6	5.96	8
2	Arunachal Pradesh	1,097,968	705,158	64.2	0.84	19
3	Assam	26,655,528	3,308,570	12.4	3.92	11
4	Bihar	82,998,509	758,351	0.9	0.90	17
5	Chhattisgarh	20,833,803	6,616,596	31.8	7.85	7
6	Goa	1,347,668	566	0.04	0.0007	30
7	Gujarat	50,671,017	7,481,160	14.8	8.87	4
8	Haryana	21,144,564	-	0.0	-	-
9	Himachal Pradesh	6,077,900	244,587	4.0	0.29	23
10	Jammu & Kashmir	10,143,700	1,105,979	10.9	1.31	14
11	Jharkhand	26,945,829	7,087,068	26.3	8.40	6
12	Karnataka	52,850,562	3,463,986	6.6	4.11	10
13	Kerala	31,841,374	364,189	1.1	0.43	21
14	Madhya Pradesh	60,348,023	12,233,474	20.3	14.51	1
15	Maharashtra	96,878,627	8,577,276	8.9	10.17	2
16	Manipur	2,166,788	741,141	34.2	0.88	18
17	Meghalaya	2,318,822	1,992,862	85.9	2.36	12
18	Mizoram	888,573	839,310	94.5	1.00	16
19	Nagaland	1,990,036	1,774,026	89.1	2.10	13
20	Orissa	36,804,660	8,145,081	22.1	9.66	3
21	Punjab	24,358,999	-	0.0	-	-
22	Rajasthan	56,507,188	7,097,706	12.6	8.42	5
23	Sikkim	540,851	111,405	20.6	0.13	25
24	Tamil Nadu	62,405,679	651,321	1.0	0.77	20
25	Tripura	3,199,203	993,426	31.1	1.18	15
26	Uttar Pradesh	166,197,921	107,963	0.1	0.13	26
27	Uttaranchal	8,489,349	256,129	3.0	0.30	22
28	West Bengal	80,176,197	4,406,794	5.5	5.23	9
29	A & N Islands	356,152	29,469	8.3	0.03	28
30	Chandigarh	900,635	-	0.0	-	-
31	Dadra & Nagar Haveli	220,490	137,225	62.2	0.16	24
32	Daman & Diu	158,204	13,997	8.8	0.02	29
33	Delhi	13,850,507	-	0.0	-	-
34	Lakshadweep	60,650	57,321	94.5	0.07	27
35	Pondicherry	974,345	-	0.0	-	

Source: Primary Census Abstract : Census of India 2001

Note: @' - Excludes Mao-Maram, Paomata and Purul sub-divisions of Senapati district of Manipur

अनुबंध 3.XVI

D.O.No. 6/7/2006-C.Cell

K.N. Singh
Joint Secretary
Ph:24603669

3.1.2007

Dear

The National Commission for Scheduled Tribes in its meeting held on 20.12.2006 observed that in terms of the present instructions, persons belonging to Scheduled Tribe specified in relation to a State/UT are eligible to avail benefits of reservation in services and posts under Govt. of India and reservation in admission in any national level colleges and professional/ technical institutions under the control of Central Govt. irrespective of the State/UT to which they belong and also irrespective of the State/UT in which these colleges/institutions are located. The Commission, however, noted that the above facilities were not available to the children of such Scheduled Tribes who have migrated and settled in other States/UTs (i.e. other than the State of their origin) consequent upon their appointment and posting in those States/UTs against Group A or Group B posts under the State Govt. (which are filled on All India basis) or those who while working in Central Govt. offices or CPSUs are transferred and posted to States/UTs other than the State/UT of their origin. The Commission noted that the children of such migrated tribals face severe problems which include denial of the benefits of reservation in admission to the State-run educational/professional institutions and in the employment under the State Govt. while those who belong to general category and had migrated from other State/UT and fulfilled the prescribed eligibility conditions like domicile or birth in the State etc. did not face any such problem. The Commission further noted that the children of the migrated ST parents were not eligible to get admission in the institution of their choice even in the State of their origin due to the fact that they had migrated to another State and that even for the purpose of allotment of land/houses/house-sites or such other schemes also, persons belonging to general category of other States/UTs could apply irrespective of their State of origin while the ST migrants are losers in the State of migration and are also not entitled to such benefits in the State of their origin.

2. The Commission observed that ST persons who had migrated to serve in another State and contributed in the growth and development of that State suddenly become non-ST and such ST person and their wards are deprived of the safeguards and rights provided to them under the Constitution, which amounts to denial of justice to them,

notwithstanding the fact that the Constitution of India had made special provisions to bring the Scheduled Tribes at par with general population.

3. As you are aware, the above problem prevails due to the present instructions of the Govt. of India according to which a person continues to be a SC or ST in respect of the State of his/her origin and he or she will not be treated as SC or ST in the State to which he/she has migrated. You will agree that this decision has been causing undue hardships to the Scheduled Tribe persons on their migration to other State and, therefore, there is an urgent and genuine need to have a fresh look in this matter and issue instructions to the State Govts./UT Administrations to provide that the children of the migrated ST parents will be eligible to get the benefit of reservation in employment under the State Govt. and in admission in the State-run educational and professional institutions against seats reserved for Scheduled Tribes as also other benefits such as disbursement of post-matric scholarship etc.

4. We shall be grateful if the action taken or proposed to be taken by your Ministry/Department on the above suggestion/recommendation of the Commission is communicated within 30 days of the receipt of this letter.

With regards,

Yours sincerely,

(K.N. Singh)

Shri L.K. Joshi
Secretary,
Department of Personnel & Training,
North Block,
New Delhi.

Shri R.P. Agrawal
Secretary,
Department of Secondary & Higher Education,
Shastri Bhavan,
New Delhi

Shri Naresh Dayal
Secretary,
Department of Health and Family Welfare,
Nirman Bhavan, New Delhi

Smt. Veena Chhotray
Secretary,
Ministry of Tribal Affairs,
Shastri Bhavan,
New Delhi

अनुबंध 3.XVII

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(SERVICES DEPARTMENT –BRANCH IV)
7TH LEVEL, B- WING, DELHI SECRETARIAT
I.P.ESTATE, NEW DELHI-110002

NO. F.16(73)/97-S.III/710 DATED: 30/6/2005

To

1. The Chairman,
   Delhi Subordinate Services Selection Board.
   Government of NCT of Delhi,
   UTCS Building, Shadara, Delhi

2. All Heads of Departments/ Local/ Autonomous Bodies/ PSUs,
   Government of NCT of Delhi.

Sub: Reservation for SCs/ STs in the jobs under the Government of NCT of Delhi.

Ref: Letter No. 14011/23/2005-Delhi-I dated 01.06.2005 of the Ministry of Home Affairs, Government of India.

Sir/Madam,

I am to inform you that the matter regarding grant of reservation to SCs/ STs in jobs under the Government of NCT of Delhi has been examined by the Ministry of Home Affairs in consultation with the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs), Government of India in light of the judgment of Hon'ble Supreme Court dated 11.02.2005 in Civil Appeal No. 6-7 of 1998 in the matter of S. Pushpa & Ors. Vs Sivachanmugavelu & Ors.

It has been stated by the Ministry of Home Affairs, Government of India vide their letter cited above that the Ministry of Law & Justice (Department of Legal Affairs) has opined that the law declared by the Hon'ble Supreme Court of India in its judgment dated 11.02.2005 applies to the National Capital Territory of Delhi also and shall be binding on all Courts within the territory of India under Article 141 of the Constitution of India.

In light of the above, all the Scheduled Caste/ Scheduled Tribe candidates irrespective of their nativity are eligible for reservation to the civil posts under Government of NCT of Delhi, which are reserved for SC/ST candidates and appropriate action for recruitment may be taken accordingly.

Yours sincerely,

Sd/-…..
(S.P. Singh)
Joint Secretary (Services)

NO. F.16(73)/97-S.III/710 DATED: 30/6/2005

Copy to:

1. Secretary to Lt. Governor, Delhi, Govt. of NCT of Delhi
2. Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
3. Secretary (Legislative Assembly) Govt. of NCT of Delhi
4. Staff Officer, Office of the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi
5. Secretary to the Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Govt. of NCT of Delhi
6. Secretaries to all Ministers of Govt. of NCT of Delhi
7. Superintendent (Services-I/II/III/IV/ Coordination), GNCTD
8. Guard File.

Copy forwarded to :

Director, Delhi Govt. of India, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi

(S.P. Singh)
Joint Secretary (Services)

अनुबंध 4.I

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
6th Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi

Dated, 29.5.2007

D.O. No. 4/3/2006-C.Cell

K.N.Singh,
Joint Secretary,
Ph. 24603669

Dear Shri/ Smt.

As you are aware, there are certain tribal communities, which, on account of their declining or stagnant population and their economic backwardness including pre-agricultural level of technology and low level of literacy, have been identified and categorized as Primitive Tribal Groups (PTGs). The number of such communities in the entire country in respect of 17 States/ UTs is 75. It is proposed to have a separate chapter in the Report of the Commission for the year 2006-07 on the status of economic development of the PTGs. The PTG/ PTGs in respect of your State is/ are…….. It is requested that a brief note in this regard may be sent to the Commission with particular reference to the following aspects:

(i) Their total population as per 2001 Census
(ii) The schemes/ programmes being implemented by the State Govt. for their (a) economic and educational development (b) providing medical facilities and improving their health conditions, (c) providing housing and, (d) safe drinking water, etc.
(iii) Whether PDS is properly and effectively working in the areas inhabited by PTGs
(iv) What are the sources of their subsistence,
(v) Fund received during the last three years under the Central Sector Scheme of Ministry of Tribal Affairs and the activities undertaken for development of PTGs under the scheme,
(vi) Specific problems being faced by these PTGs and the suggestions to overcome them,
(vii) How many starvation deaths were reported from the PTGs during the last three years?

2. We shall be grateful if the requisite information is sent to this Commission at the earliest and in any case not later than 15th June 2007.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-…
(K.N. Singh)

Shri …….
Chief Secretary
(As per list attached)

List of Chief Secretaries

1.	Shri J. Harinarayan, Chief Secretary, Govt. of Andhra Pradesh, Hyderabad-500022 Fax: 040-23453700	9.	Shri Anil Vaish, Chief Secretary, Govt. of Rajasthan, Jaipur, Fax: 0141-2561324
2.	Shri N.K. Mandal, Chief Secretary, Govt. of Jharkhand, Ranchi, Fax; 0651-2403255	10	Shri L. Tripathy, Chief Secretary, Govt. of Tamil Nadu, Chennai Fax: 044-5672304
3.	Shri Sudhir Mankad, Chief Secretary, Govt. of Gujarat, Gandhinagar-382010, Fax: 079-23250305	11	Shri Shashi Prakash, Chief Secretary, Govt. of Tripura, Agartala Fax: 0381-2324013
4.	Smt. Lizzie Jacob, Chief Secretary, Govt. of Kerala Thiruvanthapuram Fax: 0471-2327176	12.	Shri Surjit Kishore Das, Chief Secretary, Govt. of Uttaranchal Dehradun Fax: 0135-2712500
5.	Shri P.B. Mahishi, Chief Secretary, Govt. of Karnataka, Bangalore, Fax: 080-22258913	13	Shri Amit Kiran Deb, Chief Secretary, Govt. of West Bengal Kolkata, Fax: 033-22215300
6.	Shri R.C. Sahani, Chief Secretary, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal Fax: 0755-2551370	14	Shri Jarnail Singh, Chief Secretary, Govt. of Manipur, Imphal Fax: 0385-222629
7.	Shri Johny Joseph, Chief Secretary, Govt. of Maharashtra, Mumbai Fax: 022-22028594	15	Shri Shivraj Singh, Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Raipur-492001 Fax: 0771-2221206
8.	Shri Ajit Kumar Tripathy, Chief Secretary, Govt. of Orissa, Bhubaneswar Fax: 0674-253666o		

Copies also sent to the Directors, Regional Offices of the Commission at Bhopal/ Jaipur, Assistant Director, Regional Offices of the Commission at Shillong and Research Officer Regional Office of the Commission at Bhubaneswar

अनुबंध **5.I**

Government of India

National Commission for Scheduled Tribes
6th Floor, Lok Nayak Bhawan, New Delhi

K.K. GUPTA,
SECRETARY

D.O. No. 4/3/2006-C.Cell Dated 1 November, 2006

Dear (As per list attached)

The National Commission for Scheduled Tribes, which has been constituted under Article 338A of the Constitution of India w.e.f. 19 February, 2004 vide the Constitution (89th Amendment) Act, 2003, has submitted its first Report to the President of India in August, 2006. The Commission would now like to submit its next report to the President by end of February, 2007 with focused attention on some of the vital aspects affecting the socio-economic development of Scheduled Tribes.

2. You will agree that **education** provides the most vital input in human resource development. It is the most effective and crucial tool of the empowering people- the primary vehicle by which economically and socially marginalized sections of society like Scheduled Tribes can be empowered to lift themselves from the existing levels of poverty. Unless these underprivileged sections of society receive the minimum education, they cannot exercise the civil, political, economic and social freedom as enshrined in the Constitution of India.

3. Another important area which needs priority attention is the **special health needs of women and the girl child** which includes the tribal population. The reduction of infant mortality and maternal mortality are equally important indicators of human development. On account of inadequacy of infrastructure for health services, the medical care remains inaccessible to large sections of the tribal population, particularly in the remote and rural areas, where the majority of the tribes reside. There is no doubt that the Government has laid down norms for the network of Sub-centres, Primary Health Centres and Community Health Centres. However, there is a severe shortfall. The inadequacy of manpower in the rural primary health care institutions, with vacancies and absence of staff in critical posts has very serious implications for the health care of the tribal people.

4. Another area of concern in respect of the Scheduled Tribes has been **the alienation of their lands to the non-tribals.** The Commission has observed that notwithstanding the operation of anti-land alienation laws being in force for decades, legal and illegal transfer of tribal land has been taking place in various States on account of loopholes in these laws, connivance of the lower level revenue functionaries and ignorance and innocence of the tribal people.

5. As above mentioned three areas hold the key to the socio-economic advancement of tribals, the Commission would like to **give special and extensive coverage in its next report on the schemes/ programmes being implemented by the State Govts. either at their own or under the Centrally Sponsored/ Central Sectors Schemes for tribal development in these areas.** We have prepared three Questionnaires (Questionnaire 1, 2, & 3) to elicit the requisite information in respect of these three sectors copies of which are enclosed. I shall be grateful if you could issue necessary instructions to the Secretary/ Principal Secretary of the concerned department to get the requisite information collected and compiled on priority basis with respect to each Questionnaire. I shall also request you to instruct the Secretary/ Principal Secretary in charge of Tribal Development to coordinate with these Secretaries and to ensure that the required information in the respective Questionnaire is sent to this Commission by **15 December, 2006 positively.**

With regards,

Yours faithfully,

Sd/-…
(K.K.Gupta)

Shri ……
Chief Secretary
(As per list attached)

List of Chief Secretaries

1.	Shri J. Harinarayan, Chief Secretary, Govt. of Andhra Pradesh, Hyderabad-500022 Fax: 040-23453700	12	Shri A.K. Chaudhary, Chief Secretary, Govt. of Bihar, Patna Fax: 0612-2223983
2.	Shri S. Kabilan Chief Secretary, Govt. of Assam, Guwahati, Fax: 0361-2540310	13	Shri C. Phonsong, Chief Secretary, Govt. of Jammu & Kashmir, Jammu (J&K) Fax: 0194-2452356
3.	Shri R.P. Bagai, Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Raipur-492001 Fax: 0771-2221206	14	Dr. (Mrs.) Malati Das, Chief Secretary, Govt. of Karnataka, Bangalore Fax: 080-22258913
4.	Shri S.S. Parmar, Chief Secretary, Govt. of Himachal Pradesh Secretariat, Shimla-171002 Fax: 0177-2621813	15	Shri R.C. Sahni, Chief Secretary, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal, Fax: 0755-2551521
5.	Shri Manoj Kumar, Chief Secretary, Govt. of Jharkhand, Ranchi-834001 Fax: 0651-2403240	16	Shri S.C. Pani, Chief Secretary, Govt. of Orissa, Bhubaneswar, Fax: 0674-2536660
6.	Shri L. Jacob Chief Secretary, Govt. of Kerala Thiruvanthapuram Fax: 0471-2327176	17	Shri Anil Vaish, Chief Secretary, Govt. of Rajasthan, Jaipur, Fax: 0141-2561324
7.	Shri D.K. Shankaran Chief Secretary, Govt. of Maharashtra, Mumbai-400032 Fax: 022-22028594	18	Shri L. Tripathy, Chief Secretary, Govt. of Tamil Nadu, Chennai, Fax: 044-5672304
8.	Shri N.D. Chingapa Chief Secretary, Govt. of Sikkim, Gangtok Fax: 03592-222851	19	Shri Navin Chandra Bajpai, Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow Fax: 0522-2239283
9.	Shri R.K. Mathur, Chief Secretary, Govt. of Tripura, Agartala, Fax: 0381-2324013	20	Shri Amit Kiran Deb, Chief Secretary, Govt. of West Bengal, Kolkata, Fax: 033-22215300
10.	Shri S.K. Das, Chief Secretary, Govt. of Uttaranchal, Dehradun Fax: 0135-2712500	21	Shri Sudhir Mankand, Chief Secretary, Govt. of Gujarat, New Sachivalya Complex, Gandhinagar-382010 Fax: 079-23250305
11.	ShriJaranil Singh Chief Secretary, Govt. of Manipur, Imphal Fax: 0385-222629		

EDUCATION

1. Literacy

1.1 What is the literacy rate in general in the State as per 2001 Census?
(i) Total Male Female

1.2 What is the literacy rate among the Scheduled Tribes in the State?
(i) Total Male Female

1.3 Please furnish the District wise literacy rate in the following Table:

	General			Scheduled Tribes		
Name of the District	Total	Male	Female	Total	Male	Female

1.4 How does the literacy rate of ST male and female compared to the general literacy rate of male and female at national level?

1.5 What was the literacy rate among the Primitive Tribal Groups, male and female as per Census 1981, 1991 and 2001 and what efforts are being made to increase the literacy rate of PTGs?

1.6 What are the special efforts being made by the State Govt. to increase the literacy rate of the tribals in the State, particularly the female literacy with special reference to the following points?

(i) Whether awareness programmes are under taken at regular intervals in the tribal areas, through NGOs and Social activists, to inform the tribal parents about the education and benefits flowing out of it to induce them to send their children to schools? If so, furnish the details of such programmes.

(ii) Whether any monetary incentives are provided to the tribal parents for sending their wards to the schools? If so, furnish the details thereof.

(iii) Most of the primary schools in the tribal areas are run by a single teacher and in case he takes leave due to any reason, no teacher is left in the school with the result that the education of the children suffers. What is the number of schools in tribal areas with a single teacher? How the State Govt. proposes to tackle this problem? Whether the State Govt. proposes to appoint one more teacher in such single teacher schools in tribal areas?

(iv) Whether all the posts of teacher in primary schools in tribal areas are filled by the local tribal boys and girls? If not, whether, in the event of non availability of local tribal teachers, some incentives are provided to the non-tribal teachers to induce them to work in tribal areas?

(v) What are the incentives being given to ST children to improve their attendance in the schools in the form of text-books, uniforms, stationary etc?

(vi) Whether there is a regular system of counselling the parents of the tribal children to impress upon them that they should send their children to the school regularly without any interruption?

2. Enrolment

2.1 What is the Gross Enrolment Ratio of ST students (boys and girls separately) in Classes I-V (6- 11 years), Classes VI-VIII (11-14 years) and Classes I-VIII (6-14 years) against the national Gross Enrolment Ratio of 91.37, 75.76 and 86.06 respectively?

2.2 What is the teacher- pupil ratio in districts having Scheduled Areas and how does it compare with the teacher-pupil ratio in respect of the whole State?

2.3 What are the suggestions of the State Govt. to improve the enrolment of ST boys and girls in Classes VI to VIII.

3 Drop-out Rates

3.1 As per data made available by the Ministry of HRD, GOI, the drop-out rate at national level of ST students for the year 2003-04 in respect of Classes I-V, I-VIII and I-X was 48.93, 70.05 and 79.25 against the general drop-out rates of 31.47, 52.32 and 62.69 respectively. What is the drop-out rate of ST students in your State and how does it compare with the general drop-out rate of State with respect to these three categories?

3.2 Please indicate the steps being taken or proposed to be taken to arrest the drop-out rates among ST children of various stages of school education with particular reference to the following points:

(i) Availability of the basic facilities in the ST hostels like light, water, kitchen, library etc. have been provided?
(ii) Arrangements for giving some monetary incentives to such parents of the children whose income is below the poverty line with a view to wean them from the compulsion of using their children as earning units instead of sending them to schools?
(iii) Whether timely payment of stipends and scholarships at pre-matric and post-matric levels to the tribal students is being made?
(iv) Whether mid-day meal scheme is being implemented in all the primary schools in the Scheduled Areas of the State? Shortcomings, if any, may be indicated.
(v) What steps are being taken to fill up the vacant posts of teachers in schools in the Scheduled Areas of the State?
(vi) Whether there is any arrangement for providing free extra coaching to the weak and below average tribal students on holidays or after school hours? If so, furnish details thereof.
(vii) Whether there are schemes for providing additional incentives in the form of cash awards to tribal students having more than 75% marks and/or those students who secure 60% or above marks in the annual examinations? If so, furnish details thereof.
(viii) Whether there is any provision to extend the mid-day meal scheme up to matric level for ST girl students? If so, furnish details thereof.
(ix) Whether there are any special arrangements made by the State Govt. to provide board and lodging to the studying children of those ST families who temporarily migrate to other places/States in search of their livelihood leaving their children behind? If not, how does the State Govt. proposed to tackle this problem with a view to arrest the drop-outs of such children.

4. Centrally Sponsored Schemes

4.1 Post-Matric Scholarship Scheme:

(i) What is the procedure for receiving applications, sanctioning of PMS and the mode & periodicity of payment. Please also indicate whether timely release of the funds are being made to the District Administrations to ensure prompt disbursement of the scholarships to the students?

(ii) Whether all students pursuing post-matriculation education in the State are getting PMS? If not, the reasons thereof.

(iii) Whether timely release of funds to the District authorities is being made? If so please indicate the periodicity of the release of funds under this scheme (along with the amount and date of release) to the District authorities for the year 2005-06.

(iv) Whether rate of scholarship is different from what is prescribed by GOI? If so what are the rates and the reason for difference for each Group of class?

(v) Whether income ceiling for eligibility of PMS is different from the ceiling prescribed by GOI? If so, give details and reasons there for.

(vi) What is the procedure for grant of PMS to ST students of the State pursuing studies in other States and for ST students of other States pursuing studies in your State?

(vii) Please indicate the State's Non-Plan committed liability under this scheme during each year of the Tenth Plan and the expenditure incurred over and above the committed liability and Central Assistance received each year of the Tenth Plan from GOI under the scheme.

(viii) Whether the central assistance is being released under the scheme in time? If so please indicate the dates of receipt of the central assistance for the year 2005-06.

(ix) What, in the opinion of the State Govt., are the bottlenecks if any, in the implementation of this scheme? What are the suggestions to overcome them? What are the general suggestions for further improvement of this scheme?

4.2 Book Bank Scheme :

(i) What was the amount of central assistance received under the scheme for the year 2005-06 and what was the expenditure incurred?

(ii) What was the amount released from the State budget and the amount of actual expenditure incurred out of that for the year 2005-06?

(iii) How many sets of books were distributed in the year 2005-06? Please indicate its break up discipline-wise i.e. medical, engineering, veterinary, agriculture, polytechnics in respect of Degree Courses, and law, charted accountancy, business management and bio-sciences in respect of Post Graduate Courses?

(iv) What are the difficulties being experienced in implementation of this scheme and what are the suggestions of the State Govt. to overcome them? What are the general suggestions for further improvement of this scheme?

4.3 Upgradation of Merit of ST Students:

(i) What was the amount of central assistance received during the last three years and the amount spent by the State Govt.?

(ii) In how many schools in different districts/towns is this scheme being implemented and what was the number of students selected for special coaching during the year 2005-06, class-wise i.e. Classes IX to XII?

(iii) The scheme provides for inclusion of at least 30% girl students and 3% disabled students from tribal community. Please indicate the number of girl and disabled students covered under this scheme during the last three years and their percentage to the total number of students.

(iv) What difficulties have been experienced in implementing this scheme and what are the suggestions of the State Govt. to overcome these difficulties and other suggestions to improve the functioning of the scheme?

4.4 **Scheme for Construction of Hostels for ST Girls and Boys**:

(i) What was the amount of central assistance and State contribution under the scheme during the last three years and the actual amount spent out of that?

(ii) What was the number of Hostels **for ST girls** in schools and colleges under the scheme at the end of the year 2005-06? Please indicate its break-up in the following Table:

Classes	No. of Hostels	Total capacity	Actual occupancy	Reasons for low occupancy
I-V				
VI-VIII				
IX-X				
XI-XII				
College students				

(iii) What was the number of Hostels **for ST boys** in schools and colleges under the scheme by the end of the year 2005-06? Please indicate its break up in the following Table:

Classes	No. of Hostels	Total capacity	Actual occupancy	Reasons for low occupancy
I-V				
VI-VIII				
IX-X				
XI-XII				
College students				

(iv) What are the facilities provided in these Hostels for the ST inmates in terms of furniture of study, rest and beddings, toilets, bathrooms, regular water supply, mess arrangement, cooking staff?

(v) Number of Hostels with electricity connection and number of hostels without electricity.

(vi) Number of Hostels without boundary wall and watchman.

(vii) Number of Hostels with and without wardens.

(viii) What are the arrangements for treatment of ailing students and their medical check ups at regular intervals?

(ix) What are the suggestions of the State Govt. for more improved functioning of the Hostels covered under this Scheme?

4.5 Scheme for Establishment for Ashram Schools in TSP areas:

(i) What is the number of Ashram Schools constructed under this scheme (i) for boys only (ii) for girls only and (iii) for boys and girls both by the end of the November 2006?

(ii) What was the amount of central assistance and State's contribution under the scheme for the year 2005-06 and the expenditure incurred out of that? Please indicate cumulative unspent balance at the end of the year 2005-06.

(iii) What is the school-wise strength of tribal students studying and residing in these schools?

(iv) Whether these schools are equipped with the minimum facilities such as drinking water supply, sanitation, messing?
(v) What are the arrangements for treatment of ailing inmates and their medical check up at regular intervals?
(vi) Number of schools with or without electricity connection?
(vii) What are the difficulties being experienced in implementing this scheme and the suggestions to overcome them, along with any other suggestions for better functioning of these schools?

5. Central Sector Schemes

5.1 **Scheme for Grant-in-aid to Voluntary Organizations**

(i) Please indicate:-

(a)(i) The number of residential schools and non-residential schools and hostels being run by the NGOs receiving grants-in-aid from the Central Government
(ii) Number of tribal students studying in schools and those residing in hostels
(iii) Whether these schools/hostels are being run in rented buildings and if so, whether the minimum basic facilities are available for the inmate?.
(b) Number of Computer Training Units and Shorthand and Typing Training Units
(c) Number of Balwaris/crèches (in areas not covered by the ICDS programme)
(d) Libraries and Audi video Units

(ii) What was the amount of grants-in-aid received by the State Govt. during the last three financial years i.e. 2003-04, 2004-05 and 2005-06.?
(iii) Whether the State Govt. undertakes inspection of the activities as also the accounts of the NGOs to ensure proper utilization of the grants on Scheduled Tribes?
(iv)(a) The number of ST students who were provided free coaching facilities through pre-examination centres under the Coaching and Allied Component of the Scheme during the last three years i.e. 2003-04, 2004-05 and 2005-06.
(b) Whether the Coaching Institutes monitor the programme and submit quarterly progress report to the State Govt.?
(c) What was the amount received under this component during the last three financial years and the expenditure incurred out of that?
(d) Whether any follow-up is being maintained by the Coaching Institutes regarding the placement of the passed out trainees and if so, the details thereof?

5.2 Scheme for setting up Educational Complexes in Low Literacy Pockets

5.2.1 This Schemes covers 136 districts of the country having women literacy below 10% (as per 1991 Census) spread over 14 States. Please indicate:-

(i) The agencies through which the Scheme is being implemented i.e. through NGOs or autonomous bodies or cooperative societies or by all.
(ii) The name of the districts/pockets covered under the Scheme in the State.
(iii) What is the number of the girls/women benefited under this Scheme during the last three years and whether literacy rate has improved? What is the women literacy in these districts/pockets as per 2001 Census?
(iv) Whether the benefits under the Scheme are being extended to the entire PTG population, if any, irrespective of women literacy percentage?

(v) What is the number of tribals belonging to PTGs covered under this Scheme during the last three years and whether the literacy rate among them has improved?

(vi) The amount of grant received under the Scheme during 2005-06 and the amount spent out of that.

(vii) What are the suggestions of the State Govt. for improving the implementation of this scheme?

5.3 **Vocational Training in Tribal Areas:** Please indicate:-

(i) Number of Vocational Training Centres set up under the State to provide training in traditional skills.

(ii) Number of tribal girls and boys trained during the last three years.

(iii) What was the outcome of the training in terms of getting jobs by the passed out trainees?

(iv) Whether due publicity is given to the tribal people particularly living in remote and inaccessible pockets about the benefits under the Scheme, if so, please give the details thereof?

(v) What was the amount of grant received under the Scheme during 2005-06 and the amount of expenditure incurred out of that?

(vi) What are the suggestions for ensuring more effective implementation of the scheme?

5.4 Rajiv Gandhi National Fellowship

5.4.1 This Scheme was started from the year 2005-06 for providing fellowships in the form of financial assistance to ST students to pursue higher studies such as M.Phil and PHD. The Scheme comprises 667 fellowships each year and the maximum duration of the fellowship is five years. Please indicate:-

(i) Number of fellowships being provided to ST students under the Scheme in your State. Please furnish the list of beneficiary students.

(ii) Whether all the recipients of these fellowships are pursuing their higher studies or some of them have dropped?

(iii) The amount of grant received by the State Govt. during 2005-06 and the expenditure incurred out of that.

(iv) Suggestions if any, for further improvement.

6. National Overseas Scholarship Scheme

6.1 Under this Scheme, 9 ST candidates and 1 candidate belonging to PTG are awarded scholarship annually for pursuing for Master's and Post-Doctoral level courses. Please indicate:-

(i) The number of ST candidates including PTG (if any) selected and awarded the scholarship under this Scheme from your State. Please indicate the name of the student/students and name of the country where the higher study is being pursued.

(ii) The amount of grant received during the year 2005-06 and the amount spent out of that.

(iii) Suggestions if any, for further improvement.

7. **Eklavya Model Residential Schools:** Please indicate-

(i) The number and location of such schools in your State which are operational.

(ii) The number of such schools which have been sanctioned and are not yet operational.
(iii) School-wise number of tribal students studying and residing in them.
(iv) Under this Scheme, 50% seats are earmarked for girl students. Please indicate the number of girl students and their percentage to the total number of inmates in each school.
(v) These schools are considered as the islands of academic excellence in school education for ST children and are meant to enable the tribal students to avail the facility of reservation in higher and professional educational courses as well as in higher levels of jobs in the Government and various public sector undertakings. Please indicate whether any study has been undertaken about the quality of the education being provided in these schools and the facilities available in them and if so, furnish the details thereof?
(vi) Please also indicate whether any follow up study has been made about the prosecution of further higher studies by the passed out students and if so, furnish the details thereof?
(vii) Whether the State Govts. are releasing the funds to the implementing agencies in time and if not the reasons for delay?
(viii) What was the amount of grant received by the State Govt. under this Scheme during the year 2005-06 and the amount spent out of that?
(ix) What are the difficulties experienced by the State Govt. in running these schools and suggestions to overcome them

8. Special Schemes:

8.1.1 Please give a brief write-up on the implementation of the following Schemes in the State with particular reference to Scheduled Tribes beneficiaries:

(i) National Programme of Nutritional Support to Primary Education popularly known as Mid-day-Meal (MDM) Scheme
(ii) Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) Scheme
(iii) Sarva Shiksha Abhiyan
(iv) Scholarship for Talented ST Students
(v) National Talent Search Scheme

9. State Sector Schemes

9.1 Pre-Matric Scholarship/Stipend

(i) Whether the scholarship under this scheme covers the children from standard I to V also or only for the children from classes VI to X?
(ii) What are the rate of scholarships/stipends to ST boys and girls for day scholars and for hostellers in each class in the State?
(iii) Whether there is any income ceiling in respect of the parents of the children and if so, the amount thereof?
(iv) When the above-mentioned rates of scholarships fixed and whether there is any proposal to revise the rates in case these rates were fixed more than two years ago?
(v) What is the mode of disbursement of these scholarships to the students and whether the existing system ensures timely payment to the students?
(vi) What was the allocation and expenditure under the scheme during the years 2003-04, 2004-05 and 2005-06?

9.2 What are the other schemes/ programmes being run by the State Govts?

(i) To promote enrollment of ST girls and boys with a view to increase the literacy among them.

(ii) To reduce the drop-out rates of tribal children particularly from classes VI onwards.
(iii) To providing separate sanitation facilities for girls in upper primary and Higher Secondary schools.
(iv) To construct school buildings at primary and High school levels in tribal areas.
(v) To supply text-books to tribal students.
(vi) Any other area related to education of tribal children.

8. **Education of wards of migrated tribals**

(i) A number of tribals from other States may have migrated due to transfer in service or as seasonal workers or otherwise and their children are studying in your State. What are the arrangements for providing the benefits of reservation in admissions and grant of scholarships etc. admissible to tribal children residing in your State, to such tribal children who have migrated to your State along with their parents from other States in which alone their community has been recognized as Scheduled Tribe and not in your State? Please also indicate-

(a) Whether children of migrated tribals are getting the benefit of reservation in admission in your State?
(b) Whether the children of migrated tribals are eligible for grant of scholarships from the State funds? If not, whether such children are being given scholarship by the State of their origin and if so, what is the procedure being adopted by your State in this regard?
(c) Whether there is any system of granting the scholarships to the children of migrated tribals from the funds of your State and subsequently raising a debit against the State of origin?
(d) In case the children of migrated tribals are not getting the benefits of reservation in admission and grant of scholarship etc. in your State, what are the suggestions of the State Govt. to overcome this problem and to ensure that such children get these benefits to enable them to pursue their studies in your State?

_____

Government of India

National Commission for Scheduled Tribes
6th Floor, Lok Nayak Bhawan, New Delhi

K.K. GUPTA,
SECRETARY

D.O. No. 4/3/2006-C.Cell Dated 1 November, 2006

Dear (As per list attached)

The National Commission for Scheduled Tribes, which has been constituted under Article 338A of the Constitution of India w.e.f. 19 February, 2004 vide the Constitution (89th Amendment) Act, 2003, has submitted its first Report to the President of India in August, 2006. The Commission would now like to submit its next report to the President by end of February, 2007 with focused attention on some of the vital aspects affecting the socio-economic development of Scheduled Tribes.

2. You will agree that **education** provides the most vital input in human resource development. It is the most effective and crucial tool of the empowering people- the primary vehicle by which economically and socially marginalized sections of society like Scheduled Tribes can be empowered to lift themselves from the existing levels of poverty. Unless these underprivileged sections of society receive the minimum education, they cannot exercise the civil, political, economic and social freedom as enshrined in the Constitution of India.

3. Another important area which needs priority attention is the **special health needs of women and the girl child** which includes the tribal population. The reduction of infant mortality and maternal mortality are equally important indicators of human development. On account of inadequacy of infrastructure for health services, the medical care remains inaccessible to large sections of the tribal population, particularly in the remote and rural areas, where the majority of the tribes reside. There is no doubt that the Government has laid down norms for the network of Sub-centres, Primary Health Centres and Community Health Centres. However, there is a severe shortfall. The inadequacy of manpower in the rural primary health care institutions, with vacancies and absence of staff in critical posts has very serious implications for the health care of the tribal people.

4. Another area of concern in respect of the Scheduled Tribes has been **the alienation of their lands to the non-tribals.** The Commission has observed that notwithstanding the operation of anti-land alienation laws being in force for decades, legal and illegal transfer of tribal land has been taking place in various States on account of loopholes in these laws, connivance of the lower level revenue functionaries and ignorance and innocence of the tribal people.

5. As above mentioned three areas hold the key to the socio-economic advancement of tribals, the Commission would like to **give special and extensive coverage in its next report on the schemes/ programmes being implemented by the State Govts. either at their own or under the Centrally Sponsored/ Central Sectors Schemes for tribal development in these areas.** We have prepared three Questionnaires (Questionnaire 1, 2, & 3) to elicit the requisite information in respect of these three sectors copies of which are enclosed. I shall be grateful if you could issue necessary instructions to the Secretary/ Principal Secretary of the concerned department to get the requisite information collected and compiled on priority basis with respect to each Questionnaire. I shall also request you to instruct the Secretary/ Principal Secretary in charge of Tribal Development to coordinate with these Secretaries and to ensure that the required information in the respective Questionnaire is sent to this Commission by **15 December, 2006 positively.**

With regards,

Yours faithfully,

Sd/-…
(K.K.Gupta)

Shri ……
Chief Secretary
(As per list attached)

List of Chief Secretaries

1.	Shri J. Harinarayan, Chief Secretary, Govt. of Andhra Pradesh, Hyderabad-500022 Fax: 040-23453700	12	Shri A.K. Chaudhary, Chief Secretary, Govt. of Bihar, Patna Fax: 0612-2223983
2.	Shri S. Kabilan Chief Secretary, Govt. of Assam, Guwahati, Fax: 0361-2540310	13	Shri C. Phonsong, Chief Secretary, Govt. of Jammu & Kashmir, Jammu (J&K) Fax: 0194-2452356
3.	Shri R.P. Bagai, Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Raipur-492001 Fax: 0771-2221206	14	Dr. (Mrs.) Malati Das, Chief Secretary, Govt. of Karnataka, Bangalore Fax: 080-22258913
4.	Shri S.S. Parmar, Chief Secretary, Govt. of Himachal Pradesh Secretariat, Shimla-171002 Fax: 0177-2621813	15	Shri R.C. Sahni, Chief Secretary, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal, Fax: 0755-2551521
5.	Shri Manoj Kumar, Chief Secretary, Govt. of Jharkhand, Ranchi-834001 Fax: 0651-2403240	16	Shri S.C. Pani, Chief Secretary, Govt. of Orissa, Bhubaneswar, Fax: 0674-2536660
6.	Shri L. Jacob Chief Secretary, Govt. of Kerala Thiruvanthapuram Fax: 0471-2327176	17	Shri Anil Vaish, Chief Secretary, Govt. of Rajasthan, Jaipur, Fax: 0141-2561324
7.	Shri D.K. Shankaran Chief Secretary, Govt. of Maharashtra, Mumbai-400032 Fax: 022-22028594	18	Shri L. Tripathy, Chief Secretary, Govt. of Tamil Nadu, Chennai, Fax: 044-5672304
8.	Shri N.D. Chingapa Chief Secretary, Govt. of Sikkim, Gangtok Fax: 03592-222851	19	Shri Navin Chandra Bajpai, Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow Fax: 0522-2239283
9.	Shri R.K. Mathur, Chief Secretary, Govt. of Tripura, Agartala, Fax: 0381-2324013	20	Shri Amit Kiran Deb, Chief Secretary, Govt. of West Bengal, Kolkata, Fax: 033-22215300
10.	Shri S.K. Das, Chief Secretary, Govt. of Uttaranchal, Dehradun Fax: 0135-2712500	21	Shri Sudhir Mankand, Chief Secretary, Govt. of Gujarat, New Sachivalya Complex, Gandhinagar-382010 Fax: 079-23250305
11.	ShriJaranil Singh Chief Secretary, Govt. of Manipur, Imphal Fax: 0385-222629		

HEALTH AND NUTRITION

1. Mortality

1.1 (a) What is the infant mortality rate in the State as per 2001 Census?
(b) What is the infant mortality rate among the tribals?
(c) What special steps are being taken to reduce the infant mortality rate?

1.2 Whether any study has been conducted about the maternal mortality among the tribal population and if so, please furnish the following information?

(i) What is the maternal mortality rate in the tribal areas compared to the general maternal mortality rate in the State and,
(ii) What specific steps are being taken to reduce the maternal mortality rate in tribal areas?

1.3 What efforts are being made to ensure that the health services become more responsive towards women-specific health problems specially that of pregnant women, adolescent girls and girl babies in the tribal areas, which are sensitive indicators of human development?

2. Family Planning Camps

2.1 Number of family planning camps organized in the tribal areas during the year 2005-06-

(i) The number of tribals (men & women separately) who attended these camps.
(ii) Whether any literature in the local language was distributed to educate them about the norms of family planning? How many pamphlets/leaflets were distributed among them. Please enclose copies of such pamphlets/leaflets with the reply to the Questionnaire?
(iii) Whether any contraceptives were distributed among the tribals and if so, the details thereof?
(iv) How many sterilization operations were conducted? Please indicate the number separately for tribal men and women?

3. Medical Camps

3.1 Number of medical camps organized in the tribal areas during the year 2005-06-

(i) Number of patients treated along with their break up in respect of the diseases which are common in the tribal areas such as Malaria, Filaria, TB, STD, sickle-cell-anemia, kalazar, leprosy, etc.
(ii) What arrangements are in position for distribution of medicines free of cost to the patients at the time of discharge?
(iii) What types of specific health problems were found among the tribal women?

(iv) Whether inoculations of children were also undertaken and if so, the details thereof?

(v) What are the arrangements made to create awareness among the tribals about the importance of the modern system of medical treatment with a view to wean them away from the age-old traditional system of medicine?

(vi) Whether cases of snake bites were also brought to the notice and if so, their number and whether any awareness was created among them to wean them away from the traditional system of treating snake bites through exorcizing?

3.2 Whether sufficient publicity was given in the tribal areas for organizing these camps in the tribal areas and if so, the different modes of publicity?

3.3 What arrangements are in position for dissemination of information and awareness about communicable diseases, genetic disorders, hygiene and sanitation in tribal areas?

4. Medical Infrastructure

4.1 What is the medical infrastructure existing in the tribal areas? **Please indicate** the number of the following district-wise in Scheduled Areas:-

(i) Community Health Centre
(ii) Primary Health Centre
(iii) Sub-Centre
(iv) Medical Mobile Vans

4.2 It has been brought to the notice of the Commission that CHCs & PHCs are not properly equipped with the requisite medical equipments and also not provided with medicines in adequate quantity. What is the position in your State? Are these Centres equipped with necessary medical equipments for carrying out various types of tests and provided with medicines in adequate quantity?

4.3(i) What is the total sanctioned strength (discipline-wise) of these Centres in respect of doctors and other paramedical staff and against that what is the total number of medical staff in position in these Centres (discipline-wise)?

(ii) What is the number of posts which are vacant on 31 March, 2006. Please indicate the vacancies discipline-wise?

(a) What, in the opinion of the State Govt., accounts for a large number of sanctioned posts for doctors and paramedical staff being vacant in the tribal areas?

(b) What efforts are being made by the State Govt. to fill up the vacant posts of doctors and paramedical staff?

(c) Whether special incentives are being provided or proposed to be provided to the doctors and paramedical staff to induce them to work in the tribal areas and if so, the details of these incentives?

4.4 It has been generally found that the services of the specialist doctors such as orthopedic surgeons, ENT surgeons, gynecologists etc. are not available at the Community Health Centres and Primary Health Centres.

(i) What is the position in your State?
(ii) What special efforts are being made to ensure that the services of such doctors are available at these Centres?

4.5. Whether the State Govt. is satisfied that the existing medical infrastructure in the tribal areas is adequate to take care of the health problems of the tribals in the respective areas covered by these Centres? If not, what are the suggestions in this regard?

4.6 What arrangements have been made by the State Govt. to effectively deal with epidemics of various diseases, which break out particularly in tribal areas such as cholera, plague, dengue, small pox etc.?

5. Central Sector Schemes

5.1 What are the Central Sector Schemes which are being implemented by the State Govt. in the Scheduled Areas? **Please give brief write-up on each Scheme with particular reference to:**

(i) Since when the Scheme is in operation
(ii) The objectives of the scheme
(iii) Amount of grant received and spent during the last three years
(iv) Number of beneficiaries of these Schemes
(v) How the State Govt. is satisfied about the objectives of the Scheme being achieved.
(vi) Specific problems being faced in implementation of these Schemes and the suggestions to overcome them.

6. Centrally Sponsored Schemes

6.1 What are the Centrally Sponsored Schemes which are being implemented by the State Govt. in the Scheduled Areas? Please give brief write up on each Scheme with particular reference to:

(i) Since when the Scheme is in operation
(ii) The objectives of the Scheme
(iii) Amount of grant received and spent during the last three years
(iv) Number of beneficiaries of these Schemes
(v) How the State Govt. is satisfied about the objectives of the Scheme being achieved?
(vi) Specific problems being faced in implementation of these Schemes and the suggestions to overcome them.
(vii) Any other suggestion for better implementation of the Scheme.

7. **State Sector Schemes**

7.1 What are the State Sector Schemes being implemented by the State Govt. in the tribal areas? Please give brief write up on each Scheme with particular reference to:

(i) Since when the Scheme is in operation
(ii) The objectives of the Scheme
(iii) Matching ratio of the Central and the State contribution

(iv) Amount of grant received and spent during the last three years
(v) Number of beneficiaries of these Schemes
(vi) How the State Govt. is satisfied about the objectives of the Scheme being achieved?
(vii) Specific problems being faced in implementation of these Schemes and the suggestions to overcome them.

8. **Provision of Safe Drinking Water**

(i) How many villages in the State in the Scheduled Areas have no sources of safe drinking water?
(ii) What steps are being taken to provide safe drinking water in those villages?
(iii) What is the timeframe for making available safe drinking water to these villages?

9. Malnutrition

(i) What steps are being taken by the State Govt. to combat the problem of malnutrition among tribal children and expectant and lactating mothers?
(ii) What are the suggestions of the State Govt. for further improving the nutritional needs of the tribal children and expectant and lactating mothers?
(iii) Whether Referral Transportation Scheme is under implementation for pregnant women belonging to BPL tribal families and if so, please indicate the details thereof as also as to how many tribal pregnant women were benefited under this Scheme during the year 2005-06?
(iv) Whether 24 hrs. delivery services scheme is in operation to make available the services to pregnant women? If so, please give the details thereof.
(v) Please give the details of the arrangements in place for periodic medical check up of the pregnant tribal women, particularly living in remote and isolated hamlets?
(vi) What arrangements have been made for providing special training to local dais and provide them with medical kit for first aid treatment and make them available in the remote and inaccessible villages to attend to the delivery cases? Please furnish number of such training programmes organized and the number of local dais who were trained during the past two years.

10. Polio Immunization

(i) What arrangements have been made by the State Govt. for polio vaccinations for the tribal children between 0-5 age group?
(ii) Whether any campaign in this regard was launched in the past? If so, please furnish the number of such campaigns and the number of tribal children who were vaccinated during the past two years.

11. Ayurveda

The tribals collect herbs and shrubs from the forest for preparation of various types of medicines. **Please indicate-**

(i) The number of Ayurvedic dispensaries/centres in the tribal areas.

(ii) Number of Ayurvedic camps which were organized during 2005-06 in the tribal areas and how many tribals were treated? How many of them were indoor patients?

12. Health Studies

(i) Whether any study has been conducted by the State Govt. to identify the specific health problems in tribal areas and if so, what suggestions were made by the study team to improve the availability of medical facilities in the tribal areas? If no, whether the State Govt. proposes to undertake such a study.

(ii) What are the suggestions of the State Govt. over and above the suggestions given by the study team (if any) to further improve the availability of medical facilities in tribal areas.

_____

Government of India

National Commission for Scheduled Tribes
6th Floor, Lok Nayak Bhawan, New Delhi

K.K. GUPTA,
SECRETARY

D.O. No. 4/3/2006-C.Cell Dated 1 November, 2006

Dear (As per list attached)

The National Commission for Scheduled Tribes, which has been constituted under Article 338A of the Constitution of India w.e.f. 19 February, 2004 vide the Constitution (89th Amendment) Act, 2003, has submitted its first Report to the President of India in August, 2006. The Commission would now like to submit its next report to the President by end of February, 2007 with focused attention on some of the vital aspects affecting the socio-economic development of Scheduled Tribes.

2. You will agree that **education** provides the most vital input in human resource development. It is the most effective and crucial tool of the empowering people- the primary vehicle by which economically and socially marginalized sections of society like Scheduled Tribes can be empowered to lift themselves from the existing levels of poverty. Unless these underprivileged sections of society receive the minimum education, they cannot exercise the civil, political, economic and social freedom as enshrined in the Constitution of India.

3. Another important area which needs priority attention is the **special health needs of women and the girl child** which includes the tribal population. The reduction of infant mortality and maternal mortality are equally important indicators of human development. On account of inadequacy of infrastructure for health services, the medical care remains inaccessible to large sections of the tribal population, particularly in the remote and rural areas, where the majority of the tribes reside. There is no doubt that the Government has laid down norms for the network of Sub-centres, Primary Health Centres and Community Health Centres. However, there is a severe shortfall. The inadequacy of manpower in the rural primary health care institutions, with vacancies and absence of staff in critical posts has very serious implications for the health care of the tribal people.

4. Another area of concern in respect of the Scheduled Tribes has been **the alienation of their lands to the non-tribals.** The Commission has observed that notwithstanding the operation of anti-land alienation laws being in force for decades, legal and illegal transfer of tribal land has been taking place in various States on account of loopholes in these laws, connivance of the lower level revenue functionaries and ignorance and innocence of the tribal people.

5. As above mentioned three areas hold the key to the socio-economic advancement of tribals, the Commission would like to **give special and extensive coverage in its next report on the schemes/ programmes being implemented by the State Govts. either at their own or under the Centrally Sponsored/ Central Sectors Schemes for tribal development in these areas.** We have prepared three Questionnaires (Questionnaire 1, 2, & 3) to elicit the requisite information in respect of these three sectors copies of which are enclosed. I shall be grateful if you could issue necessary instructions to the Secretary/ Principal Secretary of the concerned department to get the requisite information collected and compiled on priority basis with respect to each Questionnaire. I shall also request you to instruct the Secretary/ Principal Secretary in charge of Tribal Development to coordinate with these Secretaries and to ensure that the required information in the respective Questionnaire is sent to this Commission by **15 December, 2006 positively.**

With regards,

Yours faithfully,

Sd/-…
(K.K.Gupta)

Shri ……
Chief Secretary
(As per list attached)

List of Chief Secretaries

1.	Shri J. Harinarayan, Chief Secretary, Govt. of Andhra Pradesh, Hyderabad-500022 Fax: 040-23453700	12	Shri A.K. Chaudhary, Chief Secretary, Govt. of Bihar, Patna Fax: 0612-2223983
2.	Shri S. Kabilan Chief Secretary, Govt. of Assam, Guwahati, Fax: 0361-2540310	13	Shri C. Phonsong, Chief Secretary, Govt. of Jammu & Kashmir, Jammu (J&K) Fax: 0194-2452356
3.	Shri R.P. Bagai, Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Raipur-492001 Fax: 0771-2221206	14	Dr. (Mrs.) Malati Das, Chief Secretary, Govt. of Karnataka, Bangalore Fax: 080-22258913
4.	Shri S.S. Parmar, Chief Secretary, Govt. of Himachal Pradesh Secretariat, Shimla-171002 Fax: 0177-2621813	15	Shri R.C. Sahni, Chief Secretary, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal, Fax: 0755-2551521
5.	Shri Manoj Kumar, Chief Secretary, Govt. of Jharkhand, Ranchi-834001 Fax: 0651-2403240	16	Shri S.C. Pani, Chief Secretary, Govt. of Orissa, Bhubaneswar, Fax: 0674-2536660
6.	Shri L. Jacob Chief Secretary, Govt. of Kerala Thiruvanthapuram Fax: 0471-2327176	17	Shri Anil Vaish, Chief Secretary, Govt. of Rajasthan, Jaipur, Fax: 0141-2561324
7.	Shri D.K. Shankaran Chief Secretary, Govt. of Maharashtra, Mumbai-400032 Fax: 022-22028594	18	Shri L. Tripathy, Chief Secretary, Govt. of Tamil Nadu, Chennai, Fax: 044-5672304
8.	Shri N.D. Chingapa Chief Secretary, Govt. of Sikkim, Gangtok Fax: 03592-222851	19	Shri Navin Chandra Bajpai, Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow Fax: 0522-2239283
9.	Shri R.K. Mathur, Chief Secretary, Govt. of Tripura, Agartala, Fax: 0381-2324013	20	Shri Amit Kiran Deb, Chief Secretary, Govt. of West Bengal, Kolkata, Fax: 033-22215300
10.	Shri S.K. Das, Chief Secretary, Govt. of Uttaranchal, Dehradun Fax: 0135-2712500	21	Shri Sudhir Mankand, Chief Secretary, Govt. of Gujarat, New Sachivalya Complex, Gandhinagar-382010 Fax: 079-23250305
11.	ShriJaranil Singh Chief Secretary, Govt. of Manipur, Imphal Fax: 0385-222629		

LAND ALIENATION

1. Act/Acts for Alienation and Restoration of Tribal Land

1.1 What are the Acts enacted by the State Govt. to prevent the transfer of tribal lands to non-tribals or restoration of the alienated lands to the tribals? Please enclose a copy of the Act/Acts?

1.2 Please provide a two-three page write-up on the basic features of this Act/these Acts regarding alienation of tribal land by way of sale, mortgage, lease, gift or otherwise with specific reference to the following points:-

(i) Whether under these laws, the land can be transferred from a tribal to another tribal and if so, what are the terms and conditions thereof?
(ii) Whether the land cannot under any circumstance be transferred from a tribal to a non-tribal. If so, under what sections of the Act/Acts?
(iii) Whether the land can be transferred from a tribal to a non-tribal. **If so, please indicate:-**

(a) Which **sections** of the Act provide for transfer of tribal land to a non-tribal;
(b) Which competent authority such as District Collector, Divisional Commissioner etc. with whose approval the tribal land can be transferred to a non-tribal. Under which section (s) of the Act, permission of the competent authority specified in the Act is required;
(c) What is the procedure for transfer of tribal land to a non-tribal;
(d) What are the penal provisions for alienation of tribal land to a non-tribal or even to a tribal in violation of the provisions of the Act/Acts. Please indicate the sections of the Act/Acts? if there are any such provisions.

(iv) Whether the Act/Acts in question also provide for transfer of lands from the non-tribals to the tribals in case the alienation has been made in violation of the provisions of the Act/Acts? If so, what are the **sections** under which such restoration is possible and what is the procedure for restoration of illegally alienated land back to the tribals?

(v) Whether any review of these laws have been undertaken with a view to find out the loopholes in them which are being misused by the non-tribals to get the tribal lands transferred in their names and if so, what action is being taken to plug these loopholes?

1.3 Section 4 (m) (iii) of the PESA Act, 1996 provides that while endowing Panchayats in the Scheduled Areas with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institution of self-government, a State Legislature shall ensure that the Panchayats at appropriate level and the Gram Sabha are endowed specifically with the power to prevent alienation of land in the Scheduled Areas and to take appropriate action to restore any unlawfully alienated land of a Scheduled Tribe. As per this Act, the Legislature of a State is barred from making any law inconsistent with the features given under Section 4 of the Act. **Please indicate-**

(i) Whether the Act/Acts mentioned-above are consistent with the provisions of Section 4 (m)(iii) of PESA Act, 1996?
(ii) If the provisions of the State laws (mentioned-above) do not correspond with the PESA Act, what action is proposed by the State Govt. to amend the alienation laws to bring them in harmony with the PESA Act, 1996?

2. **Land Alienation Cases**

2.1 How many land alienation cases of tribals have been detected in the State during the last 5 years?

(i) Total number of land alienation cases filed in various courts in the State along with the total area involved (in acres).
(ii) Number of cases disposed of by the courts along with the total area involved (in acres), with the following break up-
(a) Number of cases rejected and the total area involved (in acres);
(b) Number of cases decided in favour of tribals and the total area involved (in acres);
(c) Number of cases [out of the figure given against (b)] in which land was restored to tribals along with the total area involved (in acres).
(iii) Number of cases pending in the courts along with total area involved (in acres).
(iv) Please indicate the number of cases out of the total cases filed in the various courts in which the transfer of land had been approved by the competent authority and the grounds on which the land transfer transactions were challenged in the courts.
(v) What are the basic reasons for alienation of tribal land to the non-tribals even though the State laws do not permit such transfer?

2.2 Whether any study has been conducted to find out the reasons for unlawful alienation of tribal lands to the non-tribals in violation of the alienation laws? If so, please furnish the gist of the study with particular reference to circumstances leading to unlawful transfer of tribal lands. If no, what factors in the opinion of the State, were responsible for unlawful transfer of tribal lands to non-tribal and what action is proposed to be taken by the State Govt. to curb this growing menace of illegal transfer of tribal land to non-tribals?

3. **Transfer of Tribal Land**

3.1 In case the anti-alienation law operating in the State allows the transfer of tribal land to a non-tribal with the approval of competent authority as specified in the State Act/Acts. **Please indicate-**

(i) In how many cases the transfer of tribal land to non-tribals was allowed during the last three years with the approval of the competent authority? What was the total area (in acres) involved?
(ii) How many applications for transfer of lands to non-tribals are pending in the various districts of the State for approval of the competent authority?

3.2 It has been brought to the notice of the Commission that the power of granting permission of transfer of tribal land to non-tribals is being exercised by lower authorities/functionaries other than the competent authority as mentioned in the respective State Act/Acts. Please indicate-

(i) Whether in respect of your State the power of granting permission of transfer of tribal land to non-tribals is being exercised by authorities junior to the competent authority as prescribed in the State Act/Acts?
(ii) Whether instructions have been issued to the District authorities to ensure that the power of granting permission for transfer of tribal land to non-tribals is not delegated to junior functionaries?

4. **Transfer of Tribal Land to Non-Tribals through connivance of Revenue Officials**

4.1 It has been brought to the notice of the Commission from some of the Scheduled Area States that the lands registered in the revenue records in the name of the Scheduled Tribes are being transferred in the name of the non-tribals with the connivance of the

revenue officials. It has been reported that this is being done by the non-tribals with a view to get the benefits of compensation for the land which has been acquired or is likely to be acquired under the Land Acquisition Act, 1894 for setting up of industrial and irrigation projects. This has been resulting in the deprivation of the compensation benefits to the real owner of the land who are tribals. **Please indicate-**

(i) The number of such cases which have been brought to the notice of the State Govt. during the last three years and the size of the area of land involved (in acres).
(ii) How many such cases are pending in the courts of law.
(iii) What remedial measures have been taken by the State Govt. to put a check on such illegal transfers of tribal land.
(iv) Whether the State Govt. has advised or proposes to advise the senior revenue officials in the districts to have a close watch on the lower functionaries such as **patwaries** and kanoongos to ensure that such illegal transfers do not take place. If yes, whether the senior revenue officers have been advised to fix up responsibilities on the guilty and to take suitable penal action against them.

_____